II, खंड 13, अंक 21

FOR REFERENCE ONLY.
NOT TO BE ISSUED

सोमवार, 18 दिसम्बर, 2000
27 अग्रहायण, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

(खण्ड 13 में अंक 21 से 25 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

बी०के० पाठक
सहायक सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

मुनि लाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 13, पांचवा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 21, सोमवार, 18 दिसम्बर, 2000/27 अग्रहायण, 1922 (शक)

विषय	कॉलम
यूगांडा के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत . . .	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 401	7-17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 402 से 420 .	17-56
अतारांकित प्रश्न संख्या 4324 से 4553	56-287
सभा पटल पर रखे गए पत्र	288-300
लोक लेखा समिति	
चौदहवां प्रतिवेदन	300
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
अध्ययन दौरा प्रतिवेदन	301
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	
पहला और दूसरा प्रतिवेदन . .	301
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
सातवां, आठवां और नौवां प्रतिवेदन .	301
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति	
दसवां प्रतिवेदन	302
भारतीय खाद्य निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश में धान की खरीद के बारे में	302-317
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह और हिंसा	
श्री जी०एम० बनातवाला . . .	332
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	332
श्री राजकुमार वंग्चा	337
श्री पवन सिंह घाटोवार	340
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह .	343
श्री विजय हान्दिक .	344-353
कार्य मंत्रणा समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	353

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक)	राजस्थान में कोटा और केशवराय पाटन में चम्बल नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता श्री रघुवीर सिंह कौशल. . .	354
(दो)	किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय. . .	354
(तीन)	मध्य प्रदेश के सागर नगर में पेयजल की समस्या का समाधान के लिए राजघाट परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता श्री वीरेन्द्र कुमार	354
(चार)	चंडीगढ़ में साफ्टवेयर टेक्नालाजिकल पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता श्री पवन कुमार बंसल. . . .	355
(पांच)	राजस्थान के बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सूखा प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता श्री ताराचन्द भगोरा.	355
(छह)	केरल में कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किए जाने की आवश्यकता श्री टी० गोविन्दन	356
(सात)	मिर्च बोर्ड (चिली बोर्ड) का गठन किए जाने की आवश्यकता श्री वाई०वी० राव.	356
(आठ)	उत्तर प्रदेश स्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता श्री धर्मराज सिंह पटेल.	357
(नौ)	उड़ीसा के केन्द्रपाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक खंड मुख्यालय में और अधिक पेट्रोल/डीजल और रसोई गैस बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता श्री प्रभात सामंतराय.	357
(दस)	बिहार में वैशाली को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता डा० रघुवंश प्रसाद सिंह	358
(ग्यारह)	बोडोलैंड, तेलंगाना आदि जैसे अलग राज्यों का गठन किए जाने की आवश्यकता श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी . .	358
(बारह)	बिहार में नदियों द्वारा हो रहे भारी भूक्षरण को रोकने के लिए समुचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता डा० संजय पासवान.	358

विषय	कॉलम
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री पवन कुमार बंसल	358
श्री गिरधारी लाल भार्गव	362
श्री बालकृष्ण चौहान	364
श्री आदि शंकर	365
श्रीमती संध्या बोरी	367
श्री प्रभुनाथ सिंह	369
डा० वी० सरोजा	371
श्री त्रिलोचन कानूनगो	372
श्री चन्द्र भूषण सिंह	374
श्री खारबेल स्वाइं	376
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह	378
श्री अधीर चौधरी	381
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति	383
श्रीमती मेनका गांधी	384
खण्ड 2 से 70 और 1	388
पारित करने के लिए प्रस्ताव	388-403
आधे घंटे की चर्चा	
नौवीं योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण	
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति	403
श्री बसुदेव आचार्य	406
श्री खारबेल स्वाइं	408
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह	409
कुंवर अखिलेश सिंह	411
श्री राजीव प्रताप रूडी	411
श्री सुरेश प्रभु	413-416
सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची का संशोधन करने वाली अधिसूचना का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	
श्री यशवंत सिन्हा	416
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	417
श्री वरकला राधाकृष्णन	419-422

विषय	कॉलम
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	
और	
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री बसुदेव आचार्य .	422
श्री यशवंत सिन्हा	424
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	426
श्री ए०के०एस० विजयन . .	430
श्री मोइनुल हसन. .	431-436
खण्ड 2 से 31 और 1 . . .	436
पारित करने के लिए प्रस्ताव .	436
भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	
और	
भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री वरकला राधाकृष्णन.	437
श्री अजित कुमार पांजा.	440
श्री आर०एल० भाटिया	440
श्री प्रियरंजन दासमुंशी .	442
श्री खारवेल स्वाइं	446-454
खण्ड 2 से 30 और 1	454
पारित करने के लिए प्रस्ताव .	454

लोक सभा

सोमवार, 18 दिसम्बर, 2000/27 अग्रहायण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

(व्यवधान)

यूगांडा के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, प्रारम्भ में ही, मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे अपनी ओर मे तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से महामहिम श्री फ्रांसिस जे० अयूम, यूगांडा की संसद के अध्यक्ष और उगांडा के संसदीय शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों का, जो हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत के दौरे पर है, स्वागत करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है।

शिष्टमंडल नई दिल्ली आज सुबह पहुंचा। इस समय वे विशेष कक्ष में बैठे हैं। हम अपने देश में उनके प्रवास को आनन्ददायक एवं लाभदायक होने की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम यूगांडा के राष्ट्रपति, संसद और मित्रवत लोगों का अभिवादन करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 401 श्री टी०एम० सेल्वागनपति।

(व्यवधान)

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, किसानों उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि सभा किसानों की समस्याओं पर चर्चा करें। इसलिए प्रश्नकाल स्थगित किया जाए। *(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू आपने प्रश्नकाल स्थगित करने तथा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने की सूचना दी है। मैंने आपकी सूचना अस्वीकृत कर दी है।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, आपने भी एक सूचना दी है। परंतु आप इस मामले को शून्यकाल में उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप भी इसे शून्य काल में उठा सकते हैं अभी नहीं। कृपया अपनी सीट ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, यदि आप कोई मामला उठाना चाहते हैं, तो आप शून्य काल में उठा सकते हैं, अभी नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाय।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 401, श्री टी०एम० सेल्वागनपति।

(व्यवधान)

श्री टी०एम० सेल्वागनपति (सेलम) : प्रश्न सं० 401 *(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : हम लोगों ने इस सत्र में किसानों की समस्याओं पर चर्चा एक बार नहीं बल्कि दो अथवा तीन बार की है। आपने आज इसकी सूचना पुन: दी है। मैंने आपके नोटिस को अस्वीकृत कर दिया है। यदि आप कोई भी मामला उठाना चाहते हैं, तो इसे शून्यकाल में उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया पीठासीन अधिकारी का सहयोग करें। मैं आपको इसे शून्यकाल में उठाने की अनुमति दूंगा, अभी नहीं। कृपया समझने की कोशिश करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : टेलीकॉस्ट बंद करो।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.04 बजे

[अनुवाद]

इस समय श्री रामजी लाल सुमन आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.04½ बजे

इस समय श्री रामजी लाल सुमन अपने स्थान पर वापस चले गए

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री माधवराव सिंधिया, कृपया पहले मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं जो कह रहा हूं आप लोग नहीं सुन रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले मेरी बात सुनिए। यह क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, जी नहीं, कृपया पहले मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट ग्रहण करें। यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपने स्थान पर जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप 'शून्य काल' के दौरान प्राप्त कर सकते हैं, इस समय नहीं। कृपया इसे समझिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बताए क्या आप 'प्रश्नकाल' नहीं चाहते हैं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस सभा में 'प्रश्नकाल' नहीं चाहते हैं? यह क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित है। इसके लिए समय निर्धारित किया गया है जब आप प्रश्न उठा सकते हैं परंतु अभी नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री माधवराव सिंधिया जी, मैं मंत्री महोदय से उत्तर देने के लिए बाद में कह सकता हूं परंतु अभी नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्नकाल के दौरान जबाव देने के लिए मंत्री जी को अनुमति कैसे दे सकता हूं? इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं, तो शून्य काल के दौरान पूछ सकते हैं।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : कृषि उत्पादों की समुचित खरीद नहीं की जा रही है। किसान परेशान हैं और मंत्री महोदय चुपचाप बैठे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि यह शून्यकाल है तो मैं मंत्री महोदय से जबाव देने के लिए कह सकता हूं। प्रश्नकाल के दौरान मैं मंत्री महोदय से जबाव देने के लिए कैसे कह सकता हूं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बातें सुनिए। यदि आप मंत्री जी से जबाव चाहते हैं तो आप इसे प्रश्नकाल के दौरान उठा सकते हैं। तब मैं उनसे जबाव देने के लिए कह सकता हूं। अभी यह प्रश्नकाल है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रक्रिया नहीं है क्योंकि प्रश्नकाल भी महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : महोदय, मैंने अपना प्रश्न सं० 401 उठाया है। *(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, कृपया अपने सदस्यों से बैठने के लिए कहिए। आप इसे शून्यकाल के दौरान उठा सकते हैं, अभी नहीं। इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे पुन: अपील करता हूं कि आप अपनी सीट ग्रहण करें। मैं इसे प्रश्नकाल के दौरान उठाने के लिए आपको एक मौका दूंगा, लेकिन अभी नहीं। यह क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रक्रिया से भली-भांति परिचित हैं। आप प्रश्नकाल के दौरान मामला कैसे उठा सकते हैं? कृपया इस बारे में मुझे बताइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के दौरान ऐसे मामले उठाने की प्रक्रिया कौन सी है? ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : जब भी मैं प्रश्न उठाता हूं कोई-न-कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है। मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके ओर से मैं मंत्री महोदय से कहता हूं कि वे शून्यकाल के दौरान जबाव दें, लेकिन अभी नहीं। मंत्री महोदय, प्रश्नकाल के दौरान कैसे जबाव दे सकते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्नकाल नहीं चाहते हैं और सभा चलने देना नहीं चाहते हैं। यह क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा केवल प्रक्रिया के अनुसार ही चलनी चाहिए आपकी इच्छा और अभिलाषा के अनुसार नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुकेन्द रेड्डी जी, सभा में किसी को भी इस तरह से नारा नहीं लगाना चाहिए। यह प्रक्रिया है।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा० मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : महोदय, सरकार ने कई आश्वासन दिए हैं परंतु इन्हें पूरा नहीं किया गया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, मैं एक बार पुन: आपसे अपील करता हूं। कृपया अपने सदस्यों से सीट ग्रहण करने के लिए कहिए। यदि आप इस मामले को उठाना ही चाहते हैं, तो आप इसे शून्य काल में उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री के० येरननायडू : महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही गंभीर स्थिति है। *(व्यवधान)*

श्री माधव राव सिंधिया : महोदय, माननीय मंत्री जी हमें आश्वासन दें कि वे जबाव देंगे। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सिन्धिया, मैं माननीय मंत्री, महोदय से भी शून्य काल में जबाव देने के लिए कह रहा हूं, पर प्रश्न काल में नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बार पुन: आप लोगों से अपने-अपने स्थानों पर जाने के लिए अनुरोध करता हूं। यदि आप इस विषय को उठाना चाहते हैं तो आप इसे शून्य काल में उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री के० येरनायडू : महोदय, किसान इस देश के मेरूदण्ड हैं *(व्यवधान)* माननीय मंत्री महोदय के अनुदेशों के बावजूद किसान चिल्ला रहे हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मैं आप लोगों से एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि आप इस विषय को प्रश्न काल के बजाय शून्य काल में उठाएं। यह सब क्या है? आप सभा की कार्यवाही को कैसे बाधित कर सकते हैं? कृपया मुझे बताएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सब क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप भूल रहे हैं कि प्रश्न काल भी महत्वपूर्ण हैं। कृपया इसे समझने की कोशिश करें।

(व्यवधान)

डा० मन्दा जगन्नाथ : महोदय, यह मामला और भी अधिक महत्वपूर्ण है *(व्यवधान)*

श्री के० येरननायडू : महोदय, हमें इस विषय पर बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब आप अध्यक्षपीठ की बात नहीं मान रहे हैं तो ये आपको बोलने की अनुमति कैसे दे सकते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.12 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी

*401. **श्री टी०एम० सेल्वागनपति** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुमोदित विद्युत उत्पादक परियोजनाओं की परिवर्तन दर को बढ़ाने का है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये परियोजनाएं वित्तीय समापन प्राप्त कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को संकट से बचाने के लिए क्या कार्यवाई की गई है ?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) विद्युत क्षेत्र में निजी भागेदारी को प्रोत्साहित करने से संबंधित नीति की वर्ष 1991 में घोषणा के बाद कुल मिलाकर अब तक 57 निजी विद्युत परियोजनाओं को, जिनकी कुल क्षमता 29375 मे०वा० है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इनमें से 16 परियोजनाओं ने वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त निजी क्षेत्र की परियोजनाओं का, और जो परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, और जो परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं उनका ब्यौरा क्रमश: अनुबंध-I, अनुबंध-II तथा अनुबंध-III में दिया गया है। सरकार लम्बित मुद्दों का समाधान करने के लिए इन परियोजनाओं का शीघ्र वित्तीय समापन प्राप्त करने की दृष्टि से, जहां भी आवश्यक हो कदम उठाती रही है। वित्त पोषण सुनिश्चित न किए जाने का प्रमुख कारण है, राज्य विद्युत बोर्डों (रा०वि० बोर्डों) की खराब वित्तीय स्थिति, ऋणदाताओं द्वारा रा०वि० बोर्डों पर भुगतान करने की क्षमता के संबंध में कम विश्वास और विद्युत की खरीद के लिए रा०वि० बोर्डों के साथ पर्याप्त एस्क्रो व्यवस्था में कमी का होना।

(ग) विद्युत क्षेत्र सुधार को बल प्रदान करने और विद्युत परियोजनाओं के शीघ्र विकास के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने की दृष्टि से वर्ष 1991 में घोषित नीति को समय-समय पर संशोधित/समीक्षा की गई है। उपर्युक्त परियोजनाओं की, जिन्हें के०वि०प्रा० की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, कई उपायों के माध्यम से वित्तीय समापन प्राप्त करने में मदद की जा रही है। निजी क्षेत्र परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने व विकेन्द्रीकरण करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नवत हैं :–

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के०वि०प्रा०) द्वारा निजी विद्युत परियोजनाओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ प्राप्त की जाने वाली स्वीकृतियों की संख्या को कम से कम करना।
- चुनिंदा श्रेणियों में विदेशी इक्विटी के लिए स्वत: अनुमोदन मुहैया करवाकर तथा इस प्रकार की परियोजनाओं के स्वत: अनुमोदन के लिए प्रावधानों को बढ़ाकर विदेशी निवेश प्रोन्नति बोर्ड की भूमिका को कम करना। तद्नुसार, बिना किसी परिसीमा के स्वत: अनुमोदन माध्यम पर 100% विदेशी इक्विटी भागीदारी तक के लिए विद्युत उत्पादन, संचारण तथा वितरण परियोजनाओं को अनुमति प्रदान कर दी गई है।
- पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां प्रदान करना।
- पूंजीगत लागत सीमा, जहां तक के०वि०प्रा० से अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं होता है, को बढ़ाना।
- स्वीकृतियों में तेजी लाने, कठिनाईयों को दूर करने तथा वित्तीय समापन प्राप्त करने में अनंतिम समस्याओं का समाधान करने के लिए विविध स्तरों पर सघन मॉनीटरिंग।
- विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 का अधिनियमन किया गया है। जिससे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना संभव हो गई है।
- निजी क्षेत्र निवेश में अधिकाधिक भागेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पारेषण को एक अलग कार्य बनाने की दृष्टि से विद्युत कानून संशोधन अधिनियम, 1998 बनाया गया है।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

– तीव्र गति से वृहत् जल विद्युत शक्यता का दोहन करने, निजी निवेश बढ़ाने और लघु एवं मिनी जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने की दृष्टि से जल विद्युत विकास की गति में तेजी लाने के लिए जल विद्युत विकास पर एक नीति बनाई गई।

– अन्य क्षेत्रों को विद्युत की निकासी करने के लिए सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों में जल विद्युत शक्यता एवं पारेषण सुविधाओं वाले क्षेत्रों, खान पिट हैडों और तटीय स्थल में विद्युत परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

अनुबंध-I

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं जो कि पूर्णत: चालू हो चुकी हैं

क्र०सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)	लागत (रुपये/करोड़)
1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश			
1.	बास्पा चरण-2 एचईपी (मै० जेपीआईएल)	300	949.23
2.	मलाना एचईपी (मै० राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि०)	86	341.911
उत्तर प्रदेश			
3.	विष्णुप्रयाग एचईपी (मै० जेपीआईएल)	400	1614.6
4.	रोजा टीपीपी (मै० इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर)	567	2432.10
5.	श्रीनगर एचईपी (मै० डंकन्स नार्थ हाइड्रो पावर कं० लि०)	330	1699.12
राजस्थान			
6.	धौलपुर सीसीजीटी (मै० आरपीजी धौलपुर पावर कं०लि०)	702.7	2294.078
7.	बरसिंगसर टीपीपी (मै० हिन्दुस्तान विद्युत कार्पोरेशन लि०)	500	2106.635
मध्य प्रदेश			
8.	महेश्वर एचईपी (मै० एस० कुमार्स लि०)	400	1500
9.	कोरबा (पूर्व) टीपीपी (मै० डेवू पावर)	1070	4690.00
10.	बीना टीपीपी (मै० बीना पावर सप्लाई कं०लि०)	578	2443
11.	नरसिंहपुर सीसीपीपी (मै० जीबीएल पावर)	166	531.24
12.	कोरबा (पश्चिम) विस्तार (मै० आईटीपीएल)	420	1766.78
13.	गुणा सीसीजीटी (मै० एसटीआई पावर इंडिया लि०)	330	1079.39
14.	पेंच टीपीपी (मै० पेंच-पाव्वर लि०)	500	2183.50
15.	भिलाई टीपीपी (मै० भिलाई पावर सप्लाई कम्पनी)	574	2489.71
16.	रायगढ़ टीपीपी (मै० जिन्दल पावर लि०)	550	2411.80
17.	मांडेर सीसीजीटी (मै० मांडेर पावर लि०)	342	1048.072
18.	पीठमपुर डीजीपीपी (मै० शापूरजी पलोनजी पावर कं० लि०)	119.7	442.096
19.	रतलाम डीजीपीपी (मै० जीवीके पावर (रतलाम) लि०	118.63	451.294
20.	खण्डवा सीसीजीटी (मै० मध्य भारत एनर्जी कं० कार्पोरेशन लि०)	171.17	550.667

1	2	3	4
	गुजरात		
21.	पगृथन सीसीजीटी (मै० गुजरात टॉरेंट)	654.7	2298.14
22.	हजीरा सीसीजीटी (मै० एस्सार पावर लि०)	515.0	1666.56
23.	बड़ौदा सीसीजीटी (मै० जीआईपीसीएल)	167.0	368.22
24.	सूरत लिग्नाइट टीपीपी (मै० जीआईपीसीएल)	250.0	1167.189
25.	जामनगर टीपीपी (मै० रिलायंस पावर लि०)	500.0	2550.741
	महाराष्ट्र		
26.	डाभोल सीसीटीजी (मै० डाभोल पावर कं०)	2015	9051.27
27.	भद्रावती टीपीएस (मै० सेंट्रल इंडिया पावर)	1072	4630.90
28.	पातालगंगा सीसीजीटी (मै० रिलायंस पातालगंगा पावर)	447.1	1379.181
	आंध्र प्रदेश		
29.	जेगरूपाडु सीसीजीटी (मै० जीवीके इंडस्ट्रीज)	216	816
30.	गोदावरी सीसीजीटी (मै० स्पैक्ट्रम टैक्नॉलाजी)	208	748.43
31.	विजाग टीपीएस (मै० एचएनपीसीएल)	1040	4628.11
32.	रामागुंडम विस्तार (मै० बीपीएल ग्रुप)	520	2384.57
33.	कोंडापल्ली सीसीजीटी (लेनको इंडस्ट्रीज लि०)	350	1035.471
34.	कृष्णापट्टनम "बी" टीपीपी (बीबीआई पावर कृष्णापट्टनम कं०)	520	2221.329
35.	वेमागिरि सीसीजीटी (इस्पात पावर लि०)—आईसीबी रूट पर	492	1679.907
	कर्नाटक		
36.	तोरांगल्लू टीपीएस (मै० जिंदल ट्रैक्टेबल)	260	1093.86
37.	मंगलौर टीपीएस (मै० कोर्जेट्रिक्स)	1013.2	4253.399
38.	नागार्जुन टीपीपी (मै० नागार्जुन पावर कार्पोरेशन लि०)	1015	5495.99
39.	बंगलौर सीसीपीपी (मै० पीन्या पावर)	107.6	390.593
	तमिलनाडु		
40.	नैवेली टीपीएस-जीरो यूनिट (मै० एसटी-सीएमएस)	250	1200
41.	पिल्लईपेरूमलनल्लूर सीसीजीटी (मै० पीपीएन पावर)	330.5	1121.70
42.	नॉर्थ मद्रास टीपीएस-2 (मै० वीडियो कोच पावर)	1050	4423.80
43.	बेसिन ब्रिज डीजीपीपी (मै० जीएमआर वासवी)	200	756.77
44.	तूतीकोरिन टीपीपी चरण-4 (मै० स्पिक)	525	2324.10
45.	समयानल्लूर डीजीपीपी (मै० बालाजी पावर कार्पोरेशन लि०)	106	384.221

1	2	3	4
46.	समलपट्टी डीजीपीपी (मै० समलपट्टी पावर कं०)	106	391.863
47.	नार्थ मद्रास टीपीपी (मै० त्रि-शक्ति एनर्जी प्रा० लि०)	525	2246.77
48.	कुड्डालोर टीपीपी (मै० कुड्डालोर पावर कंपनी)	1320	6379.157
49.	चेम्पर सीसीजीटी (मै० इंडियन पावर प्रोजेक्ट्स लि०)	1873	5060.165
केरल			
50.	विप्पीन सीसीजीटी (मै० सियासिन एनर्जी प्रा० लि०)	679.2	1964.3
51.	कन्नूर सीसीजीटी (मै० कन्नूर पावर प्रोजेक्ट्स लि०)	513	1470
उड़ीसा			
52.	इब वैली टीपीएस (यूनिट-5 व 6) (एईएस इब वैली कार्पो०)	500	2369.48
53.	डुबरी टीपीपी यूनिट-1 व 2 (कलिंग पावर कार्पोरेशन)	500	2191.5[illegible]4
पश्चिम बंगाल			
54.	बालागढ़ टीपीएस (मै० बालागढ़ पावर कं०)	500	2234.69
55.	बक्रेश्वर टीपीपी (बक्रेश्वर पावर जेनरेशन कं०)	420	1621.588
56.	गौरीपुर टीपीपी (गौरीपुर पावर कंपनी)	150	659.442
बिहार			
57.	जोजोबेरा टीपीपी (मै० जमशेदपुर पावर कं०)	240	1025.19

अनुबंध-II

केन्दीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं जो कि पूर्णत: चालू हो चुकी हैं

क्र० सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)
1	2	3
गुजरात		
1.	पगुथन सीसीजीटी (मै० गुजरात पावर जेन एनर्जी कोर्पोरेशन लि०)	654.7
2.	हजीरा सीसीजीटी (मै० एस्सार पावर लि०)	515.0
3.	बड़ौदा सीसीजीटी (मै० गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कार्पोरेशन लि०)	167.0
4.	सुरत लिग्नाइट टीपीपी (मै० गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कार्पोरेशन लि०	250.0
महाराष्ट्र		
5.	डाभोल सीसीजीटी चरण-1 (मै० डाभोल पावर कं०)	740
आंध्र प्रदेश		
6.	जेगरुपाडु सीसीजीटी (मै० जीवीके इंडस्ट्रीज लि०)	216
7.	कोंडापल्ली सीसीजीटी, मै० लेनको कोंडापल्ली पावर कार्पोरेशन	350
8.	गोदावरी सीसीजीटी, मै० स्पैक्ट्रम पावर जेनरेशन लि०	208
कर्नाटक		
9.	तोरांगल्लू टीपीएस (मै० जिन्दल ट्रैक्टेबल पावर कंपनी लि०)	260
तमिलनाडु		
10.	बेसिन ब्रिज डीजीपीपी (मै० जीएमआर वासवी पावर कार्पोरेशन लि०)	200
	जोड़	**3560.7**

अनुबंध-III

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं जो कि निर्माणाधीन हैं

क्र० सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)	राज्य	प्रवर्तक	अभ्युक्ति
निजी क्षेत्र परियोजनाएं					
1.	डाभोल सीसीजीटी चरण 2	1440	महाराष्ट्र	मै० डाभोल पावर कं०	
2.	जोजोबेरा टीपीपी	240	बिहार	मै० जमशेदपुर पावर कंपनी	
3.	महेश्वर एचईपी	400	मध्य प्रदेश	मै० श्री महेश्वर हाइडल पावर कार्पोरेशन लि०	
4.	व्यास 2 एचईपी	300	हिमाचल प्रदेश	मै० जयप्रकाश हाइड्रो पावर लि०	
5.	पिल्लईपेरूमलनल्लूर सीसीजीटी	330.5	तमिलनाडु	मै० पीपीएन पावर जेनरेटिंग कंपनी	
6.	वेमागिरि सीसीजीटी (नेपथा)	492	आंध्र प्रदेश	मै० इस्पात पावर लि०	
7.	नैवेली टीपीपी	250	तमिलनाडु	मै० एसटी-सीएमएस इलेक्ट्रिक कंपनी	
8.	मलाना एचईपी	86	हिमाचल प्रदेश	मै० राजस्थान स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स लि०	
9.	समयानल्लूर डीजीपीपी	106	तमिलनाडु	मै० बालाजी पावर कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	
10.	समलपट्टी डीजीपीपी	106	तमिलनाडु	मै० समलपट्टी पावर कंपनी प्राइवेट लि०	
11.	रतलाम डीजीपीपी	118.63	मध्य प्रदेश	जीवीके पावर (रतलाम) लि०	
12.	रामागुंडम टीपीपी	520	आंध्र प्रदेश	बीपीएल पावर प्रोजेक्ट्स	
	जोड़	4389			

जोजोबेरा 120 मे०वा० को आंशिक रूप से चालू कर दिया गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपने-अपने स्थानों पर चले जाएं। इस प्रकार के मामलों को उठाने के लिए समय है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश करें। यह मामला प्रश्नकाल में उठाने के लिए नहीं है। कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाएं।

(व्यवधान)

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : महोदय, यह विवरण अस्पष्ट है और इसका मुख्य प्रश्न से कोई संबंध नहीं है *(व्यवधान)*। बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री जी ने सदस्यों से अनुरोध किया था कि उन्हें प्रश्न काल के दौरान सभा की कार्यवाही को बाधित नहीं करना चाहिए। महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सब क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सब क्या हो रहा है। कृपया प्रश्न काल चलने दें।

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : महोदय, इसके लिए एक खास समय है। वे इसे 'शून्य काल' के दौरान उठा सकते हैं। राज्य का हिस्सा होकर भी वे अपने ही नेता के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं *(व्यवधान)* आंध्र प्रदेश और राज्य सरकार के बीच यही समस्या है। वे राज्य सरकार को गिरा दें *(व्यवधान)* कृपया मेरी सहायता करें *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह उचित नहीं है। श्री येरननायडु, यह उचित नहीं है। कृपया अपने स्थान पर जाएं। आपको प्रश्न काल बाधित नहीं करना चाहिए। यह सब क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मध्यान्ह बारह बजे पुन: समवेत होने के लिए सभा स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.17 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा मध्यान्ह बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण

*402. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामों के विद्युतीकरण के क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा कितना योगदान किया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गैर-सरकारी वितरण कम्पनियां ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति जारी रखने के लिए अत्यधिक अनिच्छुक हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (घ) गांवों के विद्युतीकरण की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों/रा०वि० बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों की है। हाल ही में उड़ीसा में ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति का निजीकरण आरंभ किया गया है। उड़ीसा राज्य में, जहां वितरण कंपनियों का निजीकरण किया गया है, ग्रामीण विद्युतीकरण नेटवर्क के अनुरक्षण की जिम्मेवारी अब निजी क्षेत्र की वितरण कम्पनियों की हैं।

किसी भी राज्य सरकार/रा०वि० बोर्ड/विद्युत यूटिलिटी ने विद्युत मंत्रालय के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं लाया है, जहां निजी वितरण कम्पनियों ने ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति जारी रखने के लिए अनिच्छा दर्शायी हो।

गंगा नदी में प्रदूषण

*403. **श्री के० येरननायडू** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरिद्वार, इलाहाबाद, पटना और कलकत्ता में गंगा कार्य योजना के शुरू करने के समय और इस समय गंगा में किस हद तक प्रदूषण था; और

(ख) गंगा के कब तक प्रदूषण मुक्त हो जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) वर्ष 1986 में गंगा कार्य योजना शुरू होने के तत्काल बाद और 1999 में ग्रीष्म ऋतु की आलोचनात्मक अवधि में गंगा नदी में हरिद्वार, इलाहाबाद, पटना और कलकत्ता में घुलित आक्सीजन और जैव रसायन आक्सीजन मांग नामक प्रदूषण मापकों द्वारा प्रदूषण को मापा गया था और यह नीचे दिए अनुसार पाया गया था :–

क्र० सं०	स्थान	डीओ (मिग्रा/1)	बीओडी (मिग्रा/1)	डीओ (मिग्रा/1)	बीओडी (मिग्रा/1)
		1986		1999	
1.	हरिद्वार	8.1	1.8	8.6	1.2
2.	इलाहाबाद	6.6	15.5	7.9	3.2
3.	पटना	8.1	2.2	7.8	2.4
4.	कलकत्ता स्थित उलबेरिया	6.9	2.1	6.6	2.2

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंगा के लिए इन दो पैरामीटरों के निर्धारित अपेक्षित मानदण्ड बी०ओ०डी० 3 मिग्रा/1 (अधिकतम) और डी०ओ० 5 मिग्रा/1 (न्यूनतम) है।

(ख) गंगा कार्य योजना दो चरणों में शुरू की गई थी वर्ष 1985 में शुरू किए गए प्रथम चरण-I के अंतर्गत प्रतिदिन 835 मि०ली० सीवेज का निपटान किया गया था। गंगा कार्य योजना चरण-II, जिसका पहले ही कार्यान्वयन किया जा रहा है, के अंतर्गत प्रतिदिन 1861 मि०ली० सीवेज का निपटान किया जाना है। गंगा नदी के प्रदूषण मुक्त होने की आशा केवल वर्ष 2005 में गंगा कार्य योजना चरण-II के पूरा होने के बाद और नदी में निस्तारित शोधित अपशिष्ट जल के आवश्यक घुलन के लिए न्यूनतम बहाव होने के बाद ही की जा सकती है।

[हिन्दी]

भारतीय क्रिकेट टीम पर पाकिस्तान का दौरा करने संबंधी प्रतिबंध

*404. **श्री रामचन्द्र बैंदा** :
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 2001 में भारतीय क्रिकेट टीम पर पाकिस्तान का दौरा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) दोनों देशों के बीच खेल के क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) इस निर्णय के कब तक लागू रहने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) हालांकि सरकार ने हमेशा ही संस्कृति, खेल और परस्पर जन-संपर्क के क्षेत्र में संबंध विकसित करने पर पहले से ही काफी बल दिया है, किन्तु वर्तमान हालात में, इस स्थिति में, पाकिस्तान का नियमित दौरा करना भारतीय टीम के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया था। ऐसे दौरे के लिए अधिक सौहार्दपूर्ण वातावरण की आवश्यकता होगी।

[अनुवाद]

औद्योगिक और कृषि उत्पादों के मूल्यों के बीच अन्तर

*405. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और कृषि उत्पादों के मूल्यों में भारी अन्तर के कारण देश में किसानों की दशा बदतर हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि उपकरणों के मूल्यों को बढ़ने से रोकने हेतु कोई नीति बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में किसानों की दशा में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) सरकार व्यापार शर्तों पर गठित कार्य बल द्वारा संस्तुत कार्य पद्धति पर आधारित कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापारिक शर्तों के इंडेक्स का संकलन कर रही है। यह इंडेक्स अंतिम उपभोग अंतस्थ: उपभोग तथा पूंजी निर्माण के लिए किसानों द्वारा भुगतान किए गए मूल्यों में परिवर्तन के संबंध में उनके द्वारा बेचे गए उत्पाद के लिए उन्हें प्राप्त मूल्यों में तुलनात्मक परिवर्तन का हिसाब लगाता है। ये व्यापारिक शर्तें कृषि के पक्ष में हैं, जैसा कि नीचे दिए गए 1990-91 की व्यापारिक शर्तों के इंडेक्स से स्पष्ट होता है :–

(आधार 1988-91=100)

वर्ष	इंडेक्स
1	2
1990-91	101.9
1991-92	105.6
1992-93	103.9
1993-94	103.6
1994-95	106.6
1995-96	105.3
1996-97	103.6
1997-98 (नवीनतम उपलब्ध)	105.5

(ग) और (घ) देश में कृषि उपकरणों की बिक्री पर कोई प्रशासनिक मूल्य नियंत्रण नहीं है। कृषि उपकरणों के निर्माण कार्य में संलग्न लघु इकाईयों को 100 लाख रु० मूल्य तक की माल निकासी पर उत्पाद शुल्क में पूरी छूट मिलती है। सरकार विभिन्न फसल उत्पादन कार्यक्रमों के अंतर्गत पादप रक्षण उपस्कर, विद्युत चालित उपकरणों, छिड़काव सैटों, टपका सिंचाई प्रणाली, डीजल पम्प सैटों आदि पर भी राजसहायता दे रही है। इन उपायों से किसानों द्वारा खरीदे जाने वाले कृषि उपकरणों के मूल्य कम होने की आशा की जाती है। किन्तु चूंकि कच्चे माल, खासतौर से इस्पात, जिसका उपयोग कृषि उपकरणों के लिए होता है, पर भी कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है, अत:, कृषि उपकरणों के मूल्य में उतार चढ़ाव आ सकता है, जो कि मूल्य उत्पादकों द्वारा कच्चे माल के मूल्यों में समय-समय पर किए जाने वाले संशोधन पर निर्भर करता है।

(ङ) किसानों की दशा में सुधार के लिए, सरकार विभिन्न फसल उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है, तथा कृषि मूल्य नीति जिसके तहत 24 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं, को सक्रिय रूप से लागू करके किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कर रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार कुछ फसलों के लिए आवश्यकतानुरूप मंडी हस्तक्षेप स्कीम भी क्रियान्वित कर रही है। इसके साथ-साथ सरकार किसानों के हितों के सरक्षण के लिए विभिन्न व्यापार विधियों का उपयोग भी करती है।

सरकार किसानों की स्थिति की व्यापक समीक्षा के लिए इस विषय पर एक विस्तृत अध्ययन प्रारम्भ कर रही है। कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार शर्तें इस अध्ययन में कवर तथा ध्यान केन्द्रित करने का मुख्य विषय है। इस अध्ययन के परिणामों से सरकार को दीर्घकाल में किसानों के लाभ के लिए कार्यान्वित नीतियों में संशोधन/सुधार लाने में मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

भूमि का वन भूमि में परिवर्तन

*406. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने की दृष्टि से देश के एक तिहाई भू-क्षेत्र को वन क्षेत्र में परिवर्तित करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य में विशेषकर महाराष्ट्र में किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है और राज्यवार कितने-कितने एकड़ भूमि वनरोपण हेतु उपलब्ध है;

(ग) क्या सरकार राज्यों में वनरोपण कार्यक्रमों में स्वयंसेवी और गैर-सरकारी संगठनों को आमंत्रित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों में वन क्षेत्र कम हो गया है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान ऐसे राज्यों को कितनी सहायता प्रदान की गई ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वनों के सतत विकास और पारिस्थतकीय संतुलन को बनाए रखने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वनों की कटाई को रोकने के प्रयोजन से देश के एक तिहाई क्षेत्र को वन/वृक्ष आवरण के अंतर्गत लाने हेतु अगले 20 वर्षों के लिए एक व्यापक दीर्घकालिक कार्ययोजना अर्थात् राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना तैयार की है।

(ख) इस कार्यक्रम का लक्ष्य 26 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में फैली 16 प्रमुख वन किस्मों को शामिल करके 76.5 मिलियन हैक्टेयर भूमि में लगे वनों का सतत विकास करना है। 48.23 मिलियन हैक्टैयर क्षेत्र का पुनरोद्धार करके उसमें पौध रोपण किया जाना है। महाराष्ट्र में पुनरोद्धार/वनीकरण के लिए 3.36 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र की पहचान की गई है।

प्रत्येक राज्य में वनीकरण/पुनरोद्धार के लिए अभिज्ञात क्षेत्रों का राज्यवार विवरण

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	पुनरोद्धार किये जाने हेतु क्षेत्र (मि० है०)	वनीकरण किए जाने हेतु क्षेत्र (मि० है०)	पुनरोद्धार/ वनीकरण किये जाने हेतु कुल क्षेत्र (मि० है०)	पुनरोद्धार/ वनीकरण किए जाने हेतु कुल क्षेत्र (मि० है०)
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	2.65	2.28	4.93	12.20
अरुणाचल प्रदेश	0.10	0.05	0.15	0.37
असम	0.92	0.18	1.10	2.72
बिहार	1.50	2.71	4.21	10.42
गोवा	0.03	0.00	0.03	0.07
गुजरात	0.74	1.88	2.62	6.48
हरियाणा	0.17	0.70	0.87	2.16
हिमाचल प्रदेश	0.49	0.41	0.90	2.23
जम्मू और कश्मीर	2.05	4.22	6.27	15.52
कर्नाटक	3.09	0.12	3.21	7.95
केरल	0.14	0.12	0.26	0.64
मध्य प्रदेश	6.01	1.38	7.39	18.29
महाराष्ट्र	2.68	0.68	3.36	8.32
मणिपुर	0.77	0.31	1.08	2.67
मेघालय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
मिजोरम	0.60	0.02	0.62	1.53
नागालैंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
उड़ीसा	0.16	0.28	0.44	1.09
पंजाब	0.31	0.35	0.66	1.63
राजस्थान	0.80	4.34	5.14	12.72
सिक्किम	0.20	0.08	0.28	0.69
तमिलनाडु	0.33	0.38	0.71	1.76
त्रिपुरा	0.04	0.04	0.08	0.20
उत्तर प्रदेश	2.28	0.96	3.24	8.02
पश्चिम बंगाल	0.30	0.31	0.61	1.51
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.07	0.00	0.07	0.17
जोड़	26.43	21.80	48.23	119.36

(ग) और (घ) सरकार, राज्यों में वनीकरण कार्यक्रमों में स्वैच्छिक और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी को प्रोत्साहन देती है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए एक सहायता अनुदान स्कीम चलाता है जिसके अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को वनीकरण तथा मृदा आर्द्रता संरक्षण उपायों द्वारा परती भूमियों के साथ लगते वन क्षेत्रों का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ङ) वन स्थिति रिपोर्ट-1999 के अनुसार, नौ राज्यों अर्थात् असम, बिहार, गोवा, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और दो केन्द्र शासित प्रदेशों अर्थात् अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दादर और नगर हवेली के वनावरण में कमी परिलक्षित हुई है।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान वनीकरण के लिए उन 11 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को इस मंत्रालय द्वारा दी गई केन्द्रीय सहायता राशि निम्नलिखित है।

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता (1997-98 से 1999-2000 तक) (लाख रु० में)
असम	493.33
बिहार	597.44
गोवा	71.57
केरल	979.21
मणिपुर	1364.09
मेघालय	27.69
मिजोरम	1071.80
नागालैंड	83.72
सिक्किम	818.46
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17.35
दादर और नगर हवेली	0.07
जोड़	5524.73

[अनुवाद]

पुनः प्रयोज्य ऊर्जा का आकलन

*407. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्री माधव राव सिंधिया :

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बिना बिजली वाले दूर-दराज के और उस क्षेत्र में बिजली से न जुड़े हुए ग्रामों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पुनः प्रयोज्य ऊर्जा संसाधनों की काफी संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पुनः प्रयोज्य ऊर्जा विकास एजेंसी (आई०आर०ई०डी०ए०) ने प्रत्येक राज्य में पुनः प्रयोज्य ऊर्जा की संभावना का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस उद्देश्य से तैयार की गई परियोजना, यदि कोई हो, तो उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) से (घ) जी, हां। भारत में सौर, पवन, लघु पन बिजली, बायोमास, शहरी एवं उद्योग अपशिष्ट, बायोगैस आदि जैसे अक्षय ऊर्जा संसाधनों की व्यापक संभाव्यता है, जिनका असम एवं अन्य पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के बिना बिजली वाले और उस क्षेत्र में बिजली से न जुड़े हुए दूर-दराज के गांवों की खाना पकाने, तापन, रोशनी और बिजली आदि की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकेन्द्रित रूप में उपयोग किया जा सकता है। देश में अक्षय ऊर्जा संसाधनों की व्यापक अनुमानित संभाव्यता संलग्न विवरण-I में दी गई है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्थान ने अक्षय ऊर्जा संसाधनों की राज्यवार संभाव्यता का अलग से मूल्यांकन नहीं किया है। मंत्रालय द्वारा (असम और पूर्वोत्तर राज्यों सहित) बायोगैस, उन्नत चूल्हा, खोई आधारित सहउत्पादन पवन विद्युत और लघु पन बिजली के लिए किए गए संभाव्यता के मूल्यांकन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) और (च) यह मंत्रालय विभिन्न राजकोषीय, वित्तीय और संवर्धनात्मक प्रोत्साहन अर्थात केन्द्रीय सब्सिडी 100% त्वरित अवमूल्यन, रियायती सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क/बिक्री कर से छूट, उदार शर्तों पर ऋण, अक्षय ऊर्जा विद्युत आदि की वहीलिंग, बैंकिंग, खरीद-वापसी, तृतीय पक्ष बिक्री के लिए अनुकूल नीतियां उपलब्ध कराकर इन अक्षय ऊर्जा संसाधनों का दोहन करने के लिए कई योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, सिक्किम, पहाड़ी क्षेत्रों, द्वीप समूहों आदि सहित पूर्वोत्तर राज्यों जैसे क्षेत्रों में प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत उच्चतर सब्सिडी/प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विभिन्न अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत स्थापित परियोजनाओं/प्रणालियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

देश में प्रमुख अक्षय ऊर्जा संसाधनों की अनुमानित संभाव्यता के विवरण

	स्रोत/प्रणाली	अनुमानित संभाव्यता
1.	बायोगैस संयंत्र (सं०)	120 लाख
2.	उन्नत चूल्हा (सं०)	12 करोड़
3.	बायोमास	
	क. बायोमास विद्युत	16,000 मेगावाट
	ख. खोई आधारित सहउत्पादन	3,500 मेगावाट
4.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत	20 मेगावाट/वर्गकिलोमीटर
5.	सौर तापीय विद्युत	35 मेगावाट/वर्गकिलोमीटर
	सौर जल तापन प्रणालियां	30 मिलियन वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र
6.	पवन विद्युत	45,000 मेगावाट
7.	लघु जल विद्युत	15,000 मेगावाट
8.	अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति	1700 मेगावाट

विवरण-II

प्रमुख अक्षय ऊर्जा संसाधनों के लिए राज्यवार संभाव्यता के आकलन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र (संख्या लाख में)	उन्नत चूल्हा (संख्या लाख में)	लघु पन बिजली (15 मेवा० तक) (मेगावाट)	खोई आधारित सहउत्पादन (मेगावाट)	पवन विद्युत (मेगावाट)
आंध्र प्रदेश	10.66	97.08	211	200	8275
अरुणाचल प्रदेश	0.08	1.5	843		
असम	3.08	36	118		
बिहार	9.40	123.83	253	200	
गोवा	0.08	1.17	3		
गुजरात	5.54	50.72	157	200	9675
हरियाणा	3.00	20.61	30		
हिमाचल प्रदेश	1.26	8.53	1476		
जम्मू एवं कश्मीर	1.29	11.75	874		
कर्नाटक	6.80	60.76	551	300	6620
केरल	1.51	40.73	403		875
मध्य प्रदेश	14.91	101.58	263		5500
महाराष्ट्र	8.97	96.5	431	1000	3650
मणिपुर	0.39	2.64	90		
मेघालय	0.24	2.54	139		
मिजोरम	0.02	0.73	143		
नागालैंड	0.07	2.01	144		
उड़ीसा	6.06	54.55	157		1700
पंजाब	4.12	25.38	65	150	
राजस्थान	9.15	55.54	27		5400
सिक्किम	0.07	0.73	203		
तमिलनाडु	6.16	80.16	232	350	3050
त्रिपुरा	0.29	4.65	10		
उत्तर प्रदेश	20.21	187.45	1366	1000	
पश्चिम बंगाल	6.95	98.72	183		450
अंडमान एवं निकोबार	0.02	0.4	1		
चंडीगढ़	0.14	0.66			
दादरा व नागर हवेली	0.02	0.25			
दमन व दीव	—	0.1			
दिल्ली	0.13	9.06			
लक्षद्वीप	—	0.1			
पांडिचेरी	0.04	0.59			

विवरण-III

अक्षय ऊर्जा योजनाओं के अंतर्गत स्थापित की गई परियोजनाएं/प्रणालियां

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बायोगैस संयंत्र (सं०)	उन्नत चूल्हा (सं० लाख में)	ल०पनवि० (मे०वा०)	पवन विद्युत (मे०वा०)	बायोमास विद्युत (मे०वा०)	सौर प्रकाशवोल्टीय स०रो०प्र० (सं०)	सौर प्रकाशवोल्टीय घ०रो०प्र० (सं०)	सौ०ला० (सं०)	विद्युत संयंत्र (कि०वा०)	सौर कुकर (सं०)	बायोमास गैसीफायर (कि०वा०)	श०व औ० (मे०वा०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	273019	34.67	34	88	12	3217	1150	14401	20.6	11778	13634	7.7
2.	अरुणाचल प्रदेश	631	0.33	21	0	0	738	650	4437	7.9	530	180	0
3.	असम	35816	5.31	2	0	0	98	1666	475	3	80	23	0
4.	बिहार	111422	11.42	0	0	0	673	456	41949	0	730	20	0
5.	गोवा	3145	1.17	0	0	0	31	31	51	1.72	1417	22	0
6.	गुजरात	331642	13.29	2	167	0.5	1584	840	14808	14	47908	3921	2
7.	हरियाणा	39373	9.87	0	0	4	1030	2939	20922	24.2	17752	964	0
8.	हिमाचल प्रदेश	42119	6.6	12	0	0	844	6843	17248	0	25616	7	0
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1759	4.14	8	0	0	389	10169	5225	0	345	120	0
10.	कर्नाटक	263621	14.56	25	34	37	516	28	898	3	250	3699	1
11.	केरल	57231	8.67	6	2	0	675	2498	31386	4.7	194	615	0
12.	मध्य प्रदेश	169780	29.01	6	23	5	5554	149	7601	22.6	181000	4429	2.7
13.	महाराष्ट्र	641143	22.92	7	79	9	3045	226	5268	5.6	52017	3323	0
14.	मणिपुर	1756	0.65	4	0	0	370	50	3400	11	365	0	0
15.	मेघालय	989	0.18	2	0	0	593	320	3200	31.5	1164	0	0
16.	मिजोरम	2066	0.47	12	0	0	315	1645	3539	0	118	0	0
17.	नागालैंड	1032	0.26	4	0	0	271	8	0	6	0	0	0
18.	उड़ीसा	156738	17.63	1	1	0	5482	1064	5105	33.5	2981	72	0
19.	पंजाब	55683	11.07	10	0	10	955	2200	10265	41	17219	660	0.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.	राजस्थान	65457	25.45	5	2	0	6685	15647	4624	0	36016	218	0
21.	सिक्किम	2445	0.68	9	0	0	127	160	320	0	20	0	0
22.	तमिलनाडु	196413	26.11	7	771	94	2071	21	5203	25	1355	853	0.06
23.	त्रिपुरा	1015	0.53	1	0	0	340	1478	6895	246	68	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	331339	37.04	31	0	50.5	708	57105	56288	178.9	39873	511	1
25.	पश्चिम बंगाल	160726	29.6	8	0	0	1264	8942	3271	190.9	5575	530	0
26.	अंडमान एवं निकोबार	137	0.31	0	0	0	334	390	434	149.1	59	167	0
27.	चंडीगढ़	97	0.19	0	0	0	0	100	775	0	1523	0	0
28.	दादरा व नागर हवेली	168	0.13	0	0	0	0	0	0	0	81	0	0
29.	दमन व दीव	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0		0	0
30.	दिल्ली	671	2.66	0	0	0	301	0	4753	5	27990	74	0
31.	लक्षद्वीप	0	0.05	0	0	0	704	0	5060	85	0	0	0
32.	पांडिचेरी	539	0.36	0	0	0	2	0	531	0	88	0	0
33.	अन्य	0	4.37	0	0	0	0	0	0	0	7000	318	0
	कुल	2947972	319.71	217	1167	222	38916	116775	278332	888.82	481112	34360	15.21

ल०पनवि० = लघु पनबिजली, स०रो०प्र० = सड़क रोशनी प्रणाली मे०वा० = मेगावाट, कि०मी० = किलोमीटर
घ०रो०प्र० = घरेलू रोशनी प्रणाली, श० एवं औ० = शहरी एवं औद्योगिक सौ०ल० = सौर लालटेन

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अनियमितताएं

*408. श्री नरेश पुगलिया :
श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वर्ष 1996-97 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा ने इसके कार्यकरण, आपूर्तिकर्ताओं के प्रति अनुचित पक्षपात, तकनीकी सेवा नियमों में संशोधन, कम्प्यूटरों की खरीद और वरिष्ठ अधिकारियों के आवासीय क्वार्टरों के निर्माण में अनियमितताओं का आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन अनियमितताओं की जांच करने के लिए कोई जांच समिति नियुक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा परिषद में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जा रही है?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (घ) वित्त मंत्रालय से प्राप्त दिनांक 22.7.1999 की शिकायत के आधार पर वित्त मंत्रालय के नियंत्राधीन महालेखा नियंत्रक के कार्यालय ने दिनांक 25.10.99 को कृषि मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक को यह अनुरोध किया कि वे शिकायत में उठाए गए मुद्दों के विशेष संदर्भ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की विशेष लेखा-परीक्षा करवाएं। मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय के एक आन्तरिक लेखा-परीक्षा दल ने दिनांक 27.12.99 से 14.1.2000 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की आन्तरिक लेखा-परीक्षा की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में यह लेखा-परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 7.9.2000 को प्राप्त हुई थी। इस रिपोर्ट में महानिदेशक के बंगले के निर्माण, तकनीकी सेवा नियमों में संशोधन, कम्प्यूटरों की खरीद, परामर्शदाताओं की नियुक्ति, 'लाग-बुक्स' का रख-रखाव, निजी वाहनों और कुछ अन्य वस्तुओं को किराए पर लेना जैसे विभिन्न मामलों से संबंधित टिप्पणियां शामिल हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी संबंधित अनुभागों/प्रभागों से अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यक ब्यौरों और कागजातों सहित अपने-अपने उत्तर प्रस्तुत करें। इस बीच प्राप्त हुए कुछेक उत्तरों की जांच की जा रही है। रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों की जांच प्रत्येक मामले के तथ्यों और इसके संगत कागजातों और फाइलों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है और तद्नुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

सड़क निर्माण में गैर-सरकारी क्षेत्र

*409. श्री जोरा सिंह मान : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र को सड़क निर्माण कार्य में निवेश हेतु अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या लागत वसूल करने हेतु सड़कों पर चलने वाले वाहनों से एक निश्चित अवधि तक अतिरिक्त धनराशि एकत्र करने का भी निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे सड़क परिवहन के और अधिक महंगा हो जाने और औद्योगिक तथा कृषि संबंधी वस्तुओं की उत्पादन लागत के भी बढ़ जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कुछ अन्य विकल्पों पर विचार करने और परिवहन लागत को बढ़ने से रोकने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां। सड़क क्षेत्र के लिए अपेक्षित वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने के लिए सरकार ने जो तरीके अनुमोदित किए हैं उनमें से एक है :– राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी०ओ०टी०) आधार पर निजी क्षेत्र की भागीदारी की संकल्पना।

(ख) बी०ओ०टी० स्कीम के तहत शुरू की गई परियोजनाओं के मामले में चुना गया निजी उद्यमी अपनी स्वयं की लागत पर सड़क का निर्माण और अनुरक्षण करता है और उसे एक विनिर्दिष्ट रियायत अवधि के लिए प्रयोक्ताओं से सरकार द्वारा निर्धारित की गई विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क की उगाही और वसूली करने तथा शुल्क को अपने पास रखने की अनुमति होती है जिसके बाद यह सुविधा वापस सरकार के पास आ जाती है।

(ग) और (घ) बेहतर सड़कों से वाहन प्रचालन लागत और यात्रा समय में कमी आएगी जिसके परिणामस्वरूप सड़क प्रयोक्ताओं को बचत होगी। बी०ओ०टी० और अन्य स्कीमों के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर वसूला गया पथकर सड़क प्रयोक्ताओं को होने वाली बचत से सामान्यतया कम होता है।

(ङ) और (च) सड़क सुधार कार्यक्रम के वित्त-पोषण के लिए अपनाए गए अन्य विकल्प ये हैं :– बजटीय संसाधन, पेट्रोल और डीजल की बिक्री से वसूला गया उपकर, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों से विदेशी सहायता प्राप्त करना और बाजार से ऋण लेना।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों का निजीकरण

*410. श्री अधीर चौधरी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार पावर ग्रिड ट्रांसमिशन लाइनों और उन राज्य विद्युत बोर्डों, जो संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे

हैं, का निजीकरण करने के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे पावर ग्रिड ट्रांसमिशन लाइनों और राज्य विद्युत बोर्डों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) क्षेत्रों के भीतर व बाहर ठोस वाणिज्यिक सिद्धांतों पर विश्वसनीयता, सुरक्षा और मितव्ययिता के साथ विद्युत अंतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विद्युत ग्रिडों की स्थापना व प्रचालन करने के उद्देश्य से वर्ष 1989 में पावरग्रिड की स्थापना की गई थी। पावरग्रिड को भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 की धारा-27ए के अनुसार केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू) घोषित किया गया है। सीटीयू के रूप में पावर ग्रिड अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के माध्यम से ऊर्जा का पारेषण करने, सभी केन्द्रीय विद्युत स्टेशनों से विद्युत की निकासी करने तथा भागीदार राज्यों को आवंटित विद्युत की सुपुर्दगी करने के लिए जिम्मेवार है।

पावरग्रिड की मौजूदा पारेषण लाइनों का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नई पारेषण लाइनों/अंत: क्षेत्रीय अंत: संयोजनों में निवेश करने हेतु पावरग्रिड की क्षमता में वृद्धि करने के लिए कई पारेषण लाइनों/अंत: संयोजनों के निर्माण में निजी क्षेत्र निवेश प्राप्त करने हेतु कानूनी ढांचे का उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है।

पावरग्रिड ने भूटान में ताला जल विद्युत परियोजना (1020 मे०वा०) तथा पूर्वोत्तर/पूर्वी क्षेत्र में 2004-2005 की समय-सीमा में संभावित रूप से चालू होने वाली अन्य विद्युत उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत निकासी हेतु ताला पारेषण प्रणाली के अंतर्गत पारेषण लाइनों की पहचान की है। इस परियोजना को निजी क्षेत्र की भागीदारी से संयुक्त उद्यम व्यवस्था के अंतर्गत क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

राज्य क्षेत्र में पारेषण लाइनों के निजीकरण का निर्णय संबंधित राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर पारेषण के लिए जिम्मेवार राज्य पारेषण यूटिलिटी (राज्य विद्युत बोर्ड/उत्तराधिकारी इकाई) के परामर्श से किया जाना है।

भारत की विद्युत क्षेत्र की नीतियों का विश्व बैंक द्वारा अध्ययन

*411. **श्रीमती श्यामा सिंह** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत के विद्युत क्षेत्र की नीतियों का अध्ययन करने की इच्छा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने किस हद तक इन दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित किया है ?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) भारत की विद्युत क्षेत्र संबंधी नीतियों का अध्ययन करने के लिए विश्व बैंक से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) विश्व बैंक भारत के विद्युत क्षेत्र की नीतियों के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं करता है। वह सामान्यत: किसी विशेष विद्युत परियोजना/स्कीम के लिए ऋण प्रदान करने हेतु ऋण प्राप्तकर्त्ता/परियोजना क्रियान्वन एजेंसियों के साथ ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर करते समय प्रसंविदाएं निर्धारित करता है। बैंक की अपनी आंतरिक प्रचालनात्मक पद्धतियां, नीतियां और दिशा-निर्देश हैं।

विदेश संचार निगम लिमिटेड को लम्बी दूरी की राष्ट्रीय सेवाओं का लाइसेंस दिया जाना

*412. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार लम्बी दूरी की राष्ट्रीय सेवाओं के प्रचालन हेतु विदेश संचार निगम लिमिटेड को एक मुआवजा-पैकेज के रूप में लाइसेंस देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके प्रयोजन और उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) लम्बी दूरी की राष्ट्रीय सेवाओं का लक्ष्य प्राप्त करने में इस पैकेज के किस हद तक सहायक होने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (ग) सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोनी सेवाओं में वीएसएनएल के एकाधिकार को 1 अप्रैल 2004 की बजाए, अब 1 अप्रैल 2002 को समाप्त करने का निर्णय लिया है और सरकार ने इसके बदले वी०एस०एन०एल० के लिए एक क्षतिपूर्ति पैकेज का अनुमोदन किया है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :–

(I) निम्नलिखित पैकेज के साथ राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवाओं (एनएलडी) को चलाने के लिए लाइसेंस :–

(क) 1 अप्रैल 2001 से शुरू होने वाली 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रवेश शुल्क और लाइसेंस शुल्क के रूप में वी०एस०एन०एल० द्वारा प्रदत्त राशि के समान राशि का भुगतान सरकार सभी कर काट कर वी०एस०एन०एल० को करेगी।

(ख) निर्धारित "रोल-आऊट" के लिए 400 करोड़ रु० की "निष्पादन बैंक गारंटी" (पी०बी०जी०) माफ कर दी जाएगी।

(II) वी०एस०एन०एल० को श्रेणी (क) का आई०एस०पी० लाइसेंस प्रदान किया जाएगा, जिससे वी०एस०एन०एल० समूचे देश में इंटरनेट संपर्कता प्रदान कर सकेगा।

सरकार आवश्यक समझे जाने पर अतिरिक्त क्षतिपूर्ति प्रदान करने पर भी विचार कर सकती है।

प्राइवेट और सार्वजनिक सेक्टर दोनों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं खोल दी गई हैं। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवाओं के नेटवर्क में वृद्धि होगी तथा प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। बी०एस०एन०एल०, इस क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं में से एक सेवा प्रदाता होगा।

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

*413. **श्री साहिब सिंह** : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/चौड़ा करने संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भूमि-अधिग्रहण न किए जाने/राज्यों के प्रभावित लोगों को मुआवजा न देने/पुनर्वास न किये जाने की समस्याओं के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी बाधाएं दूर करने के लिए कोई नीति बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा लक्षित समय में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य पूरा करने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग 1430 चल रही परियोजनाओं में से कतिपय राज्यों की केवल कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रमुख रूप से भूमि अधिग्रहण समस्या के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण करने के बाद ही राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए नए कार्य स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को और अधिक सरल और गतिमान बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 को 1997 में संशोधित कर दिया गया है।

(ङ) सभी राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों की प्रगति की समीक्षा संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समय-समय पर की जा रही है ताकि यदि कोई अड़चनें हों तो, उन्हें हटाने के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्यों को पूरा करने के लिए उचित निवारक उपाय किए जा सकें।

विवरण

(क) राज्य लोक निर्माण विभागों के पास वे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं जिन्हें भूमि अधिग्रहण समस्या के कारण अपने कार्यान्वयन में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है

क्रमसं०	राज्य का नाम		परियोजना का नाम
1	2		3
1.	आंध्र प्रदेश	1.	रा०रा०-5 के V-ख खंड के 170.79 कि०मी०-179.65 कि०मी० तक बाईपास पालासा बाईपास
		2.	रा०रा०-5 के V-ख खंड के 189/6 कि०मी० 200/2 कि०मी० और 209/4 कि०मी० में आर०ओ०बी० पहुंच मार्ग
		3.	रा०रा० 16 के 205 कि०मी० से 235 कि०मी० में मिसिंग लिंक के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण
		4.	बी०ओ०टी० आधार पर रा०रा०-5 के एम-V खंड के 310/0 कि०मी० में गदलाकम्मा पुल का निर्माण
		5.	बी०ओ०टी० आधार पर रा०रा०-5 के एम-V खंड के 278/4 कि०मी० में मुसी पुल का निर्माण
2.	असम	1.	रा०रा०-37 पर 603, 604 और 605 कि०मी० में लाहोवल की साइड जल निकासी उपलब्ध कराना
		2.	रा०रा०-37 पर मोरान शहर में 555 और 556 कि०मी० में ढका हुआ नाला उपलब्ध कराना

1	2	3
		3. रा०रा०-38 पर लिडो नदी के ऊपर प्रस्तावित पुल सं० 50/3 के पहुंच मार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण
		4. रा०रा०-31 पर रनगिया में 1084 कि०मी० में आर०ओ०बी० के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण
		5. रा०रा०-36 पर 118-125 कि०मी० के लिए भूमि अधिग्रहण
		6. रा०रा०-37 पर 155-165 कि०मी० में सुदृढ़ीकरण
		7. रा०रा०-37 पर 53-58 कि०मी० में सुदृढ़ीकरण और सड़क को ऊंचा करना
		8. रा०रा०-31 के 1114 कि०मी० में चगसारी में आर०ओ०बी० के लिए भूमि अधिग्रहण
		9. रा०रा०-36 पर पुल सं० 24/11/सी० पहुंच मार्ग का पुनर्निर्माण
3.	बिहार	1. रा०रा०-23 के 41.8 से 51.8 कि०मी० में सुदृढ़ीकरण
		2. रा०रा०-23 के 22.8 से 34.8 कि०मी० में सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना
4.	दिल्ली	1. रा०रा०-10 के दिल्ली-रोहतक खंड के 16.50 से 21.30 कि०मी० तक 4.80 कि०मी० लम्बाई में (सुदृढ़ीकरण किए बिना) छह लेन बनाना
5.	हिमाचल प्रदेश	1. रा०रा०-21 पर 270/890 से 295/0 कि०मी० में भूमि/घरों का अधिग्रहण
		2. रा०रा०-20 पर 175/0 से 180/0 कि०मी० में अधिगृहीत चौड़ाई में भूमि/घरों तथा पेड़ों का अधिग्रहण
		3. पालमपुर में 112/510 से 114/0 कि०मी० में पी०सी०एम० सड़क और रा०रा०-20 बाइपास का पुनर्संरेखण
6.	केरल	1. रा०रा०-17 पर 424/00 कि०मी० में चेरीयप्पल्ली पुल और पहुंच मार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण
		2. रा०रा०-17 के 7/140 से 9/742 कि०मी० में तेल्लीचेरी माहे बाइपास चरण-II के लिए भूमि अधिग्रहण
		3. 214/00-225/00 कि०मी० तक रा०रा०-17 के पुनर्संरेखण के लिए भूमि अधिग्रहण
		4. रा०रा०-47 के 310/700 कि०मी० से 331/527 कि०मी० में सड़क को 4 लेन में चौड़ा करने के लिए भूमि अधिग्रहण
		5. रा०रा०-17 पर पडन्नक्काडू आर०ओ०बी० के लिए भूमि अधिग्रहण
		6. रा०रा०-17 पर पलिक्कारा आर०ओ०बी के लिए भूमि अधिग्रहण
7.	मध्य प्रदेश	1. रा०रा०-3 पर 117/2 कि०मी० में डिग्री नाले पर ऊंचे पुल और इसके पहुंच मार्गों का निर्माण
		2. रा०रा०-25 पर 8/8 कि०मी० में पुल का पुनर्निर्माण
		3. रा०रा०-7 पर रेवा बाइपास के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण
		4. रा०रा०-3 पर ग्वालियर बाइपास के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण
8.	छत्तीसगढ़	1. रा०रा०-6 के रायपुर – दुर्ग खंड में 4 लेन बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण

1	2	3
9.	उड़ीसा	1. रा०रा०-23 पर 20.840 से 25.950 कि०मी० में मिसिंग लिंक का निर्माण
		2. रा०रा०-6 पर बिरनाई के ऊपर ऊंचे पुल और उसके पहुंच मार्गों का निर्माण
10.	पांडिचेरी	1. रा०रा० 45क के 3.275-4.880 कि०मी० में सड़क भूमि की चौड़ाई को चौड़ा करना
		2. रा०रा० 45क के 11.95–20.0 कि०मी० में भूमि अधिग्रहण
11.	पंजाब	1. रा०रा०-64 पर पटियाला बाइपास
12.	राजस्थान	1. रा०रा०-11 के 115.238 से 119.240 कि०मी० में ज्यामितीय सुधार
13.	तमिलनाडु	1. रा०रा०-47 के 606/2 कि०मी० में सधिस्थल का सुधार
		2. रा०रा०-7क के 12/8 कि०मी० में बड़े पुल का पुनर्निर्माण
		3. रा०रा०-7क के 8/0-14/0 कि०मी० में ज्यामितीय सुधार
		4. रा०रा०-47 के 641/6 कि०मी० में पुल का पुनर्निर्माण
		5. रा०रा०-45 पर विल्लुपुरम बाइपास।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रहीं वे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं जिनके कार्यान्वयन में भूमि अधिग्रहण न किए जाने/प्रभावित लोगों को मुआवजा न देने/पुनर्वास न किए जाने की समस्याओं के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है

रा०रा० सं०	राज्य	खण्ड	
		से	तक
2	पश्चिम बंगाल	पानागढ़ (511 कि०मी०)	पलसित (581 कि०मी०)
		पलसित (581 कि०मी०)	धनकुनी (666 कि०मी०)
6	पश्चिम बंगाल	कोलाघाट (72 कि०मी०)	खड़गपुर (136 कि०मी०)
	पश्चिम बंगाल	धनकुनी (17.6 कि०मी०)	कोलाघाट (72 कि०मी०)
60	उड़ीसा	बालासोर (0 कि०मी०)	लक्ष्मीनाथ (53.41 कि०मी०)
	पश्चिम बंगाल	लक्ष्मीनाथ (53.41 कि०मी०)	खड़गपुर (110 कि०मी०)
5	उड़ीसा	खुर्दा (387.7 कि०मी०)	भुवनेश्वर (418 कि०मी०)
	उड़ीसा	चंडीखोल (61 कि०मी०)	बालासोर (199 कि०मी०)
	उड़ीसा	इच्छापुरम (23.3 कि०मी०)	खुर्दा (388 कि०मी०)
	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम (2.8 कि०मी०)	इच्छापुरम (233 कि०मी०)
	आंध्र प्रदेश	अंकापल्ली (359.2 कि०मी०)	इलुरू (75 कि०मी०)
	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश/तमिलनाडु सीमा (52.8 कि०मी०)	चिल्कालुरीपेट (355 कि०मी०)
	तमिलनाडु	चेन्नई (11 कि०मी०)	आंध्र प्रदेश/तमिलनाडु सीमा (52.8 कि०मी०)

विद्युत आवंटन संबंधी नीति

*414. **श्री एन० जनार्दन रेड्डी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्तमान गाडगिल फार्मूले को बदलकर अपनी नई परियोजनाओं से उत्पादित बिजली के आवंटन हेतु किसी नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्य विद्युत बोर्ड विद्युत सुधार करने के इच्छुक नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नई नीति से राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण और देश में बिजली की कमी को पूरा करने पर किस हद तक प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) सरकार ने निर्णय लिया है कि केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन क्षेत्रों से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को विद्युत के आवंटन संबंधी "फार्मूला" को नये केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्रों के लिए "दिशा-निर्देश" के रूप में माना जाए। इन "दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ख) और (ग) दिनांक 26.2.2000 को नई दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्रियों एवं विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य विद्युत बोर्डों की व्यावहारिकता में सुधार करने के साथ-साथ अनिवार्य मीटरिंग एवं वितरण सुधार करने संबंधी विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन के निष्कर्षों को संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक एवं राजस्थान राज्यों ने अपने राज्य विद्युत बोर्डों का विकेन्द्रीकरण कर दिया है। अनेक राज्यों ने विद्युत क्षेत्र में सुधार शुरू करने का निर्णय लिया है। 14 राज्यों (उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली एवं पंजाब) ने विद्युत टैरिफ के यौक्तिकरण करने एवं टैरिफ तथा सब्सिडी में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है/गठन कर लिया है।

विद्युत क्षेत्र के सुधार एवं पुनर्गठन पर बल देने संबंधी कार्य नीति के एक भाग के रूप में केन्द्र सरकार ने इन सुधारों में सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(घ) उक्त "दिशा-निर्देश" सुधार करने वाले राज्यों को केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत केन्द्रों के 15% अनावंटित कोटे में से तथा नई विद्युत परियोजनाओं से अतिरिक्त विद्युत का आवंटन कराने में मदद करेंगे।

इन सब के फलस्वरूप केन्द्रीय विद्युत उत्पादन कम्पनियों की वाणिज्यिक व्यवहारिकता में सुधार और बकाया राशियों की समस्या के निपटान हो जाने से इन्हें और तेजी से विकास करने तथा देश में आवश्यक अतिरिक्त विद्युत को किफायती दर पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

विवरण-I

दिशा-निर्देशों की प्रमुख विशेषताएं

(i) इस "फार्मूले" के अंतर्गत पूर्व निर्धारित आवंटन में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। "फार्मूले" की विषय-वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(ii) नये केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत केन्द्रों से विद्युत का आवंटन सी०पी०एस०यू० एवं राज्य/संघ शासित क्षेत्र या उनके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी/बोर्ड के बीच होने वाले विद्युत क्रय समझौते के अनुसार किया जाएगा।

(iii) विद्युत क्रय का प्रथम प्रस्ताव सी०पी०एस०यू० द्वारा क्षेत्र के प्रत्येक संघटक को उनकी पात्रता के अनुसार किया जाएगा (राज्य/संघ शासित क्षेत्रों या उनके प्राधिकृत एजेंसी)

(iv) यदि क्षेत्र का कोई संघटक अपने हिस्से को या इसके भाग को नहीं खरीदता है तो सी०पी०एस०यू० को यह अधिकार होगा कि वह यह बिजली किसी अन्य राज्य/संघ शासित क्षेत्र को उनके बीच हुए समझौते के अनुसार बेच सकता है। हालांकि सी०पी०एस०यू० द्वारा विद्युत को क्षेत्र के बाहर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को देने से पूर्व ऐसा प्रस्ताव सर्वप्रथम क्षेत्र के राज्य/संघ शासित क्षेत्र को किया जाएगा। (जहां विद्युत केन्द्र स्थित है)।

(v) जहां पर अधिशेष विद्युत के लिए एक से अधिक दावेदार है, वहां आवंटन में विद्युत क्षेत्र में सुधार करने वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(vi) इससे उस राज्य को, जहां केन्द्रीय ताप विद्युत संयंत्र स्थित है, को 10% आवंटन और क्षेत्र के राज्य(यों)/संघ शासित क्षेत्र (क्षेत्रों) (उस राज्य सहित जहां जल विद्युत परियोजना स्थित है) को केन्द्रीय जल विद्युत केन्द्रों से 12% मुफ्त विद्युत प्रभावित नहीं होती है।

विवरण-II

26.2.2000 को आयोजित मुख्य मंत्रियों/विद्युत मत्रियों के सम्मेलन में लिए गए संकल्प

I. विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में सम्पूर्ण क्षेत्र की वाणिज्यिक व्यवहार्यता में निरंतर गिरावट की वजह से देश के विद्युत आपूर्ति उद्योग के सामने आने वाली कठिन स्थिति का जायजा लिया गया है। इसने इस तथ्य को नोट किया कि :

1. सी०पी०एस०यू० की बकाया राशियां बढ़ती जा रही हैं और अब यह 23,000 करोड़ रुपए हो गई हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो इससे उनके वर्तमान प्रचालनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के अलावा उनकी भावी विस्तार परियोजनाएं भी रुक जाएंगी।

2. निजी विद्युत परियोजनाओं हेतु वित्तीय समापन और ज्यादा कठिन होता जा रहा है।

3. राज्य अपनी परियोजनाओं को स्वयं वित्तपोषित किए जाने में समर्थ नहीं हैं।

4. वित्तीय घाटों की वजह से इस क्षेत्र के लिए राज्य सरकारों के साथ-साथ केन्द्र सरकार से बजटीय सहायता में वृद्धि करना व्यवहार्य नहीं है।

II. इस अस्थिर वित्तीय स्थिति के लिए उत्तरदायी मुख्य घटक निम्नवत हैं :–

(I) बड़े स्तर पर चोरी और दुरुपयोग लगभग 20,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होने का अनुमान है।

(II) देश के पारेषण एवं वितरण में तकनीकी हानियां भी बहुत ज्यादा है।

(III) राज्य क्षेत्र में काफी बड़ी संख्या में ताप-विद्युत केन्द्र 40% से कम की प्रचालनात्मक दक्षता पर चलते हैं।

(IV) देश के राज्य विद्युत क्षेत्र की औसत प्रचालनात्मक हानियां 12,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है।

III. यह भी देखा गया कि क्रास सब्सिडी को बनाया नहीं रखा जा सकता यदि औद्योगिक टैरिफ परिमाणात्मक और अन्य प्रतिबंधों को हटाकर बढ़ते हुए विश्व-व्यापीकरण के बाद वातावरण में उद्योग को गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बनाता है। यहां यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि भारतीय उद्योग असंतोषजनक विद्युत आपूर्ति अथवा टैरिफ, जो इसे गैर-प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाता है, के कारण अपंग न हो जाएं। साथ ही उपभोक्ता जिसमें कृषक शामिल है, का यह कानूनी हक है कि वह निर्बाध अच्छी गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति प्राप्त करें। उचित लागत का भुगतान करने की उसकी इच्छा को कम करके आंका जा रहा है।

संकल्प

1. विद्युत मंत्रियों ने विद्युत क्षेत्र में व्याप्त सभी समस्याओं पर विचार करने के पश्चात यह प्रस्ताव पारित किया है कि व्यावसायिक व्यवहार्यता प्राप्त करने और सभी को युक्तिसंगत दर पर विद्युत प्रदान करने के आशय से सुधार कार्य दृढ़ संकल्प, उत्साह और अनिवार्यता के भाव से किए जाने चाहिए। सुधार कार्य में विलम्ब होने से सुधार कार्य की वित्तीय लागत बढ़ती है और देयताओं का भार बढ़ जाता है। अगले 2-3 वर्षों के भीतर परिणाम प्रदर्शित करने के लिए सुधार कार्य आरंभ होने चाहिए। सुधार नीति के मुख्य तत्व निम्न हैं :–

क. सभी स्तरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा।

ख. दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं का 100% मीटरिंग का समयबद्ध कार्यक्रम।

ग. विशिष्ट समय-सीमा के भीतर विद्युत चोरियों को घटाना एवं कटौती करना।

घ. प्राथमिकता के आधार पर उप केन्द्रों को एक यूनिट के रूप में लेते हुए उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़/उन्नत करना।

2. यदि उपरोक्त कार्यों को वर्तमान व्यवस्था में किया जाना असाध्य है तो वितरण का निगमीकरण/सहकारीकरण/निजीकरण, करना होगा।

3. चूंकि राज्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में ताप केन्द्रों का पी०एल०एफ० 40% है, अतः तत्काल आधार पर नवीकरण एवं आधुनिकीकरण सहित जीवन स्तर पर कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। इसी प्रकार पुराने जल विद्युत संयंत्रों के लिए प्राथमिकता के आधार पर आर एंड एम/एलइ करना अपेक्षित होगा।

4. राज्य विद्युत नियामक आयोगों के प्रभावी कार्य संचालन, उपभोक्ताओं के लाभों में संतुलन बनाए रखने तथा ऐसे परिवेश में जहां उद्योग में निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता धीरे-धीरे बढ़ रही हो उनके लिए शुल्क को पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है।

5. पृथक वितरण लाभ केन्द्र/निगमों/कम्पनियों के जरिए राज्य बिजली बोर्डों/यूनिट मार्किंग का निगमीकरण, और विकेन्द्रीकरण निम्न दरों के मूलभूत आधार होने के कारण विद्युत आपूर्ति उद्योग प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने में विनियामक आयोगों को सुविधाजनक बनाएगा।

6. यह देखा गया है कि देश में विद्युत प्रणाली नेटवर्क उपभोक्ताओं की पहुंच से मेल नहीं खाती है तथा आगामी वर्षों में आप्टिक फाइबर केबलों की स्थापना सहित वर्तमान विद्युत लाइनों के सही उपयोग के द्वारा केबल टी०वी० आई०टी० सर्विस, टेलीकाम सर्विस आदि का इस्तेमाल करते हुए बहुउद्देशीय संचार सुविधाओं को उपलब्ध करवाने में सक्षम होगा। इस अभिसरण से अधिक मात्रा में राजस्व की इस शक्यता वाले रूप का सृजनात्मक रूप से दोहन करने का प्रयास किया जाना अपेक्षित है।

7. सुधारों को प्रोन्नत करने के लिए एक नया केन्द्रीय विधायी मसौदा जो कि राज्यों के लिए पृथक अधिनियमन के लिए आवश्यक निराकरण करता है, पर विचार किया जा रहा है। एन०सी०ए०ई०आर० द्वारा प्रस्तुत मसौदा बिल एक राष्ट्रीय बहस एवं नये बिल पर आम सहमति का आधार बनाएगा। इस मसौदा बिल पर राज्यों द्वारा उनकी विस्तृत टिप्पणियां विद्युत मंत्रालय को शीघ्रातिशीघ्र भेजी जाएंगी।

खनन क्षेत्र में गैर सरकारी भागीदारी

*415. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार खनन योजनाओं को स्वीकृति देने हेतु राज्य सरकारों को शक्ति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खनिज सलाहकार परिषद ने खनन क्षेत्र में गैर सरकारी क्षेत्र को भागीदारी आकृष्ट करने हेतु कुछ सिफारिशें की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) से (ङ) खनिज रियायतें, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत दी जाती हैं। अधिनियम की धारा 5(2) यों, में, अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान भी किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा तब तक किसी खनन पट्टे को मंजूरी नहीं दी जाएगी जब तक कि वह इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि संबंधित क्षेत्र में, खनिज निक्षेपों के विकास के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा यथा-निर्दिष्ट खानों को ऐसे वर्ग के बारे में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित एक खनन योजना है। राज्य सरकारों को खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम 22(4-ए) के अंतर्गत 29 गैर-धात्विक अथवा औद्योगिक खनिजों से संबंधित ओपन कास्ट खानों (भूमिगत खानों को छोड़कर) के लिए खनन योजना अनुमोदित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिन्हें दिनांक 25.9.2000 की राजपत्र अधिसूचना संख्या पी०एस०आर० 743(ई) द्वारा अधिसूचित किया गया था, जिसकी प्रतियां पहले ही दिनांक 27.11.2000 को सदन के पटल पर रख दी गई हैं। अन्य सभी बातों के संबंध में खनन योजना को अनुमोदन प्रदान करने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास बना रहेगा।

खनिज सलाहकार परिषद की हाल ही में हुई बैठक में, खनन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए कई उपायों पर चर्चा की गई थी। इस बैठक में अन्य मुद्दों के साथ-साथ इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया कि खनिज रियायतें देने के मामले में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए खनन पट्टे/पूर्वेक्षण लाइसेंस/टोही परमिट की अनुमति संबंधी आवेदन पत्रों के निपटान हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। इस बैठक में केन्द्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा विदोहन के लिए पहले से ही आरक्षित क्षेत्रों की जांच/समीक्षा करने और ऐसे क्षेत्रों को डिनोटीफाइ करने का भी निर्णय लिया गया जिनका विदोहन अब सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किए जाने की आवश्यकता नहीं है। नई खनिज नीति में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने पर दिए गए बल को देखते हुए, राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे खनिज रियायत नियमावली, 1960 की तत्कालीन नियम 58 के अंतर्गत पता लगाए गए आरक्षित क्षेत्रों को डिनोटीफाई करे। कई राज्यों ने अपनी-अपनी राज्य सरकारों की सामान्य नीति फ्रेमवर्क के भीतर ही इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की है।

ट्रांसमिशन के दौरान होने वाली हानि का अध्ययन

*416. **प्रो० डम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने हाल में विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसमिशन के दौरान होने वाली हानि के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी हानि को न्यूनतम स्तर पर लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा अगले तीन वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) रूरल एलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन ने विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली पारेषण हानियों पर कोई अध्ययन नहीं किया है। हालांकि संबंधित राज्य विद्युत बोर्ड/विद्युत विभागों द्वारा वर्ष 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 में सम्पूर्ण राज्य समेत ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्यांकित पारेषण एवं वितरण हानियों समेत तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों की प्रतिशतता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) दिसम्बर, 1996 में घोषित विद्युत संबंधी साझा न्यूनतम राष्ट्रीय योजना में निम्नांकित उपाय सुझाए गए हैं :—

1. सभी बड़े फीडरों के उपकेन्द्रों को अनिवार्य मीटरिंग।
2. सभी नये बिजली कनैक्शनों की अनिवार्य मीटरिंग। 10 हॉर्स पावर से अधिक वाले कृषि क्षेत्र के सभी कनैक्शनों की मीटरिंग को दो वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना चाहिए। सभी विद्युत आपूर्तियों का 2002 तक मीटरीकरण किया जाना चाहिए।
3. 100 के०वी०ए० भार से ज्यादा वाले बड़े उपभोक्ताओं के संबंध में अनिवार्य वार्षिक ऊर्जा ऑडिट सुनिश्चित की जाएगी।
4. बेहतर भार प्रबंधन के लिए टाईम ऑफ दि डे मीटरीकरण शुरू किया जाएगा।

वाणिज्यिक हानि को कम करने के लिए जो ऊर्जा चोरी, दोषपूर्ण बिलिंग एवं मीटरिंग के कारण होती है, 26.2.2000 को आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारें निम्नलिखित उपायों को लागू करेंगे :— .

क. सभी स्तरों पर ऊर्जा ऑडिट।

ख. दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं का शत-प्रतिशत मीटरीकरण।

ग. एक विनिर्दिष्ट समय-सीमा में विद्युत चोरी में कमी एवं अंतत: उसका उन्मूलन।

घ. उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/उन्नयन।

त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों को उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली समेत विद्युत मीटरिंग प्रणाली की संस्थापना में सुधार करने संबंधी विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निधि उपलब्ध कराई जाएगी।

रा०वि०बो०/विद्युत यूटिलिटियों द्वारा इन उपायों को लागू करने पर तकनीकी एवं वाणिज्यिक दोनों हानियों को कम करना संभव हो सकेगा। विद्युत वितरण राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है एवं विद्युत चोरी को रोकने तथा गैर-कानूनी कनैक्शनों को हटाने संबंधी कार्रवाई को उनके अधीन कार्यरत विद्युत यूटिलिटियों द्वारा किया जाता है। विद्युत चोरी को भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 के अंतर्गत एक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है तथा इसे रोकने के लिए संबंधित कानून के प्रावधानों को यूटिलिटियों द्वारा कारगर ढंग से लागू किया जाता है।

(घ) राज्य सरकार/रा०वि०बो०, जिनके अंतर्गत वितरण प्रणाली कार्य करती है, पारेषण हानियों में कमी के लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन रा०वि०बो०/यूटिलिटियों द्वारा पारेषण हानियों की कमी करने हेतु प्रायोजित प्रणाली सुधार स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन (आरईसी) द्वारा रा०वि० बोर्डों को जहां भी आवश्यक है, एलटी वितरण नेटवर्क एवं ऊर्जा मीटरों की संस्थापना के लिए भी सहायता कर रहा है।

विवरण

राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत विभागों में रूपांतरण, पारेषण एवं वितरण हानियों (वाणिज्यिक हानियां जैसे चोरी इत्यादि समेत) का प्रतिशत

क्षेत्र	रा०वि०बो०/विद्युत विभाग	1995-96	1996-97	1997-98*
1	2	3	4	5
उत्तरी	1. हरियाणा	32.39	32.77	33.04
क्षेत्र	2. हिमाचल प्रदेश	16.09	18.02	19.20
	3. जम्मू और कश्मीर	47.52	48.27	47.48
	4. पंजाब	18.49	19.10	17.90
	5. राजस्थान	29.27	26.28	26.06
	6. उत्तर प्रदेश	21.84	24.84	25.00
	7. चंडीगढ़	33.72	21.88	14.95
	8. डीवीबी (दिल्ली)	48.57	49.08	46.86
पश्चिमी	1. गुजरात	20.08	17.14	19.66
क्षेत्र	2. मध्य प्रदेश	17.84	19.24	19.08
	3. महाराष्ट्र	16.95	16.55	17.73
	4. दादरा व नगर हवेली	9.31	8.80	एन०ए०
	5. गोवा	26.06	23.50	23.39
	6. दमन व दीव	12.80	8.15	11.27
दक्षिणी	1. आंध्र प्रदेश	19.34	33.19	31.76
क्षेत्र	2. कर्नाटक	19.06	18.73	18.56
	3. केरल	21.12	20.59	17.87
	4. तमिलनाडु	16.19	17.65	17.00
	5. लक्षद्वीप	17.23	15.11	15.83
	6. पांण्डिचेरी	16.54	17.38	13.79
पूर्वी क्षेत्र	1. बिहार	15.91	25.31	25.41
	2. उड़ीसा (ग्रिडको)	24.17	50.15	एन०ए०
	3. सिक्किम	16.47	29.24	20.13
	4. पश्चिम बंगाल	19.26	18.01	20.34
	5. अंदमान व निकोबार द्वीप समूह			
उत्तर-पूर्वी	1. असम	26.91	25.97	27.32
क्षेत्र	2. मणिपुर	24.85	22.95	21.09
	3. मेघालय	12.55	19.75	12.28
	4. नागालैंड	35.17	26.81	29.79
	5. त्रिपुरा	30.86	30.11	31.11
	6. अरुणाचल प्रदेश	37.12	32.62	34.10
	7. मिजोरम	25.18	34.35	46.84
	अखिल भारत यूटिलिटी	22.27	24.53	24.79

प्लास्टिक का उपयोग चरणबद्ध ढंग से बन्द किया जाना

*417. श्री जी०एस० बसवराज : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए प्लास्टिक का उपयोग चरणबद्ध ढंग से बन्द करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उस प्लास्टिक के उपयोग को विनियमित करने के लिए कोई योजना शुरू की है जिसे कूड़े के ढेर में डाल दिया जाता है और जिसके निपटान की समस्याएं आ रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बकाया धनराशि

*418. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में टेलीफोन प्रयोक्ता भारत संचार निगम लिमिटेड को करोड़ों रुपए के देनदार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बकाया धनराशि वसूल करने के लिए उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) बी०एस०एन०एल० के पास 22 दूरसंचार सर्किलों में फैला हुआ 2.46 करोड़ उपभोक्ताओं का एक नेटवर्क है। 15508 करोड़ रुपए वार्षिक के बिलशुदा आंकड़ों के प्रति, बकाया राशि बिलशुदा रकम का 15 प्रतिशत बनती है। तथापि, इस बकाया राशि में मौजूदा बिल भी शामिल हैं जो संगणन (कंप्यूटेशन) के समय पर भुगतान के लिए अनुमत्य अवधि के अंतर्गत हैं। इसके अलावा, इन आंकड़ों में 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए संचयी आधार पर बकाया राशियां शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च की स्थिति के अनुसार, संचयी बकाया राशियां निम्नलिखित थीं :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बिलशुदा रकम	बकाया राशि	बिलशुदा राशि के % के रूप में बकाया राशियां
1997-98	11710	1636	14
1998-99	14025	1761	13
1999-2000	15508	2374	15

पिछले तीन वर्षों के दौरान बकाया राशियों के सर्किल-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

प्रत्येक मामले के गुणावगुणों पर निर्भर करते हुए, बकाया राशियां वसूल करने के लिए, आमतौर पर लोक अदालतों, भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7-बी के तहत मामले पंचाट को भेजने और न्यायालयों का सहारा लिया जाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान बकाया राशि की तुलनात्मक स्थिति

(रुपये हजारों में)

क्र० सं०	यूनिट का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	अंडमान व निकोबार	26146	22621	23400
2.	आन्ध्र प्रदेश	1255325	1499349	2245655
3.	असम	623377	609042	743684
4.	बिहार	1410872	1441551	1666427
5.	गुजरात	938936	919102	1662999
6.	हरियाणा	358945	472122	525860
7.	हिमाचल प्रदेश	57209	57449	92104
8.	जम्मू-कश्मीर	336305	347280	405635
9.	कर्नाटक	1525588	1299332	1804693
10.	केरल	375530	326893	464547
11.	मध्य प्रदेश	559333	664191	1089835
12.	महाराष्ट्र	1314630	1510542	2315308
13.	उत्तर पूर्व	469369	702048	1036330
14.	उड़ीसा	346561	394288	407862
15.	पंजाब	596298	563537	957167
16.	राजस्थान	228907	271781	274121
17.	तमिलनाडु	545790	670294	821980
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1647870	1908252	2562227
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1076326	1148256	1218242
20.	पश्चिम बंगाल	812556	906180	961930
21.	कलकत्ता	1387649	1336343	1783272
22.	चेन्नई	469729	536420	680769
	जोड़ बीएसएनएल	16363251	17606873	23744047

खनिज निक्षेपों का सर्वेक्षण

*419. **श्री पी०डी० एलानगोवन** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने देश में विशेषकर तमिलनाडु में खनिजों के उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का कोई प्रणालीबद्ध अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक खनिज की मात्रा और मूल्य दोनों के बारे में खनिजों के आयात और निर्यात का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा भारत में इन खनिजों का उत्पादन बढ़ाने और उपलब्ध खनिज संसाधनों के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

खान मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) जी हां। सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप, खनिज सम्पन्न राज्यों में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रमाणित भंडार संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने तमिलनाडु में योजनाबद्ध पूर्वेक्षण तथा गवेषण कार्य किया है। पूर्वेक्षण किए गए महत्वपूर्ण खनिजों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) खनिजों के आयात और निर्यात संबंधी सूचना, राज्यवार नहीं रखी जाती।

(घ) सरकार ने खान और खनिज क्षेत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन उपाय किए हैं। गैर-ईंधन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 बनाई गई थी। खनन क्षेत्र को और अधिक निवेशक अनुकूल तथा प्रगतिशील बनाने के लिए खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में 1994 तथा हाल ही में, दिसम्बर, 1999 में भी संशोधन किए गए थे। हाल ही के संशोधनों से विश्वव्यापी प्रथा के अनुरूप दोहरी प्रचालनों की अवस्था को लागू किया गया है। खनन पट्टे देने, उनके नवीकरण तथा हस्तांतरण के लिए राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित की है ताकि प्रक्रियात्मक देरी को कम किया जा सके। अवैध खनन आदि को रोकने तथा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्यों को अधिकार दिए गए हैं।

खनिजों के संरक्षण और योजनाबद्ध विकास तथा पर्यावरणात्मक सुरक्षा के लिए, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 18 के तहत खनिज संरक्षण तथा विकास नियमावली (एम०सी०डी०आर०), 1988 तैयार की गई है। खनिज संरक्षण तथा विकास नियमावली की, भारतीय खान ब्यूरो की मार्फत, केन्द्र सरकार द्वारा निगरानी की जाती है। भारतीय खान ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले निरीक्षणों के जरिए खनन योजना निर्धारण के अनुपालन की जांच की जाती है। अनियमितता की स्थिति में, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा, खान संरक्षण और विकास नियमावली के समुचित प्रावधानों के तहत, अनुपालन/सुधार हेतु, उनका उल्लेख किया जाता है।

विवरण-I

प्रमाणित भंडार

खनिज सम्पन्न राज्यों में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रमाणित भंडारों का विवरण

राज्य	लौह अयस्क हेमाटाइट मैग्नेटाइट (एम०एम०टी०)	बॉक्साइड (हजार टन में)	ताम्र अयस्क (हजार टन में)	स्वर्ण अयस्क (टन में)	चांदी अयस्क (टन में)	कोयला (मिलियन टन में)
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश		169848	338	438446	1161750	6624.83
बिहार*	18.25	15398	46584	7200		33532.00
गोवा	404+64	33935				
गुजरात		43685	2225			
कर्नाटक	665+1427	1801	963	3270984	2283276	
केरल				462280		
मध्य प्रदेश*	771	52132	91498			10762.37
महाराष्ट्र	88	62267				3633.30

1	2	3	4	5	6	7
उड़ीसा	1349	380961			1274150	7097.88
राजस्थान			22275		74369900	
तमिलनाडु	–	1236	–	–	–	–
पश्चिम बंगाल						10127.19

'अविभाजित

प्रमाणित भंडारों का खनन भूमि की उपलब्धता के अलावा पर्यावरणात्मक मंजूरी तथा क्या संबंधित क्षेत्र वन क्षेत्र के भीतर पड़ता है, जैसे अन्य कारकों के अधीन है।

विवरण-II

तमिलनाडु में पूर्वेक्षण किए गए महत्वपूर्ण खनिज

क्र०सं०	खनिज	क्षेत्र
1.	मेलिब्डेनम	1. काराडिकुट्टम, मदुराई जिला
		2. एलांगयाम, वैलोर जिला
		3. हारूर-उत्तानगराई पट्टी, मारूदुपट्टी, धर्मपुरी जिला
2.	बॉक्साइट	सेलम, मदुराई एवं नीलगिरि जिला
3.	चूना पत्थर (तलछटी)	एरियालुर, तिरूचिरापल्ली जिला
4.	लौह अयस्क	1. कंजामलाई क्षेत्र, सेलम जिला
		2. कोयम्बटूर चेंगलेपेट, कन्याकुमारी, मदुराई, नीलगिरि, उत्तरी अर्काट, दक्षिण अर्काट, रामनाथपुरम एवं तिरूचिरापल्ली जिले
5.	लिग्नाइट	दक्षिण अर्काट, तिरूचिरापल्ली एवं पांडिचेरी जिले
6.	मैग्नेसाइट	सेलम, उत्तरी अर्काट, कोयम्बटूर, दक्षिण अर्काट एवं तिरूचिरापल्ली जिले
7.	स्वर्ण	नीलगिरि, धर्मपुरी कोयम्बटूर, सेलम तथा कन्याकुमारी जिले
8.	जिप्सम	कोयम्बटूर, रामनाथपुरम, दक्षिण अर्काट, तिरूचिरापल्ली एवं तिरूनेलवेली जिले
9.	इल्मेनाइट, गारनेट एवं मोनाजाइट बालू	कन्याकुमारी, उत्तरी अर्काट, पांडिचेरी, रामनाथपुरम, सेलम, तिरूचिरापल्ली, तंजावूर एवं तिरूनेलवेली
10.	तांबा	दक्षिण अर्काट, मदुराई, चेंगलेपेट, कोयम्बटूर, धर्मपुरी, कन्याकुमारी, तिरूचिरापल्ली एवं तिरूनेलवेली
11.	आयामी पत्थर/ग्रेनाइट	मदुराई, धर्मपुरी, विल्लुपुरम, तिरूचिरापल्ली, विरूधुनगर, दिन्दीगुल, तिरूवन्नामलाई, पुडुकोट्टाई, सेलम, वेल्लौर, तिरूनेलवली कन्याकुमारी एवं इरोड़ जिले

स्रोत : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन का लक्ष्य

*420. **श्री हरिभाई चौधरी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निधियों की कमी और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दीर्घावधि ऋण देने में असमर्थता के कारण वर्ष 2000 के अंत तक 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मुश्किल आ रही है;

(ख) यदि हां, तो विद्युत उत्पादन में किस सीमा तक कमी आने की संभावना है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आठवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में सरकारी और निजी क्षेत्र-वार कुल कितना विद्युत उत्पादन हुआ; और

(घ) किन-किन सुधारात्मक कदमों के उठाए जाने पर विचार हो रहा है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (घ) नौवीं योजना अवधि के दौरान सम्भावित अभिवृद्धि लगभग 21,564 मे०वा० होगी। ब्यौरा निम्नवत है :

(मे०वा० में)

	केन्द्रीय क्षेत्र	निजी क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	कुल
ताप विद्युत	3294	6691.8	4796.5	14782.3
जल विद्युत	1040	316.0	4546.2	5902.2
न्यूक्लीयर	880	0.0	0.0	880
कुल	5214	7007.8	9342.7	21564.5

आठवीं योजना के दौरान 16422.60 मे०वा० की क्षमता अभिवृद्धि प्राप्त की गई थी। ब्यौरा निम्नवत था :

(मे०वा० में)

	केन्द्रीय क्षेत्र	निजी क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	कुल
ताप विद्युत	6252	1262.4	6040.5	13554.9
जल विद्युत	1465	168	794.7	2427.7
न्यूक्लीयर	440	शून्य	शून्य	440
कुल	8157	1430.4	6835.2	16422.6

यह सुनिश्चित करने के लिए कि नौवीं योजना अवधि के दौरान अधिकतम क्षमता प्राप्त हो जाए, निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :–

1. निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का पूर्ण वित्तपोषण सुनिश्चित करना।
2. सचिव विद्युत की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति द्वारा तिमाही समीक्षा।
3. सभी निर्माणाधीन ताप विद्युत, जल विद्युत और निजी विद्युत परियोजनाओं की मानीटरिंग करने के लिए टास्क फोर्स का गठन।
4. निजी क्षेत्र परियोजनाओं की अनंतिम समस्याओं के समाधान हेतु संकट समाधान समूह की स्थापना।
5. राज्य विद्युत बोर्डों की निम्न एस्क्रो क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक वैकल्पिक प्रत्याभूतिकरण पैकेज तैयार करना।

कुछ विद्युत परियोजनाओं को वित्तपोषण की कमियों और अपर्याप्त सुरक्षा तंत्र, जिसके फलस्वरूप परियोजनाएं वित्तीय समापन प्राप्त न कर सके हैं, के कारण चालू नहीं किया जा सका है। राज्य विद्युत यूटिलिटियों की खराब वित्तीय स्थिति के कारण भी विद्युत उत्पादकों द्वारा कम निवेश किया गया है।

[अनुवाद]

आपातकालीन टेलीफोन नम्बर

4324. **श्री शीशराम सिंह रवि** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आपातकालीन सेवा नम्बर यह कहते हुए कि "यह नम्बर उपलब्ध नहीं है" अथवा "यह नम्बर काम नहीं कर रहा है" गलत सूचना उपलब्ध करा रहे हैं जैसा कि दिनांक 12 नवम्बर 2000 के दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एम०टी०एन०एल० द्वारा उपभोक्ताओं को बेहतर और संतोषजनक सेवा उपलब्ध कराने और इसका कार्यकरण सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) 12 नवम्बर 2000 को "दैनिक जागरण" में प्रकाशित समाचार नोएडा से संबंधित है जो भारत संचार निगम लि० के अंतर्गत आता है। इस समय नोएडा में तीन आपातकालीन सेवाएं काम कर रही हैं जो इस प्रकार हैं :–

कोड	सेवा
100	पुलिस
101	अग्नि शामक
102	अस्पताल

इन नम्बरों की जांच की गई और ऐसी किसी उद्घोषणा का कहीं कोई संकेत नहीं पाया गया है कि "यह नम्बर मौजूद नहीं है" अथवा "यह नम्बर अस्थायी रूप से खराब है"।

एम०टी०एन०एल० की डायरेक्टरी में उल्लिखित अन्य आपातकालीन सेवाएं इस प्रकार हैं :–

कोड	सेवा
1097	एड्स से संबंधित सूचना
1098	शिशु की देखभाल
1099	दुर्घटना और मानसिक आघात

ये कोड नोएडा में नहीं खोले गए हैं क्योंकि संबंधित एजेंसियों अर्थात अस्पतालों, गैर-सरकारी संगठनों आदि ने इनके लिए कोई संपर्क नहीं किया है। अत: इस बात की संभावना हो सकती है कि उपभोक्ताओं ने इन कोडों पर डायल किया होगा और उन्होंने यह पाया होगा कि "यह नम्बर मौजूद नहीं है"।

आपातकालीन सेवाओं को नियमित रूप से जांच करके मॉनीटर किया जा रहा है।

संचार हाट

4325. श्री चिंतामन वनगा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) ने देश के विभिन्न स्थानों पर "संचार हाट" लगाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) एमटीएनएल ने केवल दिल्ली में "संचार हाट" स्थापित किया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

संचार हाटों की अवस्थिति का ब्यौरा

1. ईस्टर्न कोर्ट, जनपथ, नयी दिल्ली
   निशुल्क सं० 1600111666
2. भीकाजी कामा प्लेस, भीकाजी कामा प्लेस नयी दिल्ली
   निशुल्क सं० 1600114444
3. दिल्ली कैन्ट टेलीफोन एक्सचेंज, दिल्ली कैन्ट
   निशुल्क सं० 1600111551
4. सी-28 नारायणा, नयी दिल्ली
   निशुल्क सं० 1600111888
5. डी-29 फ्लैटेड फैक्ट्री कम्पलेक्स, झण्डेवालान, नयी दिल्ली
   निशुल्क सं० 1600111777
6. ए०जी०सी०आर० इन्कलेव कड़कड़डूमा, दिल्ली
   निशुल्क सं० 1600112200
7. एस-5 ग्रीनपार्क, मेन मार्केट, नयी दिल्ली
   निशुल्क सं० 1600114455
8. सुन्दर विहार, नयी दिल्ली
   निशुल्क सं० 1600111555
9. जनकपुरी टेलीफोन एक्सचेंज, नयी दिल्ली
   निशुल्क सं० 1600113366
10. शालीमार बाग, एल०एस०सी०, बी० ब्लाक, दिल्ली,
    निशुल्क सं० 1600111122
11. बादली टेलीफोन एक्सचेंज, दिल्ली
    निशुल्क सं० 1600111133
12. पार्लियामेन्ट, पार्लियामेन्ट एन्नेक्सी, नयी दिल्ली
    निशुल्क सं० 1600114477
13. मयूर विहार फेस-I, पाकेट-V, दिल्ली
    निशुल्क सं० 1600111169
14. मयूर विहार फेस-II
    निशुल्क सं० 1600111168
15. झील, गीता कालोनी, दिल्ली
    निशुल्क सं० 1600111170
16. जोरबाग, नई दिल्ली
    निशुल्क सं० 1600111166

क्र०सं०	सेवाएं	पंजीकरण की राशि
1	2	3
1.	नए टेलीफोन कनेक्शन	
	(क) नॉन-ओ०वाई०टी० (सामान्य, विशेष, एस०एस० श्रेणी)	2000/-रु०
	(ख) ओ०वाई०टी० (सामान्य विशेष)	15,000/-रु०

1	2	3
	(ग) तत्काल	30,000/-रु०
2.	आई०एस०डी०एन० सेवा बेसिक रेट एक्सेस (बी०आर०ए०)	16,500/-रु० (इसमें एन०टी०-I के लिए प्रतिभूति जमा शामिल है।)
	प्राइमरी रेट एक्सेस (पी०आर०ए०)	60,000/-रु० (इसमें प्रारम्भिक जमा राशि शामिल है।)
3.	इंटेलीजेंट नेटवर्क सेवाएं	
	(क) निशुल्क फोन सेवाए	17000/-रु० (इसमें प्रतिभूति जमा तथा एक माह का किराया शामिल है)।
	(ख) प्रीमियम रेट सेवा	4,600/-रु० (इसमें 2 माह का अग्रिम किराया शामिल है)।
4.	इंटरनेट सेवाएं	
	टी०एस०पी०/आई०ओ०पी० डायल अप	
	*पी०एस०टी०एन० डायल अप	500/-रु० 100 घंटों के प्रयोग के लिए
	*आई०एस०डी०एन० डायल अप	1000/-रु० 64 केबीपीएस के लिए प्रति 100 घंटे
5.	स्वैच्छिक जमा योजना	1500/-रु० न्यूनतम जमा) और 500/-रु० के गुणज में
6.	टेलीकार्डियोलाजी प्रभार	50/-रु०
7.	बिक्री करने पर सी डी-आर ओ एम पर टेलीफोन डायरेक्टरी (31.10.99 तक संशोधित)	100/-रु०
	एमटीएनएल कार्ड (यूनिवर्सल कॉलिंग कार्ड)	210/-, 525/- 1050 तथा 2100/-रु०

उपभोक्ता उक्त सेवाओं के लिए विस्तृत पुस्तिका तथा बिना मूल्य का फार्म निःशुल्क ले सकते हैं।

संचार हाट का कार्य करने का समय प्रातः 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक (दोपहर बाद 1.30 से 2.00 बजे भोजन के समय को छोड़कर)।

मुम्बई में एम०टी०एन०एल० की सेल्यूलर सेवा

4326. श्री किरीट सोमैया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड सेल्यूलर सेवा की हच्स टेलीकॉम कम्पनी से प्रतिस्पर्धा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप एम०टी०एन०एल० को कितना घाटा हुआ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) इस समय मैं० हच्जेस टेलीकॉम कंपनी के पास एम०टी०एन०एल० मुम्बई में सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं के प्रचालन हेतु कोई लाइसेंस नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विद्युत सुधार

4327. श्री रामदास आठवले : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारतीय विद्युत अधिनियम जो सरकार को जनहित में किसी लाइसेंस को संशोधित अथवा निरस्त करने की शक्तियां प्रदान करता है, के सभी उपबंधों को निरस्त करने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने उन विद्यमान परियोजनाओं के कतिपय प्रवर्तकों की इस मांग पर कि शो केस विद्युत परियोजनाओं को उनके

कार्य को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जाये, पर असंतोष व्यक्त किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) परियोजनाओं के तत्काल कार्यान्वयन हेतु निजी विद्युत क्षेत्र को अधिक शक्तियां देने के लिए सरकार द्वारा अन्य किन सुधारों पर विचार किया जा रहा है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) निजी विद्युत परियोजनाओं की "लास्ट माइल" समस्याओं को दूर करने के लिए विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में गठित संकट निपटान दल (सी०आर०जी०) की बैठकों में यह निष्कर्ष सामने आया है कि विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र के अपर्याप्त निवेश के मुख्य कारण राज्य विद्युत बोर्डों की कमजोर वित्तीय स्थिति तथा सुरक्षा के रूप में पर्याप्त एस्क्रो कवर की अनुपलब्धता है इस दृष्टि से एक वैकल्पिक सुरक्षा तंत्र तैयार की जा रही है जिसके अन्तर्गत आई०पी०पी० वित्त पोषण को राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए सुधारों की प्रगति से जोड़ दिया जाएगा। तद्नुसार आई०एफ०आई०, जिसमें आई०डी०बी०आई०, आई०एफ०सी०आई०, आई०डी०एफ०सी० एवं आई०सी०आई०सी०आई० शामिल है, ने एक नोट तैयार किया है जिसमें सुधार संबंधी योजनाएं एवं लक्ष्यों को इंगित किया गया है जो आई०पी०पी० वित्त पोषण के साथ-साथ चलेगी।

[हिन्दी]

कृषि हेतु सहायता

4328. श्री पी०आर० खूंटे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इराक कृषि के क्षेत्र में भारत को सहायता देने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) ईराक ने कृषि के क्षेत्र में भारत को सहायता देने संबंधी किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता

4329. श्री राजो सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों को सहायतानुदान उपलब्ध कराने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा क्या मानदंड अपनाये गये हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराई गई सहायतानुदान की राशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) विश्वविद्यालयों को अनुदान का आबंटन शैक्षिक कार्यक्रमों शिक्षण संस्थानों, कार्यक्रमों तथा उत्कृष्ट (क्वालिटी) स्नातकों की संख्या पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त उन राज्यों को लगभग 4.5 से 5.0 करोड़ रुपये तक का अन्तर योजना आबंटन मिलता है जिनके पास केवल एक ही कृषि विश्वविद्यालय है। ऐसे राज्य जिनके पास दो से अधिक कृषि विश्वविद्यालय हैं उन्हें नौवीं योजना के दौरान लगभग 3.0 से 3.5 करोड़ रुपये दिये जाते हैं।

(ख) राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

"राज्य कृषि विश्वविद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण" नामक स्कीम के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि

(रुपये लाखों में)

क्र०सं०	राज्य का नाम	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	असम	100.00	100.00	—
2.	आन्ध्र प्रदेश	90.00	90.00	69.48
3.	बिहार	182.00	153.33	82.54
4.	पश्चिम बंगाल	215.00	189.25	80.00
5.	उत्तर प्रदेश	268.00	286.61	144.98
6.	गुजरात	100.00	94.50	59.80
7.	हरियाणा	96.00	95.00	51.00
8.	हिमाचल प्रदेश	172.00	145.00	73.58
9.	मध्य प्रदेश	250.00	150.00	68.00
10.	केरल	95.00	60.00	55.00
11.	महाराष्ट्र	321.00	305.00	193.18
12.	उड़ीसा	100.00	170.00	55.00
13.	पंजाब	100.00	96.00	60.00
14.	राजस्थान	140.00	190.00	128.00
15.	जम्मू व कश्मीर	110.00	425.00	56.20
16.	तमिलनाडु	150.00	120.00	80.00
17.	कर्नाटक	204.17	159.34	130.37

[अनुवाद]

औद्योगिक उत्पादन पर विद्युत की कमी का प्रभाव

4330. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में अनेक उद्योग विद्युत की कमी के कारण प्रभावित हुए हैं अथवा उनके उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्य इसके परिणामस्वरूप बुरी तरह प्रभावित हुए हैं;

(ग) किस सीमा तक उत्पादन प्रभावित हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन की त्वरित अनुमान के अनुसार अप्रैल-अगस्त, 1999 एवं अप्रैल-अगस्त, 2000 के दौरान औद्योगिक उत्पादन वृद्धि क्रमश: 6.2 प्रतिशत तथा 5.3 प्रतिशत थी। हालांकि केवल विद्युत उत्पादन औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित नहीं करता है। औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं – उदारीकृत आयात, जनसाधारण की आर्थिक स्थिति, उत्पादन प्रक्रिया की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धा, कृषि उत्पादन, श्रम संबंधी समस्याएं, परिवहन लागत, कच्चे माल की उपलब्धता तथा देश के भीतर या बाहर मांग एवं आपूर्ति की स्थिति आदि। किसी राज्य में विद्युत की आपूर्ति वितरण की जिम्मेवारी मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत बोर्ड की होती है। किसी राज्य में विभिन्न क्षेत्रों समेत उपभोक्ताओं के विभिन्न समूहों को विद्युत के वितरण का निर्णय संबंध राज्य सरकार/राज्य विद्युत बोर्ड/विद्युत युटिलिटी द्वारा प्राथमिकताओं एवं विद्युत की मांग व उपलब्धता के मद्देनजर किया जाता है। मध्य प्रदेश में नवम्बर, 2000 में एचटी उद्योगों को 1800 बजे से 2200 बजे तक विद्युत आपूर्ति करने पर प्रतिबंध बना रहा। नवम्बर, 2000 तथा अप्रैल-नवम्बर, 2000 के दौरान मध्य प्रदेश समेत देश में वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) विद्युत की मांग एवं आपूर्ति के अंतराल को कम करने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं :

अल्प-कालिक उपाय

(I) आवश्यक पारेषण नेटवर्क स्थापित कर विद्युत के अंत: क्षेत्रीय अंतरण को सुगम बनाना।

(II) विद्युत उत्पादन में अधिकतम वृद्धि करने के लिए ताप एवं जल विद्युत केन्द्रों की पुरानी यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा जीवन-विस्तार।

(III) लघु निर्माणावधि परियोजनाओं का क्रियान्वयन।

(IV) मांग पक्ष प्रबंधन।

(V) विभिन्न उपायों को लागू करके पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी।

दीर्घकालिक उपाय

(I) विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन।

(II) द्रुत गति से जल शक्यता के दोहन तथा लघु और अति लघु हाइडल परियोजनाओं के संवर्धन के लिए अगस्त, 1998 में हाइडल नीति का निरूपण।

(III) पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार।

(IV) विद्युत क्षेत्र का सुधार एवं पुनर्गठन।

(V) ऊर्जा क्षमता एवं संरक्षण को प्रोत्साहन।

(VI) वर्ष 2012 तक लगभग एक लाख मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि।

विवरण

वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति

(सभी आंकड़े मि०यू० निवल में)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	नवम्बर, 2000				अप्रैल-नवम्बर-2000			
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	%	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र								
चंडीगढ़	72	72	0	0	753	752	1	0.1
दिल्ली	1310	1268	42	3.2	12955	12469	486	3.8
हरियाणा	1315	1280	35	2.7	11655	11506	149	1.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हिमाचल प्रदेश	258	258	0	0	2060	2039	21	1
जम्मू एवं कश्मीर	535	481	54	10.1	4015	3588	427	10.6
पंजाब	1755	1752	3	0.2	19810	19496	314	1.6
राजस्थान	2170	2162	8	0.4	16125	15762	363	2.3
उत्तर प्रदेश	3810	3448	362	9.5	30390	26355	4035	13.3
उ०क्षे०	11225	10721	504	4.5	97763	91967	5796	5.9
पश्चिम क्षेत्र								
गुजरात	4728	4196	532	11.3	35056	32089	2967	8.5
मध्य प्रदेश	3779	3115	664	17.6	25040	22597	2443	9.8
महाराष्ट्र	7362	6183	1179	16	52560	46470	6090	11.6
गोवा	152	135	17	11.2	1188	1036	152	12.8
प०क्षे०	16021	13629	2392	14.9	113844	102192	11652	10.2
दक्षिण क्षेत्र								
आन्ध्र प्रदेश	4028	3582	446	11.131103	28723	2380	7.7	
कर्नाटक	2599	2349	250	9.6	18771	16891	1880	10
केरल	1155	1066	89	7.7	8888	8252	636	7.2
तमिलनाडु	3534	3209	325	9.2	27833	25565	2268	8.1
द०क्षे०	11316	10206	1110	9.8	86595	79431	7164	8.3
पूर्वी क्षेत्र								
बिहार	787	733	54	6.9	5989	5647	342	5.7
डी०वी०सी०	680	691	-11	-1.6	5674	5800	-126	-2.2
उड़ीसा	992	1013	-21	-2.1	7702	8032	-330	-4.3
प० बंगाल	1444	1462	-18	-1.2	12553	12748	-195	-1.6
पू०क्षे०	3903	3899	4	0.1	31918	32226	-308	-1
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र								
अरुणाचल प्रदेश	10.4	10.8	-0.4	-3.8	84.3	86.4	-2.1	-2.5
असम	259.5	293.7	-34	-13	2038.3	2219.5	-181	-8.9
मणिपुर	40.9	40.2	0.7	1.7	298	297.3	0.7	0.2
मेघालय	46.9	49.7	-2.8	-6	346.7	384.4	-37.7	-109
मिजोरम	21	22.1	-1.1	-5.2	155	161	-6	-3.9
नागालैंड	19.1	20.1	-1	-5.2	142.2	147.9	-5.7	-4
त्रिपुरा	48.9	48.8	0.1	0.2	372.5	394.7	-22.2	-6
उ०पू०क्षे०	446.7	485.4	-39	-8.7	3437	3691.2	-254	-7.4
अखिल भारत	42912	38940	3972	9.3	333559	309507	24052	7.2

चेन्नई में डाकघरों में आग

4331. श्री कालवा श्रीनिवासुलु :
श्री राममोहन गाड्डे :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेन्नई में प्रधान डाकघर में हाल ही में लगी आग की घटना सरकार के ध्यान में आई है;

(ख) यदि हां, तो इससे कुल कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) आंका गया कुल नुकसान 80.78 लाख रु० है।

(ग) जी, हां।

(घ) जांच चल रही है तथा उसके निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

उड़ीसा में खनिज पर आधारित एकक

4332. श्री अनन्त नायक : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में विशेषकर क्योंझर जिले में खनिज आधारित एककों को बढ़ावा देने की अपार सम्भावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) नौवीं योजना के दौरान राज्य के क्योंझर, मयूरभंज और सुन्दरगढ़ जिलों में खनिज आधारित नये एकक स्थापित करने के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) उड़ीसा एक खनिज सम्पन्न राज्य है तथा बाक्साइट, क्रोमाइट, डोलोमाइट, फायरक्ले, ग्रेफाइट, चूनापत्थर, चांदी अयस्क, वेनेडियम अयस्क आदि जैसे कई महत्वपूर्ण खनिज राज्य में पाए जाते हैं। इसलिए, उड़ीसा राज्य में खनिज आधारित इकाइयों की स्थापना की बहुत गुंजाइश है।

(ख) वर्ष 1991 से अपनाई जा रही उदारीकृत औद्योगिक नीति के तहत, उद्यमी मुक्त रूप से कोई भी खनिज आधारित उद्योग लगा सकते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, उड़ीसा राज्य में एल्युमिनियम, सीमेन्ट, सेरिमिक, रीफ्रेक्टरी, स्पंज ऑयरन आदि सहित खनिज आधारित उद्योग हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान, क्योंझर जिले में नए खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने के बारे में सार्वजनिक या निजी क्षेत्र से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) नौवीं योजना के प्रस्तावों में किसी राज्य के जिलों में किसी खनिज आधारित उद्योग की स्थापना करने संबंधी अलग-अलग (डिसएग्रीगेटिड) योजना शामिल नहीं है।

दूरसंचार क्षेत्र का उदारीकरण

4333. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूरसंचार क्षेत्र के उदारीकरण का प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के उदारीकरण के लिए अनेक उपाय किए हैं कुछ उपाय निम्नलिखित हैं :–

1. निजी भागीदारी के लिए राष्ट्रीय लम्बी दूरी (एन०एल० डी०) खोली गई है।

2. इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं (आई०एस०पी०) को इन्टरनेट के लिए अन्तर्राष्ट्रीय गेटवे के वास्ते अपने-अपने सबमैरीन केबल लैंडिंग स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी गई है।

3. इन्टरनेट के लिए अन्तर्राष्ट्रीय गेटवेज की स्थापना करने हेतु आई०एस०पी० को उन विदेशी उपग्रहों से सीधे ही बैंडविड्थ लेने की अनुमति दी गई है जो भारत की ओर निर्देशांकित हैं।

4. वाणिज्यिक उपग्रह धारक व प्रचालक कंपनियों में 74 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति है।

5. अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी "वॉयस" की शुरूआत 2004 की बजाए अप्रैल 2002 में होगी।

6. दूरसंचार के निम्नलिखित क्षेत्रों में कुछ शर्तों पर 100 प्रतिशत एफ०डी०आई० की अनुमति दी गई है।

   (i) आई०एस०पी० गेटवे उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। (उपग्रह और सबमैरीन केबलों दोनों के लिए);

   (ii) अवसंरचना प्रदाता डार्क फाइबर उपलब्ध करा रहे हैं। (आई०पी० श्रेणी।);

   (iii) इलैक्ट्रॉनिक डाक; और

   (iv) वॉयस मेल।

7. नीतिगत लाइसेंस प्रदान करने संबंधी कार्यों से दूरसंचार सेवाओं को अलग किया गया है और इन सेवाओं को भारत संचार निगम लिमिटेड (बी०एस०एन०एल०) के गठन के लिए निगमित किया गया है।

8. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम (टी०आर०ए०आई० एक्ट) का संशोधन, विनियामक को मजबूत बनाने और दूरसंचार विवाद निपटान (टेलीकॉम डिस्प्यूट सैटलमैंट) तथा अपील अधिकरण का गठन करने के लिए किया गया है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन हेतु लक्ष्य

4334. श्री सुरेश चंदेल : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कितनी जल विद्युत और ताप विद्युत का उत्पादन मेगावाट में किए जाने का लक्ष्य है;

(ख) इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पर्याप्त निधियां आवंटित की गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ विदेशी सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विदेशी एजेंसियों के साथ चर्चा शुरू कर दी गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार औद्योगिक क्षेत्र की बेहतरी के लिए देश में रक्षित विद्युत संयंत्रों को बढ़ावा देने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) योजना आयोग ने नौंवी योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि का 40245.2 मे०वा० लक्ष्य की परिकल्पना की है। इसके जल विद्युत से 9819.7 मे०वा० ताप विद्युत से 29545.5 मे०वा० और न्यूक्लीयर से 880 मे०वा० क्षमता शामिल है।

(ख) योजना आयोग ने नौंवी योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र हेतु 124526.41 करोड़ रुपये परिव्यय का आवंटन किया है। इसमें केन्द्रीय क्षेत्र में 53299.41 करोड़ रुपये तथा राज्य क्षेत्र में शेष राशि शामिल है।

(ग) से (च) क्षमता अभिवृद्धि हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से विद्युत क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानून को वर्ष 1991 में संशोधित किया गया था जिसके अन्तर्गत देश में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना निजी निवेशकों को अनुमति प्रदान की गई है। पारेषण क्षेत्र में निजी पूंजी के अंतप्रवाह को अनुमति प्रदान करने के लिए सरकार ने विद्युत कानून (संशोधन) अधिनियम 1998 को अधिनियम 1998 को अधिनियमित किया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 57 निजी विद्युत परियोजनाओं को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की है और इनमें से 50 में विदेशी इक्विटी भागेदारी निहित है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक, ऐशियाई विकास बैंक तथा जे०बी०आई०सी० जैसी बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों द्वारा भी कुछ परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाती है।

(छ) और (ज) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे केप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन प्रदान करे और एक संस्थानिक तंत्र का सृजन करे। जो कि अन्य यूनिटों को विद्युत की प्रत्यक्ष बिक्री किये जाने हेतु तीसरी पार्टी की पहुंच और ग्रिड की अधिशेष विद्युत की खरीद हेतु विकास कर्त्ता को युक्ति संगत टैरिफ प्रदान करके तथा केप्टिव विद्युत अनुप्रयोगों को शीघ्रता पूर्वक स्वीकृति प्रदान करके कैप्टिव विद्युत यूनिटों को विद्युत क्षेत्र में एक आसान प्रवेश की अनुमति प्रदान करेगा।

नैनीताल की झील में प्रदूषण

4335. श्री जय प्रकाश : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरांचल में नैनीताल की झील का जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने झील सफाई के लिए राज्य सरकार को कोई सहायता उपलब्ध कराई है अथवा उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, नहीं। नैनीताल झील का जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। इस झील का जल पारम्परिक उपचार और विसंक्रमण के बाद पीने के लिए उपयुक्त है।

(ख) और (ग) नैनीताल झील, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत संरक्षण और प्रबंधन के लिए निर्धारित दस शहरी झीलों में से एक है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना को अभी सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

राजस्थान में पन्ना खनन

4336. डा० जसवंत सिंह यादव : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में पन्ना खनन हेतु किसी ब्रिटिश कम्पनी को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राजस्थान में किन-किन स्थानों पर इस प्रकार के खनन कार्य किए जाने की सम्भावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) राजस्थान में पन्ने के लिए सर्वेक्षण कर रहा है। उसने रिपोर्ट दी है कि इस क्षेत्र का भूवैज्ञानिक मानचित्रण और शैलिकी अध्ययन किया गया है और राजसमंद और अजमेर जिलों में कालीगुमन और गांवगुडहा क्षेत्रों के बीच पन्ना खनिजीकरण के सम्भावित विकास वाली पेगमाटाइड और टूरमेलिन शिराओं-युक्त कई अल्ट्रामाफिक पिंडों का पता लगाया गया है। सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है जो एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

4337. **श्री अशोक ना० मोहोल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को दिए गए कोर्प्रस फंड और सब्सिडी पर व्यय को केन्द्र सरकार और राज्य सरकार बराबर-बराबर अनुपात में वहन करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने शेयर अनुपात में परिवर्तन करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार निकाय निधि (कार्पस फण्ड) में अंशदान और छोटे तथा सीमांत किसानों द्वारा देय प्रीमियम पर राजसहायता संबंधी वित्तीय दायित्वों में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की भागीदारी 50:50 के अनुपात में होगी।

(ग) से (ङ) 14 सितम्बर, 2000 को नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में महाराष्ट्र सहित अधिकतर राज्यों ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच हिस्सेदारी 2:1 के अनुपात में (1:1 के अनुपात के स्थान पर) होनी चाहिए। राज्यों के सुझावों की जांच की जा रही है।

डाकघरों को टेलीफोन कनेक्शन

4338. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सभी डाकघरों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस सुविधा को अभी भी कितने डाकघरों को उपलब्ध कराया जाना शेष है; और

(ग) उक्त सुविधा को राज्य के सभी डाकघरों में कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) पश्चिम बंगाल में 618 डाकघरों में टेलीफोन सुविधा नहीं है।

(ग) जिन डाकघरों में टेलीफोन कनेक्शन नहीं हैं, उन्हें ये कनेक्शन दूरसंचार प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

चंडीगढ़ में डाकघर

4339. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ में श्रेणी-वार इस समय कितने डाकघर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार चंडीगढ़ में नव विकसित सेक्टरों में नए डाकघर खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) चंडीगढ़ में इस समय कार्य कर रहे श्रेणी-वार डाकघर निम्नानुसार हैं :–

प्रधान डाकघर		1
विभागीय उप डाकघर	:	43
अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर	:	2
शाखा डाकघर	:	7

(ख) जी, हां।

(ग) सेक्टर-30, चंडीगढ़ में एक विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

फसल बीमा योजना

4340. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए फसल बीमा योजना कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रबी 1999-2000 मौसम से शुरू की थी। यह योजना वैकल्पिक है तथा सभी राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है। इस समय, मध्य प्रदेश सहित 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में यह स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने नए राज्य छत्तीसगढ़ के बनने से पहले सम्पूर्ण राज्य के लिए रबी 2000-2001 मौसम के लिए फसलें और क्षेत्र अधिसूचित किए हैं। स्कीम के कार्यान्वयक अभिकरण भारतीय साधारण बीमा निगम ने दोनों राज्यों के साथ रबी 2000-2001 के लिए वित्तीय उत्तरदायित्वों के मामले को उठाया है। जहां तक आगामी मौसमों का संबंध है, स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को लेना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डाकघरों का उन्नयन

4341. श्री टी० गोविन्दन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश में विद्यमान डाकघरों के उन्नयन और नए डाकघर खोलने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) शाखा डाकघर खोलने तथा मौजूदा शाखा डाकघरों का उप डाकघरों में उन्नयन करने के लिए, अब तक प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। अतिरिक्त विभागीय उप डाकघरों (ई०डी०एस०ओ०) का तथा उप डाकघरों का प्रधान डाकघरों के रूप में दर्जा बढ़ाने से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) अभ्यावेदनों पर कार्रवाई की जाती है तथा जब विभागीय मानदंडों के अनुसार औचित्य बनता है, तो डाकघर खोले जाते हैं अथवा उन्नयन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, शाखा डाकघर और उप डाकघर का खोला जाना वित्त मंत्रालय द्वारा पदों की अपेक्षित संख्या में मंजूरी देने पर भी निर्भर करता है।

विवरण-I

क्र० सं०	सर्किल का नाम	ईडीबीओ खोलने के लिए प्राप्त अभ्यावेदनों की संख्या	ईडीबीओ का डीएसओ में उन्नयन करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	8	शून्य
2.	असम	18	शून्य
3.	बिहार	963	शून्य
4.	दिल्ली	30	शून्य
5.	गुजरात	6	1
6.	हरियाणा	13	1
7.	हिमाचल प्रदेश	13	शून्य
8.	जम्मू एवं कश्मीर	13	शून्य
9.	कर्नाटक	3	शून्य
10.	केरल	17	शून्य
11.	मध्य प्रदेश	57	शून्य
12.	महाराष्ट्र	35	1
13.	उत्तर-पूर्व	11	शून्य
14.	उड़ीसा	43	शून्य
15.	पंजाब	6	शून्य
16.	राजस्थान	31	शून्य
17.	तमिलनाडु	6	शून्य
18.	उत्तर प्रदेश	263	शून्य
19.	पश्चिम बंगाल	72	शून्य
	कुल	1608	3

ईडीबीओ : अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
डीएसओ : विभागीय उप डाकघर

विवरण-II

क्र०सं०		
1.	बिहार	1. कैमूर उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
		2. दलसिंगसराय उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
		3. बाढ़ उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
		4. आकमा उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
		5. जमुई उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
		6. साहिबगंज उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
		7. रोसरा उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
		8. गोड्डा उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
		9. गौनहा अतिरिक्त विभागीय उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
		10. अर्लीगर उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
2.	हरियाणा (यमुनानगर)	1. पंचकुला उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
		2. यामुनानगर उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
		3. कैथल उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
		4. रीवाड़ी उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
		5. फतेहाबाद उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
		6. झाझर उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
3.	केरल	1. कोजहेनचेरी उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
4.	महाराष्ट्र	1. कालना उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
		2. पनवेल उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
5.	मध्य प्रदेश	1. भातापारा उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
		2. धन्तारी उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
6.	उत्तर-पूर्व	1. अरुनधातीनगर उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
		2. अगरतला एचएसजी-1 प्रधान डाकघर का राजपत्रित प्रधान डाकघर में
		3. मोकोकेहंग उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
		4. अम्बासा उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
7.	उड़ीसा	1. राऊरकेला-12 उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
		2. तालेड्र उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
		3. नीमपाड़ा उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
		4. पिपली उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
8.	तमिलनाडु	1. थुकाली एचएसजी-VII प्रधान डाकघर का एचएसजी-I प्रधान डाकघर में
9.	उत्तर प्रदेश	2. नोएडा उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
		3. रूद्रप्रयाग उपडाकघर का प्रधानडाकघर में
		4. पिथौरागढ़ उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
		5. ऊधमसिंहनगर उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
		6. पौड़ी गढ़वाल उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
		7. भागेसर उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
		8. हाथरस उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
		9. महोबा उपडाकघर का प्रधान डाकघर में
		10. टिहरी बाजार का प्रधान डाकघर में
10.	पश्चिम बंगाल	1. बर्धमान प्रधान डाकघर का द्विभाजन
		2. हीरापुरा उपडाकघर का प्रधान डाकघर में

पाली में एस०टी०डी०/आई०एस०डी०/ पी०सी०ओ० बूथ

4342. श्री पुष्प जैन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान राजस्थान के पाली जिले में एस०टी०डी०/आई०एस०डी०/पी०सी०ओ० बूथ लगाने के लिए कितने आवेदन लंबित पड़े थे;

(ख) सरकार द्वारा लंबित आवेदन-पत्रों का निपटान करने के लिए क्या उपाय किए गए; और

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान उक्त जिले में कितने एस० टी०डी०/आई०एस०डी०/पी०सी०ओ० बूथ लगाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) लंबित आवेदन पत्रों की संख्या शून्य है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 2000-2001 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि पाली जिले में एस०टी०डी०/आई०एस०डी०/पी०सी०ओ० तकनीकी व्यवहार्यता के अध्यधीन, मांग पर ही प्रदान किए जा रहे हैं।

खरीद केंद्रों द्वारा किसानों के उत्पादों को समर्थन मूल्य पर खरीदना

4343. **श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के शिष्टमण्डल ने हाल ही में उनसे मुलाकात की थी और उनसे अनुरोध किया था कि खरीद केन्द्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर किसानों के उत्पादों को खरीदने के लिए राज्य को पर्याप्त धनराशि संस्वीकृति की जाए; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की उन मांगों के संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य का एक शिष्टमंडल कृषि मंत्री से मिला था। सरकार ने मक्का की खरीद में निम्न प्रकार से विनिर्दिष्टियों में ढील दी है यथा :–

(I) 1.5 प्रतिशत के बजाय अधिकतम 2 प्रतिशत टूटे-फूटे दानों को एक समान विनिर्दिष्टियों में शामिल किया गया है जबकि 1.5 प्रतिशत टूटे-फूटे दानों के लिए पूरा मूल्य दिया जायेगा।

(II) 4.5 प्रतिशत के बजाय अधिकतम 6 प्रतिशत तक क्षमिग्रस्त, फीके पड़े और पिचके दानों को एक समान विनिर्दिष्टियों के अंतर्गत रखा जायेगा जबकि 4.5 प्रतिशत तक टूटे-फूटे दानों के लिए पूरा मूल्य दिया जाएगा।

एस०टी०डी०/आई०एस०डी०/पी०सी०ओ० बूथ के आबंटियों से देय राशि की वसूली

4344. **श्री एम० चिन्नासामी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस०टी०डी०/आई०एस०डी०/पी०सी०ओ० बूथ के आबंटी नियमित रूप से मासिक बिल जमा नहीं कराते हैं जिसके कारण सरकार को भारी घाटा उठाना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके परिणामस्वरूप राज्य-वार कितने घाटे उठाने पड़े; और

(ग) ऐसे चूककर्त्ताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और उक्त राशि की वसूली करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मराठवाड़ा में एस०टी०डी० सुविधा

4345. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) मराठवाड़ा क्षेत्र के टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या के संदर्भ में जिला-वार एस०टी०डी० सुविधा की स्थिति इस प्रकार है :–

क्र० सं०	जिला	एक्सचेंज की कुल संख्या	एस०टी०डी० सुविधा युक्त	एस०टी०डी० सुविधा रहित
1.	औरंगाबाद	126	64	62
2.	बीड़	90	30	60
3.	जालना	67	42	25
4.	लातूर	109	53	56
5.	नांदेड़	101	61	40
6.	उस्मानाबाद	75	55	20
7.	परभानी+हिंगोली	82	55	27
		650	360	290

(ग) इस समय 650 एक्सचेंजों में से 360 एक्सचेंजों में एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध है। शेष एक्सचेंजों में एस०टी०डी० सुविधा मार्च 2002 तक चरणबद्ध रूप से प्रदान किए जाने की योजना है बशर्ते कि निधि और उपस्कर उपलब्ध हों।

विद्युत लागत

4346. **श्री एम०के० सुब्बा** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूसरे राज्यों में प्रति यूनिट विद्युत लागत को बढ़ाकर 4 रुपए प्रति यूनिट तक कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो दूसरे राज्यों की तुलना में असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में घरेलू कृषि वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र में लागू विद्युत दरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शुल्क दर और उत्पादन लागत में हो रही बढ़ोत्तरी को मद्देनजर रखते हुए अतिरिक्त विद्युत की बिक्री की अनुमति देकर रक्षित विद्युत संयंत्रों को बढ़ावा देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) असम समेत उत्तर-पूर्वीराज्यों और अन्य राज्यों में विद्युत की लागत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने 9 अक्टूबर, 1995 के एक परिपत्र द्वारा राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों को सलाह प्रदान की है कि वे कैप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन प्रदान करे और एक संस्थानिक तंत्र का सृजन करें जो कि अन्य यूनिटों को विद्युत की प्रत्यक्ष बिक्री किए जाने हेतु तीसरी पार्टी की पहुंच और ग्रिड की अधिशेष विद्युत की खरीद हेतु विकासकर्त्ता को युक्तिसंगत टैरिफ प्रदान करके तथा कैप्टिव विद्युत अनुप्रयोगों को शीघ्रतापूर्वक स्वीकृति प्रदान करके कैप्टिव विद्युत यूनिटों को विद्युत क्षेत्र में एक आसान प्रवेश की अनुमति प्रदान करेगा।

विवरण

पूर्वोत्तर राज्यों समेत असम एवं अन्य राज्यों में विद्युत की लागत

क्र० सं०	राज्यों की संख्या	राज्यों से प्रभावी टैरिफ	घरेलू 2 कि०वा० (110 कि०वा०) घं०/माह	घरेलू 5 कि०वा० (400 कि०वा०) घं०/माह	वाणिज्यिक 5 कि०वा० (220 कि०वा०) घं०/माह	वाणिज्यिक 10 कि०वा० घं०/माह	कृषि 5 एचपी (5% एलएफ 408 कि०वा०) घं०/माह	कृषि 10 एचपी, 20% एलएफ 1089 कि०वा० घं०/माह	लघु उद्योग 10 एचपी, 25 एवं एलएफ (14600 कि०वा०) घं०/माह	मध्यम उद्योग 50 कि०वा० 40% एलएफ 14600 कि०वा० घं०/माह	वृहत उद्योग 1000 कि०वा० एवं एलएफ 474500 कि०वा०/माह
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.1.99	136.00	298.50	436.00	502.00	37.45	35.92	356.50	378.36	409.59
2.	असम	1.9.98	183.20	235.92	521.40	445.59	99.50	144.18	239.26 यू 139.76 आर	276.60	307.79
3.	अरुणाचल प्रदेश	1.3.93	95.00	135.00	210.00	235.00	—	—	185.00	195.00	250.00
4.	बिहार	1.7.93	139.00 यू 46.00 आर	150.75	451.00	297.80	40.15	31.09	157.09	140.54	211.99
5.	दिल्ली	1.4.97	105.00	203.44	572.88	362.88	52.50	52.50	362.88	362.88	401.93
6.	गुजरात	22.10.96	265.25 यू 249.69 आर	386.72	482.14	496.99	51.06	61.22	318.55	347.12	437.86
7.	गोवा	1.3.99	95.00	143.75	316.25	389.75	70.00	70.00	225.00	286.85	337.79
8.	हरियाणा	15.6.98	270.00	304.50	402.00	402.00	55.15	50.00	402.00	402.00	402.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1.9.98	69.75	93.81	225.00	272.00	65.00	65.00	165.00	215.00	245.00
10.	कर्नाटक	1.11.98	197.50	261.25	601.25	575.75	30.64	22.96	271.16	335.45	424.55
11.	जम्मू एवं कश्मीर	1.4.99	292.80	244.00	489.22	311.10	61.00	61.00	164.70	164.70	164.70
12.	केरल	1.2.98	150.00	286.00	528.77	487.63	66.43	64.94	177.57	171.64	182.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	मध्य प्रदेश	1.3.99	92.20	194.73	413.71	473.32	73.53	55.10	227.60	371.57	409.96
14.	महाराष्ट्र	1.9.98	176.70	393.72	411.00	622.20	91.91	107.44	295.29	438.45	429.36
15.	मेघालय	1.9.96	85.00	103.75	176.00	184.00	56.00	56.00	149.49	168.43	156.07
16.	मणिपुर	18.3.2000	152.20	204.70	252.20	252.20	152.20	152.20	162.20	222.20	213.18
17.	मिजोरम	1.3.2000	115.00	200.00	195.00	275.00	55.00	55.00	242.65	200.00	200.00
18.	नागालैंड	1.12.95	200.00	275.00	300.00	350.00	150.00	150.00	250.00	275.00	275.00
19.	उड़ीसा	1.12.98	115.00	190.00	320.00	396.00	85.00	85.00	245.00	290.00	325.02
20.	पंजाब	29.7.98	172.80	214.95	334.00	334.00	0.00	0.00	240.00	258.00	290.00
21.	राजस्थान	1.6.97	132.50	158.88	312.00	340.00	72.00	57.86	276.00	316.00	337.00
22.	सिक्किम	1.5.99	125.00 यू 90.00 आर	177.50 131.25	257.50	267.50	195.00	197.04	201.63	135.12	149.44
23.	तमिलनाडु	7.1.2000	117.00	216.25			25.53	19.13	234.53		
24.	त्रिपुरा	1.4.99	269.00	192.50	605.00	264.00	120.00	120.00	140.00	190.00	—
25.	उत्तर प्रदेश	25.1.99	229.00 यू 60.00 आर	214.00	821.50	424.00	52.70	38.11	379.57		
	बन्द उद्योग									407.36	409.99
	चालू उद्योग									416.95	436.49
26.	पं० बंगाल	26.1.99	181.25 यू 168.81 आर	339.44 31.33	362.18 यू 349.92 आर	477.50 यू 460.63 आर	54.66	123.00	336.56 यू 313.57 आर	407.46	377.48

यू = शहरी, आर = ग्रामीण

[हिन्दी]

कृषि विश्वविद्यालय का संस्थापना व्यय

4347. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विश्वविद्यालयों में संस्थापना व्यय में कटौती करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या रिक्त पदों को समाप्त करने की संभावना है;

(ग) क्या विश्वविद्यालयों के कई विभागों का विलय किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इन विश्वविद्यालयों की भूमि को किसानों को पट्टे पर दिए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो क्या कृषि विश्वविद्यालयों के वित्तीय स्वायत्ता देने के उद्देश्य से इनको दिए जाने वाला अनुदान बंद कर दिया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं। कृषि विश्वविद्यालय केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में नहीं होते हैं। तथापि, इम्फाल में ऐसा एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय है लेकिन वहां ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) कृषि शिक्षा एक राज्य विषय है और पदों को सृजित करने या इन्हें समाप्त करने, विभागों को मिलाने या पुन: नवीकरण करने और राजस्व अर्जित करने के लिए भूमि का उपयोग करने से संबंधित मामले विश्वविद्यालय के शासी निकाय के विशेषाधिकारो या राज्य सरकार की नीतियों पर निर्भर करते हैं।

(ङ) और (च) जी, नहीं। विश्वविद्यालयों को शैक्षिक कार्यक्रमों और छात्रों के कल्याण संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने

के लिए केन्द्रीय सहायता – अनुदान प्रदान किया जाता है तथा वित्तीय स्वायत्ता से इसका कोई संबंध नहीं है।

[अनुवाद]

सरिता बिहार में डाकघर

4348. श्री अंजय चक्रवर्ती : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में सरिता बिहार में डाकघर खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त डाकघर को कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) सरिता बिहार में "एफ" ब्लॉक से लगे इलाके में सरिता बिहार के नाम से एक डाकघर पहले से काम कर रहा है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए कोई उत्तर अपेक्षित नहीं है।

बिहार में चालू परियोजनाएं

4349. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित की गई चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत जारी की गई धनराशि और आज की तारीख तक उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) बिहार राज्य में केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित तीन परियोजनाएं चल रही हैं। इन तीनों परियोजनाओं के लिए संस्वीकृत लागत एवं व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। बिहार राज्य को 1990-91 से 1999-2000 तक 373.31 लाख रु० रिलीज किए गए हैं। केन्द्रीय सड़क निधि के तहत शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए 856 लाख रु० की और राशि जारी की गई है।

विवरण

(लाख रु०)

क्रमांक	परियोजना का नाम	संस्वीकृत लागत/ संस्वीकृति की तारीख	केन्द्रीय सहायता	मार्च, 2000 तक व्यय	टिप्पणी
1.	ब्रह्मपुर-किरन सराय सड़क का सुधार	288.30 22.5.1989	156.82	340.55	केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त शेष लागत को राज्य वहन करेगा।
2.	मगरदीही घाट समस्तीपुर-दरभंगा सड़क के समीप बूढ़ी गंडक नदी के ऊपर एप्रोच सहित एच०एल० पुल	220.00 23.1.1992	219.17	220.01	
3.	नालंदा जिले में 20 कि०मी० लम्बाई की चंडी सोहसराय सड़क के पश्चिम/ दक्षिण में	400.00 19.5.2000	400.00	शून्य	

[हिन्दी]

खोई पर आधारित विद्युत संयंत्र

4350. श्रीमती निवेदिता माने : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में खोई पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे विद्युत उत्पादन की लागत में किस हद तक कमी आने की संभावना है; और

(घ) कौन-कौन से राज्यों में इन विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने का विचार है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) पांच राज्यों में 34 खोई आधारित सह- उत्पादन परियोजनाओं के माध्यम से 210 मेगावाट की कुल अतिरिक्त विद्युत क्षमता स्थापित की गई है। 263 मेगावाट की और क्षमता कार्यान्वयनाधीन है

(ग) विभिन्न तकनीकी, वित्तीय और संचालन संबंधी मानदंडों पर निर्भर करते हुए खोई आधारित सहउत्पादन परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन की औसत लागत 1.50 रु० से 2.75 रु०/किवा०घं० के बीच भिन्न-भिन्न है। यह लागत, अन्य पारंपरिक स्रोतों से विद्युत उत्पादन की लागत की तुलना में अधिक नहीं है।

(घ) खोई आधारित सहउत्पादन की कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में हैं।

मत्स्य पालन संबंधी प्रशिक्षण केन्द्र

4351. श्री भालचन्द्र यादव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कोई प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) व्यावहारिक प्रशिक्षण देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्यपालन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं। स्थापना/उन्नयन के लिए स्वीकृत प्रशिक्षण केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं द्वारा स्थापित/उन्नयन के लिए राज्यवार स्वीकृत प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	ताजे जल में जलकृषि	खारे जल में जलकृषि	मात्स्यिकी प्रशिक्षण एवं विस्तार	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	3	—	—	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	1	—	—	1
3.	असम	1	—	—	—	—	1
4.	बिहार	—	—	2	—	—	2
5.	गोवा	—	1	1	—	—	2
6.	गुजरात	—	1	2	—	—	3
7.	हरियाणा	1	—	1	—	—	2
8.	हिमाचल प्रदेश	1	—	3	—	—	4
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1	—	3	—	—	4
10.	कर्नाटक	1	1	5	—	—	7
11.	केरल	1	1	1	—	1	4
12.	मध्य प्रदेश	1	—	3	—	—	4
13.	महाराष्ट्र	1	1	—	—	1	3
14.	मणिपुर	1	—	2	—	—	3
15.	मेघालय	1	—	2	—	—	3
16.	मिजोरम	1	—	1	—	—	2

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	नागालैंड	1	—	2	—	—	3
18.	उड़ीसा	1	1	2	1	1	6
19.	पंजाब	1	—	2	—	—	3
20.	राजस्थान	1	—	—	—	—	1
21.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	1	1	2	—	1	5
23.	त्रिपुरा	1	—	2	—	—	3
24.	उत्तर प्रदेश	1	—	2	—	—	3
25.	उत्तरांचल प्रदेश	—	—	—	—	1	1
26.	पश्चिम बंगाल	1	1	2	1	—	5
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	—	—	1	—	—	1
28.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—
29.	दादर एवं नगर हवेली	—	—	—	—	—	—
30.	दमन एवं दीव	—	—	—	—	—	—
31.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—
32.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
33.	पांडिचेरी	—	—	—	—		—
	कुल	20	9	45	2	5	81

टेलीफोन-सलाहकार समिति

4352. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के शोलापुर और उस्मानाबाद जिलों में टेलीफोन-सलाहकार समितियां गठित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके कौन-कौन सदस्य हैं;

(ग) क्या टेलीफोन-सलाहकार समिति में सदस्यों का नामांकन निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र के शोलापुर और उस्मानाबाद जिलों के लिए टेलीफोन-सलाहकार समितियों का गठन क्रमशः 31.7.2002 और 30.4.2002 तक किया गया है। शोलापुर टी०ए०सी० में (30) तीस सदस्य तथा उस्मानाबाद टी०ए०सी० में (13) तेरहसदस्य हैं। शोलापुर टी०ए०सी० के अध्यक्ष शोलापुर दूरसंचार जिले के महाप्रबंधक हैं और उस्मानाबाद टी०ए०सी० के अध्यक्ष उस्मानाबाद दूरसंचार जिले के दूरसंचार जिला प्रबंधक हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। टेलीफोन-(13) सलाहकार समिति के नियमों का सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

टेलीफोन/दूरसंचार-सलाहकार समिति से संबंधित नियमों का सार

1. प्रस्तावना

कार्यकारी आदेशों द्वारा टेलीफोन/दूरसंचार-सलाहकार समितियां प्रत्येक दूरसंचार सर्किल/टेलीफोन जिलों/संघ शासित क्षेत्रों में गठित की जाती है।

2. टी०ए०सी० का गठन

टेलीफोन सेवा के प्रयोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व देते हुए टेलीफोन सेवा के अलग-अलग प्रयोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए दूरसंचार-सलाहकार समिति (टी०ए०सी०) गठित की जाती है। टी०ए०सी० में दी गई श्रेणियां/व्यवसाय इस प्रकार हैं :

1. संसद-सदस्य (सभी संसद-सदस्य (लोक् सभा/राज्य सभा) अपने विकल्प/चुनाव-क्षेत्र के अनुसार एक अथवा अन्य टी०ए०सी० के सदस्य होते हैं।
2. राज्य विधान-मंडल
3. राज्य-प्रशासन
4. कार्पोरेशन/नागरिक निकाय
5. प्रेस
6. चिकित्सा-व्यवसाय
7. कानूनी-व्यवसाय
8. इंजीनियर/वास्तुविद् आदि जैसे सभी व्यवसाय
9. व्यापार, वाणिज्य और उद्योग
10. अन्य जन-सेवक (अविनिर्दिष्ट श्रेणी)

दूरसंचार-सलाहकार समिति का सदस्य बनने के लिए कोई विशेष अर्हता निर्धारित नहीं की गई है। टी०ए०सी० में नामांकन के लिए चुना गया व्यक्ति उपर्युक्त श्रेणियों में से कम से कम एक से संबंधित होना चाहिए।

विभिन्न सर्किलों/जिलों में टी०ए०सी० की सामान्य संख्या इस प्रकार निर्धारित की गई है।

मुख्य महाप्रबंधक की अध्यक्षता वाली टी०ए०सी०	—	65
पी०जी०एम० की अध्यक्षता वाली टी०ए०सी०	—	55
महाप्रबंधक की अध्यक्षता वाली टी०ए०सी०	—	50
टी०डी०एम० की अध्यक्षता वाली टी०ए०सी०	—	40

(अपवादिक परिस्थितियों के तहत सामान्य संख्या 25 प्रतिशत तक तथा इससे अधिक बढ़ सकती है)

3. सदस्यों के नामांकन की पद्धति

दूरसंचार-सर्किलों/टेलीफोन-जिलों के प्रमुख सलाहकार समितियों के लिए संसद-सदस्यों सहित विभिन्न श्रेणियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के नामों की सूची की सिफारिश करते हैं। इस प्रकार, दूरसंचार विभाग में तथा मंत्री (संचार) द्वारा सीधे प्राप्त अन्य नामों के साथ, मुख्य महाप्रबंधकों से प्राप्त सिफारिश शुदा नामों पर विचार किया जाता है। समिति के सदस्यों को जिला-सलाहकार समिति के मामले, में टेलीफोन जिले के भौगोलिक अधिकार-क्षेत्र का तथा राज्य सलाहकार समितियों के मामले में, संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। तथापि, किसी सदस्य पर उस एस०एस०ए०/सर्किल के बाहर निवास करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसका कि वह सदस्य है। परन्तु वह ऐसे किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकता, जो उस टी०ए०सी० विशेष से संबंधित है। जहां तक टी०ए०सी० टेलीफोन का संबंध है, टी०ए०सी० के भौगोलिक अधिकार-क्षेत्र को ध्यान में रखे बिना, सदस्य के अनुरोध पर टेलीफोन उसके वांछित आवास पर प्रदान किया जा सकता है।

4. संसद-सदस्यों के नामांकन संबंधी नीति

तत्कालीन माननीय संचार मंत्री द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि लोक सभा और राज्य सभा, दोनों के सभी संसद-सदस्य किसी न किसी टी०ए०सी० के सदस्य होंगे। इससे पहले, दूरसंचार विभाग द्वारा सूचित रिक्तियों के अनुसार संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा टी०ए०सी० में संसद-सदस्यों को नामित किया जाता था। मौजूदा नीति के अनुसार, सभी मुख्य महाप्रबंधक अपने सर्किल से संबंधित संसद-सदस्यों (लोकसभा/राज्य सभा) के नामों की सूची संबंधित टी०ए०सी० में उनके नामांकन के लिए भेजते हैं। राज्य सभा के संसद-सदस्यों के मामले में मुख्य प्रबंधकों द्वारा उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपनाए गए चुनाव-क्षेत्रों की सूचना भेजें, ताकि उन्हें तदनुसार नामित किया जा सके। तथापि, किसी प्रकार का विलंब होने पर माननीय संसद-सदस्यों (लोक सभा/राज्य सभा) के नामांकन टी०सी०एच०क्यू० से इस शर्त के साथ सीधे भी भेजे जाते हैं कि मौजूदा नियमों के अनुसार माननीय संसद-सदस्यों का नामांकन संशोधन करके अन्य किसी टी०ए०सी० में भेजा जा सकेगा।

टी०ए०सी० के सदस्यों के रूप में नामांकित, माननीय मंत्री संबंधित टी०ए०सी० की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि भेजेंगे। तथापि, टी०ए०सी० के सदस्यों की हैसियत से माननीय मंत्रियों को उपलब्ध कराया गया फोन उनके द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किए जाने पर उन्हीं के पास ही रखा जाएगा। मौजूदा नियमों के अनुसार टी०ए०सी० टेलीफोन माननीय संसद-सदस्य के इच्छित निवास स्थान पर संस्थापित किया जा सकता है।

5. टी०ए०सी० का कार्यकाल और बैठकें

टी०ए०सी० का कार्यकाल आमतौर पर दो वर्ष का है। टी०ए०सी० की बैठकें तीन महीने में एक बार आयोजित की जाती हैं, चाहे नए कनैक्शन जारी किए जाने हैं अथवा नहीं। बैठकों में टेलीफोन सेवा की समस्याओं, विस्तार और विकास-कार्यक्रमों इत्यादि के विचार-विमर्श को उचित महत्व दिया जाता है। दूरसंचार सर्किलों/दूरसंचार जिलों के अध्यक्ष टी०ए०सी० के सदस्यों को सूचना सामग्री काफी पहले से भेज देते हैं, ताकि इन मामलों पर सार्थक विचार-विमर्श सुनिश्चित किया जा सके।

6. टी०ए०सी० का कार्य-क्षेत्र

राज्य स्तरीय टी०ए०सी० के कार्यक्षेत्र में वे केन्द्र नहीं आते जिनके लिए अलग टी०ए०सी० गठित किए जाते हैं, अर्थात् टेलीफोन/दूरसंचार-जिले।

7. टी०ए०सी० के कार्य

सलाहकार समितियों के सदस्यों के कार्य निम्नानुसार हैं :–

(क) दूरसंचार – सेवाओं के निपटान की निगरानी करना और इनके सुधार के लिए विभाग को सुझाव देना;

(ख) टेलीफोन का प्रयोग करने वाली जनता और दूरसंचार विभाग के बीच घनिष्ठ संबंध बनाना;

(ग) जनता को विश्वास दिलाना कि उनकी शिकायतों पर उचित ढंग से ध्यान दिया जा रहा है;

(घ) टेलीफोन – सेवाओं में सुधार और उनके विकास के लिए विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का प्रचार करना;

(ङ) जनता से सहयोग और धैर्य का आह्वान करते हुए टेलीफोन – उपस्कर और लाइनों की कमी से निपटने में विभाग की मदद करना; और

(च) "ओवाईटी" और "गैर-ओवाईटी" विशेष श्रेणियों के अन्तर्गत प्रतीक्षा सूची में दर्ज विभिन्न आवेदकों के तुलनात्मक गुण-दोषों के संयुक्त मूल्यांकन द्वारा उचित व समान आधार पर नियमानुसार बिना बारी कनैक्शन देने के लिए निर्णय लेने में विभाग की मदद करना।

8. टी०ए०सी० – सदस्यों को सुविधाएं

एक टी०ए०सी० सदस्य को उसकी सदस्यता की अवधि के लिए किराया – मुक्त आवासीय सेवा टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किया जाता है बशर्ते उसके नाम के टेलीफोन के प्रति कोई राशि बाकी न हो। इसके अलावा, प्रत्येक टी०ए०सी० – सदस्य को द्विमासिक 1150 मुफ्त टेलीफोन कॉल करने की अनुमति होती है। इसके अतिरिक्त, गैर-विभागीय सदस्य टी०ए०सी० – बैठकों में शामिल होने के लिए परिपत्र सं० 9-1/98-पी०एच०पी०, दिनांक 10.7.2000 के अनुसार, यात्रा-भत्ता/दैनिक भत्ता लेने के हकदार हैं। माननीय संसद-सदस्य नियमानुसार अपनी हकदारी के मुताबिक यात्रा-भत्ता/दैनिक भत्ता ले सकते हैं।

9. टी०ए०सी० – सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति

किसी टी०ए०सी० सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है, यदि वह उस टी०ए०सी० की लगातार तीन बैठकों में शामिल नहीं हो जिसका वह सदस्य है। इसके अतिरिक्त, टी०ए०सी० – अध्यक्ष की इस रिपोर्ट पर सदस्यता समाप्त की जा सकती है कि टी०ए०सी० – सदस्य का व्यवहार इच्छा नहीं है। वह असामाजिक है, वह समाजविरोधी गतिविधियों में लिप्त है, आदि।

बांस की खेती

4353. श्री नागमणि : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार झारखंड राज्य के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में बांस की खेती के लिए परियोजना तैयार करने का है जिससे पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखा जा सके और ग्रामीण और जनजातीय लोगों को आजीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराए जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) दुमका और राँची जिलों में, जो अब झारखण्ड राज्य में हैं, औषधीय पादपों सहित गैर-इमारती वनोत्पाद नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत बांस की खेती हेतु एक परियोजना अनुमोदित एवं स्वीकृत की गई है। 1500 हैक्टेयर क्षेत्र के उपचार हेतु नौंवी योजना के शेष दो वर्षों के लिए इस परियोजना का कुल परिव्यय 102.63 लाख रुपये है। इस परियोजना के अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में 30.00 लाख रुपये की राशि जारी भी की गई है।

[अनुवाद]

कृषि उपयोगी रसायनों का हानिकारक प्रभाव

4354. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उपयोगी रसायनों के हानिकारक प्रभाव सामने आ रहे हैं और सारे विश्व में जैविक उत्पादों के प्रति रुचि दर्शाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिमी देशों में जैविक उत्पादों की मांग पूर्ति से कहीं ज्यादा है और अनुमानित बाजार लगभग 10 बिलियन डालर (44000 करोड़ रुपए) का है;

(ग) क्या सरकार पर्यावरण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त धन के साथ राष्ट्रीय जैविक कृषि आयोग का गठन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो जैविक कृषि को किस प्रकार से बढ़ावा दिए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) 1999-2000 के दौरान, रासायनिक उर्वरकों से पादप पोषक तत्वों की औसत खपत 95.00 कि०ग्रा०/है० रही। इस स्तर तक की खपत का मृदा/फसलों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि सरकार रासायनिक उर्वरकों, जैविक खादों और जैव उर्वरकों के संतुलित और समेकित उपयोग को बढ़ावा देती है ताकि अनुकूलतम परिणाम हासिल किये जा सकें।

रासायनिक कीटनाशियों के संभावित नुकशान से बचाने के लिए किसानों में समेकित कीट प्रबंध की विधियों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा, कीटनाशी अधिनियम 1968 के क्रियान्वयन

से मानव, पशु और पर्यावरण की सुरक्षा के भीतर ही कीटनाशियों का आयात, विनिर्माण, संस्तरण और परिवहन तथा उनका प्रयोग सुनिश्चित किया गया है।

(ख) जैव कृषि की मांग बढ़ती ही जा रही है। हालांकि, जैविक खाद्य पदार्थों की विश्व व्यापी मांग के बारे में अभी तक कोई आंकलन उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सरकार का राष्ट्रीय जैव कृषि आयोग (नेशनल कमीशन आन आर्गेनिक फार्मिंग) गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि सरकार ने जैव कृषि पर एक कार्यबल का गठन किया है जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :–

(I) जैव कृषि से संबंधित सूचनाओं का संकलन जिसमें इस क्षेत्र में सरकार/गैर सरकारी निकायों, स्वायत्तशासी संगठनों, कृषक समूहों, वैयक्तिक किसानों आदि द्वारा किये गये प्रयोग भी शामिल हैं;

(II) जैव कृषि से संबंधित समुचित तकनीक/प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन और प्रचार-प्रसार;

(III) जैव कृषि के बारे में मानक निर्धारण;

(IV) जैव कृषि के विकास और प्रचार प्रसार के लिए अल्पकालिक, मध्यावधिक और दीर्घकालिक उपाय सुझाना;

(V) जैव कृषि उत्पादों के विपणन के लिए उपाय सुझाना;

पूर्वोत्तर राज्यों में डाकघर

4355. श्री भीम दाहाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में डाकघरों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन राज्यों में नए डाकघर खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त डाकघरों के कब तक खुलने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) हालांकि, कोई कमी नहीं है, फिर भी, नेटवर्क का और विस्तार करने के लिए विभाग का इन राज्यों में नए डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) वर्ष 2000-2001 के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में नए डाकघर खोलने के लिए निर्धारित राज्य-वार लक्ष्य निम्नानुसार हैं :–

क्रम सं०	राज्य का नाम	लक्ष्य
1.	अरुणाचल प्रदेश	8
2.	मणिपुर	7
3.	मेघालय	–
4.	मिजोरम	6
5.	नागालैंड	13
6.	त्रिपुरा	8
	कुल	42

(घ) और (ङ) नए डाकघरों का खोला जाना विभागीय मानदंडों के पूरा होने और साथ ही वित्त मंत्रालय से अपेक्षित पत्रों की मंजूरी मिलने पर निर्भर करता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन का किराया

4356. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन का मासिक किराया केवल 25 रु० वसूल करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वन क्षेत्र में वृद्धि

4357. श्री बी०बी०एन० रेड्डी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने वन क्षेत्र को बढ़ाने के कार्य में भारतीय तम्बाकू कम्पनी जैसे उद्योगों को शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूसरे राज्यों में भी वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इन उद्योगों को शामिल करने हेतु क्या कार्रवाई करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार के ध्यान में यह आया है कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने दिनांक 22.9.2000 को एक सरकारी आदेश संख्या 112 जारी किया है जिसमें वन संरक्षण समितियों में अवक्रमित वन क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए उद्योगों को कतिपय शर्तों के साथ शामिल करना सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

(ग) सरकार द्वारा प्रबंधित या नियंत्रित न होने वाली किसी वन भूमि को अथवा उसके किसी भाग को उद्योगों को पट्टे के रूप में देने या अन्यथा सौंपने के लिए सरकार को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अनुसार केन्द्र सरकार का पूर्वानुमोदन लेना अपेक्षित है। इस समय मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मूल उद्देश्य देश की जैव विविधता का संरक्षण करना और ग्रामीणों और जनजाति के लोगों की जलावन लकड़ी, चारा, छोटे वन उत्पाद और छोटी इमारती लकड़ी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। राष्ट्रीय वन नीति का यह भी उद्देश्य है कि उद्योग अपनी कच्ची सामग्री की आवश्यकता को वनेतर परती भूमि पर पौधे लगाकर पूरा करे।

वन भूमि पर पौध लगाने मे उद्योगों को शामिल करने के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार के दिनांक 22.9.2000 के सरकारी आदेश की जांच करने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार से राष्ट्रीय वन नीति, 1998 और अन्य केन्द्रीय अधिनियमों को ध्यान में रखते हुए वन संरक्षण समितियों, उद्योगों और राज्य सरकार के बीच हस्ताक्षर होने वाले त्रिपक्षी करार के ब्यौरे, क्लीकरण के लिए निर्धारित किए गए क्षेत्र, बाई बैक व्यवस्था की प्रद्धति तथा अन्य ब्यौरे मांगे हैं।

[हिन्दी]

राप्ती नदी पर नए पुल का निर्माण

4358. **श्री राजनारायण पासी :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बांसगांव से गोरखपुर के बीच राप्ती नदी पर नए पुल के निर्माण हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है; और

(घ) उक्त पुल का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) शायद माननीय सदस्य राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर गोरखपुर शहर में राप्ती नदी पर एक अतिरिक्त नए दो लेन पुल का निर्माण करने से संबंधित मंत्रालय में प्राप्त प्रस्ताव का उल्लेख कर रहे हैं।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर गोरखपुर शहर में राप्ती नदी पर एक नए पुल का निर्माण करने के संबंध में सर्वेक्षण और जांच के लिए मंत्रालय ने 29.48 लाख रु० का अनुमान पहले ही संस्वीकृत कर दिया है। सर्वेक्षण और जांच का कार्य चल रहा है।

(घ) नए पुल का निर्माण-कार्य पूरा होने का समय बता पाना अभी संभव नहीं है क्योंकि परियोजना अभी सर्वेक्षण और जांच के स्तर पर है।

[अनुवाद]

दूसरे निजामुद्दीन पुल का निर्माण

4359. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान सरकार ने दिल्ली में यमुना नदी पर दूसरे निजामुद्दीन पुल के निर्माण के लिए अनुदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना पर कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) 82.09 करोड़ रु०

[हिन्दी]

भारतीय ओलंपिक संघ को अनुदान

4360. **श्री सुकदेव पासवान :** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ को कितनी अनुदान राशि दी थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान खेलों के संवर्धन और विकास हेतु अन्य स्रोतों से प्राप्त और व्यय की गई राशि सहित भारतीय ओलंपिक संघ के बजट का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वार्षिक बजट में से भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारियों द्वारा अपने स्थानीय और विदेशी दौरों पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(घ) भारतीय ओलंपिक संघ के आय और व्यय के नियंत्रण में उनके मंत्रालय की क्या भूमिका है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय ओलंपिक संघ को निम्नलिखित राशि दी गई थी :–

1997-98	7,89,676.00 रुपये
1998-99	1,92,17,426.00 रुपये
1999-2000	84,10,751.00 रुपये

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) भारतीय ओलंपिक संघ, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्तशासी संगठन है तथा सोसायटी के रजिस्ट्रार

उनके लेखों की जांच कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व महानिदेशालय भी उनके लेखों की लेखा-परीक्षा करता है।

[अनुवाद]

अधिक राशि के टैलीफोन बिल

4361. **श्री राजेश वर्मा : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान चाणक्यपुरी टेलीफोन केन्द्र के लक्ष्मीबाई नगर क्षेत्र में उपभोक्ताओं को अधिक राशि के बिल प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शिकायत दूर करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी नहीं, तथापि पिछले तीन माह में अधिक राशि के बिल बनाने संबंधी चार शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस प्रकार की शिकायतों की जांच की जाती है और जिन वास्तविक मामलों में तकनीकी दोष आदि पाये जाते हैं, उनमें छूट प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

परिष्कृत बीजों का विकास

4362. **श्री तूफानी सरोज : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के परमाणु अनुसंधान केन्द्रों में परिष्कृत बीजों के विकास से संबंधित अनुसंधान कार्य भी चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य किन-किन केन्द्रों में किया जा रहा है;

(ग) इन केन्द्रों द्वारा विकसित परिष्कृत बीजों की किस्मों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन केन्द्रों द्वारा विकसित बीजों को पेटेन्ट भी करा लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) केवल ट्राम्बे, मुम्बई में स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में बीजों पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

(ग) व्यापारिक खेती के लिए निर्मुक्त फसलों की किस्में संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

फसल	किस्म	निर्मुक्त करने का वर्ष
उड़द	टी०ए०यू०-1	1985
	टी०ए०यू०-2	1992
	टी०पी०यू०-4	1992
	टी०यू०-94-2	1999
मूंग	टी०ए०पी०-7	1983
	टी०ए०आर०एम०-2	1992
	टी०ए०आर०एम०-1	1995
	टी०ए०आर०एम०-18	1995
अरहर	टी०टी०-6 (ट्राम्बे – विशाखा-1)	1983
	टी०ए०टी०-10	1985
मूंगफली	टी०जी०-1	1973
	टी०जी०-17	1985
	टी०जी०-3	1987
	टी०जी०एस०-1	1989
	टी०ए०जी०-24	1991
	टी०जी०-22	1992
	टी०के०जी०-19ए	1994
	टी०जी०-26	1995
सरसों	टी०एम०-2 (काला बीज)	1987
	टी०एम०-4 (पीला बीज)	1987
चावल	हरी	1988
पटसन	टी०ए०जे-40	1983

[अनुवाद]

मुफ्त टेलीफोन सुविधा

4363. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के विभिन्न भागों और हरियाणा में गुड़गांव में रहने वाले उनके मंत्रालय के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को मुफ्त टेलीफोन सुविधा से वंचित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त क्षेत्रों के प्रभावित व्यक्तियों को यह सुविधा देकर विषमता दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश की लम्बित परियोजनाएं

4364. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राहत कार्यों में वृद्धि करने हेतु 579 करोड़ रु० की केन्द्रीय राहत राशि के प्रावधान सहित कृषि क्षेत्र से संबंधित आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत कई परियोजनाएं काफी समय से केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति दी जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) वर्ष 2000-01 के दौरान, आंध्र प्रदेश सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए 776.75 करोड़ रु० की सहायता हेतु एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। वर्ष 2000-01 के लिए केन्द्रीय हिस्से की आपदा राहत निधि का पूर्ण अंश पहले ही निर्मुक्त किया जा चुका है ताकि राज्य प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ के आने पर तुरन्त राहत उपाय कर सके।

विद्युत शुल्क दर में अन्तर

4365. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय निजी क्षेत्र में कार्य कर रही विद्युत उत्पादन इकाईयों का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार प्रत्येक इकाई द्वारा किए गए निवेश के मुकाबले आकलित विद्युत उत्पादन क्षमता और उत्पादन लागत क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में और अधिक इकाईयों की स्थापना की अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो स्थल चयन के आधार सहित राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन इकाइयों द्वारा विद्युत आपूर्ति की शुल्क दर निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकारी क्षेत्र की इकाईयों द्वारा विद्युत की दर में क्या अंतर है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त उन 10 निजी विद्युत क्षेत्र परियोजनाओं के ब्यौरे, जिन्हें चालू कर दिया गया है, संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) उपर्युक्त विद्युत परियोजनाओं के लिए सी०ई०ए० द्वारा स्वीकृत विद्युत उत्पादन क्षमता एवं निवेश उपर्युक्त संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त "क" के अंतर्गत उल्लिखित 10 परियोजनाओं के अलावा सी०ई०ए० ने 47 अन्य विद्युत परियोजनाओं को भी तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की है, जिन्हें अभी चालू नहीं किया गया है। इन 47, परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है। स्थल का चयन सामान्यत: संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत बोर्ड (एस०ई०बी०) द्वारा किया जाता है। वहरहाल स्थल उपयुक्तता, कम से कम लागत विकल्प अध्ययन, संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र आदि में अनुमानित भार विकास पर आधारित मांग आपूर्ति के बारे में सफलतापूर्वक अध्ययन के पश्चात् सी०ई०ए० द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ङ) और (च) इन परियोजनाओं द्वारा की जा रही विद्युत की वास्तविक बिक्री दर अन्तिम पूर्णता लागत, पिलिमय दर तथा प्रवर्तक एवं राज्य विद्युत बोर्ड/राज्य विद्युत उत्पादन निगम के बीच हुए विद्युत क्रय समझौते में निहित नियमों एवं शर्तों पर निर्भर करती है। हालांकि अनुमोदित अनुमानित पूंजीगत लागत, अनंतिम वित्तीय पैकेज, विनिमय दर एवं तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान करते समय भारत सरकार के मानदण्डों के आधार पर सी०ई०ए० द्वारा स्वीकृत निजी क्षेत्र परियोजनाओं के लिए सांकेतिक निर्धारित वृद्धि (12 प्रतिशत की रियायत दर तथा 68.49 प्रतिशत के संयंत्र भार घटक पर) को उपर्युक्त उल्लिखित विवरण-I एवं II में बताया गया है। निजी क्षेत्र से विद्युत उत्पादन की अनुमानित लागत समान परिस्थितियों के अंतर्गत वही होती है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे ही विद्युत उत्पादन यूनिटों की है। सी०ई०ए० द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में स्वीकृत कुछ विद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन की अनुमानित लागत संलग्न विवरण-III में दर्शाई गई है।

विवरण-I

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्राप्त ऐसी निजी विद्युत परियोजनाएं जिन्हें पूर्ण रूपेण चालू कर दिया गया है

क्र० सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)	अनुमानित पूर्णता लागत, आई०डी०सी० सहित	निदेशात्मक समतलीकृत टैरिफ रु०/कि०वा०घं० (12% डिस्काउंट दर तथा 68.49% पी०एल०एफ०)
गुजरात				
1.	पगुथन सी०सी०जी०टी० (मै० गुजरात पावर जेन एनर्जी कार्पोरेशन लि०)	654.7	रु० 2298.14 करोड़	2.33
2.	हजिरा सी०सी०जी०टी० (मै० एस्सार पावर लि०)	515.0	रु० 1666.56 करोड़	2.18
3.	बड़ौदा सी०सी०जी०टी० (मै० गुजरात इंडिस्ट्रिज पावर कार्पोरेशन लि०)	167.0	रु० 368.22 करोड़	2.47
4.	सुरत लिग्नाइट टी०पी०पी० (मै० गुजरात इंडिस्ट्रिज पावर कार्पोरेशन लि०)	250.0	44.538 मिलियन अमेरिका डालर + 4.92 मिलियन एमडी + 999.99 करोड़ रु०	2.40
महाराष्ट्र				
5.	डाभोल सी०सी०जी०टी०-चरण-I (मै० डाभोल पावर कंपनी)	740	2828.54 मिलियन अमेरिकन डालर	2.86*
आन्ध्र प्रदेश				
6.	जगरुपाडु सी०सी०जी०टी० (मै० जी०वी०के० इन्डस्ट्रिज लि०)	216	827 करोड़ रु०	2.22
7.	गोदावरी सी०सी०जी०टी० (मै० स्पैक्ट्रम पावर जेनरेशन लि०)	208	748.43 करोड़ रु०	1.98
8.	कोंडापल्ली सी०सी०जी०टी० (मै० लेनको कोंडापल्ली पावर कार्पोरेशन	350	180.616 मिलियन अमेरिकन डालर + 385.254 करोड़ रु०	2.46
कर्नाटक				
9.	तोरांगल्लू टी०पी०एस० (मै० जिन्दल ट्रैक्टेवल पावर कंपनी लि०)	260	1093.88 करोड़ रु०	2.60
तमिलनाडु				
10.	बेसिन ब्रिज डी०जी०पी०पी० (मै० जी०एम०आर० वासवी पावर कार्पोरेशन लि०)	200	125.82 मिलियन अमेरिकन डालर + 328.99 करोड़ रु०	2.52

*फेस-II भी शामिल है, जिसे अभी तक स्थापित नहीं किया गया है।

एम० = मिलियन

सी०आर० = करोड़

पी०एल०एफ० = संयंत्र भार घटक

आई०डी०सी० = निर्माण दौरान ब्याज।

विवरण-II

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्राप्त ऐसी निजी विद्युत परियोजनाएं जिन्हें पूर्ण रूपेण चालू कर दिया गया है

क्र० सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)	अनुमानित पूर्णता लागत, आई०डी०सी० सहित	निदेशात्मक समतलीकृत टैरिफ रु०/कि०वा०घं० (12% डिस्काउंट दर तथा 68.49% पी०एल०एफ०)
1	2	3	4	5
हिमाचल प्रदेश				
1.	बासपा चरण-II एच०ई०पी० (मै० जे०पी०आई० एल०)	300	949.23 करोड़ रु०	1.35
2	भाखाना एच०ई०पी० राज० स्पिनिंग एवं वेविंग मिल्स लि०)	86	341.911 करोड़ रु०	1.96
उत्तर प्रदेश				
3.	विष्णुप्रयाग एच०ई०पी० (मै० जे०पी०आई०एल०)	400	107.35 मिलियन अमेरिकन डालर + 1233.57 करोड़ रु०	1.34
4.	रोजा टी०पी०पी० (मै० इंडो गल्फ फर्टिलाइजर)	567	280.726 मिलियन अमेरिकन डालर + 1435.528 करोड़ रु०	2.12
5.	श्रीनगर एच०ई०पी० (मै० डंकन्स नॉर्थ हाइड्रो पावर कं०लि०)	330	95.054 मिलियन अमेरिकन डालर + 1299.89 करोड़ रु०	2.28
राजस्थान				
6.	धौलपुर सी०सी०जी०टी० (मै० आर०पी०जी० धौलपुर पावर क० लि०)	702.7	364.29 मिलियन अमेरिकन डालर + 855.133 करोड़ रु०	2.63
7.	वरसिंहपुर टी०पी०पी० (मै० हिन्दुस्तान विद्युत कार्पोरेशन लि०)	500	322.716 मिलियन अमेरिकन डालर + 1090 करोड़ रु०	2.09
मध्य प्रदेश				
8.	महेश्वर एच०ई०पी० (मै० एस० कुमार लिमिटेड)	400	213.29 मिलियन अमेरिकन डालर + 812.09 करोड़ रु०	3.51
9.	कोरबा (पूर्व) टी०पी०पी० (मै० डेबू पावर)	1070	863.95 मिलियन अमेरिकन डालर + 1623.05 करोड़ रु०	2.01
10.	बीना टी०पी०पी० (मै० बीना पावर सप्लाई कं० लि०)	578	175.412 मिलियन अमेरिकन डालर + 1820 करोड़ रु०	2.36
11.	नरसिंहपुर सी०सी०पी०पी० (मै० जी०बी०एल० पावर)	166	77.74 मिलियन अमेरिकन डालर + 253.697 करोड़ रु०	2.60

1	2	3	4	5
12.	कोरबा (पूर्व) विस्तार (मै० आई०टी०पी०एल०)	420	164.643 मिलियन अमेरिकन डालर + 169.730 डी०एम०* 834.351 करोड़ रु०	2.13
13.	गुना सी०सी०जी०टी० (मैसर्स एस०टी०आई० पावर इंडिया लि०)	330	152.37 मिलियन अमेरिकन डालर + 484.86 करोड़ रु०	2.43
14.	पेंच टी०पी०पी० (मै० पेंच पावर लि०)	500	284.908 मिलियन अमेरिकन डालर + 1172.155 करोड़ रु०	2.23
15.	भिलाई टी०पी०पी० (मै० भिलाई पावर सप्लाई कं०)	574	419.699 मिलियन अमेरिकन डालर + 999.781 करोड़ रु०	2.23
16.	रायगढ़ टी०पी०पी० (मै० जिंदल पावर लि०)	550	85.176 मिलियन अमेरिकन डालर + 240.676 मिलियन डी०ई०एम० + 1628.075 करोड़ रु०	1.98
17.	भाडेंर सी०सी०जी०टी० (मै० भाडेर पावर लि०)	342	197.622 मिलियन अमेरिकन डालर + 346.514 करोड़ रु०	2.54
18.	पीठमपुर डी०जी०पी०पी० (मै० शपूरजी पलोनजी पावर कं० लि०)	119.7	68.729 मिलियन अमेरिकन डालर + 174.053 करोड़ रु०	3.58
19.	रतलाम डी०जी०पी०पी० (मै० जी०वी०के० पावर (रतलाम) लि०)	118.63	73.88 मिलियन अमेरिकन डालर + 163.162 करोड़ रु०	3.61
20.	खण्डवा सी०सी०जी०टी० (मै० मध्य भारत एनर्जी कं० कार्पोरेशन लि०)	171.17	76.0345 मिलियन अमेरिकन डालर + 250.3315 करोड़ रु०	2.80
21.	जामनगर टी०पी०पी० (मै० रिलायंस पावर लि०)	500.0	434.36 मिलियन अमेरिकन डालर + 726.429 करोड़ रु०	2.40
	महाराष्ट्र			
22.	भद्रावती टी०पी०एस० (मै० सेंटल इंडिया पावर)	1072	5187 करोड़ रु०	2.66
23.	पातालगंगा सी०सी०जी०टी० (मै० रिलायंस पातालगंगा विद्युत)	447.1	319.02 मिलियन अमेरिकन डालर + 246.66 करोड़ रु०	2.51
	आन्ध्र प्रदेश			
24.	बिंजाग टी०पी०एस० (मै० एच०एन०पी०सी०एल०)	1040	943.75 मिलियन अमेरिकन डालर + 1324.993 करोड़ रु०	2.09
25.	रामागुंडम विस्तार (मै० बी०पी०एल० ग्रुप)	520	369.3 मिलियन अमेरिकन डालर + 1073.56 करोड़ रु०	2.01
26.	कृष्णापट्टनम वी०टी०पी०पी० (बी०बी०आई० पावर कृष्णापट्टनम कंपनी)	520	355.131 मिलियन अमेरिकन डालर + 960.614 करोड़ रु०	2.25
27.	विमार्गिरि सी०सी०जी०टी० (इस्पात पावर लि०)	492	248.02 मिलियन अमेरिकन डालर + 638.223 करोड़ रु०	2.56

1	2	3	4	5
	कर्नाटक			
28.	मंगलौर टी०पी०एस० (मै० कोर्जेट्रिक्स)	1013.2	751.574 मिलियन अमेरिकन डालर + 1580.89 करोड़ रु०	2.29
29.	नागार्जुन टी०पी०पी० (मै० नागार्जुन पावर कार्पोरेशन लि०)	1015	273.795 मिलियन अमेरिकन डालर + 277.4 मिलियन जी०बी०पी० + 907.19 मिलियन एफ०एफ०आर० + 1792.685 करोड़ रु०	2.65
30.	बंगलौर सी०सी०पी०पी० (मै० पीनया पावर)	107.6	56.577 मिलियन अमेरिकन डालर + 152.969 करोड़ रु०	3.32
	तमिलनाडु			
31.	नवैली टी०पी०एस० जीरो यूनिट (मै० एस० टी०सी०एम०एस०)	250	261.59 मिलियन अमेरिकन डालर + 501.10 करोड़ रु०	2.72
32.	पिलईपरलूमलल्लूर सी०सी०जी०टी० (मै० पी० पी०एन० पावर)	330.5	206.549 मिलियन अमेरिकन डालर + 429.8 करोड़ रु०	2.12
33.	नार्थ मद्रास टी०पी०एस०-II (मै० विडियोकॉन पावर)	1050	585.96 मिलियन अमेरिकन डालर + 2402.24 करोड़ रु०	2.47
34.	तूतिकोरिन टी०पी०पी० चरण-IV (मै० एस० पी०आइ०सी०)	525	321.779 मिलियन अमेरिकन डालर + 45.893 मिलियन डी०ई०एम० + 875.389 करोड़ रु०	2.46
35.	सभायानल्लूर डी०जी०पी०पी० (मै० बालाजी पावर कार्पोरेशन लि०)	106	59.840 मिलियन अमेरिकन डालर + 150.845 करोड़ रु०	3.09
36.	सामलपट्टी डी०जी०पी०पी० (मै० सामलपट्टी पावर लि०)	106	61.222 मिलियन अमेरिकन डालर + 153.098 करोड़ रु०	3.33
37.	नार्थ मद्रास टी०पी०पी० (मै० त्रि शक्ति एनर्जी प्राइवेट लि०)	525	147.915 मिलियन अमेरिकन डालर + 122.927 मिलियन जी०बी०पी० + 458.023 मिलियन एफ०एफ०आर० + 2036.501 करोड़ रु०	2.38
38.	कुडडालोर टी०पी०पी० (मै० कुडडालौर पावर कंपनी)	1320	488.193 मिलियन अमेरिकन डालर + 203.922 मिलियन जी०बी०पी० + 1258.811 मिलियन एफ०एफ०आर० + 2036.501 करोड़ रु०	2.43
39.	वेम्बर सी०सी०जी०टी० (मै० इंडियन पावर प्रोजेक्ट)	1873	694.94 मिलियन अमेरिकन डालर + 2106 करोड़ रु०	2.35

1	2	3	4	5
	केरल			
40.	विग्गीन सी०सी०जी०टी० (मै० सियासिन एनर्जी प्रा०लि०)	679.2	6.90 मिलियन अमेरिकन डालर + 439.84 मिलियन एस०एफ०आर० + 771.475 करोड़ रु०	2.29
41.	कन्नूर सी०सी०जी०टी० (मै० कन्नूर पावर प्रोजेक्ट)	513	210.010 मिलियन अमेरिकन डालर + 587.91 करोड़ रु०	3.91
	उड़ीसा			
42.	इब वैली टी०पी०एस० (यूनिट 5 एवं 6) ए०ई०एस० इब वैली कार्पोरेशन	500	326.02 मिलियन अमेरिकन डालर + 983.90 करोड़ रु०	2.02
43.	डुबरी टी०पी०पी० यूनिट 1 व 2 कंलिंग पावर कार्पोरेशन	500	313.596 मिलियन अमेरिकन डालर + 952.83 करोड़ रु०	2.02
	पश्चिम बंगाल			
44.	बालागढ़ टी०पी०एस० (मै० बालागढ़ पावर कं०)	500	227.96 मिलियन अमेरिकन डालर + 1517.02 करोड़ रु०	2.41
45.	बक्रेश्वर टी०पी०पी० (मै० बक्रेश्वर पावर जेनरेशन कं० लि०)	420	23.400 मिलियन अमेरिकन डालर + जे० यून 20544.27 मिलियन + 925.157 करोड़ रु०	2.31
46.	गौरीपुर टी०पी०पी० (गौरीपुर पावर कं०)	150	28.07 मिलियन अमेरिकन डालर + 548.566 करोड़ रु०	2.20
	बिहार			
47.	जोंजोवीरा टी०पी०पी० (मै० जमशेद पुर पावर कं०)	240	1025.19 करोड़ रु०	2.22

*(आंशिक रूप से स्थापित 120 मे०वा०)

एम० = मिलियन

सी०आर० = करोड़

पी०एल०एफ० = संयंत्र भार घटक

आई०डी०सी० = निर्माण दौरान ब्याज।

विवरण-III

1998-99 के दौरान के०वि०प्रा० द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दी गई ऐसी निजी क्षेत्रों के स्कीमों का विवरण

ताप स्कीमें

क्र० सं०	स्कीमों का नाम/राज्य निष्पादित एजेंसी	अधिष्ठापित क्षमता (मे०वा०)	अनुमानित लागत	के०वि०प्रा० द्वारा स्वीकृति तारीख	लेवेलाइज टैरिफ (रु०/कि०वा०घं०)
1	2	3	4	5	6
1.	कवास सी०सी०जी०टी०-चरण-II, गुजरात (एन०टी०पी०सी०)	650	यू०एस० डालर 226.87 एम० + 734.96 करोड़ रु०	1.5.98 एंड 13.8.1998	2.88

1	2	3	4	5	6
2.	अंता-II सी०सी०जी०टी०, राजस्थान (एन०टी०पी०सी०)	650	यू०एस० डालर 226.89 एम + 794.17 करोड़ रु०	21.5.98 एवं 13.8.98	2.94
3.	गांधीनगर टी०पी०एस०-यूनिट-5, गुजरात (मै० जी०एस०ई०सी०एल०)	1x210=210	643.65 करोड़ रुपये	29.5.1998	2.26
4.	औरैया सी०सी०जी०टी०-चरण-II, उत्तर प्रदेश (एन०टी०पी०सी०)	650	यू०एस० डालर 243.844 एम० + 857.622 करोड़ रु०	28.9.1998	3.02
5.	झानोर गांधार सी०सी०जी०टी०-चरण-II, गुजरात, (एन०टी०पी०सी०)	650	यू०एस० डालर 243.62 एम० + 845.113 करोड़ रु०		
6.	रामागुंडम टी०पी०पी०, आंध्र प्रदेश (एन०टी०पी०सी०)	1x500=500	यू०एस० डालर 185.020 एम० + 1284.265 करोड़ रु०	18.11.1998	2.05
हाइड्रो स्कीमें					
7.	चमेरा एच०ई०पी०-चरण-II हिमाचल प्रदेश (एन०एच०पी०सी०)	3x100=300	यू०एस० डालर 2.79 एम० + 1304.59 करोड़ रु० + डी०एम० 21.53 एम०	27.5.1998 (174वां) 23.7.1998	2.88
8.	लोकटक डाउनस्ट्रीम एच०ई०पी०, मणिपुर (एन०टी०पी०सी०)	3x30=90	667.46 करोड़ रुपये	28.8.1998	3.87
9.	तीस्ता एच०ई०पी०-चरण-सिक्किम (एन०टी०पी०सी०)	3x170=570	सी०एच०एफ० 16.804 एम० + 2523.56 करोड़ रु०	9.9.1998	2.14
10.	तुईवई एच०ई०पी०, मिजोरम, (नीमको)	3x70=210	1258.84 करोड़ रुपये	17.11.1998	2.51

बेसिक टेलीकॉम ऑपरेटर

4366. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बेसिक टेलीकॉम आपरेटरों से कोई मांगें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। मौजूदा बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रचालकों ने यह अनुरोध किया है कि उनके साथ एन०टी०पी०-99 के अंतर्गत लाइसेंस दिए जाने वाले भावी प्रचालकों के समकक्ष व्यवहार किया जाए और यह अनुरोध किया है कि उपभोक्ता एक्सेस नेटवर्क में "वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यू०एल०एल०)" के उनके उपभोक्ताओं द्वारा सीमित गतिशीलता के लिए हाथ में पकड़े जाने वाले सैटों का उपयोग करने की अनुमति दी जाए।

(ग) सरकार ने छः सर्किलों सहित सभी दूरसंचार सर्किलों में, जहां निजी बुनियादी टेलीफोन सेवा लाइसेंस धारी पहले से ही विद्यमान हैं, बुनियादी टेलीफोन सेवा की व्यवस्था करने के लिए अप्रतिबंधित खुले प्रवेश की घोषणा पहले ही कर दी है। जहां तक स्थिर बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं द्वारा सीमित गतिशीलता के लिए हाथ में पकड़े जाने वाले सैटों के उपयोग की अनुमति जारी करने का संबंध है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी०आर०ए०आई०) से इस मामले पर सिफारिश करने के लिए कहा गया है। टी०आर०ए०आई० ने इस विषय पर परामर्श-पत्र जारी करने के पश्चात् दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई में खुले सत्रों (ओपन हाउस सेशन) का आयोजन किया है।

जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना से विस्थापित लोगों का पुनर्वास

4367. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना से विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास हेतु एक राष्ट्रीय नीति बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस राष्ट्रीय नीति की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) नीति को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) अगस्त, 1998 में सरकार द्वारा अनुमोदित जल विद्युत विकास की नीति के शर्तों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए भूमि (सरकार/निजी/वन) प्राप्त करने तथा राज्य सरकारों द्वारा अपनाये गयी नीति के अनुसार भू-स्वामित्वों के साथ शर्तों के अधीन विचार विमर्श करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होगी। पुन: नीति के अनुसार पुनर्वास और पुनर्स्थापना से संबंधित सभी मामले, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजनाओं से संबद्ध है, उन्हें राज्य सरकारों द्वारा देखा जाना है। परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय एक राष्ट्रीय नीति तैयार कर रहा है।

प्रदूषणकारी उद्योग

4368. श्री शिवाजी माने : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदूषणकारी उद्योगों को सील किए जाने के मामले में मई, 2000 के दौरान नांगलोई-नजफगढ़ रोड़ पर रनहोला गांव स्थित हिन्दुस्तान सर्विस स्टेशन सहित कुछ आटोमोबाइल सर्विस स्टेशन को भी सील किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या मई, 2000 के दौरान सील किए गए सर्विस स्टेशनों को कुछ औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जुलाई-अगस्त, में खोल दिया गया था और इस संबंध में उक्त स्टेशन मालिकों को प्रमाणपत्र दिए गए थे;

(घ) यदि हां, तो क्या इन सर्विस स्टेशनों को गैर-प्रदूषणकारी प्रामणपत्र के बावजूद इस वर्ष नवम्बर में फिर सील कर दिया गया;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन इकाइयों को फिर से सील करने की शक्ति प्राप्त प्राधिकारी कौन हैं; और

(च) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि गैर-प्रदूषणकारी इकाइयों को प्रदूषणकारी उद्योगों के नाम पर परेशान न किया जाए ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (च) संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

टेलीफोन बिलों का भुगतान न किया जाना

4369. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में ऐसे कितने व्यक्तियों का पता चला है जिन्होंने पिछले कनेक्शन कटे टेलीफोन के बिलों का भुगतान न करके उसी पते पर दूसरा टेलीफोन ले लिया है;

(ख) क्या पिछले टेलीफोन के बिलों का भुगतान न करके उसी पते पर नया टेलीफोन लेना सम्भव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) एम०टी०एन०एल०, नई दिल्ली में नौ मामले प्रकाश में आए हैं।

(ख) और (ग) टेलीफोन नियमों के तहत इसकी अनुमति नहीं है। तथापि, यदि उपभोक्ता बकाया बिलों से संबंधित तथ्यों को छुपाता है और उसका पता भी नहीं चल पाता है तो उस स्थिति में वह नियमों के विरुद्ध जाकर दूसरा टेलीफोन संस्थापित करवा सकता है।

(घ) कोई कर्मचारी इसमें संलिप्त नहीं पाया गया है। तथापि, संबंधित उपभोक्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

बकाया शुल्क की वसूली

4370. श्री राधा मोहन सिंह :
श्री चन्द्र भूषण सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सेकण्डरी स्विचिंग एरियाज (एस०एस०ए०) द्वारा दूरसंचार सर्किलों और विदेशी मिशनों से किराए और गैर बिलिंग लाइसेंस शुल्क की वसूली नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामले प्रकाश में आए;

(ग) इसमें कितनी धनराशि शामिल है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कल्याण में टेलीफोन तार का फिटिंग संबंधी कार्य

4371. डॉ० बलिराम : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र दूरसंचार विभाग ने कल्याण जिले में टेलीफोन की तारों को लगाने का काम पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) (I) वर्ष 1999-2000 के दौरान 68000 लाइनों के लिए टेलीफोन वायर की फिटिंग का काम पूरा हो गया है।

(II) 15,000 लाइनों के लिए टेलीफोन वायर की फिटिंग का काम पूरा हो गया हैं तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान 50,000 लाइनों का काम चल रहा है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में वेतनमान

4372. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को निगम के नियमानुसार वेतनमान नहीं दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वेतनमानों की समीक्षा हेतु कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समिति कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) विभिन्न समूह ''ग'' और ''घ'' कर्मचारियों को उनके 1.11.98 से एम०टी०एन०एल० में आमेलित होने के बाद उन्हें निगम के नियमों के अनुसार वेतनमान प्रदान किए गए हैं। समूह ''क'' और ''ख'' अधिकारियों सहित कुछ अन्य संवर्गों के आमेलन की प्रक्रिया चल रही है तथा आमेलन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके वेतनमानों को निगम के वेतनमानों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इसी बीच इन कर्मचारियों को तदर्थ राशि प्रदान की गई है।

(ख) आमेलित किए जाने वाले समूह ''क'' और ''ख'' अधिकारियों की संख्या लगभग 10,533 है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

नारियल उत्पादन

4373. श्री पी०सी० थामस : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग ने नारियल की उत्पादन लागत के अध्ययन हेतु कोई दल भेजा है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में आयोग द्वारा आकलित नारियल उत्पादन लागत क्या है;

(ग) खोपरा/नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या नारियल के अगले मौसम से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो यह कब तक कर लिया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार किसानों के लिए पिछले वर्ष घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य लाने में सफल रही है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां। कृषि लागत और मूल्य आयोग के एक दल ने 2001 मौसम में खोपरे के लिए नीति विषयक मुद्दे पर विचार-विमर्श हेतु नवम्बर, 2000 में केरल तथा तमिलनाडु का दौरा किया।

(ख) आदर्श उपज तथा वास्तविक ब्याज दर के आधार पर कृषि लागत और मूल्य आयोग ने नारियल की उत्पादन लागत केरल में 3.73 रुपये प्रति नारियल तथा कर्नाटक में 2.52 रुपये प्रति नारियल मानी है।

(ग) से (ङ) 2001 मौसम के लिए खोपरे/नारियल की मूल्य नीति पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

(च) और (छ) नारियल के उत्पादन में वृद्धि तथा खाद्य तेल की कीमत में कमी के कारण वर्ष 2000 मौसम के दौरान मिलिंग खोपरे के बाजार मूल्य कम रहे। तथापि नारियल उत्पादकों के हितों की रक्षा अन्य तरीकों के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० (नेफेड) के मूल्य सहायता प्रचालनों के माध्यम से की जाती है। दिनांक 13.12.2000 तक नेफेड द्वारा कुल 160775 मीटरी टन मिलिंग खोपरे की खरीद की गई। खरीद का कार्य अभी चल रहा है।

मैंगलोर पावर कम्पनी द्वारा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना

4374. श्री कोलूर बसवनागौड़ : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सरकार को मेंगलौर पावर कम्पनी द्वारा स्थापित की जाने वाली ताप विद्युत परियोजना के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में विशेषज्ञ निकायों द्वारा दी गई रिपोर्टों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) 1997 की रिट याचिका 790 में उच्च न्यायालय, कर्नाटक ने दिनांक 29 अगस्त, 1997 के अपने निर्णय में निम्नलिखित टिप्पणी दी है :–

"परिणाम में, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि याचिकादाताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों में से किसी भी आपत्ति से कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी को रद्द करने की पुष्टि नहीं होती है। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अब कुछ सामग्री उपलब्ध है और उसे संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में नहीं लाया जा सका और परियोजना चालू होने के प्रारंभिक चरणों में है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि परियोजना के संबंध में डानिडा, नीरी की रिपोर्ट और श्री सागरधारा द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखा जाए। वह वहन क्षमता अध्ययन के अभाव की आलोचना और इसके प्रभाव को ध्यान में रखेगा ताकि यह मालूम किया जा सके कि क्या इस प्रकार की सूचना ऐसी है कि 7वें प्रतिवादी द्वारा की गई कार्रवाई से मानव जीवन या पर्यावरण पर उस व्यापक तरीके या सीमा तक प्रभाव जिस पर उनके द्वारा पहले विचार नहीं किया गया और उससे पैदा होने वाले मामले विनिश्चित होंगे। इस प्रकार की कार्रवाई आज से तीन माह की अवधि के अन्दर की जायेगी। यदि याचिका-दाता अथवा अन्य इच्छुक पार्टी चाहे तो वे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को उसके विचारार्थ उपयुक्त अभ्यावेदन भिजवा सकते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जब तक मौखिक सुनवाई जरूरी न समझे, इसे याचिका-दाताओं या किसी अन्य पार्टी पर लागू करने की आवश्यकता नहीं है। इन निर्देशों के अध्यधीन इन याचिकाओं को खारिज़ माना जाए।"

(ख) और (ग) न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, डानिडा, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी) तथा सागर-धारा रिपोर्टों पर कार्रवाई की गई थी और न्यायालय की अवमानना मामला संख्या 434/1999 में जुलाई, 1999 में एक हलफनामा दायर किया गया था। इस मामले को 24 अक्तूबर, 2000 को खारिज़ कर दिया गया था।

[हिन्दी]

दूरसंचार सेवा हेतु निविदा

4375. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार में दूरसंचार सेवाओं के लिए कोई निविदा आमंत्रित की है;

(ख) यदि हां, तो 1996 से अब तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की है;

(घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(ङ) अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा;

(च) क्या नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कोई टिप्पणियां की हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ङ) वर्ष 1996 में उत्तर प्रदेश (पूर्व) और बिहार सर्किलों में बुनियादी टेलीफोन सेवाओं के लाइसेंस प्रदान करने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थी। हालांकि उत्तर प्रदेश (पूर्व) के लिए बोलियां प्राप्त नहीं हुई थीं, बिहार के लिए सरकार को बोलियां प्राप्त हुई थीं और बिहार सर्किल के लिए मैसर्स टैक्नो टेलीकॉम लिमिटेड को आशय-पत्र (एल०ओ०आई०) जारी किया गया था। तथापि, एल०ओ०आई० की शर्तें पूरा न कर पाने के कारण उसे निरस्त किया गया।

(च) और (छ) अपेक्षित सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

लंबी दूरी की दूरसंचार सेवाएं

4376. श्री रामशकल :
श्री पुन्नू लाल मोहले :
श्री के० येरननायडू :
श्री अन्ना साहेब एम०के० पाटील :
श्री उत्तमराव ढिकले :
श्री ए० ब्रह्मनैया :
श्री जय प्रकाश :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने एस०टी०डी० काल से संबंधित नियमों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टेलीफोन ग्राहकों को शाम 7 से 8 बजे के बीच एस०टी०डी० कॉल के लिए ज्यादा भुगतान करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं/एस०टी०डी० सेवाओं के निजीकरण के बाद भारत संचार निगम लि० को जितना घाटा हुआ है; और

(च) इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य में प्राधिकृत निजी कंपनियां कौन-कौन सी हैं जिन्होंने कार्य आरंभ कर दिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) विभाग एस०टी०डी० कॉल प्रभारों को उत्तरोत्तर रूप से कम कर रहा है। 1.5.99 से प्रभावी पहले चरण में एस०टी०डी० प्रभारों को औसतन 23% तक कम किया गया और 1.10.2000 से प्रभावी दूसरे चरण में इन दरों को औसतन 13 प्रतिशत तक और कम कर दिया गया। इससे दरों में कुल मिलाकर लगभग 36% कमी हुई है। इसके अलावा, विभाग एक दिन में 13 घंटों की अवधि के लिए "ऑफ-पीक" दरें उपलब्ध करा रहा है। ये "ऑफ-पीक" दरें पीक दरों की अपेक्षा 45% से 75% तक कम हैं।

(ग) और (घ) नेटवर्क क्षमता का इष्टतम स्तर तक प्रयोग करने के लिए सायं 7.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक की अवधि, जो पहले ऑफ-पीक (रियायती दर) टैरिफ स्लैब में थी, को पीक टाइम (पूरी दर) टैरिफ स्लैब में परिवर्तित कर दिया है और साथ-ही प्रात: 8.00 बजे से प्रात: 9.00 बजे तक की पीक-समय अवधि को ऑफ-पीक अवधि में परिवर्तित करके पूर्व प्रचलित पूरी दरों को कम करके लगभग आधी दरें कर दी गई हैं। 11 घंटे पीक समय और 13 घंटे ऑफ-पीक समय प्रदान करने का मूलभूत सिद्धांत अपरिवर्तित है।

(ङ) और (च) यद्यपि, राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवाएं/एस०टी०डी० सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी कंपनियों के लिए दिशानिर्देश 13.08.2000 को घोषित किए जा चुके हैं, तथापि, अभी तक किसी लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। उसे देखते हुए, भारत संचार निगम लि० द्वारा इस स्तर पर घाटा उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

महानगर टेलीफोन निगम लि० की सेल्युलर फोन सेवाएं

4377. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की सेल्युलर फोन सेवाएं दिल्ली में, विशेषकर पूर्वी दिल्ली में ठीक से नहीं चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) सी०डी०एम०ए०डब्ल्यू०एल०एल० प्रौद्योगिकी वाली एम०टी० एन०एल० की सेल्यूलर मोबाइल सेवा ने शुरू-शुरू में विज्ञापित नक्शे के अनुसार कतिपय क्षेत्रों को ही कवर किया है। इस सेवा की शुरूआत के समय, बेस ट्रांससीवर स्टेशनों की सीमित संख्या में उपलब्धता के कारण चुनींदा कवरेज किया गया। एम०टी०एन०एल० अब सी०डी० एम०ए० प्रौद्योगिकी से उपलब्ध कराई जाने वाली रोमिंग सुविधाओं को छोड़कर उक्त सेवा का उन्नयन कर रहा है। तथापि जी०एस०एम० प्रौद्योगिकी के साथ "रोमिंग" सुविधा भी संभव हो जाएगी।

(ग) सी०डी०एम०ए०डब्ल्यू०एल०एल० प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके दिल्ली के सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए, मोबाइल सेवा 30,000 उपभोक्ताओं को प्रदान की जाएगी और जी०एस०एम० प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके दिल्ली के सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए, मोबाइल सेवा 1 लाख उपभोक्ताओं को प्रदान की जाएगी। इन दोनों परियोजनाओं को इस वित्त वर्ष में पूरा करने की योजना है ताकि उपभोक्ता सेवा की संतोषप्रद गुणवत्ता प्राप्त कर सकें।

[अनुवाद]

"विश्व का तापमान बढ़ना"

4378. श्री राशिद अलवी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 नवम्बर, 2000 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में "एल नीनो एंड ग्लोबल वार्मिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या विश्व का तापमान बढ़ने और एल नीनो घटना विश्व के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या निचले समुद्र तटीय क्षेत्रों में बाढ़ के अतिरिक्त जलचर, तटीय आवास निर्माण और सामुदायिक जीवन सहित खाद्य उत्पादन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, एल नीनो और ग्लोबल वार्मिंग, दोनों को जलवायु प्रणालियों को प्रभावित करने के रूप में बताया गया है लेकिन वैज्ञानिक रूप से अभी यह स्थापित नहीं हो सका है कि क्या एल नीनो घटनाएं पृथ्वी के गरम होने का एक भाग है या इसके विपरीत। इसके अलावा, इस समय उपलब्ध मॉडलों में अनिश्चितताओं के कारण इस बात का कोई पक्का प्रमाण नहीं है कि एल नीनो से प्रत्यक्षत: खाद्य उत्पादन में कमी होगी।

राष्ट्रीय आपात प्रबंधन बल

4379. श्री विनोद खन्ना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में मानवकृत और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपात प्रबंधन बल के गठन की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त बल का गठन कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) देश में मानव जन्य और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल प्रबंध बल के गठन से संबंधित किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। हालांकि स्पेशियलाइज्ड डिजास्टर रेस्पांस आर्गनाइजेशन में दो यूनिटों के विस्तार का प्रस्ताव है। इन यूनिटों को स्पेशिलाइज्ड डिजास्टर रेस्पांस यूनिट्स कहा जायेगा। इनका उद्देश्य अप्रत्याशित और विशेष प्रतिक्रिया की आवश्यकता वाली प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं की स्थिति में विशिष्ट संसाधनों को उपलब्ध कराकर राज्यों तथा केन्द्रीय शीर्ष मंत्रालयों के संसाधनों का संवर्द्धन करना है। अभी यह प्रस्ताव अपने बहुत ही प्रारम्भिक और औपचारिक अवस्था में है।

जल की कमी के कारण फसलों की हानि

4380. श्री के०पी० सिंह देव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हीराकुंड जलाशय में जल की कमी से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में सम्बलपुर, बारगढ़ और अन्य जिलों में खरीफ फसलों को कुल कितनी हानि हुई;

(ग) क्या किसानों को हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए उन्हें कोई सहायता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। उड़ीसा सरकार ने सूचना दी है कि अनियमित और अपर्याप्त वर्षा के कारण 9 लाख हैक्टेयर धान की फसल पर नमी की कमी का प्रभाव पड़ा है।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार को 2000-2001 के दौरान आपदा राहत कोष में से केन्द्रीय हिस्से के 41.05 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है जिससे कि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद की जा सके। राज्य सरकार किसानों को रिआयती दर पर बीजों की आपूर्ति करके और पंपसेट्स पर 50% की राजसहायता देकर वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

[हिन्दी]

बाढ़-प्रवण क्षेत्रों का विकास

4381. श्री हरिभाऊ शंकर महाले : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाढ़-प्रवण क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास हेतु शुरू की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों से कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की असफलता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान में चल रही सामान्य योजनाओं के स्थान पर कोई विशेष कार्यक्रम शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी कार्ययोजना पर विचार किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ङ) जैसाकि केन्द्रीय जल आयोग ने बताया है, बाढ़ के प्राकृतिक घटना होने के कारण बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों को सभी प्रकार की बाढ़ों से पूर्णतया संरक्षण प्रदान करना न तो संभव ही है और न ही आर्थिक रूप से व्यावहारिक ही है। निर्माणात्मक और गैर-निर्माणात्मक प्रयासों के सम्मिश्रण से बाढ़ से समुचित संरक्षण प्रदान करने की रणनीति बाढ़ प्रबंध के अंतर्गत अपनायी जा रही है। बाढ़ का नियन्त्रण/प्रबंध करना मुख्यतया राज्य सरकारों का दायित्व है। राज्य सरकारें ही उपलब्ध संसाधनों तथा स्वयं निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर बाढ़ के नियंत्रण/प्रबंध की योजनाएं तैयार तथा क्रियान्वयित करती है। केन्द्र सरकार योजना आयोग के माध्यम से वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के लिए धन देती है। इसके अलावा केन्द्र सरकार सीमावर्ती राज्यों और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ विशेष प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए विशेष सहायता प्रदान करती है।

बाढ़ नियंत्रण कार्यों के तहत हुई प्रगति निम्नवत है।

क्र०सं०	मद	हासिल उपलब्धि
1.	तटबंध की ल० (कि०मी०)	16.200
2.	ड्रेनेज चैनल्स की ल० (कि०मी०)	32.003
3.	संरक्षित कस्बें (सं०)	906
4.	ऊपर ले जाये गये (सं०) गांव	4.721

[अनुवाद]

कपास उत्पादकों को प्रोत्साहन

4382. श्री दिन्शा पटेल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कपास उत्पादन संबंधी प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु कपास उत्पादकों को कुछ-प्रोत्साहन देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने कपास के उत्पादन, उपज तथा

गुणवत्ता में सुधार के लिए फरवरी, 2000 से कपास प्रौद्योगिकी मिशन नामक एक केन्द्रीय स्कीम का कार्यान्वयन शुरू किया है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग का दायित्व वर्तमान स्कीम-गहन कपास विकास कार्यक्रम में संशोशन करके उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना है। कपास प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत गहन कपास विकास कार्यक्रम में विभिन्न विस्तार/विकासात्मक गतिविधियों जैसे प्रखंड प्रदर्शन/कृषक प्रशिक्षण के माध्यम से प्रौद्योगिकी अन्तरण, पिछले पन्द्रह वर्षों के दौरान जारी प्रमाणित बीजों की किस्मों की आपूर्ति, पानी की बचत करने वाले उपकरणों जैसे छिड़काव तथा टपका प्रणाली, बीजों के छिलके निकालने वाली मशीनें लगाने, जैव एजेन्ट यूनिटों की स्थापना सहित विभिन्न कीट नियंत्रण गतिविधियों, कीट निगरानी, समेकित कीट प्रबंध तथा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण छिड़काव यंत्रों/फेरोमोन ट्रैप/जैव एजेन्टों की आपूर्ति के लिए प्रोत्साहन देकर कपास के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने का प्रावधान है।

सहकारी समितियों का विकास

4383. श्री बलवीर सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन०सी०डी०सी० सहकारी समितियों के विकास हेतु राज्यों को दिए गए ऋण पर उच्च ब्याज दर लेता है;

(ख) यदि हां, तो एन०सी०डी०सी० द्वारा ली जा रही ब्याज की वर्तमान दर कितनी है;

(ग) क्या एन०सी०डी०सी० का विचार सहकारी समितियों को अर्थक्षम और व्यवहार्य बनाने के लिए अपने वर्तमान ब्याज दर को घटाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने प्रतिस्पर्धा में आने के लिए 16.8.2000 से अपनी ब्याज दरें घटा दी हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वार्षिक आधार पर ली जा रही प्रभारित ब्याज की वर्तमान दरें (प्रभावी) संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वार्षिक आधार पर लिए जा रहे ब्याज (प्रभावी) की वर्तमान दर

क्र० सं०	स्कीम का वर्णन	प्रति वर्ष ब्याज दर
1	2	3
1.	कार्यशील पूंजी के लिए विशेष दर	13.50%
2.	विकासशील/अल्प विकसित राज्यों में सभी कार्यक्रम	13.75%
3.	कमजोर वर्गों के कार्यक्रम	13.75%
4.	कम्प्यूटरीकरण के लिए सहायता	13.75%
5.	सहकारिता के रूप में विकसित राज्यों में एक वर्ष तक कार्यशील पूंजी ऋण	14.00%
6.	सहकारिता के रूप में विकसित राज्यों में पूंजी निवेश राजसहायता के अधीन शीतागार	14.00%
7.	अन्य कार्यक्रम	14.50%

निजी चिड़ियाघर में जानवरों को पकड़ कर रखा जाना

4384. श्री कमल नाथ : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई के निकट एक निजी चिड़ियाघर में बड़ी संख्या में लुप्तप्राय जानवरों को बरामद किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) शीडंग गांव, पेनवेल के मुम्बई-पुणे राजमार्ग पर "आयुश रिजार्ट्स एण्ड सुरूचि फार्म" पर वन अधिकारियों द्वारा 6.11.2000 को छापा मारा गया जहां पर कई वन्य प्राणी और पक्षी बन्दीगृह में रखे गए थे। प्राणियों और पक्षियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

1.	भारतीय चिंकारा	4
2.	हंसावर	4
3.	बारहेडेड गीज	9
4.	स्पॉट-बिल्ड डक	5
5.	ब्राह्मनी डक	5
6.	सारस क्रेन	2
7.	डिमॉयसल क्रेन	2

(ग) अलीबाग, वन प्रभाग के रेंज वन अधिकारी (सतर्कता) द्वारा वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 9, 39, 40, 41, 42, 43, 49 और 52 के उल्लंघन का एक मामला दर्ज किया गया है। तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था जिनमें से दो व्यक्तियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

मंत्रियों के उपसमूह द्वारा रिपोर्ट

4385. **श्री गंता श्रीनिवास राव :**
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री वाई०एस० विवेकानंद रेड्डी :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :
डा० विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री राम नायडू दग्गुबाटि :
श्री सुबोध मोहिते :
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **संचार मंत्री** मंत्रियों के उपसमूह द्वारा रिपोर्ट के बारे में 24 जुलाई, 2000 के अतारांकित प्रश्न सं० 163 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तार अधिनियम, 1885 के स्थान पर नया विधान लाने और दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरदर्शन प्रसारण संबंधी परिवर्तनों के विनियमन के बारे में विचार कर रहे उपसमूह ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त रिपोर्ट को कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) सरकार द्वारा नियुक्त दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी समाभिरूपता संबंधी दल का एक विशिष्ट विचारार्थ विषय, दूरसंचार, कंप्यूटर, टेलीविजन और इलैक्ट्रॉनिकी की तेजी से बढ़ती समाभिरूपता को ध्यान में रखते हुए, एक नए व्यापक कानून का मसौदा तैयार करना है, जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 का स्थान लेगा। बाद में, दल ने उक्त मसौदा तैयार करने के लिए उप-दल का गठन किया, जिसके संयोजक श्री फाली एस० नरीमन, संसद सदस्य हैं। इस उप-दल ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, सभी प्रकार के संचार को विनियमित करने के लिए भारतीय संचार आयोग नामक एक स्वायतशासी और स्वतंत्र सांविधिक निकाय की स्थापना की सिफारिश की है। इस आयोग को लाइसेंस जारी करने, लाइसेंस-शुदा सेवाओं के लिए लाइसेंस शुल्क और टैरिफ निर्धारित करने, स्पैक्ट्रम आबंटित करने, प्रतिस्पर्द्धा सुगम बनाने, उपभोक्ता हितों की रक्षा करने इत्यादि का अधिकार प्राप्त होगा। इस उप-दल ने एक संचार अपील अधिकरण की स्थापना करने की सिफारिश भी की है।

दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी समाभिरूपता दल ने इस रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने के बाद उप-दल से प्रस्तावित कानून का एक उपयुक्त मसौदा तैयार करने का अनुरोध किया है।

लकड़ी के लट्ठे के आयातकों द्वारा निरीक्षण शुल्क का भुगतान

4386. **श्री रामजी मांझी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लकड़ी के लट्ठे के आयातकों को कोचीन द्वीप में सरकार को अपने माल की खेप के निरीक्षण कार्य पर आने वाली लागत के लिए निरीक्षण शुल्क का भुगतान करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो आयातकों पर कुल कितनी धनराशि बकाया है और यह राशि उनके पास कब से बकाया है;

(ग) क्या क्वारन्टाइन और फ्यूमीगेशन स्टेशन, विलींगडन द्वीप कोचीन संयंत्र में अधिकारियों की लापरवाही के कारण सरकार को 34.79 लाख रुपये तक की हानि हुई; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) लकड़ी के लट्ठों के 39 आयातकों पर अक्टूबर, 1997 में पौध संगरोध नीरीक्षण शुल्क के 34.79 लाख रु० बकाया देय थे। ये बकाया न्यायालय के निर्देश से बढ़े, न्यायालय ने आयातकों को कुल देय शुल्क का केवल 25% नगद भुगतान करने की अनुमति दी। इस मामले पर सक्रियता से अनुवर्ती कार्रवाही की गई और 32.87 लाख रु० की वसूली पहले ही कर ली गई है और केवल एक आयातक पर 1.92 लाख रु० की राशि बकाया है।

[हिन्दी]

वन रक्षकों को वायरलेस सेट

4387. **श्री कांतिलाल भूरिया** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी वन रक्षकों को वायरलेस सेट देने का है;

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्य-वार कितने सेट दिए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा वृक्षों की अवैध कटाई रोकने के लिए क्या अगला कदम उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) सुरक्षित क्षेत्रों में वायरलेस सैटों द्वारा संचार नेटवर्क को मजबूत बनाना केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास, बाघ परियोजना, पारि-विकास परियोजना, हाथी परियोजना आदि के अनुमोदित घटकों में से एक है। कुछ राज्य सरकारों ने राज्य निधियों की मदद से वायरलैस सैट भी खरीद लिए हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

(i) अवैध कटाई तथा इमारती लकड़ी व अन्य उत्पादों के परिवहन को नियंत्रित करने के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत कानूनी प्रावधान उपलब्ध हैं। आरा मिलों और अन्य काष्ठ आधारित उद्योगों के प्रभावी नियंत्रण तथा अवैध इमारती लकड़ी के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को जब्त करने की शक्ति के लिए कई राज्यों ने उक्त अधिनियम में संशोधन किए हैं।

(ii) राज्य के वन विभागों द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित रूप से गश्त करने और राजमार्गों पर स्थित जांच चौकियों का रख-रखाव करने के अलावा नियमित रूप से छापे भी मारे जाते हैं। वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने के लिए विशेष सुरक्षा बल भी गठित किए जाते हैं।

(iii) वनों की सुरक्षा और वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने के लिए संयुक्त वन प्रबन्धन कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय लोगों को शामिल करना।

(iv) वृक्षों की अवैध कटाई तथा अवैध शिकार आदि को रोकने के लिए सुरक्षित क्षेत्रों में तथा उनके आस-पास के क्षेत्रों में पारि-विकास समितियां गठित की गई हैं जिनमें स्थानीय लोगों को शामिल किया गया है।

(v) गश्त को प्रभावशाली बनाने के लिए सुरक्षा स्टाफ का पुनर्गठन करके व्यवहार्य फील्ड फार्मेशन करना।

(vi) फील्ड स्टाफ को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराना तथा आसूचना एकत्र करने और अपराधों को रोकने के लिए अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना।

विवरण

सुरक्षित क्षेत्रों के लिए वायरलैस सैट

क्र०सं०	राज्य का नाम	सैटों की संख्या
1	2	3
01.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	32
02.	आन्ध्र प्रदेश	110
03.	अरुणाचल प्रदेश	130
04.	असम	317
05.	बिहार	509
06.	दिल्ली	38
07.	गोवा	46
08.	गुजरात	501
09.	हिमाचल प्रदेश	10
10.	कर्नाटक	327
11.	केरल	393
12.	मध्य प्रदेश	698
13.	महाराष्ट्र	62
14.	मेघालय	38
15.	मिजोरम	24
16.	नागालैंड	2
17.	पाण्डिचेरी	7
18.	राजस्थान	509
19.	सिक्किम	1
20.	तमिलनाडु	38
21.	उत्तर प्रदेश	485
22.	पश्चिम बंगाल	270
	कुल :	4547

गांधी सागर बांध से विद्युत का उत्पादन

4388. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध से इस वर्ष अपर्याप्त वर्षा और तेजी से गिरते जलस्तर के कारण विद्युत उत्पादन बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो नियमित रूप से इससे कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन किया गया और विद्युत उत्पादन कब से बंद कर दिया गया.

(ग) क्या इस बांध के जलाशय में मृदा अपर्दन के कारण बड़ी मात्रा में रेत जमा हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो मृदा अपर्दन को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश बोर्ड के अनुसार गांधी सागर एच०पी०एस० से विद्युत उत्पादन नहीं किया गया। अप्रैल-नवम्बर, 2000 के दौरान गांधी सागर एच०पी०एस० में विद्युत उत्पादन निर्धारित लक्ष्य 235 मे०वा० के स्थान पर 101 मे०वा० था। इस अवधि के दौरान अल्पतम वर्षा होने के कारण जलाशयों के स्तर घटने के कारण मुख्यत: विद्युत उत्पादन में गिरावट आ गई। गांधी सागर बांध का जलाशय स्तर पूर्णत:

1312 फुट है। जलाशय का न्यूनतम निकासी स्तर (एम०डी०डी० एल०) 1250 फुट है। वर्षा की कमी के कारण, जलाशय स्तर 12.12.2000 को घटकर 1250.13 फुट तक नीचे चला गया।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, गांधी सागर की पिछली सर्वेक्षण क्षमता 1976 में पूरी की गई अर्थात 16 वर्षों के पश्चात्। 1976 की सर्वेक्षण क्षमता के अनुसार, सिल्टेशन की अवलोकित दर 8.96 हे०मी०/100 वर्ग कि०मी०/वर्ष है और कुल क्षमताओं में वार्षिक ह्रासप्रतिशत 0.26 है। नदी घाटी परियोजनाओं के कैचमैंट में डिग्रेडेड भूमि की उत्पादकता में वृद्धि हेतु 20 राज्यों में 45 कैचमैंट को कवर करके एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम अर्थात् मृदा संरक्षण कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम में मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में आने वाला चम्बल कैचमैंट (गांधी सागर डैम) शामिल है। स्कीम का लक्ष्य कैचमैंट क्षेत्रों के डिग्रेडिड वाटरशेडों में मृदा क्षरण में कमी आ सके। कृषि मंत्रालय के अखिल भारतीय मृदा तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 1999-2000 तक अभिनिर्धारित प्राथमिकता वाले 7.12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से लगभग 5.02 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया गया है।

कृषि क्लीनिकों की स्थापना

4389. श्री आर०एल० जालप्पा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अच्छी गुणवत्ता वाले आदानों को पर्याप्त और समय मे सहायता देने और किसानों को दी जाने वाली सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कर्नाटक में कृषि क्लीनिकों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कर्नाटक में स्थान-वार कितने कृषि क्लीनिकों की स्थापना की गई है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) भारत कृषि स्नातकों के 'एग्री क्लीनिक्स' और 'एग्री बिजनेस' केन्द्रों के एक 'नेटवर्क को सहायता देने के लिए एक स्कीम का प्रस्ताव कर रही है। इस स्कीम में योग्य कृषि स्नातकों के लिए स्वरोजगार के अवसर को प्रदान करने का प्रस्ताव है जिससे चयनियत स्नातकों के स्वामित्व के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक 'एग्री क्लीनिक्स' और एग्री बिजनेस केन्द्रों की स्थापना करके कृषि विकास में सहायता की जा सके। प्रारंभ में इस स्कीम का उद्देश्य ऐसे ही 5000 क्लीनिक्स/केन्द्रों की प्रतिवर्ष स्थापना करना है जिन पर औसतन प्रत्येक उद्यम पर 5 लाख रुपये की लागत आयेगी तथा इसकी व्यक्तिगत सीमा 10 लाख रुपये है। एग्री क्लीनिक्स और एग्री बिजनेस केन्द्रों के संभावित स्थानों के बारे में कृषि स्नातक उद्यमी स्वयं निर्णय लेंगे। अत: सरकार इन उद्यमों का राज्यवार संवितरण नहीं करना चाहती है। इस स्कीम को अगले वित्तीय वर्ष से क्रियान्वयन हेतु सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी गयी है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोयला घोटाला

4390. श्री डी०वी०जी० शंकर राव : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के रोपड़, भटिंडा और मोहभात लेहरा में तीन विद्युत संयंत्रों के लिए भेजा गया करोड़ों रुपये का कोयला गायब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मामले की जांच करवाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसे घोटालों को रोकने हेतु और इसमें शामिल दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के अनुसार रोपड़, भटिण्डा और मोहाभात लेहरा में कोयले की आंकी गई कमी की मात्रा लाख मीट्रिक टन में निम्नवत है :–

वर्ष	रोपड़	भटिण्डा	लेहरा मोहाभाट
1997-98	3.8	1.05	–
1998-99	1.84	0.79	–
1999-2000	2.05	0.69	0.85
2000-2001 6/2000 तक	0.37	0.2	0.21

इस कमी के सम्भावित कारण ये हैं :–

(i) लोडिंग स्थल पर तोल सेतु संबंधी अशुद्धि।

(ii) बिहार से पंजाब के मार्ग में चोरी।

(iii) रास्ते में नमी संबंधी हानि।

पंजाब सरकार के निर्देशन पर पी०एस०ई०बी० ने प्रत्येक घटक के कारण होने वाली कमियों की मात्रा को अभिज्ञात करने तथा कमियों को न्यूनतम करने के लिए उपाय सुझाने के लिए जांच समिति गठित की है।

ट्रकों पर भार

4391. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (ए०आई०एम० टी०सी०) ने ट्रकों पर अनुमत्य भार बढ़ाने और परिवहन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा की गई अन्य मांगों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त मांगों पर कब तक विचार किए जाने की संभावना है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) जी, हां। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने यह मांग की है कि वाहन के सकल भार में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए और सड़क पर यथानुपात आधार पर वसूल किया जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि सड़क परिवहन को उद्योग को मिलने वाले लाभों सहित एक उद्योग के रूप में घोषित किया जाए। अन्य मांगें ये हैं कि राष्ट्रीय परमिट के लिए मिश्रित कर 3000 रु० वार्षिक कर दिया जाए और पूरे देश में एक समान हो तथा ट्रकों के भाड़े की न्यूनतम दरें निर्धारित की जाएं।

(ग) चूंकि इसके लिए सूक्ष्म जांच एवं विचार-विमर्श अपेक्षित है अत: सही समय नहीं दिया जा सकता।

[हिन्दी]

टेलीफोन सेवाओं की समीक्षा

4392. **श्रीमती जस कौर मीणा :**
श्री बृजलाल खाबरी :
श्री आर०एस० पाटिल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर कर्नाटक में टेलीफोन सेवाओं के कार्यकरण की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई टेलीफोन एक्सचेंज कई दिनों तक खराब रहते हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) देश में टेलीफोन सेवाओं में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में दूरसंचार प्रणाली में सुधार हेतु कितनी धनराशि व्यय की गई है।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) भारत संचार निगम लि० (बी०एस०एन०एल०) में दूरसंचार सेवा के कार्यकरण की पुनरीक्षा एक स्वतंत्र एजेन्सी "इंडिया मार्केट रिसर्च ब्यूरो" (आई०एम०आर०बी०) द्वारा तथा बी०एस० एन०एल० के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मॉनीटर किए गए कुछ पैरामीटरों के माध्यम से की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ङ) दूरसंचार सेवाओं में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। दूरसंचार सेवाओं में और सुधार लाने के लिए चरणबद्ध रूप से उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :

(i) केबल की लम्बाई को कम करने के लिए नेटवर्क में अधिक से अधिक आर०एल०यू० शामिल किए जाते हैं।

(ii) बाह्य संयंत्र का पुनरुद्धार।

(iii) दोष मरम्मत केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण।

(iv) विश्वसनीय पारेषण माध्यम का प्रावधान।

(v) लंबे समय तक बिजली गुल रहने की समस्या का समाधान करने के लिए ग्रामीण एक्सचेंजों में अनुरक्षण मुक्त बैटरी सेटों तथा "स्टैंड-बाई" जेनरेटरों का प्रावधान।

(च) खर्च की गई राशि इस प्रकार है :–

1997-98	1018.09 करोड़ रु०
1998-99	1014.20 करोड़ रु०
1999-2000	1171.62 करोड़ रु०

दूरसंचार और डाक सुविधाएं

4393. **श्री अनन्त गुढ़े** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र, में विशेषकर विदर्भ क्षेत्र में टेलीफोन और डाक विभाग से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मामलों पर चर्चा की गई; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) **दूरसंचार विभाग** : स्विचन और पारेषण विकास योजनाओं, एक्सचेंजों के प्रचालन और रखरखाव, इंटरनेट सेवाओं, मोबाइल तथा डब्ल्यू०आई०एल०एल० जैसी नई प्रौद्योगिकियों से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई थी।

डाक विभाग : डाक घरों की स्थिति में सुधार और अन्य विभिन्न संबंधित मुद्दों से जुड़े मामलों के अलावा, पोस्ट कार्डों की बिक्री जैसी इमदादप्राप्त सेवाओं से विभाग को हो रहे घाटे को किस प्रकार पूरा किया जाए आदि के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया।

(ग) **दूरसंचार विभाग** : वर्ष 2000-2001 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के वास्ते सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

डाक विभाग : डाक विभाग द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

डाक विभाग ने महाराष्ट्र डाक सर्किल और विशेषकर विदर्भ क्षेत्र में डाक सेवाओं में सुधार के लिए वर्ष 2000-2001 के दौरान निम्नलिखित उपाय किए हैं :

	हाथ में लिए गए/पूरे किए गए कार्यकलाप	महाराष्ट्र सर्किल	विदर्भ सर्किल
(i)	डाक घर खोलना	विभागीय उप-कार्यालय–2 शाखा डाक घर–60	शाखा डाक घर–12
(ii)	पंचायत संचार सेवा केंद्र	220	50
(iii)	''मास मेलिंग'' के लिए नए व्यापार केंद्र खोलना		नागपुर प्रधान डाक घर अमरावती एकेएल मुख्य डाक घर वर्धा मुख्य डाक घर चंद्रपुर मुख्य डाक घर
(iv)	एक्सप्रेस पार्सल केन्द्र खोलना		चंद्रपुर मुख्य डाक घर अमरावती मुख्य डाक घर अकोला मुख्य डाक घर वर्धा मुख्य डाक घर मलकापुर छंटाई कार्यालय
(v)	विभागीय भवन (पूर्ण)		यवतमाल डाक घर का क्षैतिज विस्तार चंद्रपुर डाक घर का ऊंचाई में विस्तार
(vi)	मुख्य डाक घरों का कम्प्यूटरीकरण		नागपुर प्रधान डाक घर नागपुर शहर अकोला. मुख्य डाक घर
(vii)	बचत बैंक कार्य का कम्प्यूटरीकरण		अकोला मुख्य डाक घर नागपुर प्रधान डाक घर चंद्रपुर मुख्य डाक घर बुल्दाना मुख्य डाक घर
(viii)	जोड़ी गई नई सेवाएं		नागपुर क्षेत्र में ग्रीटिंग पोस्ट तथा मीडिया पोस्ट आरंभ की गई
(ix)	दाय भवनों का रखरखाव		नागपुर प्रधान डाक घर डी०ए०(पी) का कार्यालय नागपुर
(x)	मुख्य डाक घर भवन का विस्तार संपन्न		यवतमाल चंद्रपुर
(xi)	जोड़ी गई प्रीमियम सेवाएं		विदर्भ क्षेत्र के अंदरूनी हिस्सों के अनेक डाक घरों में स्पीड पोस्ट, मीडिया पोस्ट, बिजनेस पोस्ट सेवाएं उपलब्ध होगी।

(xii) डाक के तीव्र गति से पारेषण के लिए परिवहन प्राधिकारियों के साथ निकट समन्वय रखा जा रहा है।

(xiii) भवनों के बेहतर रखरखाव के लिए अतिरिक्त निधियां मांगी गई।

(xiv) नई प्रौद्योगिकियां शामिल करना, वी० सैट के माध्यम से मनी-ऑर्डर का पारेषण, चरणबद्ध तरीके से बहु-उद्देश्यीय काउंटर मशीनों की आपूर्ति, पंजीकरण कार्य का कंप्यूटरीकरण, स्वचालित सॉर्टिंग मशीन, मोपेडों के माध्यम से वितरण कार्य का मशीनीकरण।

निजी टैलीफोन पूछ-ताछ सेवा

4394. श्री रामपाल सिंह :
डा० अशोक पटेल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में निजी टेलीफोन पूछ-ताछ सेवा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सेवा से किन-किन शहरों को जोड़ा जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मणिपुर में विद्युत संयंत्र

4395. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में मणिपुर में कुछ विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) नौवीं योजना के दौरान मणिपुर राज्य में एक राज्य क्षेत्र की परियोजना लिमाखोंग डी०जी० विद्युत संयंत्र (36 मे०वा०) के चालू किये जाने की प्रत्याशा है। उपरोक्त के अतिरिक्त लोकतक डी/एस एच०ई०बी० (90 मे०वा०) की स्थापना केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत मणिपुर राज्य में की जा रही है। और इसके दसवीं योजना के दौरान आरंभ हो जाने की संभावना है।

रिक्ति/पद आधारित रोस्टर

4396. श्रीमती रीना चौधरी : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार "रिक्ति आधारित रोस्टर" केवल उसी समय तक चल सकता है जब तक आरक्षित श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत तक न पहुंच जाए;

(ख) यदि हां, तो खान मंत्रालय और इसके नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त/संबद्ध/अधीनस्थ संगठनों के अंतर्गत सेवाओं जैसे वर्ग I, II, III और IV श्रेणियों/ग्रेडों की सेवाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत तक पहुंच गया है और जिसके परिणामस्वरूप "रिक्ति आधारित रोस्टर" के स्थान पर "पद आधारित रोस्टर" की शुरूआत की गई है; और

(ग) उन श्रेणियों की सेवाओं में भी "रिक्ति आधारित रोस्टर" के स्थान पर "पद आधारित रोस्टर" को लागू करने के क्या कारण हैं जिनमें उनका प्रतिनिधित्व निर्धारित आरक्षण प्रतिशत तक नहीं पहुंचा है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

ई०एम०टी० सेवा

4397. श्री पी० राजेन्द्रन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विशेषकर कर्नाटक के कुछ दूरसंचार सर्किलों में एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर सर्विस सेवा स्थगित कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे सेवा को दुबारा शुरू करने हेतु तथा ई०एम०टी० का तुरन्त भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) जी, हां 1.10.2000 से सरकारी प्रणाली के स्थान पर निगमित प्रणाली अपनाने से बैंकिंग व्यवस्था में परिवर्तन होने के कारण कुछ स्थानों पर ई०एम०टी० सेवा में अस्थायी रूप से बाधा आई है। कर्नाटक में अब तक यह सेवा शुरू नहीं की गई है। सेवाओं को यथाशीघ्र सामान्य स्तर पर बहाल करने के लिए आवश्यक बैंकिंग इंतजामात किए जा रहे हैं।

तमिलनाडु में वृक्षारोपण हेतु धनराशि

4398. श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तमिलनाडु में वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस धनराशि के वास्तविक उपयोग के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत तमिलनाडु को वन रोपण के लिए दी जाने वाली धनराशियों का ब्यौरा निम्नलिखित हैं :–

	लाख रु० में
1997-98	159.89
1998-99	155.26
1999-2000	509.23

राज्य सरकार द्वारा इन धनराशियों का उपयोग संतोषजनक रहा है।

तिलहनों और चावल का आयात

4399. श्री जी०जे० जावीया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहनों और चावल के आयात से किसानों पर बुरा असर पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या तिलहनों और चावल का उत्पादन करने वाले किसान अन्य लाभदायक फसलों की ओर उन्मुख हो रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो किसानों के हितों की रक्षा के लिए तिलहनों और चावल के उत्पादन को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जहां तक तिलहनों का मामला है, खाद्य तेलों के अत्याधिक आयात से देश के कुछ भागों में सोयाबीन, तोरिया-सरसों, और सूरजमुखी की घाटे में बिक्री करनी पड़ी है। चावल के आयात से किसानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) देश में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण तिलहन क्षेत्रफल में वर्ष दर वर्ष उतार चढ़ाव आता रहा है तथा किसी विशेष तिलहनी क्षेत्रों को अन्य फसलों के क्षेत्र में परिवर्तित नहीं किया गया है। जहां तक चावल का सवाल है, इसके क्षेत्र में बढ़ोत्तरी का ही रुख रहा है।

(ग) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता। फिर भी तिलहन और चावल के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए देश में दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें यथा तिलहन उत्पादन कार्यक्रम और समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-चावल चलायी जा रही हैं। इन दोनों ही स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण आदानों पर राजसहायता के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। हाल ही में विभिन्न श्रेणी के तेलों के आयात पर आयात शुल्क को बढ़ा दिया गया है ताकि किसानों के हितों की रक्षा की जा सके।

[हिन्दी]

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

4400. श्री मनसुखभाई डी० वसावा :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में कोई रुचि ले रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्तमान में मछली पकड़ने की कितनी सरकारी नौकाएं उपलब्ध हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

(1) गहरे समुद्र में चलने वाले जलयानों के संचालन के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ छः बड़े मत्स्यन बंदरगाह पूरे किए गए।

(2) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कुल 872 मेटों, 865 इंजन ड्राइवरों, 527 स्किपर ग्रेड-2, 179 इंजीनियरों तथा एक स्किपर ग्रेड-1 को प्रशिक्षित किया गया है।

(3) इस मंत्रालय के तहत दो संस्थान, अर्थात् भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण तथा समाकलित मात्स्यिकी परियोजना उद्यमियों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए गहरे समुद्र पर आंकड़े तैयार करने के लिए अन्वेषणात्मक तथा प्राद्योगिक तौर पर मछली पकड़ रहे हैं।

(4) विगत में सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों की खरीद के लिए धन उपलब्ध कराया है। संयुक्त उद्यम योजना के तहत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों की शुरूआत के लिए भी अनुमति दी गई।

(5) सरकार ने समुद्री मात्स्यिकी के लिए वृहत नीति बनाने के लिए डा० के० गोपाकुमार उप महानिदेशक (मात्स्यिकी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की अध्यक्षता

में एक विशेषज्ञ दल गठित किया है तथा इस दल द्वारा अपनी रिपोर्ट शीघ्र देने की आशा है।

(ग) इस समय सरकार के स्वामित्व में 15 ट्रालर हैं।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को प्रवेश देना

4401. **श्री के०ए० सांगतम** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित डा० अम्बेडकर जन्म शती समारोह समिति ने वर्ष 1993 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों से उनके लिए आरक्षित कोटे के सभी स्थानों को पूरी तरह भरने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के विभिन्न संकायों/विषयों में गत तीन वर्षों के दौरान स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में कितनी सीटें दी गई; और

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान वर्षवार उक्त पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया और उक्त अवधि में कुल स्थानों की संख्या की तुलना में उनका प्रतिशत कितना था?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) सभी संबंधित मंत्रालयों/प्राधिकरणों को आवश्यक अनुपालन के लिए सूचित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून वन्यजीव विज्ञान में केवल स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हर दूसरे वर्ष आयोजित किए जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के माध्यम से होता है। इसमें भारतीय छात्रों के लिए 10 तथा विदेशी छात्रों के लिए 2 सीटें हैं। 10 में से एक सीट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थी के लिए आरक्षित है।

क्र० सं०	वर्ष	कुल सीटें	अ०जाति/अनु० जनजाति के छात्रों के लिए कुल सीटें	अनु० जाति/अनु० जनजाति का प्रतिशत
1.	1991-93	7	शून्य	शून्य
2.	1993-95	7	शून्य	शून्य
3.	1995-97	10 + (1 विदेशी)	1	10 प्रतिशत
4.	1997-99	9	1	11.11 प्रतिशत
5.	1999-2001	10 + (2 विदेशी)	1	10 प्रतिशत

[हिन्दी]

डाकघर खोलने हेतु मानदंड

4402. **योगी आदित्यनाथ** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के ग्रामीण, शहरी, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में डाकघर खोलने हेतु वर्तमान मानदंड क्या हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : देश में डाकघर खोलने के लिए मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

डाकघर खोलने के लिए मानदंड

1.1 **जनसंख्या**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में :**

गांव के एक समूह की जनसंख्या 3000 (जिसमें वे गांव भी शामिल हैं जहां डाकघर खोलने का प्रस्ताव है)।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दुर्गम क्षेत्रों में :**

एक अकेले गांव की जनसंख्या 500 या गांवों के एक समूह की जनसंख्या 1000

1.2 **दूरी**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में :**

मौजूदा नजदीकी डाकघर से दूरी कम से कम 3 किलोमीटर होगी।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दुर्गम क्षेत्रों में :**

दूरी की सीमा, पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर, वही होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। निदेशालय द्वारा उन मामलों में दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों के कारण ऐसी छूट अपेक्षित है। इन परिस्थितियों का प्रस्ताव भेजते समय स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 **प्रत्याशित आय**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में :**

प्रत्याशित आय लागत का कम से कम $33^1/_3$ प्रतिशत होगी।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दुर्गम क्षेत्रों में :**

प्रत्याशित आय लागत का कम से कम 15 प्रतिशत होगी।

2. **विभागीय उप डाकघर खोलने/उनका दर्जा बढ़ाने के लिए मानदंड**

(क) **ग्रामीण क्षेत्रों में :**

जिस अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाया जाना है, उसका न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना

चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक घाटे की अनुमेय सीमा 2400/रु० तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्र में 4800/रु० है।

(ख) **शहरी क्षेत्रों में**

शहरी क्षेत्रों में आरंभ में डाकघर आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा इसे आगे बनाए रखने के लिए प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे पांच प्रतिशत लाभ दर्शाना चाहिए।

20 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगरों में दो डाकघरों के बीच कम से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में 2 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। तथापि, कोई भी दो वितरण डाकघर एक-दूसरे से 5 किलोमीटर से कम की दूरी पर नहीं होने चाहिएं।

सर्किल अध्यक्षों को 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट देने का अधिकार है।

शहरी क्षेत्रों के वितरण डाकघरों में कम से कम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिए।

[अनुवाद]

पशुधन का विकास

4403. श्री पी०आर० किन्डिया : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के आदिवासी बहुल पिछड़े जिलों में पशुधन के विकास के लिए कोई केन्द्रीय योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना में पूर्वोत्तर राज्यों के पिछड़े जिलों को शामिल किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना पर राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की जानी है और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बहुद्देश्यीय प्रौद्योगिकी का विकास

4404. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुन: प्रयोज्य ऊर्जा विकास अभिकरण ने कारगिल की पहाड़ियों की कड़ाके की सर्दी में भी काम करने वाला सौर ऊर्जा कुकर विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसी तकनीक का उपयोग करते हुए एक लैम्प भी विकसित किया गया है;

(घ) क्या दुनिया के किसी अन्य देश में भी ऐसी प्रौद्योगिकी की खोज की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार का विचार इस बहुद्देश्यीय प्रौद्योगिकी का उपयोग और किन-किन क्षेत्रों में करने का है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई गई योजना, यदि कोई हो तो, का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय विभिन्न प्रयोजनों के लिए देश में सौर ऊर्जा उपकरणों के विकास और उपयोग के लिए सहायता दे रहा है। वर्ष 1999-2000 में कारगिल युद्ध के बाद, मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा), वित्तीय संस्थान ने कारगिल में तैनात सेना इकाई द्वारा उपयोग करने के लिए 6 सौर कुकर और 10 सौर लालटेन दान किए। ये सौर कुकर विशेष रूप से कारगिल की ऊंचाइयों और विद्यमान बहुत ठंडी परिस्थितियों में कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कुकर में समाविष्ट विशेषताओं में शामिल हैं (i) यह कुकर बॉक्स फाइबर ग्लास से संबलित हल्के – स्थिर पॉलिस्टर राल से निर्मित हैं; (ii) अतिरिक्त सघन उच्च घनत्व रोधन उपलब्ध कराया गया है; (iii) निम्न तापमान का मुकाबला करने के लिए विशेष रबर और सिलिकॉन सिलेंट का प्रयोग किया गया है; (iv) कवर ग्लास प्लेट, मजबूत ग्लास से बने हैं।

(ग) कारगिल में भेजी गई लालटेन में भी सौर ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता है। लालटेन इकाई में उपयोग किए गए इलेक्ट्रानिक्स को विशेष रूप से निम्न तापमान का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है।

(घ) और (ङ) सौर खाना पकाने और सौर रोशनी दोनों ही जानी मानी और स्थापित अवधारणाएं हैं। सौर कुकरों और सौर रोशनी प्रणालियों की विभिन्न डिजाइनें विकसित की गई हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान, चीन, दक्षिण अफ्रीका और स्विट्जरलैंड सहित कई देशों में इनका वाणिज्यिक उत्पादन किया जा रहा है। इन उत्पादों को साधारणतया स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के माफिक बनाया जाता है।

(च) और (छ) सौर कुकरों, सौर लालटेनों और अन्य रोशनी प्रणालियों का पहले ही देश में वाणिज्यिक उत्पादन हो रहा है। मंत्रालय के सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत इनमें से कई लाख प्रणालियों की देश के विभिन्न भागों में आपूर्ति की गई है। यह मंत्रालय इस उद्देश्य के लिए अच्छी तरह से बनाई गई योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। इस मंत्रालय का प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम रोशनी प्रणालियों के

उपयोगकत्ताओं के लिए सब्सिडी उपलब्ध करा रहा है और इसका कार्यान्वयन विभिन्न राज्यों में अक्षय ऊर्जा एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। यह मंत्रालय, सौर कुकरों से संबंधित प्रचार, प्रशिक्षण और प्रदर्शन जैसे संवर्द्धनात्मक क्रियाकलापों को भी सहायता दे रहा है।

उत्पादकता पुरस्कार

4405. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादकता पुरस्कार उत्पादन बढ़ाने के लिए दिये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे पुरस्कार देने के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार विभिन्न उप क्षेत्रों में उत्कृष्ट उत्पादकता निष्पादन का सम्मान करने हेतु संस्थाओं/संगठनों/सरकारी विभागों को प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार प्रति यूनिट क्षेत्र उत्पादन (उपज) में वृद्धि करने, आदानों, मशीनरी और पूंजी के बेहतर उपयोग के लिए प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार व्यक्ति विशेष को नहीं दिए जाते।

(ख) मात्रात्मक और गुणात्मक घटक मूल्यांकन के मानदंड हैं। मूल्यांकन के मात्रात्मक पैरा मीटर फसलोत्पादकता, फसल गहनता और आदान संसाधनों का कुशल उपयोग है। गुणात्मक कारण उत्पाद की गुणवत्ता, निर्यात उन्मुखता, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण, दक्षता सुधार, सुरक्षा उपाय आदि हैं। कृषि और खाद्यय प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रदान किए गए राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कारों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

कृषि क्षेत्र

1. कृषि विस्तार सेवाएं
2. पशु आहार प्रसंस्करण
3. जैव उर्वरक उत्पादक
4. कमान क्षेत्र विकास और सिंचाई परियोजना
5. डेयरी विकास और उत्पादन
6. शुष्क भूमि कृषि
7. बागवानी विकास सहकारी समितियां
8. अंतर्देशीय और समुद्री मछली उत्पादन सहकारी समितियाँ
9. सहकारी क्षेत्र में विपणन एवं राज्य तेल बीज संघ
10. कुक्कुट उत्पादन और विकास
11. बीज निगम
12. राज्य कृषि उद्योग निगम
13. राज्य फार्म निगम
14. वेयरहाउसिंग निगम

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र

1. अनाज प्रसंस्करण उद्योग
2. उपभोक्ता खाद्य उत्पाद
3. डेयरी प्रसंस्करण उद्योग
4. खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र
5. फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग
6. समुद्री और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
7. मांस प्रसंस्करण उद्योग

[अनुवाद]

रामगंगा नदी में प्रदूषण

4406. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुरादाबाद के प्रदूषणकारी उद्योग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रामगंगा नदी में कितने प्रदूषक तत्व बहा रहे हैं; और

(ख) इसकी स्वच्छता को बनाए रखने और नदी को आगे भी प्रदूषित होने से रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) उद्योगों द्वारा रामगंगा नदी मे विसर्जित किए जा रहे बहिस्राव की कुल मात्रा प्रतिदिन 5000 किलोलीटर है। रामगंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले तीन उद्योगों की पहचान की गई है। इनमें से एक यूनिट बंद कर दी गई है तथा शेष दो यूनिटों ने अपेक्षित बहिस्राव शोधन सुविधाएं स्थापित कर ली हैं।

फरक्का बैराज पर जल विद्युत परियोजना

4407. श्री अबुल हसनत खां : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बैराज परियोजना पर एक जल विद्युत परियोजना स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में आवश्यक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ग) क्या फरक्का बैराज परियोजना ने अपने ढांचे पर इस जल विद्युत स्टेशन के निर्माण हेतु कोई नियम और शर्तें लगाई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंवती मेहता) : (क) जी, हां। केन्दीय जल आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल की फरक्का जल

विद्युत परियोजना (5x25=125 मे०वा०) की तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जो कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हो गई है, को जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत फरक्का बैराज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अथॉरिटी द्वारा क्रियान्वयन जाने हेतु कुछ शर्तों के आधार पर उचित पाया गया है।

(ख) परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रतीक्षित है।

(ग) और (घ) जल विद्युत परियोजना का निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण इस प्रकार से करना पड़ेगा कि बैराज का बचाव एवं सुरक्षा को कोई खतरा न हो और निर्माण कार्यों के फलस्वरूप रेल और सड़क यातायात अवरुद्ध न हो सके।

विदेशी उद्योगपतियों द्वारा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

4408. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष विदेशी उद्योगपतियों के किसी प्रतिनिधिमंडल ने अपने भारत दौरे के दौरान विद्युत क्षेत्र में विशेषकर जल विद्युत के क्षेत्र में रुचि दर्शायी थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किए गए अन्य मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इन परियोजनाओं को किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) वर्ष 1991 में भारत सरकार की निजी विद्युत नीति घोषित हो जाने के बाद विदेशी निवेशक समय-समय पर भारत का दौरा करते रहे हैं और देश के निजी विद्युत कार्यक्रम में भागेदारी हेतु अपनी अभिरूचि दर्शाते रहे हैं। अब तक निजी क्षेत्र जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों, जिनमें विदेशी निवेशकों की भागेदारी शामिल है, का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

क्र०सं०	परियोजना का नाम/प्रवर्तक/राज्य	क्षमता (मे०वा०)	विदेशी प्रवर्तक का नाम
1.	श्रीनगर एच०ई०पी० मै० डंकम्स नॉर्थ हाइड्रो पावर कं०लि०, उत्तर प्रदेश	4x82.5	मै० सिनर्जिक एनर्जी डेवलेपमेंट इंक० यू०एस०ए०
2.	महेश्वर एच०ई०पी०, मै० श्री महेश्वर हाइडल पावर कार्पोरेशन लि०, मध्य प्रदेश	10x40	ऑग्डेन एशिया पैसेफिक, यू०एस०ए०/सीमेंस ए०जी०, जर्मनी/ए०बी०बी०, जर्मनी
	के०वि०प्रा० और प्रवर्तकों की सिद्धांत रूप में स्वीकृति प्राप्त परियोजनाएं और जिन्हें तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु पूर्व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के०वि०प्रा० को प्रस्तुत करनी अपेक्षित है।		
1.	अपर कृष्णा एच०ई०पी० मै० चामुंडी पावर कार्पोरेशन लि०, कर्नाटक	1107	मै० चामुंडी पावर कार्पोरेशन लि० टैपको, यू० एस०ए०/एशिया पावर डेवलेपमेंट, न्यूजीलैंड/जी०ई० (हाइड्रो) यू०के०
2.	धामवाड़ी सुंडा एच०ई०पी०, मै० धामवाड़ी पावर कंपनी, हिमाचल प्रदेश	70	मै० धामवाड़ी पावर कंपनी/हरजा इंजीनियरिंग, यू०एस०ए०

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में जड़ी-बूटियां

4409. श्री उत्तमराव पाटील : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के वनों और पहाड़ी क्षेत्रों में किन्हीं जड़ी-बूटियों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में वर्तमान जड़ी-बूटियों के संरक्षण और विकास हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) इस मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में औषधीय पौधों की अभी तक कोई बृहत सूची तैयार नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र में कुछ चुने हुए क्षेत्रों में औषधीय पौधों के संरक्षण की एक प्रायोगिक पैमाने की परियोजना शुरू की गई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू०एन०डी०पी०) द्वारा समर्थित इस परियोजना में औषधीय पौधों की पहचान और इनका स्व-स्थाने संरक्षण शामिल है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हामिद नगर बैराज में जल परियोजना

4410. श्री अरुण कुमार : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार सरकार ने पुनपुन नदी पर हामिद नगर बैराज सहित नई जल परियोजनाएं स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्षमता और अनुमानित लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में बिहार सरकार से हमीद नगर के समीप पुनपुन नदी पर हाइडल परियोजना स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि, मई 2000 में बिहार सरकार से केन्द्रीय जल आयोग में 84.55 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पुनपुन बांध बनाने संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इससे संबंधित विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर राज्य सरकार को टिप्पणी भेज दी गई है। परियोजना की मंजूरी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन एजेंसियों के अभिमतों की अनुपालना पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

गुजरात का थर्मल बीज मठाको

4411. श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के थर्मल बीज मठाको के पर्यावरणीय प्रभावों के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन हेतु गुजरात परिस्थितिकीय आयोग का 1.10 करोड़ रुपए खर्च करने के किसी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वायु प्रदूषण

4412. श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण ने दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने हेतु कठोर उपाय करने और इन्द्रप्रस्थ बिजलीघर को बंद करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय ले लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने दिल्ली विद्युत बोर्ड के प्रस्तावित प्रगति विद्युत संयंत्र का पर्यावरणीय अनुमोदन इस शर्त पर किया है कि इस नए संयंत्र के प्रारम्भ होने के छः महीने के भीतर वर्तमान इन्द्रप्रस्थ थर्मल पॉवर स्टेशन को बंद कर दिया जाएगा।

प्रति व्यक्ति टेलीफोन सुविधा

4413. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में प्रत्येक राज्य विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसतन कितनी टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : 31.10.2000 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति 100 व्यक्ति, औसत प्रति व्यक्ति टेलीफोन सुविधा के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं तथा आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा जिले के लिए ये क्रमशः 1.47 तथा 8.13 है।

विवरण

31.10.2000 की स्थिति के अनुसार प्रति 100 व्यक्ति राज्य-वार ग्रामीण तथा शहरी प्रति व्यक्ति टेलीफोन सुविधा

क्र०सं०	राज्य का नाम	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1.14	8.64
2.	असम	0.22	8.34
3.	बिहार	0.17	3.95
4.	गुजरात	1.19	10.70
5.	हरियाणा	1.10	10.94
6.	हिमाचल प्रदेश	2.82	22.64
7.	जम्मू-कश्मीर	0.13	5.76
8.	कर्नाटक	1.38	9.30
9.	केरल	4.38	10.83
10.	मध्य प्रदेश	0.82	5.12

1	2	3	4
11.	महाराष्ट्र	1.03	12.51
12.	उत्तर पूर्व	0.43	5.35
13.	उड़ीसा	0.41	5.98
14.	पंजाब	2.13	14.19
15.	राजस्थान	0.71	6.99
16.	तमिलनाडु	0.44	12.81
17.	उत्तर प्रदेश	0.24	5.74
18.	पश्चिम बंगाल	0.41	7.31
19.	दिल्ली	0.00	16.29
	योग (अखिल भारत)	0.74	9.19

टिप्पणी : गुजरात राज्य में दादर दीव, दमन व नगर हवेली (संघ-राज्य क्षेत्र) शामिल हैं।

केरल राज्य में लक्षद्वीप (संघ-राज्य क्षेत्र) शामिल है।

महाराष्ट्र राज्य में गोवा तथा मुंबई शामिल हैं।

उत्तर-पूर्व दूरसंचार सर्किल में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा राज्य शामिल हैं।

पंजाब राज्य में चंडीगढ़ (संघ-राज्य क्षेत्र) शामिल हैं।

तमिलनाडु राज्य में चेन्नई तथा पांडिचेरी (संघ-राज्य क्षेत्र) शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल राज्य में कलकत्ता तथा सिक्किम, अंडमान निकोबार राज्य शामिल हैं।

बिहार राज्य में झारखंड राज्य शामिल हैं।

मध्य प्रदेश राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य शामिल है।

उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल राज्य शामिल है।

गांवों में टेलीफोन सेवा

4414. श्री सुनील खां : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के मांकर क्षेत्र के कितने गांवों में फिलहाल टेलीफोन सेवा उपलब्ध है और कितने गांवों में अभी तक टेलीफोन सेवा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) शेष गांवों में उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जिला बर्दवान के मांकर क्षेत्र के 15 गांवों में दूरसंचार सुविधा उपलब्ध है। ऐसे गांवों की संख्या 12 हैं जहां अभी तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ख) मार्च, 2002 तक शेष गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना बना ली गई है।

सील की गई इकाइयों में धोखाधड़ी

4415. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3.11.2000 को "द स्टेट्समैन" में "लॉयर हैल्ड फॉर ओपनिंग सील्ड यूनिट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के वरिष्ठ अधिकारी भी इस धोखाधड़ी में शामिल हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

एयरटैल टेलीफोन कम्पनी

4416. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयरटैल कम्पनी बिहार में अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो फिलहाल कितने जिलों में यह सेवा उपलब्ध है;

(ग) क्या राज्य के कतिपय जिले अब भी इस सेवा से वंचित हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन जिलों में यह सेवा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डाकघरों के निर्माण/मरम्मत संबंधी शिकायतें

4417. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को डाकघर की इमारतों/स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण/मरम्मत की घटिया गुणवत्ता और घटिया निर्माण सामग्री लगाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो डाकघरों के निर्माण/मौजूदा डाकघरों की मरम्मत की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राज्यवार क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

सिंचित/असिंचित क्षेत्र

4418. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई वाला/बिना सिंचाई वाला है और इस संबंध में राज्यवार वास्तविक ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बिना सिंचाई वाले क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं पहुंचाने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम शुरू किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) देश के सिंचित/असिंचित क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है :–

(ख) और (ग) सरकार द्वारा सिंचित क्षेत्रों के विस्तार हेतु क्रियान्वित मुख्य स्कीम/कार्यक्रम निम्नवत हैं :–

(i) सृजित और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता के मध्य अंतर समाप्त करने के लिए मूल उद्देश्य से एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम ''कमान क्षेत्र विकास'' प्रारंभ की गई थी ताकि सिंचित कमान क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सके। स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित परिकल्पना की गई है :–

- खेतों में जलमार्ग का निर्माण
- भूमि समतलन और उसे उचित आकार देना
- जल की उचित ढंग से आपूर्ति के लिए वारबन्दी का क्रियान्वयन
- खेतों में नाली निर्माण
- टपका और छिड़काव प्रणालियों को अपनाना
- भू पृष्ठ जल और भू जल का संयुक्त उपयोग

(ii) भारत सरकार वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है जिसके अन्तर्गत केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को उनकी चयनित वृहत् सिंचाई और बहु-उद्देशीय परियोजनाओं को समय पूर्व पूरा करने के लिए समान अंश आधार पर केन्द्रीय ऋण सहायता दी। वर्ष 1999-2000 में सहायता प्रतिमान उदार बना दिये गये तथा इस स्कीम के अधीन पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों तथा उड़ीसा के सूखा प्रवण जिलों की लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए सहायता दी जा रही है। सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए संशोधित निधिकरण प्रतिमान 2:1 (केन्द्र और राज्यों का अंश) के अनुपात में है जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा के चयनित जिलों के लिए निधिकरण का प्रतिमान 3:1 (केंद्र:राज्य) के अनुपात में है वर्ष 1999-2000 के दौरान 1460.60 करोड़ रु० की केन्द्रीय ऋण सहायता निर्मुक्त की गई।

(iii) ग्रामीण अवसंरचना, जिसमें चालू सिंचाई परियोजनाएं, पनधारा विकास मृदा सरंक्षण, बाढ़ नियंत्रण, जल निकास, सड़क और पुल आदि शामिल हैं, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के तत्वावधान में ग्रामीण अवसरंचना विकास निधि शुरू की गई।

विवरण

वर्ष 1996-97 के दौरान मुख्य राज्यों के अंतर्गत सिंचित और असिंचित क्षेत्र

(हजार है०)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निवल सिंचित क्षेत्र	असिंचित क्षेत्र	निवल बुवाई का क्षेत्र
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	4395	6439	10834
अरुणाचल प्रदेश	36	149	185
बिहार	3624	3713	7337
गुजरात	3042	6558	9600
हरियाणा	2755	860	3615
हिमाचल प्रदेश	105*	453*	558*
जम्मू व काश्मीर	313	420	733
कर्नाटक	2325	8285	10610
केरल	357	1912	2269
मध्य प्रदेश	6399	13395	19794
महाराष्ट्र	2567	15309	17876

1	2	3	4
उड़ीसा	2090 @	3878	5968
पंजाब	3847 *	292 *	4139 *
राजस्थान	5588	11202	16790
तमिलनाडु	2892	2594	5486
उत्तर प्रदेश	11999	5476	17475
पश्चिम बंगाल	1911	3552	5463
अखिल भारत	55143	87676	142819

@वर्ष 1993-94 से संबंधित
*वर्ष 1995 96 से संबंधित

भारतीय टेलीफोन उद्योग का निष्पादन

4419. श्री राम सिंह कस्वां :
श्री रामशकल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय टेलीफोन उद्योग ने देश में स्थान-वार कितने संयंत्र स्थापित किए हैं;

(ख) इन संयंत्रों में फिलहाल विनिर्मित विभिन्न उपकरणों/उपस्करों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये संयंत्र दूरसंचार क्षेत्र के लिए आवश्यक सभी उपकरणों/उपस्कारों का विनिर्माण करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय टेलीफोन उद्योग का निष्पादन कैसा रहा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्री (आई०टी०आई०) द्वारा देश में 7 संयंत्र लगाए गए हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं :–

1. मुख्य संयंत्र, बेंगलूर, कर्नाटक
2. ई०सी० संयंत्र, बेंगलूर कर्नाटक
3. पलक्कड़ संयंत्र, केरल
4. नैनी संयंत्र, उत्तर प्रदेश
5. राय बरेली संयंत्र, उत्तर प्रदेश
6. मनकापुर संयंत्र, उत्तर प्रदेश
7. श्रीनगर संयंत्र, जम्मू एवं कश्मीर

(ख) इस समय, उक्त संयंत्रों द्वारा निर्मित विभिन्न उपस्करों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

1. स्विचन उपस्कर — ओ०सी०बी० 283 (स्थानीय) ओ०सी० बी०, 283 (टी०ए०एक्स०), सी-डॉट एक्सचेंज, छोटे एक्सचेंज जैसे आई० एल०टी० तथा एम०एल०टी०
2. संचारण उपस्कर — डिजीटल रेडियो, आप्टिक फाइबर (पी० डी०एच०) तथा एस०डी०एच०, एम०सी०पी०सी० वी० सैट, सी-डॉट (टी०डी०एम०ए०)
3. टर्मिनल उपस्कर : टेलीफोन उपकरण।

(ग) आई०टी०आई० दूरसंचार क्षेत्र के लिए अपेक्षित औजार नहीं बनाता। दूरसंचार क्षेत्र के लिए अपेक्षित अधिकांश उपस्करों का निर्माण आई०टी०आई० लि० द्वारा किया जाता है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आई०टी०आई० लि० का निष्पादन इस प्रकार रहा :

(राशि करोड़ रु० में)

	1999-2000	1998-99	1997-98
बिक्री का टर्नओवर	2085.18	1539.09	1263.05
लाभ	45.79	27.10	15.26

[अनुवाद]

सी-डॉट द्वारा पदों का सृजन

4420. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने 5 अगस्त, 1999 से योजना और गैर-योजना वाले पदों के सृजन पर कोई प्रतिबंध लगा रखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सी-डॉट ने नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति और वित्त मंत्रालय से पूर्व-स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही, संयुक्त सचिव के पद सृजित किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है या करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। सी-डॉट ने 5 अगस्त, 1999 के बाद संयुक्त सचिव-स्तर का कोई पद सृजित नहीं किया है।

(ग) मे (ङ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना

4421. **श्री भान सिंह भौरा :**
श्री जे०एस० बराड़ :
श्री विनोद खन्ना :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोपड़ से होशियापुर, दसूहा, मुकेरियां, गुरदासपुर, कठुआ को जोड़ने वाले राज्य-मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में शामिल करने के लिए निर्धारित मानदंडों अर्थात यातायात आवश्यकता, राज्य सरकारों से प्राप्त अन्य प्रस्तावों के साथ पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

ऊर्जा बचत विधि प्रणाली

4422. **डा० बी०बी० रमैया : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र जैसी गतिविधियों को ऊर्जा बचत विधि उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रयास नहीं किए हैं और बजटीय सहायता भी कम कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में ऊर्जा बचत बढ़ाने और इसे अधिकतम स्तर तक ले जाने हेतु सरकार की भविष्योन्मुखी रणनीति और संस्थागत तंत्र का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत संवर्धन और ऊर्जा के सुदुपयोग के लिए एक दीर्घावधि कार्य नीति बनाई है। सरकार ने ऊर्जा दक्षता और इसके संवर्धन, आर्थिक रूप से सभी क्षेत्रों में (कृषि, घरेलू और वाणिज्यिक) प्रोत्साहनों हेतु बजटीय सहायता प्रदान कर रही है। उनकी गतिविधियों में, विद्युत संयंत्रों और उद्योगों की लेखा परीक्षा, व्यापक जागरूकता अभियान, जनशक्ति को प्रशिक्षण, ऊर्जा संवर्धन प्रोत्साहन, पारेषण एवं वितरण हानियां, ऊर्जा दक्षता विद्युत उत्पादन प्रौद्योगिकियों को आरंभ करना और प्रकाश व्यवस्था, कृषि एवं उद्योग क्षेत्रों में ऊर्जा दक्ष उपकरणों को प्रोत्साहन देना शामिल है।

विद्युत मंत्रालय ने लोक सभा में 24 फरवरी, 2000 को ऊर्जा संरक्षण विधेयक, 2000 को प्रस्तुत किया। विधेयक में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :–

(क) देश में ऊर्जा दक्षता को बेहतर बनाने एवं इसके संवर्धन के लिए नियम बनाने एवं लागू करने हेतु मौजूदा ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र के विलय द्वारा ऊर्जा संवर्धन ब्यूरो स्थापित करना।,

(ख) किसी भी उपकरण, जो कि विद्युत उत्पादन, पारेषण अथवा ऊर्जा आपूर्ति में उपयोग की जाती है, ऊर्जा मानक खपत एवं प्रक्रिया हेतु मानदंड को विनिर्दिष्ट करना।

(ग) विनिर्दिष्ट उपस्करों का विनिर्माण अथवा क्रय या विक्रय न किया जाए जब तक ऊर्जा की मानक खपत की पूर्ति न हो जाए और

(घ) प्रत्यक्ष रूप से विनिर्दिष्ट उपस्करों अथवा उपकरणों पर ब्यौरों लेबल प्रदर्शित हो।

तमिलनाडु में सौर ऊर्जा परियोजनाएं

4423. **डा० वी० सरोजा : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के पास तमिलनाडु सहित देश के विभिन्न राज्यों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के संवर्धन के लिए अनेक योजनाएं हैं। सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के अंतर्गत सौर प्रकाशवोल्टीय (पी०वी०) विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए तथा सौर लालटेनों, घरेलू रोशनी प्रणालियों, सड़क रोशनी प्रणालियों और सौर पंपों के उपयोगकर्त्ताओं के लिए आर्थिक राज सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्यिक उपयोगकर्त्ताओं के लिए, मंत्रालय के अंतर्गत एक वित्तीय संस्था, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) से उदार ऋण उपलब्ध हैं। सौर तापीय कार्यक्रम के अंतर्गत, सौर जल तापन, शुष्कन एवं अन्य प्रणालियों के उपयोगकर्त्ताओं को इरेडा तथा कुछ बैंकों के माध्यम से उदार ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। तमिलनाडु में, राज्य सरकार भी तमिलनाडु ऊर्जा विकास एजेंसी (टी०ई०डी०ए०) के माध्यम से कुछ सौर युक्तियों के लिए आर्थिक राज सहायता उपलब्ध करा रही है। निजी संगठनों के द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों अथवा इरेडा से ऋण का उपयोग करके कुछ परियोजनाएं भी कार्यान्वित की गई हैं।

तमिलनाडु में पहले से ही आरंभ की गई कुछ सौर ऊर्जा परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :–

1. इस राज्य में विभिन्न स्थानों पर 232 कि०वा० की समग्र क्षमता के साथ 8 सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र संस्थापित किए गए हैं।

2. मंत्रालय के कार्यक्रमों के अंतर्गत अब तक 7493 सौर लालटेन, 21 घरेलू रोशनी प्रणालियां, 2081 सड़क रोशनी प्रणालियां और 692 सौर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। वर्ष 2000-01 के दौरान, तमिलनाडु के लिए 2000 सौर लालटेन, 50 घरेलू रोशनी प्रणालियां और 100 सड़क रोशनी प्रणालियां आवंटित की गई हैं।

3. तमिलनाडु ऊर्जा विकास एजेंसी (टेडा) ने इस राज्य में 2822 घरेलू जल तापन प्रणालियां तथा 333 अपेक्षाकृत बड़ी जल तापन प्रणालियां स्थापित की है। वर्ष 2000-01 के दौरान, इस राज्य सरकार द्वारा 300 घरेलू प्रणालियां तथा 15 अपेक्षाकृत बड़ी जलतापन प्रणालियां स्वीकृत की गई हैं।

4. निजी कंपनियों द्वारा चाय, मसाले, सब्जियां इत्यादि सुखाने के लिए अनेक सौर औद्योगिक शुष्कन प्रणालियों की स्थापना की गई है।

5. अनुसंधान एवं विकास परियोजना के रूप में भाप उत्पादन एवं खाना पकाने के लिए मंत्रालय द्वारा ओरेविले में एक सौर याऊल संकेन्द्रण प्रणाली की सहायता की गई है। मंत्रालय की अनुसंधान एवं विकास सलाहकार समिति द्वारा वेल्लोर में एक 10 कि०वा० क्षमता की सौर स्टर्लिंग इंजन प्रणाली की स्थापना एवं परीक्षण के लिए एक परियोजना की भी सिफारिश की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मेकोंग-गंगा लिंक परियोजना

4424. श्री जी० गंगा रेड्डी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेकोंग-गंगा लिंक परियोजना शुरू कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत कम्बोडिया, लाओ पी०डी०आर०, म्यांमार, थाइलैंड और वियतनाम के बीच मेकोंग-गंगा सहयोग संबंधी वियनतियान घोषणा पर लाओस में 10 नवम्बर, 2000 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस पहल का उद्देश्य पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन और संचार के क्षेत्रों में छह देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना है।

वनभूमि का अन्य कार्यों में उपयोग

4425. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनभूमि का अन्य विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को इस संबंध में कोई निदेश जारी किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) जी, हां। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अन्तर्गत वन भूमि का विभिन्न अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे प्रयोग की अनुमति के लिए नीति और प्रक्रिया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और उसके अन्तर्गत बनाए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार है जिसके बारे में राज्य सरकारों को समय-समय पर सूचित किया जाता है।

[हिन्दी]

बोकारो ताप विद्युत केन्द्र में "ऐश बूस्टिंग पंप" की विफलता

4426. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग तीन वर्ष पहले बोकारो ताप विद्युत केन्द्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 20 करोड़ रुपये की लागत से एक "ऐश बूस्टिंग पम्प हाऊस" और लगभग 5 कि०मी० लम्बी पाइपलाईन का निर्माण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना विफल रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस परियोजना की विफलता के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की है और इस संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंवती मेहता) : (क) जी, हां। फरवरी, 1999 में एक ऐश बुस्टिंग पंप हाउस तथा इनसे संबंधित 5 कि०मी० लम्बाई वाले चार सी०आई० पाइप का निर्माण/उत्थापन किया गया तथा पानी द्वारा पाइप लाइनों का परीक्षण किया गया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

मजबूरी में फसल बेचने वाले किसानों को मुआवजा

4427. श्री प्रसन्न आचार्य : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर धान और गेंहू की फसल को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार किसानों द्वारा मजबूरी में फसल बेचे जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठा रही है या उठाने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के किसानों को मुआवजा देने का है जहां से मजबूरी में फसल बेचे जाने की सूचना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) जी, हां। बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से खरीफ विपणन मौसम 2000-2001 के दौरान चावल तथा मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से रबी विपणन मौसम 2000-2001 के दौरान गेहूं की मजबूरी में बिक्री के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन रिपोर्टों को भारतीय खाद्य निगम और संबंधित राज्य सरकारों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया ताकि उनकी पुनरावृत्ति से बचा जा सके। साथ ही एम०टी०यू० 7029 में 10% से 13% तक चावल में निम्न श्रेणी के सम्मिश्रण में वृद्धि करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

निधियों का उपयोग

4428. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय 1997-98 के दौरान 281.08 करोड़ रुपये का उपयोग करने में विफल रहा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी खंड के अंतर्गत व्यय न की जा सकी धनराशि में तीव्र वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) पूंजी खंड के तहत 220.26 करोड़ रु० की राशि उपयोग में नहीं लाई जा सकी।

(ख) उपर्युक्त धनराशि को उपयोग में न लाए जाने का प्रमुख कारण था – राज्यों द्वारा कम व्यय करना और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को धनराशि के आबंटन में कमी करना।

(ग) 1997-98 से पहले के तीन पूर्ववर्ती वर्षों में व्यय न की जा सकी धनराशि में वृद्धि हुई है।

(घ) जहां कहीं भी किसी प्रकार की अड़चनें हैं, वहां उचित निवारक उपाय करने के लिए कार्यों की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है ताकि कार्यों को वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, प्रतिपूर्ति करके भुगतान करने की वर्तमान प्रणाली, जिसमें विलम्ब होता था, की समीक्षा की गई है और जहां कहीं भी आवश्यक है, निधियों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष भुगतान की प्रणाली शुरू की गई है।

'फ्लाई ऐश' का फसलों पर प्रभाव

4429. श्री सुबोध राय : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने कुछ फसलों पर 'फ्लाई ऐश' के प्रभाव का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 'फ्लाई ऐश' में ऐसे विषैले और भारी धातु कण होते हैं जो भूमि की उपजाऊ क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं;

(ग) क्या मिशन परियोजना के तहत किए जाने वाले दीर्घावधि अध्ययनों के परिणाम प्राप्त हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो अध्ययनों के निष्कर्ष सरकार को कब तक सौंप दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) 'फ्लाई ऐश' में निकल, कैडमियम और शीशा जैसे विषैले और भारी धातु कण शामिल होते हैं जो दीर्घावधि में मृदा के उपजाऊपन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

(ग) से (ङ) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 'फ्लाई ऐश' का कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग का पता लगाने के लिए एक 'मिशन-मोड' परियोजना कार्यान्वित की है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत चल रही परियोजना के प्राथमिक अध्ययनों ने दर्शाया है कि औसतन पैदावार में 15-20 प्रतिशत के क्रम में वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

राज्यों में पर्यावरण संबंधी कृतिक बल

4430. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने जिलों में पर्यावरण संबंधी कृतिक बल गठित किए गए हैं;

(ख) पर्यावरण सुधार हेतु अब तक कौन-कौन से कार्य किए गए हैं और इस संबंध में क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्य के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या योजना के तहत और अधिक जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (छ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा देश में किसी तरह के पर्यावरणीय कार्य बल का गठन नहीं किया गया है। तथापि 4 पारि-कार्य बलों का गठन किया गया है जो इस समय क्रमश: देहरादून (उत्तर प्रदेश), पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश), मोहनगढ़ (राजस्थान) और साम्बा (जम्मू कश्मीर) में कार्य कर रहे हैं। नवीं योजना में 1997-2000 के दौरान इन कार्य बलों द्वारा 4,529 हेक्टेयर वनेत्तर भूमि पर मृदा संरक्षण और पौधरोपण कार्य किए गए हैं जिसके लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 1683 लाख रु० का व्यय किया गया था। इस संबंध में राज्यों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। बजटीय कठिनाइयों के कारण नवीं योजना में स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव नहीं है।

नर्मदा घाटी परियोजना

4431. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने नदी घाटी परियोजना की जल परियोजना रिपोर्ट को किस आधार पर अनुमोदित किया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के तहत विभिन्न पनधारा परियोजनाओं को उनके वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार चरण-वार कितनी निधियां प्रदान की गईं;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने इस संबंध में कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या नर्मदा घाटी परियोजना प्राधिकरण ने स्वीकृत लक्ष्य के अनुसार व्यय हेतु अनुमोदित चरण-वार वार्षिक व्यय पद्धति संबंधी मानदण्डों पर ध्यान नहीं दिया है;

(ङ) यदि हां, तो नदी घाटी परियोजना के तहत मध्य प्रदेश और नर्मदा घाटी परियोजना प्राधिकरण को प्रदान की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल ने उक्त राशि का लेखा संबंधी ब्यौरा भेज दिया है; और

(छ) यदि नहीं, तो ऐसे ब्यौरा देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) नदी घाटी परियोजनाओं में शामिल आवाह क्षेत्रों पर सर्वेक्षण एक केन्द्रीय संगठन अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है एवं आवाह क्षेत्रों को छोटी पनधाराओं में विभक्त किया जाता है और मृदा अपरदन तथा पानी के बहाव के कारण पनधाराओं के अवक्रमण की सीमा तथा गम्भीरता के आधार पर उन्हें पांच श्रेणियों अर्थात बहुत अधि, अधिक, माध्यम, कम तथा बहुत कम में प्राथमिकता दी गई है। केवल अधिक तथा बहुत अधिक अवक्रमित पनधाराओं को ही इस स्कीम के अन्तर्गत सुधार को पात्रता है। स्कीम के दिशा निर्देशों के अनुसारण में राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित केवल उक्त श्रेणियों की पनधाराओं को ही मंजूरी दी जाती है।

(ख) से (छ) नदी घाटी परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कृषि एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को प्रदत्त धनराशि तथा राज्य सरकार द्वारा सूचित व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

वास्तविक तथा वित्तीय उपलब्धियों के बारे में राज्य सरकार के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन से ज्ञात होता है कि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। राज्य सरकार को स्कीम के कार्यान्वयन में सुधार करने का परामर्श दिया गया।

विवरण

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-नदी घाटी परियोजनाओं के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त तथा व्यय की गई केन्द्रीय सहायता

करोड़ रुपये

क्र०सं०	वर्ष	मध्य प्रदेश			
		कृषि विभाग		नर्मदा घाटी विकास विभाग	
		निर्मुक्त	व्यय	निर्मुक्त	व्यय
1.	दिनांक 1.4.97 को शेष (पुन: वैधीकृत)	3.64		0.26	
2.	1997-98	7.00	6.87	2.00	2.00
3.	1998-99	10.33	8.70	5.60	3.72
4.	1999-2000	8.00	8.03	5.00	4.38
	कुल	28.99	23.60	12.86	10.10

[अनुवाद]

भूमिगत टेलीफोन केबलों की कमी

4432. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूमिगत टेलीफोन केबलों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितना धन आबंटित किया गया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) वर्ष के दौरान भूमिगत टेलीफोन-केबल को उत्तरोत्तर रूप से प्राप्त किया जाता है। अब तक की स्थिति के अनुसार केबल की कोई कमी नहीं है। वार्षिक आवश्यकता के 75 प्रतिशत के आदेश पहले ही दे दिए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष के पूरा होने से पहले उपयोग के लिए बकाया 25 प्रतिशत केबलों को प्राप्त करने की कार्रवाई चल रही है।

(ग) वार्षिक योजना 2000-2001 के लिए 5160.70/-करोड़ रु०।

महाराष्ट्र में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित परियोजनाएं

4433. **श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी** : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष महाराष्ट्र के लिए स्वीकृत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तब से इनमें से कोई परियोजना पूरी और चालू हो चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इन परियोजनाओं के कब तक पूरी होने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) मे (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य में बायोगैस, उन्नत चूल्हों, विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम, लघु पन बिजली, बायोमास गैसीफायर, पवन विद्युत, सौर कुकर और सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम आदि जैसे विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में महाराष्ट्र राज्य में स्वीकृत और कार्यान्वित की गई परियोजनाओं/योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अपेक्षाकृत बड़ी परियोजनाओं में से नागपुर शहर में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से 4 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की एक परियोजना के दिसम्बर, 2001 तक पूरे होने की संभावना है, बायोमास गैसीफायर से विद्युत उत्पादन के लिए 1 मे०वा० (2×500 किवा०) की एक परियोजना के 2000-2001 के अंत तक पूरे होने की संभावना है और लघु पन बिजली से 3 मेवा० क्षमता की एक परियोजना के 2001-2002 के अंत तक पूरे होने की संभावना है। यह भी आशा है कि वर्ष 2000-01 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में लगभग 80 मेवा० की पवन विद्युत क्षमता और जोड़ी जाएगी।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान स्वीकृत और कार्यान्वित की गई परियोजनाओं/योजनाओं के ब्यौरे

क्रम सं०	परियोजना/योजना का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	बायोगैस (संख्या)	15406	13474	13682
2.	सी०बी०पी०/आई०बी०पी०/एन०बी०पी० (संख्या)	21	35	35
3.	उन्नत चूल्हा (संख्या लाख में)	2.13	1.03	1.10
4.	पवन विद्युत (मेवा०)	0.23	23.34	50.35
5.	लघु पन बिजली (मेवा०)	2.50	0.21	–
6.	बायोमास गैसीफायर (किवा०)	–	100	200
7.	विशेष क्षेत्र प्रर्दशन (संख्या)	5	–	2
8.	सौर कुकर (संख्या)	1520	760	950
9.	एस०पी०वी० जल पंपन प्रणालियां (संख्या)	8	4	20
10.	सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम (सं०)			
	1. सड़क रोशनी	15	44	55
	2. घरेलू रोशनी	28	62	89
	3. सौर लालटेन	276	537	663

सी०बी०पी०/आई०बी०पी०/एन०बी०पी० - सामुदायिक, संस्थागत, विष्ठा आ० अधारित बायोगैस संयंत्र,

एस०पी०वी० - सौर प्रकाशवोल्टीय

मेवा० - मेगावाट, किवा० - किलोवाट

[हिन्दी]

बिहार में कृषि विकास

4434. **मोहम्मद शहाबुद्दीन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार कृषि के क्षेत्र में अन्य राज्यों की अपेक्षा पीछे है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस राज्य में गेहूं और चावल दोनों ही का औसत उत्पादन इनके राष्ट्रीय उत्पादन से काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस राज्य में कृषि के विकास हेतु कोई योजना बनाई है या सरकार को राज्य सरकार से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) कृषि के क्षेत्र में बिहार अन्य राज्यों की अपेक्षा पीछे है। बिहार में विभिन्न फसलों का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन अन्य राज्यों की तुलना में कम है। वर्ष 1998-99 के दौरान अखिल भारतीय स्तर की तुलना में बिहार में कुछ प्रमुख फसलों की उत्पादकता का ब्यौरा निम्नवत है :—

किलोग्राम/हेक्टेयर

फसल	बिहार	अखिल भारत
चावल	1301	1928
गेहूं	1992	2583
खाद्यान्न	1441	1620
तिलहन	699	944
गन्ना	48547	72560

फसल उत्पादकता अनेक कारकों जैसे कृषि जलवायु परिस्थितियों, खेत के आकार, आदानों के अनुप्रयोग, निवेश के स्तर तथा प्रबंधकीय कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। विभिन्न राज्यों में इन कारकों की भिन्नता के कारण उत्पादकता में भी भिन्नता होती है।

(घ) से (च) बिहार सहित देश के विभिन्न भागों में कृषि के विकास के लिए राज्यों को सहायता देने के बारे में सरकार ने परम्परागत स्कीम आधारित व्यवस्था के स्थान पर वृहद प्रबंध व्यवस्था अपनाने का निर्णय लिया है। इस स्कीम के अन्तर्गत कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता/मदद हेतु 27 योजना स्कीमों का विलय एक स्कीम में करने का प्रावधान है, जिससे राज्यों के सामने आ रही दिक्कतों का समाधान करने में सुविधा होगी, विभिन्न स्कीमों की विषय वस्तु में दुहराव से बचा जा सकेगा और कृषि के चहुंमुखी विकास का उद्देश्य हासिल किया जा सकेगा।

सरकार को वृहद प्रबंध स्कीम के अन्तर्गत बिहार सरकार से एक कार्य योजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में डाकघर

4435. श्री बी०के० पार्थसारथी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में ऐसे कितने गांव हैं जहां इस समय कोई डाकघर नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस राज्य के सभी गांवों में डाकघर खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) आन्ध्र प्रदेश में ऐसे गांवों की संख्या 15196 है, जिनमें कोई डाकघर नहीं हैं।

(ख) डाकघर खोलने का काम निर्धारित विभागीय मानदंडों के पूरा होने के अनुसार किया जाता है और बशर्ते कि वित्त मंत्रालय से अपेक्षित पदों की मंजूरी मिल जाए।

(ग) वर्तमान वर्ष (2000-2001) के दौरान आन्ध्र प्रदेश के गांवों में 15 शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नई विद्युत परियोजनाएं स्थापित किया जाना

4436. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में संशोधित नई नीति के अनुसार फिर से प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कुछ प्रस्तावों को वापस भेज दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को इन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार से पुनरीक्षित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) उ०प्र० के राज्य क्षेत्र/निजी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाले ताप विद्युत केन्द्रों से संबंधित प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) विभिन्न कारणों से परियोजना प्राधिकारियों को वापस किये गये प्रस्तावों तथा इससे संबंधित संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

(क) सी०ई०ए० द्वारा स्वीकृत/मूल्यांकित

क्र० सं०	परियोजना का नाम	क्षमता	सी०ई०ए० में प्राप्ति तिथि	टी०ई०सी० की तिथि
1.	अनपारा ''सी'' यू०पी०एस०ई०बी० (सोनभद्रा)	2x500=1000	11/94	9.8.96 मूल्यांकित
2.	रोजा टी०पी०पी० (चरण-I) (मैं० इंडो गोल्फ फर्टिलाईजर एंड केमिकल्स कार्पोरेशन लि०) (शाहजहांपुर)	2x283.5=567.0	04/96	20.8.97
	कुल	1567		

(ख) सी०ई०ए० से जांचाधीन डी०पी०आर०

1.	जवाहरपुर टी०पी०पी० (मैं० जवाहरपुर पावर इंडिया प्राईवेट लि०) (इटावा)	2x400=800	26.12.96	

विवरण-II

वापस की गई स्कीमें/प्रत्यासित डी०पी०आर० की प्रस्तुति

क्र० सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)	सी०ई०ए०
1.	परिचा विस्तार	2x210=420	6/79 (I) 4/89 (II) संशोधित
2.	औरैया जी०टी०	5x120=600	7/84
3.	नरौरा	3x210=630	3/82
4.	प्रतापपुर	2x500=1000	1/84
5.	दोहरीघाट	2x210=420	5/78
6.	बेलगारा रोड़	3x250=75	11/92
7.	आंवला सी०सी०जी०टी०	600	3/91
8.	बबराला सी०सी०जी०टी०	600	4/91
9.	शाहजहांपुर	600	5/91
10.	जगदीशपुर	4x35 (जीटी)+ 2x35 (एसटी)= 210	5/89 (I) 8/90 (II)
	जोड़	5830	

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान

4437. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नोएडा में प्रस्तावित राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान की तर्ज पर एक वनस्पति उद्यान नासिक में भी बनाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) नोएडा में एक राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। देश में अन्यत्र राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इन्टरनेट-सेवाएं

4438. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंटरनेट पर कॉल शुल्क का वर्तमान पैटर्न क्या है;

(ख) क्या इंटरनेट सेवाएं चलाने पर आने वाली लागत अन्य पड़ोसी देशों में इन सेवाओं पर आने वाली लागत की अपेक्षा काफी अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) सभी वैश्विक टेलीफोन सेवा प्रचालक अपने उपभोक्ताओं से इंटरनेट कॉलों के लिए वॉयस कॉलों जितना प्रभार ले रहे हैं। साथ ही, फिलहाल भारत संचार निगम लि० स्थानीय कॉल प्रभारों की दरों पर निकटतम इंटरनेट नोडों को संपर्क प्रदान करने की व्यवस्था भी कर रहा है।

(ख) और (ग) अन्य पड़ोसी देशों की तुलना में, इंटरनेट सेवाएं चलाने की लागत दर्शाने वाली सूचना उपलब्ध नहीं है। वस्तुत:, इंटरनेट सेवा के एक्सेस प्रभारों में लगातार गिरावट का रुख पाया गया है तथा कुछेक इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई०एस०पी०) यह सेवा नि:शुल्क प्रदान कर रहे हैं। साथ ही, सरकार द्वारा किए गए निम्नलिखित उपायों से इंटरनेट सेवा चलाने की लागत घटेगी :–

(i) इंटरनेट सेवा का लाइसेंस शुल्क 31.10.2003 तक माफ कर दिया गया है उसके बाद एक रु० प्रति वर्ष लिया जाएगा।

(ii) इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आई०एस०पी०) को एसिन्क्रॉनस ट्रांस्फर मोड (ए०टी०एम०) – स्विचों, फ्रेम रिले स्विच, रूटर्स, डी०डब्ल्यू०डी०एम० उपकरणों व ईथरनेट-स्विचों जैसे दूरसंचार उपकरणों को 5 प्रतिशत सीमा-शुल्क की रियायती दरों पर आयात करने की छूट दी गई है।

(iii) आई०एस०पी० को सैटेलाइट के प्रयोग के साथ इंटरनेट हेतु अंतर्राष्ट्रीय गेटवे तथा समुद्री केबल माध्यम स्थापित करने की अनुमति दी गई है।

(iv) इंटरनेट एक्सेस की लीज लाइनें वार्षिक किराए पर लेने के लिए बी०एस०एन०एल० 20 प्रतिशत की रियायत दे रहा है।

(v) इंटरनेट ट्रैफिक के वहन हेतु बी०एस०एन०एल०, द्वारा राष्ट्रीय बैकबोन की स्थापना की योजना है। इसका लक्ष्य आई०एस०पी० को सरल इंटर कनैक्ट प्वाइंट देने का है।

(vi) राष्ट्रीय लंबी दूरी की नीति के तहत एक सिरे से दूसरे सिरे तक बैंडविड्थ प्रदान करने हेतु अवसंरचना-प्रदाताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(vii) विदेश संचार निगम लि० ने 1 जनवरी, 2001 से अंतर्राष्ट्रीय पट्टेशुदा सर्किट तथा पोर्ट प्रभारों में भारी कमी करने की घोषणा की है।

[हिन्दी]

एम०टी०एन०एल० में भ्रष्टाचार

4439. डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम०टी०एन० एल०) में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कितने व्यक्ति इसमें लिप्त पाए गए हैं; और

(ग) एम०टी०एन०एल० में इस तरह की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) 359

(ग) निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

(i) अन्य जांच-एजेंसियों के साथ निरन्तर समन्वय स्थापित करके अचानक जांच की जाती है।

(ii) सभी शिकायतों पर तत्परता पूर्वक ध्यान दिया जाता है।

(iii) सभी एक्सचेंजों में अधिक प्रभावी ढंग से प्रारंभिक निगरानी रखी जा रही है।

(iv) दोषी पाये गए कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक सतर्कता के तहत कार्रवाई की जाती है।

भरूच से वापी तक राष्ट्रीय राजमार्ग में सुधार

4440. श्री मानसिंह पटेल : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भरूच से वापी तक राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत की जरूरत है और क्या उक्त राजमार्ग पर यातायात का भारी दबाव होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1996-97 में अहमदाबाद से मुम्बई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्या सुधार किए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) भरूच से वापी खंड सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को अनुरक्षण और मरम्मत की आवश्यकता होती है और ये कार्य लगातार चलते रहते हैं। इस खंड के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वर्ष 2000-2001 के दौरान लोक निर्माण विभाग, गुजरात के भरूच मंडल को 498 लाख रु० की राशि आबंटित की है।

(ग) 1996-97 में इस खंड के सुधार के लिए महाराष्ट्र में 115.94 लाख रु० लागत के तीन कार्य और गुजरात में 2,927.75 लाख रु० लागत के चार कार्य शुरू किए गए थे।

टेलीफोन लाइनों का काम न करना

4441. श्री धर्मराज सिंह पटेल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद जिले के बरौत टेलीफोन केन्द्र की टेलीफोन लाइनें 9 बजे शाम से 9 बजे सुबह तक काम नहीं करती हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त लाइनों को चौबीसों घंटे चालू रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग ''क'' को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दूर-संचार सुविधाएं

4442. श्री हरि भाई चौधरी :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री मानसिंह पटेल :
डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री मनसुखभाई डी० वसावा :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के मांडवी, भरूच और बनासकांठा क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर के बारामूला क्षेत्र, बिहार के बेतिया क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के खीरी (लखीमपुर) क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन-केन्द्र आवश्यकता से कम हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) 31 अक्तूबर, 2000 तक इन क्षेत्रों में टेलीफोन-कनैक्शन के लिए कितने लोग प्रतीक्षा-सूची में हैं; और

(घ) इस प्रतीक्षा-सूची को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	क्षेत्र	क्या निम्नलिखित क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन-एक्सचेंजों की संख्या आवश्यकता से कम है	यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं	31 अक्तूबर, 2000 को इलाके में प्रतीक्षा-सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या	कब तक प्रतीक्षा-सूची को निपटाए जाने की संभावना है
1.	गुजरात में				
	(क) मांडवी	जी, हां	आवश्यकता के अनुसार नए एक्सचेंजों के विस्तार की योजना बना ली गई है।	5960	जुलाई, 2001
	(ख) भरूच	जी, हां		5214	जुलाई, 2001
	(ग) बनासकांठा	जी, हां		7739	जुलाई, 2001
2.	जम्मू कश्मीर में बारामूला	जी, हां	-वही-	4630	जुलाई, 2001
3.	बिहार का बेतिया	ये आवश्यकता के अनुसार है	प्रश्न नहीं उठता	680	मार्च, 2001
4.	उत्तर प्रदेश की खिरी (लखीमपुर)	जी, हां	आवश्यकता के अनुसार नए एक्सचेंजों के विस्तार की योजना बना ली गई है।	3703	मार्च, 2002

[अनुवाद]

कृषि ऋण को माफ किया जाना

4443. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कृषि ऋण और ब्याज को माफ किए जाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के किसानों के भी कृषि ऋण माफ करने का निर्णय किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की प्रस्तावित योजना क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) कृषि मंत्रालय को कृषि ऋण और ब्याज पर छूट देने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) से (च) जी, नहीं। सिद्धान्त रूप में भारत सरकार कृषि ऋण आवृत (बलैन्कैट) छूट देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि यह वसूली वातावरण को विकृत तथा वित्तीय संस्थाओं की व्यवहार्यता को कमजोर करता है।

[हिन्दी]

आगरा-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेनों वाला बनाया जाना

4444. डा० राम लखन सिंह : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेनों वाला बनाए जाने का कार्य शुरू हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्वालियर जिले की वनभूमि से होकर गुजरने वाले इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम शुरू करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र मिल चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के बाइपास की दिशा मोड़ने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के 60 कि०मी० से 70 कि०मी० तक के खंड में पेड़ काटने के लिए विशेष अनुमति दी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52 के चौकीघाट पर पुल का निर्माण

4445. श्री माधव राजवंशी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52 के चौकीघाट में भोराली नदी पर एक पुल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52 को दो लेनों वाले मार्ग में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) परामर्शदाता ने अनुमोदित स्पैन व्यवस्था के आधार पर उस समय यथा विद्यमान नदी के बदले हुए मार्ग के लिए व्यवहार्य अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी०पी०आर०) दिसम्बर, 1997 में प्रस्तुत की। परामर्शदाता द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद नदी के सक्रिय चैनल ने पुल के प्रस्तावित आधार स्थलों को पुन: बाधित कर दिया जिससे कार्यस्थल स्थितियों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा और जिसके कारण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा करने की आवश्यकता हुई। परामर्शदाता ने नया प्रस्ताव तैयार करने से पहले परियोजना के लिए मॉडल अध्ययन करने का सुझाव दिया है। यह मॉडल अध्ययन सेंट्रल वॉटर एंड पॉवर रिसर्च स्टेशन, पुणे द्वारा किया जा रहा है। परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले मॉडल अध्ययन के परिणामों पर भी विचार किया जाएगा।

(ग) परियोजना के लिए मॉडल अध्ययन करने के लिए वार्षिक योजना 2000-2001 में 1.00 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग-52 का बैठा चरली से उत्तरी लखीमपुर (350 कि०मी०) तक का खंड पहले ही दो लेन का है। वार्षिक योजना 2000-01 में उत्तरी लखीमपुर और जोनई के बीच और 10 कि०मी० लम्बाई में दो लेन बनाने का प्रावधान किया गया है। शेष लम्बाई में दो लेन बनाने का कार्य निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन चरणबद्ध रूप में शुरू करने का प्रस्ताव है।

पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा धन का दुरुपयोग

4446. श्री राम सिंह राठवा : क्या विद्युत मंत्री दिनांक 24 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या-4710 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों ने ऊर्जा मीटरों की खरीद हेतु आवंटित धन के उपयोग से संबंधित अपनी रिपोर्टें सौंपी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन राज्य सरकारों द्वारा उपयोग संबंधी रिपोर्टें कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) 1999-2000 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने ऊर्जा मीटरों की खरीद हेतु विद्युत विभाग, मणिपुर सरकार को 516 करोड़ रुपये की ऋण सहायता मंजूर की तथा बीजकों के आधार पर 31 मार्च, 2000 को मणिपुर सरकार को 3.4 करोड़ रुपये जारी किए गए (3.77 करोड़ रुपये का 90% माल की लागत के लिए)। विद्युत विभाग मणिपुर सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा किए भुगतान में से विनिर्माताओं को निम्नलिखित धनराशि जारी की है :–

I. राज्य विद्युत विभाग (एस०ई०डी०) मणिपुर सरकार ने अक्टूबर, 2000 तक मैसर्स कैपिटल पावर सिस्टम्स लिमि० को 1.83 करोड़ रु० जारी किए हैं।

II. रा०वि०वि० ने अक्टूबर 2000 तक मैसर्स एलीमर इलैक्ट्रिक को 1.20 करोड़ रुपये जारी किए है।

III. रा०वि०वि० की सूचना के अनुसार 36.54 लाख रुपये की शेष राशि को शीघ्र ही जारी किया जा रहा है।

(ग) विद्युत विभाग, मणिपुर सरकार द्वारा पुन: यह भी बताया गया है कि उर्जा मीटरों के लिए भुगतान संवितरण चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कर दिया जाएगा।

समेकित मत्स्यन परियोजना

4447. डा० सी० कृष्णन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोची स्थित समेकित मत्स्यन परियोजना के बहुउद्देश्यीय घाट का कार्य कब पूरा हुआ था;

(ख) घाट परियोजना की शुरूआती अनुमानित लागत कितनी थी और पूर्ण होने तक इस पर कुल कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) क्या कोई आंतरिक लेखा परीक्षा की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ङ) समेकित मात्स्यिकी परियोजना, कोची पर बनाई जाने वाली नई बहुउद्देश्यीय जैटी के डिजाइन और अनुमान की तैयारी के लिए 1.50 लाख रुपए की धनराशि कोची पोर्ट ट्रस्ट को दी गई थी। इसके अलावा, प्रस्तावित जैटी के निर्माण के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट की तैयारी तथा मृदा संबंधी जांच पड़ताल के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को 2.32 लाख रुपए की राशि का भी भुगतान किया गया था। कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से परियोजना अनुमान की प्राप्ति के बाद, मंत्रालय में प्रस्ताव की जांच की गई, और यह निर्णय लिया गया कि जैटी का निर्माण न किया जाए और प्रस्ताव को त्याग दिया गया। जैटी के निर्माण के लिए अनुमानित लागत 146.91 लाख रुपए प्रक्षेपित की गई थी। वर्ष 1995-96 के लिए समेकित मात्स्यिकी परियोजना कोची के लेखों का जब स्थानीय लेखा परीक्षण किया जा रहा था तब उसने यह कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि डिजाइन, अनुमान, मृदा जांच पड़ताल आदि पर होने वाला 3.82 लाख रुपए का खर्च निष्फल है। समेकित मात्स्यिकी परियोजना कोची ने मामले की वास्तविक स्थिति की जानकारी स्थानीय लेखा परीक्षा को इस अनुरोध के साथ दी है कि लेखा परीक्षा आपत्ति को समाप्त कर दिया जाए।

पद आधारित रोस्टर

4448. श्री के०एच० मुनियप्पा :
सरदार बूटा सिंह

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने आरक्षण प्रणाली लागू करने के लिए "रिक्ति आधारित रोस्टर" के स्थान पर 2.7.1997 से "पद आधारित रोस्टर" आरंभ किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रिक्ति आधारित रोस्टर के स्थान पर "पद आधारित रोस्टर" आरंभ करते समय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 36012/2/96-ई०एस०टी०टी० (आर०ई०एस०) दिनांक 2.7.97 के पैरा (5) के अनुसार मंत्रालय और सभी स्वायत्त/सांविधिक संगठनों, सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में यदि कोई आधिक्य/कमी हो तो उसका पता लगाने की प्रक्रिया आरंभ की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो 2.7.1997 की स्थिति के अनुसार उक्त सभी श्रेणियों में पाए गए अधिक्य/कमियों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 36012/2/96-स्था० (आर०ई०एस०) दिनांक 2.7.1997 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाले सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्तशासी/सांविधिक संगठनों, सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों (भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड को छोड़कर जो पंजाब राज्य सरकार के आरक्षण नियमों को अपनाते हैं रिक्ति आधारित रोस्टर के स्थान पर पद आधारित आरक्षण रोस्टर आरंभ किया गया है।

(घ) और (ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सभी श्रेणियों की सेवाओं में आरक्षित रिक्तियों में वृद्धि(-)/कमी(-) का संगठनवार ब्यौरा

पद आधारित रोस्टर के बारे में दिनांक 18.12.2000 को लोक सभा में उत्तरार्थ के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबन्ध

संगठन का नाम	समूह क			समूह ख			समूह ग			समूह घ		
	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी
नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन	-713	-481	-17	-76	-96	0	-139	-226	-3	-83	-54	1
नेशनल हाइड्रो पावर कार्पोरेशन	-60	-47	0	-38	-26	0	0	0	0	0	0	0
नाथपा झाकरी पावर कार्पोरेशन	0	-2	-1	-3	0	0	0	0	-1	-1	0	+1
टिहरी हाइड्रो डवलपमेंट कार्पोरेशन	-27	-13	-58	-22	-18	-66	-77	-70	-209	0	-34	-100
पावर फांइनेंस कार्पोरेशन	+2	-3	-34	+1	0	-3	+5	0	-4	+1	+1	0
रूलर इलेक्टिफिकेशन कार्पोरेशन	0	0	-1	0	0	-1	0	-1	-15	0	-4	-34
पावर ग्रिड कार्पोरेशन	0	0	0	-97	-22	0	-137	-437	0	-88	-51	0
नार्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन	-17	+5	0	0	0	0	0	0	-86	0	+191	0
दामोदर वैली कार्पोरेशन	-56	-36	-14	-58	-78	0	0	0	-14	0	0	0
भांखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड						लागू नहीं(*)						
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	+15	-16	-11	-9	-18	-15	+5	-8	-8	0	-1	-1
केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	+7	+1	-15	-8	-4	-26	+38	+20	-65	+83	+3	-63
नेशनल पावर प्रशिक्षण संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
विद्युत मंत्रालय (प्रोपर)	0	0	0	+7	-14	-29	+9	-8	-56	+26	-2	-13

(+) वृद्धि प्रदर्शित करता है।

- कमी प्रदर्शित करता है।

* भांखडा व्यास मेनेजमेंट बोर्ड पंजाब राज्य सरकार के आरक्षण नियमों को अपनाता है।

मूल्य वर्धित सेवाएं

4449. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली पारम्परिक और मूल्यवर्धित सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन सेवाओं में से कौन सी सेवाएं घाटे में चल रही हैं; और

(ग) सरकार द्वारा घाटे से उबरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) डाक विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली पारम्परिक तथा मूल्यवर्धित सेवाओं के नाम इस प्रकार हैं :

पारम्परिक सेवाएं :

1. पोस्टकार्ड	2. मुद्रित पोस्टकार्ड
3. प्रतियोगिता पोस्टकार्ड	4. पत्र-कार्ड
5. पत्र	6. पंजीकृत समाचार पत्र
7. बुक, पैटर्न तथा सैम्पल पैकेट	8. मुद्रित पुस्तकों वाले बुक पैकेट
9. पत्रिकाओं वाले बुक पैकेट	10. पार्सल
11. पंजीकरण	12. मूल्य-देय डाक
13. बीमा	14. मनीआर्डर
15. तार मनीआर्डर	16. भारतीय पोस्टल आर्डर
17. विदेश डाक	18. पावती

मूल्यवर्धित सेवाएं

1. स्पीड पोस्ट	2. एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट
2. बधाई डाक	

(ख) 1999-2000 (कॉस्ट-प्रोजेक्शन) के अनुसार निम्नलिखित सेवाएं घाटे में हैं :–

1. पोस्टकार्ड	2. मुद्रित पोस्टकार्ड
3. प्रतियोगिता पोस्टकार्ड	4. पत्र-कार्ड
5. पंजीकृत समाचारपत्र	6. मुद्रित पुस्तकों वाले बुक पैकेट
7. पत्रिकाओं वाले बुक पैकेट	8. पंजीकरण
9. मूल्यदेय डाक	10. मनीआर्डर
11. तार मनीआर्डर	12. भारतीय पोस्टल आर्डर
13. पावती	

(ग) डाकविभाग को ऐसा नुकसान तो नहीं हो रहा है लेकिन वह घाटे में रहा है। घाटे को रोकने के प्रयोजन से डाक विभाग खर्च को नियंत्रित करने और राजस्व बढ़ाने के लिए सभी प्रयास करता रहा है।

खर्च पर नियंत्रण मितव्ययिता संबंधी उपाय करके तथा खर्च की सूक्ष्म मानीटरिंग करके किया जाता है। विभाग के अंततोगत्वा सामाजिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सेवा के लिए दी गई आर्थिक सहायता को कम करने के लिए डाक दरों में समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन हेतु ईंधनों का उपयोग

4450. **श्री रामजीलाल सुमन :**
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो देश में इस समय इस्तेमाल किये जा रहे ईंधनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इन ईंधनों के उपयोग से होने वाले विद्युत उत्पादन की लागत का अनुमान लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो विद्युत उत्पादन की अनुमानित लागत कितनी है और उपरोक्त में से प्रत्येक ईंधन के उपयोग से देश में परियोजना-वार कितनी वार्षिक विद्युत उत्पादित की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) देश में विद्युत उत्पादन हेतु विभिन्न ईंधनों की अनुमति प्रदान की गई है कि वे हैं, कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, हाई स्पीड डीजल (एच०एस०डी०), कन्डेन्सेट, हेवी फ्यूल ऑयल द्रवित प्राकृतिक गैस, कोरेक्स गैस, आरिमुल्सन और अन्य रिफाईनरी रेजिडयू। विद्यमान नीति के अनुसार विद्युत उत्पादन हेतु प्राथमिक ईंधन के रूप में एच०एस०डी० के उपयोग की अनुमति केवल विशेष मामले में प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) अनुमोदित पूंजीगत लागत, अनंतिम वित्तीय पैकेज, विनिमय दर और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के समय भारत सरकार के मानदंडों के आधार पर विभिन्न ईंधनों का इस्तेमाल करने वाली केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं के लिए सांकेतिक निर्धारित टैरिफ (12 प्रतिशत छूट दर और 68.48 प्रतिशत संयंत्र भार घटक पर) निम्नवत है :–

(I)	कोयला आधारित टी०पी०एस०	1.69 रुपये/कि०वा०घं० से 2.66 रुपये/कि०वा०घं०

(II) लिग्नाइट आधारित	2.09 रुपये/कि०वा०घं० से 2.72 रुपये/कि०वा०घं०
(III) सी०सी०पी०पी०	1.98 रुपये/कि०वा०घं० से 3.91 रुपये/कि०वा०घं०
(IV) डीजल	2.52 रुपये/कि०वा०घं० से 3.60 रुपये/कि०वा०घं०

उपरोक्त ईंधनों के इस्तेमाल से उत्पादित वास्तविक विद्युत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

ऊर्जावार-कार्यनिष्पादन स्थिति अखिल भारत-ईंधनवार

अवधि : अप्रैल-नवम्बर, 2000

राज्य/प्रणालियां और विद्युत उत्पादन का प्रकार	विद्युत उत्पादन (जी०डब्ल्यू०एच०) (वास्तविक)
1	2
ईंधनवार ब्रैकअप	
ताप-कोयला आधारित	
केन्द्रीय क्षेत्र	75458
राज्य क्षेत्र	128056
निजी क्षेत्र	8769
कुल कोयला आधारित	212283
मल्टीफ्यूल फायर्ड	
डी = वर्ण 1-4	725
ट्राम्बे	5278
कुल मल्टीफ्यूल फायर्ड	6003
लिग्नाइट आधारित	
कुल लिगन	629
सूरत आई०पी०पी०	791
नैवेली	9414
कुल लिग्नाइट	10834
तरल ईंधन/गैस आधारित जी०टी०/सी०सी०जी०टी० एन०टी०पी०सी०	
एफ = बाद सी०सी०जी०टी०	1360
अंता जी०टी०	2012
औरैया जी०टी०	3168
दादरी जी०टी०	3702
कवास जी०टी०	3117
गांधार जी०टी०	1560
कयामकूलम	1220
डी०वी०सी०	
मैथान जी०टी०	9
नीपको	
कैथलगुड़ी	783
अगरतला जी०	221
एस०ई०बी०	
डी०वी०बी० जी०टी०	688
पम्पोर जी०टी०	0
रामगढ़ जी०टी०	153
धुवरण जी०टी०	113
उतरान	0
विज = स्वराम	1266
वी० = ब्रिज	97
नरीमणम	16
करैकल जी०	162
पश्चिम बंगाल जी०	2
नामरूप जी०टी०	306
लकवैकोबी	253
वरमपुरा जो०	20
रोखिया जीटी	141
उतरान जी०टी०	496
उरान जी०टी०	2255
निजी	
निजी यूटिलिटी	
वत्वा जी०टी०	336
ट्राम्बे जी०टी०	557
आई०पी०पी०	
हजीरा आई०एम०पी०	453
जी०आई०पी०सी०एल० ।	476

1	2
जी०आई०पी०सी०एल० II	433
पगुथान जी०	2136
डाभोल	2012
जेगरूपाडू	1090
गोदावरी जी०	1040
कोंडापाल्ली	40
कोचिन सी०सी०जी०टी०	85
डी०एल०एफ० असम	81
कुल जी०टी०/सी०सी०जी०टी०	31859
डी०जी० सेट	
येल्हांकाद	395
वल्लेरी डी०जी०	0
ब्रमहापुरा	250
कोझीकोडे डी०	284
बी = ब्रिज डी०	849
कुल डी०जी०	1778
स्टीम टर्बाइन	
डी = वर्ण	733
सी = पुर (ए०एस०एस०)	0
स्टीम टर्ब	733
कुल तरल ईंधन एवं गैस आधारित	34370

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक में संशोधन

4451. श्री राजैया मल्याला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूध, मांस, ऊन और चमड़ा आदि के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले सभी पशुओं को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक में शामिल करने के लिए इसमें संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक संशोधित कर दिये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) पशुधन को शामिल करने का प्रस्ताव है ताकि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, सहकारी समितियों के माध्यम से कार्यक्रमों के नियोजन, संवर्धन तथा वित्तपोषण में सक्षम हो सके। ''पशुधन'' में दूध, मांस, ऊन कतरना (फ्लीस), चमड़ी, ऊन तथा अन्य उपोत्पाद बढ़ाने वाले सभी पशु शामिल हैं।

(ग) यह विधेयक निर्धारित प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के पश्चात् संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

[हिन्दी]

झारखंड में नये डाकघर/उप-डाकघर

4452. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार झारखंड राज्य में नये डाकघर/उप-डाकघर खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) डाकघर खोलने के लिए झारखंड राज्य बिहार डाक सर्किल का एक भाग है। वर्तमान वर्ष (2000-2001) के दौरान नए सृजित झारखंड राज्य के ग्रामीण/शहरी इलाकों में निम्नलिखित डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उप डाकघर
शहरी	शून्य	01
ग्रामीण	10	शून्य
जनजातीय	15	01

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए नयी संभावनाएं

4453. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा संसाधनों में वृद्धि करने हेतु और नयी संभावनाओं को तलाशने के लिए कोई नयी पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए उद्यमियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन में कमी की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्यमियों को अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी, हां। इस मंत्रालय ने नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है। नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान लक्ष्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2000-2001 के दौरान, इस मंत्रालय ने भी अपारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के उपयोग के लिए और अधिक संभावनाओं का पता लगाने के लिए नई चार योजनाएं नामत: अपारंपरिक ऊर्जा में परियोजना तैयारी की सहायता के लिए योजना, अपारंपरिक ऊर्जा में व्यापार विकास और निर्यात उन्नयन के लिए योजना, ग्रामीण ऊर्जा उद्यमिता और संस्थागत विकास (आर०ई०ई०आई०डी०) और महिला तथा अक्षय ऊर्जा विकास शुरू की है।

(ग) से (च) यह मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में कटौती/वृद्धि पर नितांत रूप से परियोजनाओं के वाणिज्यीकरण स्तर और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर विचार करता है। यह मंत्रालय अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं की वृद्धि और स्थापना के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए पहले ही विभिन्न राजकोषीय, वित्तीय और संवर्धनात्मक प्रोत्साहन अर्थात केन्द्रीय आर्थिक राज सहायता, 100% त्वरित अवमूल्यन, रियायती सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क/बिक्री कर से छूट, उदार शर्तों पर ऋण, अक्षय ऊर्जा की व्हीलिंग, बैंकिंग, खरीद-वापसी, तृतीय पक्ष बिक्री के लिए अनुकूल नीतियां आदि उपलब्ध करा रहा है।

विवरण

9वीं योजना अवधि के दौरान कार्यक्रमवार बजटीय आबंटन और निर्धारित वास्तविक लक्ष्य के विवरण

क्रम सं०	कार्यक्रम/योजना	वित्तीय (रु० करोड़ में) 9वीं योजना आवंटन (रु० करोड़)	वास्तविक 9वीं योजना वास्तविक लक्ष्य
1	2	3	4
1.	बायोगैस (एन०पी०बी०डी०)	286.00	10 लाख
2.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र	30.00	800 सं०
3.	उन्नत चूल्हा	84.00	150 लाख
4.	बायोमास/गैसीफायर	25.00	40 मे०वा०
5.	एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम (आई०आर०ई०पी०)	53.00	660 (पुराने ब्लॉक) 200 (नए ब्लॉक)
6.	विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम	8.00	200 ऊर्जा पार्क
7.	ऊर्जाग्राम	1.00	
8.	पशु ऊर्जा कार्यक्रम	2.14	
9.	सौर प्रकाशवोल्टीय प्रदर्शन	219.00	
	एस०पी०वी० घरेलू० रोशनी		2 लाख
	एस०पी०वी० लालटेन		3 लाख
	एस०पी०वी० विद्युत संयंत्र		1.6 मे०वा०
10.	सौर प्रकाशवोल्टीय पंप	46.50	4000 सं०
11.	एस०पी०वी० अनुसंधान एवं विकास	25.00	
12.	सौर तापीय (एसटी) ऊर्जा	34.00	
	सौर जल तापन प्रणालियां (बर्गमी, संग्राहक क्षेत्र)		1.5 लाख
	सौर कुकर		1.5 लाख सं०

1	2	3	4
13.	पवन पंप एवं हाईब्रिड प्रणाली	8.00	1000 सं० 250 कि०वा०
14.	सौर ऊर्जा केन्द्र	24.00	
15.	पवन विद्युत	63.00	1000 मे०वा०
16.	लघु बिजली	187.00	
	(एस०एच०पी०)		130 मे०वा०
	(पनचक्की)		700 सं०
	(मरम्मत एवं रखरखाव)		65 मे०वा०
17.	बायोमास विद्युत	226.00	314 मे०वा०
18.	सौर विद्युत	63.00	141.5 मे०वा०
19.	शहरी एवं औद्योगिक व राष्ट्रीय बायो-ऊर्जा बोर्ड	62.00	42 मे०वा०
20.	नई प्रौद्योगिकी		
	क रासायनिक स्रोत	7.00	
	ख हाईड्रोजन ऊर्जा	4.50	
	ग वैकल्पिक ईंधन	7.50	
	घ महासागरीय ऊर्जा	3.00	
	ङ भूतापीय ऊर्जा	3.00	
21.	सूचना एवं प्रचार	15.00	
22.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	9.00	
23.	परियोजना तैयारी सहायता	2.00	
24.	टाईफैक	6.00	
25.	सेमिनार	2.50	
26.	क्षेत्रीय कार्यालय	4.00	
27.	एन०आई०आर०ई०	20.00	
28.	राज्य नोडल एजेंसियां	15.00	
29.	ग्रामीण ऊर्जा उद्यमिता/संस्थागत विकास	5.00	
30.	बाजार विकास/निर्यात संवर्धन	5.00	
31.	महिला एवं अक्षय ऊर्जा विकास	1.00	
32.	मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण	6.00	
33.	इरेडा		
	क इक्विटी	250.00	
	ख प्रौद्योगिकी वाणिज्यिक निधि	10.00	
	कुल घरेलु बजटीय स्रोत (डी०बी०एस०)	1822.14	
	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ई०ए०पी०)	300.00	
	कुल सकल बजटीय स्रोत (जी०बी०एस०)	2122.14	
	आंतरिक एवं बाह्य बजटीय स्रोत (आई०ई०बी०आर०)	1678.00	
	कुल परिव्यय	3800.14	

मे०वा० = मेगावाट, कि०वा० = किलोवाट, वर्गमी० = वर्गमीटर

[हिन्दी]

किसानों को लाभकारी मूल्य

4454. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और अन्य राज्यों के किसान अपने उत्पादों का लाभकारी मूल्य न प्राप्त कर पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने इस संबंध में किसी वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की सहायता की मांग की है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को अब तक राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की गयी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) किसानों की कठिनाईयों को कम करने तथा धान खरीद करने वाले अभिकरणों को धान की खरीद में समर्थ बनाने के लिए सरकार ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्यों के लिए खरीफ विपणन मौसम 2000-01 हेतु समरूप विनिर्देशों में प्रदत्त 3% के बजाय 8% तक की अधिकतम सीमा तक क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित घुन लगे धान की खरीद की अनुमति दी है।

जिन किसानों के धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे के मूल्य पर हुई थी, राज्य सरकार द्वारा इस अंतर को पूरा करने का भी निर्णय लिया गया है। इस अंतर को पूरा करने से उत्पन्न कुल व्यय अधिकतम 100 करोड़ रुपये होगा। भारत सरकार 50% व्यय की क्षतिपूर्ति करेगी और शेष धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

इसी प्रकार मक्का की मजबूरी में बिक्री संबंधी किसानों की कठिनाइयों को कम करने तथा इससे बचने के लिए सरकार के साथ कर्नाटक में मक्का की खरीद का निम्नवत निर्णय लिया है :–

(i) समरूप विनिर्देशों के अंतर्गत 1.5% तक अधिकतम सीमा के प्रावधान के तहत उपलब्ध मूल्य अब 4.5% के बजाय अधिकतम 2% की सीमा तक क्षतिग्रस्त अनाज के लिए पूरा मूल्य मिलेगा।

(ii) समरूप विनिर्देशों के अंतर्गत 4.5% की अधिकतम सीमा के प्रावधान के तहत मूल्य अब कम क्षतिग्रस्त, बदरंग और हल्के रूप से क्षतिग्रस्त (टच्ड) अनाज के लिए 4.5% के बजाय 6% की अधिकतम सीमा तक पूरा मूल्य मिलेगा।

[अनुवाद]

"विशिष्ट क्षेत्र" की फसल किस्मों का संवर्धन

4455. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में "विशिष्ट क्षेत्र" की फसल किस्मों के संवर्धन हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कंराई गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने सभी मुख्य फसलों, नामत: गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन, कदन्न और वाणिज्यिक/नगदी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए स्थान विशिष्ट फसल किस्मों और प्रौद्योगिकियों को समन्वित एवं विकसित करने हेतु अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं निरूपित तथा विकसित की हैं। उपर्युक्त परियोजनाएं राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों सहित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों, विभिन्न फसलों के परियोजना निदेशालयों आदि द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। विशिष्ट स्थान में अपनाने के लिए सिफारिश करने के पहले इस प्रकार की किस्मों और प्रौद्योगिकियों का विभिन्न कृषि जलवायु स्थितियों के अधीन परीक्षण किया जाता है।

इसके अलावा, क्षेत्र विशिष्ट फसल किस्मों को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दलहन और तिलहन के संबंध में बीज मिनिकिट कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अधीन किसानों के बीच इन की खेती का लोकप्रिय बनाने के फिर इन फसलों की पूर्व निर्युक्त/हाल की निर्मुक्त अधिक उपज देने वाली विशिष्ट उन्नत किस्मों का प्रदर्शन किया जाता है।

2000-2001 के लिए संशोधित अनुमान के अधीन चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के बीच मिनिकिट कार्यक्रम के लिए 696 लाख रुपए (संशोधित अनुमान पर) की धनराशि प्रदान की गई है। दलहन और तिलहन का बीज मिनिकिट केन्द्र प्रायोजित स्कीम क्रमश: राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना और तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अधीन कवर किया जाता है। दलहन और तिलहन के मिनिकिट विभिन्न राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार केन्द्रीय अभिकरणों के जरिए आपूर्त किए जा रहे हैं। वर्ष 2000-2001 के दौरान इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 800 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियां

4456. श्री आर०एस० पाटिल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के नियंत्राधीन सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियां वर्ष 1997 से खाली पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकारी उपक्रम-वार उसके कारण क्या हैं; और

(ग) बकाया आरक्षित रिक्तियों को कब तक भर दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (अ०जा०/अ०ज०जा० (तथा अन्य पिछड़े वर्गों (अ०पि० वर्गों) की कुछ रिक्तियां विद्युत मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में 1997 से नहीं भरी गई हैं।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियां जो भरी नहीं गई हैं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमवार निम्नवत हैं :–

1. **नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन**

अपेक्षित कुशलता/अनुभव/योग्यता रखने वाले व अपेक्षाओं को पूरा करने वाले उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण और 30 प्रतिशत तथा उड़ीसा में एन०टी०पी०सी० द्वारा विद्युत स्टेशनों को अपने नियंत्रण में लेने के कारण अधिशेष जनशक्ति।

2. **नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन**

एस०सी०/एस०टी० और ओ०बी०सी० से संबंधित उपर्युक्त अभ्यर्थियों के अनुपलब्धता होने और जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव दिए गए हैं उनके द्वारा नियुक्ति ग्रहण न करने के कारण।

3. **नाथपा-झाकड़ी पावर कार्पोरेशन**

आरक्षित पदों (बैकलॉग+मौजूदा) को भरने पर 50% की सीमा लगाने के बारे में सरकारी निर्देश होने के कारण एस०/एस०टी० और ओ०बी०सी० हेतु आरक्षित रिक्तियों को अभी तक पूर्णत: नहीं भरा जा सका। संगठन में नई भर्ती बहुत कम हो रही है और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक सीमित है। उपयुक्त एस०/एस०टी० और ओ०बी०सी० अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता और जिन्हें नियुक्ति प्रस्ताव प्रदान किया गया था उन अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति ग्रहण न करना।

4. **टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कार्पोरेशन**

परियोजना प्रभावित लोगों, जिनकी भूमि को परियोजना निर्माण हेतु अधिग्रहित किया गया है, से रोजगार हेतु निरंतर दबाव।

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन

उपर्युक्त आरक्षित अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता, आरक्षित पदों (बैकलॉग+मौजूदा) को भरने पर 50% की सीमा लगाने के बारे में सरकारी निर्देश होने के कारण एस०सी०/एस०टी० और ओ०बी०सी० हेतु आरक्षित रिक्तियों को अभी तक पूर्णत: नहीं भरा जा सका।

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन

निगम में वर्ष 1986 के बाद समूह ख, ग और घ में भर्ती कुछ अनुकम्पा आधारित नियुक्तियों को छोड़कर नहीं हुई।

पावर ग्रिड कार्पोरेशन

एस०सी०/एस०टी० व ओबीसी अभ्यर्थियों से अपर्याप्त प्रतिक्रिया। अर्हता पूरी करने वाले अभ्यर्थियों का पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होना। पावरग्रिड में अन्य संगठनों यथा एन०टी०पी०सी०, एन०एच०पी०सी०, नीपको, एन०एल०सी० से कर्मचारियों का अधिक मात्रा में स्थानांतरण और आमेलन के कारण बैकलॉग को अग्रेषित किया गया।

8. **नार्थ-इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन**

निगम के परियोजना कार्यालय उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सात राज्यों में स्थित हैं और कुछ राज्यों में लगभग 90% जनता एस०टी० श्रेणी के हैं। इसलिए एस०सी० और ओ०बी०सी० हेतु आरक्षित पद भरे नहीं गए।

(ग) आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग को भरने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। डी०ओ०पी० एंड टी० के कार्यालय ज्ञापन सं० 36012/5/97-स्था० (आर०ई०एस०) खण्ड-2 दिनांक 20.7.2000 के द्वारा एस०सी०/एस०टी० व ओ०बी०सी० हेतु आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग पर 50% प्रतिबंध हटाने के मद्देनजर यह प्रत्याशा की जाती है कि आरक्षित रिक्तियों में बैकलॉग को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है।

[हिन्दी]

बिहार में खेलकूल केन्द्र

4457. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के सभी जिलों में हाकी-फुटबाल-कबड्डी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का है ताकि इन खेलों का संवर्धन किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित कर दिये जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

मछुआरों के लिए राहत उपाय

4458. श्री वी०एस० शिवकुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने जून 2000 में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अभूतपूर्व प्रचण्ड वर्षा के कारण बेघर हुए और अपने मछली पकड़ने के उपकरणों को खोने वाले मछुआरों को राहत देने और तटीय सड़कों के पुनर्निर्माण, नारियल के पेड़ों को हुई हानि, समुद्री दीवारों में हुए कटाव आदि के लिए केन्द्र सरकार से 10 करोड़ रुपये की विशेष सहायता मंजूर करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत उपाय शुरू करने की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। भारत सरकार राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है। आवश्यक राहत उपाय करने के लिए आपदा राहत कोष के अंतर्गत धनराशि सहज उपलब्ध है।

केरल सरकार ने भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति में कृषि, आवास, संचार और परिवहन जैसे मुख्य क्षेत्रों में नुकसान का उल्लेख करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है तथा बाढ़ से नुकसान तथा समुद्री अपरदन-रोधी निर्माण कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है। वर्ष 2000-01 के दौरान राहत उपाय शुरू करने के लिए राज्य को अब तक 17.34 करोड़ रुपये के बराबर आपदा राहत कोष का केन्द्रीय अंश निर्मुक्त किया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों की जीर्ण-शीर्ण दशा

4459. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की जीर्ण-शीर्ण दशा की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-69 पर किये जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) 2000-2001 के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितने धन का आबंटन किया गया;

(ङ) क्या इस राष्ट्रीय राजमार्ग की बदहाली को देखते हुए आबंटित धन पर्याप्त है;

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उक्त राजमार्ग की दशा को सुधारने के लिए निकट भविष्य में आबंटित की जाने वाली धनराशि में वृद्धि करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों को सामान्यतया उपलब्ध संसाधनों के भीतर यातायात-योग्य स्थिति में रखा जाता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग-69 पर 2036.70 लाख रु० की अनुमानित लागत पर संस्वीकृत किए गए 11 निर्माण कार्य चल रहे हैं।

(ङ) से (छ) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 69 को सितम्बर, 1998 में राज्य सरकार को सौंप दिया गया था। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है और इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकास कार्य निधियों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप में शुरू किए जा रहे हैं। निधियां राज्य-वार आबंटित की जाती हैं इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग-वार आबंटित नहीं किया जाता है।

बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण

4460. श्री राम टहल चौधरी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए बिहार सरकार को कुल कितना धन आवंटित किया गया;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को बिहार से विद्युत क्षेत्र से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) नौवीं योजना (1997-98 से 2000-2001) के प्रथम तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य का ग्रामीण विद्युतीकरण द्वारा सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत 114.90 करोड़ रु० तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 41 करोड़ रु० आवंटित किए गए हैं।

(ख) से (घ) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने सूचना दी है कि उन्होंने पिछले दो वर्षों के दौरान भारत सरकार को विद्युत क्षेत्र के संबंध में (नई वि० परियोजनाएं) कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

वन भूमि पर फलों के वृक्ष लगाना

4461. प्रो० दुखा भगत: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वन भूमि पर फलों के वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है जिससे न केवल फलों के उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि परिस्थितिकी के अनुकूल पर्यावरण को बनाये रखने में भी सहायता मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए वन भूमि को पट्टे पर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार वन भूमि पर फल वाले वृक्षों की उद्यान किस्मों के पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है। तथापि क्षेत्र के जैव-विविधता संवर्धन के उद्देश्य से अन्य प्रकृतिक रूप से उगने वाली प्रजातियों के साथ-साथ वन भूमि पर जंगली प्रजातियों वाले फल वृक्षों को उगाया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-57 का निर्माण

4462. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-57 को 1996-97 में मंजूरी प्रदान की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किये गये सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के सरेक्षण के लिए चार खण्डों में सर्वेक्षण कार्य आरंभ किया गया था;

(घ) क्या राज्य सरकार ने परामर्शदाता से प्राप्त सरेखण रिपोर्ट को मंजूरी प्रदान कर दी थी और दिसंबर, 1999 में इसे केन्द्र सरकार को अग्रेषित कर दिया था; और

(ङ) यदि हां, तो निर्माण कार्य को आरंभ करने में विलंब के क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 57 31 मार्च, 1997 को अधिसूचित किया गया था।

(ख) सर्वेक्षण कार्य चार विभिन्न पैकेजों में किया जा रहा है जैसाकि नीचे उल्लेख किया गया है :-

पैकेज I	–	मुजफ्फरपुर से दरभंगा
पैकेज II	–	दरभंगा से झंझारपुर
पैकेज III	–	झंझारपुर से फोरबेसगंज
पैकेज IV	–	फोरवेसगंज से पुर्निया

सर्वेक्षण और जांच परामर्शदाताओं द्वारा की जा रही है और यह अंतिम चरण में है और मार्च, 2001 तक पूरी हो जाएगी।

(ग) जी, हां। जैसाकि ऊपर पैरा (ख) में उल्लेख किया गया है सर्वेक्षण कार्य चार पैकेजों में किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं, राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को दिसम्बर, 1999 में कोई सरेखण रिपोर्ट नहीं भेजी है। तथापि अगस्त, 2000 में राज्य सरकार द्वारा यथा संस्तुत सरेखण प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। मंत्रालय ने सितम्बर, 2000 में कार्यस्थल का निरीक्षण करने के बाद प्रायोगिक सरेखण को अंतिम रूप दे दिया है। अंतिम अनुमोदन के लिए राज्य सरकार से विस्तृत इंजीनियरिंग रिपोर्टें मांगी गई हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

खराब एस०टी०डी० और स्थानीय दूरभाष सेवाएं

4463. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 2000 से आज की तिथि तक उत्तर प्रदेश में जिलावार, विशेषकर खीरी (लखीमपुर) जिले में कितने स्थानों पर एस०टी०डी० और स्थानीय दूरभाष सेवाएं खराब पड़ी रहीं;

(ख) क्या इसी अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के खीरी और मोहनलाल गंज के विभिन्न दूरभाष केन्द्रों में दूरभाष सेवाएं निर्बाध रूप से काम करती रहीं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी दूरभाष केन्द्रवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उत्तर प्रदेश में दूरभाष सेवाओं के खराब होने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस राज्य में बेहतर दूरभाष सेवाएं प्रदान करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

प्राकृतिक आपदाएं

4464. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए नये मार्गनिदेश और मानदंड तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्यारहवें वित्त आयोग ने इस संबंध में कोई सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) ग्यारहवें वित्त आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ आपदा राहत निधि से व्यय हेतु मद सूची की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने, राज्यों को आपदा राहत निधि या अन्य योजना/गैर-योजना श्रोतों में उपलब्ध धनराशि से अधिक वित्तीय सहायता मुहैया करने हेतु राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि का सृजन करने, सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के मानिटरन हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केन्द्र स्थापित करने की अनुशंसा की है। सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

वन विकास बैंक

4465. श्री जे०एस० बराड़ : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड द्वारा भटिन्डा, पंजाब में एक तेलशोधक कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के पास पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त परियोजना को मंजूरी प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) जी, नहीं। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भटिंडा (पंजाब) में रिफाइनरी स्थापित करने के प्रस्ताव को 6 नवम्बर, 1998 को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी गई थी।

प्रजनन संबंधी अभियानों की पुनर्संरचना

4466. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वीर्यसेचन के माध्यम से समस्त प्रजननयोग्य जनसंख्या को सम्मिलित करने हेतु प्रजनन संबंधी अभियानों की पुनर्संरचना का एक कार्यक्रम आरंभ किया है और आंध्र प्रदेश को एक परियोजना संस्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश की सरकार ने वर्ष 2000-2001 और 2003-2004 तक के लिए धन जारी करने हेतु विस्तृत कार्ययोजना भेजी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश की सरकार ने अब पांच वर्षों के बजाय दो वर्षों में बजट की राशि को जारी किए जाने का अनुरोध किया है; और

(च) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) आंध्र प्रदेश सरकार ने गोपशु और भैंस प्रजनन कार्यक्रमों के पुनर्गठन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें वर्ष 2000-2001 के दौरान 21.00 करोड़ रुपए और वर्ष 2001-2002 के दौरान 20.00 करोड़ रुपए का केन्द्रीय अनुदान मांगा गया था। इसमें राज्य सरकार द्वारा 40.00 करोड़ रुपए के निवेश की भी व्यवस्था थी। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत 751.12 लाख रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है जिसकी 552.25 लाख रुपए के बराबर की किश्तें पहले ही राज्य सरकार को जारी की जा चुकी हैं। कृषि राज्य मंत्री के स्तर पर राज्य के मुख्यमंत्री को आश्वासन दे दिया गया है कि संबंधित योजनाओं के तहत आगामी अनुदानों की मंजूरी पर चालू वर्ष के दौरान तब ही विचार किया जा सकता है जब मंजूर किए गए अनुदानों का उपयोग हो गया हो।

[हिन्दी]

"वर्चुअल क्रेडिट कार्ड" का अभाव

4467. श्री सुन्दर लाल तिवारी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों से दिल्ली और अन्य महानगरों में 210/- रुपये और 525/- रुपये के मूल्य वाले "वर्चुअल क्रेडिट कार्डों" की कमी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा "वर्चुअल क्रेडिट कार्डों" के अभाव को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, नहीं, तथापि, वीसी-कार्डों की बिक्री दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है, जिससे मांग में, और अधिक वृद्धि हो रही है। हम मांग को पूरा करने में समर्थ हैं।

(ग) वी०सी०सी० की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(i) डेडीकेटेड डायल-अप कोडिंग पोजीशंस" प्रदान की गई हैं।

(ii) लेखन-सामग्री के मुद्रण की बड़े पैमाने पर व्यवस्था की गई है।

गन्ना उपजाने वाले कृषकों के लिए योजना

4468. श्री राजो सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गन्ना उपजाने वाले कृषकों के लिये कोई कार्य योजना तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान् सरकार ने इन कृषकों को किन शीर्षों के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) गन्ना आधारित प्रणाली के सतत् विकास संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 1995-96 से 20 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में प्रचालन में है जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25 के अनुपात में हिस्सेदारी है। स्कीम में मुख्य जोर गन्ने की उत्पादकता व गुणवत्ता में वृद्धि करने पर है। वर्ष 1999-2000 के दौरान, किसानों को कृषि उपस्कारों तथा टपका सिंचाई प्रणाली पर सहायता मुहैया कराई गई है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान प्रदर्शन तथा कृषक प्रशिक्षण भी आयोजित किये गए हैं। बीज बहुलीकरण, ऊष्मा उपचार और राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के लिए भी राज्य सरकारों को सहायता मुहैया कराई जाती है।

[अनुवाद]

डाक क्षेत्र को धनराशि

4469. श्री सुबोध मोहिते : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान डाक क्षेत्र को उपलब्ध कराई गई धनराशि अप्रयुक्त ही रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वर्षवार प्रयुक्त राशि का प्रतिशत कितना है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान क्या लक्ष्य रखा गया था और इसे कहां तक हासिल किया गया; और

(घ) शेष धनराशि का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, नहीं। डाक विभाग का नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल अनुमोदित परिव्यय 507.25 करोड़ रु० है। विभाग अधिकांश आबंटित निधि का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सफल रहा है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में कुल योजना आबंटन, उपयोग की गई निधि तथा उपयोग का प्रतिशत संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान विचारित प्रमुख लक्ष्य और उपलब्धि संलग्न विवरण-II में दी गई है। जैसा कि देखा जा सकता है, प्रत्येक वार्षिक योजना के दौरान अधिकांश लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त किए गए हैं।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष (2000-2001) में, विभिन्न योजना कार्यकलापों के लिए विभाग का परिव्यय 120 करोड़ रुपये है। आबंटित निधि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए किए गए विभिन्न उपाय जो विभाग के नियंत्रण के अधीन हैं, इस प्रकार हैं – मॉनीटरिंग में सुधार, फील्ड संगठनों के साथ बार-बार विचार-विमर्श के माध्यम से समन्वय तथा पुनरीक्षण तंत्र। तथापि, विभिन्न कार्यकलापों के लिए, अंतर-मंत्रालयी कार्रवाई अपेक्षित है। जो विभाग के नियंत्रण से बाहर है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष (2001-2002) के लिए, विभाग वार्षिक योजना तैयार करने के काम में लगा हुआ है।

विवरण-I

वार्षिक योजना	योजना का कुल आवंटन	उपयोग में लाई गई राशि	उपयोग में निधि का प्रतिशत
1997-98	80 करोड़ रु०	72.27 करोड़ रु०	90.33 प्रतिशत
1998-99	84.11 करोड़ रु०	73.69 करोड़ रु०	87.61 प्रतिशत
1999-2000	100 करोड़ रु०	88.28 करोड़ रु०	88.28 प्रतिशत

विवरण-II

नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में वास्तविक कार्यनिष्पादन

कार्यकलाप	1997-98		1998-99		1999-2000	
	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
डाक नेटवर्क का विस्तार						
अतिरिक्त विभागीय डाकघर खोलना	500	402	598	598	500	386
विभागीय उप डाकघर खोलना	50	52	50	50	50	49
अतिरिक्त विभागीय डाकघर में आधारभूत उपकरणों की व्यवस्था करना	4800	7746	2700	3395	500	798
पंचायत संचार सेवा केन्द्रों का खोलना			200	200	500	486
प्रौद्योगिकी का उन्नयन						
विस्तारित उपग्रह मनीआर्डर केन्द्रों की स्थापना	350	318	250		266	266

1	2	3	4	5	6	7
…गे स्माल अपर्चर टर्मिनल स्टेशनों की स्थापना			20		62	62
…गे स्माल अपर्चर टर्मिनल स्टेशनों का उन्नयन			30	21		
पी०सी० आधारित काउंटर मशीन जिसमें एस०बी० लान सम्मिलित है	1000	918	800	1429	1250	1250
डाकघरों का आधुनिकीकरण	205	308	60	98	75	139
मैकेनिकल उपकरण						
हैंड कैन्सलर	2000		10000	3285		5705
डक-टिकट विरुपण मशीन	20	20	20	20	20	20
इलैक्ट्रानिक फ्रैंकिंग मशीन	100	250	150	150	111	111
टाइंग एंड बंडलिंग मशीन			30	30		
मानव संसाधन विकास						
ग्रुप "क" अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण	50 अधिकारी	30 अधिकारी	25 अधिकारी	24 अधिकारी	30	170
पर्यवेक्षकों सहित ग्रुप "ग" कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण	6000 कर्मचारी	7107 कर्मचारी	3000 कर्मचारी	6970 कर्मचारी	1800	7400
ई०डी०बी०पी०एम० के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण					18,000	17,501
कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण	1500 कर्मचारी	2755	2100 कर्मचारी	4062	3200	8002
एस०बी०/एस०सी० कार्य हेतु पुनश्चर्या प्रशि०	4000 कर्मचारी	4551 कर्मचारी	4000 कर्मचारी	4315	2500	2782
मेल प्रोसेसिंग का आधुनिकीकरण						
मेल कार्यालय का आधुनिकीकरण	20 कार्यालय	20 कार्यालय	35 कार्यालय	43	30	38
व्यवसाय विकास और विपणन						
स्पीड पोस्ट कन्सन्ट्रेशन केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण	10	7	20 केन्द्र	20	30 केन्द्र	30
प्रीमियम उत्पादों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण	100	100 कर्मचारी	100 कर्मचारी	100	200	210
डाक जीवन बीमा						
क्षेत्रों में ग्रामीण डाक जीवन बीमा कार्य का कम्प्यूटरीकरण	6 क्षेत्र	19 क्षेत्र	12 क्षेत्र और 120 प्रधान डाकघर	11 क्षेत्र		

1	2	3	4	5	6	7
सर्किलों में कम्प्यूटर प्रणालियों का	4 सर्किल	5 सर्किल	4 सर्किल और पीएल आई निदे०	4 सर्किल+ 1 पीएलआई निदेशक	10	10
कर्मचारियों को कम्प्यूटर में प्रशिक्षण	500 कर्मचारी	490 कर्मचारी	50 कर्मचारी	89		
कर्मचारियों को विपणन/विक्रय प्रोत्साहन/प्रचार में प्रशिक्षण	26 कर्मचारी	23 कर्मचारी	50 कर्मचारी	62	66	66
विभागीय कर्मचारियों और अ०वि० एजेंटों का बीमा का प्रशिक्षण	34800 ईडीए	39939 ईडीए	10000 कर्मचारी	10875	5000	8965
विपणन सर्वेक्षण	1 सर्वे	1 सर्वे	1 सर्वे			
फिलैटली का आधुनिकीकरण और विकास						
कम्प्यूटरीकरण	5 ब्यूरो पूर्णतया और 10 आंशिक	5 ब्यूरो पूर्णतया और 10 आंशिक	25 ब्यूरो	21	15	16
ब्यूरो के लिए औजार और उपस्कर	5 ब्यूरो कवर करने के लिए	5 ब्यूरो	40 ब्यूरो	52	13	13
फिलैटली को प्रोत्साहन देने में कर्मचारियों का प्रशिक्षण			125 कर्मचारी	165	160	261
डाक भवन और स्टाफ क्वार्टर						
डाकघर/डाक कार्यालयों का निर्माण	65 डाकघर और 3 डाक कार्यालय	53 डाकघर और 1 डाक कार्यालय	22 कार्यालय	25	15	35
स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	175 स्टाफ क्वार्टर	275 स्टाफ क्वार्टर	120 स्टाफ क्वार्टर	196	27 (स्पिल ओवर) + 117 (नए)	133
प्रशासनिक कार्यालयों का निर्माण	1 कार्यालय	4 कार्यालय	3 कार्यालय	2	2	2
लोक शिकायत						
ग्राहक सुविधा केन्द्र	14 केंद्र	67 केंद्र	59 केंद्र	60	55	55

महाराष्ट्र में ड्रिप-सिंचाई प्रणाली के लिए धनराशि

4470. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान ड्रिप-सिंचाई प्रणाली के अधिष्ठापन के लिये अतिरिक्त सहायता की मांग करते हुये एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के प्रथम तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को केन्द्रांश के रूप में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(घ) क्या राज्य सरकार ने इस प्रयोजनार्थ प्रतिवर्ष कम से कम 100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने को कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टपका सिंचाई के लिए 500.00 करोड़ रुपये दिये जाने के लिए अनुरोध किया है।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान कृषि में प्लास्टिक के उपयोग सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार को प्रदत्त केन्द्रीय हिस्सा निम्नवत् है :–

वर्ष	जारी धनराशि (लाख रु०)
1997-98	2447.00
1998-99	3194.13
1999-2000	2704.75

(घ) जी, हां।

(ङ) नौवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य सरकार को इस स्कीम के अंतर्गत बजट आवण्टन और उसके कामकाज के आधार पर सहायता दी गयी है। वर्ष 2000-01 से टपका सिंचाई कार्यक्रम का कृषि वृहत प्रबंधन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम ''कार्य योजनाओं द्वारा राज्यों के प्रयासों के अनुपूरण/संपूरण'' में विलय कर दिया गया है। तद्नुसार, राज्य सरकार को उसकी कार्य योजना में टपका सिंचाई के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की सूचना दी गयी थी।

[हिन्दी]

वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहण की गई भूमि

4471. श्री जय प्रकाश : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के हरदोई के कुछ गांवों की भूमि अधिग्रहण की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक कितने लोगों का पुनर्वास किया गया है और मुआवजा के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, नहीं, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत किसी भूमि के अर्जन के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नई परियोजनाओं के लिए जे०बी०आई०सी० से धनराशि

4472. डा० जसवंतसिंह यादव :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अरावली वानिकी परियोजना, गुजरात एकीकृत वानिकी विकास परियोजना तथा राजस्थान वानिकी विकास परियोजना जैसी नई परियोजनाओं के वित्तपोषणार्थ, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता बैंक (जे०बी०आई०सी०) से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जे०बी०आई०सी० की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) जापान अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता बैंक द्वारा इन परियोजनाओं के लिए धनराशि कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है, साथ ही इसके संबंध में नियम और शर्तें क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) अरावली वनीकरण परियोजना (चरण-II) को विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए आर्थिक मामले विभाग के माध्यम से जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (जे०बी०आई०सी०) के पास भेजा गया है। समुद्र पार विकास सहायता में कटौती किए जाने की वजह से जे०बी०आई०सी० ने 1998 से के बाद अरावली वनीकरण परियोजना चरण-II सहित भारत के लिए किसी नई वानिकी परियोजना का अनुमोदन नहीं किया है। राजस्थान वानिकी विकास परियोजना (चरण-II) और गुजरात एकीकृत वानिकी विकास परियोजना (चरण-II) को विदेशी सहायता के लिए जे०बी०आई०सी० को नहीं भेजा गया है।

सी-डॉट

4473. श्री जी०एस० बसवराज :
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री रघुनाथ झा :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सेंटर फार डेवेलपमेंट आफ टैलीमिटिक्स" (सी-डॉट) और दूरसंचार विभाग (डी०ओ०टी०) की भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा इस बात के लिए कड़ी आलोचना की गई है कि उन्होंने ऐसी प्रौद्योगिकी पर 3.81 करोड़ रु० का निवेश किया, जो कार्य में लाये जाने के पूर्व ही पुरानी पड़ गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सी-डॉट ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त तार-सुविधाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1986 में उपग्रह आधारित ग्रामीण तार-संजाल (एस०बी०आर०टी०एन०)-प्रणाली को अंगीकार किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे पूर्व कि इस संजाल को 50 ग्रामीण तार-टर्मिनलों के जरिए कार्यान्वित किया जाता-1994 में पूर्वोक्त एस०बी०आर०टी०एन०-प्रणाली के स्थान पर एक अपेक्षाकृत नवीन और अत्याधुनिक मल्टी-चैनल रेडियो-प्रणाली आ गई; जिससे पूर्व में किया गया 3.71 करोड़ रु० का निवेश व्यर्थ हो गया; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार के अनावश्यक खर्च को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक ने मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष की अपनी 2000 की पांचवीं रिपोर्ट (वैज्ञानिक विभाग) में यह टिप्पणी की है कि सी-डॉट द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी अभी अपनाई भी नहीं थी कि वह अप्रचलित हो गई और दूरसंचार विभाग का ऐसी अप्रचलित प्रौद्योगिकी पर 3.81 करोड़ रु० का बेकार व्यय हुआ।

(ख) योजना आयोग द्वारा उक्त परियोजना की संकल्पना के आधार पर, उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए उपग्रह आधारित ग्रामीण तार नेटवर्क (एस०बी०आर०टी०एन०) – परियोजना तैयार की गई और 1986-89 के बीच तत्कालीन दूरसंचार अनुसंधान-केन्द्र (टी०आर०सी०) सोसायटी तथा अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एस०ए०सी०) द्वारा देश में ही इसका विकास किया गया तथा इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्री (आई०टी०आई०) द्वारा इसका उत्पादन किया गया। टी०आर०सी० - सोसायटी को सी-डॉट में मिलाए जाने के बाद, इस परियोजना को टी०आर०सी० सोसायटी से सी-डॉट में स्वत: हस्तांतरित माना गया।

(ग) जी, नहीं। 50 ग्रामीण तार-टर्मिनलों के विकास तथा निर्माण और उसका नेटवर्क, भविष्य में 1000 टर्मिनलों वाली इस परियोजना का प्रायोगिक चरण था। तथापि, बाद में, प्रयोक्ता ने अतिरिक्त विशेषता चाही, जिससे समय और निवेश की दृष्टि से एक पूर्णत: नया डिजाइन तैयार किया गया, क्योंकि उक्त उत्पाद को पहले ही विकसित, प्रोटो-परीक्षित किया जा चुका था और 1989 में इसके उत्पादन की अनुमति प्राप्त हो चुकी थी। विकास के चरण के बाद उक्त परियोजना को जारी नहीं रखा गया। दूरसंचार में लगातार तेज गति से प्रौद्योगिकियां बदल रही हैं। अत:, अनुसंधान एवं विकास के किसी भी कार्यकलाप में, यह स्वभाविक है कि विकास-संबंधी जो भी परियोजना शुरू हो, जरूरी नहीं कि अन्तत: उसके उत्पाद का वाणिज्यिक उपयोग हो और उक्त व्यय को बेकार मानना उचित नहीं होगा।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ताप विद्युत और जल विद्युत संयंत्रों की उपयोगिता क्षमता

4474. श्री पी०आर० खूंटे : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका, ब्रिटेन, रूस, चीन, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और आस्ट्रेलिया की तुलना में, देश में उपयोग किए जा रहे ताप विद्युत और जल विद्युत संयंत्रों की क्षमता कितनी है;

(ख) क्या ताप विद्युत और जल विद्युत परियोजनाओं के अधिष्ठापन के समय, इनकी अधिष्ठापित क्षमता के उपयोग के संबंध में मूल्यांकन किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) अमेरिका, यूनाईटेड किंगडम, रूस, चीन, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और आस्ट्रेलिया की तुलना में भारत में ताप विद्युत व जल विद्युत संयंत्रों का क्षमता समुपयोजन (1996 में) नीचे दिया गया है।

देश/वर्ष	निवल अधिष्ठापित क्षमता (हजार (कि०वा० में)	अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता का समुपयोजन/कि०वा०घं०/कि०वा० में				
		जोड़	ताप	जल	न्यूक्लियर	जी०ओ०-ताप
1	2	3	4	5	6	7
यूनाइटेड स्टेट	783502	4416	4176	3528	6672	3915
यूनाइटेड किंगडम	73262	4737	4411	1158	7330	4226
सोवियत रूस	210857	4018	3999	3771	4661	2727
चीन	217067	4981	5335	3759	6285	–
कोरिया	39239	5799	5595	1681	7688	–

1	2	3	4	5	6	7
गणराज्य फ्रांस मानको सहित)	109443	4638	1634	2801	6626	2279
आस्ट्रेलिया	39693	4467	5016	2101		3500
भारत	96803	4466	4777	3483	3596	2108

(ख) और (ग) भारत सरकार की दिनांक 30.3.92 की अधिसूचना द्वारा निर्धारित संयंत्र भार घटक (पी०एल०एफ०) और प्रचालन के मानदण्डों के अनुसार तथा विद्युत परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय 6000 घंटे/कि०वा०/वर्ष के संयंत्र प्रचालन घंटों को ध्यान में रखा जाता है।

जहां तक जल विद्युत संयंत्रों का संबंध है, व्यस्ततमकालीन भार प्रचालन/निम्न भार घटक प्रचालन के लिए भण्डारण जल विद्युत संयंत्र की डिजाइन की गई है। दैनिक पोंडेज वाले रन ऑफ रिवर जल विद्युत संयंत्र की डिजाइन सामान्यत: मानसून अवधि के दौरान मूल भार पर प्रचालन करने और हल्के सर्दी के महीनों के दौरान व्यस्ततम कालीन सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। जल विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन नदी में अन्त: प्रवाह, जलाशय संबंधी व्याप्त दशाओं, और विभिन्न अन्य उपयोगों के लिए पानी की आवश्यकता आदि पर निर्भर करता है। परियोजना मूल्यांकन की अवस्था में इन पहलूओं पर विधिवत् ध्यान दिया जाता है।

[अनुवाद]

विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप

4475. श्री रामदास आठवले : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में फ्रांस में विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय टीम अपने निराशाजनक प्रदर्शन और संबंधित भारतीय अधिकारियों के गैर जिम्मेदार रवैये के कारण कोई पदक नहीं जीत सकी;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) यदि नहीं, तो इसकी जांच करके रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत की जाएगी; और

(ङ) इस प्रदर्शन के लिये उत्तरदायी पाए गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किये जाने का विचार है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय टीम कोई भी पदक नहीं जीत सकी परंतु उसके प्रदर्शन को निराशाजनक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस विश्व प्रतियोगिता में भारतीय पहलवानों ने चौथे से दस तक स्थान प्राप्त किए हैं। भारतीय अधिकारियों का व्यवहार भी केवल एक मामले को छोड़कर उत्कृष्ट रहा, जिसमें हमारे पहलवान मुकेश कुमार के विरुद्ध वाक-ओवर दे दिया गया था।

(ग) से (ङ) जांच करने पर यह पाया गया कि ग्रीको रोमन कुश्ती टीम के साथ गये मुख्य प्रशिक्षक श्री रणधीर सिंह पंघाल भारतीय पहलवान मुकेश खत्री को भोजन (लंच) के लिए लेकर चले गये थे, जबकि मुकेश खत्री का एक अन्य पहलवान के विरुद्ध मुकाबले की घोषणा हो चुकी थी और वह मैट पर उपस्थित नहीं हो सके, जिसके फलस्वरूप उसके विरोधी पहलवान को वाक-ओवर दे दिया गया था। तद्नुसार इस चूक के लिए श्री रणधीर सिंह पंघाल, मुख्य प्रशिक्षक को जिम्मेदार माना गया और उसे मुख्य प्रशिक्षक के पद से हटा दिया गया है।

क्रिकेट खिलाड़ियों के विरुद्ध मामले

4476. श्री पुष्प जैन : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1997 से आज तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भारत के विभिन्न क्रिकेट-खिलाड़ियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मामलों में अपराधियों को न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर दण्डित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो कितने मामलों का निपटान कर दिया गया है और कितने व्यक्तियों को रिहा किया गया व कितनों को दोषी पाया गया; और

(ङ) ऐसे कितने मामले अभी लंबित पड़े हैं और वे कब से लंबित हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) सी०बी०आई० से प्राप्त सूचना के अनुसार उसने 1997 से आज तक किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

हेरिकेरा टैंक से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वासित करना

4477. **श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने, राज्य के धारवाड़ शहर में हेरिकेरा टैंक से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए 404.75 लाख रु० की राशि जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि को जारी कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके विलम्ब के क्या कारण है; और

(घ) इस राशि के कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पेयांग जल विद्युत परियोजना

4478. **श्री एम०के० सुब्बा :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेयांग जल विद्युत परियोजना को पूरा कर इसे चालू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके चरणों के संबंध में ब्यौरा क्या है और इससे पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम को विद्युतोत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है तथा इस पर कितनी लागत आई है;

(ग) इसमें कौन-कौन से क्षेत्र, विशेषकर असम के कौन-कौन से क्षेत्र शामिल होंगे, और

(घ) इस परियोजना द्वारा विद्युत के प्रति यूनिट उत्पादन पर कितनी लागत आएगी और राष्ट्रीय औसत से इसकी कैसी तुलना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) नागालैंड में 758.70 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको) द्वारा निष्पादित दोयांग हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना प्रत्येक 25 मे०वा० की तीन इकाइयां क्रमश: 29 जून, 5 जुलाई तथा 8 जुलाई, 2000 को स्थापित की गई। परियोजना स्थापना के बाद, नीपको की विद्युत परियोजनाओं की औसतन संस्थापित क्षमता 700 मेगावाट तक बढ़ाई गई। परियोजना से उत्पादित विद्युत को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सभी को निम्नानुसार आवंटित किया जाता है :—

असम	—	37.3 प्रतिशत
मणिपुर	—	6.7 प्रतिशत
मेघालय	—	6.7 प्रतिशत
नागालैंड	—	17.3 प्रतिशत (12 प्रतिशत नि:शुल्क विद्युत सहित)
त्रिपुरा	—	6.7 प्रतिशत
अरुणाचल प्रदेश	—	6.7 प्रतिशत
मिजोरम	—	4.0 प्रतिशत
अनावंटित	—	14.6 प्रतिशत
		100 प्रतिशत

(घ) ऊर्जा उत्पादन की लागत, इक्विटी पर रिटर्न तथा गृह राज्य के लिए 12 प्रतिशत नि:शुल्क विद्युत को छोड़कर, 3.64 पैसे प्रति यूनिट बैठती है। उसी समयावधि में सी०पी०एस०यू०/राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा स्थापित अन्य परियोजनाओं की उत्पादन लागत के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में उप-मार्गों का निर्माण

4479. **श्री रामप्रसाद सिंह :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में किन-किन शहरों के संबंध में सरकार द्वारा उप-मार्गों के निर्माण करने का निर्णय लिया गया है; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) बाइपासों के निर्माण के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, वार्षिक योजना 2000-2001 में पटना बाइपास चरण-III, बख्तियारपुर और भागलपुर बाइपास के साध्यता अध्ययन और विस्तृत इंजीनियरी के लिए प्रावधान किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं की दर

4480. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं की ऊंची दर के संबंध में अध्ययन करने के लिए किसी बाह्य अभिकरण की सेवाएं लेने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समयबद्ध रिपोर्ट तैयार की गई है;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सुरक्षा संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करे, क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वर्तमान 2 लेन एकल कैरिजवे राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों का 4/6 लेन में विभाजित कैरिजवे सुविधाओं सहित उन्नयन कर रहा है जिससे सुरक्षा पर्याप्त रूप से स्वत: बढ़ जाएगी। इन सुविधाओं के लिए विस्तृत डिजाइन तैयार करते समय, सुरक्षा संबंधी मार्ग-निर्देशों का पालन किया जाता है और सुरक्षा संबंधी मुख्य बातों को भी शामिल किया जाता है, जैसे कि इंटर सैक्शनों, में सुधार लाना सर्विस सड़कें प्रदान करके निर्मित खंडों में स्थानीय यातायात को अलग रखना, बस बे, पैदल पार पथ, ट्रकों की पार्किंग की सुविधा, उन्नत सामग्री से साइन एवं मार्किंग करना जो कि रात्रि को भी दिखाई दे, पशुओं/पैदल चलने वालों के लिए खतरनाक स्थानों पर सुरक्षा कैरियर लगाना।

भारतीय पुन: प्रयोज्य ऊर्जा विकास अभिकरण को विश्व बैंक की सहायता

4481. **श्री ए० ब्रह्मनैय्या** : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (इरेडा) को 135 मिलियन अमेरिकी डालर के दूसरे ऋण को देने पर सहमत हो गया है;

(ख) क्या भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा इस ऋण के एक भाग को उर्जाक्षम और संरक्षण परियोजनाओं पर निवेश करना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त परियोजनाओं को पहचान किए जाने का कोई मानदण्ड है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भारतीय पुन: प्रयोज्य ऊर्जा विकास अभिकरण (इरेडा) ने ऐसी किसी परियोजना की पहचान की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) जी, हां। इरेडा ने विश्व बैंक से एक ऋण श्रृंखला प्राप्त की है जिसमें 80 मिलियन अमेरिकी डालर का आई०बी० आर०डी० ऋण, 37.2 मिलियन (50 मिलियन अमेरिकी डालर के समतुल्य) एस०डी०आर० का आई०डी०ए० ऋण और 3.72 मिलियन (5 मिलियन अमेरिकी डालर के समतुल्य) एस०डी०आर० का जी०ई०एफ० अनुदान शामिल है।

(ख) जी, हां।

(ग) दूसरी ऋण श्रृंखला लघु पन बिजली एवं ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए है। लघु पन बिजली परियोजनाओं में निवेश के लिए 110 मिलियन अमेरिकी डालर, ऊर्जा दक्षता परियोजाओं में निवेश के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डालर और तकनीकी सहायता के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डालर का सांकेतिक (इंडीकेटिव) बजट है।

(घ) और (ङ) जी, हां। इन परियोजनाओं को पर्यावरणीय रूप से सतत लघु पन बिजली परियोजनाओं में निवेशों तथा ऊर्जा दक्षता एवं मांग पक्ष प्रबंधन में निवेशों को प्रोत्साहित करके विद्युत आपूर्ति को बढ़ाना चाहिए।

(च) और (छ) जी, हां। लघु पन बिजली, ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण के क्षेत्र में ऋण सहायता के लिए इरेडा के पास परियोजना प्रस्तावों का एक शेल्फ है। विश्व बैंक की ऋण श्रृंखला के प्रभावी हो जाने पर इन पर विचार किया जाएगा।

शहरी क्षेत्रों में डाकघर

4482. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी क्षेत्र के कुछ डाकघर अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या महानगरों में पहले की अपेक्षा अब कम डाक सामग्रियां और चिट्ठियां वितरित की जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन शहरों के कुछ डाकघरों का आकार छोटा करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) इन डाक सुविधाओं को किस सीमा तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाएगा जहां डाक नेटवर्क अभी भी विकसित नहीं हैं; और

(ङ) इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। आवधिक पुनरीक्षाएं की जाती हैं तथा अन्य कार्यालयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुन: तैनाती द्वारा स्टाफ संख्या का समायोजन किया जाता है।

(ख) देश में, कुल मिलाकर डाक परियात में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। कुछ महानगरों में डाक की मात्रा में वृद्धि हुई है और अन्य में यह स्थिर रही है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार-सुविधा

4483. श्रीमती निवेदिता माने : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर महाराष्ट्र के ऐसे क्षेत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार-माध्यमों को बुनियादी आधार संरचना उपलब्ध कराने के संबंध में कौन-सी योजनाएं हैं;

(ख) इस संबंध में केन्द्र सरकार के पास कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दी जाएगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इलैक्ट्रानिक संचार-मीडिया की मूलभूत अवसंरचना के विस्तार हेतु निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :–

- मार्च, 2002 तक मांग पर टेलीफोन प्रदान करना।
- मार्च, 2002 तक सभी गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करना।
- मार्च, 2002 तक सभी एक्सचेंजों में विश्वसनीय पारेषण – माध्यम प्रदान करना।

टेलीफोन की मांग के आधार पर एक्सचेंज खोलना एक सतत प्रक्रिया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 3431 नए एक्सचेंज व 100,000 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की योजना है। चालू वित्त वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 800 नए एक्सचेंज खोलने की योजना है। इस समय महाराष्ट्र में 10,926 गांव टेलीफोन-सुविधा-रहित हैं, जिन्हें निजी स्थिर सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किया जाना है।

[अनुवाद]

नई खाद्य प्रसंस्करण नीति

4484. श्री रामचंद्र बैंदा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक नई खाद्य प्रसंस्करण नीति बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के उत्पादन के वास्ते कृषकों को कितनी सहायता मिलेगी; और

(घ) इस नीति को अंतिम रूप कब तक दिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टी०एच० चाओबा सिंह) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति बनाने की दिशा में जानकारी पाने के लिए कलकत्ता, मुम्बई, बंगलौर और लखनऊ में चार क्षेत्रीय सेमिनारों और नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। तदनुसार एक राष्ट्रीय खाद्य नीति का प्रारूप तैयार किया गया है जिसमें मुख्य रूप से कच्चे माल की उपलब्धता, बैकवर्ड, लिंकेज, फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं समेत प्रसंस्करण की सुविधाओं, पैकेजिंग, खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा, उत्पादों का देश में विपणन तथा निर्यात, प्रसंस्कृत खाद्यों के बारे में जानकारी और वित्तीय प्रोत्साहनों जैसे मामलों को शामिल किया गया है।

(घ) अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं को मद्देनजर रखते हुए नीति को अंतिम रूप देने के लिए, कोई निश्चित समयसीमा तय करना कठिन है।

भुरभुरी जमीन वाले तट

4485. श्री साहिब सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में भुरभुरी जमीन वाले तट हैं;

(ख) यदि हां, तो शोर लाइन, बीच लाइन, कोस्ट लाइन, पर्यटकों के लिए आकर्षण/मुख्य बिन्दुओं, मछुआरों के पुनर्वास, जल प्रदूषण, जल-मल व्ययन से बचाव, प्रवाल भित्ति और वनों के विकास के घटकों के क्षेत्र क्या हैं; और

(ग) उपरोक्त घटकों की संरचना और कार्यों के संदर्भ में इनके लिए योजना बनाने वाले, इन्हें विकसित करने वाले और इनका निर्माण करने वाले संबंधित विभागों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) भारत की तटीय रेखा लगभग 7500 कि०मी० है जिसमें मुख्य भूमि की तटीय रेखा तथा लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। देश के तटीय भागों में रेतीले समुद्र तटों, रेत के टीलों, मड फ्लैट्स, क्लिफ्स, बैरियर द्वीप, तटाग्र, लैगून्स तथा अन्य विशेषताओं सहित विविध भू-आकृति विज्ञानीय तथा पारिस्थितिकीय विशेषताएं हैं। ये विविध भू-आकृति विज्ञानीय विशेषताएं न केवल तट के कार्यकरण को निर्धारित करती हैं बल्कि विविध पारि-प्रणालियों और प्रजातियों का वास भी हैं। जैवीय तथा अजैवीय विशेषताओं की इस परस्पर निर्भरता के कारण देश की समूची तटीय रेखा महत्वपूर्ण है।

देश में कुल 4871 वर्ग कि०मी० पर कच्छ वनस्पतियां हैं और 2330 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में प्रवाल/प्रवाल भित्तियां है। तटीय शैल्टर बैल्ट पौधरोपण के लिए तटीय राज्यों में 15048 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की गई है। तटीय विनिमय क्षेत्र सी०आर०जैड० अधिसूचना 1991 में तटीय पर्यटन के प्रयोजन के लिए समुद्री तट के सैरगाहों/होटलों के विकास के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। मछुआरों के आवासों के पुनर्निर्माण/निर्माण की अनुमति सी०आर०जैड० के विकास क्षेत्र नहीं से बाहर वाले क्षेत्र में दी जाती है। इस अधिसूचना के अन्तर्गत असंसाधित नगरीयया औद्योगिक अंपशिष्टों को समुद्र में विसर्जित करने पर प्रतिबंध है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कच्छ वनस्पतियों एवं प्रवाल भित्तियों के संरक्षण एवं प्रबंधन तथा तटीय विनिमय क्षेत्र सी०आर०जैड० अधिसूचना 1991 के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। यह अधिसूचना तटीय क्षेत्र में विशेष गतिविधियों को विनियमित करती है। कृषि एवं पशुपालन मंत्रालय मछलीपालन एवं एक्वाकल्चर से संबंधित गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। महासागर विकास विभाग समुद्रों को वैज्ञानिक अध्ययन एवं निगरानी करता है। तटीय कटाव तथा समुद्री दीवार निर्माण से संबंधित समस्याएं जल संसाधन मंत्रालय द्वारा देखी जाती है।

चिल्का झील का विकास

4486. श्री अनन्त नायक : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चिल्का झील की पारिस्थितिकी को बनाये रखने हेतु कानून बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा चिल्का झील के विकास हेतु उड़ीसा सरकार को क्या विशिष्ट उपाय सुझाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) संबंधित राज्य विभागों द्वारा व्यक्त विचारों के आधार पर उड़ीसा सरकार चिल्का झील की पारिस्थितिकी की बहाली के लिए विनियम बनाने पर विचार कर रही है। पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम, 1986 में भी पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक क्षेत्रों की सुरक्षा का उल्लेख किया गया है जिसके अंतर्गत देश में बहुत सी नम भूमि पारि-प्रणालियां अधिसूचित की जायेगी।

विभिन्न शैक्षिक/अनुसंधान संस्थाओं की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार गाद जमाव, क्षारीयता अनुपात में कमी, मछलीपालन संभाव्यता में कमी तथा अपतृण ग्रसन आदि की समस्याओं के हल के लिए चिल्का झील हेतु एक एकीकृत कार्य योजना तैयार कर रही है।

(ग) मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार को चिल्का झील के विकास के लिए सुझाए गए विशेष उपायों में कैचमैंट क्षेत्र सुधार, जल आदान-प्रदान का सुधार तथा क्षारीयता अनुपात, खर-पतवार प्रबन्धन, मछलीपालन संसाधन विकास, जन जागरूकता, वास्थल बहाली, आर्थिक परिस्थितियों का सुधार आदि शामिल है।,

प्रशीतित वीर्य बैंक

4487. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने ''प्रशीतित वीर्य प्रौद्योगिकी कार्यक्रम'' शीर्षक के अंतर्गत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन बिरूर और कोइला जिलों में नए वीर्य केन्द्र स्थापित करने और बंगलौर, धारवाड़, मुनीराबाद, बिरूर तथा कोइला में प्रशीतित वीर्य बैंकों की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के लिए कर्नाटक को कोई धनराशि जारी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य सरकार के नए प्रस्तावों के संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने 1999-2000 में राज्य में गोपशु और भैंस प्रजनन के नेटवर्क को सुदृढ़ीकरण करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें 10.00 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की गई थी।

(ख) से (ङ) राज्य को 5 शुक्राणु केन्द्रों 14 हिमित वीर्य बैंकों तथा 1300 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी का विस्तार योजना के तहत 420.49 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई थी। 1999-2000 के दौरान राज्य द्वारा यह धनराशि खर्च नहीं की जा सकी और 2000-2001 के दौरान उपयोग करने के लिए इसका पुनर्वैधीकरण किया गया था। पहले मंजूर की गई धनराशि के संबंध में वास्तविक प्रगति की रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के बाद ही इस उद्देश्य के लिए राज्य को आगामी अनुदानों की निर्मुक्ति पर विचार किया जाएगा।

वन भूमि पर कॉफी का उत्पादन

4488. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार कॉफी के उत्पादन को गैर-वनीय गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है और उसकी खेती की वन-भूमि पर अनुमति नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से वन भूमि पर कॉफी उगाने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, के अन्तर्गत छूट देने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अनुसार कॉफी की खेती को वनेत्तर गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है अत: वन भूमि पर ऐसी गतिविधि प्रारम्भ करने के लिए राज्य सरकार को केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना अपेक्षित है।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से विशाखापट्टनम और पूर्वी गोदावरी जिले में वन भूमि पर कॉफी उगाने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत छूट के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि अधिनियम के अन्तर्गत आम छूट प्रदान करना सम्भव नहीं है। तथापि, यदि राज्य

सरकार अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी, तो इस पर विचार किया जा सकता है। अभी तक, इस संबंध में केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की दरों में वृद्धि

4489. श्री टी० गोविन्दन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन०टी०पी०सी०) ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ राज्यों के लिए अपनी विद्युत दरों में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के विभिन्न विद्युत केन्द्रों के टैरिफ 14 मई, 1999 तक निर्धारित कर दिए गए तथा भारत सरकार (जी०ओ०आई०) के विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 की धारा 43ए (2) के तहत अधिसूचित कर दी गई। यह कार्य 15 मई, 1999 से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सी०ई०आर०सी०) को स्थानांतरित कर दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार/केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	स्टेशन	सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख	टैरिफ		प्रभावी तिथि	लाभ भोगियों
			निश्चित प्रभार रु० करोड़/ वर्ष	परिवर्तनीय प्रभार पैसे/कि०वा० घं०)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	गांधार जी०पी०एस० 288.60 मे०वा०	28.04.97	225.82	71.73	01.03.95	म०प्र०, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली
	गांधार जी०पी०एस० 432.90 मे०वा०	28.04.97	321.52	71.73	01.07.95	म०प्र०, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली
	गांधार जी०पी०एस० ०57.39 मे०वा०	28.04.97	599.90	71.73	01.11.95	म०प्र०, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली
2.	कहलगांव एस०टी०पी०एस० 210 मे०वा०	10.10.97	170.03	31.99	01.01.95	पं० बंगाल, बिहार, उड़ीसा, डी० वी०सी०, सिक्किम
3.	कहलगांव एस०टी०पी०एस० 420 मे०वा०	10.10.97	253.28	34.21	01.04.95	-वही-
4.	कहलगांव एस०टी०पी०एस० 630 मे०वा०	1.1.98	340.45	38.14	01.02.96	-वही-
5.	तालचेर एस०टी०पी०एस० 500 मे०वा०	13.5.98	356.87	28.14	01.01.97	बिहार, उड़ीसा, डी०वी०सी०, सिक्किम
6.	फरक्का एस०टी०पी०एस० 600 मे०वा०	5.11.98	190.92	30.72	01.01.95	पं० बंगाल, बिहार, उड़ीसा, डी० वी०सी०, सिक्किम
7.	फरक्का एस०टी०पी०एस० 1100 मे०वा०	5.11.98	426.98	32.17	01.04.95	पं० बंगाल, बिहार, उड़ीसा, डी० वी०सी०, सिक्किम

1	2	3	4	5	6	7
8.	सिंगरोली एस०टी०पी०एस० 2000 मे०वा०	30.11.98	325.90	37.05	01.11.98	उ०प्र०, राज०, पंजाब, दिल्ली, हरि०, हि०प्र०, ज० एवं क०, चंडीगढ़
9.	रिहन्द एस०टी०पी०एस० 1000 मे०वा०	30.11.98	478.74	34.29	01.11.98	-वही-
10.	उच्चाहार एस०टी०पी०एस० 420 मे०वा०	30.11.98	221.71	55.83	01.11.98	-वही-
11.	अन्ता जी०पी०एस० 419.33 मे०वा०	30.11.98	92.92	61.27 (नॉक्स सहित) 60.55 (नॉक्स रहित)	01.11.98	-वही-
12.	औरिया जी०पी०एस० 663.36 मे०वा०	30.11.98	160.20	61.92	01.11.98	-वही-
13.	रामागुंडम एस०टी०पी०एस० 2100 मे०वा०	30.11.98	463.40	37.66	01.11.98	अपट्रांसको, के०पी०टी०सी० एल०, टी०एन०ई०बी०, के०एस०ई०बी०, पांडिचेरी, गोवा
14.	गांधार जी०पी०एस० 657.39 मे०वा०	30.11.98	646.49	71.73	01.11.98	म०प्र०, महाराष्ट्र, गुजरात गोवा दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली
15.	कवास जी०पी०एस० 656.20 मे०वा०	30.11.98	294.63	61.11	01.11.98	-वही-
16.	कोरबा एस०टी०पी०एस० 2100 मे०वा०	30.11.98	380.04	20.42	01.11.98	-वही-
17.	विन्ध्याचल एस०टी०पी०पी० 1260 मे०वा०	30.11.98	390.33	34.74	01.11.98	-वही
18.	फरक्का एस०टी०पी०एस० 1100 मे०वा०	30.11.98	466.03	32.17	01.11.98	पं० बंगाल, बिहार, उड़ीसा, डी०वी०सी०, सिक्किम
19.	कहलगांव एस०टी०पी०एस० 630 मे०वा०	30.11.98	368.90	38.14	01.11.98	-वही-
20.	तालचेर एस०टी०पी०एस० 500 मे०वा०	30.11.98	387.95	32.72	01.11.98	बिहार, उड़ीसा, डी०वी०सी०, सिक्किम
21.	कहलगांव एव०टी०पी०एस० 840 मे०वा०	9.12.98	441.10	50.86	01.08.96	पं० बंगाल, बिहार, उड़ीसा, डी०वी०सी० सिक्किम
22.	कहलगांव एस०टी०पी०एस० 840 मे०वा०	9.12.98	477.88	50.86	01.11.98	-वही-
23.	एन०सी०टी०पी०पी० दादरी 840 मे०वा०	25.2.99	416.78	90.56	01.11.98	उत्तर प्रदेश, दिल्ली

1	2	3	4	5	6	7
24.	एन०सी०टी०पी०पी० दादरी 840 मे०वा०	4.3.99	447.58	90.56	01.11.98	उत्तर प्रदेश, दिल्ली
25.	दादरी जी०पी०एस० 829.78 मे०वा०	5.5.99	240.14	69.39 (नॉक्स सहित) 68.58 (नॉक्स रहित)	01.11.98	उ०प्र०, राज०, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा हि०प्र०, ज० एवं क०, चंडीगढ़
26.	तालचेर एस०टी०पी०एस० 1000 मे०वा०	5.5.99	593.80	32.72	01.07.97	बिहार, उड़ीसा, डी०वी०सी०, सिक्किम
27.	तालचूर एस०टी०पी०एस०	5.5.99	644.99	32.72	01.11.98	-वही-
28.	फरक्का एस०टी०पी०एस० 1600 मे०वा०	7.5.99	611.39	46.16	01.07.96	पं० बंगाल, बिहार, उड़ीसा, डी०वी०सी०, सिक्किम
29.	फरक्का एस०टी०पी०एस० 1600 मे०वा०	7.5.99	668.33	46.16	01.11.98	-वही-
30.	सिंगरौली एस०टी०पी०एस० 2000 मे०वा०	14.05.99	333.876	37.05	01.11.98	उ०प्र०, राज०, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा हि०प्र०, ज० एवं क०, चंडीगढ
31.	रिहन्द एस०टी०पी०एस० 1000 मे०वा०	14.05.99	505.570	34.29	01.11.98	-वही-
32.	उच्चाहार एस०टी०पी०एस० 420 मे०वा०	14.05.99	225.807	55.83	01.11.98	-वही-
33.	एन०सी०टी०पी०पी० दादरी 840 मे०वा०	14.05.99	459.79	90.56	01.11.98	उत्तर प्रदेश, दिल्ली
34.	अन्ता जी०पी०एस० 419.33 मे०वा०	14.05.99	100.042	61.27 (with nox) 60.55 (w/o nox)	01.11.98	उ०प्र०, राज०, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा हि०प्र०, ज० एवं क०, चंडीगढ़
35.	ओरेया जी०पी०एस० 663.36 मे०वा०	14.05.99	171.506	61.92	01.11.98	-वही-
36.	कोरबा एस०टी०पी०एस० 2100 मे०वा०	14.05.98	315.788	20.42	01.11.92	म०प्र०, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली
			320.104	20.42	01.04.93	-वही-
			323.427	20.42	01.04.94	-वही-
			366.449	20.42	01.04.95	-वही-
			366.425	20.42	01.04.96	-वही-
			367.484	20.42	01.04.97	-वही-
			396.034	20.42	01.11.98	-वही-

1	2	3	4	5	6	7
37.	विन्ध्याचल एस०टी०पी०एस० 1260 मे०वा०	14.05.99	332.869	34.74	01.11.92	म०प्र०, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली
			335.331	34.74	01.04.93	-वही-
			336.297	34.74	01.04.94	-वही-
			369.549	34.74	01.04.95	-वही-
			370.378	34.74	01.04.96	-वही-
			371.491	34.74	01.04.97	-वही-
			399.006	34.74	01.11.98	-वही-
38.	कवास जी०पी०एस० 656.20 मे०वा०	14.05.99	276.710	61.11	01.04.94	-वही-
			298.900	61.11	01.04.95	-वही-
			309.403	61.11	01.04.96	-वही-
			306.118	61.11	01.04.97	-वही-
			335.480	61.11	01.04.98	-वही-
39.	गांधार जी०पी०एस० 657.39 मे०वा०	14.05.99	599.62	71.73	01.04.96	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली
			599.03	71.73	1.4.97	-वही-
			599.03	71.73	1.4.98	-वही-
			645.54	71.73	1.11.98	-वही-
40.	रामागुंडम एस०टी०पी०एस० 2100 मे०वा०		512.924	37.66	1.11.98	अपट्रांचको, के०पी०टी०सी०एल०, टी०एन०ई०बी०, के०एस०ई० बी०, पांडीचेरी, गोवा

क्र० सं०	स्टेशन	सरकार द्वारा अधिसूचना की तिथि/सीईआरसी से टैरिफ की स्वीकृति		टैरिफ	प्रभावित तिथि	लाभ भोगियों
1	2	3	4	5	6	7
1.	विन्ध्याचल-II 500 मे०वा० पहली यूनिट अनन्तिम	24.2.2000	314.52	62.83		मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली
2.	कायमकुलम सी०सी०पी०पी० 359.58 मे०वा० (अनंन्तिम)	24.7.2000	259.83	325		केरल

1	2	3	4	5	6	7
3.	ऊचाहार-II 210 मे०वा० अनन्तिम	24.2.2000	225 पै०/ कि०वा०घं०			उत्तर प्रदेश, राज०, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हि०प्र०, ज० एवं क०
4.	फरीदाबाद सी०सी०पी०पी० 140.827 मे०वा० (अनंन्तिम)	24.2.2000	109.10	128.35		हरियाणा
5.	फरीदाबाद सी०सी०पी०पी० 281.654 मे०वा० (अनंन्तिम)	10.8.2000	194.62 का 90%	140.43 का 90%		हरियाणा

*ईंधन मूल्य समायोजन प्रभार

संकेताक्षर

*एम०डब्ल्यू० = मेगा वाट

*जी०पी०एस० = गैस पावर स्टेशन

*एस०टी०पी०एस० = सुपर थर्मल पावर स्टेशन

*एन०सी०टी०पी०पी० = नेशनल कैपिटल रिजन थर्मल पावर, प्रोजेक्ट

*सी०सी०पी०पी० = संयुक्त साइकिल पावर प्रोजेक्ट

*सी०ई०आर०सी० द्वारा अनुमोदित टैरिफ

चीकू फल का उत्पादन

4490. श्री चिंतामन वनगा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ''चीकू फल'' का उत्पादन सिर्फ महाराष्ट्र के थाने जिले में ही किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान इस फल के उत्पादन एवं वर्ष-वार निर्यातित मात्रा तथा अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस फल की पैदावार इस वर्ष पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उत्पादकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) चीकू का उत्पादन महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न जिलों सहित देश के कई राज्यों में होता है।

(ख) तीन वर्षों के दौरान चीकू के उत्पादन और निर्यात पर उपलब्ध सूचना निम्नवत् है।

वर्ष	उत्पादन (हजार मी०टन)	निर्यात	
		मात्रा (हजार मी०टन)	मूल्य (लाख रु०)
1996-97	588.5	3.92	536.1
1997-98	643.9	2.65	292.1
1998-99	667.6	1.05	136.9

(ग) और (घ) इस वर्ष के दौरान, सरकार को चीकू फसल की पूर्ण क्षति विषयक कोई सूचना नहीं मिली है।

(ङ) सरकार कार्य योजनाओं द्वारा कृषि में वृहत प्रबंधन-राज्य के प्रयासों का सम्पूरण और अनुपूरण संबंधी केन्द्र प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रही है। इस स्कीम के अधीन राज्य सरकारें कार्य योजना द्वारा अपनी प्राथमिकता वाली आवश्यकताओं के विकास के लिए कार्यक्रम शुरू कर सकती है।

टेलीफोन-कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

4491. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में विशेष रूप से औरंगाबाद जिले में जिला-वार कितने लोग टेलीफोन-कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षारत हैं; और

(ख) प्रतीक्षा-सूची को निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 30.11.2000 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र दूरसंचार-सर्किल में 4, 16, 117 और जिला औरंगाबाद में 20228 व्यक्ति प्रतीक्षा-सूची में दर्ज हैं। जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) औरंगाबाद ज़िले सहित महाराष्ट्र में 31 मार्च, 2000 तक दर्ज व्यक्तियों की प्रतीक्षा-सूची को 31 मार्च, 2001 तक उत्तरोत्तर रूप मे निपटाने की योजना बना ली गई है।

विवरण

क्र० सं०	जिले का नाम	30.11.2000 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा-सूची
1	2	3
1.	अहमदनगर	44055
2.	अकोला एवं वाशिम	5685
3.	अमरावती	6157
4.	औरंगाबाद	20228
5.	बीड	6021
6.	भंडारा एवं गोंदिया	3564
7.	बुलढाना	3968
8.	चंद्रपुर एवं गढ़चिरोली	4511
9.	धुले एवं नंदुरबार	7885
10.	गोवा	13422
11.	जलगांव	16600
12.	जालना	2106
13.	कल्याण	60970
14.	कोल्हापुर	24770
15.	लातुर	22637
16.	नागपुर	10579
17.	नांदेड	19752
18.	नाशिक	11980
19.	उस्मानाबाद	5910
20.	परभनी एवं हिंगोली	12454
21.	पुणे	42329
22.	रायगढ़	4154
23.	रत्नागिरी	4960
24.	सांगली	24762
25.	सतारा	9540
26.	सिंधुदुर्ग	4486
27.	सोलापुर	17458
28.	वर्धा	1730
29.	यवतमाल	3444

पवन ऊर्जा उत्पादन

4492. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए राज्य-वार कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1000 मेवा० पवन विद्युत क्षमता की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। पवन विद्युत परियोजनाएं निजी निवेशों के माध्यम से मुख्यत: वाणिज्यिक परियोजनाओं के रूप में स्थापित की जाती है।

(ग) देश में एक पवन संसाधन मूल्यांकन कार्यक्रम आरंभ किया जा रहा है। 13 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 204 संभाव्य स्थलों की पहचान की गई है जहां पर पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए विचार किया जा सकता है। वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए राजकोषीय और संवर्धनात्मक प्रोत्साहन उपबंध हैं। पवन विद्युत, परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की क्रीलिंग, बैंकिंग, तृतीय पक्ष बिक्री और खरीद-वापसी के लिए संभाव्यता वाले राज्यों द्वारा आकर्षक नीतियों की घोषणा की गई है। पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) से भी उदार ऋण उपलब्ध हैं।

चांदीखोल से जगतपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-5 को चौड़ा करना

4493. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चांदीखोल से जगतपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-5 को चौड़ा बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चौड़ा करने का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव 137.60 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर नवम्बर, 1997 में संस्वीकृत किया गया था। इस कार्य के लिए निविदा 9 दिसम्बर, 1999 को सौंपी गई। फरवरी, 2000 से कार्य चल रहा है।

(ग) ठेके के अनुसार कार्य को फरवरी, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

पुन: निविदा जारी करना

4494. **श्री बसुदेव आचार्य :**
श्री समर चौधरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोलीथीन इंसुलेटेड जेली फिल्ड (पी० आई०जे०एफ०) केबलों की 36 किस्मों, जिनके लिए अग्रिम क्रयादेश जारी किए गए थे, के लिए पुन: निविदा जारी करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दूरसंचार-सुविधाएं

4495. **डॉ० बलिराम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपने विभाग के अंतर्गत उन कालोनियों का ब्यौरा क्या है, जिनमें एस०टी०डी०/आई०एस०डी०, फैक्स, किराना, सब्जी और फलों की दुकानें चल रही हैं?

(ख) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के क्षेत्रों में व्यापारिक इकाइयां/एस०टी०डी०/आई०एस०डी०-दुकानों के लिए स्थान आवंटित करने का अधिकार केवल न०दि०पा०प० का है?

(ग) यदि हां, तो ये दुकानें किस आधार पर इन कॉलोनियों में चल रही हैं?

(घ) क्या उनका विभाग एस०टी०डी०/आई०एस०डी०-दुकानों, सब्जी तथा फल-विक्रेताओं से स्थानीय बाजार-मूल्य के आधार पर किराया वसूल कर रहा है?

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? और

(छ) विभागीय कालोनियों में ऐसे गैर-कानूनी ढंग से दुकानें चलाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड सेल्यूलर टेलीफोन सेवा

4496. **श्री मणिकराव होडल्या गावित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महानगर टेलीफोन निगम लि० की सेल्यूलर टेलीफोन सेवा के क्षेत्र में विस्तार, जैसा कि अन्य निजी सेल्यूलर कम्पनियों द्वारा अपने उपभोक्ताओं को दी गई हैं, का प्रस्ताव है ताकि उनके टेलीफोन सम्पूर्ण देश में कार्यरत रहें? और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) सी०डी०एम०ए० डब्ल्यू० एल०एल० प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से एम०टी०एन०एल० की सेल्यूलर मोबाइल सेवा, केवल ऐसे कतिपय क्षेत्रों में प्रदान की जा रही है जिन्हें इस सेवा को शुरू किए जाने के समय विज्ञापित नक्शें में दर्शाया गया है। इस सेवा को चुनिंदा क्षेत्रों में प्रदान करने का कारण, इस सेवा को शुरू किए जाने के समय बेस ट्रांसीवर स्टेशनों का सीमित संख्या में उपलब्ध होना था। अब एम०टी०एन०एल० रोमिंग सुविधा को छोड़कर सी०डी०एम०ए० प्रौद्योगिकी से प्रदान की गई सेवा की स्थिति में उक्त सेवा का उन्नयन कर रहा है क्योंकि भारत में सी०डी०एम०ए० से दूसरा कोई नेटवर्क प्रचालनात नहीं है। तथापि, जी०एस०एम० प्रौद्योगिकी से रोमिंग सुविधा संभव हो सकेगी। दिल्ली तथा मुम्बई, दोनों शहरों में जी०एस०एम० उपस्कर की एक लाख लाइनें संस्थापित की जा रही हैं।

भारत संचार निगम लिमिटेड में तार विभाग का विलय

4497. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत संचार निगम लिमिटेड में तार विभाग का विलय करने का है?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या इन कार्यालयों में नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी की व्यवस्था की जाएगी?

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी योजना को तैयार करने का है; जिससे तारघर वर्तमान भूमण्डलीय प्रतियोगिता का मुकाबला कर सकें?

(ङ) क्या सार्वजनिक निधि का उपयोग करने के लिए कोई योजना बनाई गई है? और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) तार-सेवा पहले से ही भारत संचार निगम लि० का एक भाग है।

(ग) तारघर माइक्रो प्रोसेसर आधारित संदेश-स्विचन नेटवर्क से सज्जित हैं। जनता के उपयोग के लिए कुछ तारघरों में इंटरनेट पी०सी०ओ० भी प्रदान किए गए हैं।

(घ) तार-सेवाएं किसी सार्वभौमिक प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर रही हैं। अत:, मौजूदा सार्वभौमिक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तारघरों को समर्थ बनाने हेतु कोई विशेष स्कीम नहीं है।

(ङ) और (च) फिलहाल कोई प्रस्ताव अथवा योजना नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कें

4498. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की एक लेन तथा दो लेन सड़कों का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या सरकार का राज्य में सड़क परिवहन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का अपने सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए गैर-सरकारी क्षेत्र से सहयोग मांगने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) मध्य प्रदेश में एक लेन और मध्यम लेन राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत 16.7 है। शेष सड़कें दो लेन की है।

(ख) सरकार उपलब्ध संसाधनों के भीतर देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन कर रही है। सर्वाधिक भीड़-भाड़ वाले खंडों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) आर्थिक रूप से व्यवहार्य बाइपासों, पुलों और खंडों को निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण (बी०ओ०टी०) आधार पर शुरू करने के प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में उड़ान विद्युत परियोजना के लिए गैस का आवंटन

4499. श्री नरेश पुगलिया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लि० द्वारा महाराष्ट्र में उड़ान विद्युत परियोजना के लिए गैस की कितनी मात्रा स्वीकृत और आपूर्ति की गई है;

(ख) क्या गैस की कम आपूर्ति से उड़ान विद्युत परियोजना में विद्युत के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के अनुसार उरान गैस स्टेशन से आरंभ में 4.5 एम०एम०सी० एम०डी० गैस की वचनबद्धता प्राप्त की थी लेकिन सविदांत्मक समझौते के अनुसार 3.5 एम०एम०सी० एम०डी० गैस की आपूर्ति मैं० जी०ए०आई०एल० द्वारा की जानी थी, तथापि वास्तविक आपूर्ति अपर्याप्त है जिसके परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन में हानि हुई है। अगस्त और सितम्बर, 2000 के दौरान औसतन गैस आपूर्ति मात्र लगभग 2.25 एम०एम०सी०एम०डी० रही है तथा अगस्त और सितम्बर 2000 के दौरान विद्युत उत्पादन में हानि क्रमश: लगभग 333.814 मि०यू० और 293.779 मि०यू० रही है। इस विद्युत स्टेशन से अधिकतम विद्युत उत्पादन सुनिश्चित करने की दृष्टि से उरान स्टेशन के लिए प्राकृतिक गैस आवंटन बढ़ाने की आवश्यकता के संबंध में पट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

ताप विद्युत परियोजनाओं से बिजली की खरीद

4500. श्री जोरा सिंह मान :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन०टी०पी०सी०) ने उत्तर प्रदेश की टांडा विद्युत परियोजना से बिजली खरीदने के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो निगम ने उक्त परियोजना के पूर्ण अधिकार कब से प्राप्त किए हैं;

(ग) क्या एन०टी०पी०सी० का इस परियोजना से उत्तर प्रदेश को बिजली की आपूर्ति करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो बिजली की मात्रा और उसकी दरें कितनी हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन०टी०पी०सी०) ने उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (टांडा विद्युत उत्पादन उपक्रम के स्थानांतरण) स्कीम, 2000 के तहत् उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पूर्ववर्ती टांडा ताप विद्युत केन्द्र का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। यह स्कीम 14.1.2000 से प्रभावी हुई है तभी से केन्द्र का प्रबंधन एन०टी०पी०सी० द्वारा किया जा रहा है।

(ग) और (घ) विद्युत क्रय करार (पी०पी०ए०) के अनुसार, एन०टी०पी०सी० और उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के मध्य 7.10.2000 को एक समझौता हुआ (यू०पी०पी०सी०एल०-पूर्ववर्ती यू०पी०एस०ई०बी०) टांडा ताप विद्युत केन्द्र (440 मे०वा०) से उत्पादित विद्युत को यू०पी०पी०सी०एल० को आवंटित की गई और उनकी आपूर्ति तद्नुसार की जा रही है।

निम्नलिखित अनंतिम दर पर पी०पी०ए० की सहमति हो गई जिस पर 7.1.2000 को एन०टी०पी०सी० और यू०पी०पी०सी०एल० द्वारा हस्ताक्षर किया गया जब तक कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारित न किया जाए :

स्थिर प्रभार	:	294.93 करोड़ रुपये/वर्ष
परिवर्तनीय प्रभार	:	सहमत मानदंडों के आधार पर प्रत्येक माह आंकलन किया जाना है (अक्तूबर, 2000 में 138.45 पैसे/कि०वा०घं०)
अनंतिम मानदण्ड		

[अनुवाद]

कन्नामंगला बंगलौर में वृहत विपणन परिसर की स्थापना

4501. श्री कोलूर बसवनागौड़ : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने व्हाइट-फील्ड बंगलौर के निकट कन्नामंगला में वृहत विपणन परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या भूमि अधिगृहीत कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके कब तक चालू होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने व्हाइट फील्ड, बंगलौर के नजदीक कन्नामंगला में एक आधुनिक फल एवं सब्जी मार्किट स्थापित करने का निर्णय लिया है।

(ख) प्रस्तावित परियोजना, जिसमें बुनियादी ढांचा, बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज, आयात और एक शीतागर भी शामिल होंगे, की लागत 150 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) कर्नाटक सरकार ने प्रस्तावित परियोजना के लिए कन्नामंगला फार्म में 60 एकड़ भूमि आबंटित की है।

(ङ) उम्मीद है कि परियोजना का प्रथम चरण 2002 के अंत तक काम करना शुरू कर देगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 31, 37 और 52 को मजबूत बनाना

4502. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 31, 37 और 52 को मजबूत बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तैयार योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके लिए राज्य-वार कितना आबंटन किया गया है; और

(ग) इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां। चालू वर्ष के दौरान कतिपय खंडों में राष्ट्रीय राजमार्ग सुधार कार्य शुरू किए गए हैं।

(ख) और (ग) चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित सुधार कार्य शुरू किए गए हैं :–

रा०रा० 31

I. सड़कों की वाहन चालन गुणता में सुधार करने के लिए 18.29 करोड़ रु० की लागत का छह कार्य 18.29 करोड़ रु० के आबंटन के साथ स्वीकृत किए गए हैं।

II. सुदृढ़ीकरण और चार लेन बनाने से संबंधित तीन कार्य 65.00 करोड़ रु० के आबंटन से शुरू किए गए हैं।

रा०रा० 37

I. सड़कों की वाहन चालन गुणता में सुधार करने के लिए 7.56 करोड़ रु० की लागत के दो कार्य 7.56 करोड़ रु० के आबंटन के साथ स्वीकृत किए गए हैं।

II. सुदृढ़ीकरण और चार लेन बनाने से संबंधित एक कार्य 15.00 करोड़ रु० के आबंटन से शुरू किया गया हैं।

रा०रा० 52

I. सड़कों की वाहन चालन गुणता में सुधार करने के लिए 5.68 करोड़ रु० की लागत के दो कार्य 5.68 करोड़ रु० के आबंटन के साथ स्वीकृत किए गए हैं।

पौधों की किस्मों का संरक्षण

4503. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए विधान बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्य सरकारों के दृष्टिकोण पर विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित विधान में कृषि विशेषज्ञों के विचारों को भी सम्मिलित किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो विधान को पुरस्थापित किए जाने पर अंतिम निर्णय कब लिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा "पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक, 1999" लोकसभा में दिनांक 14.12.99 को प्रस्तुत किया गया था। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया था।

(ख) से (घ) समिति ने विभिन्न राज्यों का दौरा किया और विधेयक के प्रावधानों के बारे में विशेषज्ञों/व्यक्तियों/संघों/संगठनों की टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त किए। समिति ने प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर विधेयक में संशोधन करके अपनी रिपोर्ट लोकसभा तथा राज्यसभा में दिनांक 25.8.2000 को प्रस्तुत की। समिति द्वारा यथा संशोधित विधेयक पर संसद के चालू सत्र के दौरान विचारार्थ रखे जाने का प्रस्ताव है।

कर्नाटक में जमीन धंसने की घटना

4504. **श्री आर०एल० जालप्पा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कर्नाटक के कल्लूर, गुब्बी तालुका में जमीन धंसने के कारण कई घरों को नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्रामीणों को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए कोई वित्तीय सहायता मंजूर की है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक तैयार किया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार से इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) प्राकृतिक आपदाओं के आने पर राहत उपाय करना मूलत: राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। भारत सरकार राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है। एक राष्ट्रीय आकस्मिकता कार्य योजना है और प्राकृतिक आपदा की प्रकृति, प्रभाव तथा गंभीरता के दृष्टिगत विशिष्ट कार्य योजनाएं चलाई जाती हैं। राहत उपायों के लिए आपदा राहत निधि के तहत निधियां सहज उपलब्ध हैं। वर्ष 2000-01 के दौरान, आपदा राहत निधि से केन्द्रीय हिस्से के रूप में राज्य सरकार को 27.97 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से बिजली उत्पादन

4505. **श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील :**
श्री वाई०जी० महाजन :
श्री रामशकल :

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वे क्षेत्र कौन से हैं जहां अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन की असीम क्षमता उपलब्ध है;

(ख) क्या उन में से कुछ क्षेत्रों में बिजली उत्पादन संयंत्र लगाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में किसी गैर सरकारी कंपनी से सहयोग भी मांगा जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) सौर, पवन, बायोमास तथा लघु पन बिजली जैसे संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए समूचे देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने की संभाव्यता मौजूद है। कुल अनुमानित संभाव्यता निम्नलिखित है :–

पवन विद्युत	–	45,000 मेगावाट
बायोमास विद्युत	–	19,500 मेगावाट
लघु पन बिजली	–	15,000 मेगावाट
अपशिष्ट से ऊर्जा	–	1,700 मेगावाट
सौर विद्युत	–	35 मेगावाट/वर्गकिलोमीटर

(ख) और (ग) अब तक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित कुल 2842 मेगावाट की क्षमता स्थापित की गई है। ये परियोजनाएं मुख्यत: आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में शुरू की गई हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन एवं उदार ऋण उपलब्ध हैं; और निजी क्षेत्र की सहभागिता को आकर्षित करने के लिए अनेक राज्यों द्वारा अनुकूल नीतियों की घोषणा भी की गई है। पवन विद्युत, बायोमास विद्युत तथा खोई सहउत्पादन परियोजनाएं निजी निवेशों के माध्यम से मुख्यत: वाणिज्यिक परियोजनाओं

के रूप में स्थापित की गई हैं। निजी क्षेत्र ने भी लघु पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना में पर्याप्त रूचि दिखाई है।

[अनुवाद]

"नाबार्ड" द्वारा राज्य सरकारों को धनराशि दिया जाना

4506. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश ने राज्य में विभिन्न विकास कार्य आरंभ करने हेतु "नाबार्ड" से 1,500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु कुल कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) राज्य सरकार ने अब तक कौन-कौन सी परियोजनाएं आरम्भ की हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उसे आन्ध्र प्रदेश सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। नाबार्ड द्वारा ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की विभिन्न शाखाओं के अधीन आन्ध्र प्रदेश सरकार को 3173 मंजूर परियोजनाओं के लिए कुल 80000.32 लाख रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं।

(घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार से आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पी०सी०ओ०/एस०टी०डी०/आई०एस०डी०-बूथ

4507. **श्रीमती जस कौर मीणा :**
श्री एम० चिन्नासामी :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और 31 अक्तूबर, 2000 की स्थिति के अनुसार देश में विशेषकर उड़ीसा और बिहार के सभी जिलों में पी०सी०ओ०/एस०टी०डी०/आई०एस०डी०-बूथ स्थापित किए जाने से संबंधित कितने आवेदन-पत्र राज्यवार लंबित पड़े हैं?

(ख) इन आवेदन-पत्रों को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

(ग) क्या 2000-2001 के दौरान देश में, विशेषकर राजस्थान में उक्त बूथों को स्थापित किए जाने के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में बाघ अभयारण्य का विस्तार

4508. **श्री अनंत गुडे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के मेलघाट वन क्षेत्र में बाघ अभयारण्य का विस्तार करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के विकास और इसे प्रभावित ग्रामवासियों के पुनर्वास के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) मुख्य वन्यजीव वार्डन महाराष्ट्र ने मेलघाट बाघ रिजर्व का क्षेत्र बढ़ाने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था :–

नारनाला अभयारण	12.35 वर्ग किलोमीटर
अम्बाबरवा अभयारण	124.73 वर्ग किलोमीटर
वान अभयारण	205.86 वर्ग किलोमीटर

तथापि राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को अभी अनुमोदित नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का सुदृढ़ीकरण

4509. **श्री एन० जनार्दन रेड्डी : क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने कुछ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ़ बनाने के लिए किन्हीं परियोजनाओं को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन स्वीकृत परियोजनाओं के आधार पर सरकार का विचार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को आवश्यक उपकरण और साज-सामान की आपूर्ति करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक ने कुछ राज्य प्रदूषण बोर्डों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना (आई०पी०सी०पी०) 1991 में, औद्योगिक प्रदूषण निवारण परियोजना

(आई०पी०पी०पी०) 1994 में तथा पर्यावरणीय प्रबंधन क्षमता निर्माण तकनीकी सहायता परियोजना (ई०एम०सी०बी०) 1997 में स्वीकृत की थी। हालांकि पहली दो परियोजनाएं औद्योगिक प्रचालनों के कारण पर्यावरणीय अवक्रमण को रोकने के संबंध में भारत सरकार के प्रयासों में सहायता करने की दृष्टि से थी जबकि ई०एम०सी०बी० परियोजना राष्ट्रीय, राज्य और सामुदायिक स्तर पर चुनिंदा क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रबंधन क्षमता के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

(ग) और (घ) आई०पी०सी०पी० के तहत परियोजना से लाभ प्राप्तकर्त्ता 4 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को कुल 1557 उपकरण प्रदान कराए गए थे तथा चालू आई०पी०पी०पी० परियोजना के तहत गुजरात राज्य में एक भौगोलिक सूचना प्रणाली की स्थापना के अतिरिक्त आज तक 4 और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को कुल 728 उपकरण प्रदान कराए गए हैं। ई०एम०सी०बी० परियोजना के "जोनिंग एटलस" उप घटक में आकाशीय पर्यावरणीय नियोजन गतिविधियों तथा वायु गुणता निगरानी के उद्देश्य से 18 सहभागी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के लिए उपकरणों की व्यवस्था करना शामिल है, उप-घटक में भी चुनिंदा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के लिए उपकरणों की व्यवस्था करना शामिल है।

राज्यों में स्पीड पोस्ट सुविधाएं

4510. श्री अमर रायप्रधान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में स्पीड पोस्ट सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग के पिछड़े क्षेत्रों में स्पीड पोस्ट की सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) स्पीड पोस्ट एक प्रीमियम उत्पाद है तथा इसे वाणिज्यिक आधार पर चलाया जाता है। इस नेटवर्क का विस्तार एक अनवरत प्रक्रिया है, जो बाजार की स्थिति, मांग के मूल्यांकन, प्रत्याशित राजस्व और परिवहन नेटवर्क पर निर्भर करता है।

(ख) और (ग) उत्तर बंगाल में सिलीगुड़ी राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट नेटवर्क पर तथा जलपाइगुड़ी और दार्जिलिंग राज्य स्पीड पोस्ट नेटवर्क पर हैं। इसके अलावा, मालदा, माल, वालुरघाट तथा कूचविहार प्रधान डाकघरों में स्पीड पोस्ट बुकिंग सुविधा भी उपलब्ध है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कपिला प्राणि उद्यान

4511. श्री के०पी० सिंह देव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्राणि उद्यान प्राधिकरण द्वारा ढेंकानाल स्थित कपिला प्राणि उद्यान को मान्यता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके लिए कोई वित्तीय आबंटन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा कपिला चिड़ियाघर को लघु चिड़ियाघर के रूप में सशर्त मान्यता दी गई है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने निर्णय किया है कि केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के पास मौजूद निधियों को सबसे पहले उन चिड़ियाघरों के सुधार पर खर्च किया जाए जिनमें काफी संख्या में वन्य प्राणी मौजूद हैं ताकि चिड़ियाघर के जानवरों की जीवन गुणवत्ता में सुधार करने के लिए संसाधनों को अधिक से अधिक उपयोग में लाया जा सके। अत: केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा लघु चिड़ियाघरों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।

विश्वविद्यालयों द्वारा किए जा रहे अनुसंधान क्रियाकलाप

4512. श्री पवन कुमार बंसल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान क्रियाकलापों को करने के लिए आवश्यक पर्याप्त धन की कमी का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन विश्वविद्यालयों की अनुसंधान परियोजनाओं में सहायता पहुंचाने और उनकी निगरानी हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना ने निधियां अर्जित करने के लिए परामर्शदात्री सेवाएं शुरू करने सहित अन्य उपाय किए हैं। गेहूं और धान की बिक्री पर एक रुपया प्रति क्विंटल उपकर शुल्क लगाकर एक अनुसंधान निधि को सृजित करने के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है। इस तरह से विश्वविद्यालय अनुसंधान कार्यकलापों के लिए 25 करोड़ रुपये तक के संसाधनों को सृजित कर सकता है।

राज्य सरकार ने चौ० चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में रिक्त पदों को भरने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 15 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ तीन वर्ष के लिए राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना की 69 स्कीमें स्वीकृत की हैं। इन परियोजनाओं में कोई पद नहीं हैं तथा अनुसंधान कार्यकलापों को चलाने के लिए केवल प्रासंगिक प्रावधान है।

माडर्न फूड्स की बिक्री

4513. श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 दिसम्बर, 2000 को ''द टाइम्स आफ इण्डिया'' में ''माडर्न फूड्स ओल्ड गाड्र्स फीअर्स सैक'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या माडर्न फूड हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को बेच दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्ष के प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार ने मार्डन फूड्स के उन्नयन कार्यों और इसे रुग्ण इकाई होने से बचाने के लिए कितनी राशि व्यय की?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टी०एच० चाओबा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड में अपनी 74 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश मैसर्स हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को किया है।

(ग) मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड में इक्विटी का विनिवेश सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुसार था।

(घ) जब तक मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड सरकारी कंपनी थी, उसे व्यापार उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता दी गई थी।

पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

1997-98	–	248.50 लाख रुपये (इक्विटी और ऋण के रूप में)
1998-99	–	शून्य
1999-2000	–	500 लाख रुपये (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम को लागू करने के लिए अनुदान के रूप में)

वनभूमि पर अतिक्रमण

4514. श्री रामशकल :
कर्नल (सेवानिवृत) सोना राम चौधरी :
श्री ताराचन्द्र भगोरा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने हाल ही में आदिवासियों द्वारा वन भूमि के अतिक्रमण को नियमित करने संबंधी प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे अनुमोदित कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में स्वीकृति कब तक दिये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) जी, हां। जनवरी से मार्च, 1996 के दौरान राजस्थान राज्य सरकार ने 1.7.1980 से पहले हुए वन भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करने के प्रस्ताव भेजे थे। जांच करने पर पाया गया कि प्रस्ताव कई पहलुओं की दृष्टि से अधूरे थे, अत: मार्च 1996 में राज्य सरकार को पूरी सूचना के साथ समेकित प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार ने जून, 1998 में सूचना भेजी, जिसमें 12 जिलों की 3171.248 हैक्टेर वन भूमि को सम्मलित करके 4771 व्यक्तियों (जनजातियों सहित) को नियमित करने का प्रस्ताव भेजा गया था। 18.11.1998 को वन सलाहकार समिति की बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा की गई। समिति की टिप्पणी के अनुसार राज्य सरकार को 2.12.1998 को यह कहा गया कि वह वन भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करने के बारे में राज्य सरकार के मुख्य सचिव का इस आशय का प्रमाण-पत्र भिजवाएं कि ऐसा कोई अन्य मामला नहीं है। उनसे यह भी अनुरोध किया गया था कि वह क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की उनकी स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित वन क्षेत्रों के अवैध कब्जों की संख्या से इसका मिलान करके ही इसे भिजवाएं। राज्य सरकार को 30.7.1999 को पूरी सूचना भेजने के लिए अनुस्मारक भी भेजा गया था। राज्य सरकार द्वारा अभी तक पूरी सूचना नहीं भेजी गई है।

(ग) राज्य सरकार से पूरी सूचना प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेना संभव है।

महाराष्ट्र में बिजली क्षेत्र को विश्व बैंक की सहायता

4515. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के अध्यक्ष ने महाराष्ट्र में विद्युत क्षेत्र में किए जा रहे सुधार कार्यों की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को वित्तीय सहायता देने हेतु सहमत हो गया है;

(घ) यदि हां, तो विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए महाराष्ट्र को विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ङ) विश्व बैंक आगे कितनी सहायता देने पर सहमत हुआ है; और

(च) देश में विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से प्राप्त ऋणों पर लगातार निर्भरता के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) से (ङ) महाराष्ट्र सरकार ने विगत में अपनी विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया है। हालांकि विश्व बैंक की सहायता से महाराष्ट्र में निम्नलिखित परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है :–

	परियोजना का नाम	विश्व बैंक से सहायता (अमेरिकी मिलियन डालर में)
I.	चन्द्रपुर यूनिट 5 एवं 6	280.00
II.	हाई वोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट (एच०वी०डी०सी०) पारेषण लिंक	107.33
III.	भानू थर्मल पावर प्रोजेक्ट	200.00
IV.	ट्राम्बे संयुक्त साईकल पावर प्रोजेक्ट	98.00
V.	महाराष्ट्र पावर प्रोजेक्ट (कोयना)	337.00
VI.	द्वितीय महाराष्ट्र पावर प्रोजेक्ट	350.00

(च) देश की विद्युत परियोजनाओं के लिए भारत सरकार न केवल विश्व बैंक से बल्कि अन्य बहुपक्षीय/द्विपक्षीय वित्तपोषण एजेन्सियों तथा वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अनुरोध कर रही है।

[हिन्दी]

ग्रामीण ऊर्जा योजना का विस्तार

4516. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण ऊर्जा योजना का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में इस योजना का विस्तार करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में व्यय हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता है और इसी योजना से मध्य प्रदेश में कितने लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1991 की जनगणना के अनुसार अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य में 71526 आबादी वाले गांवों में से 68346 गांवों का सितम्बर, 2000 तक पहले ही विद्युतीकरण किया जा चुका है। योजना आयोग द्वारा नौवीं योजना अवधि के लिए राज्य वार एवं वर्ष वार वित्तीय परिव्यय तथा वास्तविक कार्यक्रमों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। हालांकि चालू वर्ष के दौरान सामान्य केन्द्रीय सहायता के रूप में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए (उन क्षेत्रों समेत जो अब छत्तीसगढ़ में शामिल हैं) 5.49 करोड़ रुपये सीधे आवंटित किए गए है। इसी प्रकार वर्ष 2000-2001 के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 25 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार/रख-रखाव हेतु योजना

4517. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार करने और उनका रख-रखाव करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और इसे संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप में किया जाता है। नौवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 23,439 कि०मी० का पहले ही विस्तार किया जा चुका है और इसकी कुल लम्बाई अब 57,737 कि०मी० है।

[अनुवाद]

वृक्षों की कटाई

4518. श्री सुरेश चन्देल :
श्री महेश्वर सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 नवम्बर 2000 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सिक्किम कॉप्स स्टम्बल अपॉन मैसिव ट्री फैलिंग रैकेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सिक्किम में तेजी से हो रही वनों की कटाई को रोकने का है ताकि हिमालय के सुकोमल पारिस्थितिकीय परिदृश्य को बचाया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वृक्षों को काटने के रैकेट में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां। सिक्किम सरकार ने सूचित किया है कि विभागीय जांच कराए जाने के बाद 100 से कम वृक्षों को काटे जाने का पता चला है। इस मामले ने सिक्किम उच्च न्यायालय का ध्यान भी आकर्षित किया है और न्यायालय ने सी०बी०आई० को निर्देश दिया है कि वह इस मामलो की पुन: जांच करें और सच्चाई का पता लगाएं।

(ख) और (ग) भारतीय वन सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि सिक्किम राज्य के वनावरण में 11 वर्ग कि०मी० की कमी हुई है। वनों के प्रबंधन और उनके विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है और केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिविकास बोर्ड की विभिन्न वनीकरण स्कीमों के माध्यम से अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी जाती है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे वन सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाएं और संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत वनों की सुरक्षा और विकास कार्य में स्थानीय लोगों को भी शामिल करें।

(घ) सिक्किम सरकार ने सूचित किया है कि चूंकि अभी तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ उच्च न्यायालय ने निर्णय नहीं दिया है, इसलिए किसी तरह की कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता।

पोषाहार उद्यानों को लगाया जाना

4519. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्र सरकार की शत-प्रतिशत सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में "पोषाहार उद्यान" लगाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को कुल कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पोषक बागानों की स्थापना "ग्रामीण क्षेत्रों में पोषक बागानों की स्थापना" स्कीम के अधीन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के जरिए भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता से की जा रही है। पिछले दो वर्षों में उपर्युक्त स्कीम के तहत प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र को दी गई कुल वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इस समय स्कीम के अन्तर्गत सहायता का प्रतिमान इस प्रकार है :–

मिनिकिट में फल पौधों और सब्जियों के बीजों का वितरण·	250 रुपये/-मिनिकिट/परिवार की दर से
जीरो इनर्जी कूल चैम्बर्स	प्रदर्शन के लिए चयनित पंचायत में प्रति विद्यालय/ग्राम 2500 रु०/जीरो इनर्जी कूल चैम्बर्स
प्रदर्शन	प्रदर्शन के लिए चयनित प्रति विद्यालय/पंचायत 5000/- रु० तक (भूमि उपलब्ध होने पर ही)

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान निर्मुक्त सहायता (लाख रुपये)
1.	आन्ध्र प्रदेश	27.38
2.	गोवा	3.00
3.	महाराष्ट्र	2.00
4.	तमिलनाडु	13.75
5.	कर्नाटक	15.50
6.	केरल	14.00
7.	उत्तर प्रदेश (मैदानी)	33.50
8.	मध्य प्रदेश	22.00
9.	उड़ीसा	32.00
10.	गुजरात	5.00
11.	बिहार	30.70
12.	पश्चिम बंगाल	38.82
13.	मेघालय	5.00
14.	मणिपुर	11.525
15.	मिजोरम	1.00
16.	असम	3.00
17.	अरुणाचल प्रदेश	8.75
18.	नागालैण्ड	15.00
19.	त्रिपुरा	1.50
20.	सिक्किम	5.00
21.	राजस्थान	12.00
22.	हरियाणा	18.50
23.	हिमाचल प्रदेश	24.00
24.	पंजाब	5.25
25.	जम्मू और कश्मीर	15.00
26.	दिल्ली	6.824
27.	उत्तर प्रदेश (पहाड़ी)	4.50

[हिन्दी]

डाकघरों में साफ्टवेयर प्रणाली

4520. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में डाक सेवाओं के लिए साफ्टवेयर विकसित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने डाकघरों में बहुउद्देशीय कम्प्यूटर मशीन और नई साफ्टवेयर प्रणाली लगा दी गई;

(ग) क्या सरकार ने देश के सभी डाकघरों में उक्त मशीनें और साफ्टवेयर प्रणाली लगाने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) 1,560 डाकघरों में बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें लगाई गई हैं तथा इन मशीनों के लिए विकसित की गई साफ्टवेयर प्रणालियां इनमें लगा दी गई हैं और वे इन सबमें कार्य कर रही हैं।

(ग) साफ्टवेयर प्रणालियों की स्थापना तथा विभिन्न डाकघरों में बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें लगाने की स्कीमें, पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन योजना स्कीमों का भाग हैं। मशीनें खरीदना, उन्हें डाकघरों में लगाना और चालू करना वार्षिक बजट में योजना स्कीमों के अंतर्गत आवंटित निधि की धनराशि पर निर्भर करता है। आवंटित निधि के भीतर, डाकघरों में अधिक से अधिक संख्या में मशीनें संस्थापित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

(घ) बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना के जरिए, सभी डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण कब तक पूरा हो जाएगा, यह वार्षिक बजटों में धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः, ऐसी समय सीमा पहले से बता पाना संभव नहीं है कि देश में सभी डाकघरों का कब तक कम्प्यूटरीकरण हो जाएगा।

[अनुवाद]

सुपारी का उत्पादन

4521. श्री पी०सी० थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार सुपारी के उत्पादन, उत्पादकता और बुआई क्षेत्र के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के लिए वर्षवार किसानों द्वारा बेची जाने वाली सुपारी के लिए क्या मूल्य निर्धारित किये गये;

(ग) क्या सुपारी के मूल्य में गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किसानों की सहायता हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) देश में सुपारी का राज्यवार उत्पादन, उत्पादकता और बुआई क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान कुछ चुनिन्दा मण्डियों में सुपारी के मासिक औसत थोक मूल्य संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) मूल्यों को स्थिर रखने के लिए सरकार ने सुपारी पर आयात शुल्क 35% से बढ़ाकर 100% कर दिया है।

विवरण-I

वर्ष 1996-97 से 1999-2000 के दौरान सुपारी का क्षेत्र, उत्पादन व उपज

राज्य	(क्षेत्र)000है०			उत्पादन (000 मी०टन)			उपज (कि०ग्रा०/है०)		
	1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.3	@	@	@
असम	74.1	73.8	74.5	64.0	56.7	55.4	864	768	744
गोवा	1.4	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	@	@	@
कर्नाटक	84.6	93.1	91.5	121.0	133.3	131.5	1430	1432	1437
केरल	72.8	76.1	80.6	80.1	94.0	92.5	1100	1235	1148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महाराष्ट्र	1.9	1.9	1.9	4.7	7.5	7.5	@	@	@
मेघालय	9.5	9.5	9.6	12.0	12.1	11.6	1263	1274	1208
मिजोरम	0.7	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1	@	@	@
तमिलनाडु	3.0	2.8	2.8	4.0	5.7	5.7	@	@	@
त्रिपुरा	1.8	2.3	2.5	3.5	4.2	4.5	@	@	@
पश्चिम बंगाल	7.5	8.1	8.2	10.7	12.4	13.7	1427	1531	1671
अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.6	3.6	3.6	5.1	5.2	5.5	@	@	@
पाण्डिचेरी	0.1	0.1	0.1	0.2	नगण्य	नगण्य	@	@	@
अखिल भारत	261.2	273.7	277.7	307.7	333.5	330.1	1178	1218	1189

@ : क्योंकि उत्पादन/क्षेत्र कम है, उपज का हिसाब नहीं लगाया जाता है।

विवरण-II

सुपारी के मासिक औसत थोक मूल्य

(रुपये/क्विंटल)

माह	1998-99		1999-2000		2000-2001	
	मंगलौर	कोषिक्कोड	मंगलौर	कोषिक्कोड	मंगलौर	कोषिक्कोड
अप्रैल	7274	6150	14732	12175	10665	9075
मई	7587	6150	14203	12125	10126	8350
जून	7693	6475	13819	11850	9308	7250
जुलाई	8512	7160	14094	12380	10240	8200
अगस्त	10108	7475	15277	13275	9144	7075
सितम्बर	9468	7733	15607	12950	8308	8080
अक्तूबर	9257	8333	15495	13760	7073	4900
नवम्बर	7740	9225	11435	13750		
दिसम्बर	7617	8425	9826	10100		
जनवरी	8628	8940	11475	9177		
फरवरी	10544	9125	11399	9125		
मार्च	14217	12200	10575	8840		

धनादेशों की सुपुर्दगी में विलम्ब

4522. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री एम० चिन्नासामी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब के विभिन्न डाकघरों द्वारा उत्तर प्रदेश को कितने धनादेश भेजे गए;

(ख) क्या कार्मिकों के उपेक्षाभाव और लापरवाही की वजह से, धनादेश निर्धारित स्थान पर काफी विलम्ब से पहुंच रहे हैं;

(ग) क्या इस तरह के मामले तमिलनाडु में भी हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में इस तरह के विलम्ब को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब के डाकघरों से उत्तर प्रदेश के लिए बुक किए गए मनीआर्डरों की संख्या इस प्रकार है :–

वर्ष	बुक किए गए मनीआर्डरों की संख्या
1997-98	8,23,575
1998-99	7,60,448
1999-2000	6,55,580

(ख) जी, नहीं। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों से पता चलता है कि इन मनीआर्डरों में से केवल कुछ के संबंध में विलंब हुआ है तथा उसके कारण इस प्रकार हैं :

(i) मनीआर्डर प्रेषक द्वारा अस्पष्ट, अधूरा पता लिखना।

(ii) क्षेत्र की परिस्थिति के कारण पैदल/साइकिल पर नकदी ले जाने की सीमा कम होना।

(iii) रेलगाड़ियों, वायुयानों और बसों में विलंब के कारण पारेषण में विलंब।

(iv) प्राकृतिक आपदाओं के कारण संचार में बाधा।

ऐसी कुछ ही शिकायतों के लिए मानवीय गलतियों को उत्तरदायी पाया गया है।

(ग) तमिलनाडु में मनीआर्डरों के विलंब के भुगतान के बारे में अदा-कदा शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, तमिलनाडु सर्किल में मनीआर्डरों के भुगतान में विलंब के बारे में प्राप्त शिकायतों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	मनीआर्डरों के भुगतान में विलम्ब के बारे में शिकायतों की संख्या
1997-98	2533
1998-99	4182
1999-2000	3080

इस तीन वर्षों में, औसतन 14 प्रतिशत मनीआर्डर शिकायतें भुगतान में विलम्ब से संबंधित थीं।

(ङ) रुकावटों को दूर करने तथा मनीआर्डरों का शीघ्र और प्रभावी भुगतान करने के लिए, सेवा की विभिन्न खास बातों की निरंतर पुनरीक्षा की जाती है तथा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

(i) वर्तमान वार्षिक योजना में 62 और हाई स्पीड वी-सेट केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

(ii) प्रत्येक शिकयत की तत्काल जांच की जाती है और यदि भुगतान करने वाले डाकघर से 10 दिन के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो डुप्लीकेट मनीआर्डर जारी करने का प्रावधान है।

(iii) परिवहन प्राधिकारियों के साथ डाक की समयनिष्ठ, नियमित और समय पर ढुलाई के लिए निकट समन्वय रखा जाता है।

(iv) मनीआर्डरों के शीघ्र भुगतान की जांच करने के प्रयोजन से आकस्मिक दौरा करने के लिए प्रत्येक सर्किल मुख्यालय में जांच दल गठित किए गए हैं।

(v) भुगतान में विलंब का पता लगाने और उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्यवेक्षकीय अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह भुगताए गए मनीआर्डरों की निर्धारित संख्या में अचानक जांच की जाती है।

(vi) शिकायतों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए, आवधिक विशेष अभियान चलाए जाते हैं।

(vii) मनीआर्डरों के शीघ्र भुगतान पर नजर रखने के लिए प्रत्येक सर्किल/परिक्षेत्र में एक वरिष्ठ अधिकारी को मनोनीत किया गया है।

(viii) सेवा में किसी कमी के लिए उत्तरदायी पाए गए कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में घाटा

4523. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को गत तीन वर्षों के दौरान उपक्रमवार हुये घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हो रहे घाटे पर रोक लगाने हेतु कोई उपाय करने का विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) भारतीय राज्य फार्म निगम कृषि मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। इस निगम को पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए घाटे का ब्यौरा निम्नवत है :–

(लाख रुपये)

	1997-98	1998-99	1999-2000
निवल घाटा	835.40	1172.53	1384.81
संचित घाटा	1887.43	3059.95	4444.77

(ख) और (ग) घाटे को रोकने के लिए सरकार का निम्नलिखित उपाय करने का विचार है :–

- उन्नत प्रबंध प्रणाली तथा फार्म प्रचालनों का बारीकी से मानिटरन;
- स्टाफ की संख्या कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम/स्वैच्छिक काम-मुक्ति स्कीम लागू करना;
- गैर-व्यवहार्य फार्मों को बेच देना;
- युक्तियुक्त वित्तीय प्रबंध तथा व्यय में कमी करना;
- उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग;
- कृषि योग्य क्षेत्र में विस्तार हेतु सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करना;
- बेकार मशीनरी को बदलना;
- उत्पादन नीति के अन्तर्गत उच्च गुणवत्ता वाले बीजों पर ध्यान केन्द्रित करना;
- उन्नत विपणन नीति
- कार्य निष्पादन में सुधार हेतु अर्थोपायों की सिफारिश के लिए संगठन का अध्ययन करने हेतु सलाहकार अनुबोधित करना।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 को चार लेन में बदलने हेतु निधियां

4524. श्री नागमणि : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 को चार लेन में बदलने के लिए अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब तक कितनी किलोमीटर सड़क निर्माण किया जा चुका है;

(ग) क्या इस राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते में वन क्षेत्र आ जाने के कारण सड़क निर्माण कार्य रुक गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या के कब तक हल होने और कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) 516 मिलियन अमरीकी डॉलर की विश्व बैंक ऋण सहायता से आगरा और बरवा अड्डा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-2 के 477 कि०मी० में कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, बाराकर और रानीगंज के बीच 141 करोड़ रु० की लागत पर 35.4 कि०मी० लम्बाई में विश्व बैंक की सहायता कार्य चल रहा है। बरवा अड्डा और बाराके के बीच तथा रानीगंज और पानागढ़ के बीच 419.50 करोड़ रु० की लागत पर 84 कि०मी० लम्बाई में एशियाई विकास बैंक की ऋण सहायता से कार्य चल रहा है।

(ख) दिल्ली – आगरा खंड की 200 कि०मी० लम्बाई में कार्य पूरा हो चुका है।

(ग) पेड़ काटने की अनुमति न होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 पर फिलहाल चल रहा कोई भी कार्य रोका नहीं गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि फसलों की उपज में कमी

4525. श्री शिवाजी माने :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000-2001 खरीफ मौसम के दौरान विभिन्न फसलों की उपज में करीब 9 मिलियन टन की कमी आने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सबसे अधिक कमी गन्ने की फसल में आने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने सृजित सिंचाई क्षमता और उपयोग में लाई गई सिंचाई क्षमता के बीच के अंतर को पाटने के लिए कुछ योजनायें शुरू की हैं;

(च) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(छ) इन योजनाओं के अन्तर्गत किये गये कार्य का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ज) इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) अग्रिम अनुमान के अनुसार, प्रमुख खरीफ 2000-01 फसलों के प्रत्याशित उत्पादन तथा पिछले वर्ष अर्थात खरीफ 1999-2000 के दौरान इनके उत्पादन का विवरण निम्नवत है :–

(मिलियन मीटरी टन)

फसल	1999-2000	2000-01
1	2	3
चावल	75.63	74.07
मोटा अनाज	23.47	23.11
दलहन	4.80	5.50
खाद्यान्न	103.90	102.68
तिलहन	12.55	12.11
कपास*	11.99	13.16
गन्ना	309.31	300.58

*170 किलोग्राम (प्रत्येक) मिलियन गाठें।

चूंकि देश में निवल बुआई क्षेत्र का केवल 39% क्षेत्र सिंचित है, अत: कृषि फसलों का उत्पादन काफी हद तक मानसून तथा अन्य कृषि जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर होता है। इससे विभिन्न फसलों के उत्पादन में उतार-चढ़ाव आता है।

(ङ) से (ज) जी, हां। सृजित तथा प्रयुक्त सिंचाई क्षमता के बीच के अन्तर दूर करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1974-75 के दौरान शुरू की गई थी। वर्ष 1999-2000 के अन्त तक 23 राज्यों तथा 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में फैले 22.27 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र की 228 सिंचाई परियोजनाओं को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया। इस कार्यक्रम के प्रमुख घटकों में खेतों पर विकासात्मक कार्य जैसे खेतों में जल निकास व्यवस्था खेतों में नालियां बनाना, भू-समतलीकरण एवं खेतों को उचित आकार देना तथा वारबन्दी लागू करना शामिल है। अधिकांश गतिविधियों के लिए राज्यों को उनके अंशदान के बराबर सहायता दी जाती है।

खेतों पर विकासात्मक कार्य के प्रमुख घटक के अन्तर्गत किए गए कार्य तथा प्रदत्त केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इसकी शुरूआत से मार्च, 2000 तक वास्तविक उपलब्धियां तथा निर्मुक्ति धनराशि

क्र० सं०	राज्य	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वास्तविक उपलब्धियां (हजार हैक्टेयर)				निर्मुक्त धनराशि (लाख रुपये)
		वारबन्दी का कार्यान्वयन	भूमि समतलीकरण तथा आकार देना	खेतों में नालियों का निर्माण	खेतों में जल निकासी व्यवस्था	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	413.31	369.65	9.07	675.64	9297.74
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.15	0.09	10.00
3.	असम	78.71	0.01	21.52	55.40	1997.96
4.	बिहार	86.31	1.29	0.00	1283.43	10918.43
5.	गोवा	20.14	0.81	0.01	10.34	917.93
6.	गुजरात	695.18	177.18	2.91	885.53	10910.05

1	2	3	4	5	6	7
7.	हरियाणा	298.26	37.30	0.00	389.64	11625.99
8.	हिमाचल प्रदेश	12.98	0.00	1.14	12.37	556.29
9.	जम्मू और कश्मीर	306.16	39.81	12.49	71.17	2553.95
10.	कर्नाटक	302.12	749.78	33.72	1077.43	13022.49
11.	केरल	145.74	1.19	77.25	171.26	8269.27
12	मध्य प्रदेश	417.79	44.16	37.76	1021.77	8678.85
13.	महाराष्ट्र	482.93	585.96	328.34	1188.67	24121.68
14.	मणिपुर	20.16	9.03	11.95	47.47	1160.32
15.	मेघालय	0.50	0.70	0.00	1.00	74.29
16.	नागालैण्ड	0.16	0.00	6.02	0.21	31.43
17.	उड़ीसा	567.26	16.38	106.88	375.48	6053.50
18.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	40.37	3852.06
19.	राजस्थान	661.61	113.58	30.61	1094.79	38870.58
20.	तमिलनाडु	523.80	0.00	29.20	783.88	14900.98
21.	त्रिपुरा	0.20	0.00	0.10	0.32	12.18
22.	उत्तर प्रदेश	4624.59	8.48	222.15	5674.20	43766.13
23.	पश्चिम बंगाल	0.06	3.08	0.00	98.89	2749.41
24.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	9657.96	2158.39	931.27	14959.35	214351.51

गंगा नदी में अपशिष्ट का पाटन करने पर प्रतिबंध

4526. श्री अरुण कुमार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गंगा नदी में किसी भी प्रकार के अपशिष्ट के पाटन पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, नहीं। नदियों और जल निकायों, जिनमें गंगा नदी भी शामिल है, में अपशिष्टों के निस्तारण से निपटने के लिए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 नामक दो कानूनी दस्तावेज पहले ही लागू है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वन्य जीव संबंधी अपराधों का मुकाबला करने हेतु विशेष इकाई की स्थापना

4527. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री शिवाजी माने :
श्री बी०वी०एन० रेड्डी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंदन स्थित गैर-सरकारी संगठन पर्यावरण अनुसंधान एजेंसी ने बाघों की सुरक्षा में असफल रहने के लिये भारत की आलोचना की है;

(ख) क्या इसने वन्य जीव संबंधी अपराधों और अवैध व्यापार का मुकाबला करने के लिये एक विशेषज्ञ प्रवर्तन इकाई की स्थापना का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने वन्य जीव संबंधी अपराधों और अवैध व्यापार का मुकाबला करने के लिये एक विशेषज्ञ इकाई की स्थापना की है;

(घ) यदि नहीं, तो अब तक उक्त इकाई की स्थापना न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त इकाई के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) पर्यावरण अन्वेषण अभिकरण द्वारा इस देश में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों की नियमित आधार पर निगरानी की जा रही है। इस दौर में इसे वन्यजीव अपराध नियंत्रण और वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु एक विशिष्ट यूनिट की स्थापना के लिए इस मंत्रालय द्वारा की गई पहल के बारे में जानकारी हुई। विशिष्ट यूनिट की स्थापना में हुए विलम्ब की पर्यावरण अन्वेषण अभिकरण ने आलोचना की है।

(घ) और (ङ) सरकार के आकार को न्यायसंगत बनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने नए पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध लगाया है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट यूनिट की स्थापना के बारे में अब तक अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन-कनेक्शन

4528. श्री तूफानी सरोज : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा एल०डी०पी०टी० योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन-कनेक्शन मुहैया कराये गये?

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक जिले में ऐसे कितने टेलीफोन उपलब्ध कराये गये हैं?

(ग) क्या ये टेलीफोन ठीक से काम कर रहे हैं?

(घ) यदि नहीं, तो जिला-वार ऐसे कितने टेलीफोन खराब पड़े हैं?

(ङ) क्या सरकार ने उन्हें ठीक कराने के लिए कदम उठाये हैं?

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

(ज) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के बदले कोई वैकल्पिक योजना शुरू करने का है? और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन/ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी०पी०टी०) स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं, जिसने पूर्ववर्ती एल०डी०पी०टी० स्कीम का स्थान ले लिया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के 36,589 गांवों को टेलीफोन-सुविधाएं प्रदान की गई हैं। जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां। इनमें से अधिकांश वी०पी०टी० संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(घ) 30/11/2000 की स्थिति के अनुसार 12,950 वी०पी०टी० खराब थे। जिले वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। खराब वी०पी०टी० को ठीक करने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं :

(i) सभी वी०पी०टी० का परीक्षण एक्सचेंज में दैनिक आधार पर किया जा रहा है तथा परीक्षण करने पर खराब पाए गए टेलीफोनों पर तुरंत ध्यान दिया जाता है।

(ii) मीटर रीडिंग की पाक्षिक रूप से जांच की जाती है तथा कम मीटर रीडिंग को खराब निष्पादन का संकेत माना जाता है तथा तुरंत उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की जाती है।

(iii) खराब वी०पी०टी० को तुरंत ठीक करने के लिए सर्किल-स्तर पर उड़न दस्तों का गठन किया गया है।

(iv) खराब प्रणालियों को ठीक करने के लिए प्रत्येक सर्किल में मरम्मत-केंद्र खोले जाते हैं।

(v) उपस्कर के आपूर्तिदाताओं के साथ ए०एम०सी० किए जा रहे हैं।

(छ) उपर्युक्त (च) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ज) एल०डी०पी०टी० स्कीम को पहले ही वी०पी०टी० से बदला जा चुका है।

(झ) वी०पी०टी० स्कीम के अंतर्गत, सरकार की मार्च, 2002 तक देश के सभी राजस्व गांवों को दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने की योजना है।

विवरण

क्रम सं०	जिला/गौण स्विचन-क्षेत्र	गत तीन वर्षों में प्रदान किए गए वी०पी०टी०	30/11/2000 तक खराब वी०पी०टी०
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद	1204	460
2.	आजमगढ़	1459	460
3.	बहराइच	718	215
4.	बलिया	813	232
5.	बांदा	547	205
6.	बाराबंकी	596	237
7.	बस्ती	1038	337
8.	इटावा	500	174
9.	फ़ैजाबाद	1102	308
10.	फ़रुखाबाद	511	220
11.	फ़तेहपुर	237	144
12.	गाजीपुर	780	179
13.	गोंडा	867	248
14.	गोरखपुर	1216	295
15.	हमीरपुर	452	175
16.	हरदोई	710	167
17.	जौनपुर	784	222
18.	झांसी	603	267
19.	कानपुर	811	232
20.	लखीमपुर	997	328
21.	लखनऊ	126	102
22.	मैनपुरी	469	163
23.	मऊ/देवरियां	1251	394
24.	मिर्जापुर	1056	354
25.	उरई	495	190
26.	प्रतापगढ़	966	225
27.	रायबरेली	702	181
28.	शाहजहांपुर	830	215
29.	सीतापुर	881	265
30.	सुलतानपुर	936	302
31.	उन्नाव	658	218
32.	वाराणसी	755	208
33.	आगरा	163	52
34.	फ़िरोज़ाबाद	81	284
35.	अलीगढ़	791	55
36.	हाथरस	395	15
37.	अल्मोड़ा	388	442
38.	पिथौरागढ़	145	476
39.	बागेश्वर	132	137
40.	चम्पावत	301	137
41.	बदायूं	1020	425
42.	बिजनौर	1419	290
43.	बरेली	604	458
44.	देहरादून	239	27
45.	एटा	229	219
46.	गाज़ियाबाद	109	17
47.	जी०बी० नगर	213	28
48.	बुलंदशहर	280	25
49.	मेरठ	4	82
50.	बागपत	17	27
51.	मथुरा	363	153
52.	मुरादाबाद	596	154
53.	जे०पी० नगर	343	121
54.	मुजफ्फरनगर	972	8
55.	नैनीताल	212	50
56.	ऊधम सिंह नगर	419	76
57.	न्यू टिहरी	310	20
58.	उत्तरकाशी	115	41
59.	रामपुर	540	63
60.	सहारनपुर	160	571
61.	हरिद्वार	111	
62.	पीलीभीत	389	230
63.	पौड़ी	235	214

1	2	3	4
64.	रुद्रप्रयाग	47	32
65.	चमोली	177	99
	योग	36589	12950

विद्युत परियोजनाओं में वित्तीय संकट

4529. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले :**
श्री पी०आर० खूंटे :
श्री टी० गोविन्दन :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कुछ चालू वित्त परियोजनाओं को पूर्ण करने में गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पिछले वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस वर्ष और अगले दो वर्षों के दौरान किन स्रोतों से यह धनराशि एकत्रित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्य बिजली बोर्डों द्वारा विद्युत पारेषण सुधारने के संबंध में आ रहे वित्तीय संकट को हल करने में राज्य सरकारों की सहायता हेतु और क्या कदम उठाये गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) उन ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे जो निधियों के अभाव में लम्बित हैं, उनकी अद्यतन अनुमानित लागत आदि नीचे दी गई है :

क्रम सं०	परियोजना/क्रियान्वयनकर्ता एजेंसी का नाम	क्षमता (मे०वा०)	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रु०)
अल्प वित्तीय समस्या झेल रही ताप विद्युत परियोजनाएं			
1.	तेनुघाट टी०पी०पी० चरण-II (टी०टी०एन०एल०)	3x210	2400.00
2.	मुजफ्फरपुर टी०पी०एस० (बी०एस०ई०बी०)	2x250	2250.00
3.	अमगुड़ी में गैस आधारित सी०सी०जी०टी०	2x30 जी०टी०एस० + 1x30 एस०टी०	1200.00
निधियों के अभाव में लम्बित निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं			
1.	अपर सिंध-II (जे० एंड के०)	2x35	399.50
2.	अपर सिंध-II एक्सटैंशन (जे० एंड के०)	1x35	42.27
3.	चेनानी-III (जे० एंड के०)	3x2	46.23
4.	सेवा-III (जे० एंड के०)	3x3	60.00
5.	शाहपुरकंडी चरण-I एंड II (पंजाब)	2x40 + 2x40 + 1x8	1538.00
6.	मनेरी भाली-II (यू०पी०)	4x76	1249.18*
7.	लखवर व्यासी (यू०पी०)	3x100 + 2x60	1446.00
8.	कटापत्थर (यू०पी०)	2x9.5	27.58
9.	धनश्री (असम)	5x3x1.33	78.63
10.	कारबी लांग्पी (लोवर बोर्पानी) (असम)	2x50	288.37

*अनुमानित पूर्णता लागत

(घ) उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए किस प्रकार संसाधन जुटाया जाए, इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विद्युत पारेषण एवं वितरण में सुधार शुरू करने के लिए सरकार राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों का वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से विशेष निधि स्थापित करने पर विचार कर रही है। इन निधियों को राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों को (1) विद्युत केन्द्रों (हाइड्रो एवं थर्मल दोनों) के नवीकरण/आधुनिकीकरण एवं उन्नयन, (2) उप-पारेषण एवं वितरण स्कीम के सुदृढ़ीकरण, उन्नयन/सुधार हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

सरकार ने विद्युत कानून (संशोधन) अधिनियम, 1998 को भी अधिनियमित किया है जिसमें पारेषण को एक पृथक कार्य माना गया है और पारेषण के क्षेत्र में सरकार निजी क्षेत्र निवेश को भी बढ़ावा देगी। इस दिशा में पारेषण क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेश के लिए जनवरी, 2000 में दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

महानगरों के वायु प्रदूषण की जांच

4530. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों के वायु मंडल में बेंजीन और उर्ध्वपाती कार्बनिक यौगिक (वी०ओ०सी०) के स्तर में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य शहरों में ऐसे कुछ प्रयास किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ङ) तीन मानक प्रदूषकों अर्थात् सल्फर डाई आक्साइड, नाइट्रोजन डाइ आक्साइड और निलंबित विविक्त पदार्थ के लिए देश के 92 नगरों में 290 केन्द्रों के एक नेटवर्क के माध्यम से परिवेशी वायु गुणता की नियमित निगरानी की जाती है। बेंजीन और वोलेटाइल आर्गेनिक कम्पाउंड्स (वी०ओ०सी०) जैसे विशिष्ट प्रदूषकों की निगरानी दिल्ली, मुम्बई और कानपुर में प्रारम्भ की गई है जिसका विस्तार अन्य नगरों में भी संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

राज्य सरकारों द्वारा सूखा राहत कोष के उपयोग में अनियमितताएं बरतना

4531. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी०ए०जी०) ने विभिन्न राज्य सरकारों को सूखा राहत कोष में अनेक अनियमितताएं बरतने का दोषी पाया है;

(ख) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में इस कोष का सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट, 1999 सं०-3 (मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए) में, सूखा समेत प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपदा राहत कोष के प्रचालन में विभिन्न सरकारों द्वारा बरती गयी कुछ अनियमितताओं की ओर भी ध्यान दिलाया है।

(ख) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में, आपदा राहत कोष से प्राप्त धन का अन्य उद्देश्यों में खर्च किये जाने, आपदा राहत कोष को साधारण राजस्व से पृथक न किये जाने, निवेश और व्यय के मानकों का उल्लंघन, मानक से ज्यादा व्यय किये जाने, निष्पादक अभिकरणों के पास धन के बचे रह जाने, व्यय प्रमाण-पत्र बाकी रहने, नकद बही में खामियों और कुछ तथाकथित दुर्विनियोजनों आदि की ओर ध्यान दिलाया गया है।

(ग) इन निष्कर्षों को संबंधित राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया है और सुधारात्मक उपाय करने का अनुरोध किया गया है। कृषि एवं सहकारिता विभाग ने आपदा राहत कोष की योजना और उसके अंतर्गत दिशा-निर्देशों पर पुन: ध्यान देने पर जोर दिया है ताकि राज्य उनका वास्तविक अनुपालन करें और ऐसी घटनायें दुबारा न होने पायें। राज्यों ने सुधारात्मक कार्यवाही शुरू कर दी है।

वन क्षेत्रों में थाने

4532. डा० वी० सरोजा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वन क्षेत्रों में थाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या नीति अपनाई गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) कुछ राज्य सरकारें वन सुरक्षा स्टाफ को पुनर्गठित करके व्यवहार्य संघटन हेतु विचार कर रही हैं। इससे संबंधित ब्यौरे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार की इस पहल का समर्थन करती है।

पद आधारित रोस्टर

4533. श्री के०एच० मुनियप्पा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने आरक्षण प्रणाली लागू करने के लिए "रिक्ति आधारित रोस्टर" के स्थान पर 2.7.1997 से "पद आधारित रोस्टर" आरम्भ किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या "रिक्ति आधारित रोस्टर" के स्थान पर "पद आधारित रोस्टर" आरम्भ करते समय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 36012/2/96-ई०एस०टी०टी० (आर०ई०एस०), दि० 2.7.97 के पैरा (5) के अनुसार मंत्रालय और सभी स्वायत्त/सांविधिक संगठनों, सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में यदि कोई आधिक्य/कमी हों तो उनका पता लगाने की प्रक्रिया आरम्भ की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) यदि नहीं तो 2-7-97 की स्थिति के अनुसार उक्त सभी श्रेणियों में पाए गए आधिक्य/कमियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसरण में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 2-7-1997 से पद आधारित रोस्टर लागू किया गया है।

(ग) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का०ज्ञा०सं० 36012/2/96-स्था०(आवा०) दिनांक 02-07-1997 में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुकरण किया गया है।

(घ) और (ङ.) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पद आधारित रोस्टर

4534. श्री रमेश सी० जीगाजीनागी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने आरक्षण प्रणाली लागू करने के लिए रिक्ति आधारित रोस्टर के स्थान पर 02 जुलाई 1997 पद आधारित रोस्टर आरम्भ किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 'रिक्ति आधारित रोस्टर' के स्थान पर 'पद आधारित रोस्टर' आरम्भ करते समय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 36012/2/96-ईएसटीटी (आरईएस), दि० 2-7-97 के पैरा (5) के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय और सभी स्वायत्त/सांविधिक संगठन, सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में यदि कोई आधिक्य/कमी हों, तो उनका पता लगाने की प्रक्रिया की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) यदि नहीं, तो 2 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार उक्त सभी श्रेणियों में कितना आधिक्य/कमी पाई गई?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (ङ.) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी अधिकारियों द्वारा स्थानीय कॉल-शुल्क का भुगतान

4535. श्री पी० मोहन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी अधिकृत सरकारी अधिकारियों को सरकार द्वारा प्रदत्त अपने आवासीय टेलीफोन से 325 स्थानीय कॉलों से ज्यादा कॉल करने पर स्वयं भुगतान करना पड़ता है?

(ख) क्या कुछ अधिकारियों द्वारा ऐसी अतिरिक्त कॉलों का शुल्क जमा न करने के कारण सरकार को भारी राजस्व घाटा हो रहा है?

(ग) यदि हां, तो उन अधिकारियों का मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है, जिन्होंने जनवरी, 1995 से नवम्बर, 2000 की अवधि के लिए ऐसी अतिरिक्त कॉलों का शुल्क जमा नहीं किया है?

(घ) सरकार का उन अधिकारियों से ऐसी बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कारवाई करने का प्रस्ताव है और वह वसूली कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

(ङ) क्या उन अधिकारियों द्वारा स्थानीय टेलीफोन कॉलों के लिए भुगतान किए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क जमा न करने पर उनसे बकाया राशि पर दंड स्वरूप कोई ब्याज वसूल किए जाने का प्रस्ताव है? और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

वर्षा वनों की खोज

4536. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 अक्तूबर, 2000 के "रेन फारेस्ट डिस्कवरड इन असम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सौम्यदीप दत्ता नामक एक पर्यावरण विद् ने असम में वर्षा वनों की खोज की है जो अरूणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) जी, हां। समाचार के अनुसार सौम्यदीप दत्ता और अन्यों ने असम में 500 वर्ग कि० मी० वर्षा वन की खोज की है जो अरूणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं।

(घ) जोयपुर, दीराक और अप्पर डाइहिंग वन को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित करने हेतु नेचर्स बेकन ग्रुप से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। चूंकि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत किसी क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में घोषित करने की शक्तियां राज्य सरकारों को दी गई हैं, इसलिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करें।

[हिन्दी]

"ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क"

4537. श्री महेश्वर सिंह : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के मुख्यालय की स्थापना की है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त मुख्यालय को वहां पर कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी० आर० बालू) : (क) ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का मुख्यालय कुल्लू जिले में शामशी में स्थापित किया गया है जो जिला मुख्यालय से 9 कि० मी० की दूरी पर है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

"वन संरक्षण"

4538. श्री छत्रपाल सिंह : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान वन संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश को जिलावार कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ख) क्या विशेषकर बुलन्दशहर जिले में धनराशि का उपयोग न किये जाने से संबंधित कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाई की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी० आर० बालू) : (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय धनराशियों का जिला-वार आबंटन नहीं करता। तथापि, मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश को वनों के परिरक्षण हेतु वर्ष 1999-2000 के दौरान 1147.58 लाख रुपये जारी किए हैं।

(ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले में धनराशियों का उपयोग न किए जाने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान

4539. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, ऊँट, याक, मिथुन, कुक्कुट आदि के लिए अनुसंधान संस्थान हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कुक्कुट के लिए अनुसंधान संस्थान और परियोजना निदेशक हैं;

(ग) क्या भारतीय पशु संसाधन विकास प्रतिष्ठान काफी समय से राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान के लिए अभ्यावेदन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो पशु अनुसंधान संस्थान संबंधी स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भैंस, बकरी तथा भेड़ पर केन्द्रीय अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की है। परिषद ने अश्व, ऊँट, याक तथा मिथुन पर भी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है। एक परियोजना निदेशालय की भी स्थापना की गई है जो मुर्गी-पालन से संबंधित है।

(ख) इज्जतनगर (उत्तर प्रदेश) में एक केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान तथा हैदराबाद (आन्ध्र-प्रदेश) में मुर्गी पालन से संबंधित परियोजना निदेशालय मौजूद हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मवेशियों से संबंधित एक परियोजना निदेशालय, मेरठ (उत्तर प्रदेश) में स्थापित किया गया है। इस समय किसी मवेशी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

विशेष टेलीफोन-नम्बर

4540. श्री भेरूलाल मीणा : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में सेक्स-फोन-कॉलों को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या यह व्यवसाय महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्वीकृति से चल रहा है?

(घ) क्या एमटीएनएल ने इसके लिए उन्हें विशेष टेलीफोन नम्बर प्रदान किए हैं? और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं तो सेक्स-फोन-घोटाले पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं, ऐसी सेवा के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। आबंटित विशेष नंबर; प्रीमियम-दर-सेवा के लिए हैं।

(ङ.) इस सेवा से व्यवसायी तथा सूचना-प्रदाता दूरसंचार नेटवर्क, जो संचार का तीव्रतम माध्यम है, का इस्तेमाल करते हुए सलाह/परामर्श देने, किसी भी क्षेत्र में भविष्यवाणी करने, भविष्य बताने, शेयर-बाजार संबंधी परामर्श देने, रोजगार-संबंधी परामर्श देने तथा खेल-कूद के संबंध में जानकारी इत्यादि देने में सक्षम होते हैं। सेवा-प्रदाता व्यवसायी/सूचना-प्रदाता को एमटीएनएल (नेटवर्क-ऑपरेटर) द्वारा एक पीआरएम-सेवा-नंबर आवंटित किया जाता है तथा इससे टेलीफोन-उपभोकता/जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक दिल्ली तथा मुम्बई में कहीं भी स्थित सूचना-प्रदाता से सम्पर्क कर सकते हैं।

[अनुवाद]

गो-सदनों के अंदर पशुचिकित्सालयों की व्यवस्था

4541. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गो-सदन स्वयं के पशुचिकित्सालयों के बिना उचित रूप से कार्य नहीं कर सकते;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गो-सदनों के अंदर पशुचिकित्सालयों की व्यवस्था करने का है और यदि हां तो कानून के अनुसार इस संबंध में प्रासंगिक नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली में कुल कितने गो-सदन हैं और इनमें से कितने बिना पशुचिकित्सालयों के कार्य कर रहे हैं;

(घ) उक्त क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन गो-शालाओं को चलाने के लिए दिए गए धन का ब्यौरा क्या है;

(ङ.) क्या इन गैर सरकारी संगठनों की लेखा परीक्षा की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (छ) जैसा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सूचित किया है, गाय सहित पशुओं के लिए आश्रय घरों के निर्माण के उद्देश्य से गैर सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता जारी करने के लिए उस मंत्रालय द्वारा एक योजना चलाई जा रही है। इस योजना में गो-सदन के भीतर एक पशुचिकित्सालय के निर्माण के लिए भी अनुदान सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है। इस योजना के तहत, दिल्ली में तीन संगठनों को गो-सदन के भीतर पशुचिकित्सालय के निर्माण सहित गायों के लिए आश्रय घरों के निर्माण के लिए 55.00 लाख रुपए की अनुदान सहायता मंजूर की गई है। इन आश्रय घरों में गायों के उपचार के लिए अपने डाक्टर, अर्ध चिकित्सा स्टाफ, अनिवार्य दवाइयां तथा आवश्यक उपकरण होते हैं। यहां तक कि नजदीकी सरकारी अस्पतालों के डाक्टर नियमित रूप से इनमें से कुछ आश्रय घरों का दौरा करते हैं। चार भागों में वार्षिक लेखे अर्थात् लेखा परीक्षा रिपोर्ट, आय एवं व्यय लेखे, प्राप्ति एवं भुगतान लेखे तथा प्राधिकृत सनदी लेखापाल से विधिवत लेखा परीक्षित तुलन पत्र प्रत्येक संगठन से नियमित रूप से उस मंत्रालय द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। उन्हें जारी मदवार अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उस मंत्रालय द्वारा अलग से प्राप्त किए जाते हैं जो कि सनदी लेखापाल से दोबारा विधिवत प्रमाणित होते हैं।

विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र का निवेश

4542. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र का आशानुरूप निवेश नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इलेक्ट्रान डी फ्रांस भद्रावती विद्युत परियोजना में होने वाले अत्यधिक विलम्ब के कारण इससे पीछे हट गई है;

(ग) क्या तमिलनाडु परियोजना का कार्य करने वाले वीडियोकोन समूह ने काम बंद कर दिया है और समूह को भय है कि तमिलनाडु विद्युत बोर्ड द्वारा दिया गया "एस्क्रोकवर" रद्द कर दिया जाएगा;

(घ) क्या अति प्रतिबंधात्मक परचेज प्राइस प्रेफरेंस (पीपीपी) अब भी लागू है जिसके कारण एन॰टी॰पी॰सी॰ के रिहंद और रामागुण्डम पैकेज के लिए निजी बोलीदाता आगे नहीं आ रहे हैं;

(ङ) क्या पीपीपी घरेलू उद्योग और "भेल" सहित सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करता रहा है और "भेल" निजी बोलीदाताओं से प्रतिस्पर्धा न कर सकने के कारण अपनी उपयोगिता खो बैठा है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां। मैसर्स इलेक्ट्रिसाइट डी फ्रांस (ईडीएफ) ने बताया है कि उनके 1982 मे॰ वा॰ वाली भद्रावती विद्युत परियोजना से पीछे हटने का एक कारण विभिन्न प्राधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त करने में अत्यधिक विलंब होना है।

(ग) चूंकि मै॰ विडियोकॉन पावर लिमिटेड जो तमिलनाडु में तमिलनाडु सरकार द्वारा 4 विस्तार दिए जाने के बावजूद 1050 मे॰वा॰ की उत्तरी चेन्नई चरण-II ताप विद्युत परियोजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं, द्वारा वित्तीय समापन नहीं प्राप्त किया गया था, अत: तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनई बी) ने परियोजना के लिए दिए गए एस्क्रो को पुन: मान्य नहीं करने का निर्णय लिया। टीएनईबी ने भी सूचित किया है कि परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होना अभी बाकी है।

(घ) से (च) सरकार द्वारा का॰ज्ञा॰सं॰ डीपीई/13(3)2000 वित्त जी एल, 30 दिनांक 14.9.2000 के तहत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को दी गई क्रय मूल्य पसंद संबंधी नीति 31.3.2002 से लागू है। क्रय

मूल्य पसंद का मुख्य उद्देश्य के सा॰क्षे॰ उपक्रमों को उनके विदेशी प्रतियोगियों की तुलना में एक उपर्युक्त प्रतियोगी मैदान उपलब्ध कराना है।

यद्यपि कुल 16 संभावित बोलीदाताओं, जिसमें घरेलू और विदेशी बोलीदाता शामिल हैं, ने अक्टूबर, 1999 में रामागुंडम चरण-III (1x500 मे॰ वा॰) तथा रिहन्द चरण-II (2x500 मे॰ वा॰) के मुख्य संयंत्र के लिए आमंत्रित बोलियों के जारी होने पर बोली संबंधी दस्तावेज खरीदा। हालांकि केवल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने ही इन दोनों परियोजनाओं के लिए बोली प्रस्तुत की, जिन्हें अंततः अक्टूबर, 2000 में खोला गया।

[हिन्दी]

किसानों को राज सहायता

4543. श्री नवल किशोर राय :
श्री सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका और यूरोप के दूसरे देशों में कृषि के क्षेत्र में देश में ही उपयोग किए जाने वाले उत्पादों और निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के मामले में काफी अधिक राजसहायता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस मामले में विश्व व्यापार संगठन के तत्वाधान में हुई वार्ता के दौरान विचार-विमर्श किया गया था;

(घ) यदि हां, तो भारतीय शिष्टमंडल के किन सदस्यों को वार्ता हेतु भेजा गया था; और

(ङ.) इस संबंध में हुए विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। अनेक विकसित देशों में कृषि को बड़े पैमाने पर घरेलू सहायता तथा निर्यात पर राजसहायता को देखते हुए भारत विकसित देशों से घरेलू सहायता में उल्लेखनीय कमी करने तथा निर्यात राजसहायता को हटाने की मांग उठाता रहा है।

(ग) विश्व व्यापार संगठन की कृषि संबंधी समिति के विशेष सत्र में कुछ सदस्य देशों के प्रस्तावों में विकसित देशों में राजसहायता को कम करने तथा कृषि को सहायता देने के बारे में विचार विमर्श किया गया था जिसमें भारत ने भी भाग लिया।

(घ) विश्व व्यापार संगठन की कृषि संबंधी समिति के जिनेवा में जून, सितम्बर तथा नवम्बर, 2000 में आयोजित विशेष सत्र में भारत की ओर से कृषि एवं सहकारिता विभाग के अपर सचिव श्री आर॰सी॰ए॰ जैन को भेजा गया था। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत/स्थायी प्रतिनिधि श्री एस॰ नारायणन तथा जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन के अन्य अधिकारीगण भी विश्व व्यापार संगठन में कृषि संबंधी करार के बारे में किए जाने वाले विचार विमर्श में भाग लेते रहते हैं।

(ङ.) कृषि संबंधी करार के बारे में प्रारम्भिक बातचीत संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्य देशों को दिसम्बर, 2000 तक का समय दिया गया है। कृषि संबंधी समिति इन प्रस्तावों पर अपने अगले विशेष सत्र में विचार करेगी। निर्णायक दौर की बातचीत के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

मृत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार

4544. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर पशुपालन विभाग में राज्यवार और जिलेवार कितने कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हुई;

(ख) इनमें से कितने मृत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार दिया गया;

(ग) मृत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार देने के बकाया मामले कब तक निपटा लिए जाएंगे;

(घ) क्या सरकार का विचार आश्रितों को रोजगार दिए जाने तक संबंधित आवास को आश्रितों के पास ही रहने देने की अनुमति देने का है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ङ.) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

सिडनी ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल को दैनिक भत्ता

4545. श्री ए॰ पी॰ अब्दुल्लाकुट्टी : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सिडनी ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल को दैनिक भत्ता देने के संबंध में क्या मानदंड अपनाये गए थे;

(ख) क्या भाग लेने वाले विभिन्न व्यक्तियों को उक्त भत्ते के भुगतान के संबंध में कोई अनियमितता पाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खिलाड़ियों के पासपोर्टों में अंकित प्राधिकृत दैनिक भत्ता, उन्हें प्राप्त वास्तविक भत्ते से भिन्न है; और

(ङ.) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) भारत सरकार ने सहभागियों को दैनिक भत्ता मंजूर/प्रदान नहीं किया। तथापि, सरकार द्वारा अनुमत भारतीय दल को

35 अमेरीकी डालर प्रतिदिन की दर से जेब खर्च स्वीकृत किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ड.) सिडनी ओलंपिक के दौरान धन के विदेशी मुद्रा में परिवर्तन और उसके हस्तांतरण के मुद्दे पर मीडिया में आई सूचना और रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने इस मामले में भारतीय ओलंपिक संघ से पूरे ब्यौरे देने के लिए कहा है। भारतीय ओलंपिक संघ ने अब इस संबंध में ब्यौरा भेज दिया है। इस मामले में राय जानने के लिए मामले को वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग को पुन: भेज दिया गया है।

अलमाटी बांध की ऊंचाई बढ़ाना

4546. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अलमाटी बांध की ऊंचाई बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रक्रिया में कितने किसानों और परिवारों की भूमि ले लेने के कारण उनके बेघरबार हो जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) अपर चरण-II बहु उद्देशीय परियोजना के सिंचित क्षेत्र हेतु सलाहकार समिति ने दिनांक 31.5.2000 को आयोजित अपनी 73वीं बैठक में अलमाटी बांध के 519.6 मीटर के पूर्ण जलाशय स्तर के लिए निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृति प्रदान की :-

(i) वन, पर्यावरण तथा पुनर्वास एवं पुन:स्थापन योजना को संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा स्वीकृति;

(ii) पूर्ण जलाशय स्तर 519.60 मीटर तक प्रतिबंधित रहेगा तथा जल भण्डारण की वास्तविक क्षमता 519.60 मीटर से अधिक नहीं होगी;

(iii) परियोजना का कार्यान्वयन इस प्रकार होगा कि महाराष्ट्र का कोई भू-भाग डूब क्षेत्र में न आए;

(iv) नहर क्षमता मांग सारणी के अनुसार सिंचाई हेतु 10% मात्रा अधिक मानते हुए पानी की आवश्यकता तक सीमित होगी तथा पूर्ण जलाशय स्तर के डिजाइन से चरण-II के अन्तर्गत आने वाले कमान क्षेत्र में सिंचाई सुनिश्चित की जाएगी;

(v) अपर कृष्णा परियोजना के चरण-I तथा II के अन्तर्गत उपयोग 173 टी॰एम॰सी॰ से अधिक नहीं होगा;

(vi) 519.60 मीटर पूर्ण जलाशय स्तर सहित परियोजना के लागत अनुमान को अंतिम रूप देना तथा परियोजना के अन्य आर्थिक मानदण्ड निश्चित करना;

जहां तक ऊपर उल्लिखित शर्त (vi) का संबंध है, 519.6 मीटर के पी॰आर॰एल॰ सहित परियोजना के लागत अनुमान को 1998-99 के मूल्य स्तर पर अंतिम रूप देकर 2358.86 करोड़ रुपये किया गया है तथा परियोजना के अन्य आर्थिक मानदण्ड भी निश्चित किए गए हैं। निवेश स्वीकृति पर विचार करने के लिए इस स्थिति से योजना आयोग को दिनांक 15.11.2000 को अवगत करा दिया गया है। जहां तक ऊपर (i) में उल्लिखित शर्त का प्रश्न है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कुछ शर्तों के कड़ाई से अनुपालन के अध्यधीन अपनी स्वीकृति दे दी है। कृष्णा भाग्य जल निगम लिमिटेड ने प्रमाणित किया है कि अलमाटी बांध के निर्माण सहित अपर कृष्णा चरण-II के कार्यान्वयन के लिए कोई वन भूमि आवश्यक नहीं है अथवा इसका उपयोग नहीं किया गया है एवं इस परियोजना के कारण आदिवासी लोगों को विस्थापित नहीं किया जा रहा है। जहां तक ऊपर (ii) तथा (V) पर उल्लिखित शर्तों का संबंध है, इनका अनुपालन कर्नाटक सरकार को अलमाटी बांध के प्रचालन के समय सुनिश्चत करना होगा।

ऊपर कृष्णा परियोजना चरण-I, जो सिंचाई परियोजना है को अलमाटी बांध के 512.2 मीटर पूर्ण जलाशय स्तर के लिए योजना आयोग ने 28.11.1963 को मंजूरी दी थी।

डूब क्षेत्र के तहत प्रभावित जनसंख्या का ब्यौरा निम्नवत है :-

क्र॰ सं॰		जलाशय स्तर 512.2 मीटर तक (चरण-I)	जलाशय स्तर 512.2 मीटर (चरण-I) तथा 519.6 मीटर (चरण-II) के बीच	512.2 मीटर (चरण-I) तथा 524.256 मीटर के बीच
1.	डूब क्षेत्र	18000 हेक्टेयर	24557 हेक्टेयर	57366 हेक्टेयर
2.	प्रभावित क्षेत्र	136	शून्य	22
3.	प्रभावित जनसंख्या	180000	उपलब्ध नहीं	87541

(घ) ई॰एल॰ 509 मीटर तक प्रभावित 95 गांवों के लिए 68 पुनर्वास केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है। बुनियादी सुविधायुक्त 50 पुनर्वास केन्द्र खोले जा चुके हैं तथा शेष पुनर्वास केन्द्रों के लिए भूमि अधिगृहित कर ली गई है एवं कार्य प्रगति पर है।

उपर्युक्त के अलावा अलमाटी बांध के अधीन बागलकोट नगर क्षेत्र का भाग प्रभावित होगा, जिसके लिए सरकार ने बागलकोट शहर विकास प्राधिकरण का गठन किया है। जीर्णोद्धार कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

विस्थापन के प्रयोजनार्थ अपेक्षित 1800 हैक्टेयर भूमि में से 1747 हेक्टेयर भूमि पहले ही अधिगृहीत करके कब्जे में ली गई है। शेष

भूमि के अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। समग्र रूप में परियोजना से विस्थापित 10,000 लोगों को बसाने के लिए 49 खंडों का विकास किया जाएगा। अपर कृष्णा परियोजना के चरण-II के निर्माण से प्रभावित होने वाले परियोजना से विस्थापित लगभग 630 व्यक्तियों को बसाने के लिए 9 खंड तैयार हैं।

नए शहर क्षेत्र में 22 खंडों और सड़कों का सीमांकन पूरा कर लिया गया है तथा शेष 21 खंडों के लिए सड़क का कार्य चल रहा है।

6 खंडों के लिए प्राथमिक विद्यालय भवन 5 नर्सरी स्कूल भवनों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

खंड सं॰ 9.46 में प्राथमिक विद्यालयों के भवनों, खंड सं॰ 33 में 60 दुकानों, खंड सं॰ 17 में 70 दुकानों, खंड सं॰ 34 और 38 में दुकानों का निर्माण कार्य चल रहा है। 22 खंडों के लिए सड़क निर्माण कार्य पूरा होने पर है। 21 क्षेत्रों के लिए सड़क कार्य चल रहा है। बागलकोट से संगारी, 0 से 8 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। खंड 48 में हाई स्कूल भवन और खंड सं॰ 33 में 52 प्रोटोटाइप आवासीय भवनों के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है।

"जामनगर में समुद्री जन-जीवन"

4547. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के जामनगर में तेल-शोधक कारखानों की उपस्थिति के कारण समुद्री जन-जीवन एवं जलचर पालन को हानि पहुंच रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा जामनगर में समुद्री जन-जीवन को हो रही क्षति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) जामनगर स्थित तेल-शोधक कारखानों की गतिविधियों की वजह से गुजरात में मैरीन नैशनल पार्क, जामनगर का समुद्री जन-जीवन एवं जलचर पालन प्रभावित हो रहा है।

(ख) जैव-विविधता की सुरक्षा हेतु उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

मैरीन पार्क में तेल के टैकरों के प्रवेश की मनाही।

प्रभावों संबंधी विस्तृत मूल्यांकन किए बिना नेशनल पार्क में से कोई पाइप लाईन गुजारने की अनुमति नहीं है।

भारतीय तटरक्षकों ने तैलीय चिकनाई से निपटने के लिए एक संकट प्रबंधन योजना तैयार की है।

उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन

4548. श्री जयभद्र सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त विद्युत क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य तय किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) उक्त लक्ष्य के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में अब तक विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी बढ़ाई गई है, और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धि हासिल हुई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) योजना आयोग ने नौवीं योजना के दौरान 1705 मे॰ वा॰ की क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में निर्धारित किया है। जिनमें से 1705 मे॰ वा॰ की क्षमता अभिवृद्धि निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार प्राप्त किए जाने की संभावना है :-

परियोजना का नाम	नौवीं योजना के लिए लक्ष्य	स्थिति
औरया सीसीजीटी 11 केन्द्रीय क्षेत्र	650 मे॰वा॰	नौवीं योजना से आगे आने वाली परियोजना
टांडा टीपीएस केन्द्रीय क्षेत्र	110 मे॰ वा॰	चालू
टिहरी चरण-I केन्द्रीय क्षेत्र	500 मे॰वा॰	संभावित रूप से 2001-02 (500 मे॰ वा॰ के लिए)
उच्चाहार-II केन्द्रीय क्षेत्र	420 मे॰वा॰	चालू
कटापहाड़ एचईपी राज्य क्षेत्र	19 मे॰वा॰	काम अभी शुरू नहीं हुआ है।
सोबला राज्य क्षेत्र	6 मे॰वा॰	चालू
जोड़	1705 मे॰वा॰	

*हाल ही में एनटीपीसी द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है।

तार पहुंचाने वाले कर्मचारियों (टेलीग्राफ मैनों) की कमी

4549. श्री पी॰ राजेन्द्रन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तार पहुंचाने वाले कर्मचारियों (टेलीग्राफमैन) की कमी के कारण तार-वितरण बुरी तरह प्रभावित हुआ है?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

किराए के/स्वयं के भवनों में डाकघर

4550. श्री वाई० जी० महाजन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने डाक और तारघर किराए के/स्वयं के भवनों में चल रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में उक्त कार्यालयों के लिए राज्य-वार कितने भवनों का निर्माण किया गया;

(ग) महाराष्ट्र में उक्त भवनों के निर्माण हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह कार्य कब शुरू होगा और कब तक समाप्त हो जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

देश में डाकघर/उप डाकघर

4551. श्री बृजलाल खाबरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में डाकघर और उप डाकघर खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) लक्ष्यों की तुलना में राज्य-वार कितनी उपलब्धि हासिल की गई;

(घ) देश में इस समय राज्य-वार कितने मुख्य डाकघर, डाकघर और शाखा डाकघर कार्य कर रहे हैं;

(ङ) क्या इस प्रयोजनार्थ निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के बावजूद अनेक गांवों में शाखा डाकघर नहीं खोले जा रहे हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) वर्ष 2001-2002 के दौरान कितने गांवों में शाखा डाकघरों को खोलने का निर्णय लिया गया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उप डाकघर (एसओ) तथा शाखा डाकघर (बीओ) खोलने से संबंधित सर्किल-वार लक्ष्य और उपलब्धियां, जिसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी भी शामिल है, संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) देश में कार्य कर रहे प्रधान डाकघरों, डाकघरों तथा शाखा डाकघरों की सर्किल-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) और (च) डाकघर वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार योजना कार्यकलाप के भाग के रूप में खोले जाते हैं, बशर्ते कि निर्धारित मानदंड पूरे होते हों और वित्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित संख्या में पद मंजूर किए जाएं।

(छ) वर्ष 2001-2002 के लिए ग्रामीण क्षेत्र में डाकघर खोलने के लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों का सर्किलवार ब्यौरा

क्र. सं.	सर्किल	लक्ष्य 1997-98		खोले गए 1997-98		लक्ष्य 1998-99		खोले गए 1998-99		लक्ष्य 99-2000		खोले गए 99-2000	
		शाखा डाकघर	उप डाकघर	शाखा डाकघर	उप डाकघर	शाखा डाकघर	उप डाकघर	शाखा डाकघर	उप डाकघर	शाखा डाकघर	उप डाकघर	शाखा डाकघर	उप डाकघर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	10	2	10	3	10	2	10	2	15	2	4	3
2.	असम	25	2	18	3	54	5	54	5	50	4	24	—
3.	बिहार	40	5	31	4	72	2	72	2	50	3	51	शून्य
4.	दिल्ली	5	2	5	2	4	2	4	2	4	2	4	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	गुजरात	25	2	18	3	31	2	31	2	30	3	28	2
6.	हरियाणा	15	2	13	2	13	3	13	3	15	2	12	1
7.	हिमाचल	10	2	4	शून्य	7	1	7	1	7	1	2	1
8.	जम्मू एवं कश्मीर	10	1	24	1	23	4	23	1	15	1	14	1
9.	कर्नाटक	30	5	24	5	12	4	12	4	21	3	21	3
10.	केरल	10	2	7	1	12	3	12	3	4	2	4	2
11.	मध्य प्रदेश	37	2	41	2	50	5	50	5	40	4	40	4
12.	महाराष्ट्र	35	3	34	4	69	3	69	3	50	2	50	3
13.	उत्तर-पूर्व	25	3	18	3	54	3	54	3	50	2	19	3
14.	उड़ीसा	27	2	21	3	10	2	10	2	14	2	14	2
15.	पंजाब	17	2	12	2	12	2	12	2	10	1	9	1
16.	राजस्थान	33	2	33	1	30	1	30	1	27	2	24	1
17.	तमिलनाडु	21	2	21	3	10	2	10	2	15	2	15	2
18.	उत्तर प्रदेश	70	6	57	6	82	3	82	3	50	3	10	2
19.	पश्चिम बंगाल	50	3	24	4	43	4	43	4	43	9	41	9
	कुल	500	50	402	52	598	50	598	50	500	50	386	49

विवरण-II

31.3.2000 की स्थिति के अनुसार देश में श्रेणीवार डाकघरों की संख्या

क्रम सं.	सर्किल	प्रधान डाकघर	विभागीय उप डाकखर	अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	कुल डाकघरों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	104	2363	53	13672	16192
2.	असम	19	597	36	3259	3911
3.	बिहार	42	1442	127	10354	11965
4.	दिल्ली	9	420	20	126	575
5.	गुजरात	43	1366	45	7530	8984
	दादरा नगर हवेली	शून्य	3	शून्य	32	35
	दमन एंड दीव	शून्य	6	शून्य	12	18
6.	हरियाणा	15	467	13	2155	2650

1	2	3	4	5	6	7
7.	हिमाचल प्रदेश	18	444	18	2287	2767
8.	जम्मू व कश्मीर	9	427	25	1379	1660
9.	कर्नाटक	70	1785	296	7722	9873
10.	केरल	51	1455	524	3026	5056
	लक्षद्वीप		7	5	2	14
11.	मध्य प्रदेश	52	1383	98	9843	11376
12.	महाराष्ट्र	61	2084	129	10195	12469
	गोआ	2	104	3	149	258
13.	उत्तर पूर्व					
	अरुणाचल प्रदेश	1	46	शून्य	254	301
	मणिपुर	1	52	शून्य	638	691
	मेघालय	2	62	1	422	487
	मिजोरम	1	38	4	357	400
	नागालैंड	1	40	शून्य	281	322
	त्रिपुरा	3	80	14	615	712
14.	उड़ीसा	35	1166	195	6739	8135
15.	पंजाब	21	765	10	3093	3889
	चंडीगढ़	1	43	1	7	52
16.	राजस्थान	55	1404	102	8833	10394
17.	तमिलनाडु	91	2731	219	9030	12071
	पांडिचेरी	1	33	शून्य	61	95
18.	उत्तर प्रदेश	86	2844	458	16845	20233
19.	पश्चिम बंगाल	44	1645	337	6636	8662
	अंडमान एंड निकोबार द्वीप	1	25	7	65	98
	सिक्किम	1	19	6	180	206
	कुल	840	25166	2746	125799	154551

[अनुवाद]

मत्स्य विज्ञान का विशेष पाठ्यक्रम

4552. श्री रमेश चेन्नितला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी॰ एम॰ एफ॰ आर॰ आई॰ (केन्द्रीय मत्स्यन अनुसंधान संस्थान) मत्स्य विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट पाठ्यक्रम चला रहा है;

(ख) क्या मत्स्य विज्ञान में स्नातकोत्तरों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत केन्द्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थानों में भर्ती किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मत्स्य विज्ञान के कितने स्नातकोत्तरों को इन उक्त अनुसंधान संस्थानों में भर्ती किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां। केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा समुद्री मछली पालन विषय में 'मास्टर' और 'डाक्टरल' के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) 2 (दो)।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदूषण

4553. श्री किरीट सोमैया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कारण होने वाली प्रदूषण समस्याएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और प्रदूषण फैलाने वाले उपक्रमों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) से (घ) जी, हां। मुम्बई में चेम्बूर में सार्वजनिक उपक्रम (पी॰एस॰यू॰) गैसीय प्रदूषकों के उत्सर्जन की वजह से प्रदूषण संबंधी समस्याएं पैदा कर रहे थे। महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एम पी सी बी) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण उपाय उद्योगों द्वारा अंगीकृत किए जाने के पश्चात् क्षेत्र की पर्यावरणीय गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

राज्य सरकार द्वारा दुर्गन्ध फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के पुनरावलोकन की दृष्टि से एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर एम॰पी॰सी॰बी॰ ने चेम्बूर क्षेत्र में एक औद्योगिक इकाई को बन्द करने के निर्देश दिए थे।

इस क्षेत्र की एम॰पी॰सी॰बी॰ द्वारा नियमित तौर पर निगरानी रखी जाती है। उचित कार्यवाही के लिए औद्योगिक इकाइयों से समय-समय पर द्रव्य और वायु बहिस्राव एकत्रित किए जाते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों ने एक वृक्षारोपण कार्यक्रम भी चलाया है जिससे क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।

अपराह्न 12.01 बजे

लोक सभा अपराह्न बारह बजकर एक मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : महोदय, मैं एक अनुरोध करना चाहती हूँ . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएं।

अपराह्न 12.01½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अन्तर्गत म्युनिसिपल सोलिड वेस्ट्स (मैनेजमेंट एण्ड हैन्डलिंग) नियम, 2000 जो 3 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 908(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2874/2000]

(2) (एक) सलीम अली सेन्टर फार आरनिथोलॉजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सलीम अली सेन्टर फार आरनिथोलॉजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2875/2000]

(3) (एक) सेन्टर फार एनवायरनमेंट एजूकेशन, अहमदाबाद के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार एनवायरनमेंट एजूकेशन, अहमदाबाद के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2876/2000]

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(4) (एक) सी०पी०आर० एनवायरनमेंट एजूकेशन सेन्टर, चेन्नई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सी०पी०आर० एनवायरनमेंट एजूकेशन सेन्टर, चेन्नई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2877/2000]

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2878/2000]

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 2000 जो 11 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 783(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2879/2000]

(2) (एक) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 23 की उपधारा (4) और धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 से संबंधित आदेशों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2880/2000]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2881/2000]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2882/2000]

(ग) (एक) भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2883/2000]

(घ) (एक) नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2884/2000]

(2) (एक) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेन्टर, नागपुर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेन्टर, नागपुर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2885/2000]

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ रॉक मकैनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ रॉक मकैनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2886/2000]

(4) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अधीन मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2000 का संख्यांक 8) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2887/2000]

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :-

(1) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2888/2000]

[अनुवाद]

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2889/2000]

(2) इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी लिमिटेड और अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-01 के लिए हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2890/2000]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवा निवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का०आ० 1199(अ) जो 1 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग-4 को चार लेन का बनाने के लिए भूमि पूर्णरूप से केन्द्रीय सरकार में निहित किए जाने की घोषणा के बारे में है।

(दो) का०आ० 556(अ) जो 7 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग-4 हुबली-धारवाड़ के प्रयोक्ता द्वारा फीस के उद्ग्रहण और संदाय के बारे में है।

(तीन) का०आ० 568(अ) जो 13 जून 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक में हुबली धारवाड़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-4 की 403/800 से 433/200 तक की भूमि पूर्णरूप से केन्द्रीय सरकार में निहित किए जाने की घोषणा के बारे में है।

(चार) का०आ० 578(अ) जो 19 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, दावनगिरि के प्रबंधक को कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग-4 को 4 लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत किए जाने के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 624(अ) जो 3 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, धारवाड़ के प्रबंधक को कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग-4 को 4 लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत किए जाने के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 953(अ) जो 24 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग धारवाड़ को कर्नाटक में हुबली-धारवाड़ उपमार्ग के बीच भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 721(अ) जो 1 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग-4ख और 4ग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सुपुर्द किए जाने के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 765(अ) जो 17 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 4 अप्रैल, 1957 की अधिसूचना संख्या का॰नि॰आ॰ 1181 में कतिपय संशोधन किए जाने के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 766(अ) जो 17 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग 17ख को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सुपुर्द किए जाने के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 917(अ) जो 10 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सिकन्दरा-भोइगनीपुर-बारा पट्टी को राष्ट्रीय राजमार्ग-2 से हटाये जाने के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 918(अ) जो 10 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सिकन्दरा-बारा पट्टी को राष्ट्रीय राजमार्ग-2 में मिलाये जाने के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 919(अ) जो 10 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग-2क को घोषित किए जाने के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 923(अ) जो 12 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 31 नये मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किए जाने के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 790(अ) जो 31 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पुणे और सतारा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-4 पर 2 लेन वाली सुरंग के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क वसूल किए जाने के बारे में है।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) के (एक) से (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2891/2000]

(3) अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 911 (अ) जो 8 दिसम्बर 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1998 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2892/2000]

(4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार ट्रेनिंग आफ हाइवे इंजीनियर्स, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार ट्रेनिंग आफ हाइवे इंजीनियर्स, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2893/2000]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं श्रीमती जयवंती मेहता की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2894/2000]

(ख) (एक) पावर ग्रीड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर ग्रीड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2895/2000]

(ग) (एक) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2896/2000]

(घ) (एक) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2897/2000]

(ङ) (एक) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, टिहरी के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, टिहरी का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2898/2000]

(च) (एक) नाथपा झाकरी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, न्यू शिमला के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नाथपा झाकरी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, न्यू शिमला का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2899/2000]

(छ) (एक) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2900/2000]

(2) (एक) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) द नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2901/2000]

(3) (एक) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2902/2000]

(4) (एक) एनर्जी मनेजमेंट सेंटर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एनर्जी मनेजमेंट सेंटर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2903/2000]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2904/2000]

(ख) (एक) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2905/2000]

(2) (एक) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 14 की उपधारा (4) और धारा 16 के अंतर्गत राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2906/2000]

(3) (एक) नेशनल काउंसिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2907/2000]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : महोदय, मैं डा० देवेन्द्र प्रधान की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) कम्पनी, अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2908/2000]

(ख) (एक) मध्य प्रदेश स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मध्य प्रदेश स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2909/2000]

(ग) (एक) कर्नाटक डेयरी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1998-1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) कर्नाटक डेयरी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1998-1999 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) के (ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2910/2000]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लक्षद्वीप के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लक्षद्वीप का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2911/2000]

(4) (एक) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट लिमिटेड बोर्ड, आनंद के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2912/2000]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन-संघ सरकार (सिविल) (2000 का संख्यांक 3) निष्पादन मूल्यांकन, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2913/2000]

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष महोदय, श्री तपन सिकदर की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) टेलिकम्युनिकेशंस कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेलिकम्युनिकेशंस कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2914/2000]

(ख) (एक) विदेश संचार निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) विदेश संचार निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2915/2000]

(ग) (एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2916/2000]

(घ) (एक) आईटीआई लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आईटीआई लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2917/2000]

(ङ) (एक) एचटीएल लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचटीएल लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2918/2000]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) वर्ष 2000-2001 के लिए एचटीएल लिमिटेड और दूर संचार विभाग के बीच हुए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2919/2000]

(दो) आईटीआई लिमिटेड और दूरसंचार विभाग के बीच हुए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2920/2000]

[अनुवाद]

अपराह्न 12.05 बजे

लोक लेखा समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : महोदय, मैं स्वीकृत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों (1996-97) से अधिक व्यय के संबंध में प्रथम प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के संबंध में लोक लेखा समिति (तेरहवीं लोक सभा) का चौदहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.5½ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

डा० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के अध्ययन दौरा का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.5¾ बजे

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

पहला और दूसरा प्रतिवेदन

श्री अन्नासाहेब एम० के० पाटील (इरन्दोल) : महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का पहला और दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.06 बजे

इस समय डा० मन्दा जगन्नाथ और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

अपराह्न 12.6½ बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

सातवां, आठवां और नौवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति (1999-2000 के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :-

(1) भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण संबंधी सातवां प्रतिवेदन;

(2) "नौसेना बेड़े का उन्नयन और आधुनिकीकरण" विषय पर समिति के तीसरे प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन; और

(3) "नौसेना पोतों हेतु मरम्मत/रखरखाव सुविधाएं" संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07 बजे

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

दसवां प्रतिवेदन

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, मैं "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें 2000-2001" संबंधी चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.07½ बजे

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश में धान की खरीद के बारे में

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में शून्य काल शुरू होगा। श्री येरननायडु।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री येरननायडु को यह मामला उठाने की अनुमति दी है। कृपया अपने अपने स्थानों पर वापस जाएं।

अपराह्न 12.08 बजे

(इस समय डा० मन्दा जगन्नाथ और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर वापस चले गए।)

श्री के० येरननायडु (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, महोदय

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, सरकार किसानों के साथ छल कर रही है। सरकार के पास 4 करोड़ 60 लाख टन अनाज जमा है . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, आप बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडु के कथन के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में और कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती रेणुका चौधरी, कृपया व्यवधान न डालें। मैंने श्री येरननायडू को बुलाया है। श्री येरननायडू कृपया अपने दल के सदस्यों को अपने-अपने स्थानों पर बैठने को कहें। यह क्या है?

(व्यवधान)

श्री के० येरननायडू : महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है। मैडम, सभा की कार्यवाही में अनावश्यक रूप से व्यवधान क्यों डाल रही हैं? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू के कथन के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में और कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री के० येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, गत एक महीने से आन्ध्र प्रदेश सरकार भारत सरकार को पत्र लिख रही है कि वह आन्ध्र प्रदेश के किसानों के हित में हस्तक्षेप करें। गत एक सप्ताह से किसानों न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। वे परेशान हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में श्री येरननायडू के कथन के अतिरिक्त और कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री के० येरननायडू : महोदय, आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री, उपभोक्ता मामले के मंत्री तथा वित्त मंत्री से मुलाकात की।

महोदय वे भारत सरकार को अनेक पत्र लिख रहे हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने भी आन्ध्र प्रदेश का दौरा किया है तथा एक स्पष्ट आश्वासन दिया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री के० येरननायडू के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में और कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री के० येरननायडू : महोदय, इसके बावजूद अभी तक भारतीय खाद्य निगम ने इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। माननीय मंत्री श्री शान्ता कुमार के आश्वासन के अनुसार . . . *(व्यवधान)* इसलिए किसान अभी भी परेशानी में हैं। वास्तविकता को ध्यान में रखकर ही आन्ध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने कल माननीय प्रधानमंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि किसान परेशानी में हैं, कोई न्यूनतम मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। अत: उनकी सारी मांगें शीघ्र स्वीकार कर ली जाएं। *(व्यवधान)*। केन्द्र सरकार का यह कर्तव्य है कि देश विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाए।

महोदय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री माननीय मुख्य मंत्री, आन्ध्र प्रदेश द्वारा अनुरोध की गई सभी मांगों को जानते हैं। वह सब कुछ जानते हैं। इसलिए भारत सरकार को चाहिए की वह इस मामले पर कार्रवाई करे तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार की सारी मांगों को माने। *(व्यवधान)*

आन्ध्र प्रदेश की मांगें क्या है? माननीय मुख्य मंत्री जी ने नौ मांगों का जिक्र किया है। पहली मांग यह है कि दिसम्बर, 2000 में प्रतिमाह दस लाख मीट्रिक टन की दर से धान की खरीद की जाए। लेकिन 17 दिसम्बर, 2000 तक 3.80 लाख मीट्रिक टन की वास्तविक खरीददारी हुई है।

महोदय, मुख्य मांग यह है कि भारतीय खाद्य निगम को निदेश दिया जाए कि वह किसी विशेष ग्रेड के लिए मात्रात्मक अनुपात निर्धारित किए बिना स्वर्णमंसूरी (एम०टी०यू० 7029) तथा उसी प्रकार की अन्य किस्मों जैसे एम० टी० यू० 2077, एम० टी० यू० 2716, एम० टी० यू० 2067, एम० टी० यू० 5293 को 'ए' ग्रेड के धान के रूप में स्वीकार करे, जैसा कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया है। यह भी मांग रखी गई है कि उपर्युक्त किस्म के धानों की खरीद अभिमिश्रण की उपयुक्तता में छूट देते हुए किस्म के आधार पर की जाए।

अगला प्रश्न यह है कि उपर्युक्त किस्म के धानों को, जो कि सेला चावल के लिए होते हैं, उन्हें भी ए ग्रेड के चावल के रूप में स्वीकार किया जाए . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू आप सब कुछ शून्य काल में ही नहीं पढ़ सकते हैं।

श्री के० येरननायडू : महोदय, माननीय मंत्री जी ने कच्चा चावल खरीदने का आश्वासन दिया है। आन्ध्र प्रदेश सरकार भी चाहती है कि उसी चावल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भेजा जाए। *(व्यवधान)* माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि 'सेला' चावल को ग्रेड 'ए' के रूप में माना जाए। अब हम यह पूछ रहे हैं कि जब आपने स्वर्णमंसूरी चावल को 'ए' ग्रेड के रूप में स्वीकार किया है तो स्वर्णमंसूरी धान को इसके लिए क्यों इनकार कर रहे हैं। यह हमारी विनम्र निवेदन है। भारत सरकार सभी मांगों से अवगत है। सरकार को उन सभी मांगों का उत्तर देना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। . . . *(व्यवधान)*

श्रीमती रेणुका चौधरी : इस विषय पर पहले भी स्थगन प्रस्ताव आ चुका है। *(व्यवधान)*

श्री एस० जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री येरननायडू जी ने उचित मुद्दा उठाया है। . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, इस विषय के बारे में मेरी केवल यही आपत्ति है कि सही मुद्दा गलत दल और गलत सदस्य द्वारा उठाया गया है। *(व्यवधान)*

डा० एस० वेणुगोपाल (आदिलाबाद) : महोदय, यह क्या है? यह ठीक नहीं है। . . *(व्यवधान)*

डा० मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : महोदय, हम श्री जयपाल रेड्डी के कथन की पूर्णत: निन्दा करते हैं। . . *(व्यवधान)*

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मेरा प्रश्न केवल यह है कि तेलगूदेशम पार्टी को अपने विचार के अनुसार मत देना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : हां, यह ठीक है। *(व्यवधान)*

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, इस सत्र के शुरू में हमारे दल ने इसी मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव रखा था। तेलगूदेशम पार्टी ने हमारे साथ मतदान नहीं किया। मैं केवल तथ्यों को स्पष्ट कर रहा हूं। यह उनकी और हमारी जिम्मेदारी है कि वास्तविकता स्थिति से जनता को अवगत कराएं। *(व्यवधान)*

श्री राम मोहन गाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, यह अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। *(व्यवधान)*

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति (विशाखापत्तनम) : इसके कारण भिन्न थे। हम पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

डा० मन्दा जगन्नाथ : महोदय, कांग्रेस पार्टी का इरादा दूसरा था। इसलिए हमने उनके प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है। . . . *(व्यवधान)* कांग्रेस पार्टी का किसानों से मतलब नहीं है।

श्री के० येरननायडू : ये अलग बाते हैं। . . *(व्यवधान)*

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, इसी सभा में यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी जी कृपया किसानों के मुद्दे वाले विषय पर आइए।

(व्यवधान)

डा० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : यह अत्यधिक आपत्तिजनक है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : महोदया, सभा में बैठकर आप इस तरह से कैसे बोल सकती हैं?

श्रीमती रेणूका चौधरी : यह यहाँ की कार्यप्रणाली है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसके अनुसार कार्य कर रही हैं।

(व्यवधान)

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, वे केवल राजनीतिक लाभ उठाना चाहती हैं और वे किसानों के विषय में रूचि नहीं रखती हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि यह श्री येरननायडू द्वारा विलम्ब से उठाया गया मुद्दा हो सकता है परंतु यह बिल्कुल उपयुक्त है। मैं मिरयालगुड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ जो देश का एक बहुत बड़ा चावल उत्पादक क्षेत्र है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या वह किसानों को भिखारी बना देना चाहती हैं।

महोदय, यह सरकार सभा में तथा हैदराबाद में लोगों को मंत्री द्वारा दिए गये आश्वासन के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करने में असमर्थ रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आंध्र प्रदेश में बाजार दर न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में इन दिनों 150 रुपए से अधिक कम है। यह जीवन का यथार्थ है। मैं नहीं जानता हूं कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह आंध्रप्रदेश के लिए विचित्र है। इस समस्या से पंजाब और कर्नाटक सहित देश के कई भागों के किसान प्रभावित हो रहे हैं।

इसलिए मैं अपने आप को पूरे देश के किसानों से जोड़ना चाहता हूँ। यह सरकार किसान विरोधी है। मेरे मित्र, श्री शांता कुमार वाणी से बहुत उदार हैं परंतु अपने पैकेज में कंजूस हैं। वे इस मामले में कोई भी पहल करने को तैयार नहीं हैं। यह एक दलगत मामला नहीं है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी भाजपा सदस्यों एवं राज्य के सदस्य अपनी अन्तरात्मा के अनुसार विचार व्यक्त करें। वे यहां मतदान नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश करें कि उन लोगों ने नोटिस दिया है। प्रो० उम्मा रेड्डी वेंकटेश्वरलु यदि यह मुद्दे के संबंध में हैं तो आप भी श्री येरननायडू के साथ सम्बद्ध हो सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, यह हाउस का सवाल है, जिन्होंने नोटिस दिया है, सिर्फ उन्हीं का सवाल नहीं है। यह किसानों का सवाल है। . *(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस नहीं दिया है, आप बैठ जाइए।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री विजय गोयल : हमने दूसरे विषय पर नोटिस दे रखा है।

अध्यक्ष महोदय : आपको बाद में बुलाएंगे। प्रभुनाथ जी, आपको भी बाद में बुलाएंगे।

[अनुवाद]

प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू (तेनाली) : अध्यक्ष महोदय मेरे सहयोगी श्री येरननायडु ने हमारी पार्टी की ओर से एक अति महत्वपूर्ण, अर्थात लगभग सभी वस्तुओं विशेषकर धान और चावल के मूल्यों में गिरावट के कारण आंध्र प्रदेश के किसानों की दयनीय दशा के बारे में एक मुद्दा उठाया है।

महोदय, मैं इस मामले पर श्री जयपाल रेड्डी द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता और सहानुभूति की प्रशंसा करता हूँ। इसी के साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि वे शुरू से ही इस सम्पूर्ण मुद्दे से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के प्रति चिन्तित हैं जो निन्दनीय है। उन्होंने कहा कि इस सत्र के आरम्भ में जब उन्होंने यह मुद्दा उठाया तो हम लोगों ने इस मुद्दे का समर्थन नहीं किया। यद्यपि यह सही मुद्दा है तथा चूंकि इसे एक गलत दल द्वारा उठाया गया है, उनके ही शब्दों में सम्पूर्ण सभा ने इसकी निन्दा की है। वे इस मुद्दे से राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहते थे। वे कभी नहीं चाहते थे कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिलें। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू : महोदय, पिछले पचास वर्षों से भारतीय किसान कृषि के प्रति अपने योगदान के संबंध में कांग्रेस दल के निष्पादन को देख रहे हैं। यही वह पार्टी है जो कृषि के बिगड़ते हुए मानदण्ड और कृषि की दशा को इस स्थिति तक लाने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें इसके लिए शर्मिन्दा होना चाहिए। . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं बिना नोटिस के किसी व्यक्ति का नाम नहीं बुला सकता।

प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू : महोदय, श्री जयपाल रेड्डी जी अपनी सम्पूर्ण साहित्यिक कृशाग्रता से यह कहते रहे हैं कि वे गैर-कांग्रेसी दलों के हार्डवेयर एवं कांग्रेस पार्टी के सॉफ्टवेयर है। उनका शरीर गैर-कांग्रेसी दलों से जुड़ा हुआ है लेकिन वे जो कुछ भी आज कह रहे हैं वह कांग्रेस पार्टी की भाषा है। अभी इस सभा में माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए आश्वासन और उनके आंध्र प्रदेश के दौरे के बावजूद इस समय तक भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों ने उनके किसी आश्वासन को पूरा नहीं किया है। . . *(व्यवधान)* महोदय, इससे जुड़े हुए चार मुद्दे हैं। . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण कृपया अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू : महोदय, इस विशेष मौसम के दौरान सरकार 10 लाख टन खरीद के लिए सहमत हुई थी।. *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, हमें भी सुन लिया जाए। बिहार की समस्या बहुत गंभीर है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुनाथ झा जी, आपका नोटिस इस सब्जैक्ट के बारे में नहीं है। आपने बोलने के लिए जिस सब्जैक्ट पर नोटिस दिया है, वह आगे आएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू : महोदय, सरकार ने दिसम्बर महीने के दौरान ही दस लाख टन चावल खरीदने का आश्वासन दिया था। परंतु आश्वासन दिए गए 10 लाख टन के बजाय वास्तव में केवल 3.8 लाख टन चावल ही खरीदे गए हैं।

महोदय, आंध्र प्रदेश से पड़ोसी राज्यों को चावल भेजने के संबंध में यह आश्वासन दिया गया था कि आंध्र प्रदेश से पड़ोसी राज्यों को 5 लाख टन भेजा जाएगा। लेकिन वास्तव में केवल 2.2 लाख टन ही भेजा गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री वेंकटेस्वरलू जी, दूसरे नोटिस भी हैं।

श्री उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू : महोदय, गोदाम किराए पर लेने के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार भारतीय खाद्य निगम को गोदाम सुविधाओं में 5 लाख टन के प्रबंध का प्रस्ताव लायी थी परंतु उन्होंने केवल 2 लाख टन ही लिया है।

महोदय, आखिरकार हुआ यह कि जब हमने 6 और 7 दिसम्बर को यह मुद्दा उठाया तो कीमतें बढ़ गई। 5 दिसम्बर के पहले कीमतें 500 रुपए थी, 6 एवं 7 दिसम्बर को यह बढ़कर 510 रुपए हो गई। उसके बाद 8 दिसम्बर को पुन: यह बढ़कर 530 रुपए हो गई तथा 9 दिसम्बर को बढ़कर 540 रुपए हो गई और न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर तक पहुँच गई। उसके बाद अधिकारियों के अस्पष्ट आदेशों के कारण कीमत पुन: घटकर 500 रुपए हो गई। यह खतरनाक स्थिति है। . . . *(व्यवधान)* प्रधान कार्यालय से जो अनुदेश भेजे जा रहे हैं वे आंध्र प्रदेश में किए जा रहे कार्यों से पूरी तरह भिन्न हैं। भ्रम की इस स्थिति के कारण कृषक समुदाय के लिए अनेक कठिनाइयां पैदा हो गई हैं और उन्हें आश्वस्त करना होगा। . . *(व्यवधान)* हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दों पर माननीय मंत्री जी को ध्यान देना होगा। . . . *(व्यवधान)* माननीय मंत्री जी को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर आश्वासन देना चाहिए और यदि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर मंत्री महोदय द्वारा आश्वासन नहीं दिया जाता है। तो आंध्र प्रदेश के किसान अपनी स्थिति पुन: प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे । . . . *(व्यवधान)* धन्यवाद।

श्री एस० वेणुगोपाल : मंत्री महोदय को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। . *(व्यवधान)* सरकार की गलत नीतियों के कारण बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार में किसान की हालत बहुत खराब है। उसकी धान को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, जब पंजाब में सरकार धान न्यूतम समर्थन मूल्य रु. 510 प्रति क्विंटल पर खरीद सकती है, तो बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? . *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को निर्देश दें कि उत्तर प्रदेश के अन्दर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदे । वहां किसान तबाह हो रहा है। उत्तर प्रदेश में किसान अपनी धान को रु. 350/- प्रति क्विंटल बेचने पर मजबूर है। . . . *(व्यवधान)* सरकारी क्रय केन्द्रो पर जो थोड़ा धान खरीदा भी गया है वह धान व्यापारियों का है। किसान का आज भी धान मिटटी के भाव बिक रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री एन० जनार्दन रेड्डी (नरसारावपेट) : महोदय में आपकी अनुमति से कुछ कहना चाहता हूँ। यह राजनीतिक आरोप लगाने का मुद्दा नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूं परन्तु इस पत्र के आरम्भ मे ही इस विषय पर किसी न किसी रूप में चर्चा होती रही है। परंतु दुर्भाग्य से यथार्थ रूप से कुछ नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री जी श्री शांता कुमार ने इस सभा को आश्वासन दिया था। जब हम घर गए तो हमने टीवी पर उन्हें माननीय मंत्री श्री दत्तात्रेय जी के साथ मुख्यमंत्री जी अथवा सरकार अथवा लोगों अथवा संसद सदस्यों के अनुरोध पर आंध्रप्रदेश के लोगों को आश्वासन देते हुए देखा कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दस लाख टन चावल खरीदने का आदेश देने जा रहे हैं। दुर्भाग्यवश कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद उस आश्वासन का क्या हुआ?

महोदय आप इस सभा के अध्यक्ष हैं। आप आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप वहां के किसानों की दुर्दशा के बारे में जानते हैं। आपका क्षेत्र धान-उत्पादक क्षेत्र है। सभा में मंत्री जी के आश्वासन का क्या महत्व है क्योंकि असल में कुछ हो ही नहीं रहा है? . . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी० एच० पांडियन (तिरुनेलवेली) : महोदय, हम इस विषय पर स्वंय को सम्बद्ध करना चाहते हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों को इसकी अनुमति कैसे दे सकता हूँ। मैंने केवल उन्हीं सदस्यों को बुलाया है जिन्होंने नोटिस दिए हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महादय, बार-बार यही सवाल उठ रहा है। . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि शून्य काल में मैं सभी सदस्यों को बुलाता हूं तो आज हम केवल एक ही नोटिस पर चर्चा कर पाएंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महादय : आप बाद में बोलिये।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमने कई बार सवाल उठाया लेकिन सरकार की *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, आप बिना नोटिस दिए शून्य काल में कोई भी मुद्दा कैसे उठा सकते हैं? यह क्या है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महादय, किसानों के साथ बार बार धोखाधड़ी और भेदभाव हो रहा है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के वक्तव्य के अतिरिक्त कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : अध्यक्ष महोदय श्री येरनायडू जी ने जो कहा, . . *(व्यवधान)* पिछले एक महीने से आंध्र प्रदेश के संबंध में ये विषय हमारे पास आ रहे थे। . *(व्यवधान)* आंध्र प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने . . *(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : किसानों से संबंधित यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप मंत्री जी को इसका उत्तर देने नहीं दे रहे हैं। यह क्या है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : अध्यक्ष महोदय, आंध्र पदेश के किसानों के संबंध में जो बातें वहां के मुख्य मंत्री महोदय ने हमें कही हैं, उनसे बातचीत करके हमने इन सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की है। . . . *(व्यवधान)* आज से कुछ दिन पहले उन्होंने एक कठिनाई यह बताई कि वहां पर जितना चावल एफ॰ सी॰ आई॰ प्रोक्योर करता है, उसमें एडमिक्सचर की मात्रा को 10 परसेंट से 13 परसेंट किया जाना चाहिए। इस विषय पर गंभीरता से विचार किया गया। . . . *(व्यवधान)* आप सुनिये तो सही। *(व्यवधान)* आप सुनना भी नहीं चाहते। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और आप सभा में उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : आप जवाब तो सुनिये। . *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.29 बजे

इस समय श्रीमती कांति सिंह आईं और सभा पटल के निकट खड़ी हो गयीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती कांति सिंह, कृप्या अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ रेज करना है, वह बाद में करिये। अभी आप पहले मिनिस्टर साहब को रिप्लाई देने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए। आप मंत्री जी को बोलने ही नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.30 बजे

इस समय श्रीमती सुशीला सरोज आई और सभा पटल के निकट खड़ी हो गयीं।

अपराह्न 12.30 बजे

इस समय श्रीमती सुशीला सरोज अपने स्थान पर वापस चली गयीं।

अध्यक्ष महोदय : फार्मर्स के बारे में आप जो पूछ रहे हैं, वह ठीक है लेकिन आप गवर्नमैंट को उसका समाधान बताने के लिए एलाऊ नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या प्राब्लम है?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 12.30$^{1}/_{2}$ बजे

इस समय श्री राम प्रसद सिंह आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब, मंत्री महोदय बोलें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप अपना उत्तर पूरा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : अध्यक्ष जी, आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय ने पहली बात यह की . . . *(व्यवधान)* चावल में एडमिक्सचर की मात्रा 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 13 प्रतिशत की।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसमे पता चलता है कि किसानों में आपकी कितनी रूचि है।

[हिन्दी]

फार्मर्स के बारे में सरकार की ओर से रिप्लाई दे रहे हैं और आप सुन नहीं रहे हैं। आपका फार्मर्स के बारे में क्या इंटरस्ट है?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेडम, आप बैठ जाइये, प्लीज। आप पहले मिनिस्टर का समाधान सुनिए, बाद में बात करिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : किसानों के बारे में सीरियस मामला है, पहले आप बैठ जाइये। यह ठीक नहीं है। पहले आप गवर्नमेंट का समाधान सुनिये, बाद में बात करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। यहां से आप सवाल नहीं पूछ सकती हैं, पहले आप अपनी सीट पर जाइये।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.37 बजे

इस समय श्रीमती कांति सिंह तथा श्री रामप्रसाद सिंह अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइयें, प्लीज।

श्री शांता कुमार : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश के किसानों की समस्या के सम्बन्ध में . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : फार्मर्स के बारे में ऑनरेबिल मैम्बर्स हाउस में कैसे बिहेव कर रहे हैं, इसे सारा देश देख रहा है। आप बैठ जाइये, प्लीज।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मैं बोल रहा हूँ। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शान्ता कुमार : अध्यक्ष जी, आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने हमें लिखा तो मैं स्वयं वहां पर गया। उनसे मेरी बातचीत हुई। मैं माननीय सदस्यों से तीन-चार बातें बता देना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि आपने जो कहा है, मैंने सुना है। मुझे सुनने की कृपा करिये। एक मांग जो सबसे बड़ी थी *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मंत्री जी किसानों के बारे में रिप्लाई दे रहे हैं।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शान्ता कुमार : अध्यक्ष जी, आन्ध्र प्रदेश के अन्दर स्वर्ण मंसूरी नाम के चावल के सम्बन्ध में एक विशेष समस्या उन्होंने बताई थी और उन्होंने कहा कि किसान को ठीक मूल्य मिल सके, इसलिए यह जरूरी है कि चावल में एडमिक्सचर जो 10 परसेंट है, उसे 13 परसेंट कर दिया जाये। हमने उस सम्बन्ध में तुरन्त जो भी कार्यवाही हो सकती थी, की। हमने इस महीने की आठ तारीख को उनकी इस मांग को स्वीकार करके आदेश जारी कर दिये, उसे 13 परसेंट कर दिया। . . . *(व्यवधान)* कुछ कमियां रही हों तो हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उस तरफ के मित्रों ने जो कहा कि कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसी बात नहीं है। पहले आन्ध्र प्रदेश के अन्दर केवल लेवी रूट से चावल प्रिक्योर करने की परम्परा थी। इस बार आप सब मित्रों की ओर से भी हमसे कहा गया कि इस साल आन्ध्र प्रदेश में चावल का अधिक उत्पादन हुआ है, इसलिए पिछले साल के मुकाबले हमें अधिक प्रिक्योरमेंट करने की तैयारी करनी चाहिए। इस दिशा में एफ० सी० आई० को कहा गया, तैयारी की गई और उस तैयारी का परिणाम यह है कि इस समय तक हम वहां पर 13.15 लाख टन चावल प्रिक्योर कर चुके हैं। अध्यक्ष जी, पिछले साल के मुकाबले में . *(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? यदि आपको सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं चाहिए तो मैं सरकार से उत्तर न देने के लिए कहूँगा। (व्यवधान) जब मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं तो आप उन्हें उत्तर ही पूरा नहीं करने दे रहे हैं। यह क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के वक्तव्य के अतिरिक्त कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप सदस्यों के बजाए अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

(व्यवधान)

श्री शांता कुमार : अध्यक्ष जी, किसानों की समस्या का समाधान बातचीत से होगा (व्यवधान) आपने कहा, हमने सुना। अब हमें आप नहीं सुनेंगे तो यह अच्छा लोकतंत्र है! 13,15,000 टन चावल प्रोक्योर किया जा चुका है। यह पिछले साल के मुकाबले में चार लाख टन ज्यादा है। इसलिए उस तरफ के मित्रों का यह कहना कि कुछ नहीं हो रहा है, इसका कोई आधार नहीं है।

अध्यक्ष जी, किसानों की समस्या इस बार और अधिक थी। फिर राज्य सरकार की ओर से हमें यह कहा गया कि केवल चावल प्रोक्योर करने से समस्या हल नहीं होगी, एफ.सी.आई. पैडी भी प्रोक्योर करे। वस्तुस्थिति यह है कि वहां पर पैडी प्रोक्योर करने के लिए राज्य सरकार की एफ.सी.आई. के लिए न कोई व्यवस्था है, न कोई ट्रेनिंग है और न प्रबंधता है। लेकिन राज्य सरकार ने यह बात हमारे सामने रखी तो हमें भी लगा कि वहां सीधे पैडी भी लेना जरूरी है। हमने इस बारे में भी निर्णय किया। आंध्र प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री की मांग थी कि जो पैटर्न पंजाब में है, उसी पैटर्न पर आंध्र प्रदेश में पैडी प्रोक्योर की जाए। हमने उस मांग को भी स्वीकार कर लिया है। . . (व्यवधान) इस मांग के मुताबिक आंध्र प्रदेश में भी हमने पैडी का प्रोक्योरमेंट शुरूकर दिया है। पंजाब पैटर्न यह है कि राज्य की एजेंसीज भी प्रोक्योर करती हैं। वे 70 फीसदी प्रोक्योर करती हैं और एफ.सी.आई. 30 प्रतिशत करती है। पंजाब में भी इस बार 102 लाख टन प्रोक्योरमेंट हुई है। उसमें से 70 फीसदी प्रोक्योरमेंट राज्य सरकार ने की है और 30 प्रतिशत हमने की है। हमने आंध्र प्रदेश सरकार की इस मांग को भी स्वीकार कर लिया . (व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : उस पैटर्न पर आंध्र प्रदेश में भी हमने धान प्रोक्योर करना शुरू कर दिया है। इस समय तक 11,000 टन धान प्रोक्योर कर चुके हैं, जबकि राज्य की एजेंसी ने केवल 900 टन प्रोक्योर किया है। अगर पंजाब पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो राज्य सरकार ने जो 900 टन प्रोक्योर किया, हमें 300 टन करना चाहिए था। लेकिन हम 300 टन के मुकाबले 11,000 टन प्रोक्योर कर चुके हैं।

राज्य सरकार की एक और मांग थी कि उस प्रदेश में उत्तर भारत से कोई फूडग्रेन न भेजा जाए। इस मांग को भी हमने स्वीकार कर लिया और आदेश दिया है कि पंजाब से या उत्तर भारत से कोई अनाज आंध्र प्रदेश को नहीं भेजा जाएगा। हमने एक बात और की है। केरल में और दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में हमें फूडग्रेन चाहिए। वहां अनाज की जरूरत है, उसको हम उत्तर भारत से नहीं भेज रहे हैं, बल्कि आंध्र प्रदेश से उस जरूरत को पूरा कर रहे हैं, ताकि आंध्र प्रदेश में अधिक स्पेस क्रिएट हो सके। पांच लाख टन स्पेस राज्य सरकार हमें देगी।

उसमें से दो लाख टन हम ले चुके हैं। पांच लाख टन लेने की हमारी प्रतिबद्धता सुनिश्चित है जिसे हम पूरा करेंगे। दिसम्बर महीने में दस लाख टन चावल प्रोक्योर किया जाये, यह उन्होंने कहा था, हमने स्वीकार किया था और इस समय तक हम 4,15,000 टन प्रोक्योर कर चुके हैं। मैं इस माननीय सदन को वचन देता हूं कि दस लाख टन प्रोक्योर करने का हमारा वादा है, हम उस वादे को पूरा करेंगे।

एक और विशेष बात . (व्यवधान) अभी अभी एक और मांग आई है कि जो राहत हमने चावल में दी है, दस प्रतिशत से तेरह प्रतिशत एडमिक्सचर की है, वही राहत धान को दी जाये। इस मांग को भी सरकार ने स्वीकार कर लिया है और जो एडमिक्सचर की वहां की मांग है, वह हम धान में भी दे देंगे।

उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की जो मांग है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां स्पेस क्रिएट हो। इस समय तक हम 4,16000 टन इस महीने में प्रोक्योर कर चुके हैं। . . (व्यवधान) दस लाख टन प्रोक्योर करने के लिए और स्पेस चाहिए। हमारे पास 5,36000 टन प्रोक्योर करने का स्पेस मौजूद है। हमारा दस लाख टन का टार्गेट है जो हम इस महीने में पूरा करने वाले हैं। वहां पर किसी किस्म की कोई कमी न रहे, इसलिए हमने मोनीटरिंग करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए तीन एसआरएम लैवल के अधिकारियों को आज सुबह भेज दिया है ताकि वे सब प्रकार की वहां पर व्यवस्था करें। . . . (व्यवधान) इसमें मेरा निवेदन है कि जो-जो मांग वहां की सरकार ने रखी थीं,

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सारी की सारी मांगें स्वीकार कर ली गई हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं . (व्यवधान) जहां बिहार का संबंध है, . . . (व्यवधान) बिहार की बात सुनिए। . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह बिहार के बारे में बोल रहे हैं न।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.47 बजे

इस समय श्री नागमणि तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

श्री शांता कुमार : अध्यक्ष जी, मैं बिहार को एक आश्वासन देना चाहता हूं कि पंजाब पैटर्न पर बिहार में प्रोक्योरमेंट करने के लिए सरकार तैयार है। . . . *(व्यवधान)* हम तैयार हैं . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री खारबेल स्वाई जी के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 12.48 बजे

इस समय श्री प्रियरंजन दासमुंशी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री स्वाई को बोलने के लिए बुलाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वाई के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वाइं जी के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 12.50 बजे

इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): इंफाल में एक राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया गया था। वहां केवल राष्ट्रीय संग्रहालय ही नहीं बल्कि वहां एक राष्ट्रीय स्मारक भी बनाया गया है . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री स्वाई को बुलाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वाई के कथन के अतिरिक्त कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, सदन में हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिए हम सदन से वाक आउट करते हैं।

अपराह्न 12.51 बजे

[अनुवाद]

इस समय, श्री मुलायम सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

श्री पी०एच० पांडियन (तिरुनेलवेली): हम विरोधस्वरूप बहिष्कार कर रहे हैं।

अपराह्न 12.52 बजे

इस समय श्री पी.एच. पांडियन और अन्य कुछ माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री खारबेल स्वाइं : नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भारत माता के महान सपूतों में से एक थे . . . *(व्यवधान)* उनका जन्म कटक में हुआ था। उनके सम्मान में इंफाल में एक राष्ट्रीय संग्रहालय और एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया है . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री स्वाई जी को बुलाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वाइं के कथन के अतिरिक्त कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री खारबेल स्वाइं : इससे इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। उन्होंने आजाद हिन्द फौज का गठन किया . *(व्यवधान)* भारत में सभी राष्ट्रीय नायकों के गृह स्थलों को राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उड़िया बाजार, जहां नेताजी पैदा हुए थे . *(व्यवधान)* यह बड़े ही खेद की बात है कि उड़िया

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री खारवेल स्वाईं]

बाजार में इस घर का प्रबन्ध एक प्राइवेट ट्रस्ट कर रहा है। उड़ीसा सरकार या भारत सरकार को इसे राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में घोषित करने की चिंता नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से भारत सरकार से यह मेरी अपील है कि इस घर को राष्ट्रीय संग्रहालय घोषित किया जाए।

श्री टी० गोविन्दन (कासरगौड़) : मुझे अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मैं पर्यावरण और वन मंत्री जी का ध्यान सी०आर०जेड अधिसूचना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

इस संबंध में, मुझे याद है कि सी आर जेड० अधिसूचना के विरोध में तटीय क्षेत्रों के लोगों और मछुआरों के संगठनों ने राष्ट्रव्यापी संघर्ष किया था। केरल सरकार ने भी कुछ प्रस्ताव भेजे थे। लोगों के आंदोलन और केरल सरकार द्वारा की गई संस्तुतियों को ध्यान में रखकर पर्यावरण और वन मंत्रालय ने बालाकृष्णन समिति नियुक्त करी जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। दुर्भाग्यवश, सरकार समिति के प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट प्रस्तावों को क्रियान्वित नहीं कर रही है जिसके कारण तटीय क्षेत्रों के लोग आंदोलन कर रहे हैं। मैं, माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि सी आर जेड० अधिसूचना में स्वीकृत संशोधनों को लागू किया जाए।

श्री ए० सी० जोस (त्रिचूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहा हूँ। देश में काफी संख्या में भूतपूर्व सैनिक विशेषरूप से जवान और हवलदार रैंक के लोग कठिनाई में हैं। उनकी पैंशन का मूल्यांकन सही ढंग से नहीं किया गया है। उनकी सेवाओं का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है और उनकी पैंशन में संशोधन भी नहीं किया गया है। पांचवे वेतन आयोग ने एक रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट के साथ सरकार ने एक आदेश भी प्रकाशित किया है किंतु यह आदेश केवल हवलदार रैंक के ऊपर के भूतपूर्व सैनिकों पर लागू होता है। जवान ही असल में समस्या का सामना कर रहे हैं। हमेशा ही विद्रोह या युद्ध होते रहे हैं और जवान घायल होते रहे हैं। वास्तव में कठिनाई उन्हीं को होती है किंतु सरकार उनका ध्यान ठीक से नहीं रख रही है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि जहां तक संभव हो भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाए ताकि इस मामले में उन्हें कुछ राहत मिल सके।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रामजीलाल सुमन जी, आपको बाद में बुलाएंगे, हमारे पास नोटिसेज की लिस्ट है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपने हाथ न उठायें। मेरे पास वक्ताओं की सूची है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में बौद्ध, जैन तथा सिख धर्म से संबंधित बहुत से पर्यटन स्थल हैं, जिसमें राजगीर पावापुरी, नालान्दा, बौध गया, वैशाली, पटना हरमंदिर साहिब के नाम उल्लेखनीय हैं। वस्तुत: राजगीर, बौध गया एवं नालन्दा पूरे विश्व के बौद्ध धर्म के अनुयाइयों के लिए धार्मिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि यहां तक पहुंचने के लिए तीव्र एवं सुरक्षित आवागमन के साधन और ठहराव की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों तो ये संसार के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों के समकक्ष आ सकते हैं। इस बुद्धिस्ट सर्किट की पर्यटन संबंधी उपरोक्त असीम क्षमता का दोहन करने के लिए जरूरी है कि इन पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ने के प्रयोजन से आधुनिकतम संचार एवं परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाएं और पर्यटन संबंधी बुनियादी सुविधाएं, होटल, मनोरंजन पार्क, गोल्फ कोर्स आदि विकसित किए जाएं। इन स्थानों को बुद्धिस्ट सर्किट के उत्तर प्रदेश और नेपाल स्थित कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी स्थलों को भी सड़क एवं वायु मार्ग से जोड़ने की आवश्यकता है।

महोदय, इसी प्रकार सीतामढ़ी, वाल्मिकी नगर, चम्पारन, सीताकुंड हैं, जहां भगवान राम और उनसे जुड़े हुए ऐतिहासिक एवं पौराणिक व्यक्तियों की कर्मभूमि है। इन स्थलों को बुद्धिस्ट सर्किट के पैटर्न पर रामायण सर्किट के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सोनपुर का विश्व प्रसिद्ध हरिनाथ क्षेत्र का पशु मेला, शेरशाह सूरी का सासाराम स्थित मकबरा, मधुबनी पेंटिंग विक्रमशीला का प्राचीन विश्वविद्यालय, लौरेरिया का अशोक स्तंभ, भीम बांध और बेगूसराय का जयमंगलागढ़ा (शक्तिपीठ), गोपालगंज का थावें स्थित शक्तिपीठ आदि अनेकों ऐसे स्थल हैं, जिनकी पर्यटन संबंधी संभावनाओं को विकसित करने में भारत सरकार शत-प्रतिशत सहयोग देकर विकसित करे, यह मैं मांग करता हूँ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव पर नोटिस दिया है। . . *(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : यदि आपने नोटिस दिया है, तो क्या हुआ। अब एक बज चुका है। *(व्यवधान)*

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने नोटिस 10 बजे से पहले दिया था *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : क्या अध्यक्ष महोदय ने अपना स्वीकृति दी है? . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, आपने स्थगन प्रस्ताव पर जो नोटिस दिया है उस पर मैं विचार कर रहा हूँ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, इस पर अभी चर्चा हो रही है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कृपया मुझे, आपके माध्यम से सभा को सूचित करने की अनुमति दीजिए महोदय *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब अध्यक्षपीठ कह रहा है कि यह उसके विचाराधीन है तो आप सभा में यह मुद्दा कैसे उठा सकते हैं? ऐसी परिस्थिति में मुद्दा उठाने की कोई प्रक्रिया नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब एक बार यह अध्यक्षपीठ के विचाराधीन है तो उस पर अध्यक्षपीठ ही निर्णय करेगा। आप मुद्दा कैसे उठा सकते हैं?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं आपके निर्णय का पालन करता हूँ। मैं बोलूँगा नहीं किंतु कृपया आप मुझे इसका उल्लेख करने दें *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 1.00 बजे

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चूंकि यह मामला मेरे विचाराधीन है, इसलिए इसे उठाया नहीं जा सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन के वक्तव्य के अतिरिक्त कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, 13 दिसम्बर से उद्योग भवन पर मारूति उद्योग के श्रमिक धरने पर थे।*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन, आपने स्वास्थ्य श्रमिकों के बारे में नोटिस दिया है?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

आप कैसे इस मैटर को रेज कर सकते हैं।

[अनुवाद]

यह कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप स्वास्थ्य श्रमिकों के संबंध में कोई मुददा उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं, उसके अलावा आप और कोई मुद्दा नहीं उठा सकते हैं क्योंकि यह प्रक्रिया नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बोलना चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने एक अलग मुद्दे पर नोटिस दिया है। आप मारूति उद्योग से संबंधित मुद्दा कैसे उठा सकते हैं? कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कोई अलग मुद्दा कैसे उठा सकते हैं जबकि आपका नोटिस किसी दूसरे मुद्दे पर है? सब कुछ महत्वपूर्ण है। दूसरे नोटिस भी महत्वपूर्ण मामलों पर हैं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूँ। भारत नेपाल सीमा पर राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियाँ पिछले कुछ समय से चल रही हैं। वहां बड़ी मात्रा में चीन निर्मित सामान तथा हथियारों की तस्करी हो रही है। साथ ही साथ वहां पर नकली भारतीय रुपये की भी तस्करी बड़ी मात्रा में हो रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने योगी आदित्यनाथ को बुलाया है। सभा में दूसरे सदस्य भी महत्वपूर्ण हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप भी कनिष्ठ सदस्यों को बोलने नहीं दे रहे हैं। ये क्या है?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : अध्यक्ष जी, इसके साथ-साथ माओवादी संगठनों के द्वारा भी भारत-विदेशों गतिविधियां की जा रही हैं। एक अरसा पहले नेपाल बंद का आयोजन हुआ . . . *(व्यवधान)* उस बंद के विरोध में . . . *(व्यवधान)* किसी ने आवाज नहीं उठाई और यही नहीं काठमंडू में अभी तीन दिन पहले चार जगह बम-विस्फोट हुए हैं। समाचार पत्रों में हर जगह यह आया है कि मुम्बई बम विस्फोट के मुख्य अभियुक्त दाऊद इब्राहिम के द्वारा काठमांडू में एक भवन भी खरीदा गया है। अध्यक्ष जी, नेपाल पर अगर कोई खतरा आता है तो वह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ एक गंभीर मुद्दा है। मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार नपाल सीमा पर राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ-साथ नेपाल में माओवादी संगठनों पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार, नेपाल सरकार से बातचीत करे और इस समस्या को सुलझाने को लिए आवश्यक कार्रवाई करे।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष जी, नेपाल हमारा पड़ोसी राष्ट्र है और मेरा संसदीय क्षेत्र इसकी सीमा से जुड़ा हुआ है। इस समस्या से हम भी प्रभावित होते हैं। अध्यक्ष जी, मुझे भी इस पर बोलने का मौका दिया जाए।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े खेद के साथ एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक वर्ष पहले मध्य प्रदेश के एक केबिनेट मंत्री श्री कॉनरें की हत्या हुई थी। मैंने इस मामले को सदन में उठाया था। आज बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि एक वर्ष बीत जाने के बाद अभी समाचार पत्रों में यह उल्लेख किया गया है और एक पंक्ति में यह कह कर विचार व्यक्त किया गया है कि उनकी नक्सलबादियों ने हत्या की इस मामले की सी॰बी॰आई॰ से इनक्वायरी करवाने के लिए मैं केन्द्र सरकार को बधाई देता हूं। इस एक वर्ष में जब से मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ है, शेष मध्य प्रदेश में बालाघाट ऐसा जिला है जहां लगातार नक्सलवादी गतिविधियां जारी हैं। मंत्री की हत्या के बाद लगातार वहां हत्याएं हो रही हैं। इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि नक्सलबादियों ने मंत्री की हत्या की है। उससे ज्यादा गम्भीर बात यह है कि नक्सलवादियों द्वारा उस मंत्री की हत्या करवाई गई है। उस तथ्य की तरफ सी॰बी॰आई॰ ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। समाचार पत्रों ने, मैंने और उनके परिवारजनों ने इन विषयों की तरफ ध्यान आकर्षित किया था। मेरा सरकार से आग्रह है कि सी॰बी॰आई॰ को इस बारे में आवश्यक निर्देश दिए जाएं ताकि वह दबाव में न आते हुए इस विषय पर ध्यान दें।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुख के साथ इस मसले को उठा रहा हूं। होम मिनिस्टर यहां बैठे हैं जो कि बेहतर बात है। हम सब के लिए प्रेजिडैंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा आदरणीय होता है लेकिन फार्मर प्रेजिडैंट और वह भी तब जब उनकी डैथ हो जाए तो उनकी फैमली को जो फैसलिटीज दी जाती हैं, वे अगर पूरे तरीके से न दी जाएं तो दुख की बात हो जाती है। ज्ञानी जैल सिंह हिन्दुस्तान के बहुत आदरणीय प्रेजीडैंट रहे हैं। पहली दिसम्बर को उनकी विधवा के घर की बिजली काट दी गई। उनके घर के लोग एच॰डी॰एम॰सी॰ के इंजीनियर और अधिकारियों से फोन पर बात करते करते थक गए। अधिकारी फोन पर अवेलेबल नहीं थे। आज 18 तारीख हो गई है। 18 दिन से चार सर्कुलर रोड पर कोई बिजली नहीं है। उनके घर अंधेरा है। वे परेशान हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को दरख्वास्त दी कि हमारी बिजली को कनैक्ट किया जाए। जो सरकारी मुलाजमिन को फैसिलिटीज दी जाती हैं, उतनी फैसिलिटीज प्रेजीडैंट की विधवा को जरूर दी जानी चाहिए। इस मामले की एक कापी होम मिनिस्टर साहब को भेजी जा चुकी है। उसकी एक कापी मेरे पास है जिसे अभी दे दूंगा। इसमें जो कुछ हो सकता है वह करना चाहिए।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अभी आपने कहा है। मैं इसकी जरूर जांच करवा दूंगा।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, देश भर में सात से आठ लाख रेलवे कुली हैं। वे सम्मान वाले लोगों के माल की रक्षा करते हैं। वे उनका सामान कंधे पर उठा कर ले जाते हैं। उनकी बहुत दिनों से यह मांग है कि उन्हें चतुर्थ वर्गीय श्रेणी का दर्जा दिया जाए और उनके लिए रैस्ट रूम का प्रबन्ध किया जाए जहां वे सो सकें और आराम कर सकें। डाउनट्रोडन और गरीब लोग कुली का काम कर रहे हैं। कभी स्टेशन पर ईश्वर चन्द विद्या सागर गए थे। वह कुली-कुली पुकारे। कोई बड़ा आदमी नहीं गया लेकिन वह चले गए। अमिताभ बच्चन की जब सब फिल्में फ्लॉप हो रही थी तो कुली पिक्चर बनी और यह फिल्म अच्छी चली। जब मैं पटना गया तो सभी रेलवे के कुलियों ने मुझे घेर कर कहा कि हमारा सवाल कभी सर्वोच्य पंचायत में नहीं उठाया गया। रेलवे के सात-आठ लाख कुली जो डाउनट्रोडन हैं, शेडयूल्ड कास्ट्स हैं। . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम रेलवे की डिमांड्स पर चर्चा करने जा रहे हैं।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह : उस समय भी इस पर बोलूंगा। आज इस तरफ ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : उस समय भी बोलेंगे और अभी भी बोलेंगे।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह : मेरा आग्रह है कि उनकी मांग मान ली जाए।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए जनरल कैंडिडेट्स की आयु सीमा 25 वर्ष है और शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राईब्स के लिए 30 साल है। मेरा आग्रह है कि इसे देखते हुए उनकी रिटायरमेंट एज में पांच साल की बढ़ोत्तरी होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि श्री माहजन जी हाउस में बैठे हैं, सरकार को इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने मामला उठाया है, मैं उसका भी समर्थन करता हूं। कुली को चतुर्थ श्रेणी का दर्जा मिलना ही चाहिए और कुली सिनेमा में श्री अमिताभ द्वारा कुली का रोल करने के बाद भी अगर इन लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो अच्छी बात नहीं है। इसलिये इन लोगों को न्याय मिलना चाहिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 26-27 नवमबर को मावलंकर हाल में विश्व भोजपुरी सम्मेलन हुआ था जिसमें विदेश से राजप्रतिनिधि हुये थे। इसका उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चन्द्रशेखर जी ने किया था। उस सम्मेलन में सर्वसम्मति से 13 प्रस्ताव पारित किये गये थे जिसमें यह कहा गया था कि विश्व में भोजपुरी भाषा बोलने वालों की संख्या 20 करोड़ से ज्यादा है और इस देश में भी बोलने वालों की संख्या 12 करोड़ से ज्यादा है लेकिन इस भाषा को अष्टम सूची में शामिल नहीं किया गया है। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया कि भोजपुरी को संविधान की अष्टम सूची में शामिल किया जाये। अध्यक्ष महोदय, यदि आप कहें तो सभी प्रस्ताव पढ़ दूं या सभी हमारी प्रोसीडिंग्स में दर्ज करा दिये जायें। हम इन्हें दो मिनट में पढ़ देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस विषय में हैं?

श्री प्रभुनाथ सिंह : जी हां। एक प्रस्ताव तो पढ़ दिया है और दूसरा प्रस्ताव यह है कि साहित्य अकादमी की स्वीकृत सूची में भोजपुरी भाषा को सम्मिलित करके सभी सुविधायें प्रदान की जायें। दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अंदर भोजपुरी भाषा के विकास के लिए विकास केन्द्र भवन का निर्माण कराया जाये। भोजपुरी भाषा के साथ भारतीय भोजपुरी क्षेत्र से सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध आदान प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक सुविधा और संसोधन की व्यवस्था कराई जाये। बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्तरों पर सेवा में राज्य सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में भोजपुरी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाये। भोजपुरी के नाम पर अश्लील साहित्य या कैसेट बनाकर जो गाने गाए जाते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाये। भोजपुरी भाषा क्षेत्र के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में भोजपुरी भाषा पढ़ाये जाने की व्यवस्था की जाये। जनगणना में भोजपुरी भाषा को भोजपुरी भाषा दिखाये जाने की अनुमति दी जाये। जनगणना में जो अपनी भाषा भोजपुरी लिखाते हैं, वह नहीं लिखी जाती है। भोजपुर भाषी क्षेत्र के जिस विश्वविद्यालय में भोजपुरी की पढ़ाई अब तक शुरू नहीं की गई है, उसमें भोजपुरी की पढ़ाई शुरू कराई जाये। भोजपुरी भाषा क्षेत्र तथा उसके सांस्कृतिक विकास के लिये भारत सरकार की ओर से अलग से पैकेज की व्यवस्था की जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो 13 प्रस्ताव पारित किये गये हैं, सरकार उनको गम्भीरता से ले और तत्काल भोजपुरी भाषा को अष्टम सूची में सम्मिलित करे।

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री प्रभुनाथ सिंह जी द्वारा बताये गये प्रस्तावों का समर्थन करती हुं।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, भोजपुरी शब्द का प्रयोग हम करते हैं....

अध्यक्ष महोदय : आप नहीं, श्रीमती कान्ति सिंह एसोसिएट कर सकती हैं। श्री बसुदेव आचार्य।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, शिव सेना प्रमुख, श्री बाल ठाकरे ने एक बहुत ही खतरनाक वक्तव्य दिया है। . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री आचार्य।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : महोदय, ये एक ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं, जो सभा में उपस्थित नहीं है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, कृपया अपने नोटिस के विषय की जाँच कीजिए। आप ने किस विषय पर नोटिस दिया है? आपका नोटिस किसी दूसरे विषय पर है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय गोयल।

श्री बसुदेव आचार्य : मेरा एक और नोटिस है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने केवल एक ही नोटिस दिया है। क्या आप विमानपत्तन से संबंधित मुद्दे को उठाना चाहते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री विजय गोयल बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष महोदय, यह बार-बार सदन को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री विजय गोयल को बोलने के लिए बुलाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी जी उन्होंने कोई दूसरा नोटिस दिया हैं कृपया इसकी जाँच करें। इसकी जाँच किए बिना आप कैसे उनका समर्थन कर रहे हैं? कृपया बसुदेव आचार्य के नोटिस को देखिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने एक और नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उसे पहले ही अस्वीकृत कर दिया गया था। उस नोटिस में किसी विशेष व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाया गया है। उसे पहले ही अस्वीकृत कर दिया गया है। आपने कोई इसका नोटिस दिया है। यह विमानपत्तन से संबंधित मुद्दे के बारे में है। कृपया इसे समझिए।

(व्याधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, यदि आप विमानपत्तन से संबंधित मुद्दे को उठाना चाहते हैं, तो आप इसे उठा सकते हैं। अन्यथा मैंने आपके दूसरे नोटिस को पहले ही अस्वीकृत कर दिया है क्योंकि इसमें व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आरोप लगाया गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय गोयल जी, कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : सर मैं सदन का ध्यान एक बड़े गम्भीर विषय पर दिलाना चाहता हूं। महोदय, आज अंडरवर्ल्ड ने फिल्म उद्योग के अंदर जिस तरह से घुसपैठ कर रखी है, मैं उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। अंडरवर्ल्ड के सरगना दाऊद इब्राहीम दुबई के अंदर बैठे हुए हैं और आज बॉलीबुड के ऊपर। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री परांजपे जी, मैंने पहले ही इसे अस्वीकृत कर दिया है। आप सभा में शोर क्यों मचा रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय गोयल के कथन के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक बड़े गम्भीर विषय की तरफ दिला रहा हूँ। आज जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड ने पूरे फिल्म उद्योग को अपने चपेट में ले रखा है और इसके सरगना दाऊद इब्राहीम दुबई में बैठकर यहां हुकूमत चला रहे हैं। पिछले दिनों एक फिल्म चोरी-चोरी चुपके-चुपके के प्रोड्यूसर श्री नाजिम रिजवी को इस बात के लिए तलब किया गया कि उनके संबंध छोटा शकील माफिया ग्रुप के साथ रहे हैं। उन्होंने 32 टेपों के अंदर इस बात को माना है कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर लोगों को बहुत धमकियां दी हैं और बहुत लोगों को डराया है। उसके पश्चात इस फिल्म के हीरो सलमान खान को भी बुलाया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार इस बात को देखे कि आज जिस प्रकार से फिल्म इंडस्ट्रीज को धमकाया जा रहा है या फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ लोग चाहे वे प्रोड्यूसर हों, चाहे वे हीरो, हीरोइन हों ये लोग इनके इशारों पर नाच रहे हैं, दोनों में से कोई भी बात हो सकती है, उसकी जांच कराई जानी चाहिए। आज जिस प्रकार से फिल्म उद्योग के ऊपर दबाव डालकर यह कहा जा रहा है कि अमुक हीरो और अमुक हीरोइन इस फिल्म में जरूर काम करें और जिस प्रकार से अंडरवर्ल्ड आज फिल्म अद्योग के ऊपर छा गया है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए तथा पुलिस बताये कि किस-किसका एसोसिएशन इस अंडरवर्ल्ड डॉन से है, जिनके सरगना छोटा शकील, राजन या दूसरे लोग हों। आज फिल्म इंडस्ट्रीज को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि फिल्म उद्योग में ऐसे कौन से लोग हैं जिनके संबंध उनसे हैं।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विषय पर बोलना चाहता हूं। यह मामला इतना साधारण नहीं है। इसके तार पाकिस्तान, दुबई और दूसरी जगहों से जुड़े हुए हैं।

इन सबमें आई०एस०आई० के लोग भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। यह बहुत गंभीर मामला है और इसके बारे में सरकार को, विदेश मंत्रालय को, महाराष्ट्र की सरकार को और जहां-जहां भी सिनेमा उद्योग है, उनको गंभीरता से इसको लेना चाहिए।

श्री विजय गोयल : सरकार इस बारे में कुछ ऐश्योरेन्स दे सके तो अच्छा रहेगा। यहां मनोहर जोशी जी बैठे हैं जो मंत्री भी हैं और महाराष्ट्र से भी हैं। . . . *(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह उनका कार्य नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय गोयल जी, आपको अनुमति देने के बाद भी आप सभा की कार्यवाहियों में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, देश के कोने-कोने मे, गरीब व्यक्तियों को दिल्ली लाकर गुर्दे का प्रत्यारोपन कराया जा रहा है। गरीब लोगों को मुश्किल से 50-60 हजार रुपये दिये जा रहे हैं और बड़े-बड़े नर्सिंग होम्स में बड़े-बड़े डाक्टर लोग चार-पांच लाख रुपये लेकर गुर्दे बेचने का काम कर रहे हैं जो कि गैर कानूनी है। मै सरकार का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूँ कि जो गरीब व्यक्तियों को खून बेचने पर मजबूर किया जा रहा है, शरीर के अंग बेचने पर मजबूर किया जा रहा है, उन पर रोक लगाई जाए और अगर कोई आदमी अपना गुर्दा बेचना भी चाहता है तो सरकारी अस्पतालों में ऐसा किया जाए और जो भी बाजार रेट हो, उसको दिया जाए जिससे उस गरीब को उचित पैसा भी मिल जाए और नर्सिंग होम वाले जो कर रहे हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए और जो डाक्टर ऐसी गलती कर रहे हैं, उनकी डिग्री जब्त की जाए।

श्री अशोक अर्गल (मुरैना) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की ओर दिलाना चाहता हूँ जहां अनुसूचित जाति के लोगों को डाकू पकड़कर ले जाते हैं और लाखों रुपयों की फिरौती लेकर छोड़ते हैं। अभी भी मुरैना जिले के कम से कम दस आदमी डाकुओं के कब्जे में हैं। राज्य सरकार की ओर से उनको छुड़ाने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वे खेतों में काम नहीं कर पा रहे हैं खेतों में काम करने जाते हैं तो डाकू उनको पकड़कर ले जाते हैं, यह स्थिति वहां की बनी हुई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया जाए और जो लोग डाकुओं के कब्जे में हैं उनको छुड़ाया जाए और जो अनुसूचित जाति के लोग शस्त्र लाइसेन्स चाहते हैं उनको शस्त्र लाइसेंस दिलाए जाएं।

डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : अध्यक्ष महोदय, यह जो डाकुओं की समस्या है, वहां पर जो दलित वर्ग के लोग हैं, हरिजन लोग हैं उनका इंटेन्शनली अपहरण करके परेशान किया जा रहा है। सारे बुंदेलखंड में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और उसमें मुख्य मंत्री कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और इससे वहां का माहौल खराब होता जा रहा है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा वी सरोजा (रासीपुरम) : अध्यक्ष महोदय जी, मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथि पद्धति के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाए। विश्व व्यापार संगठन समझौते पर हस्ताक्षर के बाद और वर्ष 2005 के बाद हमें पारासीटामोल जैसी सामान्य दवाइयों सहित सभी प्रकार की एलोपैथिक दवाइयों के लिए प्रत्येक टैबलेट के लिए कम से कम 5-6 रु. देना पड़ेगा। भारतीय चिकित्सा पद्धति और इससे संबंधित मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं भारतीय चिकित्सा शिक्षण प्रणाली के मानदण्ड महाविद्यालयों के प्रसार को रोकने की आवश्यकता, अनिवार्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, शिक्षा, अनुसंधान एवं औषधीय पादपों के क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली में एकीकरण लाने और भारतीय चिकित्सा पद्धति के शिक्षण महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता से जुड़े सभी कार्यकलापों के समग्र विकास का अनुरोध करती हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूँ। कल भी केरल के पर्वतीय जिलों में भूकम्प के कुछ हल्के झटके महसूस किए गए।

तदनुसार केरल सरकार ने उस स्थान की जाँच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया तथा यह पाया गया कि मुल्लापेरियार बांध में दरारें आ गई हैं। तमिलनाडु सरकार बांध की ऊंचाई बढ़ाने की मांग कर रही है लेकिन बाँध में दरारें आ गई हैं। केरल सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने यह कहा कि यह अत्यधिक खतरनाक है। यह भी सूचना दी गई है कि तमिलनाडु की सरकार बाँध की दरारों को छिपाने के लिए इन पर सीमेंट लगाने का प्रयास कर रही है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैंने इस मामले की जानकारी प्रधानमंत्री जी को भी दे दी है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मुल्लापेरियार बांध में पाई गई दरारों के कारणों का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति तत्काल भेजी जाए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र भूषण सिंह (फर्रूखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिल की बीमारी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सफोला हार्ट फाउंडेशन ने एक रिसर्च कराई और सर्वेक्षण कराया। उसमें यह बात सामने आई कि हिन्दुस्तान में 1985 और 2015 के बीच में हार्ट रोग से मरने वालों की संख्या में 103 प्रतिशत की वृद्धि होगी जबकि अमरीका में हिन्दुस्तान से तीन से चार गुना कम हार्ट डिजीज होंगी, चायना में छः गुनी कम और जापान में 20 गुनी कम होगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि नार्दर्न इंडिया में केवल मात्र एक आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडीकल साइंसेस, दिल्ली में है जो इस रोग के इलाज की सबसे बड़ी संस्था के रूप में जानी जाती है और जिसमें सारे देश के लोग इस बीमारी के इलाज के लिए आते हैं, लेकिन वहां कार्डियोलौजी डिपार्टमेंट में बिस्तरों की संख्या बहुत कम है और सीरियस से सीरियस पेशेंट को भी बरामदे में लेटना पड़ता है। इस संस्था में पिछले दस वर्षों में बैड्स की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है और बीमारों की संख्या

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री चन्द्र भूषण सिंह]

में लगातार वृद्धि हो रही है जिसके कारण मरीजों और हृदय रोगियों को भारी कठिनाई झेलनी पड़ रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्डियोलोजी विभाग में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था की जाए।

श्री निहाल चन्द चौहान (श्रीगंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र से चुनकर आया हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना नोटिस प्रातः 10.26 बजे दिया है।

[हिन्दी]

श्री निहाल चन्द चौहान : जी हां।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान प्रान्त के बार्डर एरिया की ओर आकर्षित करते हुए श्रीगंगानगर की ओर दिलाना चाहता हूं। श्रीगंगानगर से सरूपसर तक एक मीटरगेज रेलवे लाइन है जिसको ब्राडगेज किया जाना है। माननीय प्रधान मंत्री जी 1998 में हनुमानगढ़ आए थे, उन्होंने भी इस 127 किलोमीटर मीटरगेज रेलवे लाइन को ब्राडगेज करने की घोषणा की थी, किन्तु मुझे खेद के साथ बताना पड़ रहा है कि इस तरफ रेल विभाग ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय, यह सीमावर्ती प्रान्त की अत्यन्त महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है जिसको ब्राडगेज किया जाना बहुत आवश्यक है। मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन है कि इस 127 किलोमिटर के मीटर गेज रेल मार्ग को शीघ्र ब्राड गेज किए जाने की परमीशन दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में आप रेलवे डिमांड्स की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के समय बोलें, तो बेहतर होगा।

[अनुवाद]

श्री के० फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आप को अभी थोड़ी देर पहले पिछले सप्ताह केरल में आए भूकम्प के बारे में श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा दिए गये वक्तव्य से संबंद्ध करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने भी अपना नोटिस देर से प्रातः 10.06 बजे दिया है।

श्री के० फ्रांसिस जार्ज : महोदय, इसके लिए मुझे खेद है।

महोदय, केन्द्र से केवल दो सदस्यों के एक दल ने केरल का दौरा किया था। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस क्षेत्र का दौरा करने के लिए विशेषज्ञों का एक उच्च स्तरीय दल भेजा जाए। धरती की गड़गड़ाहट और भूकंप के बाद के झटके अभी भी जारी हैं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र इडुक्की जिला, इस भुकंप से सर्वाधिक प्रभावित है और लोग भय में रह रहे हैं क्योंकि इस क्षेत्र में लगभग 14 बाँध और जलाशय है।

श्री वरकला राधाकृष्णन ने मुलापेरियार बाँध में आई दरारों के बारे में बताया है। यह बांध 104 वर्ष पुराना है। इसलिए केन्द्र सरकार को इस बांध की सुरक्षा की जाँच के लिए विशेषज्ञों का एक दल तुरंत भेजना चाहिए। यद्यपि इस भूकम्प में कोई जनहानि नहीं हुई है लेकिन लोगों के घर इस दृष्टि से नष्ट हो गए हैं कि उनके घर को क्षति पहुंच गई है। इसलिए केन्द्रीय दल को इस क्षति का भी आंकलन करना चाहिए।

इसकी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। केन्द्र सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए?

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मेरा भी एक नोटिस है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.30 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.05 बजे

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.05 बजे पुनः समवेत हुई।

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह और हिंसा

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, मैं, गृह मंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वकतव्य दें :

"पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह तथा हिंसा जिसके परिणामस्वरूप अनेक लोगों की हत्या हो रही है से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : सभापति महोदय, उत्तर-पूर्व के अधिकांश राज्यों में सुरक्षा की स्थिति नियंत्रण में है। तथापि असम, त्रिपुरा और मनिपुर की स्थिति चिंताजनक है।

सरकार विशेषकर प्रतिबंधित अल्फा (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रोन्ट आफ असम) द्वारा हाल ही में असम में की गई हत्यायों से चिंतित है। उन्होंने मुख्यत: हिन्दी भाषी लोगों को अपना निशाना बनाया। 22 अक्टूबर, 2000 से 96 नागरिकों की बर्बर हत्या की गई है। ये सभी हिन्दी बोलने वाले असम के निवासी हैं। गत कुछ वर्षों में अल्फा को जनता द्वारा मिल रहे समर्थन में गिरावट आई है। इसकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को भी जबरदस्त झटका लगा है। इससे इस आतंकवादी संगठन का मनोबल गिर रहा है। गत तीन वर्षों में लगभग 3000 अल्फा उग्रवादियों ने हथियार डाल दिए हैं और सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है।

इस स्थिति पर चर्चा करने के लिए 3 दिसम्बर, 2000 को गुवाहाटी में असम रणनीति समूह की विशेष बैठक बुलाई गई जिसमें संयुक्त सचिव (उत्तर पूर्व) गृह मन्त्रालय, भी उपस्थित हुए। मैंने 8 दिसम्बर को असम की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक आपात बैठक बुलाई जिसमें असम के मुख्य मंत्री तथा राज्यपाल उपस्थित हुए। इस बैठक में रक्षा मंत्री, थल सेना प्रमुख स्टाफ के चीफ) केन्द्रीय गृह सचिव, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय तथा असम सरकार के अनेक अधिकारियों ने भाग लिया। इन बैठकों के आधार पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। इसके अनुपालन में असम सरकार को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 27 अतिरिक्त कंपनियां देने हेतु आदेश जारी कर दिए गये हैं।

मनिपुर की स्थिति चिन्ता का विषय है तथा इस पर निरन्तर नजर रखी जा रही है। राज्य सरकार से बार-बार कहा गया है कि गुम हो रहे हथियारों के लिए उत्तरदायी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कड़ाई से पेश आया जाए। राज्य सरकार से कहा गया है कि विद्रोह की कार्यवाही को विफल करने के लिए और अधिक बल की तैनाती की जाए।

गृह मन्त्रालय में त्रिपुरा की स्थिति पर बारिकी से नजर रखी जा रही है। मैंने इस वर्ष के शुरू में स्वयं त्रिपुरा का दौरा किया है तथा राज्य सरकार और वहां के अधिकारियों के साथ कानून और व्यवस्था की स्थिति की व्यापक समीक्षा की है।

सरकार ने उत्तर पूर्व के राज्यों में उग्रवादी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए अनेक उपाय किये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य में अर्द्ध सैनिक बलों तथा सेना की तैनाती, विद्रोह की कार्यवाही को विफल करने के लिए राज्य पुलिस, अर्द्ध सैनिक बलों तथा सेना के बीच आपसी सहयोग से कार्रवाई तथा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 के अधीन बड़े उग्रवादी समूहों को गैर कानूनी संगठन घोषित किया जाना, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 1958 के अधीन उग्रवाद प्रभावित राज्यों को अशांति क्षेत्र घोषित करना; राज्य सरकारों को सुरक्षा पर होने वाले खर्च का भुगतान तथा राज्य पुलिस बल का आधुनिकीकरण/उन्नयन भी सम्मिलित है। राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के स्तर पर स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जा रही है।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, उत्तर पूर्व में उग्रवादी हिंसा चिन्ता का विषय है। बल्कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने इस मामले में सन्तोषजनक दृष्टिकोण अपनाया है। जैसा कि माननीय मंत्री जी के वकतव्य से स्पष्ट है। वे कहते हैं कि उत्तर पूर्व में हिंसा की कुछ घटनाएं हुई हैं। उनका मानना है कि स्थिति उनके नियंत्रण में है। जैसा कि प्रत्येक को ज्ञात है कि असम में हाल में हुई हत्याओं से सारा राष्ट्र स्तब्ध हो गया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अनेक हत्याएं शब्दों का प्रयोग मेरे वक्तव्य में हुआ है।

श्री जी० एम० बनातवाला : जी हां, असम में अनेक हत्याएं शब्दों का उल्लेख किया गया है। लेकिन उसके बाद यह कहना कि वहां हिंसा की कुछ घटनाएं हुई हैं, इससे सरकार का सन्तोषजनक दृष्टिकोण स्पष्ट होता है जबकि हम देखते हैं कि .

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : बनातवाला जी, इसमें सच तो लिखा ही नहीं है।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला : मेरे पास एक प्रति है। क्या मैं वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रख सकता हूं?

सभापति महोदय : कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी बात जारी रखें।

श्री विजय गोयल : आप तकनीकी रूप से बात कर रहे हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : तकनीकी रूप से नहीं। बिल्कुल ऐसा कहा गया है।

1983 में नेल्ली नरसंहार के बाद असम की स्थिति कभी इतनी बुरी नहीं रही। इस नरसंहार में 1,500 मुसलमानों की हत्या की गई थी। अब स्थिति यह है कि हत्याओं में वृद्धि हो रही है। हिंसा की घटनाओं की संख्या 1998 में 568 से बढ़कर 1999 में 614 हो गई है। अक्टूबर से इन दो महीनों में, सरकार के अनुसार असम में 96 नागरिक मारे गए हैं। असम में गैर असमी लोगों की बहुत अधिक हत्याएं हो रही हैं। इसके परिणामस्वरूप वहां लोगों में आतंक है तथा राज्य से बाहर भी लोगों का पलायन हो रहा है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने यह वक्तव्य अभी दिया है।

श्री जी० एम० बनातवाला : ठीक है। मुझे ज्ञात नहीं है लेकिन मेरे पास तीन संस्करण हैं। पहले मुझे पहला संस्करण दिया गया, उसके बाद मुझे दूसरा संस्करण दिया गया और अब तीसरा संस्करण दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि यह सरकार कितनी अनिश्चितता की स्थिति में है तथा वहां की इस विशेष स्थिति के प्रति उसका क्या नजरिया है।

जैसा कि मैंने कहा कि त्रिपुरा में भी इन दो महीनों में 48 हत्याएं हुई हैं त्रिपुरा सरकार के आदेश राज्य के अनेक भाग में लागू हुए नहीं लगते। त्रिपुरा फ्रंट के नेताओं ने जो कि वहां के आदिवासी लोगों के नेता हैं, यह घोषणा कर दी है कि काउंसिल एरिया में राज्य की

[श्री जी॰एम॰ बनातवाला]

पुलिस नहीं जा सकती। 'त्रिपुरा ट्राइबल एरिया आटोनामस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल' के मुख्य कार्यकारी सदस्य ने यह कहा है कि राज्य पुलिस को काउंसिल के क्षेत्राधिकार के अंदर प्रवेश की अनुमति न दी जाए। उनका अपना पुलिस बल होगा।

उन्होंने केन्द्र सरकार से संपर्क किया है- त्रिपुरा सरकार ने केन्द्र सरकार तथा गृह मंत्री जी से संपर्क किया है तथा मुझे यह ज्ञात नहीं है कि सरकार की इस असंवैधानिक, स्तब्ध कर देने वाली स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया है।

मैं उस विशेष तथ्य पर बल देना चाहता हूं कि उग्रवादी गतिविधियां कुछ पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण उत्पन्न होती हैं। ये गतिविधियां गलत अवधारणाओं तथा पूर्वाग्रहों से बल प्राप्त करती हैं। दुर्भाग्य से सरकार तथा सरकारी कदम, जो कि किसी नीति पर उठाए जाते हैं उससे ये गलत अवधारणाएं तथा पूर्वाग्रहों में और वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए हम सीमा पार से बहुत अधिक घुसपैठ की बात करते हैं। प्रव्रजन की बात, घुसपैठ की बात को वास्तविकता से इतना अधिक बढ़ाचढ़ाकर बताया जाता है जैसे कि बाहर से आक्रमण हो रहा है। इससे उग्रवादी दृष्टिकोण का विकास होता है।

गुवाहाटी में एक बैठक हुई। मुख्यमंत्री एंव अन्य व्यक्ति वहां पर उपस्थित थे, उसमें एक विशेष दल, जो कि केन्द्र सरकार में भागीदार है, के नेता ने कहा कि सभी मुसलमान विदेशी हैं। हमने हाल ही में मुंबई में शिवसेना प्रमुख को घृणापूर्वक यह कहते हुए सुना है कि सभी मुसलमानों को मताधिकार से वंचित कर दिया जाना चाहिए। इन सबके परिप्रेक्ष्य में मैं यह कहता हूं कि उग्रवादी गतिविधियां पूर्वाग्रहों पर पनपती हैं। दुर्भाग्य से सरकार की कार्यवाही से भी इन पक्षपातपूर्ण गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।

असम के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकारी दुर्भाग्य से, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि उनका नाम लेने के लिए मूल प्रस्ताव लाया जाना चाहिए- कहते हैं कि वहां इतनी घुसपैठ है और वहाँ विशेषत: धुब्री एवं गोलपाडा में इतनी अधिक मात्रा में विदेशी हैं कि वे इस क्षेत्र को छोड़कर बंगलादेश में जा सकते हैं। इन्हीं बातों पर उग्रवादी उग्रवाद बढ़ाते हैं। त्रिपुरा में एक फ्रंट बताता है कि राज्य में लगभग 26 लाख प्रव्रजक हैं जिनमें से 20 लाख की पहचान विदेशियों के रूप में की गई है। अत: सरकार को इन विशेष प्रकार की बातों पर ध्यान देना है तथा यह देखना है कि इस प्रकार के पूर्वाग्रह पैदा न हों।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : सर मेरी एक बात सुनिये। . . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री गोयल जी, कृपया व्यवधान न डालें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : गोयल जी, आप बैठिए। वह आपसे सहमत नहीं है।

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला : महोदय, सरकार ने उग्रवादी दृष्टिकोण बनाने के लिए बंगाली विरोधी भावनाओं का बड़ा सहारा लिया है। नेताओं ने भाषा तथा आव्रजन मुद्दों पर बहुत अधिक बल दिया है।

मेरे पास सरकार के लिए कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण सुझाव हैं। पहला सुरक्षा बलों की पर्याप्तता से है। पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात नहीं किए जाते हैं तथा राज्य सरकारों की भी यही शिकायत है। मेरे पास उत्तर पूर्व राज्यों के लिए स्वीकृत बल तथा वहां पर वास्तविक रूप से तैनात बल संबंधी आंकड़े भी हैं। इतने समय में मैं उन सभी आंकड़ों को नहीं बता सकता लेकिन आप यह देखेंगे कि कुल मिलाकर भारत-बंगलादेश की सीमा पर सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल द्वारा की जाती है, पर तैनात बल की संख्या स्वीकृत संख्या से कम है। स्वीकृत संख्या 56 बटालियन की है लेकिन केवल 41 बटालियनें तैनात की गई हैं।

यह भी अपर्याप्त है। राज्य सरकारें और बलों की मांग कर रही थीं तथा केन्द्र सरकार इन राज्यों की सरकारों के द्वारा बार-बार किए गए अनुरोधों की उपेक्षा कर रही है।

असम में एकीकृत कमांड है जिसकी सभी दूसरे स्थानों पर आवश्यकता है तथा केन्द्र और राज्य बलों को एक साथ मिलकर कार्य करना होगा।

सभापति महोदय : श्री बनातवाला जी, कोई वाद विवाद नहीं हो सकता। आप केवल अपनी बात कहिए।

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला : महोदय, मैं यही प्रश्न पूछ रहा हूं। केन्द्रीय एवं राज्य बलों को एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना होगा *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप केवल स्पष्टीकरण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला : जी, हाँ। मेरे पास 10 मिनट का समय है जिसे मैं लूँगा तथा मैं इससे अधिक समय नहीं लूँगा।

सभापति महोदय : आपका दस मिनट का समय समाप्त हो चुका है। कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला : प्रश्न है : कितने बलों की आवश्यकता है अथवा राज्य सरकारों द्वारा माँगी जाती है और कितने बल उपलब्ध कराए गए हैं तथा असम सहित इनमें से प्रत्येक राज्यों को तदनुसार कितनी कम्पनियाँ और बटालियन उपलब्ध कराए गए हैं? सुरक्षा संबंधित व्यय के मुद्दे पर 1995 में कभी दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे। इन दिशानिर्देशों में संशोधन की आवश्यकता है। प्रश्न इस प्रकार है : इन दिशानिर्देशों के संशोधन के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है ताकि राज्यों को उपयुक्त प्रतिपूर्ति की जा सके?

मामला यह है कि पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में अवश्य सुधार होना चाहिए। बंग्लादेश, भूटान और म्यांमार के साथ किस प्रकार के संपर्क बनाए गए हैं तथा क्या उनके साथ कोई निरंतर संपर्क कायम है? मैं जानना चाहता हूँ क्या इन सरकारों पर कोई दबाव डाला जा रहा है ताकि हमारे देश के खिलाफ उनकी धरती से बगावत का कोई कार्य न हो। इन मामलों के संदर्भ में बंग्लादेश, भूटान और म्यांमार के साथ पिछला संपर्क कब किया गया था?

मैं कह सकता हूँ कि विद्रोह प्रतिरोधी प्रकोष्ठ अथवा बल की भी आवश्यकता है कि विद्रोह प्रतिरोध एक कला अथवा विज्ञान बन गया है। आप इसे केवल सीमा सुरक्षा बल अथवा सेना के लिए भी नहीं छोड़ सकते हैं। विद्रोह प्रतिरोध के लिए विशिष्ट और प्रशिक्षित संवर्ग की आवश्यकता है।

श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी (देवरिया) : महोदय, उन्हें केवल स्पष्टीकरण पूछना चाहिए।

सभापति महोदय : जी, हाँ। वे प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका उत्तर मंत्री महोदय देंगे। श्री बनातवाला जी कृपया बात समाप्त कीजिए आप पहले ही 15 मिनट ले चुके हैं।

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला : कृपया मुझे प्रश्न पूरा करने दीजिए और तब मैं अपनी सीट ग्रहण करूँगा।

ऐसे प्रकोष्ठ अथवा बल के गठन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? वहाँ उग्रवादियों के कितने संगठन हैं तथा ऐसे कितने संगठनों के विरुद्ध आपने आवश्यक कार्रवाई की है? सरकार ने आतंकवादियों से पुन: अपील की है कि वे आगे आए और बात करें। इस प्रस्तावित नई अपील के प्रति क्या प्रतिक्रिया रही है?

भारत-बंग्लादेश बार्डर पर बाड़ लगाने के प्रश्न के संबंध में फरवरी 2000 तक बार्डर के 818.96 कि॰मी॰ पर बाड़ लगाने का काम पूरा हो गया है। बाकी बचे हुए 2421.50 कि॰मी॰ बार्डर की क्या स्थिति है? किस समय तक इसके पूरा होने की आपको उम्मीद है? जिन क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम हो गया है वहाँ क्या कोई निगरानी रखी जा रही है तथा क्या बाड़ लगाने से स्थिति में कोई सुधार हुआ है अथवा नहीं?

ये सुरक्षा बल आतंकवाद को रोकने में ही सहायक हो सकते हैं परंतु शांति सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ जो आर्थिक योजना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित की गई थी वह केवल ढकोसला था तथा उसका कोई कार्यान्वयन नहीं किया गया है। इस पैकेज के कार्यान्वयन के प्रयोजन से क्या निगरानी की जा रही है?

स्थिति गंभीर है। अल्पसंख्यकों में भय व्याप्त है। आप असम अथवा त्रिपुरा की स्थिति पर दृष्टिपात करें। सरकार संतुष्ट नहीं हो सकती हैं।

कृपया देखें कि पर्याप्त बल तैनात किए जाए तथा जैसा कि मैं कहता रहा हूँ अनिवार्य उपाय भी किए जाए।

श्री राजकुमार वंग्चा (अरुणाचल पूर्व) : महोदय, माननीय गृहमंत्री जी के वक्तव्य से ही स्पष्ट हो जाता है कि विद्रोह के संबंध में पूर्वोत्तर की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार कितनी गंभीर है। मैं अरूणाचल प्रदेश का हूँ। मेरा निर्वाचन-क्षेत्र पूर्वी हिस्से में है। चीन एवं म्यांमार के साथ हमारी सीमाएं संवेदनशील है। माननीय गृहमंत्री जी के वक्तव्य में अरूणाचल प्रदेश के दो जिलों अर्थात तिरप और चांगलांग में विद्रोही गतिविधियों के संबंध में कोई जिक्र नहीं है। हाल के वर्षों में इन दो जिलों में कुछ उपद्रवी गतिविधियां देखी गई है। पिछले दो अथवा तीन महीनों में उपद्रवी गतिविधियां बढ़ गई हैं तथा भारत सरकार द्वारा इनका उपयुक्त समाधान नहीं किया गया है। यद्यपि भारत सरकार ने इन दो जिलों में विशेष सशस्त्र बल अधिनियम 1958 लागू कर दिया है यह अधिक प्रभावी नहीं है; वहां अपहरण, हत्या, एवं जबरन उगाही की घटनाएं घट रही हैं। पिछले महीने ही मेरे जिले में पांच अथवा छह लोगों का अपहरण कर लिया गया; कुछ लोगों की हत्या कर दी गई है।

सभापति महोदय : आपको प्रश्न पूछना है।

श्री राजकुमार वंग्चा : मैं उस पर आ रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूँ कि नागालैंड में घोषित युद्धविराम में कुछ खामियां है। नागालैंड में युद्धविराम की घोषणा के बाद कुछ उपद्रवी संगठन विशेषकर आइएम गुट निकटवर्ती राज्यों में प्रवेश कर गए हैं तथा काफी समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। मेरे जिले में, मैं केवल मुख्यालय की बात कर रहा हूँ, पांच बजे के बाद कोई भी बाजार नहीं जाता है। यह भूतों के शहर जैसा है क्योंकि शहर में ही लोगों का अपहरण किया जा रहा है, कुछ लोगों की हत्या कर दी गई है। सभी क्षेत्रों में वे अपना आधार बना रहे हैं। यह राष्ट्र के हितों के लिए अत्यधिक अहितकर होगा।

इन दो जिलों को पार करने के बाद आप लोहित जिला में प्रवेश करते हैं जिसकी सीमा चीन से मिलती है। किन्हीं स्त्रोतों से हम सुन रहे हैं कि शस्त्रों की खरीद जारी है, काफी जबरन वसूली हो रही है। सेवा के लोगों को भी अपने वेतन अथवा मजदूरी का दो प्रतिशत उन्हें देना पड़ता है। इसलिए मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या वह पूर्वोत्तर के राज्यों की सरकारों और संसद सदस्यों को भी विश्वास में लेकर इन क्षेत्रों में शांति लाने के लिए कोई प्रयास कर रही है। अब लोग इस तरह का प्रश्न पूछते रहते हैं, "पिछले तीन वर्षों में क्या प्रगति हुई है?" भारत सरकार ने युद्धविराम की घोषणा कर दी है लेकिन वहाँ कोई परिणाम प्रत्यक्ष नहीं है। हर बार जब हम वहाँ जाते हैं, लोग इस तरह का प्रश्न पूछते रहते हैं, "क्या प्रगति है? सीजफायर के एग्रीमेंट में क्या हुआ है? गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है?" इन प्रश्नों को वे पूछते रहते हैं। गृह मंत्रालय की स्थाई समिति के सदस्यों के नागालैंड दौरे के दौरान मुझे नागालैंड सरकार से यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उपद्रवी संगठनों के साथ जब यह युद्धविराम समझौता किया गया तो उसे विश्वास में नहीं लिया गया।

महोदय, निर्वाचित सरकार को विश्वास में क्यों नहीं लिया जाता है? जन प्रतिनिधियों को क्यों विश्वास में नहीं लिया जाता है? हम पूर्णत: अंधकार में है। इसलिए सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए युद्धविराम उपद्रवी समूहों और सुरक्षा बलों तक सीमित रहता है। नागरिकों की हत्या पहले की तरह जारी है मेरे पास कुछ आँकडे और सांख्यिकी है।

सभापति महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट) : महोदय, हम प्रभावित क्षेत्र से हैं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : इस मामले में हम आपकी सहमति चाहते हैं। हम लोग इस चर्चा के लिए पिछले 15 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री राजकुमार वंग्चा : महोदय, हमारा स्थान इतना अधिक असुरक्षित हो गया है कि हमारे लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करना एक समस्या हो गया है। लेकिन इस मामले पर गृह मंत्रालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है।

महोदय, तिरा और चांगलांग जैसे स्थानों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वहाँ सरकारी कर्मचारियों ने उपद्रवी समूहों को अपने वेतन और मजदूरी का दो प्रतिशत देना शुरू कर दिया है। लोगों की हत्या की जा रही है परंतु वे पुलिस को रिपोर्ट करने से आतंकित है। यह उस क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि हत्याएं हुई हैं लेकिन कोई भी इन मामलों की रिपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। अपहरण के मामले भी हुए हैं परन्तु मामला दर्ज कराने के लिए कोई नहीं आया। तिरा और चांगलांग में यह स्थिति है। इस क्षेत्र में दूसरे आतंकवादी संगठन भी सामने आ रहे हैं। बोडो आतंकवादी अरूणाचल प्रदेश के दूसरे हिस्सों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं जो राजधानी (इटानगर) की ओर है। पपुम्परा क्षेत्र भी उपद्रवी समूहों से प्रभावित हो रहा है।

महोदय, कुछ समस्याओं का समाधान आरम्भिक अवस्था में ही किया जा सकता है। परंतु केन्द्र सरकार की उपेक्षा के कारण हर क्षण नई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। पिछले चालीस वर्षों से हम उपद्रव की समस्या से जूझ रहे हैं। समस्या के समाधान के बजाय और अधिक उपद्रवी समूह अस्तित्व में आ रहे हैं। इसके क्या कारण है? सरकार इस मामले को गंभरीता से क्यों नहीं ले रही है? उपद्रवी समूहों से समझौता करते समय किसी भी प्रमुख नेता को विश्वास में नहीं लिया गया। प्रभवित राज्यों के न तो मुख्यमंत्री को और न ही किसी नेता को विश्वास में लिया गया है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि इस समस्या के समाधान के लिए उपद्रवी समूहों के साथ किसी समझौते मे क्षेत्र के लोकतांत्रिक तरीके से चुने निर्वाचित लोगों को विश्वास में लिया जाए। अन्यथा इस देश के लोगों को गलत संदेश जाएगा।

सभापति महोदय : कृपया अब पूरा करें।

श्री राजकुमार वंग्चा : महोदय, मैं यहां एक और दो बातों का उल्लेख करना चाहता हूँ।

महोदय, हम यहां केवल विद्रोह की समस्या के समाधान के बारे मे बात कर रहे हैं। युद्ध-विराम में, मेरा गहरा विश्वास है। किंतु युद्ध-विराम सार्थक होना चाहिए। आधारभूत नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए। सही आधारभूत नियम बनाए जाने चाहिए।

राज्य सरकारों और जन प्रतिनिधियों को विश्वास में लेना होगा। मात्र नौकरशाहों से सहायता नहीं मिलेगी। विभिन्न राज्यों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आधारभूत नियम बनाने होंगे।

महोदय, युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी लोग हथियार और गोला बारूद रख रहे हैं। वे गांव जाकर पैसा ऐंठते हैं, तो ऐसे युद्ध विराम का/से क्या फायदा जबकि ऐसी गतिविधियाँ बेरोकटोक जारी हैं? इसलिए युद्ध-विराम सार्थक होना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री राजकुमार वंग्चा : महोदय, मैं केवल दो मिनट और लेना चाहूँगा। ये गतिविधियाँ कारबी-आंगलोंग जैसे क्षेत्रों में भी फैल चुकी हैं।

मैं कारबी आंगलोंग क्षेत्र से परिचित हूँ। वहां के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पिछले दस पंद्रह सालों से वे असम राज्य में एक स्वायत्त शासी राज्य की मांग कर रहे हैं। यह एक उचित मांग है। संविधान की धारा 244 में इसका प्रावधान है। भारत सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं की है। अब कुछ समूह उभरे हैं। इन्हें एन. एस. सी एन. का वरदहस्त प्राप्त है और इस क्षेत्र में ये समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। इन समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए भारत सरकार को इन सभी समस्याओं पर विचार करना चाहिए।

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रूगढ़) : महोदय, मैंने माननीय गृहमंत्री का वक्तव्य पढ़ा है। मैं, उनके द्वारा उद्धृत की गई मृतकों की संख्या पर कोई विवाद नहीं करूँगा क्योंकि मैं शवों पर बहस करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ।

सभापति महोदय : आपको, अपने प्रश्न पूछने हैं।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, मैं निश्चित रूप से अपना प्रश्न पूछूँगा।

कई और लोग मारे गए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पूर्वोत्तर के हम जैसे प्रतिनिधि हैरान हैं कि पूर्वोत्तर में इतना जबरदस्त अलगाववादी आनदोलन क्यों है? संसद में जन-प्रतिनिधि हमेशा देश की एकता और अखण्डता के लिए आते हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि यह मात्र कानून व व्यवस्था की समस्या ही नहीं है। यूनीफाईड कमांड के सेना के जनरलों ने भी अपने वक्तव्यों में यह कहा है कि इस समस्या पर सैन्य कार्यवाही से नियंत्रण पाया नहीं जा सकता। स्थिति बहुत ही गंभीर और चिंताजनक होती जा रही है। हमें इस समस्या पर अधिकाधिक ध्यान देना होगा। यदि यह ऐसे ही चलता रहा तो यह हैरानी की बात नहीं होगी यदि इस क्षेत्र की स्थिति कश्मीर से भी खराब हो जाए।

जैसा श्री बनातवाला ने कहा कि मिडिया से कुछ कहते हुए संवैधानिक कार्यकर्ताओं को बहुत सावधान रहना चाहिए। इन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा देश विविध जातियों का देश है जहाँ विभिन्न जाति और धर्मों के लोग रहते हैं। कोई वक्तव्य देते समय हमें बहुत सावधान रहना होगा। संवैधानिक कार्यकर्त्ताओं ने कहा कि राज्य के दो जिले, बंग्लादेश में मिला दिए जाएंगे। इस घटना के पश्चात् जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा, जारी इस प्रकार के वक्तव्य निन्दनीय है। ऐसा नहीं है कि वहां केवल हिन्दी-भाषी लोगों पर ही आक्रमण हो रहे हैं, वहां दूसरे लोग भी इससे प्रभावित हैं। यदि आप समाचार-पत्र पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वहां लोग मारे जा रहे हैं भले ही वे भाषायी अल्पसंख्यक हों, धार्मिक अल्पसंख्यक हों या फिर वे बहुसंख्यक समुदायों के हों। इन हमलों में मारे गए लोगों की पहचान के बारे में, मैं बात करना नहीं चाहता।

इस घटना के बाद, सरकार के प्रमुख ने वहां की पहले ही से नाजुक स्थिति को प्रभावित लोगों से साम्प्रदायिकतावाद व उक्त राष्ट्रीयतावाद की अपील कर और खराब कर दिया है। उन्होंने अपना विचार सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया कि बिहारियों और हिन्दी-भाषी लोगों के जातीय आधार पर सफाए से असम में एक खालीपन आ जाएगा जो आगे चलकर बंग्लादेशियों के भारी मात्रा में आने से भर जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय सरकार को इस वक्तव्य की जानकारी है।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (रायगंज) : महोदय, राज्य के राज्यपाल ने यह वक्तव्य बड़ी जिम्मेदारी के साथ दिया है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : राज्य के संवैधानिक प्रमुख द्वारा जारी वक्तव्य के विरोध में आज, छात्र संगठनों और असम की जनता ने 'असम बंद' रखा है। यदि इस प्रकार के जिम्मेदार लोग ऐसे ही भ्रामक और असंगत वक्तव्य देते रहे, तो स्थिति में सुधार कैसे होगा? मैं माननीय गृहमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे इसे रोकने का प्रयत्न करें।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : सभापति महोदय, इसे यहां डिस्कस नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसे सदन की कार्यवाही से निकाला जाए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : राज्यपाल ने बिहारियों के विरुद्ध एक टिप्पणी की है। हमें इस पर चर्चा का पूरा अधिकार है।

सभापति महोदय : बिना विधिवत् प्रस्ताव के, सभा, राज्यपाल के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकती. . .

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जब तक विधिवत् प्रस्ताव नहीं होगा तब तक आप सभा में राज्यपाल के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकते।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : हमने रमेश भंडारी मामले पर चर्चा करी थी, तो इस पर चर्चा क्यूं नहीं की जा सकती?

सभापति महोदय : श्री घाटोवार, आप कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

गृहमंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : माननीय सभापति महोदय, बिना उचित प्रस्ताव के, यहां राज्यपाल का उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, मैं संवैधानिक प्रमुख को दोष नहीं दे रहा हूँ। माननीय गृहमंत्री पता करके सुधारात्मक कदम उठाएं क्योंकि हम देश की राष्ट्रीय अखण्डता के लिए यहां हैं।

सभापति महोदय : श्री पवन सिंह घाटोवार, कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, कई बार पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की सरकारों ने यह वक्तव्य दिया है कि वहां विद्रोह की समस्या के समाधान में केन्द्रीय सरकार उनके साथ सहयोग नहीं कर रही है। कई विद्रोही समूह पड़ोस के कई मित्र देशों से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं।

मेरा प्रश्न है कि क्या भारत सरकार ने विद्रोह की इस समस्या पर काबू पाने के लिए पड़ोस के मित्र राष्ट्रों से चर्चा करने के लिए कोई कदम उठाया है।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : सभापति महोदय, मैं असम गया था। वहाँ मालूम हुआ कि कांग्रेस पार्टी का उलफा से रिलेशनशिप है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री विजय गोयल, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री पवन सिंह घाटोवार के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, श्री विजय गोयल, असम एक दिन के लिए गए होंगे किंतु देश के इस भाग में तो मैं रहा हूँ। मैं जानता हूँ, वहा क्या स्थिति है . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री पवन सिंह घाटोवार, अब कृपया समाप्त कीजिए।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, एक मिनट में, समाप्त कर रहा हूँ।

इसलिए, हम केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि मामले की जांच उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायधीश से कराई जाए और उन दलों, उन लोगों का पता लगाया जाए जो उग्रवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। ऐसी गतिविधियों का हम हमेशा विरोध करते हैं। निरापराध लोगों के शवों पर हम राजनीति करने के आदी नहीं हैं।

सभापति महोदय : कृपया ध्यानाकर्षण तक ही सीमित रहें।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, भारत सरकार के लिए सोचने का यही उचित समय है कि क्या यह संपूर्ण समस्या राजनैतिक है या आर्थिक। भारत सरकार यह विचार करे कि वहां राजनैतिक और आर्थिक स्थिति पर कैसे नियंत्रण करना है।

महोदय, पूर्वोत्तर में विद्रोही गतिविधियों के मुख्य कारणों में से एक है वहां के युवाओं की बेरोजगारी। क्या भारत सरकार का इस स्थिति से निपटने का कोई कार्यक्रम है?

महोदय, हम हारी हुई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम म्यांकृत और राष्ट्रीकृत भारत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मेरी सभी राजनैतिक दलों से यह अपील है कि वे अपने राजनैतिक विचारों से ऊपर उठें और पूर्वोत्तर की समस्याओं के समाधान की दिशा में सोचें। अन्यथा, देश के पूर्वोत्तर भागों की समस्या से निपटने में बहुत देर हो जाएगी।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, पूर्वोत्तर राज्य जल रहे हैं। उनकी क्या स्थिति है, मैं उसके बारे में संक्षेप में कहना चाहूँगा। 15 दिन पहले यह सवाल उठा था कि गृह मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे। यह सरकार कितनी संवेदनशील है, इसी बात से मालूम होता है। इसके पहले कोई ध्यान नहीं दिया था लेकिन इस सरकार ने अपना वक्तव्य कब दिया, जब आसन से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर हुआ। लोग मारे जा रहे हैं। अपहरण और एक्सटौर्शन हो रहा है। एक्सटौर्शन नहीं देने से हत्यायें हो रही हैं। वहां आतंकवाद का माहौल हो गया है। केन्द्रीय सरकार कहती है कि यूनिफाइड कमांड होगी। आतंकवाद है, इसे राजनीति से ऊपर समझना चाहिए।

आज मैं गृह मंत्री जी से स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने वहां जांच-पड़ताल कराई है। वहां उग्रवाद उल्फा आदि विभिन्न नामों से फैला है, नागालैंड में अलग, त्रिपुरा में अलग और अन्य राज्यों में अलग नाम से फैला है कहीं मुइबावाला और कहीं खपलांगवाला नाम से उग्रवाद है। वहां इस तरह के नामों से उग्रवाद है। यदि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा मिलकर वहां यूनिफाइड कमांड चलाई जाती तो आतंकवाद का मुकाबला हो सकता था। इसलिए हमारा प्रथम आग्रह है कि केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी राज्य पर और राज्य अपनी जिम्मेदारी केन्द्र पर फेंककर वहां हत्या, एक्सटोर्शन और मारकाट के सिलसिले को जारी न रखे, बल्कि इसे बंद करे।

सभापति महोदय, क्या इन्होंने जांच कराई हैं कि वहां के उग्रवादियों का किसी राजनीतिक दल से लगाव या संरक्षण तो नहीं है या उनके साथ किसी का कोई सोफ्ट कॉर्नर है। वहां आम जनता का उग्रवादियों के लिए सोफ्ट कॉर्नर नहीं है। हम वहां गये थे, हमने उनसे जानकारी ली है। वहां की जनता का समर्थन उग्रवादियों और आतंकवादियों के पक्ष में नहीं है। वह उनके खिलाफ है। लेकिन लोग लाचार हैं। वहां गरीब आदमी, कमजोर तबका उनका क्या कर सकता है। क्या वहां कोई राजनीतिक दल या केन्द्र सरकार का कोई हिस्सा उनके समर्थन में है या उनका राज्य सरकार के साथ कोई तालमेल चल रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि अलग-अलग जो घटनाएं घटी हैं, उनके बारे में बतायें।

सभापति महोदय, सूर्योदय सबसे पहले पूर्वोत्तर में होता है लेकिन विकास की रोशनी वहां सबसे बाद में जाती है। वहां उग्रवाद का एक कारण यह भी है। गरीब आदमी, लौहारगिरी, बढ़ईगिरी, दस्तकारी करने वाले मजदूर लोग वहां जाते थे। पुराने जमाने में कहा जाता था, लोग कहते थे कि वहां तंत्र विद्या बहुत ऊँची चढ़ी हुई थी। वहां आदमी को भेड़ बनाकर रख लेते थे। कभी-कभी लोग चर्चा करते हैं कि वहां जो लोग जाते हैं, लौटते नहीं हैं, लोग कहते थे, उन्हें भेड़ बनाकर रख लेते थे। वहां की तंत्र विद्या जबरदस्त थी। पहले भेड़ बनाना और अब भेड़ को काटने वाला काम हो रहा है। इस बारे में गृह मंत्री जी जवाब देंगे। वहां की राज्य सरकार ने 40 कम्पनियां मांगी थीं, इन्होंने 27 भेजी हैं। यू. एफ. सरकार ने पैसे की मदद करने के लिए कहा था, इन्होंने क्या मदद की, बतायें। हमारा इनसे आग्रह है कि पूर्वोत्तर के सातों आठों राज्यों की समस्याओं के संबंध में क्यों नहीं सदन में एक बार बहस हो जाती। वहां के विकास, राजनीति और आर्थिक नीति पर यहां बहस होनी चाहिए। हम आसन से आग्रह करेंगे कि पूर्वोत्तर की समस्या पर विचार करने के लिए अलग से नियम 193 के तहत चर्चा होनी चाहिए, नहीं तो वहां कोई सुधार नहीं होगा। वह सीमावर्ती इलाका है। वहां उग्रवादियों के दस्तों का प्रशिक्षण, आश्रय पड़ौसी देशों भूटान और म्यांमार आदि में होता है। उग्रवादी पड़ौसी देशों में जाकर रहते हैं। केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की। वहां बार्डर पार के आतंकवाद का मुकाबला करना राज्य सरकार के बस की बात नहीं है। वहां पड़ौसी राज्यों में उग्रवाद पनप रहा है और उग्रवादी ताकतवर हो रहे हैं। गृह मंत्री जी कहेंगे वहां शांति है। लेकिन वहां शांति नहीं है। वहां एक्सटौर्शन हो रहा था, मारकाट हो रही थी, वह थोड़ी रुक गई है। वह यही बतायेंगे। लेकिन वह वहां की राज्य सरकारों को कान्फीडेन्स में नहीं लेते। वहां जो मुख्य मंत्री बने हुए हैं, कहते हैं कि केन्द्र सरकार हमसे नहीं पूछती, उनकी अलग से बातचीत होती है। इस तरह से वहां हत्यांए हो रही हैं, अलगाववाद बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है। वहां बिहार से जो लोग गये, बंगाल तथा उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से जो लोग गये, उन्हें भाषा के आधार पर भगा रहे हैं, मार रहे हैं। जो लोग वहां मारे गये, उनके लिए केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की। गृह मंत्री जी बतायें उन्होंने कौन सी कार्रवाई की। वहां नरसंहार की अलग-अलग की घटनाएं हो रही हैं। कहीं 10, कहीं 20 लोगों को जंगलों में घेरकर मारा गया, गांव के लोगों को मारा गया, वहां अपहरण हुए, इन्होंने उसके लिए कौन सी कार्रवाई की, कौन सी मदद की। जो मारे गये, उन्हें क्या मदद दी। यह इस बारे में साफ-साफ बतायें, नहीं तो हमारा आरोप है कि केन्द्र सरकार अक्षम है, आतंकवादियों का मुकाबला करने में और हत्याएं रोकने में असमर्थ है तथा देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा करने में विफल है, हम ऐसा समझते हैं। यह कहते हैं कि स्थिति नियंत्रण में हैं, वहां और कितने हजार आदमी मारे जायेंगे, फिर कहते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है।

ये कहते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है। इनका स्थिति को नापने का मीज़रमेंट क्या है? कितने आदमी मारे जांएगे तो नियंत्रण में है और कितने आदमी बचाएंगे तो अनियंत्रण है? ये क्या बता रहे हैं? कहते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है! वहां लोग घायत हो रहे हैं, घर छोड़कर भाग रहे हैं। यह राष्ट्रीय अखंडता का सवाल मैं उठा रहा हूं। इस सरकार के चलते राष्ट्रीय अखंडता भी खतरे में है और मैं सरकार को चुनौती देता हूँ कि सरकार स्थिति से मुकाबला नहीं कर रही है, भाग रही है और जाने अनजाने किसी भी रूप में आतंकवाद और अलगाववाद तथा अशांति को बढ़ावा दे रही है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में, गोहाटी और अन्य स्थानों से लोग भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। सरकार इस बारे में बताए नहीं तो हम इनको ठंडा करने के लिए भी तैयार हैं, आपस में हम सब विपक्ष एक हैं।

[अनुवाद]

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट) : सभापति महोदय, मुझे गृह मंत्री जी से कुछ विशेष जानकारी चाहिये।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में, विशेष तौर पर असम में हुए घटनाक्रम में कुछेक घटनाओं के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और माननीय मंत्री के वक्तव्य में कुछ मुख्य बातें नहीं है। मैं अब वे प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

सबसे पहले इस वर्ष 22 अक्टूबर और 7 दिसम्बर के बीच 46 दिन की अवधि के भीतर तथाकथित आतंकवादियों द्वारा किये गये सामूहिक हत्याकांड के आठ मामलों में 102 लोग मारे गये और अनेक घायल हो गये। मेरा पहला प्रश्न यह है। यह बात समझ में आती है कि पहले एक या दो मामलों में सरकार सतर्क नहीं थी। परंतु हिन्दी भाषी लोगों को निशाने पर रखने के उनके तरीके को देखकर सरकार को सतर्क हो जाना चाहिये था और तत्काल संभावित इलाकों की पहचान कर लेनी चाहिये थी तथा कम से कम मोबाइल निगरानी का शुरू करनी चाहिये थी।

मैं माननीय गृह मंत्री की विशेष जानकारी का एक उदाहरण आपको देता हूं। नासादिया-बालिजन-कुकुड़मारा संरक्षित वन क्षेत्र में हुई एक घटना में 30 लोग मारे गये और 16 घायल हो गये। इस दूर-दराज के क्षेत्र में मुख्य तौर पर हिन्दी भाषी लोग रहते हैं, जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं। असम-अरूणाचल प्रदेश सीमा पर स्थित तेजू क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार से तीन ट्रकों में लौटते हुए उन पर आक्रमण किया गया। सरकार को इसका अनुमान पहले ही लगा लेना चाहिये था और ऐसी स्थिति में कोई भी सतर्क प्रशासन उन संभावित क्षेत्रों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। यहां तक कि आक्रमणकारियों को भी यह पता लगाने और किसी निर्धारित साप्ताहिक बाजार के दिन तीन ट्रकों को रोक कर उन पर हमला करने के लिए पहले से ही कुछ तैयारी की आवश्यकता होती है। परन्तु ऐसा किया नहीं किया गया। यदि सरकार ने कुछ कार्यवाही की होती तो उन लोगों के जीवन को बचाया जा सकता था। इसलिए मैं असम सरकार को दोष देता हूँ कि वे इतने जीवन बचाने में असफल रही, केन्द्र सरकार भी इसमें बराबर की दोषी है क्योंकि उसने भी गुवहाटी और नई दिल्ली के बीच एक या दो संयुक्त सचिवों को भेजने और बुलाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया। दूसरे, माननीय मंत्री के वक्तव्य में किसी एक बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। यह आक्रमण केवल हिन्दी भाषा भाषियों पर ही नहीं परंतु संपूर्ण असम समाज पर किया गया आक्रमण था। यदि यह संयुक्त स्वरूप विखंडित जो जाता है तो उससे और अधिक घृणा, और अधिक संघर्ष और और अधिक रक्तपात होगा। गृह मंत्रालय को यह विदित है कि पहले भी सामाजिक सौहार्द्रता पर घोर उन्मादी आक्रमण किये गये।

वर्ष 1960 और 1972 में भाषायी अल्पसंख्यकों पर कुछ लोगों ने आक्रमण किया था। उन्हीं उन्मादी लोगों ने सांप्रदायिक बाना पहन कर नेल्ली में लोगों पर आक्रमण किया और उन्हें मार डाला। लगभग 1500 लोग मारे गये थे। जब कभी भी इन ताकतों द्वारा भाषायी और धार्मिक समुदायों पर आक्रमण होते हैं, तो यह आक्रमण राष्ट्रीय दलों की ओर उन्मुख होते हैं। असम की अन्य राष्ट्रीय पार्टियां इसे सत्यापित कर सकती हैं। यह इतिहास का भाग है और मुझे इस बात का खेद है कि असम गण परिषद् जो दूसरी बार असम में सत्ता में है, वह इस उन्माद का प्रतिरूप है। अब असम सरकार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का बायकॉट करने वाले आतंकवादियों की निंदा करते हैं परन्तु 1986 में सत्ता में आने से पहले तक असम गण परिषद भी यही करती रही थी। अब, वे असम को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का उपदेश देते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि इन हत्याओं के पीछे असम गण परिषद् की सरकार का हाथ है। उससे भी अधिक वर्ष 1979 से हिंसा फैलायी गयी और 1998 से इस सरकार द्वारा समर्थित गुप्त हत्याओं के माध्यम से इसे बढ़ावा दिया गया। हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं के लिए यह सरकार जिम्मेदार है।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, ये लोग (कांग्रेस) तो सरकार में रहते हुए कराते रहे। उल्फा का जन्म आपके समय में हुआ, बोडोलैंड का जन्म आपके समय में हुआ। ये सारी जितनी भी आतंकवादी फोर्स हैं ये सब आप लोगों की देन हैं। ये सब कांग्रेस की देन हैं। आपके कारण ही यह हो रहा है। पंजाब में आतंकवाद आपके कारण शुरू हुआ, कश्मीर में आतंकवाद आपकी वजह से शुरू हुआ। पूर्वोत्तर राज्यों में जो आतंकवाद का जन्म हुआ है वह भी सब कांग्रेस की देन है। इन सबकी जड़ में कांग्रेस ही है . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजय हान्दिक : आपको पहले सच्चाई का पता लगाना चाहिये। यहां बैठकर वक्तव्य मत दीजिये *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय कटियार : अध्यक्ष महोदय, इनको जरूर धक्का लगेगा, लेकिन धक्का देने का काम भी इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने किया । पूरे देश में इन्हीं लोगों ने आतंकवाद फैलवाया। सब काम की जड़ में कांग्रेस ही है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य महोदय, आरोप लगा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देते हुए यह बतायेंगे कि हम दोषी हैं अथवा नहीं और यदि हम दोषी हैं, तो हम सजा स्वीकार करते हैं . *(व्यवधान)*

श्री विजय हान्दिक : महोदय, मैं असम सरकार को न केवल असम समाज के संयुक्त स्वरूप की रक्षा करने में असफल मानता हूँ अपितु राज्य के सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना का विनाश करने का भी दोषी मानता हूं। मैं केन्द्र सरकार को इस समाज को इस मार्ग की ओर अग्रसरित करने और उसके विनाश का भी दोषी मानता हूं।

अब, मैं स्पष्टीकरण के अपने अंतिम प्रश्न पर आता हूं। सरकार इससे निपटने और आतंकवाद को खत्म करने की रणनीति के बारे में क्यों नहीं बताती। चूंकि सरकार ने यह आरोप लगाया है कि हत्याओं का यह घटनाक्रम आतंकवादियों का काम है, तो फिर इसका समाधान क्या है? मैं श्री कटियार को बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा भुक्तभोगी है। आतंकवादियों द्वारा 10,000 कांग्रेस कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। असम गण परिषद् की सरकार की मिली भगत से न केवल उनके शासन काल की शुरूआत में बल्कि उससे पहले और बाद में भी 10,000 कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं. *(व्यवधान)*

यह मेरी अंतिम बात है। हम प्रभावित लोगों में से हैं। हम जानते हैं कि दुःख कैसे होता है। यह जगजाहिर है कि श्री चन्द्र शेखर के प्रधानमंत्रीत्व वाली केन्द्र सरकार ने तत्कालीन राज्य सरकार को उसके उल्फा के साथ संबंध होने के कारण बर्खास्त कर दिया था। अब माननीय सदस्य इस प्रकार बोल रहे हैं जैसे कि वह जानते ही न हों यदि न जानने का बहाना कर रहे हैं . . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष महोदय, लिट्टे को किसने खड़ा किया, लिट्टे को ट्रेनिंग किसने दी, मैं बताना चाहता हूं कि लिट्टे को ट्रेनिंग कांग्रेस ने दी, लिट्टे को कांग्रेस ने खड़ा किया। देश में हड़ताल आपने कराई। (व्यवधान)

अपराह्न 3.00 बजे

श्री विजय हान्दिक : महोदय, 1991 में आम चुनाव के बाद (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : कमीशन भी आपने बनाया है। . . .(व्यवधान) आप तो कमीशन में कमीशन खाते हो। . .(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : सभापति जी, सूप बोले तो बोले यह छलनी भी बोल रही है। . (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री विजय हान्दिक : क्या यह सच नहीं है कि श्री चन्द्र शेखर की अध्यक्षता वाली केन्द्र सरकार ने 1991 में असम की तत्कालीन सरकार को आतंकवादियों के साथ संबंध होने के कारण बर्खास्त किया था? मेरे विचार से श्री कटियार इस बात को नहीं जानते। पुन: 1991 में, चुनाव के पश्चात् असम में कांग्रेस सरकार के गठन के दिन ही आतंकवादियों ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम के 16 अधिकारी और अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी समेत वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का अपहरण करके इसका विरोध किया। बंधक बनाये लोगों में से एक को मारकर उन्होंने उसके मृत शरीर को शिवसागर जिले में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हितेश्वर सैकिया के आवास के निकट छोड़ दिया (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका नाम सूची में नहीं है। नियमों के अंतर्गत, आपको अनुमति नहीं दी जा सकती।

(व्यवधान)

श्री विजय हान्दिक : महोदय, गृह मंत्री जी को मालूम होना चाहिये कि 1996 के आम चुनावों में, मतदाताओं को आतंकित करने के लिए मंत्रिमंडल के एक मंत्री सहित दो कांग्रेस उम्मीदवारों को गोली मार दी गई थी . . (व्यवधान) फिर भी हम चाहते हैं कि कठोर कार्यवाही के साथ-साथ सरकार को आतंकवादियों के साथ बातचीत करने के तरीके ढूंढने चाहियें।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : श्री हान्दिक, कृपया बैठ जाइये। आपको मंत्री जी की बात भी सुननी चाहिये। आप इतने अधिक प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री विजय हान्दिक : महोदय, आप मुझे और अधिक समय दें (व्यवधान)

सभापति महोदय : डॉ रंगपी, कृपया अपने स्थान पर बैठें। आपका नाम सूची में नहीं है।

डा. जयन्त रंगपी (स्वायत्त जिला असम) : महोदय, मैंने नोटिस दिया है।

सभापति महोदय : परन्तु आपका नाम सूची में नहीं है। नियमों के अंतर्गत, आपको अनुमति नहीं दी जा सकती।

डा. जयन्त रंगपी : महोदय, मैंने नोटिस दिया है।

सभापति महोदय : परंतु आपका नाम उसमें नहीं है। केवल पांच सदस्यों को शामिल किया जा सकता है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया मंत्री जी की बात सुनिये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए। नियमों के अंतर्गत, आपको अनुमति नहीं दी जा सकती।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : सभापति जी, आज की इस चर्चा को, इस बहस को सुनकर मैं उन माननीय सदस्यों की बात से सहमत हूँ कि अच्छा होगा, अगर हम उत्तर पूर्वी राज्यों की स्थिति जिसमें इमर्जेंसी या विकास की समस्याएं वगैरह हैं, उन सब पर कभी सर्वांगीण तौर पर बहस कर पायें। दूसरे सदन में इस पर पिछले सत्र में बहस हुई थी लेकिन इस सदन में नहीं हुई। यह स्वाभाविक था कि जब पिछले दिनों की हत्याओं के बारे में एक कालिंग अटेंशन स्वीकार हुआ, तो उस पर नियम के अनुसार पांच सदस्यों के नाम ही आ सकते हैं। बाकी सदस्य जो यहां के प्रतिनिधि हैं, जैसे रंगपी जी हैं या और बहुत प्रमुख लोग यहां बैठे हुए हैं, जिन्होंने उस दिन जब आसाम में हत्यायें हुई थीं, उस संदर्भ में सवाल उठाया था।

लेकिन आज जब यह सवाल कॉलिंग अटैन्शन के रूप में बाकायदा आया तो सबके मन में अपने-अपने विचार खड़े हुए। अब अध्यक्ष जी के ऊपर यह निर्भर है कि इस सत्र में हम बहस कर सकें या नहीं, अन्यथा अगले सत्र में करनी पड़ेगी। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि आज पांचों सदस्यों ने अगर कोई बात कही और उसमें केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, किसी की आलोचना की तो उस आलोचना का कारण उनके मन की व्यथा है, उनके मन की पीड़ा है। आखिर मैंने जब वक्तव्य बनाया तो वक्तव्य बनाते हुए आठों प्रदेशों में से एक-एक की चर्चा नहीं की, मूल सवाल में, कॉलिंग अटैन्शन में नॉर्थ-ईस्ट का उल्लेख था, इसलिए पूरे नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में मैंने कहा कि यहां जो आठ प्रदेश हैं, उन आठ प्रदेशों में से तीन स्टेट्स के बारे में हमको बहुत चिन्ता है और उनमें से भी एक के बारे

में अति चिन्ता है। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि बाकी स्थानों पर कोई हिंसा हो नहीं हो रही है। हां, मैं मानता हूं कि अरुणाचल में जनरली स्थिति ठीक है और तिरप चांगलान के दो जिलों को छोड़ कर, इन दो जिलों में निश्चित रूप से पिछले दिनों में स्थिति बिगड़ी है, हमने उसे डिस्टर्ब्ड एरिया करके घोषित भी किया हुआ है, लेकिन जिस प्रकार अरुणाचल है उसी प्रकार मैं मानता हूं कि सिक्किम, मेघालय और मिजोरम भी है - ये चार प्रदेश ऐसे हैं जिनमें मोटे तौर पर वैसी स्थिति नहीं है जैसी बाकी स्टेट्स में है, बाकी चार में निश्चित रूप से, जिनमें नागालैंड में मैं इसलिए कम गिनता हूं क्योंकि नागालैंड में पिछले तीन सालों से सीज़फायर का ऐग्रीमैंट है जिसके कारण हिंसा कुछ कम हुई है, ऐक्सटार्शन कम नहीं हुआ है। ऐक्सटार्शन है, अपराध है लेकिन हत्या, हिंसा कुछ कम है। कोई कह सकता है कि ऐक्सटार्शन को आप रोक नहीं पाए, ऐक्सटार्शन को रोकना चाहिए, नहीं रोक पाते हैं तो क्या फायदा है।

मैं नहीं मानता। आप जानते ही होंगे, उस आक्रमण के परिणामस्वरूप हमने एन. एस. सी. एन. (आई. एन.) के विरुद्ध उस बैठक में क्या निर्णय लिया।

[अनुवाद]

कुल मिलाकर मैं मानता हूं कि चार प्रदेश हिंसा से प्रभावित हैं, चार प्रदेश अपेक्षाकृत हिंसा से मुक्त हैं और इन चार प्रदेशों में, मैं कम से कम उनमें से नहीं हूं जो कहे कि ऐसा प्रदेश की सरकार के कारण है क्योंकि इनसर्जेंसी की स्थिति ऐसी है जो लॉ एंड आर्डर से ऊपर उठ जाती है और इसीलिए अगर हमारे बनातवाला जी कहते हैं कि त्रिपुरा में पुलिस काम नहीं कर रही, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि वहां की सरकार उसे रोकने की प्रामाणिकता से कोशिश कर रही है लेकिन उसमें उनको कठिनाइयां आती हैं। इसलिए किसी ने कहीं पर यह भी सवाल उठाया होगा कि विलेज पुलिस होनी चाहिए। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन कुल मिला कर त्रिपुरा की पुलिस सक्रिय है। हां, अलबत्ता मैं यह उन प्रदेशों को जरूर कहता हूं कि हिन्दुस्तान में एक प्रदेश ऐसा है जहां किसी समय इनसर्जेंसी पीक पर थी, मिलिटैंसी इतनी भंयकर हो गई थी कि 1990 के आरंभ में, 1992-93 में कभी हम पंजाब जाते थे तो लगता था कि शायद यहां नार्मेलसी लौटेगी ही नहीं, चिन्ता होती थी। लेकिन अगर वहां नार्मेलसी लौट आई है और आज पंजाब पूरी तरह मिलिटैंसी से मुक्त हुआ तो उसका श्रेय जहां सेना को देना होगा, पैरा-मिलिट्री फोर्सेस को देना होगा, उसका श्रेय वहां की सरकार को भी देना होगा, वहां की जनता को भी देना होगा। लेकिन मैं हमेशा कहा करता हूं कि ऐसी स्थिति में वहां राज्य की पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह बात मैं आठों प्रदेशों में जितनी राज्य सरकारें हैं, उनको कहा करता हूं।

बनातवाला जी ने एक सवाल कहा कि ऐडीक्वेसी ऑफ पैरा-मिलिट्री फोर्सेस पर्याप्त है या नहीं। फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि सैंक्शन्ड स्ट्रैन्थ इतनी है लेकिन कम्पनियां इतनी हैं। एक जानकारी होनी चाहिए कि पैरा-मिलिट्री फोर्सेस की सैंक्शन्ड स्ट्रैन्थ खास कर इन एरियाज़ में इंडो बंगलादेश बार्डर के हिसाब से है।

वह काउंटर इन्सरजेंसी के लिए नहीं है। बोर्डर पर जो फोर्सेज होनी चाहिए थी, उनको हमको काउंटर इन्सरजेंसी पर लगाना पड़ता है, इन्सरजेंसी का लेवल ऐसा हो गया है। लेकिन कुल मिलाकर मैं आपको बता सकता हूं कि आज उत्तर पूर्वी राज्यों में पैरा मिलिट्री फोर्सेज की 128 कम्पनियां असम में हैं, 34 कम्पनियां नागालैंड में हैं, 74 कम्पनियां मणिपुर में हैं, 88 कम्पनियां त्रिपुरा में हैं। हां, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 12-12 कम्पनियां हैं। इतना लेवल ऑफ पैरा मिलिट्री फोर्सेज लगाने के बाद भी कोई कहे कि इनएडीक्वेसी है तो हमारे पास कुल मिलाकर जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं और जम्मू-कश्मीर की जो स्थिति है, उसमें लगता है कि पैरा मिलिट्री फोर्सेज और बढ़ानी चाहिए। इसे बढ़ाने की दिशा में भी गृह मंत्रालय वित्त मंत्रालय से लगातार कोशिश में लगा हुआ है और उन्होंने कुछ सैंक्शन भी किया है।

आपका यह कहना सही है कि यहां जो उग्रवादी कार्रवाई करते हैं, उनको अगर सेना, पैरा मिलिट्री फोर्सेज और पुलिस परश्यू करते हैं तो वे पड़ोस के देशों में चले जाते हैं और वहां जाकर आश्रय ले लेते हैं। उनमें से भूटान प्रमुख हैं। मैं सदन को बता सकता हूं कि इस विषय में लगातार भूटान से बात होती रही है और शायद आपको सुनकर कुछ संतोष होगा कि भूटान ने अपनी विधान सभा में औपचारिक रूप से प्रस्ताव पारित करके कहा है कि इनको हम यहां पर शरण नहीं देंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई कब हो, कैसे हो, इस विषय में लगातार हम भूटान की सरकार से बातचीत कर रहे हैं। इसी प्रकार से म्यांमार के बारे में मैं बता सकता हूं कि म्यांमार ने एक बार कार्रवाई की भी है। उनको भी कुछ उसके कारण कैजुअलटी सफर करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने इन उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई की और कइयों को खदेड़कर हमारे यहां भेज दिया, जिससे यहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकी। बंगलादेश और नेपाल से भी हमने बात की है। कोई ऐसा पड़ोसी देश नहीं है, जिससे हम लगातार सम्पर्क में न हों, उनसे बातचीत न कर रहे हों और उनको इस बात का अहसास न दिला रहे हों कि आतंकवादी आज हमको परेशान कर रहे हैं, लेकिन इनको अगर आपने शरण दी, आपने आश्रय दिया या इनको वहां पर कैम्प बनाकर ट्रेनिंग देने की अनुमति दे दी या इजाजत दे दी तो उसका परिणाम कल आपको भी भुगतना पड़ेगा। उनमें से बहुत सारे लोग धीरे-धीरे इस बारे में सचेत हो रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : हिन्दी भाषा भाषी लोगों के निर्दोष हत्याकांड के पीछे किसका हाथ है . . . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं हाण्डिक जी से पूरी तरह से सहमत हूं। यह केवल हिन्दी स्पीकिंग लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं है, यह असम के मूल चरित्र प्रवृत्ति पर आक्रमण है ताकि यहां से बाकी लोग निकल जायें, हट जायें। यह जो एक प्रकार से षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को समझकर उसके बारे में कार्रवाइ करनी चाहिए।

यहां पर बताया गया कि बिहारी और असमिया का सवाल है, मैं इसको नहीं मानता हूं। लोग यह भी जानते हैं कि ये लोग चाहे हिन्दी भाषी होंगे, लेकिन उनमें से बहुत सारे 100-100 साल से यहां रहते हैं और 100 साल से रहने वाला असमिया हो गया। . . . *(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी : परंतु मुख्यमंत्री जी ने इसे आई. एम. आई. की गतिविधियां बताया है . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री चौधरी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जहां तक आई. एम. आई. का सवाल है, जहां पर ऐसी परिस्थिति पैदा होती है, आई. एम. आई. उसका लाभ उठाने की पूरी कोशिश करती है और फिर आगे बढ़कर वह भी अपना

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

योगदान उसमें करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम कम से कम इस बात के बारे में सावधान हैं। असम की सरकार के बारे में मैंने आपको बताया कि एक अधिकारी यहां से भेजा गया है, हमारे एक प्रमुख जोइंट सैक्रटरी हैं, जो नोर्थ ईस्ट को कई वर्षों से देखते हैं और उसके बारे में पूरा ज्ञान रखते हैं। उन्होंने जाकर वहां पर जो स्ट्रेटेजी मीटिंग हुई, उसमें भाग लेकर सारे कदम उठाने का निर्णय किया और उसके तुरन्त बाद आप यहां पर आमंत्रित किये गये। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : आपका वहां एक बार जाना जरूरी है। यह हमारा आपसे अनुरोध है। आपको स्वयं वहां एक बार जाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं वहां जाऊंगा . . *(व्यवधान)*

उसके तुरंत बाद आठ तारीख को यहां पर वहां के मुख्यमंत्री जी को, वहां के राज्यपाल जी को, चीफ सेक्रेटरी को, डी. जी. पी. को तथा अन्य अधिकारियों को आमंत्रित किया गया। उनके साथ होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्टर स्वयं थे तथा चीफ आर्मी स्टाफ भी उपस्थित थे। इन सबकी एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई और यह योजना बनाई।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : यहां उनको न बुलाकर आप स्वयं गुवाहटी जाएं और वहां उनको विश्वास में लें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं जाऊंगा। किसी ने यहां सीज फायर का जिक्र किया और कहा कि इसके परिणाम अच्छे नहीं निकले हैं। मैं मानता हूं कि जो पोलिटिकल सोल्यूशन है वहां की समस्या का, उस पर हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। लेकिन वहां पर तीन सालों तक ऐसी शांति उत्पन्न हो कि मिलिटेंट्स स्वयं सोचें कि सीज फायर बनी रहनी चाहिए, असम में नियंत्रण है और उनका वैम्स्टेड इंटरेस्ट डवलप हो जाए, यह स्वयं में एक उपलब्धि है, इसको कम नहीं आंकना चाहिए। यूं तो सीज फायर को तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आखिर ग्राउंड रूल्स बने हैं, उनका उल्लंघन करने के लिए कोई कहे कि हम सीज फायर तोड़ देते हैं ऐसा कर सकते हैं और कई बार ग्राउंड रूल्स टूटते हैं। आखिर एक्सटोर्शन करना ग्राउंड रूल्स का वायलेशन है। हम जानते हैं कि एक्सटोर्शन हो रहा है, लेकिन हिंसा नहीं है, हत्या नहीं है, यह भी एक उपलब्धि है, इसीलिए धीरे-धीरे हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

मैं यह बात साफ करना चाहूंगा, यहां पर यह भी उल्लेख किया गया कि वहां किसी संवैधानिक अधिकारी ने लोगों को उकसाया। मैंने वह सारा बयान पढ़ा, जिसमें इसका जिक्र है। कई लोगों ने कहा कि हमारे पास हथियार नहीं हैं, उनके पास हथियार होते हैं, यह उदाहरण दिया गया। पिछले दिनों असम में उल्फा के मिलीटेंट्स की साख इतनी घटी है और वे काफी बदनाम हुए हैं। बदनामी का प्रमुख कारण था कि जब भारत अपने दुश्मन के साथ कारगिल का युद्ध लड़ रहा था तब उल्फा के लोगों ने कहा कि हमें दुश्मन को समर्थन देना चाहिए। ऐसा एक बयान भी निकला था। इसके कारण उनकी प्रतिष्ठा और भी घटी है। यानि असम में उनके खिलाफ नाराजगी फैल गई। नतीजा यह हुआ कि अगर कहीं कोई उल्फा मिलीटेंट नजर आये था, उसके पास हथियार होते थे तो गांव वाले घेर कर ऐसे बीसियों लोगों को थानों में ले गए बीसियों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इस प्रकार की घटना का उल्लेख उस अधिकारी ने किया, यह सही है कि उनके पास हथियार हैं और हमारे कठिनाई है, लेकिन हिम्मत के साथ आप अपने को डिफेंड करिए, आप अपनी रक्षा करिए और रक्षा के दौरान बिना हथियार के, लाठी से या पत्थर आदि से उनको पराजित करिए, जैसा आपकी जनता ने किया है तो बहुत अच्छा होगा।

[अनुवाद]

श्री तरूण गोगोई (कलियाबोर) : राज्यपाल महोदय ने एक बिहारी होने के नाते अन्य बिहारी समुदायों से अनुरोध किया है। यह हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ है . . . *(व्यवधान)* उन्होंने एक बिहारी के तौर पर यह अनुरोध किया है। यह मेरा अनुरोध है। हिन्दुस्तान टाइम्स के संपादकीय ने भी राज्यपाल के संकीर्ण रवैये की आलोचना की है। मैं उस पत्रिका की बात नहीं कर रहा हूं . . . *(व्यवधान)* हिन्दुस्तान टाइम्स में यह प्रकाशित हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने एक बिहारी के रूप में निवेदन किया है। इसीलिए मैं इस पर आपत्ति करता हूं *(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी : राज्यपाल महोदय ने बताया है कि विद्रोह की स्थिति समाप्त हो गई है। परन्तु आज हम आतंकवाद देख रहे हैं। दोनों बातों में किस प्रकार की शाब्दार्थिक समानता है . . . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं नहीं, जानता शायद आप हिन्दुस्तान टाइम्स का जिक्र कर रहे होंगे।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : सारे बिहारी मारे जा रहे हैं और ये मखौल उड़ा रहे हैं . *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति जी, मेरे पास असम का प्रमुख अंग्रेजी दैनिक सेंटीनल है। इसी विषय को लेकर उसका सम्पादकीय मेरे पास है, जिसमें उन्होंने स्ट्रौंग्ली डिफेंड करते हुए कहा है

[अनुवाद]

किसी को यह कहना आपत्तिजनक कैसे हो सकता है कि वह यथासंभव अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करे क्योंकि स्पष्ट रूप से सुरक्षा बल न तो असम के चप्पे चप्पे की निगरानी कर सकते हैं और न ही प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उनके लिए यह कहना अनुचित है कि उन्होंने किसी प्रकार की संकीर्ण भावनाओं को भड़काया है। मैंने वक्तव्य देखा है और यह संपादकीय गुवाहाटी के एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। कृपया व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : बिहारी को मार रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इस बात का भी जिक्र करूंगा क्योंकि बिना उनका नाम लिये हुए उनकी ओर संकेत किया गया, इसीलिए मैंने अपनी जवाबदारी समझी कि मैं उनसे स्वयं बात करके पूछूं और वह मुझे मिलने आये और मुझे आकर पूरी बात बताई और मारे अपने

स्टेटमेंट्स दिये। उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा, जिसका समर्थन मुख्य मंत्री ने भी किया है, मुख्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है, उन्होंने बिल्कुल उचित कहा है और इसीलिए मैं समझता हूं कि उनके ऊपर इस प्रकार का आक्षेप लगाना सर्वथा निराधार है। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अधीर चौधरी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। जब मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, तो आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं? . . . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं कहना चाहूंगा कि इस वर्ष के आरम्भ में माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वयं शिलॉग में सारे उत्तर पूर्वी राज्यों, प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों और राज्यपालों का एक सम्मेलन बुलाया था और उस सम्मेलन में सब पहलुओं पर विचार-विमर्श होने के बाद लम्बे-चौड़े निर्णय हुए। आज होम मिनिस्ट्री और पीएमओ दोनों प्रति महीने उसको मोनीटर करते रहते हैं कि कितना इम्पलीमेंट हुआ और कितना इम्पलीमेंट होना बाकी है। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार की एप्रोच लेकर केन्द्रीय सरकार चली है, नार्थ ईस्ट में जितने स्टेट्स हैं, उनमें इंसर्जेंसी का भी मुकाबला हम कर सकेंगे और डैवलमैंट के बारे में भी हम समुचित ध्यान दे सकेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : हम गृह मंत्री महोदय के उत्तर से प्रसन्न नहीं हैं. . .*(व्यवधान)* विशेष तौर पर वह एक ऐसे संवैधानिक अध्यक्ष का बचाव कर रहे हैं, जो बिहारियों को उकसा रहे हैं कि उन्हें आतंकवादियों से अपनी सुरक्षा करनी चाहिये. . .*(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय असम का दौरा करें. . .*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.22 बजे

इस समय श्री संतोष मोहन देव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

अपराह्न 3.23 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 15 दिसम्बर, 2000 को सभा में प्रस्तुत किए गये कार्य मंत्रणा समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 15 दिसम्बर, 2000 को सभा में प्रस्तुत किए गये कार्यमंत्रणा समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.24 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) राजस्थान में कोटा और केशवराय पाटन में चम्बल नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री रघुवीर सिंह कौशल (कोटा) : सभापति जी, कोटा राजस्थान का एक महत्वपूर्ण नगर है। यहां चम्बल नदी प्रवाहित है किंतु कोटा से केशवराय पाटन तक इस नदी में प्रदूषण हो रहा है। केशवराय पाटन तीर्थ स्थान है जहां मेले लगते हैं और लोग चम्बल नदी में स्नान करते हैं। प्रदूषण के कारण इसका महत्व कम होता जा रहा है। केन्द्र सरकार ने कोटा से केशवराय पाटन तक राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत चम्बल नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए 12 करोड़ 44 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं। प्रथम फेज में शौचालय, घाट विकास और शवदाह के लिए क्रमशः 63.85 लाख व 15.74 लाख रुपये जनवरी-2000 में स्वीकृत कर दिये हैं किंतु राज्य सरकार के डी.पी.आर. प्रस्तुत नहीं करने के कारण यह कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। चम्बल नदी का कोटा से केशवराय पाटन तक प्रदूषण से मुक्त होना सामाजिक, धार्मिक व स्वास्थ्य की दृष्टि से परमावश्यक है। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि राज्य सरकार से डी.पी.आर. शीघ्र प्रस्तुत कर कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दें।

(दो) किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति जी, भारतीय खाद्य निगम में कुप्रबंध के कारण करोड़ों रुपये की हानि हो रही है। भंडारण की उचित व्यवस्था के अभाव में हजारों क्विंटल गेंहू बाहर पड़ा है, सड़ रहा है और फेंकने योग्य हो गया है। देश के अधिकांश फ्लोर मिल मालिकों द्वारा अच्छे मूल्य पर गेहूं खरीदने के प्रस्ताव को निगम द्वारा ठुकरा दिया गया व विदेशों को कम मूल्य पर निर्यात का सौदा किया गया। इस प्रकार की कार्यवाहियों से जहां निगम को करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है वहीं किसानों को भी समर्थन मूल्य पर खरीदी से वंचित रहना पड़ा था।

मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि निगम के कार्यकरण को ठीक किया जाये जिससे किसान अपनी उपज का सही मूल्य लेकर लाभान्वित हो सकें और देश में गेहूं व अन्य खाद्यान्नों की आपूर्ति सुलभ बनी रहे।

अपराह्न 3.25 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए]

(तीन) मध्य प्रदेश के सागर नगर में पेयजल की समस्या का समाधान के लिए राजघाट परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर का मुख्यालय सागर नगर संभागीय मुख्यालय होने के साथ ही शिक्षा का भी बड़ा केन्द्र है। सागर नगर पिछले 10-15 वर्षों से पेयजल की समस्या का सामना कर रहा है जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानी

[श्री वीरेन्द्र कुमार]

उठानी पड़ती है। नगर की पेयजल समस्या का निराकरण करने हेतु बनाई गई राजघाट परियोजना धनराशि उपलब्ध नहीं होने से अभी तक पूर्ण नहीं हो सकी है।

अभी दिसम्बर माह में ही यह स्थिति बनी हुई है कि चार दिन में एक दिन नल से पानी दिया जाता है। कहीं-कहीं कुछ वार्डों में छः दिन में एक ही दिन नलों से पानी पहुंच रहा है, जिससे जनता काफी परेशानी हो रही है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सागर नगर की पेयजल समस्या का स्थायी हल करने हेतु राजघाट परियोजना को पूर्ण करने के लिए हुडको, नाबार्ड से धनराशि दिलाकर इसको शीघ्र ही पूर्ण कराया जाए, जिससे नगर की जनता को आसानी से पेयजल उपलब्ध हो सके।

(चार) चंडीगढ़ में सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजिकल पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, आधुनिक शहर चंडीगढ़, जिसकी आयोजना और विकास तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू के व्यक्तिगत प्रयास से किया गया था, ने शैक्षिक, पर्यटन, परंपरा और वित्तीय केन्द्र के रूप में अपनी व्यापक संभवनाओं का प्रदर्शन किया है। तथापि प्रशासन ने हाल ही में इस संघ राज्य क्षेत्र में सूचना-प्रौद्योगिकी संबंधी विकास की सम्भावना पर ध्यान दिया है। अच्छे वातावरण, आधारभूत ढांचे और शिक्षित नवयुवकों की अधिकता के कारण चण्डीगढ़ सूचना-प्रौद्योगिकी उद्योग के तेज विकास के लिए एक आदर्श स्थान हो सकता है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में व्यापक योगदान दे सकता है।

मैं सरकार से इस सम्बन्ध में सही अर्थों में प्रशासन की मदद करने और इस शहर में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना करने हेतु कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूँ।

(पांच) राजस्थान के बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सूखा प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री ताराचन्द भगोरा (बांसवाड़ा) : महोदय, दक्षिण राजस्थान एक जनजाति बहुल क्षेत्र है। मेरा संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा इसी क्षेत्र में है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जिला डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिले आते हैं। दक्षिण राजस्थान इस समय भंयकर अकाल की चपेट में है। इस तरह का अकाल पिछले 100 वर्षों में भी कभी नहीं पड़ा है। आम लोगों के सामने पेयजल, खाद्यान्न और रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है, पशुओं के लिए चारा नहीं है। जिस कारण मवेशी मर रहे हैं। गावों में कूवों तथा बावड़ियां सूख गई हैं। सबसे बड़ी समस्या यह पैदा हो गई है कि भूमि का जलस्तर बहुत ही नीचे चला गया है, जिस कारण हैंड पम्प तथा ट्यूबवैल से भी पानी आना बन्द हो गया है। दक्षिण राजस्थान के सीमावर्ती राज्य गुजरात और मध्य प्रदेश में लोगों ने पलायन भी किया, परन्तु वहां भी भयंकर अकाल होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। चारों तरफ पेयजल, चारा और अनाज न मिलने के कारण त्राहि-त्राहि मची हुई है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान सरकार को इस अकाल से निपटने के लिए जो राशि आप देने जा रहे हैं, उसमें और बढ़ोत्तरी करके ज्यादा से ज्यादा धनराशि इस अकाल से निपटने हेतु दी जाए।

(छह) केरल में कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री टी. गोविन्दन (कासरगौड़) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की ओर दिलाना चाहता हूं।

हालांकि भारत सरकार 24 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, लेकिन केरल को केवल नारियल गरी (कोपरा) के न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा मिलता है। केरल में विभिन्न कृषि वस्तुओं के भाव वर्ष 2000 से गिर रहे हैं। ऐसा मुख्य तौर पर विश्व व्यापार संगठन के समझौते के परिणामस्वरूप वैश्वीकरण के चलते कृषि वस्तुओं के अत्यधिक आयात के कारण हुआ है। अतः, केरल के सुपारी, काली मिर्च और कॉफी इत्यादि की फसल उगाने वाले संसाधन विहीन और जोखिम प्रभावित छोटे और सीमान्त किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यक्रम के माध्यम से सुरक्षा की जानी चाहिए।

ऐसी परिस्थितियों में, मैं केन्द्र सरकार से इन किसानों के हितों की सुरक्षा हेतु उपर्युक्त कृषि-वस्तुओं के लिए शीघ्र ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने का अनुरोध करता हूँ।

(सात) मिर्च बोर्ड (चिली बोर्ड) का गठन किए जाने की आवश्यकता

श्री वाई. वी. राव (गुंटूर) : महोदय, मिर्चें अनिवार्य वस्तु हैं और इसे देश के हर घर में प्रयोग में लाया जा रहा है। मिर्च की उत्पादकता, गुणवत्ता, संरक्षण और विपणन सुविधाओं इत्यादि के संवर्धन के लिए पृथक सांविधिक समिति बोर्ड का गठन करने की लंबे समय से मांग की जाती रही है।

हम अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए सांविधिक-बोर्डों की स्थापना कर चुके हैं जैसे चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड। ये बोर्ड बाजार की स्थिरता को बनाये रखने के लिए वस्तु की उत्पादकता, गुणवत्ता, विपणन और निर्यात के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं।

आंध्र प्रदेश में बेहतरीन गुणवत्ता की मिर्चों का अधिकतम उत्पादन होता है।

अतः मैं सरकार से एक पृथक मिर्च बोर्ड का गठन करने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूँ।

(आठ) उत्तर प्रदेश स्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : महोदय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय वर्तमान समस्त केन्द्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों में, (केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय छोड़ कर) प्राचीनतम है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना तत्कालीन लैफ्टिनेंट गर्वनर उत्तर प्रदेश सर एलफ्रेड कामिन्स लायल एक विद्वान तथा तत्कालीन शिक्षा मंत्री के प्रयास द्वारा सन् 1887 में हुई। इस विश्वविद्यालय के दो छात्र सन् 1942 और 1947 में देश के लिए शहीद हो गए। इस विश्वविद्यालय से ही शिक्षा प्राप्त करके कुछ माननीय व्यक्तियों ने देश का महत्वपूर्ण तथा सर्वोच्च पद ग्रहण किया है। इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विद्यालय में बदलने के लिए वर्षों से मांग उठती रही है परन्तु सरकार की तरफ से इस संबंध में आज तक कोई कार्यवाई नहीं हुई।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने के लिए तुरंत कार्यवाही की जाए। देश की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले इस विश्वविद्यालय को देश विदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाए तथा शिक्षा में और ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे सके।

(नौ) उड़ीसा के केन्द्रपाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक खंड मुख्यालय में और अधिक पेट्रोल/डीजल और रसोई गैस बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रभात सामन्तराय (केन्द्रपाड़ा) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान उड़ीसा में अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रपाड़ा में पर्याप्त संख्या में पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियाँ खोलने की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। केन्द्रपाड़ा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सात विधानसभा क्षेत्रों, 14 खण्डों, राज्य की सबसे पुरानी नगरपालिका और एक एन.ए.सी. से मिलकर बना है। इस निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या 14 लाख है और कई नदी अवरोधों ने इसे कई क्षेत्रों में बाँट दिया है।

इस समय, दो पेट्रोल पम्प और डीज़ल वितरण केन्द्र हैं—एक केन्द्रपाड़ा में और दूसरा पाटामुन्डई में और एक मात्र रसोई गैस एजेंसी केन्द्रपाड़ा में है। निर्वाचन क्षेत्र के एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। मौजूदा पेट्रोल पम्प/डीजल वितरण केन्द्र समूचे जिले की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है।

मैं सरकार से केन्द्रपाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक खण्ड मुख्यालय में कम से कम एक पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्र और एक रसोई गैस एजेंसी खोलने का अनुरोध करता हूँ। जब तक वैकल्पिक व्यवस्था न हो जाये, पड़ौसी क्षेत्रों, कटक, भुवनेश्वर, पारादीप, जगतसिंहपुर और भद्रक की गैस-एजेंसियों को केन्द्रपाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपभोक्ताओं की आवश्यकतायें पूरी करने का निर्देश दिया जाये।

(दस) बिहार में वैशाली को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, वैशाली भगवान बुद्ध की कर्मभूमि भगवान महावीर की जन्मभूमि और लिच्छवी गणतंत्र अर्थात् जनतंत्र की जन्मभूमि रही है। सरकार 2600वां जयंती भगवान महावीर की मनाने जा रही है। सन् 56 में तत्कालीन राष्ट्रपति ने वहां शिलान्यास किया था।

अत: मैं मांग करता हूं कि उपरोक्त ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थल के विकास हेतु राज्य सरकार से प्रस्ताव मंगा कर पर्यटन स्थल को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने हेतु कार्रवाई करें।

(ग्यारह) बोडोलैंड, तेलंगाना आदि जैसे अलग राज्यों का गठन किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : महोदय, देश के अविकसित क्षेत्रों के चतुर्मुखी विकास के लिए अविरोध उत्तरांचल, झारखंड, और छत्तीसगढ़ की भाँति बोडोलैंड, गोरखालैंड, तेलंगाना, विदर्भ हरित प्रदेश। पंचाल, बुंदेलखड, कुर्ग। कोडागू और अन्य कुछ अलग राज्यों की स्थापना के लिए केन्द्र में राजग सरकार को कुछेक सकारात्मक और ठोस राजनीतिक नीतिगत निर्णय लेने और सांविधानिक प्रयास करने की अत्यंत आवश्यकता है।

(बारह) बिहार में नदियों द्वारा हो रहे भारी भूक्षरण को रोकने के लिए समुचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. संजय पासवान (नवादा) : सभापति जी, पिछले कई वर्षों से बिहार की प्रमुख नदियों जैसे गंगा, कोसी, बूढ़ी गंडक, गंडक एवं अन्य नदियों में हो रहे भीषण कटाव से लाखों की आबादी तबाह हो रही है एवं हजारों गांव इस कटाव से जल समाधि ले चुके हैं। इस कारण से नदियों के किनारे बसने वाली आबादी बहुत ही संकटग्रस्त है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस भीषण कटावों एवं भूमिक्षरण से नदी के किनारे बसी आबादी की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

[अनुवाद]

अपराह्न 3.36 बजे

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण), विधेयक-जारी

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : माननीय, सभापति महोदय, पिछले शुक्रवार, मैंने बालकों के साथ दुर्व्यवहार के कुछ तरीकों और स्थितियों का उल्लेख किया था जो बालकों को अपाहिज, अनाथ, बेघर, सदमे की स्थिति, आत्मरक्षाहीन और विक्षिप्तावस्था तक पहुंचाते हैं।

[श्री पवन कुमार बंसल]

इस विधेयक में उन कतिपय स्थितियों का संज्ञान तथा उपबंध तो है किंतु किशोरों के प्रति अपराध करने वाले को दंड देने के बारे में पूरी तरह मौन हैं।

यह एक बहुत बड़ी खामी है जिसकी ओर बालकों के अधिकारों संबंधी सम्मेलन के प्रतिज्ञापत्रों के मद्देनज़र जब कानून में परिवर्तन किया जा रहा है में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, यह सोच कर रोंगटे खड़े होते हैं कि, परंतु ऐसी घटनाएं हुई हैं जब, एक प्राशिक्षक प्रवृत्ति वाले पिता द्वारा स्वयं के बच्चे का ही यौन शोषण किया गया। फिर ऐसे भी मामले हैं, जहां मुझे लगता है कि इस तरह के कानूनों का दायरा बढ़ाने की गुंजाइश है ताकि इसमें अजन्में या नवजात शिशुओं की हत्या के मामले भी शामिल हो सके। इस बाबत सरकार मौन है।

इस विधान के अंतर्गत विशेष गृह जैसे, बाल गृहों इत्यादि को चलाने संबंधी मामले में, हालाँकि मैं इस विधान के अंतर्गत सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के उपाय और उत्प्रेरक के रूप में पंचायतों और महानगरपालिकाओं को, देर से ही सही, मान्यता देने की भावना का प्रशंसा करने के साथ ही, मैं इन निकायों पर अधिक विश्वास करने की और इन संस्थाओं को आधारभूत लोकतंत्र के सजीव माध्यम के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने आवश्यकता का भी समर्थन करता हूं। इसके साथ ही मेरा यह मानना है कि इन निकायों के प्रतिनिधियों को बालगृहों तथा सलाहकार बोर्डों की जांच करने हेतु इन समितियों में शामिल किया जाना एक स्वागत योग्य कदम है। इस विधान के अतंर्गत सामाजिक जांच के साथ भी इन्हें स्वयं को सम्बध रखना चाहिए। परंतु, मुझे यह लगता है कि बंदियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने और उन्हें रिहा करने के अधिकार देने से समस्याएँ उत्पन्न हो सकती है, विशेषकर जब मामला एक राज्य से दूसरे राज्य स्थानांतरित करने का हो। मेरे विचार से इन कार्यों को किशोर न्याय बोर्ड अथवा कल्याण समितियां अच्छी तरह से निभा सकती हैं जो इस विधान के अंतर्गत उपयुक्त प्राधिकारी है।

महोदय, स्वैच्छिक संगठनों को भी अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए अहम भूमिका सौंपी गई है और ऐसा करना अभीष्ट है परन्तु यह उनके लिए बहुत कठिन हो सकता है कि वे विशेष गृहों को चलाएं और जो किसी 17 या 18 साल के लड़के को, जो किसी गंभीर अपराध में लिप्त पाया गया हो जैसे मामलों को भी संभालें। मेरे मतानुसार ऐसे कार्य को राज्य में प्रशिक्षित, लोक भावनाओं को समझने वाले और बच्चों से प्रेम रखने वाले अधिकारियों के माध्यम से ही बेहतर ढ़ंग से कर सकते हैं, जो अन्यथा मात्र अधिकारी ही कहे जाएंगे। अन्य सभी मामलों, जिनमें बालगृहों का और देखभाल केन्द्रों का निरीक्षण और साथ ही सामाजिक लेखा परीक्षण इत्यादि शामिल है, में जाने माने स्वयंसेवक संस्थानों का संगठन, इस उद्देश्य की पूर्ति अच्छी तरह कर सकता है और मैं भी इस कार्य का समर्थन करता हूँ।

जैसा कि मैंने उस दिन कहा था, इस विधेयक को जल्दबाजी में लाया गया है, बिना इस बात पर विचार करें कि कई प्रावधानों का कानूनी असर क्या पड़ेगा उदाहरण के लिए, खंड 32 के साथ पठित खंड 33 में भ्रम और जांच की पुनरावृत्ति की गुंजाइश रहती है। तथा तत्पश्चात् उस पर प्रतिवेदन देने की संभावना रहती है। महोदय, किसी भी बच्चे को कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित करने के पुलिस को अधिकार या पात्रता को विभिन्न अन्य लोगों के समकक्ष रखने से मुझे लगता है कि ऐसा कोई कारण नहीं कि ऐसा उपबंध किया जाए जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को समिति के समक्ष उपस्थित करना चाहता है उसे पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़े क्योंकि बच्चे को समिति के समक्ष उपस्थित करने से पहले पुलिस अपनी जांच आरंभ नहीं करेगी। ऐसी जांच बच्चे को समिति के समक्ष उपस्थिति से पहले ही की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस मामले में मात्र समिति को ही रिपोर्ट करने की आवश्यकता है और फिर यह समिति का दायित्व होगा कि अंतिम निर्णय लेने से पहले वह किसी भी सामाजिक कार्यकर्त्ता और किसी संस्थान को इस मामले में जांच करने के लिए प्रधिकृत करें। महोदय, इसके लिए मैंने इस विधेयक के खंड 33 के लिए एक संशोधन का सुझाव दिया है। फिर खंड 32 (i) (iv), के अंतर्गत एक सामाजिक कार्यकर्त्ता अथवा किसी श्लोक भावना से युक्त नागरिक को समिति के समक्ष बच्चों को पेश करने के पूर्व सर्वप्रथम राज्य सरकार से प्राधिकार प्राप्त करने की बात के पीछे औचित्य मेरी समझ में नहीं आता है। इससे मामले में अनावश्यक देरी होगी, विशेषकर उन मामलों में जहाँ समय का सर्वाधिक महत्व होता है। इस विधेयक में मात्र यह प्रावधान होना चाहिए था कि जो व्यक्ति समिति के समक्ष बच्चों को पेश करना चाहता है उसे केवल संबंधित समिति से प्राधिकार अथवा अनुमति प्राप्त करनी हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं चाहता था कि इन संशोधनों पर सरकार ध्यान दे परंतु मुझे खेद है कि इस तथ्य के बावजूद कि मैंने इन संशोधनों की सूचना कई दिन पहले दी थी, सरकार ने उस पर विचार करना जरूरी नहीं समझा।

महोदय, परित्यक्त अथवा अनाथ बच्चों को अपनाने की जिम्मेदारी राज्य से अधिक समाज की है क्योंकि यह परिवार है न कि संस्थाएं जहां शिशु के विकास का अच्छी तरह हो सकता है। यह खुशी की बात है कि आज परिवार लड़कियों को भी गोद लेने के लिए आगे आ रहे हैं। इसे सरकार, मीडिया, एनजीओ और गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। परंतु साथ ही, उन गिरोहों जो निर्दोष बच्चों को अमानवीय तथा क्रूर खेलों जैसे ऊँठ दौड़ आदि जिसमें डरे और रोते हुए बच्चों को ऊटों की पीठ पर बांध दिया जाता है ऐसी खबरें पहले छपी थी के लिए गोद लेने का धंधा करती हैं, को रोकने और सजा देने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

विधेयक में मैं एक और बात की कमी महसूस करता हूँ, यह ठीक है कि कल्याण समितियों की संरचना तथा प्रकृति में परिवर्तन किया गया है। उन्हें नौकरशाह और न्यायालय से अधिक मानवीय बनाया गया है। लेकिन इसमें इन बोर्डों और समितियों के सदस्यों को मानदेय आदि के संदाय का कोई उपबंध नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ कि इसका उपबंध किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री की इस विधेयक को पुर्नस्थापित करने और अविलम्ब पारित करने की उत्सुकता को समझता हूं। परंतु, प्रारूप बनाने या इसे स्थाई समिति को भेजने के लिए थोड़ा सा ही अतिरिक्त समय देने के कारण- इसे पहले ही किया जा सकता था। मैं इसे अभी करने के लिए नहीं कह रहा

हूं, परंतु यदि यह किया जाता तो कुछ कमियाँ, खामियाँ और गलतियों का परिहार किया जा सकता था और हम ऐसे विधान बना पाते जो हमेशा न्यायालय की परीक्षा पर खरा उतरता। पुन: मैंने इससे संबंधी संशोधन का सुझाव दिया है। उदाहरण के लिए क्रमश: खंड 4 और 29 के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड या कल्याण समिति के सदस्यों, यदि वह वार्षिक बैठकों की कम-से-कम तीन चौथाई बैठकों में उपस्थित होने में असफल हों की नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। यहाँ जो वाक्य इस्तेमाल किया गया है वह है, 'यदि वह एक वर्ष में तीन-चौथाई से कम बैठकों में उपस्थित होने में असफल रहता है। महोदय ऐसी शर्त इन प्रावधानों को विपरीत अर्थ देगी और सरकार के इरादों को भी अस्पष्ट करेगी। मेरे विचार से इस का खुलासा करने की आवश्यकता है। इस विधेयक में जैसे कि अब यह प्रावधान है "यदि वह तीन-चौथाई से कम बैठक में उपस्थित रहने में असफल रहता है", 50 प्रतिशत या आधा तो तीन चौथाई से कम होता है, परन्तु यहाँ कहने का आशय यह नहीं है कि वह सदस्य अपनी सदस्यता से हाथ धो बैठेगा या यदि वह 50 प्रतिशत बैठकों में उपस्थित नहीं हो सकेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। यहाँ शर्त यह है कि वह कम से कम 75 प्रतिशत बैठकों में उपस्थित है, और इसलिए, जो शब्द यहाँ इस्तेमाल होने चाहिए थे, मैं बलपूर्वक कहता हूँ कि होने चाहिए थे कि यदि वह 'कम से कम' तीन चौथाई बैठकों में उपस्थित रहने में असफल होता है।

सरकार को इन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। यदि कभी किसी मुद्दे को न्यायालय में ले जाया जाता है तो इससे समस्या पैदा हो सकती है। यदि कोई सदस्य कहे, कि वह वर्ष में 50 प्रतिशत बैठकों में उपस्थित हुआ है तो वह प्रावधान की शर्तों को पूरा करता है चाहे वह तीन चौथाई बैठकों में उपस्थित रहने में असफल होता है तो, वह कह सकता है, "प्रमुख शब्द है" 'तीन चौथई से कम' है और में तीन चौथाई से कम बैठकों में उपस्थित होने में असफल नहीं हुआ हूं।

महोदय, मुझे लगता है कि इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, और यहां 'से कम' के स्थान पर 'कम से कम' शब्द का इस्तेमाल समस्या को सुलझा सकता है।

इसके साथ ही, विधेयक में एक अन्य प्रावधान है जिसके अंतर्गत यदि कोई सदस्य लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकेगी, लेकिन इसके आगे 'उपयुक्त कारण' शब्द जोड़े गए हैं, जो ठीक है। मुझे लगता है यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त कारणों से कम से कम 75 प्रतिशत बैठकों में उपस्थित नहीं हो पाता है तो उस स्थिति के लिए भी प्रावधान, शर्त या धारा इसमें जोड़ी जानी चाहिए थी। क्योंकि हो सकता है कि किन्हीं ठोस कारणों कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित न हो पा रहा हो।

केवल सरकार द्वारा किसी व्यक्ति के विदेश भेजे जाने का कोई उचित कारण होना चाहिए और यदि वह कम से कम 75 प्रतिशत बैठकों में भाग नहीं लेता तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है क्योंकि ऐसी अनुपस्थिति को उचित ठहराने का स्पष्टीकरण देने का उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री ने इसे नोट कर लिया होगा।

अपनी बात समाप्त करते हुए जहां मैं विधेयक की प्रशंसा कर रहा हूँ वहीं यह भी कहना चाहूँगा कि इन लक्ष्यों को मात्र कानूनी उपायों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन मामलों को लेकर समुदाय, गैर सरकारी संगठनों और मीडिया को संवेदनशील होने की आवश्यकता है ताकि नवजात शिशुओं और बच्चों से संबंधित मामलों पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जा सके। राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में लोक सेवकों और गैर सरकारी संगठनों की उत्साहपूर्वक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि जरूरतमंद बच्चों को यह आश्वासन दिया जा सके कि उनकी देखभाल के लिए कोई है। इसी तरह अपराधी बच्चों को भी न केवल आश्रय, देखभाल और नैतिक खतरे या शोषण की दृष्टि से संरक्षण मिलना चाहिए—बल्कि शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान करना चाहिए—जब मैं 'व्यावसायिक प्रशिक्षण' की बात कर रहा हूँ तो यह उनकी रूचि और इच्छा के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि काफी पहले जब मैं ऐसे ही संस्थानों में से एक संस्थान में गया था तो मैंने देखा कि एक छोटे बच्चे से नाई का काम करवाया जा रहा था जिसमें उसकी शायद ही रुचि हो। इसलिए बच्चे की रुचि और उसकी पसंद को देखते हुए ही व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए और उन्हें प्रशिक्षण के बाद डिप्लोमा जैसा कोई प्रमाण-पत्र देना चाहिए तथा उन्हें बाद में रोजगार के लिए आवेदन करने का अधिकार भी होना चाहिए। बच्चे के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने की योग्यता और चरित्र के विकास के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध करानी चाहिए।

इस आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इस संबंध में आज और उस दिन जिस दिन मैंने यह चर्चा आरम्भ की थी, जो सुझाव व्यक्त किए थे, गौर करेंगे। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूँगा कि बच्चों से जुड़े पूरे मामले पर एक ठोस कदम उठाया जाए और इनसे जुड़े सभी मामलों को एक मंत्रालय के अधीन रखने पर विचार किया जाए। तभी हम बच्चों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का संभवत: अच्छी तरह समाधान कर सकेंगे और यह कदम बेहतर परिणाम देने वाला हो सकता है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, भारतवर्ष प्रतिवर्ष 14 नवम्बर को पंडित जवाहर लाल नेहरू की याद में बाल दिवस मनाता है और मुझे प्रसन्नता है कि आज जो बिल माननीय मंत्री जी द्वारा सदन में पेश किया गया है, वे भी उसी परिवार की पुत्रवधू हैं। उन्होंने बालकों के दर्द को समझा है। किशोर न्याय अधिनियम 1986 का बना हुआ है। दो प्रकार के बालक हैं एक जिन्होंने विधि या कानून का उल्लंघन किया है और दूसरे वे हैं जिनकी देखरेख और संरक्षण के लिए उन जरूरतमंद बालकों पर अधिक ध्यान देना जरूरी है। इस तरह से दो प्रकार के बालक हैं। अब इनकी आयु 16 वर्ष की गई है, पहले इनकी आयु 14 वर्ष थी, इन बालकों की आयु दो वर्ष और बढ़ाने के लिए मंत्री जी बधाई की पात्र हैं। कुछ प्रतिष्ठित और सक्षम स्वैच्छिक संगठन बनें जो जरूरतमंद बालकों को आश्रय दे सकें, ऐसे संगठन स्थापित किये जाएं और राज्य सरकार उन्हें मान्यता दे। उनका खर्चा चलाने के लिए आपने जो प्रावधान किया है कि वह राज्यों की संचित निधि में से पूरा किया जायेगा, जो कि 50 प्रतिशत के बराबर होगी और केन्द्र सरकार भी उसे मदद करेगी। दोनों मिलकर बालकों के उत्थान का काम करेंगे। परंतु मेरा कहना यह है कि अभी भी बालकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

रहा है। उनके साथ ठीक प्रकार का व्यवहार नहीं किया जा रहा है। चाहे वे अपराधी बालक हों या उपेक्षित बालक हों, यद्यपि उन दोनों बालकों को अलग-अलग रखने का प्रावधान है, लेकिन उसका भी पालन नहीं हो रहा है। अपराधी बालक और उपेक्षित बालक दोनों को एक ही जेल में और एक ही कक्ष में रखा जा रहा है। यह एक गम्भीर बात है।

सभापति महोदय, मेरा कहना है कि कोई अधिनियम नहीं है, पुलिस वालों को भी इसकी जानकारी नहीं है। बस बालक आ गया, उन्होंने उसे पकड़कर बैठा दिया, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, 16 वर्ष का हो या 18 वर्ष का हो। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि पूरे देश के लिए एक प्रावधान होना चाहिए, एक अधिनियम होना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने उस दर्द को समझा है और एक कानून बनाने का उन्होंने प्रावधान किया है जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, प्रत्येक थाने में अधिनियम की प्रतिलिपि का होना भी बहुत जरूरी है। पुलिस वाला जो वर्दी पहन लेता है, उसके बाद उसके सामने चाहे छोटा आ जाए या बड़ा आ जाए, लड़का आ जाए या लड़की आ जाए, मैं समझता हूं कि वह गाली देने और थप्पड़ लगाने के अलावा और कुछ नहीं करेगा। वहां बच्चों को कोई स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। समाज कल्याण के द्वारा चलने वाले जो संरक्षणगृह हैं, उनमें भी चाहें वे अपराधी बच्चे हों या उपेक्षित बच्चे हों, उन्हें उनकी क्षमता से अधिक रखा जाता है। इसके अलावा मान्यवर दिल्ली में तिहाड़ जेल मशहूर है, उसमें भी उन अपराधी और उपेक्षित बालकों को चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, एक साथ, एक ही बैरक में रखा जाता है। छः वर्ष तक के बच्चों को एक साथ रखा जाता है।

सभापति महोदय, मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है कि इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग बने और वह आयोग उच्चतम न्यायालय के अधीन हो। इसी प्रकार से राज्यों में भी आयोग बने और जिलों में भी आयोग बने। जो वहां के न्यायालायों के प्रति उत्तरदायी हो। यदि ऐसा कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि देश में कुछ काम हो सकेगा। वरना यह बहुत मुश्किल काम है और इस मुश्किल काम को करने के लिए मैंने आपके सामने सुझाव रखा है कि एक राष्ट्रीय आयोग बने, जो उच्चतम न्यायालय के नीचे हो, राज्यों में आयोग बने जो हाईकोर्ट के नीचे हो और जिला न्यायालय के नीचे आयोग बने, तब कहीं यह काम ठीक से हो सकता है। आज भी लाखों बच्चे अनपढ़ हैं, वे कल-कारखानों में काम करते हैं, कहीं होटलों में चाय के प्याले धोते हैं, कहीं बुनाई का काम करते हैं। अधिकतर बच्चे छोटे-मोटे कामों में लगे हुए हैं और एक प्रकार से उन सबकी स्थिति दयनीय है। वे बच्चे भूखे सोते हैं, भूखे मरते हैं। यदि इन उपेक्षित बच्चों को गोद लेने की प्रथा हो जाए, कुछ एम.पी.साहेबान भी जिन्हे लड़का या लड़की गोद लेनी हो, यदि वे भी गोद ले लें तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हम बहुत बड़ा योगदान कर सकेंगे। यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

इसके बाद मेरा मानना है कि कई जगह डाक्टर्स ही नहीं हैं। डाक्टर्स आते हैं तो दिन में, रात में यदि बच्चों की तबीयत खराब हो जाए तो बच्चों की देखभाल करने वाले डाक्टरों और कर्मचारियों का अभाव है। भारत सरकार ने एक योजना प्रारंभ की थी कि स्कूल के बच्चों को नाश्ता और भोजन दिया जाएगा। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि भारत सरकार ने जो प्रयास किया था बच्चों को नाश्ता देने का, उस कार्यक्रम को पुनः चालू किया जाए और सही खाना बच्चों को नाश्ते में दिया जाए। इस संबंध में निश्चित रूप से आप विचार करें। मेरा निवेदन है कि एक आयोग बने और बाल मजदूरी प्रथा जो देश में लागू है, वह समाप्त हो।

आंकड़ों के आधार पर भी यदि आज हम देखते हैं तो एक सर्वे के अनुसार बच्चों में बढ़ते अपराध का चेहरा स्पष्ट नज़र आता है। 1997 में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बलात्कार के 4414 मामले दर्ज हुए, बाल हत्या के 107 मामले दर्ज हुए और भ्रूण-हत्या के 57 मामले दर्ज हुए। आठ बच्चों को हत्या के लिए बाध्य किया गया। इसलिए भारतवर्ष में बच्चों की ठीक से देखरेख हो क्योंकि बच्चे ही भारत के भावी नागरिक हैं और वे ही भारत का भविष्य हैं। बच्चों की देखभाल ठीक होगी तो भारतवर्ष के भावी नागरिक ठीक से उन्नति कर सकेंगे और प्रगति कर सकेंगे।

इसलिए मंत्री जी जो बिल लाई हैं, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और निश्चित रूप से, बालकों के हित के बारे में जो कमियां इस बिल में रह गई हैं, उनको मंत्री जी ठीक कर लें। मैं समझता हूं कि जब माननीय मंत्री जी जानवरों के प्रति कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल के प्रति - दयावान हैं तो बच्चों के प्रति उनके मन में जो ममत्व है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री बालकृष्ण चौहान (धोसी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक किशोर न्याय विधेयक जो बालकों की देख-रेख के लिए प्रस्तुत है, जिस पर बोलने के लिए आपने समय दिया, मैं आपका आभारी हूँ।

किशोर न्याय विधेयक 1986 को निरसित करते हुए एक नये रूप में जो विधेयक लाया गया है, वह सरकार की इस मंशा को उजागर करता है कि बालकों के प्रति सरकार सोच रही है। लेकिन पूरी तरह मेरा यह मानना है कि यह सोच दिखावटी और बनावटी है। संविधान में मूलभूत अधिकारों के अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत दिया गया है - 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा। लेकिन उसको अब तक लागू न करने के कारण जो गरीब घर के लड़के हैं, जिनके मां-बाप बेरोजगार हैं या जो अनाथ हैं, वे सड़कों पर घूमते हैं, कूड़ा बीनते हैं, छोटे-मोटे उद्योगों में -- बीड़ी उद्योग, माचिस उद्योग या पटाखा फैक्ट्रियों में काम करते हैं। उनका शोषण होता है। फिकी के सभागार में माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया कि हर वर्ष 10000 नौकरियों को समाप्त किया जाएगा और आप ही की सरकार जो उत्तर प्रदेश में बैठी है, वह भी दस दिन पहले कह चुकी है कि 10000 नौकरियों को खत्म किया जाएगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिन अभिभावकों की नौकरी हट जाएगी - उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? उसका सीधा प्रभाव बालकों पर पड़ेगा। सरकार का यह कदम सरासर अनुचित है। यदि हम बच्चों का हित चाहते हैं, बालकों का हित चाहिए तो पहले उनके अभिभावकों को भी रोजी से जोड़ना होगा। इनकी यह कहना कि वे प्राइवेट नौकरियों में अपनी रोजी रोटी तलाश करें, संविधान की मूल समाजवादी भावना के विपरीत है, उससे सरकार दूर हट रही

है। समाजवादी भावनाओं के अंतर्गत जो भी इंप्लाइज काम करते हैं, उसमें वे अपना काम समझकर करते हैं जबकि प्राइवेट नौकरी करेंगे तो किसी मालिक के अंतर्गत मजदूर होकर नौकरी करेंगे - न उसको ग्रैच्युटि मिलेगी, न बोनस मिलेगा, न मैडिकल, न अर्नलीव, न कैजुअल लीव और न पेन्शन मिलेगी। उसके बच्चे भूखों मरेंगे।

अपराह्न 4.00 बजे

सभापति महोदय, इस तरह से विधेयक लाकर के बच्चों के लिए केवल दिखावा और नाटक हो रहा है, लेकिन मैं इसका विरोध इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कुछ नहीं होने से कुछ होना तो अच्छा है। इसलिए मैं इसका विरोध न करते हुए माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि इसमें और संशोधन होना चाहिए और इस हेतु यदि सरकार कुछ और समय लेना चाहे, तो वह और समय ले ले ताकि बच्चों के जो हित मारे जा रहे हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसे दूर किया जा सके।

सभापति महोदय, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो विधेयक लाया गया है, वह सरकार ने अच्छी प्रकार से सोच-विचार कर के पेश नहीं किया है। इसमें किशोर न्याय के दो हिस्से किए गए हैं। अपराधी बालकों और वंचित तबकों के बालकों को अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है। जो वंचित तबकों के बालक हैं वे ही सुविधा विहीन बालक हैं। मैं कहना चाहूंगा कि वे सुविधा विहीन और वंचित क्यों है, इस बारे में सरकार विचार करे और ऐसे बालकों के लिए आप चिल्ड्रन होम बनवाएंगे और आवास के लिए समितियों को ले जाएंगे। उससे इनका कल्याण नहीं होगा। मेरा सुझाव यह है कि सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप ऐसे बालकों के अभिभावकों को इंगेज करें और उनको आर्थिक मदद और बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दे देते हैं, तो ऐसे बच्चे लावारिस होकर सड़कों पर नहीं घूमेंगे और ऐसा करने से सरकार पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि इस विधेयक में और संशोधन लाते हुए बच्चों के अधिकारों का संरक्षण किया जाए और बच्चों का जो लैंगिक दुरुपयोग होता है, उसको बलात्कार की श्रेणी में लाया जाए। अभी स्थिति यह है कि लैंगिक दुरुपयोग को प्राकृतिक मैथुन करार देते हैं और उसे बलात्कार की अवधारणा में नहीं लेते हैं जिससे उन बच्चों का लैंगिक और यौन शोषण हो रहा है। दूसरे प्रकार का एक अत्याचार बच्चों पर यह भी हो रहा है कि उनका अपहरण कर के उनके गुर्दे और अन्य अंग-प्रत्यंग निकालकर उन्हें बेच दिया जाता है। बच्चों को भीख मांगने के लिए प्रेरित करते हैं और भीख मंगवाने के लिए उन्हें स्थाई रूप से विकलांग बना देते हैं। इसलिए मेरा मंत्री जी को सुझाव है कि बच्चों यानी किशोरों के ऊपर अत्याचार रोकने के लिए ठोस कानून बनने चाहिए ताकि उनका उद्धार हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर) : माननीय सभापति महोदय, मैं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक 2000 का भरपूर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ जिसे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की माननीय राज्य मंत्री ने सभा के समक्ष विचार एवं पारित करने के लिए प्रस्तुत किया है। मैं अपने दल, डी. एम.के. पार्टी की ओर से इस विधेयक का भरपूर समर्थन करता हूँ।

सबसे पहले, भारत के बच्चों की ओर से मैं माननीय मंत्री श्रीमती मेनका गांधी को धन्यवाद देना चाहूँगा।

मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभारी हूँ क्योंकि केवल उन्हीं की सक्रिय भूमिका के कारण ही यह विधेयक आज संभवत: पारित हो पाएगा। आम तौर पर होता यह है कि संसद कई विधेयक पारित करती है किंतु कई विधेयक सरकार के लिए मील का पत्थर बन जाते हैं। इस विधेयक की तरह ही अन्य ऐसे विधेयक जो बच्चों की जीवन-शैली को बदल देते हैं इनसे समाज के एक विशेष वर्ग की जीवन-शैली में भी परिवर्तन आ जाएगा।

यह एक अच्छा विधेयक है। बच्चों से संबंधित कुछ मामलों जैसे, क्या बच्चों को उचित मार्ग निर्देशन और संरक्षण प्राप्त हो सकेगा, क्या यह बच्चों के हित में है, आदि को नोट कर, कुछ कड़े उपाय किए गए।

'देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चें' से संबंधित उपबंध के सभी पहलुओं को उद्देश्यों और कारणों के कथन और विधेयक के खण्ड 2 (घ) दोनों में अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है।

इस विधेयक के अंतर्गत प्रस्तावित दण्ड कड़े नहीं हैं।

खण्ड 25 के अनुसार : 'जो कोई सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के आदेश या बीमारी से अन्यथा किसी किशोर या बालक को लोक स्थान में कोई मादक लिकर या कोई स्वापक औषधि या मन: प्रभावी पदार्थ देगा या दिलवाएगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा'।

इस बारे में, मैं कहना चाहूँगा कि कुछ कड़े दण्ड आवश्यक हैं। तीन साल का साधारण कारावास पर्याप्त नहीं है; यह काफी हल्का दण्ड है।

महोदय, खण्ड 21 के लिए मैं माननीय मंत्री जी की प्रशंसा करना चाहूँगा जिसमें किसी कार्यवाही में शामिल किशोर अपराधी के नाम, पते,या विद्यालय को उजागर करने पर रोक लगाई गई है। माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तावित यह कदम स्वागत योग्य है।

महोदय, खण्ड 34 जैसे खण्डों को सम्मिलित करना भी स्वागत योग्य कदम हैं। यह बच्चों के आवास से संबंधित है। इसके अनुसार, राज्य सरकारें स्वंय या स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से प्रत्येक जिले में बाल-गृहों की स्थापना और उसका रख रखाव करेगी। बच्चों की उचित देखभाल के लिए यह एक अच्छी व्यवस्था हो सकती है।

महोदय, खण्ड 35 में साफ तौर पर कहा गया है कि : 'किसी राज्य, जिले या किसी नगर की निरीक्षण समिति में राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, समिति, स्वैच्छिक संगठनों से उतनी संख्या में प्रतिनिधि होंगे और ऐसे अन्य चिकित्सा विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जो विहित किए जाएं।' यह स्वागत योग्य कदम है।

महोदय, यह विधेयक किशोर न्याय अधिनियम 1986 को निरस्त करने के लिए पुर: स्थापित किया गया है। इस विधेयक में किशोरों

[श्री आदि शंकर]

और बच्चों पर अधिकाधिक ध्यान दिया गया है। व्यस्कों पर लागू होने वाली न्याय प्रणाली किशोरों के लिए उपयुक्त नहीं है। इस बात को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि किशोर न्याय, जरूरतमंद किशोरों तक पहुंच सके।

महोदय, इस विधेयक के अन्य प्रस्ताव हैं, बालक और बालिका दोनों के लिए 18 वर्ष की एक समान आयु और किशोरों के विरुद्ध मामलों का शीघ्र निपटान। यह भी अच्छी बात है कि मामलों के निपटान के लिए इसमें समय सीमा का और विशिष्ट किशोर पुलिस इकाईयों के गठन का भी प्रावधान है। ये सभी स्वागत योग्य कदम हैं।

यह विधेयक, किशोरों और बच्चों की उचित देखरेख और संरक्षण के उद्देश्य से पुन:स्थापित किया गया है। डी॰ एम॰ के॰ पार्टी की ओर से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

***श्रीमती संध्या बौरी** (विष्णुपुर): माननीय सभापति महोदय, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक, 2000 पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक को लाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री का भी धन्यवाद करती हूँ। विधेयक का समर्थन करने के बाद अब मैं, अपने देश में बच्चों की स्थिति के बारे में कुछ विचार व्यक्त करना चाहूँगी। हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 के खण्ड 3, अनुच्छेद 39 के (ड) व (च) और अनुच्छेद 45 व 47क के अनुसार, महिलाओं और बच्चों को कुछ अधिकार व संरक्षण दिए गए हैं।

स्वास्थ्य और शारीरिक रूप से हानिकर कार्यों के लिए महिलाओं और बच्चों को नहीं लगाना चाहिए। हमारे संविधान में प्रावधान है कि बच्चों के सम्पूर्ण विकास के लिए उचित अवसर प्रदान किए जाएं ताकि वे अपना बचपन और युवावस्था उचित प्रकार से व्यतीत कर सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के 10 वर्षों के भीतर सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराई जाए और निश्चित अधिकारों और संरक्षण की भी व्यवस्था की गई किंतु वास्तविकता क्या है? अधिकतर बच्चे प्राथमिक शिक्षा के मूल अधिकार से वंचित हैं। आखिर ये बच्चे क्यों नहीं पढ़-लिख सके और अनपढ़ रह गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के 52 वर्षों के बाद भी हमें संवैधानिक अधिकारों की पूर्ति न होने के कारण तलाशने होंगें। जब हमें स्वतंत्रता मिली तो हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री ने यह महसूस किया कि देश की उन्नति और विकास शिक्षा पर निर्भर करता है। हमारे देश में मानव संसाधन सबसे कीमती संसाधन है। हम तब तक समृद्ध नहीं हो सकते जब तक हम अपने मानव संसाधन का उपयोग, उन्हें उचित शिक्षा और उनके सम्पूर्ण विकास के लिए प्रशिक्षण देकर नहीं करते। यह भी महसूस किया गया कि रक्षा और शिक्षा के बजट का आवंटन समान रूप से होना चाहिए किंतु असलियत में क्या होता है। शिक्षा के लिए मात्र एक प्रतिशत बजट उपलब्ध कराया जाता है। जब शिक्षा के लिए बजट को छः प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग की जाती है तो यह केवल तीन प्रतिशत ही बढ़ाया जाता है। इसके परिणामस्वरूप बहुत सारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, हमने देश की आर्थिक व्यवस्था और मौजूदा स्थितियों में 40 प्रतिशत जनसंख्या, गरीबी की रेखा के नीचे बसर करते हैं और इसीलिए अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ हैं। स्वास्थ्य के लिए बजट में केवल दो प्रतिशत का आवंटन हुआ है। परिणामस्वरूप अधिकांश गरीब बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। चूंकि इन बच्चों को हर प्रकार की, चाहे वह खाना हो, शिक्षा हो, मनोरंजन हो अथवा अन्य किसी प्रकार की सुविधाएं हों, का अभाव है इसलिए उनका सामान्य विकास नहीं हो पाता। आसपास का दुषित माहौल इन बच्चों को अक्सर आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर धकेलता है। ये बच्चे ईश्वर का प्रतिरूप हैं। जब वह जन्म लेता है, उस समय वह अपराधी नहीं होता है। परंतु उचित शिक्षा की कमी, सामान्य माहौल, उचित भोजन, कपड़े और जीवन की मूलआवश्यकताओं की कमी उसे आपराधिक गति विधियों में संलिप्त करती हैं। हमारी दोषपूर्ण आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के कारण ऐसा होता है। इन अभाग्यशाली बालकों को उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। जब वे जोखिमभरे कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं।. तो आसानी से पैसा प्राप्त करने के लिए उन्हें आपराधिक जगत की ओर धकेल दिया जाता है। अत: वे जन्मजात अपराधी नहीं होते। वे तो अपने परिवेश के शिकार हैं। और यही उन्हें अपराधी बनने के लिए मजबूर करता है। इन बच्चों को अपराध जगत की ओर आकर्षित करने वाले कारणों का हमें पता लगाना चाहिए। इन बच्चों के अपराधी बनने का एक मुख्य कारक आर्थिक है।

स्वातंत्रयोपरांत, हमारे देश की प्रगति की गति धीमी थी। परंतु वैश्वीकरण के पश्चात् एक दशक से हमारा बाजार विदेशी-सामान से भरा पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप हम दिन-प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं। उनकी नौकरियाँ खत्म हो रही हैं और वे बेरोजगार हो रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप ये लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते। ये बच्चे शिक्षा क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हमें इसका वास्तविक कारण पता लगाना होगा। इन बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना अत्यन्त आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना हमारा सर्वोपरि दायित्व है कि उनकी सभी आवश्यकताएँ पूर्ण हों और उनके मुलाधिकारों की पूर्ण रक्षा की जाये। बच्चों की सुरक्षा और देखभाल के लिए 1986 में किशोर न्याय अधिनियम लाया गया था। देश के विभिन्न भागों में सुधारगृह भी हैं। दुर्भाग्य से जिन सुधारगृहों का उद्देश्य सुरक्षा और देखभाल है, व्यवसाय केन्द्रों में परिवर्तित हो गये हैं और बच्चों के हितों की सुरक्षा के अपने कर्त्तव्य को पूर्ण करने में असफल रहे हैं इन सुधार गृहों में कई बार बच्चों को मानसिक और शारिरिक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें इन सुधारगृहों में बच्चों के मारे जाने की अनेकों धटनाओं की जानकारी है और कई बार तो वे सुधारगृहों से केवल इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि वे स्वयं पर हुए अत्याचारों को सहन नहीं कर पाते। मैं सरकार से दोषी लोगों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूँ। हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था में भी आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए। जब तक हम मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं लाते तब तक बच्चों को मूल सवैंधानिक अधिकार प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं कुछेक परिवर्तन लाने के लिए सरकार से उचित कदम उठाने का अनुरोध करता हूँ ताकि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी आये।

*मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

मैं ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक लाने के लिए पुन: माननीय मंत्री जी को और इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति महोदय, मेनका जी द्वारा जो बिल लाया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं उनकी भावनाओं का समर्थन कर रहा हूं। बच्चों के प्रति, किशोरों के प्रति उनके मन में एक भाव है, उनके मन में एक पीड़ा है।

सभापति महोदय, इस कानून को वृहत बनाना चाहिए। वृहत हम इसलिए कह रहे हैं कि अरुण जेटली जी भी बच्चों से सम्बन्धित कानून के विषय में एक-दो बातें कह गए हैं। इस तरह टुकड़ों-टुकड़ों में कानून बनाने से बहुत बड़ी राहत नहीं मिल पाएगी। इसलिए दोनों मंत्रालयों को एक जगह बैठकर समीक्षा करके किशोरों के संबंध में एक वृहत कानून बनाना चाहिए, ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके। वैसे मैं तो यह मानता हूं कि कानून चाहे जितने भी बनें, जब तक इस देश में आर्थिक विषमता और सामाजिक विषमता बनी रहेगी, तब तक इस तरह की गड़बड़ी और अपराध की प्रवृत्ति बनी रहेगी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक फिल्म आपने देखी होगी रोटी, जिसमें राजेश खन्ना थे। किस तरह गरीबी की मार आदमी को मजबूर करती है गलत काम करने के लिए, उस फिल्म में इसका बहुत अच्छा चित्रण किया गया था। गरीबी की मार का ही कारण है कि आर्थिक दृष्टिकोण से जो टूटे हुए, कमजोर परिवार होते हैं, जाति के आधार पर नहीं होते, हालांकि पिछड़ी जाति में इनकी तादाद काफी होती है। जब बच्चों के खेलने और पढ़ने का समय होता है तो उस समय ये बच्चे मजदूरी करने को बाध्य होते हैं। उस मजबूरी का लाभ गलत ढंग से पैसे वाले लोग उठाते हैं।

मैं भी चाहता हूं कि कानून बने। लेकिन इसके साथ ही इस बात की भी हमें चिन्ता करनी चाहिए कि समाज में ऐसे वर्ग के जो लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनका उत्थान कैसे हो सके। आप कानून बनाते हैं कि 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा मुफ्त देंगे। यदि बच्चा स्कूल जाने की स्थिति में होगा, तभी आप मुफ्त शिक्षा देंगे। उसको घर में एक समय का भोजन भी नहीं मिलता। वह मजदूरी करता है और उसकी कमाई से परिवार वाले भोजन करते हैं, तब वह कहां से शिक्षा लेगा। आज शिक्षा भी दो भागों में बंटी हुई है। पैसे वालों के बच्चे गांव के स्कूल में नहीं पढ़ते। सामाजिक और आर्थिक रूप से जो टूटे हुए लोग हैं, उनके ही बच्चे वहां जाते हैं। आप कानून तो बना रहे हैं, लेकिन बच्चों को जो परेशानी होती है, उस पर भी गौर करना चाहिए। कभी-कभी गांव में मुकदमें होते हैं उसके बहुत से कारण होते हैं। सारे लोग ही अपराधी नहीं होते। गांव में आपसी तनाव या झगड़े से किसी परिवार को परेशान करने के लिए, बर्बाद करने के लिए लोग झूठे-सच्चे मुकदमें बना देते हैं। जो कानून व्यवस्था है, जिनके हाथ में प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी है, जो कानून को सम्भालते हैं, उसे पुलिस कहते हैं। उसकी नैतिकता पर हमें भाषण नहीं देना, क्योंकि उससे एक-एक व्यक्ति अवगत है। इस तरह उन जालिमों के हाथ में वे छोटे-छोटे बच्चे पड़ जाते हैं, जिन्होंने भले ही अनजाने में अपराध कर दिया हो या किसी षडयंत्र से बच न सकें, तो उनका उत्पीड़न किया जाता है। जेल में जुवीनाइल बनी होती है। उसमें कम उम्र के बच्चों को रखने का प्रावधान है। लेकिन वहां क्या स्थिति है, नर्क की जिंदगी होती है। न बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है, न उनके सोने का प्रबंध होता है। उनको तरह-तरह की कठिनाइयों और उत्पीड़न से गुजरना पड़ता है। इसलिए हम मेनका जी से कहना चाहेंगे आप सामाजिक संस्थाओं को साथ में लेकर चलने की बात करती हैं। मैं नहीं समझता कि ये संस्थाएं कितनी कारगर होंगी। इस देश में बहुत सी ऐसी संस्थाएं चल रही हैं और उनका क्या-क्या ह्रास हो रहा है, यह भी एक सोचने का विषय है। लेकिन अगर आपको विश्वास है कि सामाजिक संस्थाओं से आप उन बच्चों की देखभाल कर सकती हैं, तो जरूर करिए, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।

बच्चों की गलती कभी-कभी क्षमा कर दी जाती है। उन्हें सिर्फ कानूनी रूप से नहीं देखा जाता है। देखा गया है कि जब रामायण में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी जैसे लोगों को अपने वाक्य से मानसिक उत्पीड़न दिया था तो भगवान राम ने उस समय भी यही कहा था कि बच्चों की गलती समझकर क्षमा करिएगा। उस समय भी क्षमा करने का प्रावधान था और उन्हें क्षमा किया गया था लेकिन आज जो कानूनी प्रावधान हम बनाते है, यह मकड़जाल है। क्षमा के नाम पर, नये रास्ते पर ले जाने के नाम पर, उनका मार्ग-दर्शन करने के नाम पर उन्हें कानूनी जाल में फंसाकर, तिकड़म और झंझट में फंसाकर, बच्चों की जिंदगी को बर्बाद किया जाता है।

दिल्ली जैसे शहर में इतनी कम उम्र के बच्चे बिहार और यू पी के इलाके से आये हैं और अब यहां उद्योग-धंधे बंद हो रहे हैं, पता नहीं इसके बाद उन बच्चों का क्या होगा? दिल्ली जैसे शहर में 1000 रुपये या 1200 रुपये माहवार पर कोई बच्चा बर्तन मलने का काम करता था, कोई नाला साफ करने का काम करता था, कोई किसी के यहां रोजगार करता था। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में 1000 रुपये या 1200 रुपये महीना कमाकर ये बच्चे अपनी जीविका किस तरह से जी पाते होंगे, किस तरह से पैसा भेजकर अपने परिवार के लोगों को जिंदा रखते होंगे और आज ये उद्योग-धंधे भी बंद हो गये हैं। सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए हम बधाई देते हैं कि उसने 8-10 लाख लोगों का रोजगार छीन लिया। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट को बधाई देते हैं। प्रधान मंत्री जी के यहां इस बारे में चर्चा चल रही है इन 8-10 लाख लोगों में कम से कम एक लाख लोग जरूर उस उम्र के होंगे जिस उम्र के लिए आज कानून पर हम चर्चा कर रहे हैं और जिनका रोजगार समाप्त होने जा रहा है।

मैं एक बिन्दु पर निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी और लॉ मिनिस्टर जी एक साथ बैठकर इस कानून को बृहद बनावें और बृहद बनाकर किशोरों को ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे पहुंचा सकते हैं इस पर ध्यान दें। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि जब तक उनकी शिक्षा तथा उनकी पारिवारिक और आर्थिक विषमता को समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक कोई कानून उन बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता। इसलिए हम पुनर्निवेदन करेंगे कि आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए अगर आपके पास कोई प्रयास हो, अगर आपके पास कोई कानून हो तो आप उस पर विचार विमर्श कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

डा० वी० सरोजा (रासीपुरम्) : सभापति महोदय मैं आरंभ में निम्नलिखित कारणों से इस विधेयक का विरोध करना चाहता हूँ।

एक बालक के अधिकार क्या होते हैं? किसी बच्चे के अधिकार हैं, उसका अस्तित्व, विकास उसकी सुरक्षा और भागीदारी। यह विधेयक बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं करता।

इस विधेयक का संबंध छह से चौदह बरस के बच्चों से है इस विधेयक में पांच वर्ष तक के बच्चों का उल्लेख नहीं है। यूनिसेफ के साथ परामर्श करके न्यायमूर्ति श्री वी० आर० कृष्ण अय्यर जैसे व्यक्तित्व की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति पहले ही माननीय प्रधान मंत्री को बाल संहिता विधेयक, 2000 सौंप चुकी है। इस पर जल्दी ही चर्चा होने वाली है इसमें अठारह वर्ष तक के बच्चों को विस्तार से लिया गया है। मुझे समझ में नहीं आता कि इस विधेयक को पुर: स्थापित करने में इतनी शीघ्रता क्यों की जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र संगोष्ठी की निष्कर्षता की गई टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दिया गया है। सम्मेलन में बालकश्रम (प्रतिशोध और विनियमन) अधिनियम, 1986, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) विधेयक 1976, और हस्त सफाई निषेध और रोजगार अधिनियम 1993 के पूर्ण क्रियान्वयन की सिफारिश की गई है। इस विधेयक में पुन: सभी सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया गया है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के संवैधानिक अधिकारों का ध्यान नहीं रखा गया है। जहाँ तक इस विधेयक का संबंध है यह बच्चों के संवैधानिक अधिकारों को व्यक्त नहीं करता। किसी भी कानून अथवा नीति की भावना बच्चों के बेहतरीन हित साधन की हेतुक होनी चाहिए और बच्चों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाना चाहिए। इस विधेयक में बच्चों को यह अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

अंतत: अनुच्छेद 15 (3), 39 (ङ) और (च), तथा 45 और 47 बच्चों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। परंतु इस विधेयक में इन कारकों की पूर्णतया उपेक्षा की गई है।

हमारे देश में 375 मिलियन बच्चें हैं और वे इस जनसंख्या के एक तिहाई से अधिक हैं। किसी देश का बजट उसकी सरकार की प्राथमिकताओं, कार्यनिष्पादनों, निर्णयों और मंशाओं की ठोस अभिव्यक्ति है। यदि मैं यह कहूँ कि 11 मिलियन बच्चे सड़कों पर रहते हैं तो यह गलत नहीं होगा। भारत में 45% बच्चे नियोजित हैं जो विश्व में सबसे अधिक हैं। सरकार का यह अनुमान है कि भारत में नौ लाख वेश्याओं में से चार लाख बाल वेश्या है। कारगिल युद्ध में लगभग 15000 बच्चे अनाथ हो गये। हर तीसरी बलात्कार की शिकार एक नाबालिग होती है। गत दस वर्षों में प्रकाशित बलात्कार के मामले में 25 प्रतिशत से अधिक मामले 16 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के हैं। 10 वर्ष से कम आयु की लड़कियां में यह संख्या 10 प्रतिशत तक बढ़ गयी है। बच्चों के लिए बजट आवंटन सकल घरेलू उत्पादन के 6 प्रतिशत से 3.2 प्रतिशत हो गया है। इस विधेयक में इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया है।

इस प्रकार इस विधेयक का अध्याय दो किशोर न्याय बोर्ड के बारे में है। ऐसा प्रतीत होता है। कि यह बोर्ड भी बच्चों की मांगों का ध्यान नहीं रखता। उस बोर्ड में कोई महिला सदस्य कोई सलाहकार, मनोवैज्ञानिक महिला पुलिस अधिकारी नहीं है। हम एक महत्पूर्ण विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। और बच्चे अपनी स्थानीय भाषा में जो कहेंगे उसे समझने के लिए बोर्ड में भाषान्तरकार नहीं है। यह इस विधेयक की पूर्ण असफलता है। इस विधेयक, में जैसाकि मैंने पहले बताया बच्चों की भागीदारी की उपेक्षा की गई है।

सभापति महोदय : अब कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

डा० वी० सरोजा : महोदय, मैंने तो अभी शुरुआत भी नहीं की। कृपया मुझे दो-चार मिनट का समय और दें।

किसी व्यक्ति का बचपन उसके [illegible] की नींव होता है और यदि आप 0-6 वर्ष तक के बच्चों [illegible] उपेक्षा करेंगे तो क्या हम सही दिशा में जा सकेगें? भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा हेतु एक अलग मंत्रालय का गठन किया है। परन्तु इस विधेयक में प्राथमिक शिक्षा, शोषण, स्वास्थ देखभाल संबंधी स्थितियों और सुधार- निर्माण इत्यादि के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। पृष्ट 9 पर खण्ड 22 सजा के बारे में है। इसकी अवधि बहुत कम है और इसे कम से कम पांच वर्ष तक बढ़ाया जाना चाहिए। चूंकि कठोर सजा की व्यवस्था नहीं है। अत: इससे और अधिक अपराधियों को ही बढ़ावा मिलेगा।

इस विधेयक में हम अधिकांश तौर पर 14 साल से कम आयु के बच्चों पर चर्चा करेंगे। सुश्री युराशी थालवी के तमिलनाडु में उनके शासनकाल के दौरान पूर्ण महिला पुलिस स्टेशनों की शुरुआत की गई, जो न केवल बच्चों बल्कि महिलाओं का भी ध्यान रखते हैं। बच्चों को न्याय दिलवाने में पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन निदान साबित होगा।

मेरा मंत्रीजी से अनुरोध है कि जनमत संग्रह के लिए वह इस विधेयक को परिचालित करवायें।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): सभापति महोदय, मैं किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) विधेयक, 2000 का समर्थन करता हूँ। सबसे पहले ये आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान निम्नलिखित की ओर दिलाना चाहता हूँ विधेयक में यह कहा गया है कि:

> "और जबकि संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा ने 20 नवम्बर,1989 को बच्चों के अधिकारों संबंधी घोषणा पत्र को स्वीकार किया।" मेरे विचार से यह 1989 के स्थान पर 1959 होना चाहिए। इसे ठीक करके 1959 किया जाना चाहिए। कृपया इसे देखकर ठीक कर दीजिए।
>
> यह कोई नया विधेयक नहीं है। इसे पुन: अभिनियमित किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के स्थान पर नया विधेयक लाना है। इस नये अधिनियम का उद्देश्य इस कानून को अधिक किशोरों और बाल-प्रिय बनाना है। नये अधिनियम में दो भाग है। एक का संबंध किशोर अपराधियों से है और दूसरे का उन बच्चों से है, जिन्हें सुरक्षा और देखभाल की जरूरत है।

यह दण्डात्मक प्रकृति का कानून नहीं हैं यह सुधारात्मक है। यह कोई ऐसा आम कानून नहीं है जिस पर न्यायालयों में निर्णय दिया जाय। यह उच्च संस्कृति और अनुकम्पा का संदेश और दिशानिर्देश है यह इस कानून की मूल बातें है इसे हमारे संविधान से प्रेरणा प्राप्त हुई है अनुच्छेद 15 भेदभाव के विरुद्ध- अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद

15 के खण्ड 3 में कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है।

अनुच्छेद 39 के (ङ) और (च) राज्य की निति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। उपखण्ड (ङ) में कहा गया है : ''पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों''

उपखण्ड (च) के अनुसार: ''बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए, अनुच्छेद 45 अभी तक निभाया नहीं गया है। यह राज्य नीती के निदेशक तत्वों के अतंर्गत भी आता है। महोदय आप भली भांति जानते हैं कि अनुच्छेद 45 में इस संविधान को स्वीकृत किए जाने के दस वर्षों के अंदर बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है।

चालिस वर्ष बीत चुके हैं। संविधान के 10 वर्षों के पश्चात राज्य 10 वर्षों की अवधि के भीतर उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा, यह लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। संदेह निश्चित रूप से हो सकता है कि इस अधिनियम में दिया गया संदेश प्राप्त किया भी जा सकेगा। धारा 47 पोषाहार स्तर को ऊँचा करने और मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपयोग का प्रतिषेध करने से संबंधित है। यह उद्देश्य अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। जहां तक धारा 39 का संबंध है माननीय सदस्य श्री बंसल ने कल कहा था कि 'बाल शोषण' को परिभाषित किया जाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए एक आदर्श परिभाषा भी दी थी। यदि इसे परिभाषित नहीं किया गया है। तो हम इस शब्द के लिए शब्दकोश में दिए अर्थ को स्वीकार कर लेंगें। शब्दकोश में 'बाल शोषण' की विस्तृत परिभाषा दी गई है।

इसका दूसरा पहलू जिसे लेकर हम काफी चिंतित हैं, है कि यह अधिनियमन बहुत सी अंतरराष्ट्रीय परम्पराओं की संस्था के अनुरूप है। इसलिए इस अधिनियम पर विचार करने और गैर क्रियान्वित करने की जरूरत है। जब मैं 59 या 89 कहता हूँ तो इसका अर्थ होता है संयुक्त राष्ट्र संघ की बाल अधिकारों की घोषणा अपनी शारीरिक और मानसिक अपरिपक्वता के कारण बच्चों को जन्म से पहले और जन्म के पश्चात उचित कानूनी संरक्षण के साथ साथ विशेष सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता होती है। इंसान का दायित्व है कि वह बच्चों को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करें, यही संदेश है यही मार्गदर्शक सिद्धांत हैं कि हमें बाल अपराधियों या ऐसे बच्चों के साथ सावधानीपूर्वक व्यवहार करना चाहिए जो कानून के समक्ष अपराधी हैं। बच्चों को विशेष सुरक्षा मिलनी चाहिए और कानून और दूसरे माध्यमों से उन्हें ऐसे अवसर और सुविधाएं मिलनी चाहिए। ताकि बच्चों का शारिरिक मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास स्वस्थ एवं सामान्य ढंग से और गौरवपूर्व और सम्मानजनक परिस्थितियों में हो सके। इस उद्देश्य के लिए कानून लागू करते समय बच्चों के सर्वोच्च हितों को सर्वाधिक मान्यता मिलनी चाहिए। बाल अधिकारों की यही घोषणा है। हस्ताक्षर कर्त्ता राज्यों के अनुसरण के लिए एक आदर्श विधान की व्यवस्था करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने यह पूरी तरह स्पष्ट किया है कि सभी हस्ताक्षर कर्त्ता राष्ट्र उन परिस्थितियों और वातावरण को लेकर चिंतित हैं जिसमें बाल अपराधियों को पूरे विश्व में स्वतंत्रता से वंचित रखा जा रहा है भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में। जिन बच्चों को यह स्वतंत्रता नहीं मिलती उन्हीं के शोषण शिकार और अधिकार के हनन भय सबसे अधिक बना रहता है। इसलिए चूंकि वे अत्यधिक कारणों स्वतंत्रता से वंचित बाल अपराधियों पर विशेष ध्यान देने और उन्हें सुरक्षा देने की आवश्यकता है और यह देखने की भी आवश्यकता है कि जिस दौरान वे स्वतंत्रता से वंचित रहे और उसके बाद उनके अधिकारों व उनके कल्याण में कमी न आये यही संदेश है।

प्रश्न, कानून को लागू करने का नहीं है किंतु कानून को लागू करते समय सावधानी बरतने की आवश्यता है। कानून लागू करने वाले कार्मियों के बारे में संयुक्त राष्ट्र ने अधिक ध्यान दिया है। कार्मिकयोग्य होने चाहिए और उनमें पर्याप्त विशेषज्ञ जैसे शिक्षाविद व्यावसायिक निर्देशक परामर्शदाताओं, सामाजिक कार्यकर्त्ता मनचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक शामिल होने चाहिए। यही आवश्यक चीजें है। यदि आप इन्हें शामिल नहीं करेंगे तो इस अधिनियम का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा हर तरह और हर वर्ग के कार्मिकों के चुनाव और भर्ती में प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए। नजरबंदी संबंधी सुविधाओं का प्रस्तावित प्रबंधन इनकी ईमानदारी, मानवता योग्यता और किशोर अपराधियों से व्यवहार करने की उनकी व्यावसायिक क्षमता के साथ-साथ कार्य के लिए कार्मिक की उपयुक्तता पर निर्भर करता है। बाल-अपराधियों या कानून का उल्लंधन करने वाले बच्चों से व्यवहार करने वाले कार्मिकों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

जहां तक बच्चों की देखभाल का संबंध हैं मेरा अपना अनुभव है। इस पहलू को स्पष्ट करने के लिए मैं केवल दो मिनट और लूंगा। मैंने देखा है कि शहरों में गलियों में रहने वाले बच्चे थैलियां और प्लास्टिक का सामान उठाते हैं, उन्हें बेचकर दिन के दो-तीन रुपये कमाकर अपने माता-पिता या अभिभावकों को दे देते हैं न तो उन्हें शिक्षा प्राप्त है और ना ही पोषाहार इन पर इस तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए ना कि उस तरह से, जैसे आजकल गैर सरकारी संगठन दे रहे हैं। उन्हें महसूस होना चाहिए कि वे अपने घरों से दूर नहीं हैं और वे अपने माता-पिता के स्नेह से वंचित भी नहीं हैं। उन्हें लगना चाहिए कि वे समाज के अभिन्न अंग है और उनका तिरस्कार नहीं किया जा रहा है। कानून को लागू करते समय ये सभी चीजें ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। निस्संदेह, यह बहुत ही अच्छा विधेयक है। यदि इसे लागू करते समय कुछ कमी रह जाती है, जैसा कि अधिकतर मामलों में होता है तो विधेयक का संपूर्ण उद्देश्य ही विफल हो जाएगा और इससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया इस सच्चाई को देखें ताकि विधि के इस भाग से संबंध रखने वाले कार्मिक सुहृदय हों वे उचित शिक्षा प्राप्त हों, प्रशिक्षण प्राप्त हों और कानून का उल्लंघन करने वाले बाल-अपराधियों से व्यवहार करने के सभी गुणों से भरपूर हों जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र भूषण सिंह (फरुखाबाद) : माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम इस कानून में आप जो परिवर्तन करने जा रहे हैं इसमें मैं आपको सहयोग

[श्री चन्द्र भूषण सिंह]

देता हूं लेकिन अगर इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए कि बच्चों में ऐसी प्रवृत्ति क्यों आई तो इसके दो मुख्य कारण रहे हैं। हमारे संयुक्त परिवार होते थे। बच्चों में यह भावना रहती थी कि हमारा कोई बुजुर्ग है जो हमारी कुछ मदद कर सकता है। संयुक्त परिवार में जब से बिखराव आया उसमें में विशेष तौर पर मीडिया का प्रभाव पड़ा और दूसरा पठन-पाठन में परिवर्तन होने के कारण प्रभाव पड़ा। पहले पठन-पाठन इस किस्म का होता था और किताबें ऐसी होती थीं जिससे बच्चों के संस्कार बनते थे। आज मीडिया के प्रभाव से और सारे के सारे पाठ्यक्रम के बदलने से संस्कार बनने की कोई बात नहीं है। जो भी विकृतियां आज बच्चों में हैं चाहे वे आपराधिक प्रवृत्ति के हों या और भी जो कारण हो, उसका मुख्य कारण यही है। शुरुआती दौर में हमारी धार्मिक संस्थाएं चाहे मंदिर हों, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो ये संस्थाएं निराश्रित बच्चों की मदद करती थी और सरकार भी उनकी मदद करती थी लेकिन देखने में यह आया है कि सरकार द्वारा प्रदत्त पैसे का दुरुपयोग होता है और वह व्यक्ति कार्यों में पैसा खर्च किया जाता है। उसमें बच्चों के हित को नहीं समझा गया। हरिद्वार और दूसरी जगहों में बड़े-बड़े आश्रम खुले हुए हैं। हरिद्वार में 1998 में एक बहुत बड़ा काम हुआ। मीडिया ने बड़ी-बड़ी हैड लाइन में इसे छापा। यहां दिल्ली में बहुत से बाल गृह चल रहे हैं।

एक बालगृह है जहां विगत पांच वर्षों में 100 बच्चों की मृत्यु हो गई है। बच्चों की देखरेख के लिये जो संस्थायें होती हैं उनमें ईमानदारी से कार्य का निर्वहन नहीं किया जाता। इसका नतीजा यह होता है कि बच्चों का शोषण होता है और वे अपराधी बनते हैं।

सभापति महोदय कानून बनाना अच्छी बात है और कानून बनाना जितना आवश्यक है, उससे ज्यादा, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, उसका इंपलीमेंटेशन होना जरूरी है। मूल अधिनियम 1952 में स्टैंडिंग ऑर्डर हैं कि इसकी एक कापी थाने में और एक पुलिस कप्तान के पास रहे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप किसी भी सब इंसपैक्टर या एस एच ओ से पूछ लीजिये , उनको इस अधिनियम की जानकारी नहीं होगी। होता यह है कि थाने में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और जो अपराधियों के साथ व्यवहार होता है, वहीं उन्हीं के साथ किया जाता है। मेरा निवेदन है कि इस तरह के नियम बनाइये जिससे बच्चों को शोषण न हो। आपकी सोच निश्चित रूप से देश के लिये अच्छी है और मंत्री महोदया पर्यावरण और जानवरों के लिये बहुत योगदान देती हैं। यह देश और समाज के हित में है। इसी बात को दृष्टि में रखते हुये बच्चों के हित के लिये कानून बनाइये। इन कानूनों का सही ढंग से इंपलीमेंटशन भी हो। इसके लिये जागरूक रहने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं मीडिया का भी जिक्र करना चाहूंगा। सरकार एक होती है लेकिन उसके विभिन्न मंत्रालय होते हैं। टी॰ वी॰ या सिनेमा में अपराध के ज्यादा मामले नहीं दिखाये जाने चाहिये। इससे बच्चों में अपराधवृत्ति कम होगी।

सभापति महोदय, 1997-98 में बच्चों के अनुसंधान और विकास हेतु 10 लाख रुपया दिया गया जिसमें केवल साढे चार लाख रुपया खर्च किया गया। 1999-2000 के लिये पांच लाख रुपया दिया गया था जो सारे का सारा वापस किया गया। क्या इससे यह समझा जाये कि अनुसंधान में विभाग की कोई रुचि नहीं है जबकि सभी विभागों की अनुसंधान और विकास में रुचि होनी चाहिये। लगता है कि बच्चों के पोषण विकास दर और अनुसंधान के लिये जो पैसा दिया जाता है वह कम है। इसके लिये ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिये ताकि अच्छी-अच्छी जानकारी मिल सके।

सभापति महोदय, एक बात और बताना चाहूंगा कि जिन बच्चों को ग्रहण किया जाता है, उनमें कुछ विदेशों में भी जाते हैं और अपने देश में भी दत्तक पुत्र के नाम से लिये जाते हैं। इस कार्य के लिये देश में 20 और विदेशों में 6 अधिकृत एजेंसियां हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जो बच्चे बाहर जाते हैं, क्या इस बात का पता लगाया गया कि उनका भरण-पोषण ठीक ढंग से किया जाता है या नहीं, क्या उन बच्चों से घरेलू काम तो नहीं लिया जा रहा है? क्या वे मालिकों के व्यवहार से परेशान तो नहीं है? मेरा सुझाव है कि सरकार को इन सब कामों के लिये निगरानी करनी चाहिए।

सभापति महोदय, इसी वर्ष फरवरी में 'जनसत्ता' समाचार-पत्र में इंडियन बॉर कौंसिल की एक राय छपी थी कि जिस तरीके से बच्चों के लिये विभिन्न कोर्ट बनाये हुये हैं, उसी तरीके से एक आयोग का गठन होना चाहिये जो सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो। हर जिले में एक आयोग का गठन हो ताकि उनके कार्यक्रमों की क्रियान्विति आसानी से हो सके और बच्चों को न्याय मिल सके।

[अनुवाद]

श्री खारवेल स्वाइं (बालासोर) : महोदय मैं इस सदाशयी विधेयक का समर्थन करता हूँ। माननीय मंत्री जी ने जानवरों के प्रति उचित चिंता प्रकट कर देश में अच्छा नाम कमाया है और मेरे विचार से इन्हीं जैसा कोई व्यक्ति ऐसा विधेयक प्रस्तुत कर सकता था।

मूल मुद्दा है कि हम अपने बच्चों का भविष्य किस तरह ढालें क्योंकि बाल अपराध व्यस्क अपराधों का एक दरवाजा है।

हमारे देश में इस समय व्यस्कों के लिए मौजूदा न्याय व्यवस्था ऐसी नहीं है कि उसे बाल अपराधियों या बच्चों पर लागू किया जाए। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दूंगा।

इस सभा में सभी भली भांति जानते हैं कि लगभग दो वर्ष पहले उड़िसा के मनोहरपुर क्षेत्र में इसाई मिशनरी श्री ग्राहम स्टेन को उनके दो पुत्रों सहित जीवित जला दिया गया था। मुख्य आरोपी दारा सिंह एक वर्ष के बाद पकड़ा गया। वह अब जेल में है। इस मुख्य आरोपी दारा सिंह के मामले पर मुकदमा अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है। कार्यवाही पिछले दिसम्बर की पहली तारिख को शुरू हो जानी चाहिए थी किंतु यह शुरू नहीं हुई। इस बीच 14 वर्षीय चेंचू नामक एक लड़के के मामले में, जो संभवत दारा सिंह के साथ था, उसका मुकद्दमा पूरा हो गया है और उसे चौदह वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि चेन्चू ने घटना में दारा सिंह का साथ दिया तथा उसमें शामिल भी हुआ। मैं इससे इंकार नहीं करता। किंतु वह मुख्य आरोपी नहीं है। क्योंकि वह बच्चा है, क्योंकि उसकी ओर से कोई बोलने के लिए आगे नहीं आया और इसका कोई अधिवक्ता नहीं था वह अपने लिए किसी अधिवक्ता को नियुक्त नहीं कर सका, चौदह साल की कैद की सजा पाने वाला यह पहला व्यक्ति

है। क्या वह समाज के विरुद्ध हृदय में घृणा पाले नहीं रखेगा? क्या वह इस देश और यहाँ की न्याय प्रणाली के विरुद्ध अपने हृदय में घृणा नहीं पालेगा? तो भारत में ऐसे होता है।

मुझे बहुत खुशी है कि श्रीमती मेनका गांधी यह विधेयक लाईं। वे यह विधेयक इसलिए लाई क्योंकि बाल न्याय तक बाल अपराधियों की पहुंच हो सके और इससे इस बोर्ड की ही भांति बाल-अपराध न्याय प्रणाली के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण होगा। यह बाल हितकारी कानून होगा। मैं उन सभी मुद्दों पर बोलना नहीं चाहता जो विधेयक में पहले से ही हैं क्योंकि अन्य माननीय सदस्य इस पर पहले ही बोल चुके हैं। इसलिए मैं इन मुद्दों पर जाना नहीं चाहता क्योंकि इन पर बोलने के लिए अब समय नहीं है। इसलिए मैं कुछ दूसरे मुद्दों पर आता हूँ।

मुझे खुशी है कि श्रीमती सरोजा ने यह कहा कि इसमें कई कमियाँ रह गई हैं। मैं उनसे सहमत हूं क्योंकि इसमें महिला संबंधित कोई नीति नहीं है। इसमें चिकित्सक के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसमें स्वास्थ्य देखभाल का कोई प्रवधान नहीं है। इस संबंध में मैं इनसे सहमत हूं किंतु इस दिशा में कोई पहल तो होनी ही चाहिए। यदि इसमें कोई कमी रह गई है तो इस पर बाद में विचार किया जा सकता हैं। बाद में इसमें संशोधन हो सकते हैं। प्रारंभिक स्तर पर हर चीज पर विचार नहीं किया जा सकता। इसलिए यह अच्छा है कि इन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है।

हर जगह राष्ट्रीय बाल आयोग को बनाए जाने की ही बातें होती हैं किंतु मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। हम राष्ट्रीय बाल आयोग की स्थापना कर सकते हैं किन्तु क्या यह राष्ट्रीय महिला आयोग की ही भांति एक अधिकार हीन संस्था होगी? संभवत: यह ऐसी ही होगी। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1987 में बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति बना ली गई थी। बाल श्रम निरोधक और विनियमन संबंधी कानून को सख्ती से लागू करने का इसमें प्रयत्न किया गया था। किंतु इस मामले पर कोई भी सरकार खतरनाक उद्योगों से बच्चों को दूर नहीं रख पाई है। यदि किसी राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन किया जाए तो उसे अधिकार सम्पन्न होना चाहिए। इसकी विकास की नीति होनी चाहिए, इसकी निरोधक नीति होनी चाहिए। इसकी दीर्घ कालीन नीतियों में बेसहारा बच्चों के लिए नीति जैसी नीतियां होनी चाहिए जिनके लिए श्रीमती मेनका गांधी भी अपनी चिंता व्यक्त कर चुकी हैं। ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए वे पहले ही कदम उठा चुकी हैं।

मैं दो तीन मुद्दों जल्दी-जल्दी बोलूगा। दो या तीन मिनटों में मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। बेसहारा बच्चों को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। अध्यापक प्रशिक्षण की किस्म में इससे सुधार किया जाना चाहिए। स्कूल के वातावरण में सुधार होना चाहिए। औपचारिक शिक्षा योजनाओं की निगरानी की जानी चाहिए तथा उनकी गारंटी की जानी चाहिए। ऐसी योजनाओं में भाग लेने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाया जाना चाहिए। उन्हें बालिकाओं की स्थिति को भी देखना चाहिए। यह भी उल्लेख किया गया है।

भारत में 20 लाख बेसहारा बच्चे हैं। हर साल 15 हजार बच्चे गोद लिए जाते हैं किंतु यहां गोद लेने संबंधी कोई उचित कानून नहीं है। भारत में गोद लेने संबंधी कानून के अनुसार केवल हिन्दू ही बच्चा गोद ले सकते हैं।

ईसाई, मुसलमान और पारसी बच्चा गोद नहीं ले सकते। यदि आपका एक पुत्र है तो आप एक और लड़का नहीं ले सकते। लड़कियों के मामले में भी ऐसा ही है। यदि आपके पास लड़की है तो आप दूसरी लड़की गोद नहीं ले सकते ।

अंत: किसी भी समय बच्चा लौटाया जा सकता है या माता-पिता बच्चे को अस्वीकार कर सकते हैं कुछ समय बाद जैसे 20 साल बाद गोद लेने वाले और गोद लिए गए बच्चे में कोई रिश्ता ही नहीं होगा। इसलिए, यदि हम चाहते हैं कि बच्चे अपराधी न बनें तो गोद लेने संबंधी अच्छा कानून होना चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, किशोर न्याय से संबंधित विधेयक सरकार द्वारा लाया गया है। इसमें बड़े बड़े दावे किये गये। 1986 में जो अधिनियम बना था, उस अधिनियम में जो संशोधन था उसका विस्तार करके ये लाए हैं। 1985 में बीजिंग में यूएनओ ने रूल बनाया था उसके बाद 1990 में यूएनओ की जो रूलिंग हुई उसको देखकर इनकी ज्ञानवृद्धि हुई और इनको करुणा आ गई। हमारे यहां कहते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। यह पुराना दर्शन है इस विधेयक में बड़ा ह्यूमन राइट्स और किशोरों का बड़ा भारी कल्याण करेंगे, ऐसा दावा इन्होंने किया है। मुझे एक कहानी याद आती है। दारोगा बाबू बराबर ये कहानी कहते थे।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : दारोगा बाबू कौन हैं बताइए।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : दारोगा बाबू मुख्य मंत्री थे सब जानते हैं। जिनको सामान्य बुद्धि का अभाव है, वह अपनी जनेरल नॉलेज बढ़ा सकते हैं। गांव में एक ओझा भगत थे जो मंत्र पढ़ रहे थे-उत्तर बांधूं, दक्षिण बांधू, पूरब बांधूं पश्चिम बांधूं, आकाश बांधूं, पाताल बांधूं, गंगा बांधू जमुना बांधू सबको बांधू। उनकी पत्नी सून रही थी। उनकी पत्नी ने काली हंडिया से अपने पति को मारना शूरू किया। काली हंडिया से मारने पर बड़ा अपमान होता है। पंचायत बैठ गई और पंचों ने पूछा कि इतनी भरी सभा में पति का अपमान क्यों किया। महिला ने कहा कि हमारा मढ़ाई का घर था, टूटी फूटी छप्पर है। उसको रस्सी तो इनसे बंधती नहीं और कहते हैं कि गंगा बांधूं, जमुना बांधूं।

महोदय, जब हम सड़कों पर गाड़ी में निकलते हैं और गाड़ी लाल बत्ती पर रुकती है तो लड़के अखबार लेकर घूमते दिखते हैं, कोई गोद में बच्चा लेकर भीख मांगता दिखाई देता है, कोई खिलौना लेकर घूम रहा है और कोई लत्ता लेकर गाड़ी पोंछ रहा दिखता है। उनको लोग डांट-फटकार देते हैं। और ये कहते हैं कि सबको न्याय देने के लिए आए हैं, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। बड़ा भारी पाखंड है।

अपराह्न 5.00 बजे

सभापति महोदय, जिस प्रकार ओझा कहता है कि मैं आकाश बांधूं, पाताल बांधूं, और वह अपने घर के छप्पर को भी नहीं बांध सका, उसी प्रकार यह सरकार कर रही है। मैं तो मंत्री जी से कहता हूं "तू कहता कागज की लेखी मैं कहता आंखिन की देखी" देश में बच्चे भूखे मर रहे हैं और भूख से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई कानून नहीं है।

[डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह]

सभापति महोदय, बच्चों से जो भीख मंगवाएगा, उसे क्या सजा दी जाएगी, इसका कोई प्रावधान कानून में नहीं है। इस देश के सात करोड़ बच्चे आज भी प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं, उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है, उसका कोई उल्लेख नहीं है।

सभापति महोदय, इस देश में आई॰ पी॰ सी॰ और सी॰ आर॰ पी॰ सी॰ 16 वर्ष के बच्चों पर लागू नहीं है। 18 वर्ष या उससे ऊपर के बच्चों पर यह कानून होगा। इसका सीधा मतलब है कि यदि 16 वर्ष के बच्चे से कोई बदमाश अपराध कराए या हत्या कराए, तो उसे कोई सजा नहीं होगी। बच्चे को तो कोई सजा होगी ही नहीं बल्कि जो उस बच्चे से ऐसा कुकृत्य कराएगा उसे भी किसी भी प्रकार की सजा नहीं दिए जाने का प्रावधान है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए जिससे वह समिति इसके ऊपर गहन और गंभीरता से विचार कर सके और एक संपूर्ण एवं सम्यक विधेयक लाया जा सके।

सभापति महोदय, 16 वर्ष या इससे कम उम्र के बच्चे स्वंय अपराध की ओर प्रवृत्त नहीं होते, बल्कि समाज के कुछ असामाजिक तत्व उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि कोई बदमाश, हत्यारा या मुजरिम किसी 16 वर्ष के बच्चे से कोई अपराध कराए, कोई हत्या कराए, तो उसको कोई फांसी, उम्र कैद को सजा का प्रावधान नहीं है। आप ऐसे आदमियों के लिए, जो किशोरों से अपराध कराएं उनके लिए कोई कानून लेकर नहीं आए।

सभापति महोदय, इस देश में छोटी उम्र में भी बहुत मेधावी बच्चे हुए हैं। रानी मदालसा का पांच वर्ष का बच्चा, ब्रहमज्ञानी था। नचिकेता का बालाश्रम ऐसे बच्चों के लिए जगप्रसिद्ध था। भगवान कृष्ण बालपन में ही ऐसी लीलाएं किया करते थे जो सामान्यजन के बश के बाहर की बात है। आप जानते हैं कि यह सरकार जो दावा कर रही है वह सिर्फ खोखले दावे हैं।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि देश की तो छोड़िए पहले दिल्ली की सड़कों और चौराहों पर भीख मांगने वालों को ही रोक कर उनकी स्थिति को सुधारने के उपाय सरकार क्यों नहीं करतीं। कहा गया है कि हम बच्चों को सुधारगृह में ले जाएंगे। ये सुधारगृह ही बिगाड़गृह बन रहे हैं। . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय, अज्ञानता की कोठरी में और आंशिक क्षमता के लहजे में जो चाटुकारिता में माहिर हैं, उनसे यह बहस प्रभावित नहीं हो सकती है। इस देश में करोड़ों बच्चे प्राथमिक शिक्षा से महरूम हैं। डॉ॰ लोहिया ने उस समय कहा था- यह शासन डोल रहा है, उसी प्रकार केन्द्र की सरकार है, बच्चों की सुरक्षा का कोई कानून नहीं, उनकी पढ़ाई का कोई प्रबन्ध नहीं, उनके रोजगार का कोई प्रबन्ध नहीं और सरकार कहती है कि भिखमगैनी बन्द करा देंगे।. . . *(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : सभापति महोदय, यह "भिखमंगैनी" क्या होता है?. . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आप तो प्रॉफेसर हैं। इतने समय में तो आप अपनी बात कह ही सकते हैं। कृपया अब समाप्त कीजिए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, हम भोजपुरी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें इस बात का गर्व है कि सदन में हम लोक भाषा में बोल रहे हैं संसद में जब लोक भाषा गूंजेगी, तो हमारी भाषा और भोजपुरी बोलने वालों का सीना गर्व से फूल जाएगा और यहां जैसी बनावटी अंग्रेजी बोलने वाले कुछ माननीय सदस्य हैं वे देश के साथ धोखा करने वाले लोग हैं। उनसे सावधान रहना चाहिए।. *(व्यवधान)*

सभापति महोदय, अभी बात समाप्त नहीं हुई है। हरियाणा में डी॰ जी॰ पी॰ के द्वारा रुचिका के साथ बलात्कार किया गया, वह देश भर में चर्चा का विषय बना।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति जी, आप रघुवंश जी से कहिये कि वे भोजपुरी भी पढ़ लें, नहीं तो भोजपुरी का अपमान न करें क्योंकि उनको भोजपुरी बोलनी नहीं आती है। *(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : जोन हिसाब से आप भोजपुरी बोलत रहेन, हमीं की भोजपुरी खराब हो जाईन।

सभापति महोदय : आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति जी, आप इनका व्यवहार देख रहे हैं। जब ये धरे गये हैं तब इन्होंने भोजपुरी में बोलना शुरू कर दिया। प्राकृतिक ढंग से जो हृदय से बोलता और जो बनावटी बोलता, जो अंग्रेजी जुगाड़ से लिप्त होकर बोलता या जो व्यक्ति भोजपुरी होकर भोजपुरी में बोलता, उन सभी में फर्क है।. . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आपका भाषण समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह : इसलिए जो असलियत होगी, वह स्पष्ट होनी चाहिए। . . . *(व्यवधान)* अब कड़िया मुंडा जी उठ गये हैं। आपको यहां भी नहीं बनाया और झारखंड में भी कोई नहीं पूछ रहा है फिर भी आप उठकर खड़े हो रहे हैं। . . . *(व्यवधान)* तुम लोगों को कौन पूछता है? . . . *(व्यवधान)* मंत्री नौकरी करते हैं और ये चाकरी करते हैं।. . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आपका भाषण समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आपकी कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं लिखी जायेगी इसलिए आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, 'किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) विधेयक' शीर्षक के अंतर्गत इस विधेयक की पुरस्थापना 1986 के अधिनियम को निरस्त करने के एकमात्र उदेश्य से की गई है, तथापी 1986, के किशोर न्याय अधिनियम के मूल तत्व कमो बेश इस विधेयक में परिलक्षित होने के कारण मैं इसमें अपनी सहमति दे सकता हूं, बशर्ते कि हमारी पार्टी द्वारा सुझाए गए संशोधनों को इसमें शामिल किया जाए।

इस विधेयक के दो भाग हैं, एक बालकों को संरक्षण और देख-रेख की आवश्यकता; और दूसरा, 'किशोरों द्वारा कानून का उल्लंघन'। यदि पहले के अधिनियम से इसमें कुछ अच्छी बातों को थोड़ा शब्दावली में फेरबदल के साथ शामिल किया जाए तो, यह विधेयक यदि संपूर्ण नहीं तो कम से कम 'बालकों के अनुकूल' और 'दोष रहित' प्रतीत होगा।

रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार, सभ्यता का आंकलन उसके द्वारा अर्जित शक्ति से नहीं किया जाना चाहिए अपितु इस बात से किया जाना चाहिए कि उसका कितना विकास हुआ है और अपने नियमों तथा मानवीय प्रेम की स्थापना को वे उसने कितनी अभिव्यक्ति प्रदान की है। बच्चे हमारे प्रेम हैं। बच्चे हमारे देश की सवोच्य सम्पति है। वे हमारा भविष्य हैं।

तथापि, यह खेदजनक है कि हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में बुरी तरह पिछड़ गए हैं। जैसे सुबह दिन का अग्रदूत अग्रदूत होता है इसी प्रकार बच्चों का स्वास्थ्य भी हमारी राष्ट्रीय स्वस्थ्य के अग्रदूत हैं परंतु बच्चे हमारे समाज का सबसे कमजोर वर्ग है। पल्वित होने की अवस्था में ही मुर्झा रहे हैं। मेयाल के अनुसार, समकालिन समाज में बच्चे के मूल्य को कम आंका जा रहा है। उनके साथ 'नासमझ' 'अभी एक व्यक्ति नहीं' 'अभी उत्तरदायी नहीं' इत्यादि जैसा व्यवहार किया जाता है। उन्हें 'मानव' नहीं बल्कि 'मानव बनने' की प्रक्रिया में की दृष्टि से देखा जाता है। उन्हें पूर्णत: कमजोर समझा जाता है। उन्हें समाज में पूरा सम्मान प्राप्त नहीं होता है जिसके लिए वे मानव जाति के होने के नाते पूरी तरह हकदार हैं। उन्हें समाज के हाशिये पर रखा जाता है और उनकी गतिविधियों और अनुभवों का महत्व व्यस्क की तुलना में कम होता है।

इसलिए यदि हम अपने इर्द-गिर्द देखें, तो हम पाऐंगे कि हमारे देश में 3 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों में से 73 प्रतिशत बच्चे रक्ताल्पता के शिकार हैं पांच साल से कम बच्चों में ये 55 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। पांच साल से कम उम्र के 53 प्रतिशत बच्चे कम वजन के हैं। पांच साल से कम बच्चों के 52 प्रतिशत बच्चों का विकास थोड़ा या गंभीर रूप से रुका हुआ है। भारत में पांच साल से कम बच्चों की मृत्यु पर 49 प्रतिशत है जो विश्व में सर्वाधिक है।

अपराह्न 5.10 बजे

[डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

इसलिए, केवल विधान लाने से ही उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इस विधेयक में इस बात पर जोर दिया गया है किशोर अपराधियों को अनोपचारिक संस्थानों के माध्यम से ही सुधारने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता है बजाय उन पर सख्ती से कानून लागू करके उन्हें सजा देने में। परंतु मैं, सरकार से कहना चाहता हूं कि वह विश्व में किशोर अपराध में बेतहाशा वृद्धि के बारे में सोचे। वर्तमान में विश्व में, तीन लाख बच्चे युद्ध में लगे हुए हैं। इसलिए, यदि कोई बालक युद्धरत है तो उसे बच्चों के अधिकार और मानवअधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। हमें पर्याप्त जागरूक रहने की आवश्यकता है ताकि कोई भी इस विधेयक में बच्चों को मिलने वाले उपशामक अधिकारों का अनुचित लाभ न उठा सके।

महोदय, जहां तक बालश्रमिकों का प्रश्न है, यह काफी तकलीफदेह पहलु है। भारत में सबके अधिक बाल मजदूर हैं। भारत में इस समय 55 मिलियन बंधुआ मजदूर हैं। यदि आप तमिलनाडु जाएं, यदि आप अलीगढ़ की ताला फैक्ट्री में जाएं, यदि आप वाराणसी या कश्मीर की कालीन निर्माण ईकाइयों में जाएं, यदि आप निजामाबाद की थोड़ी फैक्ट्री में जाएं, आप वहां हमारे देश के भविष्य की धरोहर की घिनौनी तस्वीर देख सकते हैं।

सभापति महोदय : कृपया अब भाषण समाप्त कीजिए। कृपया पीठाध्यक्ष के साथ सहयोग कीजिए, हमारे पास यह चर्चा करने के लिए ज्यादा समय नहीं है।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, इस विधेयक में पुनर्वास और सामाजिक समेकन का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बच्चों की देख रेख से जुड़े संगठनों प्रायोजन, गोद लेने, पालन, पोषण और अन्य कार्यक्रमों का इस विधेयक में प्रावधान किया गया है। क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या किसी विदेशी नागरिकों को गोद लेने पर निषिद्ध किया जाएगा या नहीं?

महोदय, जहाँ तक बच्चों को उनके माता-पिता को सौंपने का सवाल है मैं यह सुझाव दूंगा कि सरकार इस समस्या पर गहराई से विचार करें जिनका समाज की उन असहाय माताओं को सामना करना पड़ता है। हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं और पुरुष ही समाज पर शासन कर रहा है।

सभापति महोदय : कृपया भाषण समाप्त कीजिए, हमें 5.30 से पहले कार्यवाही पूरी करनी है।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, महिलाओं को फुसलाने और धोखा देने की प्रवृत्ति भारत में बहुत अधिक है। *(व्यवधान)* उसी के चलते नाजायज बच्चों की पैदाइश होती है।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने श्री मूर्ति को पुकारा है। कृपया पीठाध्यक्ष के साथ सहयोग करें।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, मेरे विचार से उन असहाय महिलाओं को . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मूर्ति के भाषण के अलावा, कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री अधीर चौधरी : महोदय, मैं भाषण समाप्त कर रहा हूं।

उन बच्चों में अक्सर अनैतिकता और हीन भावना पनपती है, जो अक्सर समाज के विरुद्ध विद्रोह में प्रकट होता है। इसलिए, किशोर अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। उन असहाय माताओं को संवैधानिक गारन्टी मिलनी चाहिए जिन्हें अपने वैद्य अधिकारों से वंचित किया गया है ताकि वे समाज में अपना सिर ऊंचा रख सकें।. . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मूर्ति के भाषण के अलावा, कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री अधीर चौधरी : महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति (विशाखापत्तनम) : महोदय, समय की कमी के कारण, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं केवल एक या दो मुद्दों पर ही बोलूंगा क्योंकि अनेक वक्ताओं ने इस विषय पर पहले ही अपने विचार व्यक्त किए हैं।

यह विधेयक स्वागत योग्य है। विधेयक के नाम में ही, 'देख रेख और संरक्षण, शब्दों का इस्तेमाल है। इसलिए, इसका उद्देश्य किसी बालक को सजा देना नहीं है। आज बच्चे क्यों कष्ट में हैं? हमारे देश में दो सर्वथा प्रतिकूल चरम परिस्थितियां हैं।

एक तो गरीबी है जिसके कारण बच्चे छोटे-छोटे अपराध करते हैं। इसलिए, उन्हें किशोर अपराध के अन्तर्गत जेलों में रखा जाता है।,

दूसरी विषम परिस्थिति शहरी सम्पन्नता है। शहरी सम्पन्नता के कारण बच्चे अपराध करते हैं और कई बार बचकर निकल जाते हैं। वे खुले घुमते हैं। परंतु इन मामलों में, असामान्य व्यवहार के लिए इलाज की आवश्यकता होती है। सामाजिक न्याय अधिकारिता की आवश्यकता होती है। किशोर अपराध का मूल कारण हमारे देश में व्याप्त गरीबी है। इसलिए, जब उन्हें बाल सुधार गृहों में रखा जाता है तो उनके साथ उचित अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें पढ़ाई के दौरान कमाने की भी छूट दी जानी चाहिए। उन्हें समाज की मुख्यधारा में भी शामिल होने देना चाहिए। इसलिए, इस विधेयक का उद्देश्य ऐसे किशोर अपराधियों को मुख्य धारा में लाना है। यह इस दिशा में उठाया गया पहला कदम है। एक बार जब आप देख रेख करते हैं तो, उनकी उचित देखभाल कीजिए, उन्हें प्यार और अपनापन दीजिए, इनमें से कई अपरोधों को होने से रोका जा सकता था। इसलिए, मैं आशा करता हूं कि एक सही व्यक्ति की तरह उन्हें पुन: मुख्य धारा में लाया जाएगा। यह इस दिशा का पहला कदम है। मैं इस विधेक का स्वागत करता हूं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : अब माननीय मंत्री भाषण देंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री आठवले, मैंने माननीय मंत्री को भाषण के लिए आमंत्रित किया है। अपने स्थान पर बैठ जाइए। कृपया सहयोग दीजिए। आपको दिया गया समय समाप्त हो गया है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढ़रपुर) : मेरे ऊपर हर बार अन्याय होता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप किसी अन्य बिल पर बोल लेना, अभी बैठिए।

श्री पी०एच० पांडियन (तिरुनेलवेली) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय के उत्तर से पूर्व, मंत्री महोदय को इन स्पष्टीकरणों पर भी उत्तर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने स्पष्ट किया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री पांडियन, हमें 5.30 बजे से पूर्व इसे निपटाना है।

साजाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : सभापति महोदय, मैं इस बहस में भाग लेने के लिए सबको धन्यवाद देती हूं। मैं अधिकांश मुद्दों पर बात करूंगी तथा यह बताऊंगी कि हमने उन्हें क्यों सम्मिलित किया है। सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहूंगी कि मंत्री बनने के बाद मैंने पहला कार्यक्रम बेसहारा बच्चों के लिए शुरू किया और उनकी देखरेख करने हेतु कार्यक्रम बनाया। हमने इस दिशा में कार्य किए। जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हुई है। असल बात तो यह है कि हमें इस प्रयास के लिए गत वर्ष अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ऐसा पहली बार हुआ है। जबकि लाटरी बोर्ड ने हमारे "चाइल्ड लाइन" नामक कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए यह पुरस्कार ब्रिटेन के बाहर किसी अन्य को दिया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हम ऐसे बच्चों को लेते हैं जो कि सड़कों पर समस्याग्रस्त पड़े रहते हैं तथा वे मुख्य धारा में आना चाहते हैं। हम उन्हें इस समस्याग्रस्त स्थिति से उबारते हैं।

अब तक हमने कई लाख बच्चों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया है। अत: हमने एक ऐसे अधिनियम की आवश्यकता महसूस की जो कि दण्डात्मक कम तथा सहानुभूतिमय अधिक हो। आप में से कुछ लोगों को इस विधेयक में अभिलक्षित सहानुभूति की अनुभूति हुई होगी।

जब हमने इस विधेयक को बनाना शुरू किया तो हमने यह काम ऐसे लोगों को सौंपा जो कानून तथा बच्चों के क्षेत्र में अपनी विशेज्ञता के लिए प्रसिद्ध थे। डा० सरोजा ने न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के बारे में बात की। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर इस विधेयक में बड़ा सक्रिय योगदान रहा। उनके साथ-साथ इस कार्य में अन्य अनेक न्यायधीश न्यायमूर्ति भट्टाचार्य, न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी, न्यायमूर्ति लीला सेठ तथा प्रोफेसर माधव

मेनन भी जुड़े रहे। हमने सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों से सम्पर्क किया तथा पूर्णरूपेण विचार विमर्श के बाद हमने इस मुद्दे को विधेयक का स्वरूप देने के लिए इसे 'बंगलौर ला इंस्टीट्यूट' को सौंप दिया। इसके बाद उसे पुन: सबको परिचालित किया गया। हमने विधि मन्त्रालय से विचार विमर्श किया। मुझे इसे यहां लाने में लगभग दो वर्ष लग गए। मैंने इसे केवल लाया हैं जब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि हमने यथा संभव सबसे अच्छा कार्य किया है और हम ऐसा कर सकते हैं, तभी मैं इसे लेकर यहां प्रस्तुत हुई हूं। निसन्देह मुझसे बाद में आने वाले और अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन इस समय यह यथासम्भव सबसे अच्छा है जो कि किया जा सकता था।

मैं प्रत्येक मुद्दे पर एक-एक करके चर्चा करूंगी। डा० रघुवंश प्रसाद सिंह ने उन वयस्कों के बारे में चर्चा की है जो कि बच्चों को अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप स्वयं महसूस कर सकते हैं कि यह विधेयक बच्चों के बारे में है न कि बच्चों के द्वारा किये गए अपराध के दण्ड के संबंध में। जहां तक वयस्क अपराधियों का संबंध है उन्हें भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पूरी जांच के बाद सजा दी जाएगी। मैं नहीं समझती कि इसे इस विधेयक में उपबाधित किए जाने की अवाश्यकता है। इस विषय में जैसा कि मैंने कहा कि डा० सरोजा द्वारा उठाए गए मुद्दे पर न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर से परामर्श किया गया था।

उन्होंने यह भी कहा कि इसमें मनोवैज्ञानिकों तथा नर्सो को शामिल नहीं किया गया। उन्हें 'शेल्टर होम्स' चलाने में शामिल किया जाएगा। उन्हे बाद के कार्यों में शामिल किया जाएगा। यदि उन्हें बोर्ड में शामिल नहीं किया जाता है तो उनकी सेवाएं अन्य कई स्थानों पर ली जाएगी। हम इस विधेयक को तब तक कार्यान्वित नहीं कर सकते जब तक इसमें उन अपेक्षित लोगों की सेवाओं का सम्मिलित न किया जाए जिनका कि उन्होंने उल्लेख किया है।

मुझे खुशी है कि श्री खारबेल स्वाइं ने वह महसूस किया है कि यह विधेयक बच्चों का हितैषी है। बच्चों के पास शक्ति नहीं होती। पहले के कानून या अधिनियम में सभी बच्चों को अपराधी माना जाता था। इसमें सुधार सुरक्षा पद्धति के आधार की बात है जिससे हमने सीख ली है। अन्त में मैं श्री पवन कुमार बंसल की बात पर आ रही हूं। क्योंकि उन्होंने अधिकांशत: अपनी बात सविस्तार कही है।

योगी आदित्य नाथ ने बच्चों को नशीले पेय एवं स्वापक औषिधों देने वालों के दण्ड की बात की है तथा यह भी कहा है कि उन्हें दिया जाने वाला दण्ड अत्यन्त कम है। दण्ड की व्यवस्था विशेषज्ञों से पूरे विचार विमर्श के बाद की गई है। तथापि यह पहली बार हुआ है कि बच्चों के खिलाफ सभी अपराधों को संज्ञेय माना गया है। अत: यह स्वयं अपने आप में एक प्रगतिशील कदम है।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि दोनों मंत्रालयों में तालमेल जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा यह किया जा चुका हैं हमने वकीलों, कानूनों विशेषज्ञों तथा विधि मंत्रालय से अन्य मुद्दों पर परामर्श लिया है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव ने राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर बच्चों के लिए आयोग के प्रस्ताव के बारे में बात की। मैं इस पर विचार कर सकती थी। तथापि महिला तथा बाल विकास विभाग पहले से ही बच्चों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने में लगा हुआ है। ऐसे आयोग का गठन हो जाने पर स्पष्टतया वह ही इस अधिनियम को देखने का कार्य करेगा।

श्री चौहान जी ने 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की बात की। दुर्भाग्य से प्राथमिक शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है इसका इस अधिनियम से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध शिक्षा की तुलना में किये गए अपराध से अधिक है।

बच्चों की साक्षरता एक अलग बात है। बच्चों के हित की बात श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत आती है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो ने 1959 या 1989 की घोषना के बारे में बात की। 1959 की घोषणा एक अलग घोषणा है। 1989 की घोषणा यहां सटीक बैठती है। यह बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है जिसके अनुरूप हमने अपने कानून को बदलने की प्रतिबद्धता जतायी है।

श्री चन्द्रभूषण सिंह ने पूछा है कि इस अधिनियम को कैसे कार्यान्वित किया जा रहा है। खंड 68 में प्रावधान है कि राज्य सरकारों के माध्यम से तथा नियम बनाकर इसका कार्यान्वयन किया जाएगा।

पुलिस की भूमिका के बारे में जैसा कि अनेक लोगों ने ठीक ही कहा है कि पुलिस की संवेदनशीलता के बगैर संसार के कानून का क्या अर्थ रहेगा। इससे कोई अन्तर नहीं आएगा।

पहली बार इस कानून में ऐसा लग रहा है कि विशेष किशोर पुलिस एकक, जिसे खण्ड 63 के अधीन संवेदनशील बनाया जाएगा, के लिए एक उपबन्ध किया गया है।

श्री अधीर चौधरी ने क्या कहा मैं नहीं समझ पाई, मैंने केवल यह समझा कि वे पूछ रहे हैं कि क्या बच्चों को विदेशी गोद ले सकेंगे। वे पहले से ही गोद ले रहे हैं।

श्री अधीर चौधरी : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या विदेशी नागरिकों को बच्चों को गोद लेने से रोका जाएगा या नहीं क्योंकि भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी हुई है।

श्रीमती मेनका गांधी : मैं निश्चित रूप से उनको बच्चों को गोद लेने से नहीं रोकूंगी। हम गोद लेने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे क्योंकि बच्चे चाहे भारत के हों या विदेश के बच्चे पूरे विश्व के होते हैं। यह अपने आप में अत्यन्त स्पष्ट है। एक विशेष दत्तक-ग्रहण इकाई है जिसे सी०ए०आर०ए० कहा जाता है। इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में अधिक बच्चों को दत्तक के रूप में लिया गया है। हमने शीघ्र ही थोडे समय में तथा अपेक्षाकृत सुरक्षित समय में बच्चों के लिए काफी मजबूत सुरक्षोपाय शामिल कर लिए हैं। मुझे उस समय बहुत खुशी होती है जब आए दिन बच्चे को विदेश में अथवा भारत में एक घर मिलता है। . . *(व्यवधान)*

श्री बंसल जी ने अनेक परिवर्तनों तथा संशोधनो का सुझाव दिया है। मैं उनमें से केवल कुछ पर विचार विमर्श करना चाहती हूं। मैं एक छोटे से सुझाव बोर्ड के सदस्यों को मानदेय से शुरूआत करती हूं। इसका उपबंध नियमों में किया जा सकता था। हमें इसे अधिनियम

[श्रीमती मेनका गांधी]

में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। अत: वह इस पर निर्भर करेगा कि हम किस प्रकार के बोर्ड का गठन करते हैं तथा मानदेय को नियमों में निश्चित कर दिया जाएगा।

जहां तक अनेक गृहों में बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का सवाल है उन्हें यह प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जैसा कि श्री बंसल जी ने संकेत किया यह प्रशिक्षण कुछ इस प्रकार का होना चाहिए जैसा कि वे करना चाहते हैं न कि ऐसा जैसा कि हम चाहें कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। अगर हम अपनी बात पर हावी रहेंगे तो यह कदम गलत होगा।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : एक मामले में मैंने पाया कि एक बच्चे से जबरदस्ती नाई का कार्य कराया जा रहा है। मैंने उससे विशेष प्रश्न पूछा तो उसने बताया कि उससे यह कार्य जबरदस्ती कराया जा रहा है।

श्रीमती मेनका गांधी : हां यह सही है। इसीलिए हमने ऐसे गृहों की व्यवस्था की है। वास्तव में इस अधिनियम में पालन गृहों दत्तक ग्रहण और 50 अन्य कारणों से बच्चों को किशोर निरूद्ध केन्द्रों के बजाए विभिन्न गृहों में भिजवाने का प्रावधान किया गया है।

इसमें बहुत अधिक संशोधन आए हैं। सायद कि मैं उन सभी को स्वीकार नहीं कर पाउंगी। मेरे मंत्रालय में जब संशोधन आए तो मैंने इसे स्वयं या नौकरशाहों द्वारा राजीनीतिक मुद्दा बनाए जाने के बजाए उनका गहराई से अध्ययन किया। हमने यह नहीं कहा कि यह हमारे द्वारा लाया गया है अत: हम संशोधनों को स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा मानना है ये बच्चे हमारे हैं, आपके हैं, हम सबके हैं, भारत के हैं। इसलिए हमने इस पर न केवल विधि मंत्रालय बल्कि उन व्यक्तियों के साथ भी विचार किया जिन्होंने इन प्रारंभिक संशोधन को प्रारूपित किया था। हमने ऐसा करके इसे और बेहतर बनाने की कोशिश की। उन्होंने हमें सलाह दी कि कोई परिवर्तन न किया जाए। इसलिए मुझे अफसोस है मैं उनमें से किसी को स्वीकार नहीं कर सकती।

अब मैं सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं केवल आधा मिनट का समय लूंगा महोदय, (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री बंसल जी एक मिनट रुकिए।

[हिन्दी]

"इस विधेयक के पारित होने में 10-15 मिनट लग सकते हैं। चूंकि आधे घन्टे की चर्चा 5.30 बजे ली जानी है, इसलिए यह चर्चा 10 15 मिनट बाद ली जाएगी।"

[अनुवाद]

क्या सभा इस पर सहमत है?

कुछ माननीय सदस्य : हां, सहमत है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों और देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों से संबंधित विधि का, उनके विकास की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उचित देखरेख, संरक्षण, उपचार का उपबंध करते हुए तथा उनसे संबंधित विषयों का न्यायनिर्णयन और व्ययन करने में बालकों के सर्वोत्तम हित में, बालकों के प्रति मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए तथा इस अधिनियमिति के अधीन स्थापित विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से उनके अंतिम पुनर्वास के लिए समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा इस विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2

परिभाषा

सभापति महोदय : श्री बंसल जी, क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत करेंगे?

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं संशोधन लाने से पहले दो छोटी सी टिप्पणियां करना चाहता हूं। मैं हर संशोधन पर नहीं, केवल एक बार अपनी बात कहूंगा। एक यह है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि किशोर न्याय बोर्ड तथा बाल कल्याण संबंधी समितियों के सदस्यों को देय मानदेय का प्रावधान नियमों के अधीन किया जाएगा। यदि वे नियमों का अवलोकन करें तो पायेंगे कि इसका प्रावधान नहीं किया गया है। उन्हें शक्ति कानून से प्राप्त करनी होती है। कि नियमों के अन्तर्गत वे इन-इन बातों का प्रावधान कर सकते हैं। इसके बाद ही वे अधिनियम के अधीन सभी उल्लिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नियम बना सकते हैं। महोदय, एक बात यह है जिसमें संबंधित व्यवस्था नहीं की गई है।

मेरा दूसरा प्रश्न संशोधन के बारे में है। मेरा कोई भी संशोधन राजनैतिक संशोधन नहीं है। मैं, यह नहीं कर रहा हूं कि यह हमारी पार्टी की नीति है और इसलिए, कृपया आप इसे शामिल कीजिए। मैं यह सत्तारूढ़ दल पर छोड़ता हूं। मेरे विचार से मेरे संशोधनों में गतिरोध समाप्त होने में सहायता मिल सकती है और मैंने एक बहुत छोटे से संशोधन को विस्तार से स्पष्ट करने में समय लिया क्योंकि यदि यह मामला कभी भी न्यायालय में जाता तो इससे समस्याएं उत्पन्न हो सकती थी। माननीय मंत्री ने यह नहीं कहा कि मेरा तर्क भ्रांतिपूर्ण है। उन्होंने केवल यह कहा है कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

सभापति महोदय : श्री बंसल, माननीय मंत्री कह चुकी हैं कि उन्होंने किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया है। यदि आप अपने संशोधनों को प्रस्तुत करना चाहते हैं तो कृप्या इन्हें प्रस्तुत करें।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 9,-

"गंभीर रूप से" का **लोप** किया जाए। (5)

पृष्ठ 3, पंक्ति 15,-

"संघर्ष," **के पश्चात** "आतंकवाद," **अंत:स्थापित** किया जाए।(6)

सभापति महोदय : अब मैं श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं॰ 5 और 6 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं॰ 5 और 6 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : श्री रमेश चेन्नितला-उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4

किशोर न्याय बोर्ड

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

. . . (7)*

सभापति महोदय : अब मैं श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं॰ 7 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं. 7 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : श्री रमेश चेन्नितला-उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 7

इस अधिनियम के अधीन सशक्त
न किए गए मजिस्ट्रेट द्वारा
अनुसरण की जाने वाली कार्यवाही।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 5, पंक्ति 27,-

*यह संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता।

"इस अधिनियम" **के पश्चात्** अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि" **अंत:स्थापित** किया जाए। (8)

. . .(9)*

सभापति महोदय : अब मैं श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं॰ 8 और 9 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं॰ 8 और 9 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 8

संप्रेक्षण गृह

सभापति महोदय : श्री रमेश चेन्नितला-उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 9

विशेष गृह

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 10,-

"या तो स्वयं अथवा स्वैच्छिक संगठनों के साथ करार के अधीन," का **लोप** किया जाए। (10)

. (11)

सभापति महोदय : अब मैं श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं॰ 10 और 11 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं॰ 10 और 11 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

*यह संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता।

खण्ड 11

किशोर पर अभिरक्षक का नियंत्रण

सभापति महोदय : श्री रमेश चेन्नितला-अपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है :

''कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 13

माता-पिता संरक्षक अथवा परिवीक्षा अधिकारी को इत्तिला।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 7, पंक्ति 11,-

''होगा'' **के पश्चात्** ''ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी'' अंत:स्थापित किया जाए। (1)

सभापति महोदय : अब मैं श्री रामदास आठवले द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं॰ 1 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं॰ 1 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 14

किशोर के बारे में बोर्ड द्वारा जाँच।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7, पंक्ति 17,-

''चार मास'' **के स्थान पर** ''तीन मास'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (12)

सभापति महोदय : अब मैं श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं॰ 12 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं॰ 12 को सभा के मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 15

आदेश जो किशोर के बारे में पारित किया जा सकेगा।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7, पंक्ति 23,-

''उसके विरुद्ध समुचित जांच करने के पश्चात् और माता-पिता या संरक्षक, किशोर को परामर्श''

के स्थान पर ''माता-पिता या संरक्षक, किशोर को समुचित परामर्श'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (13)

पृष्ठ 8, पंक्ति 1,-

''सत्रह वर्ष'' **के स्थान पर** ''सोलह वर्ष'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (14)

पृष्ठ 8, पंक्ति 1,-

''दो वर्ष'' **के स्थान पर** ''तीन वर्ष'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (15)

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 15 में श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं॰ 13, 14 और 15 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं॰ 13 से 15 को मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खण्ड 15 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 16

वे आदेश जो किशोर के विरुद्ध पारित न किए जा सकेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 8, पंक्ति 29,-

''16 वर्ष'' **के स्थान पर** ''चौदह वर्ष'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (16)

पृष्ठ 8, पंक्ति 31,-

''अन्य किशोरों'' **के स्थान पर** ''किसी भी अन्य किशोर'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (17)

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 16 में श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं॰ 16 और 17 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं॰ 16 और 17 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 17 से 21 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 22

निकल भागे किशोर की बाबत उपबंध

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, इस संशोधन का उद्देश्य वास्तव में इस विधेयक की कमियों को दूर करना है।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 9, पंक्ति 31,-

"विशेष गृह" **के पश्चात्** "या संरक्षण अभिरक्षा से" **अंत:स्थापित** किया जाए। (18)

पृष्ठ 9,-

पंक्ति 36 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत: स्थापित** किया जाए-

"**अध्याय 2 क-बालक के विरुद्ध अपराध**" (19)

सभापति महोदय : मैं श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत किये गये खण्ड 22 को से संबंधित संशोधन सं॰ 18 और 19 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं॰ 18 और 19 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 22 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 23

किशोर अथवा बालक पर अत्याचार के लिए दण्ड

श्री रामदास आठवले : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 10, पंक्ति 2,-

"छह मास" **के स्थान पर** "दो वर्ष" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (2)

सभापति महोदय : श्री रमेश चेन्नितला उपस्थित नहीं हैं। मैं श्री रामदास आठवले द्वारा प्रस्तुत किये गये खण्ड 23 से संबंधित संशोधन संख्या 2 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 23 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 24

भीख मांगने के लिए किशोर अथवा बालक का प्रयोग

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

(20)*

सभापति महोदय : मैं श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत किये गये खण्ड 20 से संबंधित संशोधन सं॰ 24 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं॰ 20 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 24 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 25

नशीली शराब, नशीले औषध अथवा नशीले पदार्थ किशोरों अथवा बच्चों को देने पर दण्ड।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

(21)*

सभापति महोदय : मैं श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत किये गये खण्ड 25 से संबंधित संशोधन सं॰ 21 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं॰ 21 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

---

*यह संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 25 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 26

किशोर अथवा बाल कर्मचारियों का शोषण

सभापति महोदय : श्री पवन कुमार बंसल, क्या आप खण्ड 26 के संबंध में संशोधन संख्या 22 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री पवन कुमार बंसल : मैं संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 26 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 27 और 28 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 29

बाल कल्याण समिति

श्री रामदास आठवले : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 10, पंक्ति 27 और 28,-

"एक महिला होगी और दूसरा अन्य बालकों से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ होगा।" **के स्थान पर** "एक महिला, बालकों से संबंधित विषयों का एक विशेषज्ञ और अनुसूचित जाति अथवा, अनुसूचित जनजाति समुदाय का एक सदस्य होगा।" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (3)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं पुन: मंत्री महोदय से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। इससे अन्यथा परेशानी उत्पन्न होगी।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 10, पंक्ति 37,-

"तीन चौथाई से कम" **के स्थान पर** "कम से कम तीन चौथाई" प्रतिस्थापित किया जाए। (23)

सभापति महोदय : मैं श्री रामदास आठवले और श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों क्रमश: 3 और 23 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं॰ 3 और 23 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 29 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 30 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 31

समिति की शक्तियां

सभापति महोदय: श्री रमेश चेन्नितला द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले खंड 31 के संबंध में एक संशोधन है।

श्री रमेश चेन्नितला उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 31 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 32

समिति के सम्मुख प्रस्तुत करना।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 11, पंक्ति 25,-

"राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत" के स्थान पर "समितियों द्वारा अनुज्ञप्त" प्रतिस्थापित किया जाए। (24)

पृष्ठ 11, पंक्ति 28,-

"पुलिस को और" का लोप किया जाए। (25)

पृष्ठ 11, पंक्ति 29,-

"बाल गृह" के पश्चात् "या आश्रय गृह" अंत:स्थापित किया जाए। (26)

सभापति महोदय : अब मैं श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 24, 25 और 26 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं॰ 24 से 26 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 32 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 32 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 33

जांच

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 11, पंक्ति 31 34,-

"या कोई पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस एकक या अभिहित पुलिस अधिकारी विहित रीति से जांच करेगी और समिति अपनी स्वयं की या धारा 32 की उपधारा (1) में वर्णित किसी व्यक्ति या अभिकरण से प्राप्त रिपोर्ट पर बालक को सामाजिक कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा शीघ्र जांच के लिए बालगृह भेजने के लिए आदेश करेगा।" **के स्थान पर** "बालक को सामाजिक कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा शीघ्र जांच के लिए बालगृह भेजने के लिए आदेश करेगी।" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (27)

पृष्ठ 11, पंक्ति 34,-

"बालगृह" **के पश्चात्** "या आश्रय गृह" **अंत:स्थापित** किया जाए। (28)

पृष्ठ 11, पंक्ति 35,-

"चार मास" **के स्थान पर** "तीन मास" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (29)

सभापति महोदय : अब मैं श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन सं॰ 27, 28 और 29 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं॰ 27 से 29 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 33 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 33 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 34 से 36 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 37

आश्रय गृह

सभापति महोदय : श्री रमेश चेन्नितला द्वारा प्रस्तुत किये गये खंड 37 के संबंध में संशोधन संख्या 60 है।

श्री रमेश चेन्नितला उपस्थित नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 37 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 37 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 38 से 40 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 41

दत्तक-ग्रहण

सभापति महोदय : श्री रमेश चेन्नितला सभा में उपस्थित नहीं है।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 13, पंक्ति 1,-

"बालकों" **के स्थान पर** "बालक या शिशु" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (30)

पृष्ठ 13, पंक्ति 6,-

"बोर्ड" **के स्थान पर** "समिति" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (31)

(32)*

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन सं॰ 30, 31 और 32 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं॰ 30 से 32 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 41 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 41 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 42

पोषण-देखरेख

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं। :

पृष्ठ 13, पंक्ति 27 तथा 28,-

"दूसरे कुटुम्ब" **के पश्चात्** "या किसी मान्यता प्राप्त लोक उत्साही संस्था" **अंत:स्थापित** किए जाए। (33)

पृष्ठ 13, पंक्ति 28-30,-

"जो उन परिस्थितियों पर निर्भर करेगी जहां बालक अपने माता-पिता प्राय: नियमित रूप से और कभी-कभी पुनर्वास के पश्चात् जहां से बालक अपने-अपने घरों को वापस जा सकेंगे, मिल सकेंगे।" **के स्थान पर** "जो मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (34)

सभापति महोदय : मैं अब श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं॰ 33 और 34 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

---

*यह संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 42 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 42 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 43 भी विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 44

पश्चात्वर्ती देखरेख संगठन

सभापति महोदय : खण्ड 44 में संशोधन करने के लिए संशोधन सं॰ 63 प्रस्तुत किया गया।

श्री रमेश चेन्नितला-उपस्थि नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 44 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 44 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 45

संयोजन और समन्वय

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ पंक्ति. . .

अंत में जोड़ें-

"विशेष गृह या बाल गृह से उसके उन्मोचन के पश्चात"(35)

सभापति महोदय : श्री रमेश चेन्नितला उपस्थित नहीं।

अब मैं श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं॰ 35 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन सं॰ 35 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।,

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 45 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 45 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 46 और 47 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 48

खतरनाक रोग से पीड़ित किशोर या बालक को अनुमोदित स्थान पर सुपुर्द करना तथा भावी व्यवस्था करना

श्री रामदास आठवले : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 14, पंक्ति 33,-

अंत में जोड़ें-

"और उन्हें समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।" (4)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 14, पंक्ति 36,-

"या इसके संगत विधियों के अधीन" का लोप किया जाए। (36)

सभापति महोदय : मैं अब श्री रामदास आठवले और श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत क्रमशः संशोधन सं॰ 4 और 36 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन सं॰ 4 और 36 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 48 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 48 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 49

आयु के विषय में उपधारणा और उसका अवधारण

सभापति महोदय : श्री पवन कुमार बंसल जी, क्या आप अपने संशोधन सं॰ 37, 38 और 39 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री पवन कुमार बंसल : जी, नहीं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 49 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 49 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 50 और खंड 51 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 52

अपीलें

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 15,-

पंक्ति 22 तथा 23 का लोप किया जाए (40)

पृष्ठ 15, पंक्ति 24,–

"(ख)" का लोप किया जाए (41)

सभापति महोदय : मैं अब श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं॰ 40 और 41 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन सं॰ 40 और 41 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 52 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 52 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 53 से 55 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 56

किशोर या बालक को उन्योचित और अंतरित करने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति

सभापति महोदय : श्री पवन कुमार बंसल, क्या आप अपना संशोधन सं॰ 42 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री पवन कुमार बंसल : जी, नहीं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 56 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 56 विधेयक में जोड़ दिया गवा।

खंड 57

अधिनियम के अधीन बालगृहों और भारत के विभीन्न भागों में उसी प्रकृति के किशोर गृहों के मध्य-अंतरण

सभापति महोदय : श्री पवन कुमार बंसल क्या आप अपना संशोधन सं॰ 43 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री पवन कुमार बंसल : जी, नहीं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 57 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 57 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 58 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 59

किशोर या बालक की निर्मुक्ति और बाहर रखे जाने पर अनुपस्थिति

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, यह विधेयक में सिर्फ एक गलती को सुधारने से संबंधित है। फिर भी वे इससे सहमत नहीं हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 16, पंक्ति 34,-

"या किशोर" का लोप किया जाए। (44)

सभापति महोदय : मैं अब श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं॰ 44 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन सं॰ 44 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 59 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 59 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 60 से 62 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : अब संशोधन सं॰ 48 और 49-श्री रमेश चेन्नितला-उपस्थित नहीं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 63 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 63 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 64

इस अधिनियम के प्रारंभ के समय दंडादेश भोग रहा विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर

सभापति महोदय : अब संशोधन सं॰ 45 और 46

श्री पवन कुमार बंसल क्या आप इन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री पवन कुमार बंसल : मैं इन्हें प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ।

सभापति महोदय : ठीक है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 64 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 64 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 65 से 70 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : श्री रमेश चेन्नितला-उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र: प्रस्तावना तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : अब, मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :-

"कि विधेयक पारित किया जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.52 बजे

आधे घंटे की चर्चा

नौवीं योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण

सभापति महोदय : अब, सभा मद संख्या 28 आधे घंटे की चर्चा शुरू करेगी।

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति (विशाखापत्तनम) : माननीय सभापति महोदय, 4 दिसम्बर, 2000 को इस सभा में नौवीं योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के प्रश्न पर बहुत हंगामा हुआ था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मुझे लगता है कि, इस सभा के सभी माननीय सदस्य, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के हितों में रुचि रखते हैं, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोग गरीब हैं।

मंत्री महोदय बहुत ही ऊर्जावान है। इसलिए उन्हें ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है।

महोदय, नौवीं पं० योजना के दौरान यह आशा की गई थी कि 40,245 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। परंतु अभी तक इसके 50 प्रतिशत का भी उत्पादन नहीं किया गया है और अब केवल दो वर्ष ही बाकी है। मंत्री महोदय नौवीं पंचवर्षीय योजना के विद्युत उत्पादन का लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे?

यह मेरा पहला प्रश्न है।

महोदय, देश की स्थिति बहुत खराब है। यदि मैं 20 नवम्बर के "दैनिक जागरन" में उद्धृत आंकड़ों का उल्लेख करूं तो मेरे परम मित्र और सहयोगी, डा० रघुवंश प्रसाद सिंह मुझसे खफा नहीं होंगे। उसमें कहा गया है कि यदि मौजूदा हालत बनी रहती है, तो बिहार के सभी गांवों का विद्युतीकरण करने में 700 वर्ष और लगेंगे। इसी तरह संपूर्ण पश्चिम बंगाल के विद्युतीकरण में 66 वर्ष लगेंगे। उत्तर प्रदेश के विद्युतीकरण में 33 वर्ष लगेंगे। उत्तर प्रदेश की स्थिति कमोवेश बेहतर है।

महोदय, यह विचार इस विषय से संबंधित संसदीय विशेषज्ञ समिति के हैं।

महोदय, यदि यही स्थिति रहती है तो ऊर्जा क्षेत्र में हम किस ओर बढ़ रहे हैं?

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका सहयोग चाहता हूं। यह कहा गया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण को पूरा करने में 700 वर्ष लगेंगे। यह संभव नहीं है आज देश में कुल खपत लगभग 1 लाख मेगावाट है। यदि यही स्थिति है तो, जब तक नौवीं योजना पूरी होती है, ऊर्जा की खपत और बढ़ जाएगी।

ऊर्जा सम्पत्ति का स्रोत है। ऊर्जा से ही प्रगति होती है। इसलिए उर्जा, के बिना प्रगति की कोई संभावना नहीं है। हम महसूस करते हैं कि ऊर्जा बेची जाने वाली नहीं बल्कि मुफ्त में ही जाने वस्तु है। इसे कोई भी मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता है। सरकार को सभी को ही मुफ्त में विद्युत प्रदान करनी चाहिए; यह कोई वस्तु नहीं है। परंतु, वास्तव में, विद्युत एक वस्तु है। यह एक उत्पादक क्रिया है। इसके उत्पादन में अनेक प्रक्रियाएं अन्तर्निहित हैं। जब तक आप विद्युत का उत्पादन नहीं करते आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाऐंगे। इसलिए आप कैसे कह सकते हैं कि इसे प्रत्येक को मुफ्त में दिया जाना चाहिए? इस मुद्दे पर सभा में मतभेद है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

हम में से अनेक लोक शहरी इलाकों में रहते हैं इसलिए हम ग्रामीण विद्युतीकरण की परवाह नहीं करते। हमारा इंटरनेट शहरों में उपलब्ध विद्युत से कार्य करेगा इससे हम अपने आस-पास की दुनिया को जान सकते हैं। यदि हम सब ग्रामीण विद्युतीकरण के इच्छुक हैं और यदि यही हमारी वचनबद्धता है तो, संपूर्ण सभा को इसी वचनबद्धता को पूरा करना चाहिए। हमें आज यह संकल्प करना चाहिए कि हम 1 लाख मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे और विद्युत को किस तरह वस्तु के रूप में माने। यदि आप इन दो बातों पर विचार करेंगे, तो यह समस्या हल हो जाएगी अन्यथा यह और जटिल हो जाएगी।

माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि यह राज्य का विषय है और राज्यों को ही इसे देखना है। उन्हें ही विद्युत का उत्पादन करना है 100 और ये उनके कार्यक्षेत्र में हैं। उन्होंने कहा है कि केन्द्र जो भी राज्य सहायता चाहते हैं, दे रहा है। यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। भारत देश एक है, भारत गांवों में बसता है। हमें एक होकर सोचना है; हमें बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को अलग करके नहीं देखना चाहिए। यदि हम एकीकृत प्रक्रिया अपनाते हैं तो हमारी एकता अधिक मजबूत होगी।

यह महत्वपूर्ण विषय है और मुझे आशा है कि प्रत्येक मेरे दृष्टिकोण और विचारों को सुनेगा। भारत में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 338 यूनिट से कम है जो कि निराशाजनक है। हमें अपनी तुलना चीन से करनी चाहिए, जो विकासशील देशों में से एक है। वे भी उन्नति कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कार्य कर रहें हैं। उनकी प्रति व्यक्ति खपत 800 यूनिट है। कभी-कभी हमें निराशा होती है कि हम कभी भी हमारे जीवनकाल में तो क्या परंतु पचास साल तक भी विकसित देशों के खपत स्तर तक नहीं पहुँच पाऐंगे।

सांय 6.00 बजे

अमरीका में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 13000 यूनिट है, जबकि भारत में 338 यूनिट है। यह बुरी स्थिति है। मैं भी मानता हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री महोदय ने इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए हैं? वे देश के प्रति जवाबदेह हैं। अन्यथा, यह समस्या और भी जटिल हो जाएगी।

ऊर्जा लेखा परीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने इस सभा में 24.2.2000 को ऊर्जा संरक्षण विधेयक पुरस्थापित किया था। यह बहुत अच्छा विधेयक है। इस विधेयक के सभी खंडों को कठोरता से पारित किया जाना चाहिए। इसमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की बात कही गई है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का सृजन किया जाए और वह उन सभी पहलुओं की निगरानी करे। भारत सरकार को ऊर्जा सरक्षण मानदण्डों को निर्धारित करना चाहिए और यह उल्लेख करना चाहिए कि ऊर्जा का निश्चित तरीके से इस्तेमाल किया जाए और इसका संरक्षण किस प्रकार किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा संरक्षण मानको का ईमानदारी पूर्वक पालन करना चाहिए।

यह मैंने कुछ देशों में देखा है। प्रगतिशील देश जैसे जापान, में जब तापमान 42-24 डिग्री के मध्य होता है तो लोग अपना एयर कंडीशनर बंद कर देते हैं। ऐसे मौसम में, वे अपने छोटे दरवाजों को खोल देते हैं। और अपना एयर-कंडीशनर तथा अन्य उपकरण बंद कर देते हें। वे इस प्रकार ऊर्जा की बचत करते हैं। यदि हम भी इसी प्रकार ऊर्जा की बचत करें तो, हम इसे ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं यदि हम ऊर्जा की बरबादी करते हैं तो, हम कैसे इसे ग्रामीण विद्युतीकरण में इसतेमाल कर सकते हैं? इसलिए, यह हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। कि देश को एकीकृत रूप में देखा जाए न कि अलग-अलग भागों के रूप में। परंतु कुछ राज्य देखा करते हैं कि उन्होंने सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया है। यह गुमराह करने वाली बात है। केवल राजस्व देने वाले गांवों का ही विद्युतीकरण किया गया है। इसमें केवल आधा दर्जन गांव आते हैं और पूरे गांव नहीं। . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मूर्ति, आपको नियमों का पता है; हमें यह चर्चा पूरी करनी है।

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : मैं सीधे प्रश्न पूछ रहा हूं। *(व्यवधान)* मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सदन की मैंने पहले ही सहमति चाही थी कि इस बिल पर जितना समय लगे, उसके बाद आधे घंटे की चर्चा के लिए आधा घंटे का समय और देंगे। इस प्रकार से सदन का समय सायंकाल 6.20 बजे तक बढ़ाया जाता है।

कुवंर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ० प्र०): सभापति महोदय, श्री सुरेश प्रभु जी से पहले लोग कम परेशान थे, लेकिन जब से ये विद्युत मंत्री बने हैं, तब से ज्यादा लोग पिड़ित हैं।. *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : इसलिए, मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस बाबत सोचें। मैं माननीय मंत्री से सीधे पूछना चाहता हूं कि क्या ऊर्जा लेखा परीक्षा की जाएगी। ऊर्जा का इस देश में परिमापन होना चाहिए। इसे वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए। जब किसी वस्तु की बिक्री होती है तो, इसे मुफ्त में नहीं दिया जा सकता है। यदि इन बातों को कार्यान्वित किया जाता है तो, हम कम से कम दसवीं योजना के अंत तक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। अन्यथा, हम इसे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इन सभी बातों का उत्तर दें।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए संपूर्ण भारत में 1999-2000 में 3000 करोड़ रुपए दिए लेकिन बिहार को इसमें से एक पैसा भी नहीं दिया गया। इसी प्रकार से 1998-99 में 2000 करोड़ रुपए दिए गए जिसमें से बिहार को, . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डॉ० रघुवंश प्रसाद जी, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जिनके नोटिस पहले आए हैं उनके नाम मुझे पहले बोलने दीजिए। डा० श्यामा सिंह का नाम है।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, वे नहीं हैं। उन्हीं के स्थान पर तो हम बोल रहे हैं।

सभापति महोदय : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपको भी बोलने के लिए समय दूंगा, लेकिन पहले जिस क्रम में नोटिस आए हैं। उस क्रम में नाम पुकारने दीजिए। जब डॉ० श्यामा सिंह का नाम बोला जाएगा, तब उनके स्थान पर आपको अवसर दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : माननीय सभापति महोदय, गांवों का विद्युतीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 53 सालों के बाद भी हमारा अनुभव क्या रहा है? हम लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं कर पाए हैं। गांवों के विद्युतीकरण की परिभाषा बदल गई है। इस समय ऐसे किसी भी गांव को विद्युतीकृत मान लिया जाएगा यदि उसमें

[श्री बसुदेव आचार्य]

मात्र एक खम्बा और एक बल्ब हों। इस परिभाषा के अनुसार, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रश्न के उत्तर में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि हमारे देश में अस्सी हजार गांवों का विद्युतीकरण किया जाना बाकी है किंतु हमारा अनुभव है कि ये आंकड़े कहीं अधिक हो सकते हैं।

मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि जनजातिय गांवों, दलित बस्तियों और उन क्षेत्रों में जहां जनसंख्या के कमजोर वर्ग रहते हैं, ऐसे क्षेत्रों के विद्युतीकरण की मौजूदा योजनाओं की समीक्षा करने के लिए सरकार ने मंत्रियों के समूह का गठन किया है जो विद्युतीकरण के कार्य में तेजी लाने के लिए सुधारों के सुझाव देगा। दलित बस्तियों और कमजोर वर्गों के रिहायशी क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए 'कुटीर ज्योति योजना प्रारंभ की गई है और इसके लिए शत प्रतिशत निधि भी उपलब्ध कराई गई है।

दलित बस्तियों और कमजोर वर्गों के रिहायशी क्षेत्रों में विद्युतीकरण के बारे में, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्रियों के समूह ने इसकी समीक्षा कर ली है, क्या इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और क्या कार्यक्रम में आ रही ढिलाई को देखते हुए सरकार कार्यक्रम में कुछ बदलाव ला सकती है।

आज मेरे नाम पर एक प्रश्न था किंतु सभा के स्थगित हो जाने के कारण वह पूछा नहीं जा सका। वह प्रश्न ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युतीकरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में था। पहले पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि देश में ग्रामीण विद्युतीकरण के निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विधाराधीन नहीं है। किंतु आज मेरे प्रश्न के उत्तर में, उन्होंने कहा कि उड़ीसा में वितरण के कार्य का निजीकरण कर दिया गया है और ग्रामीण विद्युतीकरण कि रखरखाव का दायित्व निजी क्षेत्र की वितरण कंपनी का है।

मेरा दूसरा प्रश्न था कि क्या निजी क्षेत्र की ये कंपनीयां ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति की कतई इच्छुक नहीं है तो उनका उत्तर था कि मंत्रालय के पास इस संबंध में कोई सूचना नहीं है। उड़ीसा में, चक्रवात के बाद आठ सौ गांवों में बिजली को बहाली का काम निजी क्षेत्र की एक कंपनी को दिया गया। एक साल के बाद भी वह नहीं किया गया। वे और कर चाहते हैं। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या वह निजी कंपनी, जिसे ग्रामीण विद्युतीकरण की बहाली और इसकी देखरेख का काम सौंपा गया था, अब अधिक शुल्क की मांग कर रही है। जब, उत्पादन, वितरण और पारेषण को अलग अलग करने वाला विधेयक लाया गया तो हमें संदेह था कि यदि इसका निजीकरण किया गया तो निजी कंपनियां अधिक शुल्क की मांग करेंगी। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का यही अनुभव रहा है। राज्यों में बहुत अंतर है। कुछ राज्यों ने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं और कुछ पीछे चल रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार की ऐसी कोई योजना अथवा कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत अपना लक्ष्य प्राप्त न कर सके राज्यों को प्रर्याप्त निधि उपलब्ध कराई जाए ताकि उन राज्यों में भी ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य तेजी से हो सके।

मेरे राज्य का अनुभव है कि ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए हमारा एक अलग संगठन है। अत: ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए एक अलग संगठन पहले जैसा नहीं, होना चाहिए था ताकि उन राज्यों में भी ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य तेजी से हो सके।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : मैं भी माननीय मंत्री महोदय के आज दिए उत्तर का उल्लेख करूंगा कि उड़ीसा में, जहाँ वितरण कंपनियों का निजीकरण कर दिया गया है, ग्रामीण विद्युतीकरण के रखरखाव का कार्य निजी क्षेत्र की वितरण कंपनियों की जिम्मेदारी है। मैं मानता हूं कि वितरण का निजीकरण किया गया। मेरे राज्य में 'नैस्कों' नामक एक कंपनी है जो बिजली का आपूर्ति करती है किंतु यह सच नहीं है कि अब केवल उसी कंपनी की यह जिमेदारी है कि वह ग्रामीण विद्युतीकरण को देखें। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मैं चाहता था कि सूदूर समद्री तट पर बसे एक गांव का विद्युतीकरण किया जाए और मैं इसके लिए राशि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से देना चाहता था। मुझे बताया गया कि उन्होंने उस गांव को नहीं लिया। मुझे कहा गया कि इसमें अभी भी संशय है कि यह गांव या तो राज्य बिजली बोर्ड के अंतर्गत है अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत है और यह उनके पास नहीं है।

दूसरा, मैं, माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि यदि हम किसी गांव का विद्युतीकरण करना चाहते हैं तो इसकी लागत का अनुमान का वे ही लगाते हैं। उड़ीसा में, उन्होंने न केवल खंभों और तारों के खर्च का ही अनुमान लगाया बल्कि हमारे शीर्ष पर उन्होंने ट्रांसफार्मर की उच्च लागत को भी मिला लिया। यदि कोई चाहता है किसी गांव में बिजली उपलब्ध कराई जाए तो उसे ट्रांसफार्मर की कीमत भी चुकानी होगी। ट्रांसफार्मर की कीमत हम क्यों चुकाएं? कंपनी को इसकी कीमत चुकानी चाहिए। माननीय मंत्री कृपया इस पहलू को भी देखें।

अंत में, प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस गांव को विद्युतीकृत माना जाए। माननीय मंत्री, अपने उत्तर में पहले ही कह चुके हैं कि यदि गांव में एक बल्ब भी जलता है तो गांव को विद्युतीकृत माना जाएगा। किंतु यहां सैंकड़ों गांव हैं, मंत्री जी इस पहलू को भी ध्यान में रखें। विशेषत: अनुसूचित जाति और जनजाति वाले क्षेत्रों में गांवों तक बिजली की तारें तो लगा दी गई है किंतु उससे किसी को भी बिजली नहीं मिली है। यदि वहां दूसरे लोग होते तो वे तारें डालकर बिजली की चोरी कर लेते। बिजली की खपत के हिसाब के लिए मीटर नहीं है। इसलिए मेरा अंतिम प्रश्न है कि कोई भी ईमानदार उपभोक्ता अधिक राशि का भुगतान क्यों करे क्योंकि कई दूसरे लोग बिजली की चोरी कर रहे हैं।

सभापति महोदय : विशेष मामले के रूप में, मैं डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह को अनुमति दे रहा हूँ।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : महोदय, रूल्स में क्लियर है, आज दो वक्ता उपलब्ध नहीं हैं और लाटरी में मेरा अगला स्थान है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं तो सुबह आकर नौ बजे लाटरी में नोटिस देकर गया हूं और दो वक्ता नहीं है। आजकल प्राइवेट सैक्रेटरीज नाम डालकर चले जाते हैं और वक्ता हाउस में नहीं रहते हैं। हमारे जैसे लोग सुबह नौ बजे आकर नोटिस देकर जाते हैं।. . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रूडी जी, इन्होंने परमीशन के लिए आग्रह किया था और उनको स्पेशल परमीशन दी गई है। इन्होंने विशेष अनुमति मांगी थी।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मेरा नम्बर तो लाटरी में था, दो वक्ता उपलब्ध नहीं है। यह कैसा नियमन है। . . . *(व्यवधान)* चार लोगों को बोलना था, उनमें से दो उपलब्ध हुए हैं और मेरा नाम सूची पर है। जो आदमी लाटरी में बिल्कुल नहीं था, उसे अनुमति दे रहे हैं। यह कैसे सम्भव है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं यह जानता हूं। विशेष मामले के रूप में मैंने डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह को अनुमति दी है। कृपया समय खराब न करें, बैठिये।

[हिन्दी]

डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह : ये असत्य बोल रहे हैं, इनसे पहले हमने नाम दिया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : विशेष मामले के रूप में इन्हें अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : ये क्या कर रहे हैं। यह निर्णय तो चेयर करेगी, आप कौन है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने इन्हें अनुमति दी है। उन्होंने इन्हें विशेष अनुमति दी है। कृपया मेरी बात सुनीए। *[हिन्दी]* माननीय अध्यक्ष महोदय ने उन्हें विशेष अनुमति दी है और उन्होंने अध्यक्ष महोदय से विशेष अनुमति मांगी है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, यह तो उचित नहीं है। मैं सुबह से आकर बैठता हूं, लाटरी में नाम देता हूं और मेरे से ऊपर के दो आदमी सदन में उपलब्ध नहीं हैं और मेरा नाम लाटरी में है। . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने उनको विशेष अनुमति दी है। रूडी जी, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, नियमों का पालन किया जाये। यह मेरे राज्य से सम्बन्धित मुद्दा है। वे इसे उठाएंगे तो आप मुझे भी अनुमति दें। . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने आपको बता दिया। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकार है और उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अनुमति दी है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, वह अधिकार आपको भी है। यह न्याय कहां से हो रहा है, आप बतायें? अगर अध्यक्ष महोदय यहां उपलब्ध होते तो मुझे भी अनुमति देते। मैं समझाता हूं, आप सदन में बैठे हैं और आपको मुझे अनुमति देनी चाहिए। यह परम्परा गलत है। इस प्रकार से अगर होगा तो हम लोग जो सुबह नौ बजे आकर नोटिस देते हैं . . . *(व्यवधान)* महोदय, अगर उनको बुलाया जाता है तो मुझे भी बुलाया जाये। . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप इसमें सहयोग कीजिए। यह ठीक नहीं है। यह आधे घंटे की चर्चा है और आधे घंटे में समाप्त होनी है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय को चुनौती देंगे?

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैंने भी अध्यक्ष महोदय से अनुरोध कर दिया होता। नियम पुस्तिका यहां उपलब्ध है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : स्पीकर साहब ने विशेष अनुमति दी है। आप स्पीकर साहब की बात को तो चेलेंज नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप संक्षेप में कहेंगे ताकि उत्तर मिल सके।

डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने चिन्ता व्यक्त की है और हम लोगों को बुलाने का कष्ट भी किया है। इस पर बैठक भी हुई है। हिसाब यह है कि तीन वर्षों में देश के सभी राज्यों को 6200 करोड़ रुपये ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दिये गये, जिसमें से 3000 करोड़ रुपये 1999-2000 में, 2000 करोड़ रुपये 1998-99 में और 1100 करोड़ रुपये 1997-98 में दिये गये। यह पैसा देश के सभी राज्यों को दिया गया, लेकिन बिहार को शून्य मिला। 1999-2000 में एक पैसा भी नहीं मिला। 1998-99 में भी एक पैसा नहीं मिला।

1997-98 में एक करोड़ 47 लाख रुपए मिले। माननीय मंत्री की जो कैलकुलेशन है कि 800 वर्ष लग जाएंगे बिहार में विद्युतीकरण में, तो यह बात सही है। जब 6200 करोड़ रुपए देश के सभी राज्यों को मिले तीन वर्षों में, बिहार को एक पैसा भी नहीं मिले और बिहार से दुश्मन जैसा व्यवहार किया जाएगा तो 800 क्या दो हजार वर्ष भी बीत जाएंगे, लेकिन बिहार में विद्युतीकरण नहीं होने वाला है। आर॰इ॰सी॰ ने 40 करोड़ रुपया मंजूर किया है, लेकिन दुश्मनी के कारण नहीं दिया गया। 1989 तक 79 करोड़ रुपया दिया गया था उसका सूद फिर सूद दर सूद सब जोड़ कर 421 करोड़ रुपए हो गए। अब आर॰इ॰सी॰ कहती है कि पहले यह पैसा दो, अन्यथा हम आपको एक पैसा भी नहीं देंगे। इस कारण बिहार में 67000 गांव चिरागी हैं और दस हजार गांव बेचिरागी हैं। वहां पर कुल 77000 गांव हैं। उनमें से 25000 गांव ऐसे हैं, जिनमें फर्जी विद्युतीकरण हुआ, 14000 गांवों में तार डाल दिए गए और 3300 गांवों में पोल खड़े कर दिये गए, लेकिन तार नहीं डाले गए। इस वजह से वहां भारी विद्युत संकट है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस संदर्भ को देखते हुए कि बिहार के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, उपेक्षा हुई है, सन 1997-98

[डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह]

में भी हुई थी, वह पैसा एबेंस में डाल दिया जाए और ऋण देना शुरू करेगी तथा बकाया 421 करोड़ रुपए माफ करके आर॰इ॰सी॰ से फ्रैश ऋण देने की कहकर ग्रामीण विद्युतीकरण का काम सात वर्षों में शत प्रतिशत विद्युतीकरण कराने पर विचार करेंगी? नहीं तो बिहार में अगले आठ हजार वर्ष तक ग्रामीण विद्युतीकरण नहीं होगा।

सभापति महोदय : मैं सदन से अनुमति चाहूंगा कि समय समाप्त हो रहा है, मंत्री जी का भी जवाब आना है। अखिलेश जी प्रश्न पूछ कर समाप्त करें और जब तक मंत्री जी का जवाब पूरा हो तब तक सदन बैठेगा। क्या इस पर सदन की सहमति है?

कई माननीय सदस्य : जी हां।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, ऊ॰प्र॰) : उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वहां ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य धीमी गति से चल रहा है। बिहार को छोड़ कर देश के अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश विद्युतीकरण के मानक पर पिछड़ा हुआ है। अभी विगत तीन वर्षों के अंदर भारत सरकार से ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु और पम्प सेट ऊर्जीकरण हेतु जो धनराशि आवंटित की गई है, वह लगातार घटती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश के गांवों में विद्युतीकरण की स्थिति भी बड़ी विचित्र है। एक गांव के एक टोले या एक मजरे को विद्युतीकृत कर दिया गया तो समपूर्ण गांव को विद्युतीकरण से वंचित है और विद्युतीकरण जोड़ कर मान लिया गया है। जितनी बड़ी आबादी का क्षेत्रफल अभी भी ग्रामीण विद्युतीकरण से जो कागजों में दिखाया जा चुका है, वह गलत है। देश के शेष राज्यों के लगभग एक चौथाई विद्युतीकृत आबादी के बराबर का क्षेत्र हमारा अभी भी विद्युतीकरण में पिछड़ा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र का 60 प्रतिशत हिस्सा अभी भी विद्युतीकरण से बंचित है। बिहार को छोड़ कर देश के अन्य राज्यों के मानक के बराबर ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या ऊर्जा मंत्री जी केन्द्र से उत्तर प्रदेश के लिए अतिरिक्त धन का प्रावधान करेंगे? अभी तक हम लोग सांसद विकास निधि से विद्युतीकरण का कार्य कराते थे। अभी ऊ॰प्र॰ राज्य विद्युत बोर्ड ने एक नई गाईडलाइन दी है, जिसके तहत सांसद विकास निधि या विधायक विकास निधि से ग्रामीण विद्युतीकरण कराया जाना व्यावहारिक तौर पर सम्भव ही नहीं। उन्होंने यह कहा है कि जिन गांवों से 60 प्रतिशत की रिकवरी हमें प्राप्त नहीं होगी, हम वहां ग्रामीण विद्युतीकरण का काम नहीं कराएंगे, यह सम्भव ही नहीं है। क्या मंत्री जी सांसदों को केन्द्रीय स्तर से एक विशेष पैकेज देकर ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कराने का काम करेंगे?

श्री राजनव प्रताप रूडी : सभापति महोदय, मैं जिस प्रांत से आता हूं वहां रघुवंश प्रसाद सिंह जी ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए इस विषय पर उनका ज्ञान अधिक है। मैंने ऊर्जा से संबंधित बहुत से टर्मिनोलॉजी का अध्ययन किया है, सुना है और उनके बारे में जाना है लेकिन एक विषय पर माननीय मंत्री जी से समझना चाहूंगा कि पूरे देश में इलैक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है और आपके यहां जो प्रतिवेदन आता है, वह राज्यों से आता है कि कितना इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ है, लेकिन एक राज्य है जहां से एक प्रतिवेदन आता है कि इतने नंबर ऑफ विलेजेस का डी इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ है। एक तरफ विद्युतीकरण की श्रृंखला चल रही है और दूसरी तरफ डी-इलैक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, यह कौन सी नयी टर्मिनोलॉजी है?

इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह अपनी व्यवस्था के तहत भारत सरकार के नियमन के तहत मुझे समझाने का कष्ट करें कि बिहार राज्य से जो प्रतिवेदन प्राप्त होता है कि इतने गांवों का डी-इलैक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है, वह कृपा करके विस्तार से इस सम्मानित सदन को इस संबंध में बताएं तथा इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बिहार ही एक ऐसा प्रांत है जहां स्वर्गीय कुमारमंगलम जी ने रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के मामले में एक उच्चस्तरीय इन्क्वायरी ऑर्डर की थी। रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के बारे में हमारे देश में इंक्वायरी कहीं नहीं हुई है लेकिन बिहार में सी॰बी॰आई॰ को यह कार्य सौंपा गया कि वह पता करके बताए कि ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में कितना बड़ा घपला हुआ है? विभागीय स्तर पर चूंकि जब माननीय मंत्री जी ने यह कार्य सी॰बी॰आई॰ को सौंपा है तो अपने स्तर पर राज्य सरकार के माध्यम से दन दो मुद्दों पर-एक तो डी-इलैक्ट्रिफिकेशन की टर्मिनोलॉजी पर और दूसरे जो जांच के ऑर्डर बिहार में हुए हैं, क्योंकि हम भी देहात में रहते हैं और देश में हजारों गांवों में इसी तरह से हम देखते हैं कि बड़े-बड़े पोल गढ़े हैं लेकिन तार नहीं हैं, बिजली नहीं है, ट्रांसफॉर्मर नहीं है और वर्षों से अखबार में कागज में डी-इलैक्ट्रिफाइड दिखाया जाता है। बिहार में इलैक्ट्रिफिकेशन के लिए लगभग 1400 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी उस बंटे हुए राज्य के उस पुराने भाग में, जहां हमारे जैसे लोग बसते हैं, जहां रघुवंश बाबू जैसे लोग बसते हैं, वहां विद्युतीकरण करने के लिए केन्द्रीय सरकार से एक विशेष पैकेज बिहार को दिया गया है, माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बताएं कि किस तरह से अपने आप को समाहत कर रहे हैं?. . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा) : महोदय, मैं केवल एक मुद्दा उठाना चाहता हूं।. . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैंने मंत्री जी को बुला लिया है आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर : माननीय मंत्री महोदय, मुझे एक अवसर देने पर सहमत हैं।

सभापति महोदय : यह सही तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

यह रूल में नहीं है।. . . *(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जा रहा है। आप क्यों बोल रहे हैं?

(व्यवधान)

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : सभापति महोदय, मैं आपको और स्पीकर साहब को भी धन्यवाद देता हूँ और मूर्ति जी को भी धन्यवाद देता हूं कि आज इस विषय पर जो चिंता जताई गई है और जिसके लिए आज सदन ने अपना बहुमूल्य समय व्यतीत किया और मुझे भी एक मौका मिला कि इस बारे में सरकार की भूमिका से मैं सदन को अवगत करा सकूं। यह बात सही है कि हमारी स्थिति नौंवी पंचवर्षीय योजना में इलैक्ट्रिफिकेशन के मामले में काफी खराब हुई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना तक करीबन पांच साल तक 1,10,000 से भी ज्यादा विलेजेस का विद्युतीकरण करने का काम कर रहे थे। पिछले सालों में खास तौर से आठवीं और नौंवी पंचवर्षीय योजना में जिसमें आठवीं पंचवर्षीय योजना में और कम काम हुआ और नौवीं पंचवर्षीय योजना में उससे भी कम हुआ। इसके साथ यह भी सही है कि जो बातें यहां हमारे सामने रखी गई है, सातवीं पंचवर्षीय योजना तक हम जनरेशन के टार्गेट के काफी नजदीक जाने की संभावना रखते थे। लेकिन आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, में जो हमारा टारगेट था, उसके नजदीक भी जाने का मौका नहीं मिला। ग्रामीण विद्युतीकरण के साथ-साथ हमारी जो समस्यायें हैं।. . . *(व्यवधान)*

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : जो आंकड़े आपके पास आए हैं, क्या वे सही हैं?. . . *(व्यवधान)*

सायं 6.31 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, विद्युतीकरण की समस्या हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ी चिन्ता है। पिछले समय जब लोक सभा में चर्चा कर रहे थे, तो मैंने कहा था, यदि यह स्थिति चलती रहेगी, तो बिहार जैसे राज्य को पूरे ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 800 से भी ज्यादा साल लग सकते हैं। हम चिन्तित हैं और यह हमारे लिए कोई गौरव का विषय नहीं है। पश्चिम बंगाल की स्थिति भी खराब है और उत्तर प्रदेश के बारे में अभी आपने कहा है। मैं मानता हूं, यदि यह स्थिति चलती रहेगी, तो हमने जो लक्ष्य रखा था, उसके करीब भी हम नहीं जा सकेंगे। इसलिए सरकार ने तय किया है और हम बहुत जल्द एक ऐसी योजना बना रहे हैं, जिसकी सहायता से- वित्त मंत्री जी सदन में आ गए हैं, सही मायने में उनकी सहायता से, उनकी निजी सहायता से-हम एक निश्चित समय में ग्रामीण विद्युतीकरण के काम को पूरा कर सकेंगे। मैं माननीय मूर्ति जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

महोदय, बिजली एक ऐसी कमोडिटी है, जिसको मुफ्त नहीं दिया जा सकता है। बिजली को जनरेट करने के लिए पैसे लगते हैं। वे पैसे यदि हम सही मायने में इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को वापस नहीं दे सकेंगे, तो आगे आने वाले दिनों में, चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, यह राज्य सरकार बिजली निर्माण के कार्य में विफल रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हमने इसी संसद में पास किया और 1983 में अमेंडमेंट करके संसद में कहा गया था कि कम से कम तीन परसेंट जो कैपिटल एम्पलाय किया जाता है, वह स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को मिलना चाहिए। इसके बाद जो प्रोफिट बचता है, उसके हिसाब से टैरिफ तय करना चाहिए। इतना होने के बाद भी यदि एव्रेज निकालेंगे, तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 18 परसेंट का घाटा रहा है। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। इसके साथ ग्रामीण विद्युतीकरण का मामला जुड़ा हुआ है। ग्रामीण विद्युतीकरण स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की प्राथमिक जिम्मेदारी है। लेकिन इस जिम्मेदारी को पूरा करने में जो दिक्कत आती है, उसको ध्यान में रखते हुए, केन्द्र शासन ने पहले से ही रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन के माध्यम से और प्लान आउटले देने के बाद, हमने रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन से काम कराने की कोशिश की। जैसा मैंने कहा, हम सातवीं पंचवर्षीय योजना तक काफी हद तक सफल रहे। आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जिन राज्यों में इलैक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, उन राज्यों में फन्ड्स जिस तरीके से लेने की जरूरत है, वे फन्ड लेने में इसलिए विफल रहे, क्योंकि इन्टरैस्ट बेरिंग फन्ड्स हैं। रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन भी एक आर्गेनाइजेशन है। जब वे पैसा चाहते हैं, तो पैसा लेने के लिए मार्केट से बोरो करते हैं। मार्केट से बोरो करके पैसा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को दिया जाता है। अगर वह पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो आगे आने वाले दिनों में रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कार्पोशन को देने के लिए भी पैसा नहीं रहेगा, तो डिफाल्ट करेंगे। मैं मानता हूं कि राज्यों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। इसलिए जो राज्य पैसा नहीं देते हैं, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। बिहार के साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री को हमने दिल्ली आमंत्रित किया है। आपसे भी विनती की है। जितनी जल्दी हो सके, यदि रि-शैड्युलिंग की जरूरत है, तो हम जरूर ध्यान देंगे। यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है और जितनी जल्दी हो सके, हमारा बिहार की तरफ ध्यान है। पश्चिम बंगाल की भी यह स्थिति है। मुझे पता था, श्री बसुदेव आचार्य सवाल करेंगे। इसलिए पश्चिम बंगाल रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन, रूरल एनर्जी। डवेलपमेंट कार्पोरेशन से मैंने फीगर्स मंगवाई हैं। उनसे पूछा है, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, जिसके आधार पर इस तरह का पूरा इलैक्ट्रिफिकेशन कर पायेंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं पश्चिम बंगाल को भी जितनी पूंजी की जरूरत है, जरूर देंगे। वहां के एनर्जी मिनिस्टर मिले थे। उनसे विनती की है कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार के साथ एम॰ ओ॰ यू॰ साइन करे, जिसकी सहायता से पूंजी देने का काम शुरू कर सकें। मूर्ति जी ने जो और सवाल पूछे हैं, उनके बारे में मैं बिल्कुल सहमत हूं। यह बात सही है कि आज जो हमारे विलेज इलैक्ट्रिफिकेशन की डेफिनेशन है, वह बहुत मिसलिडिंग डेफिनेशन है। उससे हम यह बिलकुल दावे से नहीं कह सकते कि पूरे विलेज में पूरी तरह से इलैक्ट्रीफिकेशन हो गया है। 31 प्रतिशत ही रूरल हाउसहोल्ड्स में इलैक्ट्रीफिकेशन का काम पूरा हुआ है। इसलिए आप जो उत्तर प्रदेश की बात कह रहे हैं उससे भी मैं बिलकुल सहमत हूं हमें आगे आने वाले दिनों में पहले तो विलेज इलैक्ट्रीफिकेशन का टारगेट रखना होगा और बाद में बस्तियों के इलैक्ट्रिफिकेशन का भी रखना होगा। आज प्लानिंग कमीशन के मुताबिक चार लाख से ज्यादा बस्तियां ऐसी हैं।. . . *(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : महोदय, हमारा एक सवाल है कि जिन राज्यों में विद्युत बोर्ड ने स्वीकार किया है कि यह पैसा हमने खा लिया, पैसा बर्बाद हो गया, वहां क्या कार्यवाही होगी? . . .*(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, जैसे मैं कह रहा था कि जो चार लाख से ज्यादा हरिजन, दलित बस्तियां हैं, वहां भी विद्युतीकरण का काम करने के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से यदि ज्यादा धन देते हैं तो जिस काम के लिए पैसा दिया जाता है, उसी काम के लिए उस पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए। रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन और भी धन देता रहेगा।.आजकल प्लान से भी ज्यादा पैसा जा रहा है। जैसे आप कह रहे थे, हमने इसी साल से एक नयी पद्धति की शुरूआत की, क्योंकि रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन से बॉरो करने के बाद स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड को पैसा वापस करने में दिक्कत आती है। इसलिए हमने यह तय किया कि उन्हें डायरेक्ट प्लान से ही पैसे दिए जाएंगें।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने फाइनेंस बिल में बजट में जो प्रोविजन किया था, वह पैसा डायरेक्ट स्टेट्स को ही दिया जा रहा है, ताकि उसका इस्तेमाल इलैक्ट्रीफिकेशन के लिए किया जा सके। मैं आपकी चिन्ता से सहमत हूं जब तक इस पूंजी का इस्तेमाल उसी काम के लिए नहीं किया जाएगा।. . .*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे : जिन राज्यों के विद्युत बोर्ड ने स्वीकार किया है कि हमने पैसा खा लिया है। . . . *(व्यवधान)* जहां पैसा समाप्त हो चुका है, वहां क्या कार्यवाही होगी?. . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप आधे घंटे की चर्चा में क्लेरीफिकेशंस कैसे पूछेंगे?. . .*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे : महोदय, हम लोगों ने 18 हजार गांवों में बिजली लगाने का तय किया था, लेकिन वहां अभी तक कहीं बिजली नहीं लगी।. . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप आधे घंटे की चर्चा में क्लेरीफिकेशंस कैसे पूछेंगे?

श्री सुरेश प्रभु : अखिलेश जी ने पूछा है कि एमपी लैड से जो धन दिया जाता है, चुनाव क्षेत्र में उस पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस पूँजी को किस तरह से लगाया जाए। मैं खुद यू०पी० स्टेट से बात करके इस मामले को हल करूंगा।. . .*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : हम लोगों ने जो पूंजी फिक्स की है, वह नहीं मिल रही है और राज्य सरकार की तरफ से बिजली बोर्ड कहते हैं कि हम यह काम नहीं कर पाएंगें। हम कहां जाएंगे? *(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभु : मैंने कहा कि हम इसमें जो पालिसी है उसे ठीक तरह से देख रहे हैं। हमने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से भी बात की है। इस पूरे विलेज इलैक्ट्रीफिकेशन में पालिसी में क्या चेंज करने की जरूरत है, लोन कम्पोनेंट में किस तरह चेंज हो सकता है। इंटरस्ट का कम्पोनेंट, इंटरस्ट सब्सिडी देने की जरूरत है या नहीं, इन सभी सवालों पर हम सोच रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में हम जल्दी ही इसका हल निकाल सकेंगे। हमारे मित्र रूडी ने डी-इलैक्ट्रीफिकेशन के बारे में पूछा। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में कई देहातों में, जहां पहले विद्युतीकरण हुआ था, वहां, आज विद्युतीकरण नहीं हो रहा। इसका जो इनवेस्टीगेशन मेरे से पहले कुमार मंगलम जी ने किया था, उसे भी हम दोबारा देखेंगे। स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड को भी चिन्ता है। वी०पी० सिंह जी ने जो कहा था उसके ऊपर भी हमारा ध्यान है।

महोदय, मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरा सदन इस बात के लिए चिन्तित है और स्थिति को सुधारने के लिए शायद एक नया लेजिस्लेशन भी लाना होगा। हम पावर रिफार्म्स के साथ जोड़ कर ही विलेज इलैक्ट्रीफिकेशन को सुधार सकते हैं, इस लेजिस्लेशन से इसे सपोर्ट मिलेगा। इसमें भी सदन हमारी पूरी सहायता करेगा। आपने जो चिन्ता प्रकट की है उन सभी चिन्ताओं को भी दूर करने का काम हमारी सरकार जरूर करेगी।

सायं 6.39 बजे

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची का संशोधन करने वाली अधिसूचना का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा मद संख्या 23 पर विचार करेगी। श्री यशवन्त सिन्हा बोलेंगे।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ।

"कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अनुसरण में यह सभा एतद् द्वारा 17 अक्टूबर, 2000 की अधिसूचना संख्या 132/2000-सी० शु० [सा०का०नि० 793 (अ) दिनांक 17 अक्टूबर, 2000] का अनुमोदन करती है जिसका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची को संशोधित करना है ताकि चर्म, खालों तथा चमड़ों, शोधित तथा अशोधित, सभी तरह के लेकिन इसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची के शीर्ष संख्या 14 के अन्तर्गत आने वाले चमड़ों के उत्पाद शामिल नहीं है, पर उद्ग्रहणीय निर्यात शुल्क को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जा सके।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अनुसरण में यह सभा एतद् द्वारा 17 अक्टूबर, 2000 की अधिसूचना संख्या 132/2000-सी० शु० [सा०का०नि० 793 (अ) दिनांक 17 अक्टूबर, 2000] का अनुमोदन करती है जिसका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची को संशोधित करना है ताकि चर्म, खालों तथा चमड़ों, शोधित तथा अशोधित, सभी तरह के लेकिन इसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची के शीर्ष संख्या 14 के अन्तर्गत आने वाले चमड़ों के उत्पाद शामिल नहीं है, पर उद्ग्रहणीय निर्यात शुल्क की 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जा सके।"

श्री वरकला राधाकृष्णन, क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : जी हाँ महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ।

1. कि संकल्प में

"60%" के स्थान पर

"100%" प्रतिस्थापित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण आज हमें दो तीन घंटे अधिक काम करना है। मैं संसदीय कार्य मंत्री को भी रात्रि-भोजन का आयोजन करने के लिए कह रहा हूँ। मेरे विचार से सभा इस पर सहमत है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमें कितने समय तक बैठना है?

संसदीय कार्य और सूचना औद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महोजन) : यह आप पर निर्भर करता है। हमें आज की सूचीबद्ध कार्यवाही पूरी करनी है।

अध्यक्ष महोदय : हम कार्य पूरा होने तक बैठेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या आप पूरी कार्य-सूची को समाप्त करना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय : आपको कम से कम तीन घंटे तक अर्थात कार्यवाही पूरी होने तक बैठना है।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मैं आपकी अनुमति से तीन आवश्यक अध्यादेशों को पारित करवाने में सभा की भागीदारी चाहता हूं दूसरी सभा में इन्हें केवल तभी पारित किया जा सकता है . . . *(व्यवधान)*

हमारे पास आज बैठने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है।

अत: मेरा माननीय सदस्यगण से अनुरोध है कि यदि वे थोड़ा संक्षेप में बोलें तो हम इन्हें जल्दी पारित कर सकते हैं। यह उनके हाथ में है।. . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में भी सभी नेतागण इससे सहमत थे।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, इस सांविधक संकल्प के लिए मैं वित्त मंत्रालय की सराहना करता हूँ। उन्हें संभवत: इन मदों पर निर्यात-शुल्क बढ़ाना अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि अधिसूचना में संशोधन का सम्बन्ध चमड़े, खालों, शोधित तथा अशोधित, सभी प्रकार के परन्तु इसमें शीर्ष सं॰ 14 के अंतर्गत आने वाले चमड़ों के उत्पाद शामिल नहीं हैं, पर उद्ग्रहणीय निर्यात शुल्क को बढ़ाने से है।

मुझे भली प्रकार मालूम है कि यदि आप कच्चा-माल, जो वस्तु निर्माण में मूल वस्तु होता है, को निर्यात करेंगे अथवा उसके निर्यात को प्रोत्साहित करेंगे तो निर्यात बाजार में बेचे जाने वाली मूल्य-वर्धित वस्तुओं पर उसका प्रभाव पड़ेगा और देश को काफी राजस्व-घाटा उठाना पड़ेगा।

यह सच है कि हमारे यहाँ से बहुत सा चमड़ा और खालें न केवल निर्यात की जाती हैं अपितु उनकी तस्करी भी होती है। जब मेरे अधीन वाणिज्य मंत्रालय था, उस समय मैंने देखा कि वास्तव में हमारे देश में चमड़ा और खालों को चोरी छिपे बाहर भेजा जाता है। मैं उन देशों के नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि उनके साथ हमारे राजनयिक संबंध हैं। परंतु ऐसे कुछेक पड़ोसी देश है जो अपने देश में चमड़े और खालों के उत्पादन से अधिक निर्यात करते हैं। अत: उस समय मैंने महसूस किया कि तस्करी पर रोक लगाई जानी चाहिए और सीधे कच्चा माल निर्यात करने के स्थान पर हमें मूल्य-वर्धित वस्तुओं का उत्पादन अधिक करना चाहिए। यहां मैं एक विचारणीय सुझाव की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

उन्होंने कहा है, "शोधित और आशोधित, सभी प्रकार के परंतु चमड़े के उत्पाद उसमें शामिल नहीं है। शोधन क्रिया निर्माण प्रक्रिया के अन्तर्गत आती है। यह सामान्य प्रक्रिया नहीं है। आजकल यह निर्माण की प्रक्रिया के दौरान की जाती है विशेष तौर पर चमड़े के मामले में जिसे वस्त्र और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए तत्काल कारखाने में भेजा जाता है। वे शोधन की स्थिति से गुजरते हैं। पुरातन काल में भी शोधन-कार्य किया जाता था। यहां तक कि 15 वर्ष पहले तक शोधन कार्य बड़े पुराने ढंग से किया जाता था। परन्तु यह मैं जानता हूँ कि पिछले दस वर्षों में यह कार्य किस प्रकार किया जाता रहा हैं। मैं स्वंय चेन्नई स्थित एक शोधन संयंत्र में गया था। शोधन कार्य उसी स्थान पर निर्माण-प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसीलिए हमारा कहना यह है कि चमड़े के निर्माताओं को शीर्ष संख्या 14 के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाना चाहिए। वह शोधित और अशोधित के बारे में भी बोल रहे हैं। मैं उसकी व्याख्या समझ नहीं सका। क्या उनका तात्पर्य यह है कि शोधित-वस्तु से उन्हें अधिक निर्यात-शुल्क प्राप्त होगा। क्या ऐसा चमड़ा निर्माताओं को शामिल न करके होगा? मुझे ये दो प्रश्न स्पष्ट नहीं है। क्या माननीय मंत्री स्पष्टीकरण देंगे?

मेरी दूसरी बात यह है कि आपने खाल और चमड़े का उल्लेख किया है। "चमड़े" से आपका क्या तात्पर्य है? ये बहुत ही स्पष्ट है कि हम चमड़े (हाइड्स) और खालों को चमड़ा नहीं कहते। जब उन्हें गर्म करके अथवा रंग कर निर्मित अथवा शोधित किया जाता है, केवल तभी उसे चमड़ा कहा जाता है। फिर आप इसे चमड़ा कह सकते हैं। एक ओर आपका कथन है खालें और चमड़ा (लैदर)। दूसरी ओर आपका कहना है, चमड़े के उत्पादकों को मिलाकर। अशोधित चमड़े का तात्पर्य क्या है यह मैं समझ सकता हूँ। हम अशोधित चमड़े को आमतौर पर चमड़ा नहीं मानते बल्कि शोधित चमड़े को चमड़ा मानते हैं। चमड़े की केवल दो परिभाषाएं होती हैं। शोधन प्रक्रिया के पश्चात प्राप्त चमड़ा और सीधे तैयार वस्तुओं के रूप में चमड़ा, जो निर्माताओं को भेजा जाता है। यदि यह बात स्पष्ट नहीं होती तो फिर मेरे विचार से सीमा-शुल्क विभाग को निर्यात-शुल्क लगाते हुए या वसूलते समय काफी भ्रांती होगी।

[श्री प्रियरंजन दास मुंशी]

महोदय, मैं इस पद्धति की सराहना करता हूँ परंतु मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन्हें वाणिज्य मंत्री से सूचना प्राप्त हुई है कि उन्होंने इस मामले में उद्योग को विश्वास में लिया है अथवा नहीं। पिछले दशक में विश्व बाजार में निर्यात के लिए हमारी तीन वस्तुएं हीरा, समुद्री उत्पाद और चमड़ा छाये रहें। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस मामले से मूल्य-वर्धित वस्तुओं के निर्यात में पर्याप्त इजाफा होना और क्या मंत्रालय ने चमड़ा उद्योग अथवा चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद को विश्वास में लिया है अथवा नहीं। इस प्रश्न को भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

इन कुछेक प्रश्नों के साथ, मैं संकल्प का समर्थन करता हूँ और इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिए अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, आपने इस संकल्प पर बोलने के लिए कोई सूचना नहीं दी है आपने केवल अपने संशोधनों के लिए ही सूचना दी है।

श्री वरकला राधाकृष्ण : मुझे बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु उसके लिए आपको सूचना देनी पड़ेगी।

श्री वरकाला राधाकृष्णन : वह मैं दूँगा।

अध्यक्ष महोदय : कब?

श्री वरकाला राधाकृष्णन : मेरा विचार था कि जब मेरे संशोधन प्रस्तुत किए जाएंगें, तब मुझे बोलने की अनुमति दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है केवल दो मिनट दिए जांएगे।

श्री प्रिय रंजन दासमुंशी : महोदय, इस सभा में दो सदस्यों को नोटिस दिए बिना भी अनुमति दी जा सकती हैं। एक श्री रामदास आठवले हैं और दूसरे वरकाला राधाकृष्णन।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैंने यह संशोधन निश्चित सिद्धांतों पर प्रस्तुत किया।

मैं घरेलू उत्पादों के हितों की रक्षा करने के प्रयोजन से आगे आने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी की भावनाओं की प्रशंसा करता हूँ। यह एक अच्छा कदम है क्योंकि वह भारत में कच्चे मालों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना चाहते हैं जिसकी तस्करी और निर्यात नामात्र के शुल्क पर किया जा रहा हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि निर्यात शुल्क को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार की सामग्रियों के निर्यात पर पूर्ण रोक हो सके। इससे भारत के घरेलू उद्योग विशेषकर चमड़ा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए उसकी संरक्षा के लिए यह एक अच्छा उपाय है।

महोदय, यह नीति दूसरे उद्योगों पर भी लागू की जानी चाहिए। मैं यहाँ यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि नारियल तेल, गोला-गरी और रबड़ सभी घरेलू उत्पाद हैं, परंतु उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है तथा आयात शुल्क कमोबेश हटा लिया गया है। बिना किसी प्रतिबंध के नारियल तेल, गोला-गरी और रबड़ का आयात किया जा रहा है। हाल ही में आयात शुल्क में बढ़ोतरी का आदेश दिया गया है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। यदि यह सिद्धान्त कृषि उत्पादों विशेषकर, गोला-गरी, नारियल तेल और रबड़ के मामले में लागू कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से इससे हमारे घरेलू उद्योग को सहायता मिलेगी।

महोदय, माननीय मंत्री जी घरेलू चमड़ा उद्योग के संरक्षण के लिए आगे आए हैं जो एक स्वागत योग्य कदम है। ऐसा करते हुए उसी प्रकार की भावनाएँ होनी चाहिएं क्योंकि यह सीमा शुल्क निति का मामला है। इसलिए इन सभी सामग्रियों पर आयात शुल्क 300 प्रतिशत अथवा 200 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाए ताकि कम से कम दक्षिण भारत के नारियल उत्पादक किसानों और केरल के रबड़ उत्पादकों को भी बचाया जा सके जो भारत में उत्पन्न होनेवाले रबड़ का लगभग 90 प्रतिशत उपजाते हैं। उनकी सहायता करने के लिए उनके मामले में भी यही नीति लागू की जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, इसकी अत्यधिक संक्षिप्त पृष्ठभूमि यह है कि 1972-73 से भारत ने कच्ची खाल एवं चमड़ी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है।

जब विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था लागू हुई तथा हमारा व्यापार दोनों तरफ से सभी प्रतिबंधों से मुक्त हो गया तब इसे ऐसे प्रतिबंध के रूप में माना जाने लगा तो विश्व व्यापार संगठन के उपबंधों के अनुकूल नहीं था। इसलिए यूरोपीय संघ ने हमें विश्वव्यापार संगठन तक पहुँचाया है तथा वे उन प्रतिबंधों का विरोध कर रहे हैं जो हमने खाल एवं चर्म के निर्यात पर लगा रखे थे। वाणिज्य मंत्रालय ने महसूस किया कि इस बात की संभावना है कि वे जीत जाएं तथा हम हार जाएं। यदि हम विश्व व्यापार संगठन में अपना याद हार जाते हैं तो उस समय अतिरिक्त निर्यात शुल्क लगाना जटिल हो जाएगा। इसलिए वाणिज्य मंत्रालय ने सुझाव दिया कि एक ओर हम विद्यमान प्रतिबंधों को हटा दें। साथ ही हम उस निर्यात शुल्क को इस स्तर तक बढ़ा दें कि वह अपने आप ही कच्चे खाल और चर्म के निर्यात को प्रभावशाली तरीके से हतोत्साहित करेगा। इसलिए उन्होंने वित्त मंत्रालय को सुझाव दिया कि हम शुल्क की वर्तमान 25 प्रतिशत दर को बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दें। सीमा शुल्क अधिनियम के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए हमने अक्टूबर में ऐसा कर दिया। अब मैं सभा के समक्ष इस संकल्प के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ।

अब मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा कच्ची खाल एवं चर्म के संबंध में उठाए गए मुद्दों को स्पष्ट करना चाहता हूँ। मेरे पास उन सभी मदों की सूची है जिन पर यह लागू किया जाना है। कच्ची खाल एवं चर्म तथा सभी प्रकार की चमड़ी पर, मेमने की चमड़ी को छोड़कर यह शुल्क 25 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अर्ध संसाधित खाद्य एवं चर्म गोली और नीली चमड़ी की श्रेणी हैं। वाणिज्य मंत्रालय का कार्यभार संभालने के कारण वह यह जानते हैं। इस पर शुल्क की दर 60 प्रतिशत करके इसे भी शामिल कर रहे हैं क्योंकि यह अर्ध संसाधित है।

क्रस्ट चमड़ा एक अन्य प्रकार का चमड़ा है और इस पर भी हम 60 प्रतिशत का शुल्क लगा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास दो प्रकार के दूसरे अस्तर चमड़े हैं-यथा गाय और भैंस की खाल

और बछड़े की चमड़ी से प्राप्त आस्तर अपरिष्कृत घाग चर्म तथा बकरी, मृग शावक, मेमना और भेड़ के चमड़े से प्राप्त अस्तर अपरिष्कृत घाग चर्म। इन्हें भी इसी श्रेणी में शामिल किया जा रहा है। इसलिए जब मैं अपने संकल्प में यह कहता हूँ सभी प्रकार के खाल, चर्म और चमड़ों शोधित अथवा अशोधित-इन पर शुल्क लगाया जाएगा परंतु चमड़े के विनिर्माताओं पर नहीं। मैं समझता हूँ कि वाणिज्य मंत्रालय इन परिभाषाओं को अच्छी तरह समझता है तथा इस संबंध में सीमा शुल्क अधिकारियों में भी किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होगा।

जहाँ तक व्यापार संगठन में परामर्श का प्रश्न है, मैं श्री वरकला राधाकृष्णन का भी उल्लेख करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने सुझाव दिया है कि इसे 100 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाए जबकि हमने केवल 60 प्रतिशत शुल्क लगाया हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने मुझे आश्वासन दिया है कि उन्होंने व्यापार संगठन से व्यापक विचार-विमर्श किया हैं। इसी के बाद ही उन्होंने संयुक्त रूप से यह निष्कर्ष निकाला है कि खालों एवं चमड़ियों तथा परिष्कृत एवं अर्द्ध परिष्कृत चमड़ों के निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए 60 प्रतिशत शुल्क पर्याप्त होगा। इसलिए वे समझते हैं कि पर्याप्त संरक्षण दिया गया है तथा इसे 100 प्रतिशत तक बढ़ाना आवश्यक नहीं है। नि:सन्देह हम स्थिति पर निगरानी रखेंगे। जब कभी हम पाएंगे कि निर्यात शुल्कों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है, हम ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी और श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा उठाए गए उस सामान्य सिद्धांत के बारे में जिसका अनुसरण किया जा रहा है के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि सामान्य सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है। मोटे तौर पर हमारा देश इस सामान्य सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है कि हमें कच्चे माल की बजाय मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : हमारे खाल एवं कच्चे चर्म यूरोपीय संघों के खाल और कच्चे चर्म से 60 प्रतिशत सस्ते हैं। इसलिए मुझे डर था कि यदि आप निर्यात शुल्क बढ़ा भी देते हैं तथा यूरोपीय चर्म एवं अन्य प्रकार के कच्चे माल का अध्ययन नहीं करते हैं, तो हमें अन्तत: भारी नुकशान, होगा क्योंकि यूरोपीय संघ के मूल चर्म की कीमत की तुलना में हमारे मूल कच्ची चर्म की कीमत बहुत कम है।

जैसा कि मैंने कहा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा मुझे आश्वस्त दिया गया है कि घरेलू चमड़ा उद्योग के लिए यह संरक्षण पर्याप्त है।

दूसरा मुद्दा जिस पर मैं बात कर रहा था वह यह है कि हम सामान्यत: इस सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। यह केवल इस सरकार के बारे में सत्य नहीं है, यह सभी सरकारों के बारे में सत्य रहा है कि हमने सामान्यत: इस सिद्धांत का अनुसरण किया कि हमें मूल्य वर्जित उत्पादों का निर्यात करना चाहिए, हमें यथासंभव मूल्य संवर्धन करना चाहिए। काजू का उदाहरण लीजिए। हमारे पास कच्चे काजू की कमी है। हम कच्चे काजू का दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं और अपने यहाँ इसे संसाधित करके दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं क्योंकि हम अपना बाजार बनाए रखना चाहते हैं।

इसी तरह से चाय के मामले में भी प्रगति हो रही है। हमारे देश में अब थोक की जगह पैकेज और ब्रान्डेड चाय ने स्थान ले लिया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं पृथक मुद्दे के बारे में बात कर रहा था।

श्री यशवंत सिन्हा : जी हां। वह किसी दूसरे मुद्दे के बारे में बात कर रहे थे। वह आयात के संबंध में दूसरा मुद्दा है। जो वर्तमान संकल्प के अंतर्गत नहीं आता है तथा जब कभी इस सभा में मुझे अवसर मिलेगा मैं इस बारे में बात करूँगा।

मैं सरकार द्वारा उठाए गए इस उपाय के प्रति प्रदर्शित समर्थन के लिए सदस्यों का आभारी हूँ तथा अनुरोध करता हूँ कि सभा इस संकल्प को स्वीकृत करे।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प पर संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखूँगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सांविधिक संकल्प–स्वीकृत

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उपधारा(3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अनुसरण में यह सभा एतद् द्वारा 17 अक्टूबर, 2000 की अधिसूचना संख्या 132/2000-सी॰ शु॰ [सा॰का॰नि॰ 793 (अ) दिनांक 17 अक्टूबर, 2000] का अनुमोदन करती है जिसका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची को संशोधित करना है ताकि चर्म, खालों तथा चमड़ों, शोधित तथा अशोधित, सभी तरह के लेकिन इसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची के शीर्ष संख्या 14 के अन्तर्गत आने वाले चमड़ों के उत्पाद शामिल नहीं है, पर उद्ग्राहणीय निर्यात शुल्क को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जा सके।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सांय 6.58 बजे

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : हम मद संख्या 24 और 25 पर एक साथ विचार करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य बोलेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा 26 सितम्बर, 2000 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (2000 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है।"

[श्री बसुदेव आचार्य]

महोदय, मैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक के विरोध में नहीं हूँ। परंतु उसके लिए अध्यादेश लाने की आवश्यकता नहीं लगती। उसकी कोई अनिवार्यता नहीं थी। इसे उस समय प्रख्यापित किया गया, जबकि सभा का सत्र बुलाने के लिए मात्र एक या दो सप्ताह पहले सूचना भेजी जा रही थी।

इस अंतर्सत्रावधि के दौरान अनेक लगभग पाँच अध्यादेश प्रख्यापित किये गये हैं। यद्यपि हम एक विशेष अध्यादेश प्रख्यापित करना चाहते थे, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। ग्यारहवें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा राहत कोष की स्थापना के संबंध में इस की सिफारिश की थी। अंततः, एक विधेयक परिचालित किया गया और बाद में इसे पुरःस्थापित किया गया। मुझे नहीं मालूम कि इस विधेयक को सभा में विचार और पारित करने हेतु कब लाया जायेगा।

सांय 6.59 बजे

[श्री पी०एच० पांडियन *पीठासीन हुए*]

वह अध्यादेश जिसकी तत्काल आवश्यकता थी प्रख्यापित नहीं किया गया परन्तु यह अध्यादेश, जो आवश्यक नहीं था, उसे प्रख्यापित किया गया। सरकार को इस सत्र में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियमन, जो 1982 में बनाया गया था, में संशोधन करने के लिए विधेयक लाना चाहिए था।

माननीय मंत्री ने उद्देश्यों और कारणों संबंधी वक्तव्य में इस संशोधन को लाने के कारणों का उल्लेख किया है क्योंकि हमारे पास नाबार्ड के स्थापित होने के समय से 18 वर्ष का अनुभव है।

अपराह्न 7.00 बजे

इसमें अनेक खामियां है। क्या हमें नाबार्ड स्थापित करने का उद्देश्य प्राप्त हो गया है? अभी तक नाबार्ड का मुख्य काम समेकित ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों के विकास, लघु उद्योगों, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों और संबंद्ध कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सहकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों इत्यादी का पुनः वित्त पोषण करना है।

इसकी स्थापना के 18 वर्षों में नाबार्ड की उपलब्धियों और खामियों के बारे में हम जानना चाहते हैं। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के रास्ते में नाबार्ड को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसे यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है। इस संशोधन को लाने का कारण है पर्याप्त मात्रा में पूंजी की प्राप्ति। अब मंत्री जी इसे 500 करोड़ रु० से बढ़ाकर 5000 करोड़ रु० करने का प्रस्ताव कर रहे हैं।

इस विधेयक का एक अन्य उद्देश्य जो यहाँ बताया जा रहा है, नाबार्ड को कार्यकारी स्वायतता प्रदान करना है। मुझे आशंका है कि इस विधान के पारित होने के पश्चात भी नाबार्ड को कार्यकारी स्वायतता देने का उद्देश्य, जिसका प्रस्ताव मंत्री जी कर रहे हैं, प्राप्त हो सकेगा अथवा नहीं। मंत्री महोदय यह स्वायतता किस प्रकार और किस सीमा तक प्राप्त करना चाहते हैं? क्या कार्यकारी स्वायतता देनी भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण हटाने के लिए आवश्यक है अथवा इसका उद्देश्य नाबार्ड को स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ बनाना है?

धारा 19 में संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि स्टेट बैंक को बंध-पत्र डिबेंचर और अन्य वित्तीय दस्तावेज सरकारी गारंटी के साथ-अथवा उसके बिना जारी करने की शक्ति प्रदान करने के लिए नाबार्ड की गतिविधियाँ बढ़ाई जा सकें। इस समय सरकारी गारंटी आवश्यक है। अब नाबार्ड को सरकारी गारंटी के बिना बंध पत्र, डिबेंचर जारी करने का अधिकार देने और केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना भारतीय रिजर्व बैंक तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी संगठन अथवा संस्थान से दीर्घ कालीन ऋण प्राप्त करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में केन्द्र सरकार की अनुमति अपेक्षित है। इसका अधिनियम में संशोधन के पश्चात क्या इस अनुमति की जरूरत पड़ेगी? क्या इस अधिनियम में संशोधन करके, सरकार नाबार्ड को कार्यकारी-स्वायतता प्रदान करना चाहती है?

महोदय , एक अन्य समस्या जो लगभग अन्य सभी राष्ट्रीयकृत बैंक भी झेल रहे हैं, नाबार्ड के सामने आयेगी और यह समस्या एन०पी०ए० के संबंध में है। आजकल नाबार्ड राज्य सहकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों का पुनः वित्त पोषण कर रहा है। परंतु इसके अतिरिक्त इसकी गतिविधियाँ अन्य क्षेत्रों में बढ़ाने का प्रस्ताव है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इसके परिणाम स्वरूप नाबार्ड को अप्रयोज्य परिसंपत्तियों के संबंध में इसी समस्या का सामना करना पड़ेगा या नहीं? माननीय मंत्री को यह बात स्पष्ट करनी चाहिए। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या इस विधेयक में कोई सुरक्षोपाय भी है अथवा नहीं। मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी सुरक्षोपाय की व्यवस्था की गई है।

सरकार यह संशोधन पिछले अठारह वर्षों के अनुभव के आधार पर ला रही है। प्रश्न यह है कि हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें सुलझाने का कोई प्रस्ताव है अथवा नहीं, इस विधेयक में इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है।

मैं व्यक्तिगत रूप से इस विधेयक के विरोध में नहीं है। परंतु मेरा विरोध इस बात पर है कि अनावश्यक अध्यादेश को प्राख्यापित किया गया। इस अध्यादेश को लाने की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं थी। सरकार को अध्यादेश प्रख्यापित करने के स्थान पर इस सत्र के दौरान यह विधेयक लाना चाहिए था।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ *

> "राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, श्री बसुदेव आचार्य को अध्यादेश प्रख्यापित किए जाने पर आपत्ति होने के बावजूद उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। इस विधेयक का उद्देश्य कृषि, ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योग, हस्तशिल्पों के विकास, बल्कि पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास, किसानों को क्रेडिट-कार्ड वितरित करने, स्वयं सहायता समूहों और इसी प्रकार के अन्य समूहों की मदद करने की नाबार्ड पर डाली गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में उसे वित्तीय रूप से और एक संस्था के रूप में समर्थ बनाने के उद्देश्य से नाबार्ड अधिनियम में व्यापक संशोधन करना है।

इस विधेयक में, किन उपबंधों में संशोधन किया जाना है तथा क्यों किया जाना है, इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इस संबंध

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

में मैं सभा का समय नहीं लूंगा। मैं केवल यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि इस तथ्य के बावजूद कि हम यह व्यापक संशोधन लाना चाहते थे तब भी झिझकते हुए हम यह अध्यादेश लाये और नाबार्ड अधिनियम के मात्र एक प्रावधान तक ही हमने स्वयं को सीमित रखा। यदि सरकार की नीयत अच्छी नहीं रही होती, तो हम इस संपूर्ण विधेयक को अध्यादेश के रूप में इस सभा में ला सकते थे। परंतु हमने ऐसा नहीं किया। अध्यादेश के माध्यम से हमने केवल अनुच्छेद 19 में संशोधन किया है और वह भी सभा को स्मरण होगा, मैंने इस वर्ष के बजट भाषण में स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं सरकार के मात्र दो संगठनों अथवा एजेंसियों को बहुत से कार्यकलापों और, इकाइयों हेतु प्राप्त पूंजीगत लाभ कर संबंधी अनेक रियायतों को कम करना चाहता हूँ। उनमें एक नाबार्ड था और दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण था। मैंने कहा था कि पूंजीगत लाभ कर से छूट केवल उनके बॉन्ड्स पर ही प्राप्त होगी। इसे शामिल करने के लिए वित्त अधिनियम में संशोधन किया गया था।

1 अप्रैल, 2000 से केवल छह महीने का समय था और मान लीजिए कि उस समय में ऐसे कारबार में लग जाता, जिसमें मुझे पूंजी लाभ कर देना पड़ता, तो फिर मुझे ऐसे माध्यम ढूँढना पड़ता, जिसमें निवेश करने पर पूंजीगत लाभ कर से छूट प्राप्त किया जा सकता हो।

ऐसा इसलिए है क्योंकि यह उपबंध नाबार्ड के सरकार की गारंटी के बिना ब्रांड जारी करने में अड़चन उत्पन्न कर रहा था। अत: हमें 26 सितम्बर को विवशतापूर्वक यह अध्यादेश लाना पड़ा क्योंकि छह महीने का समय 30 सितम्बर को समाप्त हो रहा था और यह आवश्यक था कि नाबार्ड द्वारा बॉण्ड जारी किए जाएं और जो इनका लाभ प्राप्त करना चाहते थे वे उनमें निवेश करके पूंजी लाभ कर से छूट प्राप्त कर सकें। यह अध्यादेश प्रख्यापित करना सरकार की मजबूरी थी। हमारी मंशा बिल्कुल स्पष्ट थी और इसीलिए हमने ऐसा किया।

मुझे सम्माननीय सभा को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 26 सितम्बर से लेकर जबकि हमने बाण्ड जारी करने में नाबार्ड को समर्थ बनाया, पिछले शनिवार तक की अतिलघु अवधि में, नाबार्ड ने 465 करोड़ रुपये की धनराशि एकत्र कर ली है। नाबार्ड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ने मुझे सूचित किया कि वह यह उम्मीद कर रहे हैं कि इस वित्त वर्ष के अंत से पहले, नाबार्ड के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपये एकत्रित करना संभव हो जायेगा। इस प्रकार, अब हम लोगों की अचत की दिशा मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उन्हें कृषि और ग्रामीण विकास तथा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम जैसे अच्छे कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जा सके। इस प्रकार वह हमारी मजबूरी यह थी।

हमें यह संशोधन पेश करना था, अन्य संशोधन क्रम में है। मेरा सुझाव है कि सभा इसे विधेयक पर विचार करें।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :

"कि यह सभा 26 सितम्बर, 2000 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास (संशोधन) अध्यादेश 2000 (2000 की संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है।"

"कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम, 1981 और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को यह बताना चाहता हूँ, कि हलांकि उन्होंने इस अध्यादेश को लाने के लिए अपने तर्क दिए, इसका कारण और इसकी बाध्यता का कारण यह है कि सरकार पूर्णत: विपरित कार्य करती है, हम विपक्ष से, विशेषकर हमारी पार्टी के सदस्य यह महसूस करते हैं कि सभा में इस पर चर्चा होने के बाद भी राष्ट्रीय कृषि नीति को अभी कार्यान्वित किया जाना है। यह सरकार के पास लंबित पड़ी है - परंतु सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में इक्विटी अनुपात में परिवर्तन लाने पर अत्याधिक गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। उन्होंने जो विधान प्रस्तुत किया है, हम इसका विरोध करते हैं। सरकार यह भी महसूस करती है कि इस पर और अधिक बल दिए जाने की आवश्यकता है, यदि इस पर पूर्व बजट पर विचार नहीं किया गया तो, शायद वे इसे अगले बजट में करेंगे। जिससे, यह विधान अलग-थलग प्रतीत न हो।

महोदय, मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि यह व्यापक विधान है। मुझे याद है 1969 में जब इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, कलकत्ता की एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने कहा था, "कि गरीबी हटाओ' के हमारे सपने का साकार करना ही पर्याप्त नहीं है; संभवत: कुछ ऐसे भी क्षेत्र बचे होंगे जिसकी ओर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।" वर्ष 1972 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में, 200 से 300 प्रतिनिधि मंडल द्वारा तैयार किये गये ज्ञापन में कहा गया है, "कि राष्ट्रीकृत बैंकों का वर्तमान ढांचा कृषि, हस्तकला, कारीगरों और अन्य गतिविधियों से संबंधित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की आकाक्षाओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऋण लेने में काफी विलंब होता है और समय आ गया है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए, विशेषकर कृषि के लिए, नए दृष्टिकोण का विकास किया जाए। इसपर, ध्यान नहीं दिया गया। वर्ष 1977, में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई तो श्रीमती गांधी भी सत्ता में नहीं थी। 1980 में जब श्रीमती गांधी सत्ता में आई तो, उसी ज्ञापन को दोबारा लाया गया, और श्रीमती गांधी के नेतृत्व में तत्कालीन सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित इस विधान को प्रस्तुत किया। 1982, में इसे बोर्ड का रूप दिया गया।

मैं माननीय वित्त मंत्री का आभारी हूँ कि बिना किसी संदेह के यह स्पष्ट किया कि, वर्तमान आर्थिक सुधारों, उदारीकरण, प्रतिस्पर्द्धात्मक स्थिति और इस बैंक की अर्थ-क्षमता को देखते हुए कतिपय संशोधनों जैसे बैंको को ऋण पत्रों को जारी करने और उन्हें बेचने का परामर्श देने पर विचार किया गया और इसीलिए यह अध्यादेश लाना आवश्यक हो गया।

महोदय, इस अधिनियम में कितने संशोधनों का प्रस्ताव है? उन्हें देखते हैं। संशोधनों का प्रस्ताव 2, 6, 7, 8, 12, 14, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 44, 45, 47, 52 और 60 धाराओं के लिए किया गया है।

अत: मुख्य अधिनियम के कई संशोधनों को इस विधेयक में प्रस्तावित किया गया है। अब, जब मंत्रालय ऐसे विस्तृत विधान पर विचार कर रहा है - चाहे हम इससे सहमत हों या नहीं यह अलग विषय है और इस विधान के अनेक प्रावधानों में संशोधन करने पर विचार कर

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

रही है तो, क्या यह उचित नहीं होता कि इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजा जाता जहाँ सदस्यों ने वर्तमान 'नाबार्ड' के कार्यनिष्पादन पर और इस विधान में अंतर्विष्ट प्रस्तावों पर अधिक वस्तुपरक ढंग से सोचा होता और उस पर अपने सुझाव दिए होते? मैं मानता हूं कि दिन के आखिर में इस विधेयक पर चर्चा की जाऐगी, मान लिजिए दो घंटे तक और ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर, जिसके साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था, विशेषकर कृषकों, कारीगरों और अन्य व्यक्तियों का भाग्य जुड़ा हुआ है, कुछ सदस्य 'पक्ष' में और कुछ 'विपक्ष' में मतदान करेंगे और, विधेयक पारित हो जाएगा।

महोदय, इस विधेयक में एक या दो ही संशोधन नहीं हैं। मैं इस विधेयक को पिछले एक सप्ताह से पढ़ रहा हूँ। इसमें विरोधाभास है। माननीय मंत्री ने इस ''विधेयक के उद्देश्य और कारणों के कथन में इस सदन को यह बताने का प्रयास किया है कि यह विधेयक 'नाबार्ड' को अधिक स्वायत्तता देने के लिए लाया जा रहा है। जिससे वह नौकरशाही की उलझनों से मुक्त हो कर अधिक सुगमता से कार्य कर सके। इस विधेयक की धारा 5 को संशोधित करने का कारण यही प्रतीत होता है।

महोदय, लेकिन अब इस विधेयक में संशोधन करने के बाद इस बैंक को कौन सी स्वायत्तता मिल जाएगी? इसका हश्र 'प्रसाद भारती' जैसा ही होगा। 'प्रसाद भारती' सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रण में है। लेकिन यह वास्तविक स्वायत्तता नहीं है। मैं उसका यहाँ एक उदाहरण देना चाहता हूँ। श्री परांजपे, जो बैंकिक मामलों में पूरी तरह दिलचस्पी लेते हैं, मेरे विचारों की प्रशंसा करेंगे।

महोदय, धारा 5 के अनुसार इसमें एक चेयरमैन होगा। अब, यह चेयरमैन कौन है? हम सभी जानते हैं कि चेयरमैन सरकार द्वारा नाम निर्देशित होता है। तकनीकी रूप से हम कह सकते हैं कि चेयरमैन की नियुक्ति और अन्य ऐसी ही बातों को नियुक्ति मामलों से संबंधित मंत्रीमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृति दी जाती है। परंतु वह सरकार द्वारा नाम निर्देशित होता है। इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण विकास, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों से तीन विशेषज्ञ निदेशक या सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों या व्यवसायिक बैंकों के कार्यकरण के या अन्य विभागों के विशेष ज्ञाता या व्यवसायिक अनुभव वाले व्यक्ति होंगे जिन्हें सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए उपयोगी मानती है। इस प्रकार सरकार के तीन और नाम निर्दिष्ट व्यक्ति होते हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक के निदेशकों में से तीन निदेशक होंगे। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 7 हो जाती है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से तीन और निदेशक होंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर यह दस हो जाते हैं। पुन: राज्य सरकार के अधिकारियों में से चार अधिकारी निदेशक होंगे जिससे यह संख्या 14 तक पहुंच जाती है।

अब, इस विधेयक में क्या प्रस्तावित है? इसमें कहा गया है।

''रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा नियंत्रित अन्य संस्थाओं से भिन्न ऐसे शेयरधारकों द्वारा विहित रीति से निर्वाचित निदेशक निम्नलिखित आधार पर उतनी संख्या में होंगे'' . . .

परंतु प्रश्न यह है कि उनका कार्यक्षेत्र क्या होगा? यहां दो निदेशक होंगे जिनकी जारी इक्विटी शेयर पूंजी दस प्रतिशत से कम है, तीन निदेशकों के संबंध में जारी इक्विटी शेयर पूंजी 25 प्रतिशत से कम है। और चार निदेशकों के संबंध में कुल इक्विटी शेयर पूंजी 25 प्रतिशत से अधिक है। इस प्रकार कुल मिला कर दस गैर सरकारी निदेशक होंगे।

इस प्रकार सरकार की कार्य-योजना क्या है? धारा में आगे कहा गया है :-

''परन्तु इस खंड के अधीन निर्वाचित निदेशकों द्वारा प्रभार ग्रहण करने तक, केन्द्रीय सरकार, किसी भी समय विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को, जिनकी संख्या चार से अधिक न हो ऐसे निदेशकों को नाम निर्देशित कर सकेगी'' . . . अब इसमें बैंकों के सेवानिवृत्त चेयरमैन या सरकार के सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव हो सकते हैं। इस प्रकार यह चौदह व्यक्तियों और दस व्यक्तियों का खेल है। अब क्या 14 सरकारी नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों और दस गैर-सरकारी नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों से गठित बोर्ड सुगमता से कार्य कर सकता है और लोगों की आशाओं के अनुरूप मामलों का निपटान कर सकता है? वित्त मंत्रीजी, आप एक जनता के प्रतिनिधि हैं 'नाबार्ड' के कार्य अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्र की गतिविधियों से संबंधित होते हैं - क्या आप इस विधेयक में एक और पैराग्राफ नहीं जोड़ सके जिसमें यह कहा गया हो कि इस बोर्ड में लोकसभा के दो सदस्य और राज्य सभा के दो सदस्य शामिल किए जाए जो लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप उनके भाग्य का फैसला कर सके।

ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारी मंत्री जी को सलाह देते हैं कि वे संसद सदस्यों और जनता के अन्य प्रतिनिधियों को ऐसी बातों से यथासंभव दूर रखें क्योंकि वे उनका पूरा काम बिगाड़ देंगे। 17 निदेशक बनाम बोर्ड के व निदेशकों की यह प्रणाली बोर्ड को एक स्वायत्तशासी बोर्ड नहीं बना पाएगी। मुझे माननीय वित्त मंत्री के इस दावे से असहमति प्रकट करते हुए खेद हो रहा है कि यह लोगों की आकांशाओं को प्रतिबिम्बित करेगा। मुझे लगता है कि इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए था, अन्यथा मंत्री महोदय स्वत: इस प्रभाव का एक संशोधन ला सकते थे। जब इतने डायरैक्टर्स ले लिए हैं तो लोक सभा और राज्य सभा से भी दो-दो, चार-चार नोमिनी स्पीकर साहब की निगरानी में रहते तो योजनाओं की बेहतर निगरानी हो सकती थी। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले अधिकांश संसद सदस्य जानते हैं कि ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि आर आई डी एफ नामक एक योजना है। जो देहाती क्षेत्र के सांसद है उनको मालूम होना चाहिए। यह एक बहुत प्रभावी योजना है जिसमें नाबार्ड का बड़ा भाग है। तथापि किसी भी संसद सदस्य की इसमें कोई भूमिका नहीं है। कोई भी संसद सदस्य परियोजनाओं के संबंध में एक भी शब्द नहीं कह सकता। जिला परिषद, पंचायत और यहाँ तक कि विधायकों की इसमें भूमिका होती है।

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : वित्त समिति की पिछली बैठक में हमने 'नाबार्ड' से सभी संसद सदस्यों को अपनी योजनाएं परिचालित करने के लिए कहा था। संसद सदस्यों को इस बात की जानकारी नहीं है कि कौन सी योजनाएं के अंतर्गत लोगों को ऋण उपलब्ध

हो सकता है, उन ऋणों को प्राप्त करने की पात्र शर्तें क्या हैं, इत्यादि। तथापि हमें उनसे अभी तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वर्तमान आर्थिक सुधारों आदि के अनुसार सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। नाबार्ड क्या कार्य करता है? मैं आपको बताऊंगा कि नाबार्ड क्या कार्य करता है। जब मैं वाणिज्य मंत्रालय में था तब मैंने देश में चाय की स्थिति पर व्यापक रूप से अध्ययन किया था। उस समय चाय का उत्पादन 430 मिलियन कि॰ग्रा॰ था। मुझे लगा कि गर्मचाय का प्याला ही गरीब लोगों का पेय पदार्थ था जिसे वे दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद पीते थे। एक गरीब व्यक्ति इसी पेय पदार्थ पर खर्च करने की सामर्थ्य रखता है। हमने निर्णय लिया कि चाय की अधिक खेती करके और अन्य तरीकों से इसका उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए तथा नाबार्ड को इसमें एक मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। नाबार्ड ने यह सुझाव दिया कि नाबार्ड की क्षमता सीमित थी और वे यह काम नहीं कर सके। अगर इस समय चाय की खेती का काम नाबार्ड को शामिल करके जोर-शोर से किया जाता है तो अगले पांच वर्षों में हम चाय का आयात कर रहे होंगे। हमारा निर्यात अधिशेष शून्य है। इसके अतिरिक्त देश में कीनिया की चाय और श्री लंका की चाय को डम्प किया जा रहा है। अत: इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में नाबार्ड का योगदान इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था।

मैं आर॰आई॰डी॰एफ॰ की बात कर रहा था। गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ग्रामीण कारीगर अच्छा कार्य कर रहे हैं। मंत्री महोदय बिहार से संबंधित हैं और वे जानते हैं कि मधुबनी चित्रकारी का निर्यात किया जा रहा है। हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों के कारीगर अपनी बनाई वस्तुओं को प्रति वर्ष मेलों में ले जाकर बेचते हैं। नाबार्ड का उनके प्रति बड़ा उत्तरदायित्व है।

क्या कोई व्यक्ति सचमुच सोच सकता है कि इन सभी लोगों के बोर्ड में रहते हुए बोर्ड इन दस्तकारों के एक भी प्रार्थना पत्र पर उसके हित में विचार कर सकता है? मैं नई कृषि नीति पर चर्चा करता हूँ। मुझे यह कहते हुए खेद होता है - मैं किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ अथवा न ही किसी के ऊपर लांछन लगा रहा हूँ कि इस सरकार की राष्ट्रीय कृषि नीति ऐसे बड़े कृषकों को प्रोत्साहित करेगी जिन्होंने गत कई वर्षों से कर नहीं चुकाया है, केवल इसलिए कि वे नाबार्ड का लाभ उठा सकें। तथाकथित दस्तकार तथा छोटे किसान नाबार्ड से कैसे लाभ उठा सकेंगे? गांव में रहने वाले इन लोगों के पास ऐसा प्रवक्ता नहीं है जो उनकी दुर्दशा के बारे में लोगों को बता सके। यदि व्यवस्था नौकरशाही पर इतना अधिक आश्रित होगी तो उनकी परियोजनाओं को सबसे बाद में प्राथमिकता मिलेगी। अभी भी समय है। यदि मंत्री महोदय इस विधेयक को आज रात पारित नहीं करा पाते हैं तो, पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। वह इसे व्यापक विचार-विमर्श के लिए स्थायी समिति को भेजने पर विचार कर सकते हैं। उन्हें समिति की सिफारिशों पर ध्यान देना चाहिए। तथापि यदि मंत्री जो इस विधेयक के पारित किए जाने की जल्दी में हैं तो वे बोर्ड में जनता के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए बजट सत्र में इस आशय का संशोधन ला सकते हैं। राज्य बोर्ड के लिए कम से कम चार या पांच विधायकों को नाम निर्दिष्ट किया जा सकता है।

राष्ट्रीय बोर्ड में लोक सभा तथा राज्य सभा के नामित सदस्य होने चाहिए क्योंकि हम सांसद गांव की नब्ज को समझते हैं तथा हमें जनता की आकांक्षाओं की तुलना में नौकरशाही के दबाव को सहना पड़ता है। उनका सामना करना पड़ता है।

इन्हीं के शब्दों के साथ, मैं पुन: एक बार मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार करें।

श्री एन्के॰एस॰ विजयन (नागापट्टिनम) : सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने की अनुमति दी। डी॰ एम॰ के॰ पार्टी की तरफ से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

यह एक अच्छा विधेयक है जो इन समस्त गरीब कृषकों के हित में है जिन्हें सरकार से सहायता की अत्यधिक आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि सरकार को इस विधेयक के नियमों को सरल बनाना चाहिए जिससे अशिक्षित कृषकों को ऋण प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो।

महोदय, ऋण की वसूली के बारे में मैं सुझाव देना चाहूंगा कि बैंकों को सभी ऋण लेने वालों को एक ही पैमाने से नहीं मापना चाहिए। यदि कृषकों की फसल बाढ़ या सूखे के कारण बर्बाद हो गई है तो बैंकों को उन किसानों की स्थिति पर विचार करना चाहिए तथा किस्तों की वसूली कम से कम एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जानी चाहिए। बैंकों का उद्देश्य किसानों की सेवा होना चाहिए तथा उन्हें केवल लाभ कमाने वाले संगठन नहीं होना चाहिए।

भारत कृषि प्रधान देश है। आधे से अधिक व्यक्ति खेती के कार्य में लगे हुए हैं लेकिन बैंकों की पूंजी पर्याप्त नहीं है। अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि बैंकों की पूंजी में वृद्धि की जाए ताकि इससे किसानों को अत्यधिक सहायता प्राप्त हो सके।

महोदय, 1994 में नाबार्ड तथा तमिलनाडु स्टेट कोआपरेटिव बैंक ने किसी ऋण पर ब्याज माफ करने या ऋण स्थगित करने की अनुमति न देने के संबंध में एक समझौता किया। अत: वर्तमान तमिलनाडु सरकार किसानों की सहायता करना चाहती है लेकिन नाबार्ड इसमें बाधा डालता है।

माननीय मुख्यमंत्री डा॰ कैलंगर चूककर्त्ता किसानों के ब्याज को भुगतान करने को सहमत हो गए थे लेकिन पूर्व में किए गए समझौते के कारण नाबार्ड ने राज्य सरकार से इसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। नाबार्ड इस धन को किसानों से ही वसूल करना चाहता है।

महोदय, इसी दौरान तमिलनाडु सरकार ने दण्डात्मक ब्याज को माफ करने के लिए 13 करोड़ रुपये जारी किए हैं। प्रसिद्ध नेता डा॰ कैलंगर के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार ने किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 20 करोड़ रुपये भी दिए। अत: तमिलनाडु की वर्तमान सरकार किसानों के हित की रक्षा के लिए सभी यथासंभव उपाय कर रही है।

महोदय, मुझे दूसरा सुझाव देना है। किसानों की तरफ से एक निदेशक की नियुक्ति की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं पुन: एक बार इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद) : सभापति महोदय, मैं कुछ आपत्तियों के साथ इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे याद है। 1982 में इसकी स्थापना के समय यह कहा गया था कि नाबार्ड कृषि क्षेत्र की ऋण समस्या की तरफ पूरे मन से गतिशीलता से तथा हर पहलू पर ध्यान देगा। इस सम्मानीय सभा द्वारा 1981 में पारित किए गए अधिनियम के अंतर्गत 1982 में स्थापित नाबार्ड का यही मुख्य उद्देश्य था।

महोदय, यहां भी वित्त मंत्री जी ने उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा है कि:

> ''अधिनियम का संशोधन केन्द्रीय सरकार के स्थान पर बैंक के बोर्ड को अधिक शक्तियां देने की दृष्टि से किया जा रहा है जिससे कि उसका कार्य सुगमता और शीघ्रता से हो सके।''

महोदय, मैं इन शब्दों ''कार्य सुगमता और शीघ्रता से हो सके'' का अत्यंत समर्थन करता हूँ।

लेकिन मेरे विचार से इसमें असंगति है।

मैं खंड 5(2) का पठन करना चाहता हूँ। इसमें कहा गया है:

> ''खंड (च) में निर्दिष्ट निदेशकों को छोड़कर अध्यक्ष और अन्य निदेशक रिजर्व बैंक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।''

मेरे विचार में यह सही नहीं है। श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी पहले ही विस्तार पूर्वक बता चुके हैं कि सरकार किस प्रकार की स्वायत्तता चाहती है। 23 निदेशकों में से 10 निदेशक शेयर धारकों द्वारा विभिन्न श्रेणियों में चुने जाते हैं। मेरे विचार में इसमें विरोधाभास है। बोर्ड के अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नामित किये जाते हैं। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि सरकार अपने निर्णयों को बोर्ड के माध्यम से सूचित करे। यह आम जनता और किसानों के हित में नहीं होगा जो नाबार्ड से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं।

मूल अधिनियम में, बोर्ड में प्रबन्ध निदेशक का प्रावधान था। धारा 6(2) में कहा गया है :

> ''परन्तु यह कि केन्द्र सरकार प्रथम बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य नियुक्ति के मामले में बोर्ड से भी परामर्श करेगी।''

लेकिन हम इस अधिनियम में पूर्व का प्रावधान हटा दिया गया है। इस अधिनियम में बोर्ड में चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति रिजर्व बैंक के परामर्श से की जाती है। अत: प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति के लिए बोर्ड से परामर्श लेने का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार गठित किये गए बोर्ड की शक्तियां छीनने का प्रयास कर रही है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है।

धारा 1(ख) में चेयरमैन के पद की रिक्ति से संबंधित प्रावधान है। इसमें कहा गया है :

> ''चेयरमैन का पद रिक्त होने की दशा में, प्रबन्ध निदेशक, ऐसी रिक्ति के दौरान चेयरमैन के कृत्यों और दायित्वों का निर्वहन करेगा ''

यह प्रावधान क्यों अंतर्विष्ट किया गया है? यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। दो पद हैं - चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक। यदि कोई चेयरमैन नहीं है तो सरकार को यथाशीघ्र चेयरमैन की नियुक्ति करनी होती है। पूर्व अधिनियम में इस प्रकार का प्रावधान नहीं था। पिछले कुछ वर्षों से नाबार्ड का कोई चेयरमैन नहीं रहा है। मुझे यह ज्ञात हुआ है कि हाल ही में प्रबन्ध निदेशक चेयरमैन बन गए तथा प्रबन्ध निदेशक का पद अभी तक रिक्त है। मेरे विचार में 'नाबार्ड' जैसी संस्था के प्रति इस प्रकार का दृष्टिकोण उचित नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार द्वारा यह प्रावधान क्यों किया गया है।

धारा 17 में, जो कि मूल अधिनियम की धारा 30 है, में यह कहा गया है कि ''अपवादात्मक परिस्थितियों में'' नाबार्ड किसी भी व्यक्ति या निगमित निकाय को बिना उपलब्ध करायेगा लेकिन इन ''अपवादात्मक परिस्थितियों'' को परिभाषित नहीं किया गया है। ऐसा लगता है कि नाबार्ड 'सिडबी' की तरह प्रत्यक्षत: निवेश करने का प्रयास कर रहा है। इस मुद्दे पर मुझे काफी आपत्ति है। हम जानते हैं कि 'नाबार्ड' एक ऐसी संस्था है जिसका कार्य हर जगह पुनर्वित्त पोषण करना, श्रमजीवी वर्ग तथा कृषकों की सुविधाओं में सुधार करना है। राज्य सहकारी बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य की वित्तीय स्थिति में सुधार करना भी इसका कार्य है। लेकिन नाबार्ड सिडबी की तरह प्रत्यक्ष वित्तीय संगठन नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी।

मैं एक मुद्दा और उठाना चाहता हूँ। श्री दासमुंशी पहले ही इस मुद्दे को उठा चुके हैं। सरकार ने इस अधिनियम में सहकारी बैंकों के प्रतिनिधित्व को कम कर दिया है। पहले उनका प्रतिनिधित्व दो था और यह विशिष्ट प्रतिनिधि होता था किन्तु अब इस खण्ड को हटाया जा रहा है। हाल ही में सरकार ने कई बार कहा है कि इस पर कार्यवाही हो रही है और इसे कर दिया जाएगा। किन्तु, इस तथाकथित व्यापक विधेयक में एक बात की गयी है और वह यह कि बोर्ड में सहकारी बैंक के प्रतिनिधित्व को घटा दिया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह इस पर विचार करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि वे 'नाबार्ड' से संबंधित इस प्रावधान को वापस ले लेंगे। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह इस पर विचार करें।

मैं सिर्फ दो या तीन मिनट का समय लूंगा। मैं 'नाबार्ड' के कार्यकलापों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। 'नाबार्ड को एस॰सी॰बी॰ और डी॰सी॰सी॰बी॰ के पुनर्वित पोषण की दर में प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि दर जो 1.10.1999 से लागू है, को तत्काल वापस लेना चाहिए। दूसरा, नाबार्ड आन्तरिक ऋण देने योग्य संसाधनों पर आधारित न्यूनतम भागीदारी की अवधारणा और नीति को छोड़ दे क्योंकि यह अवधारणा पुनर्वित्त एजेंसियों के रूप में एस॰सी॰बी॰ तथा डी॰सी॰सी॰बी॰ की भूमिका के अनुरूप नहीं है। तीसरा नाबार्ड पुनर्वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु सरकारी गारंटी की शर्त को भी समाप्त करे। चौथा, भारत सरकार को संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य सहकारी बैंकों द्वारा उदग्रहीत गारंटी शुल्क को समाप्त करने संबंधी सुझाव पर विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय : हमें इस विधेयक को पाँच मिनट में समाप्त करना है तथा हमें सभी मदों को आज ही पूरा कर लेना है।

श्री मोइनुल हसन : अंतत: मैं धनराशि के सामान्य तौर पर उधार दिए जाने के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूँ कि इसे 18 वर्षों

के दौरान 1200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर मात्र 5700 करोड़ रुपये किया गया। जैसा कि भारत सरकार पहले ही यह घोषणा कर चुकी है कि कृषि क्षेत्र में ऋण दिए जाने में 25 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है, मैं माननीय वित्त मंत्री तथा 'नाबार्ड' से अनुरोध करता हूँ कि वे इस संबंध में कुछ करें। यदि वे कुछ नहीं कर पाते हैं तो मेरी आशंका है कि यह वृद्धि संभव नहीं होगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री अब अपना जवाब दें।

(व्यवधान)

श्री ई॰एम॰ सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : महोदय, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्या हम खिलवाड़ करने के लिए यहां आ रहे हैं . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं।

श्री ई॰एम॰ सुदर्शन नाच्चीयपन : हम संसद में सुबह से शाम तक बैठ रहे हैं। किन्तु आप हमें अनुमति नहीं दे रहे हैं और अब मंत्री जी को जवाब देने के लिए कह रहे हैं . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने दूसरे विधेयक को देखा है।

(व्यवधान)

श्री ई॰एम॰ सुदर्शन नाच्चीयपन : हम लोग किसलिए संसद सदस्य चुने जाते हैं? उद्देश्य क्या है? मैं इस संबंध में आपका जवाब चाहता हूँ। क्या हम यहाँ सिर्फ सुबह से शाम तक बैठने, दूसरों को बोलते हुए और जाते हुए देखने के लिए आते हैं? हम लोग यहाँ सुबह से शाम तक सिर्फ शोरगुल सुनते रहते हैं। किन्तु मैंने सबकुछ तैयार कर लिया है। आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं और आप संसद के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। यह सब क्या है? . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, अब आप जवाब दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री ई॰एम॰ सुदर्शन नाच्चीयपन : महोदय, . . . (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही - वृतान्त से निकाल दिया गया।)

सभापति महोदय : वस्तुत: भारतीय जनता पार्टी ने उन सदस्यों की एक सूची दी थी जो बोलना चाहते थे। किन्तु मैंने किसी को भी मौका नहीं दिया है। उस राजनीतिक दल द्वारा एक सूची दी गई है। स्वयं सत्ताधारी दल की ओर से भी किसी को अनुमति नहीं दी गई है।

(व्यवधान)

श्री ई॰एम॰ सुदर्शन नाच्चीयपन : हम लोग यहाँ किसलिए हैं? . . . *(व्यवधान)*

श्री टी॰एम॰ सेल्वागनपति (सेलम) : महोदय, कोई भी अध्यक्ष पीठ पर लांछन नहीं लगा सकता . : . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अनेक नाम दिए गए हैं, किन्तु मैंने किसी को नहीं बुलाया है . . . *(व्यवधान)*

श्री ई॰एम॰ सुदर्शन नाच्चीयपन : मेरा नाम दिया गया है। आप मुझे नहीं बुला रहे हैं। मैं सभा का बहिष्कार कर रहा हूँ . . . *(व्यवधान)* यह अत्यंत दु:खद स्थिति है . . . *(व्यवधान)*

सायं 7.39 बजे

(इस समय श्री ई॰ एम॰ सुदर्शन नाच्चीयपन सभा-भवन से बाहर चले गए)

सभापति महोदय : माननीय मंत्री अपना जवाब दें।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए इस विधेयक को जो समर्थन दिया है उसके लिए भी मैं उनका कृतज्ञ हूँ।

जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा है, हमें यह याद रखना चाहिए कि 'नाबार्ड', मात्र एक पुनर्वित्त पोषण बैंक है। इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी बैंकों, ग्रामीण बैंकों और यहाँ तक कि वाणिज्यिक बैंकों का उन सन्दर्भों में पुनर्वित्त पोषण करना है। जहाँ कहीं भी वे कृषि का ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करते हैं। इस संशोधन के माध्यम से हम पहली बार 'नाबार्ड' को सशक्त करेंगे जिससे कि जहाँ कहीं भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो या जरूरी हो, वह प्रत्यक्ष रूप से ऋण प्रदान कर सकेगा। वह राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों तथा वाणिज्यिक संगठनों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण प्रदान कर सकेगा।

बैंक की स्वायत्तता के संबंध में सवाल उठाया गया है। यह चिन्ता व्यक्त की गई कि सरकार बैंक की स्वायत्तता सुनिश्चित कैसे कर सकती है जबकि वह बैंक के निदेशक बोर्ड को स्वयं नामित कर रही है। सरकार की मंशा 'नाबार्ड' को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करना है। इसीलिए इन संशोधनों के माध्यम से हम बहुत से उत्तरदायित्वों को हस्तांतरित कर रहे हैं। वर्त्तमान अधिनियम के अनुसार, कोई भी निर्णय लेने के लिए 'नाबार्ड' को सरकार के पास आना पड़ता है। यह पहली बार है जबकि हम इन मामलों में निर्णय लेने हेतु 'नाबार्ड' को सक्षम बना रहे हैं। मेरा मानना है कि स्वायत्तता की अवधारणा मात्र एक कल्पना या कानून नहीं है। स्वायत्तता की अवधारणा मनोदशा भी है तथा सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि न केवल 'नाबार्ड' अपितु भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान भी अधिक से अधिक स्वायत्त होकर कार्य करें।

मैं विरोधाभास के भय के बगैर यह कह सकता हूँ कि वित्तमंत्रालय की ओर से हम इन संस्थानों के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। सिर्फ कुछ खास नीतिगत मुद्दों की स्थिति में ही हम उनके साथ बैठते हैं तथा जो भी संबंधित सुझाव दे सकते हैं हम उन्हें देते हैं।

[श्री यशवंत सिन्हा]

श्री प्रियरंजन दासमुशी निदेशकों के बोर्ड के गठन के संबंध में अनेक बातें कह रहे थे। हम निदेशकों के बोर्ड में एक संशोधन के अतिरिक्त और कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं। यह संशोधन भी अंतर-राज्यीय परिषद द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर किया जा रहा है। अंतर राज्यीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्रियों ने कहा कि वर्तमान में 'नाबार्ड' के बोर्ड में राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल अपर्याप्त है। मूल अधिनियम में राज्य से सिर्फ दो प्रतिनिधियों का प्रावधान किया गया था। उन्होंने सुझाव दिया कि इनकी संख्या कम से कम चार होनी चाहिए। अंतर राज्यीय परिषद के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा की गई उस सिफारिश को हम स्वीकार कर रहे हैं और हम राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाकर चार कर रहे हैं। किन्तु हम बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं चाहते। हम इसे पन्द्रह ही रख रहे हैं। परिणामत: हम विशेषज्ञों की संख्या पाँच से घटाकर तीन कर रहे हैं। मूल अधिनियम में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से तीन निदेशकों का प्रावधान था। प्रावधान को हम उसी रूप में रख रहे हैं। मूल अधिनियम में सरकार की ओर से तीन निदेशकों का प्रावधान था। इसे भी पूर्ववत रखा जा रहा है। इस प्रकार, निदेशकों के बोर्ड से संबंधित किसी भी अन्य प्रावधान के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं।

मैं इस सभा को विश्वास दिलाता हूँ कि हम 'नाबार्ड' के स्वायत्त कार्यकरण के प्रति काफी सतर्क रहेंगे तथा इस विधेयक के प्रावधानों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि 'नाबार्ड' एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करे। मैं श्री विजयन का इस बात के लिए आभारी हूँ कि उन्होंने इसका समर्थन किया है। इसके फलस्वरूप 'नाबार्ड' की गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों में और अच्छी तरह हो सकेंगी क्योंकि हम इसकी पूँजी 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपये कर रहे हैं। यह भारी वृद्धि है और मुझे विश्वास है कि इससे 'नाबार्ड' को और अधिक प्रभावी भूमिका निभाने में मदद मिलेगी।

अन्य बातें भी हैं। श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने आर० आई० डी० एफ० का उल्लेख किया है। महोदय, आपको मालूम होगा कि पिछले बजटों के दौरान आर० आई० डी० एफ० को उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए अब मैंने इसे बढ़ाकर 4500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कर दिया है तथा इसका कार्यनिष्पादन उत्साहजनक है।

श्री बसुदेव आचार्य सभा से बाहर चले गए हैं। उन्होंने सामान्य रूप से 'नाबार्ड' के कार्य निष्पादन का मुद्दा उठाया था।

अभी मेरे पास सभी आंकड़े हैं तथा इन आंकड़ों से मैं पाता हूँ कि चाहे अल्पावधि वित्तपोषण, पूँजीनिवेश वित्त, मध्यावधि कर्ज, दीर्घावधि कर्ज हो अथवा आर० आई० डी० एफ० हो सर्वत्र 'नाबार्ड' द्वारा कर्ज देने अथवा पुर्नवर्त्ती पोषण में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

किसी भी क्षेत्र को चाहे वह सहकारिता क्षेत्र हो अथवा ग्रामीण बैंक 'नाबार्ड' द्वारा पुन:वित्तपोषण को बंद करने का हमारा इरादा नहीं है। वस्तुत: एक दिन दिल्ली में हमारी एक बैठक हुई थी जिसमें मेरे सहकर्मी श्री बी० के० पाटिल और मैं दोनों उपस्थित थे। राज्य सरकारों के सहकारिता मंत्री भी थे। हम सहकारिता बैंकिंग की सम्पूर्ण संरचना को देख रहे हैं। हमने आ० बी० आई० के उपराज्यपाल के अधीन एक समिति नियुक्त की है जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उस बैठक में प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श किया गया जिसमें राज्य सरकार के अधिकारी मंत्री और अन्यों ने भाग लिया था। सरकार ने सहकारी संस्थानों को सुदृढ़ करने की अपनी स्पष्ट और पक्की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। तथा 'नाबार्ड' सहकारी संस्थानों को आवश्यक सभी सहायता प्रदान करेगा।

इसलिए, महोदय इस संशोधन के जरिए हम 'नाबार्ड' को ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी साख सुविधाओं के जरिए हस्तक्षेप का एक अधिक शक्तिशाली साधन बनाना चाहते हैं तथा मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि आगामी वर्षों में 'नाबार्ड' इस भूमिका को अच्छी तरह से निभाएगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सभा के समक्ष रखना चाहूंगा तथा आशा करता हूँ कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाएगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 26 सितम्बर, 2000 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (2000 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये। यह प्रस्ताव भी करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा इस विधेयक पर खंडवार विचार करेंगी।

प्रश्न यह है :

कि खण्ड 2 से 31 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 31 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र तथा पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : मंत्री अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री यशवंत सिन्हा: मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाए"।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.49 बजे

भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के कार्यकलाप बारे में संविधिक संकल्प

और

भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद विधेयक

सभापति महोदय : अब सभा मद सं॰ 26 और 27 एक साथ चर्चा करेगी।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

> "कि यह सभा 1 सितम्बर, 2000 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद अध्यादेश, 2000 (2000 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।"

महोदय, यह अध्यादेश बिल्कुल ही अनुचित एवं असंगत है। हर कोई जानता है कि संसद का शीतकालीन सत्र होगा। अध्यादेश सितम्बर में जारी किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि अध्यादेश जारी करने की क्या आवश्यकता थी। भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद अव्यवस्थित थी तथा इसमें 1981 से अनियमितताएं थी। इसकी स्थापना 1943 में की गई थी तथा तब से इसकी हालत खराब हो रही थी। प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि अनियमितताएँ 1981 में पायी गई। उसके बाद 19 वर्ष बीत गए हैं, परंतु स्थिति को सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। कार्यपालिका के पास विधान लाने के लिए पर्याप्त समय था ताकि स्थिति सुधारी जा सके। अध्यादेश लाने की क्या आवश्यकता थी? क्या अविलम्बनीयता थी? वे सभा के समक्ष सामान्य विधेयक ला सकते थे तथा इसपर उपयुक्त चर्चा हो सकती थी। अब दिन के अंतिम क्षणों में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। सभा उपयुक्त चर्चा के अवसर से वंचित है। सभा के समक्ष प्रस्तुत इस विधेयक के संबंध में सदस्यगणों को बुद्धिमान नहीं समझा गया है।

महोदय, इसके अतिरिक्त सत्ता पक्ष के सदस्य भी प्रतिबद्ध हैं। वे अध्यादेश के परे कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं जिसे एक कानून से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। एक अध्यादेश हमेशा अपने आप में कानून होता है। सभा की भूमिका इतनी ही है कि वह इसे मान्यता प्रदान करती है। क्या यह उचित है कि एक संस्थान की स्थापना एक अध्यादेश के जरिए की जा रही है?

इसके अतिरिक्त यह पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत कार्यकर रहा था। इस परिषद का पंजीकरण केन्द्रीय सहकारी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत 1943 में किया गया था। यह स्वायत्तशासी निकाय के रूप में कार्य कर रहा था। चुनाव भी हुए थे और इस सीमा तक कुछ स्वायत्तता थी। यह अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हो गया है तथा इसने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रख्यात पुस्तकालय का प्रबंध कर रहा है। इसके अतिरिक्त इस विश्व कार्यकलाप परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्तियों को बुलाया जाता है।

कमोवेश यह भारत की विदेश नीति और विश्व कार्यकलापों में इसकी भूमिका बताने का एक मंच था। इस प्रकार यह बहुत अच्छी सेवा कर रहा है। यह संविधान अपने कार्यकलाप में स्वतंत्र है।

अब, इस सरकार ने इसका भगवाकरण करना उचित समझा। इसी कारण से इन लोगों ने यह अध्यादेश प्रख्यापित किया है। इस अध्यादेश का सार क्या है? अध्यक्ष कार्यकारी सदस्य और शासी निकाय के सदस्यों—इन सभी की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। राजनीतिक दल आएंगे और जाएंगे। भारत सरकार लोकतांत्रिक दलों द्वारा नियंत्रित की जाएगी। इस समय केसरिया दल सता में है और अगली बार और कोई दल सत्ता में होगा। परंतु यह एक स्वशासी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त संस्थान है। इसलिए इसके कार्यकलाप में राजनीति नहीं आनी चाहिए। अब सत्तारूढ़ गठबंधन और आर॰ एस॰ एस॰ के व्यक्तियों को संस्थान में लाने के गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। अब ऐसा ही किया जा रहा है। मैं कुछ और उदाहरणों का उल्लेख करता हूँ। भाजपा की यह सरकार व्यवस्थित रूप से भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद जैसी संस्थाओं को आर॰ एस॰ एस॰ के व्यक्तियों को नियुक्त कर भगवाकरण कर रही है।

इन लोगों ने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद में आर॰ एस॰ एस॰ के लोगों को लगा दिया हैं। वे भारतीय इतिहास के पाठ को भी परिवर्तित करने की सोच रहे हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों को निरूपित किया जा रहा है। भारतीय इतिहास की सिद्ध विश्वसनीयता पर भी उन्होंने प्रश्न उठाया। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सदस्यों को बदलने के बाद यह वर्तमान अवस्था है। मेरे प्रिय मित्र डा॰ मुरली मनोहर जोशी जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ इसके पीछे है। यह समेकित प्रयास के रूप में पूरे भारत में किया जा रहा है।

अब भारतीय पुरातात्विक संस्था परिषद नामक दूसरे संस्थान को भी सत्तारूढ़ दल द्वारा हितों को साधने का उपकरण बनाया जा रहा है। भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद के भगवाकरण का यह चौथा प्रयास है जो पक्का एवं ईमानदार सेवा प्रदान कर रहा था। यह संस्थान ख्यातिलब्ध लोगों की सेवाओं से युक्त था, राजनीति से परे एक संस्थान था। पूरे विश्व में प्रसिद्ध लोगों से भरा हुआ था। इस प्रकार के लोग इस पर नियंत्रण रखते थे और इस प्रकार के लोग इस परिषद के मंच से बोलते थे। यहाँ विदेश नीतियों पर चर्चा होती थी। यह भारत के नीतिगत निर्णयों पर विचार-विमर्श करने का एक मंच था। यह पूर्णत: एक शैक्षिक संस्थान था। परंतु अब वे इसे सत्तारूढ़ दल के हितों को साधने का एक उपकरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सत्तारूढ़ दल आते हैं और जाते हैं। आप भी अगली बार इसी कठिनाई को महसूस करेंगे जब आप सत्ता से बाहर होंगें और कांग्रेसी लोग अथवा दूसरे कुछ लोग इस संस्थान में भर जाएंगे। इसलिए इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान में इस प्रकार लोगों की नियुक्ति हमेशा खतरनाक है। राजनीति से संबद्ध लोग और राजनीतिक सोचवाले व्यक्ति इस संस्थान की रीढ़ बनते जा रहे हैं।

मेरे प्रिय मित्रों आपको यह समझना चाहिए कि छिपे हुए एजेंडा को लागू करने का यह एक तरीका है। यह राज्य की नीति नहीं है। यह भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद पर कब्जा करने के छिपे हुए एजेंडे का एक हिस्सा है।

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

अपनी बहस को सुदृद बनाने के लिए मैं एक अथवा दो खण्डों का उल्लेख करना चाहता हूँ। मैं इन खण्डों का उल्लेख करूंगा जो मेरे अभिप्राय को स्पष्ट कर देंगें। इस परिषद के पदाधिकारियों में निम्नलिखित सदस्य शामिल होगे। केन्द्रीय विदेश मंत्री अध्यक्ष होंगे। तत्पश्चात परिषद के सदस्यों में से उपाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। इस परिषद के सदस्य कौन-कौन है? इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन के विशेषज्ञों में से चार सदस्य केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएँगे। दो मदस्य विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों में से केन्द्र साकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। चार सदस्यों का मनोनयन परिषद द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार परिषद उन लोगों से भरा हुआ होगा। जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं।

मैं केवल एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या यह एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा। इस उद्देश्य के लिए एक अध्यादेश लाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे सदन में विस्तृत चर्चा के लिए और उसके रूप निर्धारण के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? ऐसा न करके उन्होंने राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के लोगों को भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद में लाने की जल्दबाजी में, इस सम्मानित सभा की विधायी शक्तियों की अवहेलना कर एक अध्यादेश जारी किया। ऐसा कभी सुना नहीं गया और यह न्यायोचित भी नहीं है। इसलिए लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर मुझे इसका पूरा विरोध करना होगा।

यदि परिषद में कोई अनियमितता है तो इसे ठीक किया जा सकता था। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह भारतीय सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत चल रही थी जिसमें कुछ सीमा तक तो स्वायत्ता दी गई है। मौजूदा विधान से निकाय की संपूर्ण स्वायत्त शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। इस विधान के अंतर्गत एक नई परिषद की स्थापना होगी और यह उस भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद को केसरिया रंग में रंगने के समग्र प्रयास का हिस्सा है। जो ऐसा मंच था जहां से विश्व-विख्यात हस्तियां भारतीय नीतिगत निर्णयों के संबंध में अपने विचार व्यक्त करती थीं।

रात्रि 8 बजे

जैसा कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि संविधान निर्माताओं का ऐसी प्रक्रिया के बारे में कतई विचार नहीं किया था। यदि वास्तव में कोई आवश्यकता हो तो अध्यादेश जारी किया जाना चाहिए किंतु इस अध्यादेश की इस तथ्य कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को परिषद में लाना चाहते थे के अलावा लाने की क्या जल्दी थी। सभा की अवहेलना न करके भी ये ऐसा कर सकते थे। ऐसी कोई जल्दी नहीं थी। कोई आपात स्थिति उत्पन्न हुई थी. . .*(व्यवधान)* वे एक सामान्य विधेयक ला सकते थे। हम उस पर चर्चा करते किंतु ऐसा नहीं किया गया। इसलिए, मैं एक बार फिर सरकार के इस अध्यादेश को लाने के प्रयास का जोरदार विरोध करता हूँ।

सभापति महोदय : यदि मंत्री जी चाहें तो वे विधेयक पर भाषण देने और इस पर विचार करने के लिए विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और उसके निगमन तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 1 सितम्बर, 2000 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद अध्यादेश, 2000 (2000 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।" 'कि भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और इसके निगमन तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री आर० एल० भाटिया (अमृतसर) : महोदय, मैं इस विधेयक के विरोध में खड़ा हुआ हूँ। भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद की स्थापना हमाने देश के महान व्यक्तियों जैसे-पंडित जवाहर लाल नेहरू, डा० जाकिर हुसैन डा० राधाकृष्णन ने की थी जो आगे चलकर देश के राष्ट्रपति बने। इसकी स्थापना में प्रोफेसर हृदयनाथ कुंजरू जैसे भारत के प्रख्यात व्यक्तियों का योगदान रहा।

इस संगठन की स्थापना विदेश कार्यकलाप के अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय कार्यकलापों के अनुसंधान भारत सरकार के विदेश कार्यों एवं नीतियों के बारे में जनता को अवगत करने व उन्हें जानकारी देने के लिए की गई थी। यह संस्थान बहुत प्रसिद्ध है। यहां से पुस्तकें प्रकाशित की जाती रही हैं। भारत के लोगों को शिक्षित करने के लिए यह संस्था सेमीनार, चर्चा व कार्यशालाएं आयोजित करती रही है। इस संस्था की स्थापना का यही उच्च आदर्श था। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मामलों का ज्ञान व जानकारी बढ़ाना और उसे जनता को उपलब्ध कराना। इस संस्था ने विश्लेषकों, विशेषज्ञों पत्रकारों और अनुसंधानकर्ताओं को विदेश संबंधी कार्यकलापों की जानकारी प्राप्त करने और पुस्तकें व पत्र इत्यादि लिखने का अवसर प्रदान किया।

किंतु सरकार ने इसके अधिग्रहण का निर्णय लिया है। श्री राधाकृष्णन ने जो कहा, उससे मैं सहमत हूँ। अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता क्या थी? इस संस्था की स्थापना काफी पहले की गई थी। इस परिषद ने भूमि खरीदी थी। उन्होंने सरकार को इसकी कीमत भी दी थी। इस परिषद की स्थापना 1956 में की गई थी और सन 1976 में इस परिषद के वृहद पुस्तकालय का भारत सरकार ने अधिग्रहण कर उसे जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को सौंप दिया। जे० एन० यू० में इस संस्थान की करीब 60,000 पुस्तकें दी गई। जब संस्था ने इसकी क्षतिपूर्ति की मांग की तो भारत सरकार ने उन्हें इसकी कीमत देने का निर्णय ले लिया। उस समय श्री चागला केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ये। उन्होंने प्रतिवर्ष उन्हें 2 लाख रुपये दिये और बाद में, एक समिति गठित की गई जिसने यह निर्णय लिया कि इस महत्वपूर्ण परिषद की आवश्यकताओं की पूर्ति तीन संस्थाएँ करेंगी ये हैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्, संस्कृति विभाग और भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद्। किंतु यह कुछ ही वर्षों तक चला। बाद में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने एक बार फिर कहा कि वह इस संस्था का पोषण करना नहीं चाहती और संकट आ गया। 1990 में मंत्री जी, आपके मंत्रालय, विदेश मंत्रालय ने इस संस्था का अधिग्रहण करना चाहा। मुझे नहीं पता कि उसके क्या कारण थे किंतु उन्होंने इस संस्था के अधिग्रहण का प्रयत्न किया। परिषद ने न्यायालय का सहारा लिया। उच्च न्यायालय

ने सरकार के खिलाफ फैसला दिया। परिषद की स्थिति बहाल रखी गयी। परिषद का कार्य भली भांति चल रहा था किंतु मुझे नहीं पता कि विदेश मंत्रालय हमेशा इस संस्था के अधिग्रहण का प्रयत्न क्यों करता रहा है।

माननीय मंत्री जी, आपके यहाँ कई संस्थाएँ हैं। आपने विश्लेषण ब अध्ययन, पैसिफिक अध्ययन और एशियन अध्ययन सृजित किए हैं। विदेश मंत्रालय कई परिषदों का पोषण कर रहा है। वे आपको रिपोर्ट दे रहीं हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं यह अवश्य कहूँगा। किंतु आप इसी संस्था पर नजर क्यों रखे हुए हैं? 1990 से आप इस संस्था के अधिग्रहण का प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, जो हुआ वह बड़ा ही विचित्र है। इस संस्था के अध्यक्ष श्री जोश से निकाय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दो व्यक्तियों को लेने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि यह एक स्वायत्त निकाय है यहाँ सभी सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। वे सदस्य बनें, चुनाव लड़ें व पद ग्रहण करें तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है किंतु उनके तर्क को ठुकरा दिया गया . . . (व्यवधान) अचानक ही किसी संपदा अधिकारियों ने उन्हें एक नोटिस दिया कि जगह का दुरुपयोग हो रहा है। निजी निकाय से सरकार को क्या करना है? यह निकाय ऐसा कौन सा दुरुपयोग कर रहा था? मुझे समझ नहीं आया। यह केवल एक बहाना है। आप इसका अधिग्रहण करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि जगह का दुरुपयोग किया जा रहा है। परिषद ने न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया किंतु सरकार ने उसकी परवाह नहीं की। स्थगनादेश के बावजूद सरकार ने संसद के सत्र के दौरान यह अध्यादेश प्रस्तुत किया। श्री राधाकृष्णन ने सही कहा कि जब संसद का सत्र चल रहा है तो सरकार यह अध्यादेश कैसे लाई? इसमें क्या जल्दी है? यह हमारे मन में कुछ आशंकाएँ उत्पन्न करता है कि इस स्थल पर जिसे किसी प्रकार से कब्जा करने की सरकार कोई गुप्त प्रयोजन अथवा कोई षडयंत्र है।

तत्पश्चात् परिषद पुनः उच्च न्यायालय गयी। यह वाद न्यायालय में है। ऐसा होते हुए भी मंत्री महोदय जी आपने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। इसकी जल्दबाजी क्यों? आप न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं करना चाहते है। आप इसका अधिग्रहण करना चाहते है। ये सभी चीजें हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न करती हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि सरकार का विचार क्या है। मैं श्री राधाकृष्णन का पक्का समर्थन करता हूँ जब उन्होंने कहा कि सरकार आइ० सी० सी० आर० तथा इसके जैसी अन्य कई संस्थानों का अधिग्रहण कर रही है तथा इन सभी निकायों पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है।

यह केवल इतना ही नहीं है। मेरे पास कुछ व्यक्तिगत सूचना भी है। सभी न्यासों एवं मंदिर उचित अनुचित तरीके से हथियाएं जा रहे है। मेरे अपने शहर अमृतसर में दुर्गयण मंदिर नामक एक बड़ा मंदिर है। उस पर पुलिस की सहायता से बलपूर्वक अधिकार कर लिया गया है। निकाय को भंग कर दिया गया है इस पर भाजपा के लोगों ने अधिकार कर लिया है। क्या सरकार के कार्य करने का यही तरीका है? मुझे ऐसा कहते हुए खेद है। विदेश मंत्री महोदय, आप उनकी विचारधारा के अंग नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि आप एक बहुत ही राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। मैं आपको संसद में बहुत समय से जानता हूँ। हम एक साथ रहे है। परंतु आपको यह विधेयक लाने के लिए मजबूर किया गया है। इस वाद के न्यायालय के विचाराधीन होने तथा संसद का सत्र जारी होने के बावजूद आपने यह अध्यादेश लाया हैं। इसमें क्या जल्दबाजी है? एक निजी संस्थान जो स्वायत्त निकाय है का अधिग्रहण करने से इसे क्या लाभ होगा, एक निर्वाचित निकाय के निर्वाचित सदस्य होंगे? आपने एक बात जानने का कष्ट नहीं किया है।

उपाध्यक्ष भी इस संगठन के उप-अध्यक्ष हैं। आप यह नहीं जानते हैं। मैं सोचता हूँ आपके लोगों ने आपको यह नहीं बताया है। यह चुनाव हाल ही में हुआ है। तथा श्री पी०एम० सईद को इस संगठन का उप-अध्यक्ष चुना गया। क्या यही इस सरकार की नीति है? यद्यपि वे कांग्रेस अध्यक्ष है तथा उपाध्यक्ष भी कांग्रेस का ही एक व्यक्ति है आप इसका अधिग्रहण करना और आर० एस० एस० के लोगों को सौप देना चाहते हैं। यह आपका लक्ष्य है। इसलिए आप अध्यादेश लाने की जल्दबाजी में थे। आप नहीं जानते हैं कि संसद का सत्र चल रहा है या नहीं। फिर भी आप यह करना चाहते हैं। आप इस संस्थान को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। लंबे समय से विदेश मंत्रालय इसकी सहायता नहीं कर रहा है। वे चन्दा एकत्र कर रहे हैं और इस संस्थान को चला रहे हैं तथा इस प्रकार एक अच्छा कार्य कर रहे है। उन्होंने कई सेमीनार आयोजित किए है। मैंने तीन अथवा चार सेमीनारों में भाग लिया है और उन्हें संबोधित किया है। विदेशियों ने भी इसमें भाग लिया है, कई राजदूत भी इन सेमीनारों को सम्बोधित करते रहे है। इस संस्थान ने न्याय के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देना शुरू किया हैं क्या आप जानते हैं पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है नेलसन मंडेला और यासर अराफात। यह संस्थान इतना अच्छा कार्य कर रहा है तथा केवल कुछ व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए आप इसे समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए में कहता हूँ कि सरकार का लक्ष्य संदेहपूर्ण है। मैं आशा करता हूँ कि सरकार राजग की साफ सुथरी छवि के लिए इस विधेयक को वापस ले लेगी जिसके आप सदस्य है। संसद सत्र के जारी रहते अध्यादेश लाना बिल्कुल गलत है। इसलिए ,मैं इस विधेयक पर गंभीर आपत्ति व्यक्त करता हूँ। राजग, जिसके आप सदस्य है की छवि को बचाने के लिए इस विधेयक को आप वापस ले लें तो यह बेहतर होगा। आप आर० एस० एस० एवं भाजपा की चिंता मत करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय इस विधेयक के पुरःस्थापित होने के प्रथम दिन ही मैंने इसका विरोध किया था। आज में अपनी पूरी शक्ति के साथ मैं इस अत्यंत कठोर कानून का विरोध करता हूँ । यह भारतीय संविधान और उसके अनुच्छेद 19 (1) के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों की भावना के विरुद्ध है। इस सभा में आप जैसा चाहे इसे पारित करवा सकते हैं क्योंकि आपका बहुमत है परंतु इस विधेयक का भविष्य दूसरी सभा में निर्धारित होगा। जहाँ अपने दल की ओर से मैं अत्यधिक स्पष्ट रूप मे कह सकता हूँ कि हम इस विधेयक का विरोध करते है। और यह विधान पारित नहीं हो पाएगा। आज सुबह हमने यह दृढ़ निर्णय लिया है कि सरकार को हमारे समर्थन का अर्थ यह नहीं है कि आप जो कुछ चाहेंगे वह हमें स्वीकार करना है।

सर्वप्रथम, अध्यादेश लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि विदेशमंत्री इस संस्थान में रुचि रखने में इतना अधिक उत्सुक हैं, तो उन्हें बातचीत करना चाहिए था क्योंकि इस संस्थान की कोई वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं है। यदि मंत्रालय की किसी दूसरे सस्थान की महती

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

इच्छा है तो वे नया संस्थान बना सकते हैं। किसी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान करने के नाम पर यदि आप संस्था पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत किसी संस्थान पर कब्जा करना चाहते हैं, एक संस्थान जो अनुच्छेद 19 (1) के अंतर्गत विशेषाधिकार शक्ति और प्रीविलेज रखता है कि वह संघ और श्रमिक संघ बना सके तथा यदि यह सरकार का रवैया है तो मुझे यह कहना चाहिए कि इस तरह एक के बाद दूसरे संस्थान के भगवाकरण की सरकार की बुरी नीयत को अनुमति नहीं दी जाएगी और इसे, यदि इस सदन में नहीं तो दूसरे सदन में, रोक दिया जाएगा। उन्हें परिणाम भुगतना होगा। यह भयावह है। जब उन्हें परिणाम का सामना करना होता हैं तो वे इस तथ्य का सहारा लेते हैं कि न्यायाधीन मामले पर सभा में चर्चा नहीं की जा सकती है।

कानून मंत्री से लेकर हर कोई यह कहता है कि न्यायाधीन मामलें पर हम यहाँ चर्चा नहीं कर सकते है। माननीय मंत्री जी उच्चतम न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के बार (वकील समुदाय) के प्रख्यात सदस्य हैं। कानून और संविधान के ज्ञान के कारण मैं हमेशा उनका अभिनंदन करता हूँ।

महोदय, जब श्री राजीव गाँधी सता के बाहर थे, तब वी० पी० सिह के नेतृत्वाली सरकार इस बहाने हस्तक्षेप करना चाहती थी कि तत्कालीन विदेश मंत्री श्री आई० के० गुजराल इस संस्थान को एक लाख रुपए का अनुदान देने का विचार कर रहे थे। वे एक अध्यादेश लाए। लेकिन उस अध्यादेश का क्या हश्र हुआ? यह पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारातीत (शक्ति के बाहर) घोषित कर दिया गया। सरकार ने इसके विरुद्ध डिवीजन बेंच में अपील किया तथा डिवीजन बेंच (खण्डपीठ) अपील खारिज कर दिया। उसके बाद सरकार उच्चतम न्यायालय के पास नहीं गई क्योंकि वे जान गए कि उन्होंने गलत काम किया है।

तत्पश्चात् जनवरी 1999 से एक रिट याचिका सीएमपी न० 1182/99 दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अभी भी लंबित है तथा इसकी आज सुनवाई होनी थी जिससे भारत संघ भी एक पक्ष है।

दिसम्बर 1999 से दिल्ली उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच (खण्ड पीठ) में भारत संघ के विरुद्ध एक वाद लंबित है। इस वाद में सॉलिसिटर जनरल हरिश साल्वे उपस्थित हुए तथा इसकी अगली सुनवाई 12,1,2001 को होनी है। न्यायालय ने आईसीडब्ल्यू ए सप्रू हाउस की बेदखली के वाद में काईवाई को भारत सरकार के विरुद्ध रोक दिया है। भारत सरकार के अध्यादेश को चुनौती देनेवाली एक दूसरी रिट याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष लंबित है तथा इस वाद की सुनवाई की अगली तारीख 12.1.2001 निर्धारित की गई है। इसके बाद अध्यादेश को चुनौती देनेवाली एक दूसरी रिटयाचिका चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में लंबित है जिसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा बाद में इस पर महामहिम उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई; इसके बाद इस वाद में सुनवाई 11.12.2000 को सम्पन्न हुई तथा यह वाद दिल्ली उच्च-न्यायालय को हस्तांतरित कर दिया गया।

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना की एक अर्जी लंबित है तथा इस बाद में 24 मई, 2000 को श्री जगमोहन एव दूसरों को एक नोटिस जारी किया गया। इसके बाद श्री जगमोहन एवं दूसरों के विरुद्ध सप्रू हाउस के कब्जे के लिए अवमानना की एक दुसरी अर्जी है तथा इस वाद में भी श्री जगमोहन दूसरों को 7 सितम्बर 2000 को नोटिस जारी कर दिया गया है। इन दोनों वादों की सुनवाई आज के लिए निर्धारित है और अभी तक मैं सुनवाई के परिणाम को नहीं जानता हूँ।

आज की स्थिति के अनुसार इस मामले में यह स्थिति है। यह मामला न्यायपालिका के विचाराधीन है। परंतु सरकार ने सोचा कि यदि वे इस संस्थान को बलपूर्वक अधिग्रहण और जो कुछ वे चाहते है नहीं करते हैं तो अनहोनी हो जाएगी। तो क्या कार्य करने का यही तरीका है? संविधान के अनुच्छेद 19 (4) के अंतर्गत यह उपबंध है जिसके द्वारा वे हस्तक्षेप कर सकते हैं यदि देश की सार्वभौमिकता और अखंडता का प्रश्न हो। सरकार के पास यह शक्ति है। यदि उनके पास उचित आशंका है कि किसी संस्थान में देश की सार्वभौमिकता और अखण्डता संदिग्ध है। तो वे संविधान के अनुच्छेद 19 (4) के अंतर्गत हस्तक्षेप कर सकते है।

इस प्रकार के एक संस्थान में जहाँ हमारी विदेश नीति के आलोक में भारत की आकांक्षाओं को उजागर करने के लिए सेमीनार और संगोष्ठियाँ आयोजित की जाती है चाहे वह फिलीस्तीन के पक्ष में हो, दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में हो, अरब के पक्ष में हो, अंगोला के पक्ष में हो, मोजाम्बिक के पक्ष में हो, वियतनाम के पक्ष में हो, अथवा विश्व शांति के वृहतर संदर्भ के पक्ष में हो, क्या सरकार देश की सार्वभौमिकता और एकत्र अखंडता के प्रति खतरा महसूस करती है?

महोदय, पंजाब उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट रूप से अधिकथित किया कि संसद का कोई विधायी अधिकार नहीं है तथा जब सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील किया तो उसे खारिज कर दिया गया। उस समय पंजाब उच्च न्यायालय में यह दलील दिया कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को संघ बनाने का अधिकार है। यह संघ स्वर्गीय श्री सी०एन० अन्नादुरई के नाम पर अथवा सरदार वल्लवभाई पटेल के नाम पर हो सकता है अथवा निश्चित तथ्यों के अध्ययन के लिए कुछ बुद्धिजीवी एक साथ मिलकर संघ बना सकते हैं। सरकार इसमें कैसे हस्तक्षेप कर सकती है? वे इस पर कैसे कब्जा कर सकते है?

आज सतारूढ़ दल ने यह महसूस किया कि सप्रू हाउस पर किसका नेतृत्व था? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान था जिनकी राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेशी समझ की अवधारणा पर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री प्रश्न नही उठा सकते, यद्यपि फिलीस्तीप-इजरायल मुद्दे पर विपनन के कुछ प्रयास आरएसएस द्वारा किए गए है। कई महान लोग, जैसे पंडित हृदय नाथ कुजरू, डा० जाकिर हुसैन, डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो इसका संचालन करते थे परंतु आप इस संस्थान को अपनी मनमानी से हथियाना चाहते हैं।

संगठन को अपने अधिकारी चुनने का अधिकार होता है। यह का संगठन की आम निकाय का अधिकार है न कि इसे संसद का कि वह किसी व्यक्ति या अधिकारी की प्राथमिकता पर प्रश्न उठाए। हाँ यदि उसे कही से भी बजटीय समर्थन दिया जाता है तो यह संसद का अधिकार है कि वह नियंत्रक और लेखा परीक्षक के माध्यम से ही जांच कर सकती है और इस अधिकार के आगे वह नहीं जा सकती।

उन्होंने एक के बाद एक संस्थानों पर वार करना शुरू कर दिया है क्योंकि उनकी पार्टी भाजपा सत्ता में है, और चाहती है कि "भगवा" -जो रा. स्व. सं वि हि प का प्रतीक है की विचारधारा के विरुद्ध जो भी है उसे उखाड़ फेंका जाए। हम इस प्रक्रिया का समर्थन नहीं करेंगे। हम इसका विरोध करेंगे। यदि आप को लगता है कि कुप्रबंध है, तो उस मामले को सामने लाना चाहिए। आपको संबंधित राज्य के सोसाइटीज के रजिस्ट्रार से पूछ ताछ का पूरा अधिकार है। यह केन्द्र राज्य संबंधों का मामला है। वे दिल्ली की राज्य सरकार से इस बाबत पूछ सकते थे कि उन्हें संगठन के कुप्रबंधन संबंधी लोक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। रजिस्ट्रार, सोसायटी को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत दस्तावेजों की जांच करने का पूर्ण अधिकार है न कि विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह और शहरी विकास मंत्री श्री जगमोहन को यह अधिकार है। श्री जगमोहन क्या महसूस करते हैं ? क्या वह दिल्ली के शासक हैं? क्या वह मानते है कि वह यहाँ अपनी मनमानी कर सकेंगे और यह संसद उनकी निष्ठुरता का मूक दर्शन बना रहेगा? यह नहीं हो सकता।

हम इस विधान का पूर्ण विरोध करते हैं क्योंकि यह विधान संसदीय विधि सम्मत नहीं है। इसमें दूरदर्शिता की कमी है। इसमें भावी समझबूझ का अभाव है। यह अनुच्छेद 19 (1) के अंतर्गत किसी संस्था के अधिकारों के अतिक्रमण पर जानबूझ कर किया गया प्रयास है। यदि आप इसे ध्वनि मत से पारित करना चाहते है, तो आप की खुशी अल्पकालीन है क्योंकि इसे राज्य सभा में रोका जा सकता है। संपूर्ण विपक्ष के साथ ही हमारी पार्टी ने भी एक निर्णय लिया है। यदि आप इसे अब नहीं रोक पाए तो, सरकार अन्य कई संस्थाओं को रा. स्व. सं. के आदेश पर सभा के बाहर अपने छुपे ऐजेंडे को लागू करने के लिए हथिया लेगी। इसलिए, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं, जो पंडित जवाहर लाल नेहरू के आदर्शों को मानते हैं, जो पूर्व विख्यात व्यक्तियों के योगदान को समझते हैं, और जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम और अनुच्छेद 19 (1) की बहुत अच्छी समझ रखते हैं को इस विधेयक को पारित कराने के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए और मैं नम्र निवेदन करता हूं कि वे इसे वापस ले लें और इस मामले पर बाद में पुनर्विचार करें।

सभापति महोदय : अब माननीय मंत्री महोदय भाषण देंगे।

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, कई बातें है जो माननीय मंत्री कह नही पाएंगे परंतु मैं इसे कहने जा रहा हूं। कृपया मुझे अनुमति दीजिए।

सभापति महोदय : केवल दो मिनट का समय लिजिए।

श्री खारबेल स्वाइं : मैं दो मिनट में ही समाप्त करूंगा श्री प्रिय रंजन दासमुंशी बहुत बुद्धिमान वक्ता हैं। उन्होंने कहा कि यह संस्था पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू की है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैंने यह नहीं कहा था . . . .(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं : पंडित हृदय नाथ कुंजरु, सरदार स्वर्ण सिंह . . . . (व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : पहले, मुझे उनकी बात में सुधार करने दीजिए।

सभापति महोदय: उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं : पिछले 20 वर्षों से अब तक इस संस्था का प्रेजीडेन्ट कौन था? वह श्री हरचरण सिंह जोश थे, जो कि कांग्रेस पार्टी के एक सभासद थे, और जो कि खास विख्यात व्यक्ति नहीं थे। उन्हें कोई नहीं जानता था।

यह एक महान ज्ञान का केन्द्र था।

यदि अखबारों को पढ़ा जाए तो पता चलता है कि वह सप्रू हाउस को विवाह समारोह के लिए किराये पर देते थे। यही कारण है कि सरकार को इसका अधिग्रहण करने के लिए बाध्य होना पड़ा। क्या आप यह कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है?

जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, उसने भी यही किया। यह एक महान ज्ञान का केन्द्र था। जिसके लिए सरकार ने प्रमुख इलाके में 16 एकड़ जमीन दी थी। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? उसने श्रीमती सोनिया गांधी को इस संगठन का आजीवन प्रेसीडेन्ट बना दिया। . .*(व्यवधान)* सरकार ने आज क्या किया? आप जानते हैं वे इस प्रकार के बुद्धिजीवियों को इस देश पर थोप रही है।

मैं अन्य कोई बात नहीं कहना चाहता, माननीय मंत्री इसका जवाब देगें, परंतु एक यही कारण है जिसके लिए उसे सत्ता से हटाया गया इस देश की जनता और सरकार अपने सुनहरे अतीत को सच में वापस ला रही है और उस संस्था में सही लोगों को स्थान मिलेगा।

श्री प्रियंरजन दासमुंशी : महोदय, मैं पुन: यह सूचना देना चाहता हूं कि 30 नवम्बर 1999, को श्री मनमोहन सिंह, विदेश मंत्रालय के अपर सचिव ने आईसी डब्लू के कर्मचारियों से उनके वेतन संबंधी शिकायतों के प्राप्त होने के बाद, लिखा " कृपया अपने दिनांक 22 नवम्बर को शिकायतों इत्यादि से संबंधित माननीय विदेश मंत्री को लिखे पत्र का हवाला दीजिए . . . आप जानते है कि यह मामला न्यायनिर्णयाधीन है और इसलिए एमईए फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि इस संबंध में कोई कार्रवाई कर सके, परंतु सरकार इस स्थिति में है कि इस पर अपना कब्जा जमा ले"।

श्री खारबेल स्वाइं : और वहां उन्हें वित्तीय अनियमितताओं का पता लगा।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार पांजा) : महोदय, मैने सभी माननीय सदस्यों को ध्यान से सुना। लोग इतिहास जानते हैं और यह सभा इस बात से सहमत है कि यह संस्था कि यह राष्ट्रीय ख्याति की संस्था है।

इसका लंबा इतिहास है। 1943, से स्वतंत्रता से पहले, इसकी यादें डा. राधाकृष्णन डा. राजेन्द्र प्रसाद, पंडित जवाहर लाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, जिनके नाम पर यह 'सप्रू हाउस' नाम पड़ा। हमारे देश के विख्यात लोगों का इससे जुडाव का लम्बा इतिहास है। जब इस बात पर सहमति है तो इस राष्ट्रीय महत्व की संस्था को बचाना होगा। यह सच नही है जैसा कि माननीय सदस्य श्री राधा कृष्णन, का कहना है कि इस काम के लिए दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया।

[श्री अजीत कुमार पांजा]

महोदय, 1990 में इस संस्था में सुव्यवस्था कायम करने के लिए प्रयास किये गये थे और इससे पहले विभिन्न चेतावनियां दी गई थी कि इसका संचालन सही ढंग से नहीं हो रहा है और धनराशि और फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : ये किसके फंड या पैसे? क्या यह धनराशी संसद द्वारा स्वीकृत है?

श्री अजित कुमार पांजा : सप्रू हाउस को उन विभिन्न कार्यो के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो राष्ट्रीय संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप नही है। इसका उपयोग विभिन्न ऐसे कार्यो के लिए किया जा रहा है, जो इस संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं थी। यह भी देखा गया था कि कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा था।

इसमें एक महत्वपूर्ण ग्रन्थालय है, जिसका उल्लेख माननीय सदस्यों ने किया था। पुस्तकों को दस वर्षो से सूची तक नही बनाई गई और राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकें गायब है और जिनकी पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई। यह विश्व विख्यात ग्रन्थालय है, जहाँ अनुसंधान कार्य चलता है। इसे देखते हुए,1985-86, में हॉलाकि सरकार अनुदान दिया करती थी, इस अनुदान पर रोक लगा दी गई, क्योंकि सार्वजनिक निधि का दुरुपयोग किया जा रहा था। कई वर्षो से इस संस्था की कोई लेखा-परीक्षा नहीं की गई। इसलिए अध्यादेश पारित करना आवश्यक हो गया और 1990 में उस अध्यादेश को पारित किया गया। शीध्र ही पिछले राष्ट्रपति ने कोर्ट की शरण ली।

मुझे मालूम है कि श्री दासमुंशी काफी बुद्धिमान है पर शायद उन्हे सच नहीं बताया गया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से एक आदेश पारित होने, के बाद एक अपील की गई थी। यह सच नहीं है कि अपील निरस्त हो गई थी। कोर्ट की अपील का आदेश था, "लोक सभा में इस विधेयक पर विचार करने में कोई बाधा नहीं है। इस विधेयक को लोक सभा में 5 अक्टूबर 1990 को विचारार्थ अधिसूचित किया गया, इसे विचारार्थ इसलिए नहीं लिया जा सका क्योंकि यह लोक सभा भंग हो गयी थी।

इसलिए, उस समय, राज्य सभा ने इस पर विचार किया और इसे पारित कर दिया था। लेकिन मुझे खेद है कि श्री दासमुंशी, लोक सभा के सदस्य होने के बावजूद, संपूर्ण लोक सभा को धमकी देते हैं कि " यदि आप इसे यहां पारित करा लेंगे तो मै इसे राज्य सभा में पराजित कर दूंगा।"

मैंने अपने 45 वर्ष के राजनैतिक जीवन में ऐसा कुछ नहीं सुना है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं ऐसा सरकार के लिए कह रहा था, न कि लोक सभा के लिए, आपका सत्ता पक्ष यानी सरकार, निष्ठुर कानून बना रही है। हम यह सरकार से पूछ रहे थे न कि लोक सभा से। आप इसे समझिए। शब्दो के हेर-फेर की कोशिश मत कीजिए। मैं सरकार की बात कर रहा था न कि लोक सभा की।

श्री अजित कुमार पांजा : मैं कभी शब्दों का हेर-फेर नहीं करता। आप रिकार्ड में पायेंगे। "यह लोकसभा इस विधेयक को पारित कर सकती है। मै यह देखूंगा कि राज्य सभा इसे पारित न कर पाए।" यह सब क्या है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैंने कहा था, यह सभा, जिनमें आपका बहुमत है, विधेयक पारित कर सकती है। आपकी सरकार इसे पारित कर सकती है परंतु हम इसे राज्य सभा में रोक लेंगे। मैंने यही कहा था।

श्री अजित कुमार पांजा : मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। तीन बार दोहराने से बात सच नहीं हो जाती। हम लोगों द्वारा सीधे चुने हुए है हम जनता के प्रतिनिधि है। इस धमकी से आपका क्या तात्पर्य है? यदि लोक सभा इस विधेयक को पारित करती है, तो हम उसे वहाँ रोक देंगे। यही राज्य सभा ने दूसरे विधेयक को पारित कर दिया है। संपूर्ण विधेयक 5 सितम्बर,1990 को बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया गया था। उन्हे शायद नहीं पता है। सिर्फ इसलिए कि लोक सभा भंग हो गयी थी, इसे लागू नहीं किया जा सका।

इसकी केवल दो धाराओं और इस बीच इसे अद्यतन बनाने में व्यतीत लम्बी अवधि पर विचार करते हुए हमें एक नया विधेयक लाना होगा। इसलिए मुझे विश्वास है कि श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा दिए गए सभी तर्कों और उस धमकी के बावजुद कि जब यह राज्य सभा में जाएगा तो यह पारित नहीं हो पाएगा, राज्य सभा के सदस्य इसे समझ सकेंगे। हम इसे वहां देखेंगे।

इसके बाद, मामला एक बार फिर। सितम्बर को आया। हम क्यू आए? इस सभा के सभी के सभी वरिष्ठ सदस्यों ने ऐसा प्रश्न ठीक ही उठाया। हमें अध्यादेश की क्या जरूरत है? मैंन भी यही महसूस किया कि अध्यादेश की क्या आवश्यकता है? विधेयक लाने के लिए संसद की कार्यवाही होनी चाहिए। एक सितम्बर को उस समय सभा नहीं चल रही थी। अध्यादेश पारित करना ही है, क्यों ? अध्यादेश किए जाने के अकाटय कारण हैं। इस संस्था की संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। अनुच्छेद 19 यह शक्ति प्रदान नही करता कि कोई भी एसोसिएशन बनाकर और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था का उपयोग मित्रों या रिश्तेदारों के विवाह समारोह के लिए करते, संपूर्ण देश की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दे। इससे प्रतिष्ठा नही बच पायेगी। सभी मौलिक अधिकार सदैव तर्क संगत प्रतिबंधों से परिसीमित किए जाते है। तर्कसंगत प्रतिबंध हमेशा विद्यमान रहते हैं। हमें दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा पहुँचाने का अधिकार नहीं है। हमें बोलने का अधिकार तो हैं किंतु दूसरों का अपमान करने का नहीं है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें जो उचित लगता है हम वह करने के लिए स्वतंत्र हैं किंतु देश की प्रतिष्ठा, उसकी संप्रभुता और अखण्डता के मूल्य पर नहीं। स्वतंत्रा का अर्थ यह नहीं है कि पुस्तकालय की पुस्तकें कहीं और चली जाएंगी? क्या इसका अर्थ यह है कि कोई हिसाब रखा नही जाएगा? क्या इसका यह अर्थ है कि कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा? क्यों? मुख्य बात यह है कि समिति ने घोषणा की है कि चुनाव 5 सितम्बर, 2000 को होगें। अब हमने सोचा कि अब चुनाव होगे। सभा को यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जिन स्थानों पर चुनाव होने वाले थे वहां अपने आदमी नियुक्त कर 12 अगस्त को ही परिणाम घोषित कर दिए गए। चुनाव 5 सितम्बर को होने थे किंतु परिणाम अगस्त ही घोषित कर दिये गए। महोदय, कृपया देखिये। अर्धग्रहण करने के बाद जब हमें पेपर मिले तो हमें पता चलता है कि वास्तव में ऐसा हुआ था। मतदान से एक माह पहले ही परिणाम घोषित कर दिये

गए थे। किसका निर्वाचन हुआ? वही व्यक्ति 20 वर्षों के लिए अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। ऐसी परिस्थियो में क्या हम इस संस्थान की प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं कर सकते?

कर्मचारी अपने वेतन के लिए लम्बे समय से मांग करते रहे हैं और इस बारें मे कई शिकायतें भी प्राप्त हुई। वेतन के नियमित भुगतान के हमारे आग्रह के बावजूद भी उन्हें नियमित भुगतान नहीं किया गया। हमने आग्रह किया था कि यदि कर्मचारियों का भुगतान नहीं हुआ तो सम्मेलन भी नही हो रहा है। आवास रहने योग्य नहीं बनाए गए थे। एक शौचालय भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। बिजली की दशा तो इतनी शोचनीय थी कि कभी भी आग लग सकती थी। हालांकि मरम्मत के लिए धन लिया गया किंतु 20 साल से पूरे भवन की मरम्मत नहीं की गई। खातों से पता चलता है कि कर्मचारियों को इतने वेतन का भुगतान किया गया।

यह पाया गया कि कुछ कर्मचारियो का अस्तित्व ही नहीं था, वेतन का भुगतान नही किया गया था क्योंकि कोई कर्मचारी था ही नहीं। क्या काम करने का यही तरीका है? संपूर्ण ढांचा चूर-चूर हो गिर रहा था, संपूर्ण आई.सी.डब्लयू.ए. एक क्षणभंगुर बुलबुला बन गया था। इसीलिए यह अध्यादेश जारी करना पड़ा। ऑडिटोरियम और मंचो की नाटको के मंथन के लिए भारत माता के दर्शन और विचारों के अनुरूप बनाये रखना आवश्यक था।

पुस्तकालय की अत्यंत कीमती संपत्ति और पुस्तकों की लगातार उपेक्षा की गई। वहां की सभी पुस्तकों की सूचि बनाने के लिए हमें राष्ट्रीय पुस्तकालय से एक विशेषज्ञ की सहायता लेनी पड़ी। ''द एशियन रीलेशंस कॉन्फ्रेंस 1947'' नामक एक अत्यन्त दुर्लभ और मुख्य पुस्तक का वहां संरक्षण किया गया था। उसे गुम बताया गया है इस संबंध में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई गई और इस बारे में कुछ भी नहीं हुआ। ये पुस्तकें अब भविष्य में उपलब्ध नही होगी। ऐसी सूचना मिल रही थी कि यह कबाड़ी को बेच दी गई किन्तु उसका भी कोई हिसाब नहीं है।

जैसा आप जानते ही हैं कि यह पुस्तक उन सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों मे से एक है जिनका हम संरक्षण करते है और जो केवल स्यू हाउस में ही संरक्षित हैं। ऐसी परिस्थियों में यह अध्यादेश लाना पड़ा।

श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा उठाए गए मुद्दों कि इस अध्यादेश की जारी करने की आवश्यकता नहीं थी, के बारे में, मैं, यह कहूंगा कि अध्यादेश की पर्याप्त आवश्यकता थी। माननीय सांसद ने 'घृणित प्रयास' शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी और हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री आर.एल. भाटिया ने भी यही कहा कि उन्हें पता था कि मै वर्तमान सरकार की दार्शनिकता से जुड़ा हुआ नहीं हूं और इसलिए उन्हें न्याय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मुझे कानून की जानकारी है और इसलिए मुझे न्याय ही करना चाहिए। यह पुष्टि करने के बाद कि हमारे योग्य प्रधान मंत्री के नेतृत्व में यह सरकार धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़ रही है मुझे विश्वास हो गया कि इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह विधेयक आवश्यक था।

मैने कानून की प्रैक्टिस की है इसे मैं स्वयं कहना नहीं चाहता था। विधी की प्रत्येक धारा का मैंने अध्ययन किया है और मैंने सह पाया कि हमारे संविधान के अधीन यह न्यायोचित है और सभा का एक वास्तविक अधिनियम बनाने के लिए यह आवश्यक है।

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के बारे में श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने मुझसे पूछा कि हम इसे छोड़ क्यो नही देते और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक शिकायत दर्ज क्यों नही कराते? अपने लम्बे अनुभव से मैंनें यह देखा है कि जब भी शिकायत करी जाती है उसका क्या ह्रास होता है। यह केवल 'समिति' के प्रश्न से उभरा है। इस संस्थान के संस्थापकों और महान व्यक्तियों, जिनका मैने नाम लिया, उनके आर्शीवाद से इसने स्वयं को राष्ट्रीय महत्व के एक 'संस्थान' के रूप में बदल लिया। सभा में यह विधेयक पारित होने पर मुझें खुशी होगी कि भारत के उच्चतम निकाय ने ऐसे संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता दी। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। इसलिए किसी राजनीति का सवाल ही पैदा नहीं होता।

एक या दो व्यक्ति लाए गए या कोई अध्यक्ष बना मुझे इसकी चिंता नही है। मुद्दा यह है कि यह सब एक प्रक्रियात्मक ढंग से होना चाहिए था। यह कहा गया कि यह एक स्वायत्त शाक्षी निकाय है इसलिए हमें इसे छुना नहीं चाहिए। आम तौर पर हम इसे छूते नहीं, जबतक हमे पता नहीं चला कि समिति से इसके प्रतिदिन के कार्य का नियंत्रण संसद में रहेगा।

धारा 19 नियमों के अंतर्गत नियंरित अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में है। जो भी नियम हों उन्हें संसद के दोनों सदनो के समक्ष रखा जाएगा, पारित किया जाएगा और वे तभी उन्हें प्रभावी किया जाएगा।

अध्यक्ष की शक्तियां धारा 10 के अंतर्गत आती हैं।

धारा 12 प्रथम बैठक के बारे में है कि यह संसद द्वारा पारित व अंगीकृत नियमों और विनियमों के अंतर्गत होनी चाहिए। शासी निकाय, कार्यकारी निकाय है, मैं यह बात समझ सकता हूँ कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वहां हर समय नहीं हो सकते। शासी निकाय को विनियमों, धारा 14 उपखण्ड (1) से (6) के अंतर्गत कार्य करना चाहिए।

कार्यकारी समिति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित और अंगीकृत किए गए विनिमय के अनुसार ही कार्य करना चाहिए।

महानिदेशक (डी.जी.) एक सक्रिय व्यक्ति होगा जो सचिव के रूप में भी कार्य करेगा। वह,विशेष रूप से बनाये गए विनियमों- धारा 15, उप-धारा (3), धारा 15, उपधारा (5) के अनुसार कार्य करेगा। श्री प्रियरंजन दासमुंशी जांच कर सकते है।

महोदय कृपया राष्ट्रपति से मंत्री परिषद तक का ब्यौरा देखिए। धारा 17 के अनुसार, संसद की निधियां उपलब्ध करानी होगी इसलिए जब तक महान व्यक्ति दान देते रहेंगे इस संस्थान की कभी भी निधियों की कमी नहीं होगी। यह ठीक है कि महान व्यक्तियों ने दान दिया और यह चल रहा था किन्तु इन दिनों कुछ संस्थान हर समय दान पर निर्भर नहीं रह सकते, इसलिए निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। ऐसे लोग है जो आगे आते हैं किन्तु सरकार को इस सभा द्वारा प्रदत्त राशि के द्वारा ही निधियां उपलब्ध करानी होगी। इसका अर्थ है कि बजट नियमानुसार ही पारित किया जाना चाहिए। जहां तक लेखा विधि का संबंध है, यदि आप धारा 19 देखें तो इसमें कोई कठीनाई नहीं है। खातो की जांच महा लेखापरीक्षा नियंत्रक द्वारा होनी चाहिए। जांच के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और महालेखा परीक्षा नियंत्रक की रिपोर्ट सदन में रखी जानी चाहिए। धारा 29 के अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन हर वर्ष संसद से पारित कराना होगा।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : हर विधान में ऐसा प्रावधान है।

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन जब आपको मौका दिया जाएगा आप तभी बोलें, अभी नहीं।

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, नियम 26 और 27 विनियमों में परिवर्तनों से संबंधित हैं। किसी भी नियम या विनियम में कोई भी परिवर्तन संसद की स्वीकृति से ही होगी।

श्री राधाकृष्णन कहतें हैं कि यह प्रावधान सभी विधानों में हैं। यदि ऐसा है तो यह एक प्रभावहीन विधान है और इसलिए इसे पारित करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

जहां तक सारी चीजों के भगवाकरण का आरोप है, मेरा विचार है कि संभवत इस शब्द का प्रयोग रंगीन ढंग से सोचे बिना किया गया क्योंकि केसरिया रंग बहुत शानदार रंग है। इसके भागवाकरण, का प्रश्न ही नहीं है। मैने स्वयं को विश्वास दिलाया कि यहां केसरिया, सफेद और हरा रंग भी है और इसलिए मैं प्रत्येक मुद्दे से निपटने की जिम्मेदारी लेता हूं। सत्ता में जो भी हो, यह संसद की संपत्ति बन जाता है। आज हम यहां हैं,कल वे यहां हो सकते हैं। इस राष्ट्रीय संस्थान का प्रभार ग्रहण करने वाली संसद, उच्चतम प्राधिकरण है।

श्री राधाकृष्णन ने 'गुप्त एजेंडे' की बात भी की है। सरकार द्वारा किए जा रहे अच्छे काम को 'गुप्त एजेंडें' का नाम दिया जाता है। हमने कुछ भी नहीं छुपाया है और कोई 'गुप्त एजेंडा' नही है। यदि कोई गुप्त एजेंडा होता तो यह चर्चा के लिए यहां नहीं रखा जाता। हम कह सकते थे कि अध्यादेश पारित किया गया था हम भी ऐसा ही अध्यादेश बनाएंगे कि इसे बनाने में छः माह का समय लग जाए किन्तु हमने ऐसा नहीं किया। हम यथाशीघ्र अवसर मिलते ही सभा के समक्ष आए।

श्री भाटिया ने उच्च न्यायालय में अपील की बात कही। श्री दासमुंशी ने भी कहा कि 'स्टे' मंजुर हो गया है। नहीं। एक हस्तांतरण आवेदन के द्वारा इस पूरे मामले को उच्चतम न्यायालय को हस्तांतरित कर दिया गया है।

निर्णय पर रोक लगाने की मांग बार-बार की गई है किन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया। वर्तमान राष्ट्रपति महोदय ने लिखित बयान दर्ज करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है। हमने भी उत्तर के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी सुविधा के अनुसार तिथि निर्धारित करेगा।

मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि वहां कौन निर्वाचित हुए हैं क्योंकि यह चुनाव निर्धारित तिथि से एक महीना पहले हुआ था और परिणामों की घोषणा कर दी गई थी। आप अपने लम्बे अनुभव के परिणामस्वरूप बता सकते हैं कि क्या कुछ किया जाना चाहिए।

पंडित जवाहर लाल नेहरू का नाम लिया गया है और मैं भी वही नाम ले रहा हूं। वह महान व्यक्ति थे। मैंने उन दिनो उनके व्यक्तिगत खाते को देखा था और पता चला कि उन्होंने इस संस्थान को 500 रुपये दिए थे उस अवधि अर्थात 1943-49 के बीच डा. राजेन्द्र प्रसाद ने भी लगभग 1000 रुपये दिये थे।

अत: इन परिस्थितियों के अंतर्गत इन सभी बातों को ध्यान में रखा गया है। इस संस्था को इस शताब्दी में संरक्षित करनें का यह मामला एक साहसिक प्रयास होगा ताकि इस शताब्दी के प्रथम वर्ष में लोग और आने वाली पीढियाँ यह जान पाये कि कम से कम राष्ट्रीय महत्व के इस संस्थान को संरक्षित रखने का हमने प्रयास तो किया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : सभापति महोदय, माननीय मंत्री अब विधेयक के कुछेक प्रावधानों का उल्लेख कर रहे हैं। ये ऐसे प्रावधान हैं, जो लगभग सभी कानूनों में होते हैं। किसी अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये किसी नियम को सभा में रखना पड़ेगा और फिर सभा उस पर चर्चा करके उसे पारित करती हैं। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। पुनश्च, इस प्रकार के प्रावधान से विधि का मूल स्वरूप परिवर्तित नहीं होता।

यहां एक सरल परन्तु मूल प्रश्न यह है कि शासी निकाय के लगभग सभी सदस्य नामनिर्दिष्ट होते हैं। चुनाव का कोई प्रावधान नहीं है। सभी नामनिर्दिष्ट हैं और यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है इस निकाय पर सरकार का नियंत्रण होगा। इस संस्था की स्वायत्ता को पूर्णरूप से छीन लिया गया है। सभा के सम्मुख नियम प्रस्तुत करने से अध्यादेश को स्वायत्ता प्रदान करने की शक्ति प्राप्त नहीं हो जायेगी। स्वायत्ता का प्रावधान विधि में निहित होता है। वह प्रावधान इस विधि में मूल रूप से मौजूद नहीं हैं। मेरा यही तर्क है। नामनिर्देशन के द्वारा ये सभी पद भरने की क्या आवश्यकता थी?

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन आप पहले ही कह चुके हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, इसीलिए इस प्रकार जल्दबाजी में सरकार द्वारा इस प्रकार का विधान लाने की ईमानदारी पर मुझे शंका होती है। इसके अतिरिक्त, लौकतांत्रिक सिद्धान्तों के कारण मैं इसका भारी विरोध करता हूं। इसकी तत्काल कोई आवश्यकता नहीं थी। माननीय मंत्री ने इसकी तात्कालिकता के बारे में मुझे आश्वस्त नहीं किया है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार, यदि कोई दुरुपयोग की बात होती या कोई अन्य बात होती तो मेरे विचार से कार्यवाही की जानी चाहिये थी न कि उसके स्थान पर कोई अध्यादेश लाया जाना चाहिये था। मान लीजिये, कोई खामी आ गई हो, विश्वासघात का मामला हो अथवा धनराशि का गबन हो, यह सब बातें उसमें हो सकती हैं। इन्हें किसी स्थानीय कानून की मदद से रोका जा सकता था। उस कार्य के लिए क्या हमें अध्यादेश लाना चाहिए था? इसको तत्काल लाने का कोई औचित्य नहीं है।

अत:, मै इस अध्यादेश का भारी विरोध करता हूं और अपने संकल्प को दोहराता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को संतुष्ट करने के अलावा और कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं और मैं यह महसूस करता हूं कि एक बहुत अच्छा इंसान एक बुरे मामले के पक्ष में बोल रहा है। मुझे उन पर तरस आता है। उन्होंने केवल यह कहा है कि उन्हें अध्यादेश के आंतरिक प्रावधानों के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है ताकि वह उसे बारीकी से समझ पाते।...*व्यवधान*

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, मैं उनके इस तरस खाने में कोई रुचि नहीं रखता। मैं नहीं जानता कि उन्हे क्योंकर मुझ पर तरस आ रहा है।...*(व्यधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं चुनाव के बारे में बात कर रहा हूं। चुनाव समाज के संविधान के अनुसार कराये जाते हैं। आई. सी.डब्ल्यू.ए. का मतदान 5 सितम्बर, 2000 को होना है। इस संबंध में माननीय मंत्री की बात बिल्कुल ठीक है। परंतु उक्त चुनावों के लिए उम्मीदवारों को सोसाइटी के संविधान के अनुसार 5 अगस्त तक पर्चे दाखिल करने थे अर्थात चुनाव से दो महीने पूर्व। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्षों-जिनमें से दो इस सभा के प्रतिष्ठित सदस्य हैं- और एक कोषाध्यक्ष और आठ सदस्यों के नाम वापिस लेने की अंतिम तिथी 12 अगस्त थी जबकि चुनाव अधिकारी ने पाया कि उम्मीदवारों और चुनाव के लिए निर्धारित पदों की संख्या समान है। चूंकि और कोई मुकाबला नहीं होना था, अत:, उसने चुनाव कार्यक्रम और नियमों के मुताबिक 12 अगस्त को उसके परिणाम की घोषणा कर दी। चूंकि परिणाम सर्वसम्मति से घोषित किया गया था, अत: उसमें मतदान की कोई आवश्यकता नहीं थी।

लोक सभा के चुनावों के मामले में भी यदि उम्मीदवार की घोषणा हो जाती है और उसमें कोई अन्य उम्मीदवार नहीं हो तो परिणाम घोषित कर दिया जाता है और शपथ ग्रहण समारोह बाद में होता है। अत:, माननीय मंत्री को उनके अधिकारियों और इस मंत्रालय की नौकारशाही ने इन बातों का खुलासा न करके उनको गुमराह किया है। यही बात मैं कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : अब मैं, श्री वरकाला राधाकृष्णन द्वारा पेश किये गये सांविधिक संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखता हूं:

प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 1 सितम्बर, 2000 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद् अध्यादेश 2000 (2000 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद् को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और इसे निगमित किये जाने तथा उससे संबद्ध मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हम इस अलोकतांत्रिक विधान का विरोध करते हैं और विरोध में सदन से बहिर्गमन करते हैं।

रात्रि 8.48 बजे

इस समय श्री प्रियरंजन दासमुंशी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा छोड़कर चले गये।

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): श्री दासमुंशी आज आपने तीन बार सभा से बहिर्गमन किया है।...(व्यवधान)

डा. वी सरोजा (राशिपुरम) : महोदय, हम विरोध दर्ज करने के लिए सभा से बहिर्गमन करते हैं।

रात्रि 8.48-½ बजे

इस समय डा.वी. सरोजा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा छोड़कर चले गये।

सभापति महोदय : अब यह सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 30 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 30 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री अजित कुमार पांजा : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : यह सभा कल 19 दिसम्बर, 2000 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सांय 8.50 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, दिसम्बर 19, 2000/ 28 अग्रहायण, 1922 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।